राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के छठे सत्र का 30 वां दिवस [संख्या 22

शुक्रवार,

दिनांक 18 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री चन्द्रवीर सिंह।

जैसलमेर में चिकित्सा विभाग के रिक्त पद

595. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में स्वास्थ्य अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के कितने स्वीकृत पद हैं? विभिन्न विद्यमान पदों में से कौन कौन से कितने पद रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पद कितने समय से रिक्त हैं और उनको कब तक भर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेत सिंह राठौड़)

(1) जिला जैसलमेर में स्वास्थ्य अधिकारियों के 39 एवं अन्य कर्मचारियों के 297 स्वीकृत पद हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्रश्न के भाग (1) की सूची में अंकित है। रिक्त पदों को भरने के प्रयास जारी हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में कनिष्ठ विशेषज्ञों के 7 स्वीकृत पदों में 5 पद रिक्त हैं? 1980 से, इसी तरह चिकित्सक सी.ए.एस.के 34 स्वीकृत पदों में से 6 पद 1980 से रिक्त हैं, इसी तरह मेल नर्सों के 3 स्वीकृत पदों में से 2 पद 1979 से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या इसका मतलब यह है कि जैसलमेर जिला, जो कि 38 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है, में आज की तारीख में केवल कम्पाउण्डर हैं ? इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, मेल नर्स के 35 स्वीकृत पदों में से 26 पद 1974 से रिक्त हैं। इसी तरह अध्यक्ष महोदय एल.एच.वी. के कुल स्वीकृत पदों में से 4 पद 1974 से रिक्त हैं। इसी तरह प्रसाविकाओं के 41 स्वीकृत पदों में से 11 पद 1974 से रिक्त हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, स्पष्ट रूप से, यह पद कितने समय की निश्चित अवधि में भर दिये जायेंगे ? क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में 9 मेडिकल सब सेन्टर्स में से 7 बंद पड़े हैं ? क्या यह भी सही है कि

(2)

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

जैसलमेर जिले के 12 परिवार कल्याण सब सेन्टर्स में से 9 बंद पड़े हैं ? कृपया इनके कारण बताने का कष्ट करें। जिलाधीश, जोधपुर ने रिपोर्ट दी है कि लगातार अकाल के कारण लोगों में कमजोरी आ गयी है। यही हालत, अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले की जनता की है। जैसलमेर के ग्रामीण अंचल में आज की तारीख में चिकित्सा सुविधायें पूर्णतया ठप्प पड़ी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना है। प्रश्न में लिखा है कि उक्त रिक्त पद कितने समय से रिक्त हैं ? इसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के खण्ड-2 का उत्तर दिया है, प्रश्न के भाग (1) की सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है, जिसमें सारी चीजें अंकित हैं। मतलब यह है कि जो मैंने माननीय प्रश्नकर्ता को सूची दी है, उसमें यह सब अंकित है कि कौनसा पद कब से खाली पड़ा है। उसको देखकर माननीय प्रश्नकर्ता ने यह बात कही है यह सही है कि कुछ पद 1974 से खाली पड़े हैं, बड़ी शोचनीय स्थिति है. मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं। एक ट्रेनिंग सेन्टर बाड़मेर में शुरू किया गया है। हमने यह भी आदेश दिया है कि जैसलमेर, बाड़मेर आदि इलाके के लड़कों को उसमें भर्ती किया जाये ताकि इलाके में वापिस जाकर सेवा कर सकें। भरतपुर या इधर पूर्वी राजस्थान के लड़के जैसलमेर में जाते हैं तो वहां दूर दराज इलाके में सुव्यवस्थित गांव बसे न होने के कारण, रोशनी पानी की सुविधा न होने के कारण वह ड्यूटी जोइन कर भाग आते हैं। यह शिकायत आम तौर से पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में ही नहीं बल्कि फलौदी, शेरगढ़ इलाकों की भी है। हमारा यह प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके, जैसे आपकी डिस्पेन्सरीज में खाली स्थान हैं करीब 250 एडहॉक अपॉइन्टमैन्ट दे रहे हैं डॉक्टर्स को। एक्सपीरियैन्स्ड डॉक्टर्स से अपॉइन्टमेंट देने से पहले ही यह एग्रीमेंन्ट, प्रमाण-पत्र ले रहे हैं कि आपको पश्चिमी राजस्थान के जिन जिलों के अन्दर डॉक्टर्स के खाली पद हैं, वहीं पर हम भेजेंगे, वहां जाकर ड्यूटी जोइन करनी पड़ेगी, तभी अपॉइन्टमेन्ट दिया जायेगा। यह व्यवस्था हमने की है। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन आयेगा और सुधार होगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि सब सेन्टर्स बंद पड़े हैं, अकाल की स्थिति है वहां। जिलाधीश, जोधपुर ने यह स्पष्ट कहा है कि अकाल के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से लोग अपना इलाज नहीं करा सकते। ग्रामीण क्षेत्र में सब सेन्टर्स बंद पड़े रहेंगे तो कैसे इलाज होगा। क्या यह सही है, अध्यक्ष महोदय, 20-1-1983 को जैसलमेर जिले के प्रभारी मंत्री ने मुख्य मंत्री जी, आपको स्वयं को एक पत्र लिख कर सूचित किया था चिकित्सा सेवायें जैसलमेर में पूर्णतया ठप्प पड़ी हैं, इसका जवाब आपने दिया या नहीं दिया, यह आपका आंतरिक मामला है, असंतुष्टों और संतुष्टों की बात है, आप जानें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने यह कहा कि जिन लोगों को नियुक्तियां देंगे आप उन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

से पहले से लिखाकर लेंगे कि इन इलाकों में जायेंगे या नहीं जायेंगे। तो क्या यदि ऐसे लोग प्राप्त नहीं होंगे तो सब सेन्टर्स बंद पड़े रहेंगे या कोई और व्यवस्था करेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जहां तक हवा-महल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप उन से लिखित में ले तो रहे हैं कि आप वहां जाओगे तभी नियुक्ति देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वहां नहीं जायेंगे तो क्या नियुक्ति नहीं देंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर मंजूर नहीं करेंगे तो..

श्री भंवरलाल शर्मा : अपॉइन्टमेन्ट नहीं देंगे तो पद खाली रहेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जगह खाली रहेगी तो इसका मेरे पास इलाज क्या है? कई डाक्टर्स को लगाया, जोइन नहीं करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। टर्मिनेशन के आदेश इश्यू करते हैं, चूंकि आपने इतने दिनों से ड्यूटी जोइन नहीं की इसलिए आपको टर्मिनेट किया जाता है। हमको कोई सुझाव दो तो उसको स्वीकार कर लूंगा, उसके ऊपर कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: प्रभारी मंत्री ने जो दिया उस पर क्या एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष: कोशिश कर रहे हैं, माननीय सदस्य ऑर्डर, ऑर्डर। अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : नौकरी छोड़ देते हैं तो फिर सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि वे प्राइवेट दुकान करके बैठ जाते हैं तो उनको लाइसेंस नहीं दें ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। बैठे,बैठे। नहीं, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन। यह आपने नीति संबंधी प्रश्न अपने प्रश्न में पूछा है इसकी अनुमति नहीं देते हैं। आपने पूछ लिया।

राज्य सरकार की आबकारी नीति

596. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) एक अप्रेल, 1980 से अब तक राज्य सरकार की आबकारी नीति में कब-कब क्या क्या परिवर्तन किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस आबकारी नीति के अनुसार देशी व भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानों का लाइसेन्स देने में कब-कब क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गयी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री आबकारी (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) दिनांक 1 अप्रेल, 1980 में राज्य में राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19 के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में मद्य निषेध लागू किया गया। दिनांक 11-8-81 को राज्य में राजस्थान मद्यनिषेध अधिनियम, 1969 को समाप्त कर राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 लागू किया गया।

(2) विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल के भाग (2) के अन्दर यह पूछा था कि दुकानों के लाइसेन्स देने में कब-कब, क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। जो विवरण दिया गया है वह प्रक्रिया सम्बन्धी विवरण नहीं दिया है।

4

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रक्रिया संबंधी विवरण तो दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरा पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : पढ़ा नहीं जा सकता। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। यह पूछा नहीं जा सकता। कृपया विराज जायं।

सुश्री पुष्पा जैन : शराब की नीति बार बार आपने परिवर्तित की तो क्या यह शराब से राज्य की आय को...

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्या, इस विषय पर विस्तृत चर्चा जब हो गई, इस पर विचार कर लिया गया। मैंने पूर्व में ही निवेदन कर दिया है कि नीति सम्बन्धी प्रश्न है। नीति सम्बन्धी प्रश्न अनुदानों की मांगों पर अथवा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के वक्त में, बजट भाषण के समय हो सकता है। अब आपका उत्तर आ गया है...

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : एक पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्या।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग (2) तो नीति सम्बन्धी नहीं है। उसमें साफ लिखा है कि आबकारी नीति के अनुसार देशी और विदेशी मदिरा की दुकानों का लाइसेन्स देने में कब कब क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई? यह नीति सम्बन्धी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : एक हिस्सा आधा हिस्सा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आधे हिस्से की बात नहीं है। प्रक्रिया तो बतानी चाहिये कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई? इस प्रक्रिया का विवरण तो देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नियम वगैरह से आप परिचित है। आप जानते हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे परिचित होने से और आपके परिचित होने से काम नहीं चलता है, हाउस में मैम्बर ने पूछा है, उसका राइट है......

श्री अध्यक्ष : नियम अलग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोसिजर पूछा है कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई। नीति की बात नहीं है? वह बता दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि दिनांक 11-8-81 को राजस्थान मद्यनिषेध अधिनियम, 1969, और 1-4-1980 से राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 लागू किया गया था। उस समय राज्य में अनुज्ञा-पत्र दिये जाने हेतु राजस्थान लिकर प्रोहिबिशन रूल्स, 1969 के नियम व राजस्थान ग्रान्ट ऑफ फोरेन लिकर (होलसेल एण्ड रिटेल ऑफ लाइसेन्स) रूल्स, 1972 के नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार 31-3-1982 तक की अवधि के लिये रिटेल ऑफ अनुज्ञा-पत्र राजस्थान ग्रान्ट ऑफ फोरेन लिकर (होलसेल एण्ड रिटेल ऑफ लाइसेन्स) रूल्स, 1972 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रक्रिया नहीं होती है, आप जो बता रहे हैं। आप यह बतायें कि लाइसेन्स देने की, उनको ठेका देने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई? उसका प्रोसिजर क्या था? उसका विवरण बताना चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसके बारे में निवेदन किया है कि पहले लाइसेन्स 50 हजार रुपये की इनीशियल फीस देकर के, जैसा गत वर्ष बजट भाषण के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके बारे में माननीय सदस्यों से निवेदन किया था, उसका ओपन ठेका पद्धति से नीलाम करके उसके हिसाब से बाद में नीलाम की प्रक्रिया अपनाई...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है। मुझे क्वेश्चन का जवाब तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार पहले ठेका जो दिया जाता था वह एक वर्ष के लिये दिया जाता था। मैं समझता हूं कि मंत्री जी यह सही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जी, सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: राशि डिपोजिट कराये बगैर जो आदमी हैं, बड़े आदमी हैं उनके एक साल के ठेकों को 2 साल कर दिया। जो लोग मध्यम श्रेणी के हैं उनको एक झटके से गैर कानूनी कर दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्षी दल के नेता महोदय को उसके बारे में यह निवेदन कर दूं कि दो वर्ष के लिये 10 पर्सेन्ट हर साल बढ़ जायेगी। इस हिसाब से उनको दो वर्ष का ठेका दिया गया। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि इससे आय कैसे बढ़ जायेगी? टार्गेट बन्धा हुआ है। 10-12 आदमी उसके बारे में टेन्डर दे देते हैं उनमें से 2-3-4 स्वीकृत हो जाते हैं और सरकार की तरफ से रेट निश्चित हो जाती है उस पर, उस हिसाब से कर देते हैं तो इतनी आमदनी नहीं होती है। दुबारा उनके लिये नीलाम प्रोसिजर रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि देशी और विदेशी मदिरा की लाइसेन्स प्रणाली में कोई अन्तर रखा गया है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अन्तर तो है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : देशी और विदेशी में अन्तर है। देशी शराब ओपन नीलामी से एक वर्ष के लिये और विदेशी शराब के लिये इनीशियल फीस 50 हजार लेकर देते हैं बाकी बड़ी जो है ओपन आक्शन से करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अवधि में अन्तर क्यों?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक वर्ष का और दो वर्ष का अन्तर क्यों है?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर): देशी और विदेशी में तो बहुत अन्तर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप ही जानते हैं। गांधी जी ने यही सिखाया है आपको।

श्री श्रीराम गोटेवाला : देशी और विदेशी ठेका पद्धति में अन्तर नहीं है। नीलाम के द्वारा दिया जाता है, देशी का एक साल के लिये और विदेशी का दो साल का।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(6)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि विदेशी मदिरा का ठेका 2 वर्ष के लिये दिया जाता है और देशी का एक वर्ष के लिये, इसका कारण क्या है? देशी मदिरा के ठेके दो वर्ष के लिये क्यों नहीं देना चाहते?

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस समय इसका कोई उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। अगला प्रश्न। श्री महेन्द्रसिंह।

श्री गंगानगर, नगर परिषद

597. **श्री महेन्द्रसिंह** (सांगरिया) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री गंगानगर, नगर परिषद द्वारा 1980 से लेकर 1983 तक कितनी बार रोड लाइट्स के पोल व बल्ब बदले गये हैं तथा इन पर कुल कितना व्यय हुआ है?

(2) रोड लाइट्स के पोल व बल्ब बदलने पर पुराने पोल व बल्ब का क्या किया गया है? क्या उनको विक्रय किया गया या वह बिलकुल बेकार हो गये थे?

(3) श्री गंगानगर नगर विकास की सीमा में कौन कौनसा क्षेत्र आता है?

(4) क्या नगर विकास न्यास श्री गंगानगर द्वारा नगर परिषद, श्री गंगानगर क्षेत्र में विकास कार्य नगर परिषद की पूर्व अनुमति से किया जाता है या बिना अनुमति के ही?

(5) नगर विकास न्यास, श्री गंगानगर को वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में किन किन संस्थाओं से कितना ऋण मिला है? यह ऋण कौन कौनसी स्कीमों के लिए लिया गया है?

(6) श्री गंगानगर में रोड लाइट्स के लिए किन किन पार्टियों ने वर्ष 1981-82 व 1982-83 में टेन्डर भरे थे और उनमें से किन किन पार्टियों के टेन्डर स्वीकृत किये गये? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(7) नगर विकास न्यास, श्री गंगानगर द्वारा नगर परिषद् क्षेत्र में रोड लाइट्स के लिए कितने नये पोल लगाये गये हैं? क्या इनकी आपसी दूरी तकनीकी आधार पर पर सही है?

(8) नगर विकास न्यास श्री गंगानगर द्वारा वर्ष 1981-82 व 1982-83 में स्ट्रीट लाइट्स के लिए कितने लोहे के व कितने पत्थर के पोल लगाये गये हैं? इन पर कितना व्यय हुआ है? कृपया लोहे के पोल का वजन व मूल्य भी बतावें।

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) (अ) श्री गंगानगर नगर परिषद् द्वारा सन् 1980 से 1983 तक जो विद्युत का सामान बदला गया है उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। सूची "क"

(आ) विद्युत मण्डल के मार्फत सन् 1983 में निम्न स्थानों पर से पोल उखड़वाकर दूसरी जगह पर लगवाये गये :--

1. रवीन्द्र पथ से 14 पोल। इनमें से 8 पोल कच्ची सम्पत बस्ती एवं 6 पोल कच्ची गांधी बस्ती में लगवाये गये हैं।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

2. गऊ शाला रोड से 10 पोल (इन पोलों को करणपुर रोड कच्ची वस्ती में लगवाया गया है जिनका कार्य चल रहा हैं।

(इ.) श्री गंगानगर नगर परिषद् द्वारा सन् 1980से 1983 तक वल्ब ट्यूब पर निम्न खर्चा हुआ:–

सन् 1980-81	24,440/- रुपये
सन् 1981-82	1,02,555/- रुपये
सन् 1982-83	97,505/- रुपये

(2) (अ) 24 पोल्स जो वदले गये थे उनका विवरण प्रश्न भाग "1" के उत्तर में दिया जा चुका है।

(आ) उक्त पोल्स पर लगे फिक्चर्स नगर परिषद्/नगर विकास न्यास द्वारा हटाये गये हैं जो न्यास /परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रों में लगा दिये गये हैं।

नगर परिषद् के जो वल्व एवं ट्यूब बेकार हो चुके हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है और वेकार चोक्स उनके स्टोर में हैं जिन्हें नीलाम करने की व्यवस्था की जायेगी।

(3) नगर विकास न्यास श्री गंगानगर के सीमा क्षेत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। सूची "ख"।

(4) न्यास द्वारा परिषद् क्षेत्र के कार्य न्यास निर्णय के अनुसार किये जाते हैं। प्रशासक एवं आयुक्त नगर परिषद श्री गंगानगर विकास न्यास के न्यासी हैं।

(5) आई.यू.डी.पी. द्वारा वर्ष 1981-82 में 39 लाख रुपये प्राप्त हुये थे जिसमें 26 लाख का ऋण केन्द्रीय सरकार द्वारा व शेष 13 लाख ऋण राज्य सरकार द्वारा दिया गया था। यह राशि जवाहर नगर द्वितीय चरण एवं संपर्क सड़क के लिये प्राप्त हुई थी। वर्ष 1982-83 में 22.46 लाख हुडको से ऋण प्राप्त हुआ था वह राशि आवासीय भवनों के निर्माण पर व्यय की जायेगी।

(6) रोड लाइट्स के लिये वर्ष 1981-82 में कोई भी टेण्डर आमन्त्रित नहीं किये गये थे। वर्ष 1982-83 में रोड लाइट्स हेतु निम्नलिखित पार्टियों से टेण्डर प्राप्त हुए:–

(1) सिलवानिया लक्ष्मण लिमिटेड, जयपुर।

(2) बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जयपुर।

(3) इलेक्ट्रिकल्स कन्स्ट्रक्शन इम्प्रूमेन्ट (ई०सी०ई०) कम्पनी लिमिटेड, जयपुर।

(4) जी०ई०सी०।

(5) एटलस इण्डस्ट्रीज, वम्बई।

(6) फिक्सी लाइट इण्डस्ट्रीज, जयपुर।

(7) जनसिक लिमिटेड, जयपुर।

(8) ओरियन्ट इलेक्ट्रिक हाउस, दिल्ली।

(9) लक्ष्मी इलेक्ट्रिक कम्पनी, दिल्ली।

(10) न्यूटन इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जिनीयरिंग कारपोरेशन, दिल्ली।

(11) फिलिप्स लिमिटेड, जयपुर।

इनमें से निम्नलिखित पार्टियों के टेण्डर स्वीकृत किये गये हैं:—

(1) सिलवानिया लक्ष्मण लिमिटेड, जयपुर।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(2) बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जयपुर।

(3) ओरियन्ट इलेक्ट्रिक हाउस, दिल्ली।

(7) नगर विकास न्यास श्री गंगा-नगर द्वारा नगर परिषद् क्षेत्र में रोड लाइट्स के लिये 83 पोल्स लगाये गये हैं। सड़क की चौड़ाई व अन्य तकनीकी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनकी आपसी दूरी रखी गई है।

(8) नगर विकास न्यास द्वारा वर्ष 1981-82 में व 1982-83 में लोहे के 430 पोल्स खरीदे गये हैं, जिन पर कुल व्यय 8,55-892/-रुपये हुआ है। पत्थर का एक भी पोल नहीं खरीदा गया है। लोहे के पोल का वजन व उनके भिन्न भिन्न तारीखों में खरीदे गये मूल्य का विवरण संलग्न सूची में सदन के पटल पर रख दिया है गया। (सूची "ग")

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता नहीं पूछना चाहते हैं। अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता नहीं पूछना चाहते हैं तो हम तो पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। काफी लम्बा चौड़ा प्रश्न है। प्रश्नकर्ता नहीं पूछना चाहते हैं, प्राथमिकता प्रश्नकर्ता को होती है। उसके पश्चात् यदि आसन उचित समझे तो एक दो माननीय सदस्यों को कभी-कभी पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि दो हजार पोल्स खरीदे गये जिनकी बी.एस.आर. की रेट 5.50 की है, 7.60 एक पोल्स के लिए 795 रु० के हिसाब से खरीदा गया इसमें 10 लाख रुपयों का घाटा पहुंचा। इसकी शिकायतें भी आपके पास की गईं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बी. एस. आर. की रेट जो इन्होंने कोट की है वह आठ हजार और कुछ है लेकिन जितने टेन्डर आये 128 पर्सेन्ट अबव आये हैं। उनकी कीमत 3100,3200 बैठी है लेकिन नगर विकास न्यास ने यू.आई.टी. के इंट्रेस्ट को देखते हुए यह पोल विभिन्न तिथियों में 1700 से 2300 की दर से खरीदे। 3100 के मुकाबले में इनिशियल स्टेज पर 1700 में खरीदे गये तो निश्चित रूप से नुकसान का प्रश्न ही नहीं होता। दूसरी तारीखों में जो पोल खरीदे गये तो टेन्डर इन्वाइट किये गये, लेकिन अध्यक्ष महोदय, बी.एस.आर. कुछ भी हो सकती है, इरिगेशन की रेट कुछ और है। बी.एस.आर. के ऊपर सौ पर्सेन्ट रेट हाई आती है, कोई टेन्डर नहीं देता, कोटेशन नहीं देता तो यू.आई.टी. क्या कर सकती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, सोडियम लेम्प्स खरीदे वे बेकार खरीदे, उसमें सात लाख का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 40 लाख का नुकसान हुआ। आपके पास बीस शिकायतें आइ, बिना टेन्डर के माल खरीदा गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, 40 लाख का नुकसान होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सात लाख का, अध्यक्ष महोदय, पोल्स में..

श्री प्रद्युम्नसिंह : कुल मिलाकर 18 लाख का माल खरीदा गया···

(व्यवधान)

अब आपने अपनी बात कह दी, मेरी बात सुनिये, "It is not more than 19 lakhs. बीस लाख में चालीस लाख के नुकसान की गणित तो आपको आती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 18 लाख का केवल पोल्स में। कुल माल एक करोड़ का खरीदा गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या माननीय मंत्री महोदय बता सकते हैं, इनके इस कार्य-काल में माल कितने रुपयों का खरीदा गया और···

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता ये डिसीडेण्ट्स..

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : कौन-कौन डिसीडेण्ट्स हैं जो खड़े हो गये।

(व्यवधान)

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : आपके ग्रुप में तो आप डिसीडेन्ट्स हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी खड़े हुए···

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आर.एस.एस वाले आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य ने जो पूछा है, श्रीमन, लेम्प्स जो खरीदे गये, वह दस लाख के पोल्स, 8,55,892 के लेम्प्स खरीदे थे। कुल मिलाकर 18 लाख के करीब होता है, इसलिए 40 लाख का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने टेन्डर नहीं मांगे करीब 120 लाख का सामान खरीदा जिसमें से 40 लाख के करीब घोटाला है। बिना टेण्डर के सामान खरीदा गया, बीस शिकायतें प्राप्त हुईं और आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था पोल्स के बारे में..

श्रीमती उजला अरोड़ा : मर्करी लेम्प्स किस परिधि में आता है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, और क्या पर्चेजेज हुईं यह तो मुझे मालूम नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके समक्ष, जो उन्होंने बात कही, उसके उत्तर में बताया कि दिल्ली की फर्म से खरीदा गया, यह सही है लेकिन दिल्ली की फर्म से जो खरीदा गया, वहां लोकल फर्म्स ने कोट किया वह 3100) रु. है। इनीशियल जो पर्चेजेज हुईं वह 1700) से 2300) तक। तो उसमें भी काफी बड़ा फर्क है, यह बात सही है, मैं सदन से कोई चीज छिपाना नहीं चाहता। इस फर्म से निगोसिएशन्स किए गए, सभी पार्टीज को बुलाया गया नेगोसिएशन्स के लिए। यू०आई०टी० के इन्ट्रेस्ट के अंदर किया है 3100)। कहां 1700 से लेकर 2300) रुपए···

(10)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान विद्युत मण्डल 875 के हिसाब से खरीद रहा है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है । ऐसा है कि माननीय सदस्यों के प्रश्न की जो परिधि है उसी में अपने आप को सीमित रखना चाहिए। मानहानिकारक मसला हो सकता है। जैसे मंत्री जी ने कहा कुल खरीद 18 लाख रुपये की हुई। आप कहते हैं 40 लाख रुपये। मानहानिकारक प्रश्नों में सतर्कता बरतें। प्रश्न की सीमा में अपने आप को रखें। प्रश्नकर्ता।

श्री महेन्द्रसिंह : यू०आई०टी० गंगानगर द्वारा स्ट्रीट पोल्स के जब टेन्डर्स मांगे गए तो गंगानगर की एक फर्म ने भी टेन्डर दिया। उसका टेन्डर इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसने अपना टेन्डर 6 रुपये किलोग्राम के हिसाब से दिया। उसने कहा कि वजन के हिसाब से खरीदना चाहें तो वजन के हिसाब से आपको बिल देंगे। सारे पोल्स का जितना वजन हो उसके हिसाब से बिल देंगे, उसमें 6) रुपये प्रति किलो के हिसाब से होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, कल मैंने इस प्रश्न को देखा था, अगर आप इजाजत दें तो एक मिनट में पढ़कर सुना दूं जिससे सदस्यों को भ्रान्ति न रहे :

" Tenders received on 2-11-81 for 44 Poles........

This was the initial purchase which was made at Sri Ganganagar.

Jagdish Trading Co.	135% above BSR
Ashoke Electric Centre	130% above BSR
Raja Electric Store	145% above BSR
Jubilee Electric Store	133% above BSR
Karnani Electric Store	200% abvoe BSR
Guru Nank Electric Store	140% above BSR
Vishnu Electric Store	131% above BSR
Mahendra & Bros.	140% above BSR
Rajasthan Electric Store	138% above BSR
Khanna Electric Store	128% above BSR"

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

तो जो मैंने पूर्व में निवेदन किया था इनीशियल जब पोल्स खरीदे गए थे उस समय टेन्डर्स 128 से 200 तक वैरी कर रहे थे। मेरे पास जो जानकारी है, मैंने पूरा रिकार्ड देखा है। मुझसे उन्होंने किसी तरह छिपाकर रख लिया तो मुझे जानकारी नहीं लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। डिप्टी सैक्रेटरी ग्रौर दूसरे अधिकारी यू०आई०टी० के इंजीनियर आये थे फिर भी माननीय कहते हैं तो मैं दिखवा लूंगा। अगर कोई ऐसी बात है तो देखा जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारी पर्चेजेज की इन्क्वायरी करवा दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने खुद पत्रावली का अवलोकन किया है उसके बाद जो इन्फार्मेशन मिली है, वह मैंने आपके सामने पेश कर दी है। उसके बाद माननीय सदस्य का कहना है कि 6/- रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसी फर्म ने वजन के हिसाब से कोटेशन दिया है। मैं इसकी निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करूंगा, जांच करा लूंगा ग्रौर जिन्होंने गलत काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री महेन्द्र सिंह : गंगानगर स्पिनिंग मिल में इस तरह से पोल्स खरीदे गए ग्रौर दिल्ली की पार्टी की एजेन्सी है। उसने 150 पोल्स लगाये हैं, बिलकुल सेम पोल्स हैं जो गंगानगर यू०आई०टी ने लगाए हैं। उन्होंने इसका रेट बताया है 650) रुपये पोल का ग्रौर 250) रुपया उन्होंने बताया, जो सामान तैयार होगा उसका। तो दिल्ली की जो एजेन्सी है, पार्टी है वह स्पिनिंग मिल में लगा रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लॉट आफ डिफरेंस है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य, मुझे कागजात दे दें। विपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि कई बार ऐसा होता है। टेन्डर्स इन्वाइट किए जाते हैं तो इस फर्म ने क्यों नहीं टेन्डर भरा ? अब सवाल यह है कि इस फर्म को टेन्डर भरने से मना तो नहीं किया था ? अब आप कहें कि मेरे पास 10 टेन्डर्स आए, किस रेट से आए। उस फर्म को एप्लाई कर देना चाहिए था, यह टेन्डर का सिद्धान्त है।

श्री महेन्द्र सिंह : गंगानगर की पार्टी ने टेन्डर भरा, जयपुर की पार्टी ने टेन्डर भरा।

श्री अध्यक्ष : इस पार्टी ने टेन्डर भरा या नहीं ?

श्री महेन्द्र सिंह : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : इनको तो सवाल करना था।

श्री महेन्द्र सिंह : पार्टी ने टेन्डर नहीं भरा, लेकिन उन्होंने पोल की रेट बताई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उनको जानकारी नहीं है, फिर भी वह एक बात को बराबर इनसिस्ट कर रहे हैं। 6) रुपये किलो की। अगर उनके पास प्रूफ है तो मैं निश्चित रूप से जांच करा लूंगा।

श्री महेन्द्र सिंह : बिल्कुल है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आश्वासन देता हूं, माननीय सदस्य मुझे कागजात दें, मैं पूरे मामले को स्वयं देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : 100 पर्सेन्ट बी.एस.आर. से अब एबनार्मल राइज है। जो इन पोल्स की एजेंसी है, उसने जो रेट्स दिए हैं, कभी यू० आई० टी० के अधिकारी ने जानकारी की है इतने एबनार्मल रेट आने के बाद ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, मैंने उसके संदर्भ में बताया कि बी०एस०आर० की रेट 160 से 175, कुछ इस तरह की है। उसके साथ में कुछ और चीजें होती हैं, बेस प्लेट होती हैं, कुछ पाइप्स मुड़े हुए होते हैं। मैं टैक्निकल आदमी तो नहीं हूं लेकिन उसके बाद भी जो कोटेशन्स आए, जो टेन्डर में कोट किया है, मैंने पढ़कर सुना दिया। अब इतना एबनार्मल राइज क्यों है, For that I don't have any valid explanation. न मुझे जानकारी है कि किस वजह से है, न यह मेरा धंधा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको जानकारी नहीं है लेकिन ...

श्री अध्यक्ष : बहुत समय ले लिया। अन्य किसी तरीके से इस प्रश्न को उठायें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्या। . .

श्री महेन्द्र सिंह : क्या यू०आई०टी० के अध्यक्ष ने टैक्निकल पावर ख़ुद ले रखी है या नहीं ? अगर ले रखी है, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री हेमाराम चौधरी।

"पूरे चुनाव" संकल्प की क्रियान्विति

598. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढा मालानी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार "पूरे" चुनाव संकल्प को पूरा करने के लिये सहकारी बैंकों तथा कृषि उपज मण्डियों का गठन चुनाव के आधार पर करने के लिये कृत संकल्प है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): जी हां। सहकारी बैंकों तथा कृषि उपज मण्डियों के चुनाव शीघ्र सम्पन्न करा दिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आपस में बातें नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह चुनाव तो शीघ्र कराये जाने चाहियें क्योंकि हमारे जो 20 संकल्प हैं उसमें यह है कि सभी संस्थाओं के चुनाव कराये जायेंगे। जो सहकारी संस्थायें और कृषि उपज मण्डी समितियां हैं, उनके चुनाव शीघ्र कराये जायं। माननीय मंत्री महोदय ने यह तो कह दिया कि चुनाव शीघ्र करा दिये जायेंगे परन्तु कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बतायी जबकि पहले इसकी स्पेसिफिक डेट तय होनी चाहिये और सारे कार्यक्रम तय होने चाहियें। पहले यह सब बातें हो चुकी थीं, सारे कार्यक्रम तय हो चुके थे पर बाद में इन चुनावों को स्थगित किया गया। क्या अब आप बार-बार चुनाव स्थगित नहीं करेंगे ? मेरा निवेदन है कि आप इसकी निश्चित तारीख बतायें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को स्पेसिफिक डेट बताने में असमर्थ हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि इतने महीने में इतने वर्षों में करा देंगे। कोई निश्चित समय तो बतायें।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (विलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कृषि उपज मण्डी समितियां, मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी और सी. सी. बैंक हैं उनके चुनाव सरकार ने अभी तक नहीं कराये। पहले तो सरकार ने कुछ जगह पर लोगों को नामिनेट किया और कुछ जगह पर नहीं। मेरा निवेदन यह है कि कहीं पर नामिनेशन किया कहीं पर नामिनेशन नहीं किया। आखिर कब तक चुनाव करा दिये जायेंगे ?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, पहले नामिनेशन का काम किया पर जनवरी महीने में मंत्रिमण्डल की मीटिंग में फैसला हुआ कि अभी चुनाव नहीं करायेंगे। हालांकि पहले चुनाव की प्रक्रिया चालू हो चुकी थी पर अप्रेल-मई में लोक सभा के चुनाव आने के कारण जनवरी में जो बैठक मंत्रिमण्डल की हुई उसमें यह देखा कि फरवरी-मार्च में विधान सभा की बैठक है इसलिये यह तय किया गया कि विधान सभा की बैठक के बाद में चुनाव के कार्यक्रम पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : उसके बाद निश्चित तारीख बता दें।

अभी तो यह जवाब दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पहले यहां पर यह कहा था कि अगस्त के महीने में करा दिये जायेंगे। अब यह दो बातें क्यों कर रहे हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि सहकारिता मंत्री जी ने दोहरी प्रक्रिया कर दी है, कुछ जगह तो नामिनेशन दिये हैं और बाकी जगह खाली पड़ी है। यह दोहरी प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं, इसके कारण क्या हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले यह चाहा था कि चुनाव करा लिये जायें। सरकार चाहती थी कि इन संस्थाओं में सरकारी अधिकारियों के बजाय जन प्रतिनिधियों को रखा जाय। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी लेकिन बाद में मंत्रिमण्डल ने जनवरी में यह निर्णय लिया कि चूंकि फरवरी-मार्च में विधान सभा का सत्र है इसलिये अभी चुनाव नहीं कराये जायं। जब विधान सभा का सत्र समाप्त हो जाये तब इस पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने निश्चित तारीख नहीं बताई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न ले लिया है। बैठ जायें कृपया। श्री कैलाश मेघवाल।

अजमेर नगर की पेयजल योजना

599. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की वाटर सप्लाई की रिआर्गेनाइजेशन स्कीम बनायी गई है ?

(१४)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) यदि हां तो कृपया इसके स्वरूप रचना एवं एस्टीमेट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी (श्री देवेन्द्रसिंह) : (1) जी हां।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अजमेर वाटर सप्लाई स्कीम का पुनर्गठन किया गया क्या उसका एक्जीक्यूशन हो चुका है ? उस पर कितना खर्चा आया और अब कितना पानी लोगों को देना प्रारम्भ होगा ?

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये 491.77 लाख रुपये की योजना थी उसमें से 489 लाख रुपये आज तक खर्च हो चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा है। जो पुनर्गठन स्कीम बनी थी उसके अनुसार 25 लाख गैलन पानी अजमेर की जनता को उपलब्ध कराना था। उसके लिये आपने 489 लाख रुपये तो खर्च करा दिये हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका कहना है कि कितने लाख रुपये खर्च करने के बाद में आप अब अजमेर को कितना पानी उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : सात लाख गैलन।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : पानी कहां पर है ? कागज में ?

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, 490 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। योजना 491 लाख रुपये की थी। 25 लाख गैलन पानी उपलब्ध कराने की योजना थी। आप उसमें से सात लाख गैलन उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें, कृपया। कार्यवाही में बाधा नहीं डालें।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा यह निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, जो पुनर्गठन की अजमेर नगर के लिये योजना बनाई गई थी क्या वह असफल सिद्ध हुई है ? जो 25 लाख गैलन उपलब्ध कराना था वह पूरा पानी उपलब्ध नहीं करा कर आपने सात लाख गैलन पानी ही उपलब्ध कराया है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस योजना को बनाया तब सामान के भाव कुछ अलग थे और बाद में ज्यादा हो गये। कुआ बनाकर पानी को कन्सनट्रेट करने और पाइप लाइन लगाने तथा सर्वे कराने में खर्चा अधिक आया······

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर इसका हिसाब लगायें तो एक रुपये में सवा गैलन पानी मिला।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बातें नहीं करें। बाधा नहीं डालें। कृपया शान्त रहें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इस स्कीम को बना कर इसका एक्जीक्यूशन किया जो योजना बनी थी मूल वह तो 491 लाख रुपये की बनी। उसमें से 489 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ जनता को वहां पर सात लाख गैलन पानी ही मिल रहा है। यह कौनसी योजना का पुनर्गठन किया गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। आप इस प्रश्न को अन्य किसी और तरीके से उठायें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह आपातकालीन योजना बनाई गई थी, पर इससे तो समस्या का समाधान नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं यह देख रहा हूं पर एप्रोच में थोड़ा फर्क पड़ता है। इसमें एक पाइन्ट से दूसरे पाइन्ट और दूसरे से तीसरे पाइन्ट पर और तीसरे से चौथे पाइन्ट पर जाने में कई समस्या आ सकती हैं।

मैं इस पर विचार प्रकट करूंगा। इसकी जब डिमांड आयेगी मैं प्रारम्भ में विचार व्यक्त करूंगा। अब मैं इस प्रश्न को समाप्त करता हूं। अगला प्रश्न। स्थगित प्रश्न।

भरतपुर जिले में खेतों की मिट्टी के परीक्षण की प्रयोगशाला की स्थापना

600. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भरतपुर जिले में खेतों की मिट्टी के परीक्षण हेतु कोई प्रयोग शाला है ? यदि नहीं तो क्या सरकार निकट भविष्य में वहां प्रयोगशाला खोलने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह): जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हरिसिंह : भरतपुर जिले में कृषि विस्तार की योजना है। आपके वहां पर कर्मचारी हैं वह इस बात के लिये हैं कि किस प्रकार खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जाय इसके लिये वह किसानों को सलाह दें मिट्टी का परीक्षण करके। मिट्टी का परीक्षण आवश्यक है उसके लिये आप वहां पर प्रयोगशाला स्थापित नहीं करेंगे तो क्या एक भी फसल नहीं करवाना चाहते हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : मैंने इस बारे में विस्तार से पत्र लिखा था मंत्री महोदय को उसका उन्होंने कोई लिखित उत्तर तो दिया नहीं है। उनसे बातचीत हुई थी इस बारे में तो उन्होंने कहा था कि आपके यहां प्रयोगशाला खोल रहे हैं। अब यहां पर उत्तर आया है कि नहीं खोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उस समय मूड कैसा था।

श्री यदुनाथ सिंह : मूड तो ठीक था।

श्री देवेन्द्र सिंह : यह बहुत स्पष्ट बात है, मिट्टी के परीक्षण के लिये प्रयोगशाला होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन राज्य सरकार के पास वित्तीय साधनों की कमी है। जैसे ही वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे वहां पर प्रयोगशाला कायम कर दी जायेगी।

श्री हरिसिंह : आश्वासन दे रहे हैं तो यह बतायें कि कब तक कर देंगे ? कई सालों से प्रयोगशाला नहीं खुली है ...

श्री यदुनाथ सिंह : मोबाइल सोइल टेस्टिंग यूनिट है उसको जगह जगह पर भेजा जा सकता है पर वह भी नहीं कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : वह तो भेजते ही हैं, मोबाइल यूनिट का तो काम ही यह है।

श्री यदुनाथ सिंह : वह हमारे यहां पर नहीं आती है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि सभी प्रदेशों में एक एक जिले में एक एक प्रयोगशाला है. राजस्थान में मोबाइल यूनिट है पर गंगानगर में यूनिट है तो कर्मचारी नहीं हैं और भीलवाड़ा में कर्मचारी हैं तो यूनिट काम नहीं कर रही है। आप नयी प्रयोगशाला नहीं खरीदें तो न सही परन्तु आपकी क्षमता है उसका तो पूरा उपयोग करें। डेढ़ साल से वहां पर कोई कर्मचारी नहीं है। जो दूसरी भीलवाड़ा की यूनिट है वहां कर्मचारी हैं तो वह काम नहीं कर रही है। आशा है इस पर विचार करेंगे कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में कम से कम एक एक प्रयोगशाला हो।

श्री देवेन्द्र सिंह : ज्यों ज्यों धन होगा त्यों त्यों जिलों में प्रयोगशालायें खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री हरिसिंह : आने वाले साल में कितनी प्रयोगशालायें खोलने जा रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : सोइल टेस्टिंग नहीं होने से फर्टिलाइजर का बेलेंस तय नहीं हो पाता है। इस कारण वहां जमीन दिन प्रति-दिन खराब होती चली जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रयोगशालाओं का अभाव व्यापक रूप से है, आपने यह बात मंत्री महोदय के समक्ष रख दी है उसके बाद...

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 601 का...

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे चर्चा नहीं करनी है। आप तो उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्या, यों कार्यवाही थोपे नहीं।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 21 फरवरी, 1983

अवैध पाकिस्तानी नागरिक

39. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में हजारों की संख्या में अवैध पाक नागरिक रह रहे हैं? पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग राज्य में रह रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इनमें से अधिकांश लोग यहां पर कार्य करने लग गये हैं तथा मतदाता सूची में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस संबंध में गुप्तचर विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट सरकार को पेश की है? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर:) इस संबंध में आपसे निवेदन किया था कि

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

यह केन्द्र सरकार का विषय है। आर्टिकल 246 के तहत इस संबंध में केन्द्र की गवर्नमेन्ट कानून बना सकती है। सातवां जो शिड्यूल है, उसके आर्टिकल 19 के तहत लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में--

"Admission into and emigration and expulsion from India; passports and visas."

यह केन्द्र का विषय है इसलिये मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न यहां पर नहीं लिया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केन्द्र सरकार का विषय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो पासपोर्ट लेकर आते हैं वह राजस्थान में रहने लग जाते हैं। टाइम के बाद उनको निकालने का काम पुलिस के एस.पी. का होता है। वे ढूंढ़कर लाते हैं और राजस्थान की पुलिस उनको बाहर भेजती है। अध्यक्ष महोदय, 18 और 19 अक्टूबर, 1983 को राजस्थान के पुलिस अधीक्षकों की जयपुर में बैठक हुई थी। पुलिस अधीक्षकों ने तब बताया था कि 4403 लोग अवैध रूप से बिना पासपोर्ट के राजस्थान में बस गये हैं और राजस्थान की मतदाता सूची में नाम लिखा लिया है। उन्होंने राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उनकी मांग है कि पुलिस फोर्स की कमी है इसलिये वे इनको निकाल नहीं पा रहे हैं। 644 मील लम्बी जो भारत पाक की सीमा लगी हुयी है, वहां पर 1 लाख पाकिस्तानी आकर बस गये हैं। आज मतदाता सूची में 1 लाख से ज्यादा नाम अवैध हैं। इसी का परिणाम है कि 1981 की जनसंख्या के अनुसार जहां सारे राजस्थान में 24 प्रतिशत लोग आन एन एवरेज बढ़े हैं वहां बाड़मेर में 37 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी रिपोर्ट दी कि आसाम के बाद सबसे ज्यादा विदेशी नागरिकों की संख्या राजस्थान में है। सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के लिये इसका जवाब नहीं दिया, नहीं देना चाहती है। यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, राजस्थान की पुलिस की जिम्मेदारी है ? मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार पूरी तौर पर विफल हो गयी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार केन्द्र की सहायक के रूप में, एजेंसी के रूप में काम कर रही है। जो पासपोर्ट लेकर आते हैं और यहीं पर रुक जाते हैं ; यह ठीक है, उनको ले जाने का काम पुलिस करती है लेकिन केन्द्र सरकार की एजेंसी के रूप में करती है न कि राजस्थान सरकार के आदेशों के अनुसार करती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसे किसी अवैध व्यक्ति, जो नागरिक नहीं है और बिना अनुमति लिये यहां पर रह रहा है, को स्वतः गिरफ्तार करने का क्या राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उसके लिये नियम बने हुये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम तो आप जानते ही होंगे। मुझे तो यह बता दें कि आपको उनको गिरफ्तार करने के अधिकार है क्या ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : केन्द्र सरकार के नियम बने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हां एजेंसी के तौर पर कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं आप से यह पूछना, जानना चाहता हूं कि जौहरी बाज़ार में कोई आपको सूचना दे कि एक नागरिक है जो दूसरे देश का रहने वाला है बिना वैध पासपोर्ट के रह रहा है, तो क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, या नहीं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नियमों में होगा तो कार्यवाही होगी। पुलिस कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : हथकड़ी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 4 हजार यहां पर ही रह गये हैं, 18/19 अक्टूबर को जो बैठक हुयी थी उसमें यह बताया गया था?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है वह केन्द्र सरकार का विषय है। अगर इस सम्बन्ध में लोकसभा में कोई प्रश्न पूछा जायेगा तो वहां उसका जवाब दिया जा सकता है लेकिन राजस्थान विधान सभा में इसका जवाब कैसे दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसका क्या मतलब है ? क्या राज्य सरकार को यह सूचना है कि राजस्थान में जो संख्या माननीय सदस्य से बतायी है उस संख्या के अनुसार अनधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अगर, अध्यक्ष महोदय, कहेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कब मना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर आपकी जानकारी में है तो बता दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं बता भी दूंगा लेकिन यह गलत परम्परा होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई गलत परम्परा नहीं होगी। अवैध रूप से रहने वालों की संख्या बता दें। मैं नाम नहीं संख्या पूछ रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अगर आसन व्यवस्था दे तो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन ने तो दो बार कह दिया है। प्रश्न बिल्कुल सीधा है।

श्री अध्यक्ष : मुझे समझाओ तो सही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राजस्थान में 4403 नागरिक अनधिकृत रूप से रह रहे हैं ? क्या इस बात की जानकारी राज्य सरकार को है ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री प्रद्युम्नसिंह): मैं अध्यक्ष महोदय, गुजारिश कर दूं..

श्री यदुनाथसिंह : आप गृह मंत्री थोड़े ही हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सर्वप्रथम तो जो आपको निवेदन किया गृह राज्य मंत्री महोदय ने, पहले तो आपको आदेश देना है। जो शंका इन्होंने प्रकट की है उस सन्दर्भ में आपको आदेश देना है कि आपके प्रश्न का उत्तर देना है, तभी तो आगे की बात उठती है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि खास तौर से हमारे मुख्य सचेतक महोदय या कानून मंत्री जी बतायें यह प्रश्न है संवैधानिक, कानूनी प्रश्न है। हमने इसको ग्राह्य कर लिया और अनुमति दे दी इसलिए मान कर चलते हैं कि उत्तर आयेगा। वरना यही जवाब पहले आना चाहिए था। फिर भी क्योंकि संवैधानिक आपत्ति उठाई है तो आप की तरफ से यह बतायें कि यह क्यों ग्राह्य नहीं है या इसका उत्तर क्यों नहीं दिलाया जाये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि आर्टिकल 246 में यह बात है कि किन किन विषयों पर पार्लियामेन्ट कानून बनायेगी और किन किन विषयों पर स्टेट कानून बनायेगी, इसका जो शिड्यूल है उसमें दिया हुआ है। उसका आर्टिकल 10 है "Foreign jurisdiction". आर्टिकल 17 है—"Citizenship, neturalisation and aliens. 19 है—Admission into and emigration and expulsion from India; passports and visas.

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी प्रश्न है। मुझे भी संवैधानिक पहलू को अध्ययन करना होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रश्न कई बार इस सदन में आ चुका है।

श्री अध्यक्ष : वह मैं देख लूंगा कब आया है और कब नहीं आया है। मैं इस प्रश्न का अध्ययन करके बता दूंगा।

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय सेन्ट्रल लिस्ट से सम्बन्ध रखता है। अभी गृह राज्य मंत्री जी ने सेन्ट्रल लिस्ट की एन्ट्रीज का उल्लेख किया था। निश्चित तौर पर यह संविधान के इन्टरप्रिटेशन का सवाल आ जाता है इसलिए...

श्री अध्यक्ष : इसलिए थोड़ा इसमें समय लगेगा...

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह जानने का अधिकार है कि पाकिस्तान के 400 नागरिक प्रति वर्ष अवैध रूप से चले आ रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : मैं भी वही सोच रहा हूं जो आप सोच रही हैं। संवैधानिक स्थिति है, कानून की व्याख्या करने का प्रश्न है इसलिए इसको पुनः स्थगित कर देता हूं। मैं इस पर अध्ययन करने के बाद में इसे सूची में ले लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्वेश्चन यह नहीं है। क्वेश्चन यह है कि मंत्री यहां बैठे हैं और राज्य सरकार जिम्मेदारी के साथ इसे नहीं ले रही है। यहां पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आसाम जैसी समस्या बाड़मेर और जैसलमेर में भी पैदा हो जावे? गवर्नमेन्ट संकोच क्यों कर रही है? आप बताइये हम निकालेंगे उनको?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सवाल यह है है कि आप कोई प्रश्न पूछें, मैं कोई आपत्ति उठाऊं और आसन मुझे नहीं कहे कि इसका जवाब दो, तब तक कैसे जवाब दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन का सवाल नहीं है। यह सवाल तो गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी का है। राजस्थान में ऐसी कौनसी पोल है जिसके कारण से विदेशी नागरिक यहां आ जाते हैं और ठहर जाते हैं। यह तो आपकी गवर्नमेन्ट के ऊपर रिफलेक्शन है अयोग्यता का।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कोई पोल नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। एक लाख से ज्यादा लोग बाड़मेर और जैसलमेर में बसे हुए हैं। जनगणना के आंकड़े साफ बताते हैं कि मतदाता सूची में नाम निकले हैं। राज्य सरकार स्मगलिंग को प्रोत्साहन दे रही है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आसन पैरों पर है। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में सफल नहीं हुई है···

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन किया कि यह संवैधानिक प्रश्न है। मंत्री महोदय ने और अन्य मंत्री महोदय ने भी प्रश्न उठाया और आपने भी इसकी व्याख्या की और आपने भी इसकी व्याख्या की। मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं इसका अध्ययन करके व्यवस्था दे सकूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसी सत्र में, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, इसी सत्र में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़ा इम्पार्टेन्ट इश्यू है। आप समय ले लें हमें आपत्ति नहीं है लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कल दिलवा दिया जाये या फिर 22 को दिलवा दिया जाये।

मंत्री, संसदीय कार्य (श्री खेतसिंह राठौड़): प्रश्न तो यही है कि प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तर आप नहीं देंगे क्योंकि आपको संकोच हो रहा है अपनी विफलताओं को प्रकट करने में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, नहीं। अध्यक्ष महोदय, विफलता का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री नन्दलाल मीणा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25 फरवरी, 1983)

लघु एवं कुटीर उद्योग पर बिक्री कर

165. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नये लगाये गये लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आठ

(श्री नन्दलाल मीणा)

प्रतिशत विक्री कर वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1981-32 में चितौड़गढ़ जिले के ऐसे कितने उद्योगों से कितनी राशि कर स्वरूप प्राप्त की गई ?

(2) क्या यह सही है कि विक्री कर की छूट नहीं मिलने के कारण प्रतापगढ़ तहसील में लगे लघु उद्योग प्रायः वन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो वन्द पड़े उद्योगों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों की तरह नये लघु उद्योगों को पांच वर्षो तक विक्री कर से छूट देकर प्रोत्साहन देना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष : इसमें आपकी तरफ से पुनः स्थगन का निवेदन आया है...

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए आप। आम तौर से स्थगित प्रश्न को पुनः स्थगित नहीं किया जाता लेकिन इसमें बात यह है कि आपने उद्योग विभाग से सवाल पूछा है कि किन किन कुटीर उद्योगों ने कितना-कितना विक्री कर दिया। विक्री कर देने का हिसाब किताब रखता है सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट । कुछ समय और उन्होंने चाहा है। मेरे पास काफी पहले इसकी सूचना आयी गयी...

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कुल ही पांच सात छोटे छोटे उद्योग हैं प्रतापगढ़ में केवल 5-7 लघु उद्योग हैं...

श्री अध्यक्ष : 5 हजार कुटीर उद्योग?

श्री नन्दलाल मीणा : पांच, सात ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, पांच।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जरा गौर करें इस प्रश्न पर, क्या यह सही है कि राज्य में नये लगाये गये लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आठ प्रतिशत विक्रीकर वसूल किया जाता है ? यदि हां.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । मैं समझ गया। पूरे राज्य से संबंधित है।

श्री नन्दलाल मीणा : आगे पढ़ें । यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले के ऐसे कितने उद्योगों से कितनी राशि कर स्वरूप प्राप्त हुई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां ,हां चितौड़गढ़ जिले में। अगर आप चिल्लाना जानते हैं तो मैं भी चिल्लाना जानता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : जवाव तो वनता नहीं है आपसे...

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो आप क्यों चिल्लाते हैं बिना वात के बैठ कर। आप आराम से भी पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इतने आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है । इसको पुनः स्थगित कर देते हैं क्योंकि यह कठिन है। अपने यहां पर नियमों में व्यवस्था है कि जो प्रश्न पूछें वह एक ही विभाग से पूछें। क्योंकि इसमें दूसरे विभाग से जानकारी चाही है इसलिये पुनः स्थगित किया गया है लेकिन इसी सत्र में इसका जवाव दिला देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सप्ताह और चाहिये। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं मिनिमम एक सप्ताह।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : इसमें आगे लिखा हुआ है, यदि हां, तो चित्तौड़-गढ़ जिले में और चित्तौड़गढ़ जिले की 5-7 यूनिट्स हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं पांच सात, तो पांच सात के लिए भी सभी कागज तो ढूंढने पड़ते हैं ना।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अन्धारी देवरी (मसूदा) में निर्माणाधीन सीमेंट फैक्टरी

720. **श्री सैय्यद मोहम्मद अय्याज महाराज** (मसूदा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मसूदा के ग्राम अन्धारी देवरी के निकट 'श्री सीमेन्ट फैक्टरी' निर्माणाधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि इस फैक्टरी द्वारा वहां पर लोगों की जमीन पर नाजायज व बिना मुआवजा दिए कब्जा किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) अब तक इस फैक्टरी द्वारा सरकार के माध्यम से तथा निजी तौर पर किन किन व्यक्तियों की तथा कहां कहां और कितनी कितनी भूमि अवाप्त की गई है? कृपया सम्पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्माण कार्य दिनांक 2-2-1982 से चालू है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) फैक्टरी के लिए राज्य सरकार के माध्यम से अवाप्त की गई एवं फैक्टरी द्वारा निजी समझौते से क्रय की गई भूमि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

थानागाजी (अलवर) के थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही

721. **श्री जीतमल जैन** (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 1982 में थानागाजी (अलवर) के थानेदार ने स्थानीय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में जाकर हथकड़ी लगाने का प्रयास किया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार को अदालत की मानहानि के आरोप से दण्डित किया था? यदि हां, तो क्या थानेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? कृपया कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जांच के अनुसार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में जाकर थानागाजी (अलवर) के थानेदार द्वारा हथकड़ी लगाने का प्रयास नहीं किया।

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं। धारा 350 जा० फौ० के अन्तर्गत सम्मन की तामिल पर उपस्थित न होने पर 100/- रुपये का जुर्माना मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थानागाजी ने किया था। थानेदार थानागाजी के विरुद्ध 16 सी० सी० ए० रूल्स के तहत कार्यवाही की जा रही है।

कोटा में अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक का पद

722. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक का पद सृजित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा में उक्त पद पर अब तक किसी भी अधिकारी को नहीं लगाया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

बगरू में हत्या प्रकरण

723. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कस्बे बगरू में नवयुक गोविन्द सोनी की निर्मम हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि गुमनाम टेलीफोन सूचना पर पुलिस ने जाकर लाश का मुआयना कर मृतक के शरीर पर 18 चोटों के निशान रिकार्ड किये ?

(3) क्या मृतक का पोस्टमार्टम और केमीकल जांच आदि भी करवाई गयी थी ? यदि हां, तो दोनों रिपोर्ट उनकी डाक्टरी टिप्पणी सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त केस अब सी.आई.डी. को सौंप दिया गया है ? यदि हां, तो अब उक्त केस की प्रगति क्या है ? उस पर चालान अदालत में कब तक पेश कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) श्री गोविन्द सोनी की मृत्यु के कारणों के बारे में अभी अनुसन्धान जारी है।

(2) पुलिस ने गुमनाम सूचना पर मृतक की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जिसमें उसके जिस्म पर 5 चोटें आना डाक्टर ने अंकित किया।

(3) जी हां। पोस्ट मार्टम एवं रसायनिक जांच की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। अनुसन्धान के दौरान संबंधित साक्षियों से पूछताछ की जा चुकी है। अभी अनुसन्धान जारी है। अनुसन्धान के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचना संभव होगा।

(जांच प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

प्रशासनिक अधिकारियों का पदस्थापन

724 **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री रामकिशोर मीणा)

दिनांक 1-4-1980 से 31-1-1983 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के राजस्थान केडर एवं राजस्थान केडर के बाहर के कौन-कौन से अधिकारी राजस्थान अथवा राजस्थान सरकार से संबद्ध अन्यत्र किस-किस पद पर कार्यरत रहे अथवा पद स्थापित किये गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वांछित विवरण संलग्न सूची में अंकित है, जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राज्य की योजना राशि

726. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी योजना राशि खर्च करने का प्रावधान है और 31 दिसम्बर, 1982 तक कुल राशि का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है ? इसमें केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई तथा राज्य सरकार ने अपने वित्तीय स्रोतों से कितनी धनराशि खर्च की ?

(2) 31 मार्च, 1983 तक क्या सरकार इस संबंध में पूर्ण राशि खर्च करने का विचार रखती है तथा क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के ओवर ड्राफ्ट के कारण से इस वर्ष के योजना व्यय में कटौती की गई है ? यदि हां तो, कितनी ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य की वार्षिक योजना अन्तर्गत 340 करोड़ रु० के मूल प्रावधान विरुद्ध वार्षिक योजना 1982-83 के लिए 348.65 करोड़ रुपये का संशोधित प्रावधान अधिकृत किया गया है। 31 दिसम्बर, 1982 तक 214.62 करोड़ रु० का व्यय किया गया जो मूल प्रावधान का 63.12 प्रतिशत है। दिनांक 31-12-82 तक केन्द्र सरकार से कुल 104-86 करोड़ रु० की योजना राशि प्राप्त हुई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार संशोधित प्रावधान के अनुसार पूर्ण राशि खर्च करने का विचार रखती है ।

कौमी एकता मंच का आयोजन

727. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 19-11-1982 से दिनांक 11-12-1982 तक राजस्थान में "कौमी एकता मंच" का आयोजन किया गया था और उसके अन्तर्गत ही जिला अजमेर में भी इसका आयोजन हुआ था ?

(2) यदि हां, तो अजमेर नगर एवं जिले में आयोजित इस समारोह की रिपोर्ट कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय एकता मास दिनांक 25-11-82 से 11-12-82 तक राजस्थान में आयोजित किया गया था व इसके अन्तर्गत जिला अजमेर में भी इसका आयोजन हुआ था ।

(मुख्य मंत्री)

(2) रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ में पंजीकृत कारखाने

728. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1975 से 1982 तक कितने कारखाने पंजीकृत हुए? कृपया वर्षवार एवं तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1975 से 1982 तक कुल 1433 कारखाने पंजीकृत हुए हैं। वर्षवार एवं तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

डिफाल्टर इकाइयों का विक्रय

729. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कितनी डिफाल्टर इकाइयों का विक्रय किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन डिफाल्टर इकाइयों को जिन व्यक्तियों के नाम बेचा उनसे सम्पूर्ण रकम वसूल नहीं कर उस रकम को ऋण के रूप में बदल दिया? यदि हां, तो क्यों?

(3) इन इकाइयों के नाम, पता सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त मामलों में अनियमितताएं एवं गबन हुआ है? यदि हां, तो कौन व्यक्ति दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष 1981-82 व 1982-83 (जनवरी तक) क्रमशः 29 एवं 35 इकाइयों की परिसम्पत्तियों का विक्रय कर अन्तरण (ट्रान्सफर) किया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। निगम ने इन इकाइयों की परिसम्पत्ति डेफर्ड पेमेंट पर ही बेची जिसके अनुसार साधारणतः कुछ राशि कब्जा देने से पूर्व तथा शेष राशि कुछ वर्षों में वसूल की जाती है। निगम एक विकासशील वित्तीय संस्थान है और यदि परिसम्पत्तियों को नकद भुगतान पर बेचे जायें तो नये उद्यमी को उत्पादन प्रारम्भ करने में कठिनाई होगी। इसके अलावा नकदी आधार पर बेचने के मुकाबले डेफर्ड पेमेन्ट पर परिसम्पत्ति का मूल्य भी अधिक प्राप्त होता है। अगर कोई खरीददार नकद भुगतान करना चाहें तो निगम उसे नकद भुगतान पर भी बेचती है।

(3) प्रश्न नं० 1 के उत्तर में जो सूची सदन के पटल पर रखी गई है उसमें जिन

(उद्योग मंत्री)

इकाइयों को नकद भुगतान के आधार पर बेचा गया उसके सामने अंकित कर दिया गया है तथा शेष इकाइयों के क्रेताओं को डेफर्ड पेमेन्ट पर बेची गई है ।

(4) जी नहीं। उक्त मामलों में कोई अनियमितता एवं गबन नहीं हुआ है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला बांसवाड़ा में बंधक श्रमिक

730. **श्री बहादुर सिंह (दानपुर)** : क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व अभियान के अन्तर्गत, बांसवाड़ा जिले में कुल कितने बंधक श्रमिकों का पता लगाया गया ? कृपया पंचायत समितिवार ब्यौरा सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(2) उक्त श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार की ओर से इन्हें क्या सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) कोई नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

झालावाड़ में राष्ट्रीय ध्वज का मामला

731. **श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)** : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या झालावाड़ जिला कांग्रेस (ई) कार्यालय पर राष्ट्रीय झण्डा लगा हुआ है ? यदि हां, तो कितने समय से किस व्यक्ति द्वारा लगाया हुआ है तथा अब तक उसे उतारा क्यों नहीं गया है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ कांग्रेस (आई) कार्यालय पर राष्ट्रीय झण्डा लगा हुआ नहीं है। उक्त कार्यालय पर पार्टी का झण्डा लगा हुआ है ।

अजमेर में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

732. **श्री सैय्यद मोहम्मद अय्याज महाराज** (मसूदा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर शहर में भारतीय प्रशासनिक तथा राजकीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी किन-किन पदों पर कितने-कितने समय से कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है, जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिय कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

अजमेर जिले में विभिन्न अपराधिक घटनायें

733. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर जिले में गत 5 वर्षों में वर्षवार कितने बलात्कार, डकैती एवं कतल के मुकदमें दर्ज किय गये ? कितने मुकदमों में सजा हुई, कितनों में मुल्जिमान बरी हुए ?

उत्तर

गत पांच वर्षों में हुए बलात्कार, डकेती एवं कतल के मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	अपराध	वर्ष	कुल दर्ज हुए अप.	अदम बकुआ	अदम तफ.	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफ.	चालान	सज़ा	रिहा वरी	राजी-नामा	पेंडिंग अदालत
1.	बलात्कार	1978	8	1	—	—	—	—	7	6	1	—	—
		1979	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—
		1980	8	2	—	—	—	—	6	4	2	—	—
		1981	11	4	—	—	—	—	7	3	3	—	1
		1982	11	4	—	—	—	—	7	—	—	—	7
2.	डकेती	1978	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
		1979	3	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
		1980	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		1981	10	1	—	5	—	—	4	—	—	—	4
		1982	3	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2
3.	हत्या	1978	30	3	—	5	2	—	20	12	6	—	2
		1979	39	2	—	13	—	—	24	13	7	—	4
		1980	28	—	—	7	—	—	21	5	7	—	9
		1981	40	1	—	10	—	4	25	6	5	—	14
		1982	38	—	—	3	—	5	30	1	1	—	28

हरमाड़ा (आमेर) की रेगर बस्ती में नाली, खरंजा निर्माण हेतु कमेटी का गठन

734. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत पंचायत समिति, आमेर की पंचायत हरमाड़ा के रेगर मोहल्ला में नाली, खरंजा निर्माण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था ?

(2) क्या यह भी सच है कि काम पूरा होने पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इसका मूल्यांकन 5,117.91 रुपये किया गया ?

(3) क्या पंचायत के पेटे 1417.91 रुपये है ? यदि हां, तो उक्त कमेटी के बार-बार लिखित व मौखिक आश्वासनों के बावजूद भुगतान क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक उक्त ठेकेदार को पैसे दिलवाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत हरमाड़ा पंचायत समिति आमेर में रेगरान मोहल्ला की नाली निर्माण हेतु तत्कालीन प्रशासक द्वारा कमेटी का गठन किया गया था।

(2) जी हां, यह सही है।

(3) जी हां, 1117.91 पैसे का भुगतान मेटीरियल कम्पोनेन्ट के ग्राम पंचायत के देय हैं। पंचायत समिति द्वारा सरपंच हरमाड़ा को उक्त भुगतान हेतु निर्देश भिजवाये जा चुके हैं।

जैसलमेर जिले में औद्योगिक विकास

735. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** : (जैसलमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने जैसलमेर जिले के औद्योगिक विकास हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया है ? यदि हां, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(2) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये इस जिले के औद्योगिक विकास के लिये राज्य सरकार के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

(2) जैसलमेर जिले को "नो इण्डस्ट्री" जिला घोषित किया गया है जहां औद्योगिक लाइसेन्स मिलने में प्राथमिकता दी जायेगी।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय लक्ष्मीनारायणपुरी के अंशकालीन कर्मचारी

736. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई): क्या आयुर्वेद राज्य-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय आयुर्वेदिक "अ" श्रेणी औषधालय, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर में कुल कितने अंशकालीन कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कर्मचारियों को पांच रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिल रहा है जबकि राज्य सरकार के नो रुपये प्रतिदिन एवं ग्यारह रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन देने के आदेश है?

(3) उपरोक्त कर्मचारियों को 9 रुपये या 11 रुपये के हिसाब से उनके बकाया वेतन का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर में वर्तमान में 6 कर्मचारी अंशकालीन कार्यरत हैं। कौन-कौन कब-कब से कार्यरत हैं, सूचना सदन के पट पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। केवल एक कर्मचारी को वर्तमान में पांच रुपये प्रति दिन की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है शेष 5 कर्मचारियों को सात रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिया जा रहा है। अंशकालीन कर्मचारियों को नौ रुपये या ग्यारह रुपये प्रतिदिन की दर से वेतन पारिश्रमिक देने के कोई आदेश नहीं है। यह दर न्यूनतम वेतन अधिनियमान्तर्गत पूर्णकालिक श्रमिक को देय है।

(3) बकाया वेतन पारिश्रमिक देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये अंशकालीन कर्मचारी, पूर्णकालिक श्रमिक की श्रेणी में न आने से न्यूनतम वेतन अधिनियम से प्रभावित नहीं होते।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जेतपुरा डेम के स्पिल वे गेट्स लगाने का ठेका

737. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवा-महल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है की भीलवाड़ा जिले के मेजा फीडर प्रोजेक्ट के जेतपुरा डेम के स्पिल वे गेट्स का लगाने का ठेका मैसर्स ओम मेटल्स (ओम मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्रा. लि., ओम ट्रेडिंग कार्पोरेशन, श्याम काटेज इन्डस्ट्रीज, ओम कोठारी उद्योग एवं एग्रो इन्डस्ट्रीज) कोटा को दिया गया था?

(2) यह ठेका किस तारीख को दिया गया और यह काम कब पूरा होना था? कृपया एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस फर्म ने न केवल बहुत घटिया स्तर का काम किया बल्कि यह काम पूरा न कर बीच में ही अधूरा छोड़ दिया तथा विभाग एवं फर्म के बीच विवाद चल रहे हैं? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई माधोपुर जिले के ग्रामों में हैण्ड पम्प

738. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जिला सवाई माधोपुर में ग्रामों में

(श्री हंसराज शर्मा)

पेयजल की समस्या हेतु हैण्ड पम्प लगाये गए हैं ? यदि हां, तो पूरे जिले में 31 जनवरी, 1983 तक कितने हैण्ड पम्प लगाये गये और उन पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(2) क्या यह सही है कि जो हैण्ड पम्प राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में लगाये गये हैं उनमें कुछ अपूर्ण हैं तथा कुछ खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक ठीक करा देगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि हैण्ड पम्पों के गलत जगह लगाने से खारा पानी निकलने आदि की भी शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां । 31 जनवरी, 1983 तक 1039 हैण्ड पम्प लगाये गये और उन पर 136.88 लाख रुपये व्यय किये गये ।

(2) जी हां । खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की प्रक्रिया जारी है ।

(3) प्रायः हैण्ड पम्प चयनित जगहों पर ही लगाये जाते हैं । फिर भी अगर कुछ जगहों पर भूजल खारा निकलता है, तो उसे असफल कूप घोषित कर आंशिक भुगतान किया जाता है ।

सांगानेर हवाई अड्डे के पानी का निकास

739. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि क्या सांगानेर हवाई अड्डे जयपुर के सारे पानी का निकास सांगानेर में उपरला बाढ़ क्षेत्र में है जिसके कारण आधे दर्जन से अधिक गांवों को हर वर्ष क्षति पहुंचती है व घोर असुविधा निरन्तर बनी हुई है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें राहत देने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की ? उनकी समस्या अब कब तक दूर कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । किन्तु पानी के इस प्राकृतिक निकास से इन गांवों को केवल 1981 की अप्रत्याशित बाढ़ में ही क्षति हुयी है ।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा किसी प्रकार की राहत देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर द्वारा अवाप्त भूमि

740. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर ने सेन्ट एन्सलम्स स्कूल, अजमेर के निकट एक भू-भाग अपने उपयोगार्थ नगर परिषद्, अजमेर से सन् 1967 में प्राप्त किया था और उसमें एक पम्प भी लगवाया था ? यदि हां, तो इस भू-भाग का क्षेत्रफल कितना है और इसे किन शर्तों पर किस उद्देश्य से प्राप्त किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा इस भू-भाग को सेन्ट एन्सलम्स स्कूल

(श्री रंगजी मीणा)

को बेच दिया गया है ? यदि हां, तो बेचने का निर्णय कब, क्यों लेना पड़ा व कितने रुपयों में बेचा है ?

उत्तर

(1) जी हां। भू-भाग का क्षेत्रफल 257.9 वर्गमीटर है। इस भू-भाग को प्राप्त करने का उद्देश्य मात्र पम्प हाउस का निर्माण तथा उच्च इलाकों में पेयजल उपलब्ध करवाना था।

(2) जी हां। यह निर्णय राज्य हित में 28-1-82 को लिया गया क्योंकि नव निर्मित पम्प हाऊस जो कि दयानन्द मार्केट में है, से ऊंचे इलाकों जैसे पहाड़गंज इत्यादि में पेयजल अधिक दबाव पर उपलब्ध करवा दिया गया जिसके फलस्वरूप प्रश्नान्तर्गत भू-भाग पर निर्मित पम्प हाउस उपयोगी नहीं रहा। इस भू-भाग को 43459 रु० में बेचा गया जिसमें बनी हुई इमारत की कीमत भी शामिल है।

भरतपुर फीडर पुल की मरम्मत

741. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि भरतपुर फीडर पर बहज ग्राम के पास बने हुये सड़क के पुल में होकर 300 क्यूसैक्स पानी आसानी से निकल जाता है ? यदि नहीं, तो इस पुल को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी नहीं। इस पुल की मरम्मत सिंचाई विभाग के खर्चे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाई गई थी। उक्त विभाग के माध्यम से इसमें आवश्यक सुधार शीघ्र करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम मलिकपुर (चौमू) में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

742. श्री तेजपाल यादव (चौमूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील चौमूं के ग्राम मलिकपुर का पीने का पानी मनुष्य व जानवरों के लिए हानिकारक है ? यदि हां, तो सरकार ने वहां स्वास्थ्यप्रद पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मलिकपुर एवं पंचायत समिति गोविन्दगढ़ तथा अन्य जन प्रतिनिधियों ने ग्राम मलिकपुर में स्वच्छ व स्वास्थ्यप्रद पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार व विभाग के पास प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम मलिकपुर की पेयजल योजना हेतु प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों से प्राप्त हुये हैं। यह ग्राम समस्या रहित श्रेणी में होने के कारण इसके लिये अभी कोई पेयजल योजना विचाराधीन नहीं है।

जिला बून्दी के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में पाइप लाइन्स

743. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की नगरपालिका कापरेन के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के वार्डों में समाज कल्याण विभाग से प्राप्त राशि से 1982 में पाइप लाइन डाली गई है ? यदि हां, तो कितनी पाइप लाइन किस-किस वार्ड में डाली गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वार्डों में पाइप लाइनें डालने के सम्बन्ध में नगरपालिका कापरेन द्वारा नक्शा प्रस्तावित किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वार्डों में पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या और विभाग द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। नगरपालिका द्वारा गलत नक्शे प्रस्तावित किये जाने व पाइप लाइनें डालने हेतु शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समाज कल्याण विभाग से सही नक्शे अनुमोदित कराने के उपरान्त कार्य किया जा सकेगा।

कोटा बेराजसे बेकार पानी छोड़ा जाना

744. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा बेराज से प्रति वर्ष कितना पानी नदी में बेकार छोड़ा जाता है ? 1976 से 1982 तक छोड़े गये पानी की मात्रा प्रति वर्षवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 30 अक्टूम्बर, 1981 को जयपुर में होने वाली मध्य प्रदेश राजस्थान इन्टर-स्टेट कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक में इस पानी को बचाने के लिये कोटा बेराज को कितना ऊंचा उठाने का निश्चय हुआ था ? इस रेजिंग से कोटा बेराज की कितनी केपेसिटी बढ़ जायेगी ?

(3) इस योजना में कितनी धनराशि का प्रावधान एवं दोनों राज्यों ने कितना व्यय भार उठाने का निश्चय किया था ?

(4) क्या कोटा बैराज के रेजिंग की योजना सी. डब्ल्यू. सी. एवं प्लानिंग कमीशन दोनों ने ही स्वीकृत कर दी थी ?

(5) क्या इस योजना के लिये गेट्स के टेन्डर हो चुके हैं ? यदि हां, तो किस फर्म के टेन्डर स्वीकृत हुए एवं उसके लिये कितनी धनराशि चाहिये ?

(6) क्या 10 फरवरी, 1983 को होने वाली स्टेन्डिंग कमेटी नं. 1 की बैठक में मध्य प्रदेश ने अपने हिस्से की धनराशि देने में आनाकानी की है ? यदि हां, तो इस योजना का भविष्य क्या होगा ?

उत्तर

(1) कोटा बैराज से 1976 से 1982 तक छोड़े गये पानी का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(33)

(सिंचाई मन्त्री)

(2) 30 अक्टबर, 81 को जयपुर में हुई बैठक में मध्य प्रदेश–राजस्थान इन्टर-स्टेट कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक में कोटा बैराज को 2 फीट ऊंचा उठाने के राजस्थान के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से स्वीकृति दी थी। किन्तु इन निर्देशों के साथ कि इसका अनुमोदन केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से कराया जायेगा। कोटा बैराज को 2 फीट ऊंचा करने से इसकी भराव क्षमता 3250 एकड़ फीट बढ़ेगी।

(3) कोटा बैराज को 2 फीट ऊंचा करने की अनुमानित लागत लगभग 91.05 लाख रुपये है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य दिनांक 4-9-1960 में हुए समझौते के अनुसार कोटा बैराज पर किये जाने वाले व्यय को राजस्थान एवं मध्य प्रदेश बराबर-बराबर वहन करेंगे।

(4) प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना को केन्द्रीय जल आयोग ने योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया है।

(5) गेट्स के टेन्डर आमन्त्रित किये जा चुके हैं। योजना की स्वीकृति के अभाव में टेण्डर्स अभी विचाराधीन हैं।

(6) जी हां। राजस्थान अन्तर्राज्यीय बोर्ड की आगामी बैठक में इस मसले को हल करवाने का प्रयत्न करेगा क्योंकि इस योजना की क्रियान्विति दोनों राज्यों के हित में है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पंचायत समिति कोटपूतली के ग्रामों को पेयजल

745. **श्री श्रीराम रावत** (कोटपूतली): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले की पंचायत समिति, कोटपूतली के ग्राम बुचारा, पाचूडाला खड़ब, बीठलोदा, भोणावास, कुहाड़ा भूरी भडाज कूजाता, रामपुरा, भैंसलाना, मोलेहेड़ा एवं निचनपुरा की पेयजल समस्या के निवारण हेतु कोई परियोजना स्वीकृत है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो इन ग्रामों की पेयजल समस्या के निराकरण के लिये राज्य सरकार कब तक क्या व्यवस्था करेगी?

(2) क्या यह सच है कि ग्राम चिमनपुरा की पेयजल योजना के लिये वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के उपरान्त भी कार्य नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) ये सभी ग्राम विभागीय सर्वेक्षण के आधार पर समस्या रहित होने के कारण इन ग्रामों के लिये अभी कोई पेयजल योजना नहीं बनाई गई है।

(2) ग्राम चिमनपुरा की पेयजल योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 82-83 में जारी की गई थी। इस वर्ष बजट प्रावधान न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

पंचायत समिति बस्सी के ग्रामों को पेयजल

746. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति के ग्राम सांभरिया, बड़वा एवं झर पेयजल की दृष्टि से समस्या ग्रस्त ग्राम थे ? यदि हां, तो इन ग्रामों के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) ग्राम बड़वा, सांभरिया एवं झर के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध के कराने लिये कितनी-कितनी राशि व्यय की गई और व्यय की गई राशि का सदुपयोग कहां तक हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम बड़वा, झर व सांभरिया के नागरिकों की पेयजल समस्या ज्यों की त्यों है ? यदि हां, तो समस्या के निराकरण के लिये क्या प्रयास किये गये ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी के ग्राम सांभरिया व बड़वा समस्या ग्रस्त एवं ग्राम झर समस्या रहित हैं। इन तीनों ग्रामों की पारम्परिक योजनायें चालू कर वर्ष 1980-81 में संबंधित पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गई थीं। ग्राम झर की योजना चालू है व शेष दो ग्रामों की योजना बन्द है।

(2) ग्राम बड़वा, सांभरिया व झर में क्रमशः 6400/- रु०, 7400/- रु० व 7350/- रु० योजना पर व्यय हुए। योजनाएं चालू कर पंचायत समितियों को संभला दी गई हैं।

(3) ग्राम सांभरिया की योजना के और सुधार हेतु वर्ष 1981-82 में एक लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। धन उपलब्धि के अनुसार कार्य करवाया जा रहा है।

बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में पेयजल योजना

747. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की स्वीकृत योजना के अन्दर इस वर्ष कितने ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा ? तहसील वाइज सूची बताने की कृपा करें।

(2) जिला जैसलमेर में 31-3-83 तक कुल कितने गांवों को पानी पहुंच जायेगा और शेष कितने गांव रहेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पशुओं के लिए पेयजल योजनाओं की व्यवस्था करना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 82-83 में बाड़मेर जिले की स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत 85 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) जैसलमेर जिले में जनवरी, 83 तक 192 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। मार्च, 83 तक 44 और गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद 185 ग्राम शेष रहेंगे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

मांसी बांध से सूखे इलाके में सिंचाई

748. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मांसी बांध के भराव क्षमता से लगभग आधा पानी बांध में बिना उपयोग के रहता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मांसी बांध पर पानी की आवक उसकी वर्तमान क्षमता से बहुत अधिक है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण पानी का उपयोग एवं पानी रोककर सूखे इलाके को सिंचित करने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। पानी की इस अधिक आवक के उपयोग हेतु अभी कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

बाड़मेर के नोसर एवं सांजटा ग्राम में पेयजल हेतु नलकूप

749. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग बाड़मेर द्वारा ग्राम नोसर एवं सांजटा में पेयजल हेतु नलकूप तैयार करने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो उच्च अधिकारियों द्वारा अब उक्त नलकूपों को तैयार करने के बारे में क्या कदम उठाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि नोसर में नलकूप तैयार हो जाने पर ग्राम नोसर, सोमेसरा नया, सोमेसरा जूना, भोजासर, सेवानियाला, गिरली कितपाला, गिरली चारणान आदि ग्रामों के लिए पेयजल योजना कामयाब होगी ? यदि हां, तो इन ग्रामों की पेयजल योजनाओं के लिए भी उक्त ग्राम में नलकूप कब तक तैयार करवा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सांजटा में नलकूप तैयार हो जाने पर सांजटा एवं सरली पेयजल की समस्या का हल हो जायेगा ? यदि हां, तो उक्त नलकूप को कब तक तैयार कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम नोसर क्षेत्रीय पेयजल योजना खंरटिया-भोजासर में सम्मिलित किया गया है। ग्राम नोसर के लिए नलकूप बनाने हेतु प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं किन्तु ग्राम खंरटिया व सांजटा में नलकूप बनाने हेतु, प्रस्ताव उच्च अधिकारियों व भू-जल विभाग को भेजे गये हैं। भू-जल विभाग द्वारा भू-गर्भीय सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(2) नलकूप ग्राम खंरटिया में बनाने हेतु भू-गर्भीय सर्वेक्षण किया जा रहा है उचित स्रोत मिलने पर धन उपलब्धि के अनुसार कार्य किया जा सकेगा व योजना के सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

(3) जी हां। नलकूप हेतु भू-गर्भीय सर्वेक्षण करवाया जा रहा है, इसके उपरान्त ही कार्य किया जा सकेगा।

(36)

ग्राम सीकरी में हरिजन बस्ती में हैण्ड पम्प्स

750. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत कालवान तहसील सिकराय के ग्राम सीकरी में हैण्ड पम्प लगे हैं ? यदि हां, तो कितने और किस-किस स्थान पर ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सीकरी में एक हैण्ड पम्प हरिजन वस्ती हेतु स्वीकृत है जिसे वहां न लगा कर एक व्यक्ति के खातेदारी के खेत में मकान के पिछवाड़े में लगा दिया है ?

(3) क्या सरकार की नीति हरिजन बस्ती में प्राथमिकता के आधार पर हैण्ड पम्प लगाने की है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम की हरिजन वस्ती में हैण्ड पम्प नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं, और अब कब तक लगा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। तीन हैण्ड पम्प निम्न स्थानों पर लगाये गये हैं:–

(1) रामपाल पटेल का बास, मीणा बस्ती, स्कूल के पास।

(2) बड़का बास, गंगाधर वाला बस स्टेण्ड के नजदीक।

(3) बीच की ढ़ाणी (मीणा बस्ती)।

(2) ग्राम सीकरी में पृथक से हरिजन बस्ती के लिये हैण्ड पम्प लगाना स्वीकृत नहीं है। जिस जमीन पर हैण्ड पम्प लगाना है, उस जमीन को खातेदार ने सार्वजनिक उपयोग हेतु दान में दी है तथा सरपंच के सुझाव के अनुसार ही हैण्ड पम्प को मीणों के बास व बैरवाओं के बास के नजदीक लगाया जाना है।

(3) अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों की ही बस्तियों में हैण्ड पम्प लगाने की प्राथमिकता दी जाती है एवं उसी के अनुसार 3 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। चौथा हैण्ड पम्प भी सुविधाजनक स्थान पर हरिजन बस्ती के हितों का पूरा ध्यान रखते हुये यथाशीघ्र लगवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम खोखर नागौर की जल प्रदाय योजना

751. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खोखर तहसील परबतसर जिला नागौर में जल प्रदाय योजना लागू की गई थी ? यदि हां, तो कितने हार्स पावर का पम्प किस तारीख को फिट किया गया तथा सरपंच ने किस तारीख को कार्य पूरा होने का सर्टिफिकेट दिया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आज वहां कोई मोटर नहीं है ?

(3) उपरोक्त मामले में कौन-कौन अधिकारी शामिल हैं ? तथा विभाग उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना पर 5 एच.पी. का पम्प दिनांक 31-3-81 को लगाया गया

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

था। ग्राम खोखर की परम्परागत स्रोत योजना चालू कर दिनांक 31-3-81 को पंचायत को सम्भला दी गई थी व उसी दिन सरपंच ग्राम पंचायत खोखर से योजना के हस्तान्तरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया था।

(2) जी हां।

(3) योजना पूर्णतः चालू कर पंचायत को हस्तान्तरित कर दी गई थी। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम कोयला (कोटा) में पेयजल पर व्यय

753. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम कोयला तहसील बारां जिला कोटा में पेयजल योजना हेतु अभी तक कितना धन व्यय किया जा चुका है? क्या उक्त ग्राम में पाइप लाइन बिछा दी गई है?

(2) क्या ग्रामों में नलों के कनेक्शन्स दे दिये गये हैं?

(3) क्या ग्राम की आवश्यकता के अनुसार जल उपलब्ध हो गया है? यदि नहीं, तो आवश्यकतानुसार पानी देने की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) ग्राम कोयला तहसील बारां जिला कोटा में पेयजल योजना पर 4.26 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। पाइप लाइन विछा दी गयी है।

(2) जी नहीं। केवल सार्वजनिक नलों को जोड़ा गया है।

(3) जी नहीं। दूसरे स्रोत के सफल होते ही आवश्यकतानुसार पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

बालोटा अलवर के बन्ध की मोरी का खोला जाना

754. **श्री जौहरीमल जैन** (अलवर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बालोटा (अलवर) के बन्ध की मोरी वर्षाकाल समाप्त होने के पश्चात् दशहरे के आसपास नागरिकों के बिना किसी मांग के खोल दी जाती है एवं वर्षा काल प्रारम्भ होने से पूर्व बन्द कर दी जाती है?

(2) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में बान्ध की मोरी विभाग द्वारा बार बार स्थानीय सरपंच द्वारा आग्रह करने पर भी नहीं खोली गई?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 28-1-83 को विभाग के एक अधिकारी द्वारा बन्ध पर कार्य करने वाले स्टाफ के नाम बन्ध खोलने का आदेश एक पर्चे पर लिखकर सरपंच को दिया गया?

(4) क्या यह सही है कि बन्ध के स्टाफ द्वारा 28-1-83 को सांझ को मोरी खोली गई एवं 29-1-83 को प्रातः पुनः बन्द कर दी गई?

(5) क्या यह सही है कि 29-1-83 को अधिशासी अभियन्ता ने अन्य अधिकारियों के साथ बान्ध का निरीक्षण किया?

(श्री ओतमल जैन)

(6) क्या यह सही है कि समय पर मोरी न खोलने के कारण शरद् ऋतु में हुई वर्षा से बान्ध में पानी भर गया एवं खड़ी फसल नष्ट हो गई ?

(7) क्या जिस अधिकारी की लापरवाही से खड़ी फसल को नुकसान हुआ है उस अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी एवं गरीब किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) असामयिक वर्षा के कारण बालेटा बांध के पेटे में कुछ काश्त खराब हो गयी।

(7) जी नहीं। फसल का नुकसान प्राकृतिक कारण से हुआ है। किसी अधिकारी की लापरवाही प्रतीत नहीं होती।

माही बजाज सागर बांध से भूमि की सिंचाई

755. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माही बजाज सागर परियोजना के मुख्य बांध का निर्माण कार्य योजनानुसार कब तक सम्पन्न होना चाहिये था ? क्या यह बांध पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

(2) रबी 1983 की फसल के लिए इस बांध से कितनी अतिरिक्त भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है ?

उत्तर

(1) मुख्य बांध का निर्माण कार्य जून '82 तक पूर्ण होना था अब यह कार्य जून, '84 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) रबी 1983 की फसल के लिए 24.900 हैक्टर भूमि में सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है।

लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

756. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रस्ताव थे और कितनी राशि किस-किस परियोजना के लिये प्राप्त हुई ? कृपया वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 80-81 से 82-83 तक लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 65.00 लाख रु० प्रस्तावित थे। कार्यवार एवं वर्षवार विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

(विवरण के लिय कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

गंगानगर शुगर मिल द्वारा मदिरा का उत्पादन

757. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1982-83 में गंगानगर शुगर मिल्स लि. ने श्रीगंगानगर में कितनी व किस प्रकार की मदिरा का उत्पादन किया ?

(2) उक्त मिल्स ने अप्रेल, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक कौन-कौनसी मदिरा कहां-कहां की, किस-किस दुकान को सप्लाई की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 (दि. 1-4-82 से 31-1-83 तक) गंगानगर शुगर मिल्स लि० ने गंगानगर में किये गये मदिरा उत्पादन के आंकड़ों का विवरण अनुसूची-1 में दिया हुआ है।

(2) गंगानगर शुगर मिल्स लि० ने दिनांक 1-4-1982 से 31-1-1983 तक गंगानगर आसवनशाला से देशी मदिरा की दुकानों पर जारी की गई किस्मवार देशी मदिरा का मानचित्र अनुसूची-2 पर दिया हुआ है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें ।)

राज्य सरकार पर कर्जा

758. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** करौली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर किन-किन मदों में कितना कर्जा व उसका वार्षिक देय ब्याज कितना है ? कृपया मद वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त और किन-किन संस्थानों से कितना-कितना कर्जा सरकार पर है व उनका वार्षिक देय ब्याज कितना है ?

(3) छठे वित्त आयोग द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार राज्य सरकार को कितना कर्जा कम चुकाना पड़ा व कितनी अवधि में ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में भारत सरकार का राज्य सरकार पर कुल 1206.99 करोड़ रुपये का कर्जा था जिस पर वर्ष 1982–83 में देय ब्याज 62.20 करोड़ रुपये है । मदवार सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं/संस्थानों का राज्य सरकार पर चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 547.75 करोड़ रुपये का ऋण था जिस पर वर्ष 1982-83 में देय ब्याज 35.56 करोड़ रुपये है । सूची संलग्न है।

(3) छठे वित्त आयोग द्वारा दी गई रियायतों के अनुसार राज्य सरकार को केन्द्रीय ऋणों की अदायगी में अनुमानित 258.14 करोड़ रुपये वर्ष 1974 से 1976 की अवधि में कम चुकाना पड़ा।

(सूचना के लिय कृपया परिशिष्ट 19 देखें ।)

सुमेरपुर उप तहसील को सब रजिस्ट्रार पंजीयन के अधिकार प्रदान करना

760. **श्री गोकुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर जिला पाली में राज्य सरकार द्वारा उप तहसील

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

की स्वीकृति देने के बाद इसका कार्यालय कार्यरत है और इसका कार्यक्षेत्र पंचायत समिति सुमेरपुर रखा गया है ?

(2) न्याय सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य सरकार सुमेरपुर उप तहसील को सब रजिस्ट्रार पंजीयन के अधिकार प्रदान कराने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, इसका कार्यक्षेत्र उप तहसील सुमेरपुर रखा गया है।

(2) इसके बारे में रिपोर्ट मंगवाई जा रही है।

झालावाड़ की सुनेल तहसील में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलना

761. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की सुनेल सब तहसील में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोला जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सुनेल सब-तहसील में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने से किसानों की बहुत समस्यायें हल हो सकती हैं ? यदि हां, तो जनता की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वहां सब-रजिस्ट्रार कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, राज्य सरकार ने अधिसूचना सं०प० 1 (15) वित्त। ग्रुप-4। 82-2, 9-3-83 के द्वारा :

1. जिला झालावाड़ में सुनेल को उप-जिला रजिस्ट्रेशन कार्य के लिए उप-जिला बना दिया है। इसकी क्षेत्रीय सीमायें उप-तहसील सुनेल के सभी गांव तक हैं।

2. उप-तहसील सुनेल में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ग्रेड द्वितीय के पद पर समायोजित करना

762. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मेल नर्स ग्रेड द्वितीय के समान माना जाकर उनको मेल नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर समायोजित करने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं ? यदि हां, तो कब से ? कृपया आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या समायोजित सहायक कार्यकर्ताओं को भविष्य में पदोन्नति आदि के अवसर प्राप्त हों, इसका भी निर्णय लिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश संख्या ई०जी० 82, 956 दिनांक 23-9-82 (जो दिनांक 3-6-82 से प्रभावी है) की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

नए एडपोस्ट व सर्वे सेन्टर खोलना

763. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में एडपोस्ट या हैल्थ सब सेन्टर खोलने के क्या आधार हैं?

(2) क्या तहसील बेगूं में अभी जो एडपोस्ट या सब-हैल्थ सेन्टर हैं व उक्त आधार के अनुरूप हैं?

(3) क्या सरकार का नया एडपोस्ट या सब-हैल्थ सेन्टर खोलने का विचार है? यदि हां, तो बेगूं तहसील में कहां-कहां खोले जायेंगे?

उत्तर

(1) राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में एक एडपोस्ट का प्रावधान है तथा प्रति 5 हजार की आबादी पर एक उप केन्द्र खोलने का लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया हैं।

(2) उक्त आधार पर केवल उप-केन्द्रों की कमी हैं।

(3) केवल नये उप-केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। योजना मद में आर्थिक प्रावधान के अनुरूप अन्य स्थानों के साथ-साथ तहसील बेगूं के बारे में भी विचार करना संभव होगा।

सांगानेर में जच्चाओं हेतु पलंगों की व्यवस्था

764. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांगानेर जच्चाखाना में जच्चाओं की संख्या पिछले दो वर्ष से औसतन प्रतिदिन कितनी रही है?

(2) क्या जच्चाखाना में जच्चाओं के अनुरूप पलंगों की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? और अब सरकार पर्याप्त संख्या में पलंगों की व्यवस्था कब तक कर देगी?

उत्तर

(1) एक से अधिक पर दो से कम।

(2) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला टोंक

765. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला टोंक जिला अस्पताल में है किन्तु वह कार्यरत नहीं है?

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त प्रयोगशाला को शुरू करने का विचार रखती है? हां, तो कब?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आवश्यक उपकरण उपलब्ध होते ही प्रयोगशाला शुरू कर दी जावेगी।

पंचायतों को अधिकार एवं दी गई सुविधायें

766. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत चुनावों के पश्चात् जिला परिषदों से संबंधित पंचायत इकाइयों को "पंचायत राज" के तहत कुछ अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो अजमेर जिला परिषद से संबंधित जिला अजमेर को अधिकारों के अनुरूप वाहन सुविधा के लिए कितनी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई गई है ? मय राशि तथा वाहन सुविधा की संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य जिलों जैसे भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर में अधिक धनराशि की सहायता दी गई है ? यदि हां, तो उपरोक्त जिलों में खर्च की गई राशि व दी गई सुविधाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि पंचायत चुनावों के पश्चात् जिला परिषदों को पंचायत राज के तहत कुछ अधिकार दिये गये हैं। जिला परिषद अजमेर को वाहन सुविधा के लिये एक कार तथा उसके उपयोग करने हेतु एक वाहन चालक का पद स्वीकृत किया गया है तथा पैट्रोल पर व्यय हेतु 6,000/ रु० की राशि चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए आवंटित की गई है।

(2) यह सही है कि अन्य जिलों जैसे भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर में पैट्रोल पर व्यय हेतु अधिक धनराशि की सहायता दी गई है। बूंदी को केवल 6,000/—रु. की राशि दी गई है। उपरोक्त जिलों में दी गई राशि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

पंचायत लूणदा अम्बा का गुडा एनीकट का निर्माण

767. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति भीण्डर के अन्तर्गत पंचायत लूणदा में, अम्बा का गुडा एनीकट बन रहा है ?

(2) क्या इस एनीकट का कार्य सरपंच को न देकर, एक समिति को दिया गया ? यदि हां, तो यह किस कानून के अन्तर्गत ?

(3) क्या सरपंच को निलम्बित कर रखा है ? यदि नहीं, तो बी.डी.ओ. पंचायत समिति भीण्डर द्वारा मनमाना आदेश देने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। सरपंच एवं ग्रामवासियों के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण अतिरिक्त

(पंचायत राज मंत्री)

जिलाधीश, उदयपुर के निर्देशानुसार इसकी देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

(3) जी नहीं।

पंचायत विभाग में अतिरिक्त ग्रुप सचिव

768. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश पत्रांक एफ. 2 (4) प्र. 3/78/55-305 दि. 3-1-1983 से इस विभाग के अन्तर्गत कार्यरत हजारों ग्रुप सचिवों को अधिशेष घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो इस आदेश के तहत कब-कब से कार्य कर रहे कितने ग्रुप सचिवों को अधिशेष घोषित किया गया है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) अधिशेष घोषित ग्रुप सचिवों को वैकल्पिक रोजगार देने की क्या योजना है?

उत्तर

(1) यह पूर्णतया सही नहीं है। कुल 283 ग्रुप सचिव (अब ग्रामसेवक पदेन पंचायत सचिव) अधिशेष घोषित हुए हैं। इनमें से 232 की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। भरतपुर जिले से अधिशेष घोषित 51 ग्रामसेवक पदेन पंचायत सचिवों की अन्तिम सूची अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(2) अधिशेष घोषित कर्मचारियों का समायोजन राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ में पशु चिकित्सालय खोलना

769. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार इस वर्ष नये पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) क्या सरकार तहसील बेगूं में व खास तौर से माडा के क्षेत्र पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ में कहीं पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कहां? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 82-83 में नये पशु चिकित्सा संस्थान खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इन स्थानों पर इस वर्ष चिकित्सा संस्था खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील प्रतापगढ़ में चारा प्रदर्शन कार्यक्रम

770. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1981 से लेकर दिसम्बर. 1982 तक चारा प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने आदिवासियों को लाभान्वित किया गया? कृपया पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(५५)

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि चारा प्रदर्शन कार्यक्रम में आदिवासियों को अधिक लाभ नहीं दिया गया ?

(3) इस कार्यक्रम के लिये कितनी राशि आवंटित की गई थी और कितनी व्यय हुई ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1981 से लेकर दिसम्बर, 82 तक चारा प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 आदिवासियों को लाभान्वित किया गया। पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) इस कार्यक्रम के लिए उक्त अवधि में रु० 7950.00 की राशि स्वीकृत हुई जो पूर्ण रूप से खर्च की गई थी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

कृषि मण्डी पाली द्वारा निर्मित कार्य

771. **श्री भैरूंसिंह गूजर** (खारची): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डियों से होने वाली आय से पाली जिले में वर्ष 1981-1982 के तहत कितने कार्य, कितने धनराशि के स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी रानी (पाली) की आय से खिवाड़ा, पिलावणी, घेनड़ी से सोमेसर सड़क निर्माण पर कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कार्य की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) खिवाड़ा से सिवास होकर पिलावणी धनेड़ी तक 3कि.मी. की सड़क 3-1-83 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

कृषि अनुसंधान क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ के अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

772. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार को चित्तौड़गढ़ राजकीय कृषि अनुसंधान केन्द्र के शस्य वैज्ञानिक अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता के शिकायत-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उन अनियमितताओं की जांच हेतु किसी अधिकारी को नियुक्त किया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जांच में उक्त अधिकारी दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जून, 1982 में कर्मचारीगण, एडप्टिव रिसर्च फार्म, चितौड़गढ़ द्वारा इस

(कृषि राज्य मंत्री)

फार्म के प्रभारी मुख्य विज्ञानी के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर की गयी शिकायत पर जिला कृषि अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (मुख्यालय कपासन) में जांच कर प्रतिवेदन 17-7-82 को प्रस्तुत कर दिया था। प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

पुनः दिसम्बर, 82 व फरवरी, 83 में अन्य शिकायतों पर क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि उदयपुर द्वारा प्राथमिक जांच करवाई जा रही है।

(3) 17-7-82 की जांच रिपोर्ट के अनुसार कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। अन्य जांच जारी है।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

प्रतापगढ़ के आदिवासियों की भूमि पर वन विभाग का कब्जा

773. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ तहसील में कितने आदिवासी काश्तकारों की खाते की कृषि भूमि को वन विभाग ने अपनी मानकर वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में कृषकों को बुवाई करने से रोका है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ में रेन्ज देवगढ़ के अन्तर्गत शासन द्वारा क्षर वन खण्ड की विज्ञप्ति प्रसारित होने के पश्चात् संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा 43 आदिवासी काश्तकारों को उक्त वन खण्ड में भूमि आवंटित कर दी गई। इन मामलों की वैधानिक रूप से जांच करने हेतु जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये गये हैं। इन काश्तकारों को वन विभाग ने वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में उन्हें अवैधानिक आवंटित क्षेत्र में बुवाई करने से रोका। ऐसे आदिवासी काश्तकारों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कृषि विषय में राज्य सरकार द्वारा नोमिनेशन

774. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मोहनलाल सुखाड़िया वि.वि. उदयपुर में कृषि वर्ग के विभिन्न विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में राज्य सरकार को कितने स्थान स्टेट नोमिनेशन द्वारा पूरे करने का अधिकार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शिक्षा सत्र वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में राज्य सरकार के कितने नोमिनीज को स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया? विषय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में कृषि वर्ग के वर्ष 1980-81 एवं 81-82 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में से राज्य सरकार के लिये मनोनयन हेतु आरक्षित स्थान निम्नानुसार थे:-

(कृषि मन्त्री)

	वर्ष 1980-81	वर्ष 81–82
1. एम. एस. सी. (ए जी.)	2	2
2. बी एस.सी. (ए.जी.)	2(प्रत्येक कैम्पस में)	4 (प्रत्येक कैम्पस में)
3. बी.बी.एस.सी.	2	4
4. बी.ई. (कृषि)	2	4
5. बी.एम-सी. (डेयरी टेक्नोलोजी)	2	4
6. बी.एस-सी. (गृह विज्ञान)	2	4
7. बी.एस-सी. (गृह विज्ञान ओनर्स)	2	4

वर्ष 1982–83

राज्य सरकार द्वारा कोई मनोनयन नहीं किया गया है।

(2) शिक्षा सत्र वर्ष 80-81, 81–82 में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दिये गये प्रवेश की स्थिति नियमानुसार है :—

	1980–81	1981–82
1. एम.एस-सी. (ए-जी.)	2	2
2. बी.एस-सी. (ए-जी.)	4	2
3. बी.बी.एस. सी. एण्ड ए.एच.	2	4
4. बी.एस-सी. (डेयरी टेक्नोलाजी)	1	—
5. बी.एस-सी. (गृह विज्ञान)	2	1
6. बी.एस-सी. (गृह विज्ञान ओनर्स)	1	—

वर्ष 1982–83 में किसी भी छात्र का मनोनयन नहीं किया गया।

राज्य में लगाये गये पेड़

775. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष राज्य में कितने नये पेड़ लगाये गये और उनमें कितने पेड़ जीवित हैं ?

(2) गत वर्ष नये पेड़ लगाने का क्या टारजेंट था और उस पर कितना व्यय किया गया ?

उत्तर

(1) गत वर्ष राज्य में वर्षा ऋतु के अन्त तक 4.15 करोड़ पौधे लगाये गये तथा 20 लाख घास स्लिप्स लगाई गई। जीवित पेड़ों की विस्तृत गणना विभागीय नियमानुसार माह मार्च-अप्रेल में कराई जावेगी।

(2) गत वर्ष नये पेड़ लगाने का लक्ष्य 3.50 करोड़ था। उक्त वृक्षारोपण पर 380417 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है।

जयपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में मरम्मत कार्य

776. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर चारदीवारी के अन्दर बाढ़ग्रस्त इलाकों में जून, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक सड़क मरम्मत अथवा पैचवर्क का कार्य कहां-कहां हुआ ? प्रत्येक कार्य पर कितनी-कितनी राशि किस दर से खर्च हुई ? [कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या और उस पर क्या कोई जांच की गई ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर चारदीवारी के अन्दर जून, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक विकास कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इन कार्यों का 18.70 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया गया है।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

अलवर शहर का मास्टर प्लान

777. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर शहर का मास्टर प्लान बनाने का कार्य राजस्थान के मुख्य नगर नियोजक ने कब आरम्भ किया ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर शहर का मास्टर प्लान बनाकर इसे 24 जनवरी, 1975 को सलाहकार समिति की बैठक में पारित कर दिया है ?

(3) यदि हां, तो इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त मास्टर प्लान पर अलवर की जनता के आक्षेप/सुझाव क्यों नहीं मांगे गये ?

उत्तर

(1) अलवर शहर का मास्टर प्लान बनाने का कार्य मुख्य नगर नियोजक विभाग ने वर्ष 1972-73 में प्रारम्भ किया था।

(2) जी हां।

(3) अलवर मास्टर प्लान पर अलवर की जनता के आक्षेप/सुझाव इसी माह मार्च, 1983 में मांगे जा रहे हैं।

(४८)

अलवर में न्यास अधिकारियों को आवासीय मकान

778. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा न्यास के किन किन अधिकारियों के निवास हेतु कुल कितने भवनों के निर्माण की योजना है एवं योजना के अन्तर्गत कितने भवन निर्माणाधीन हैं ?

(2) निर्माणाधीन भवनों के निर्माण व्यय की अनुमानित राशि कितनी है ? प्रत्येक भवन के निर्माण का पृथक् पृथक् अनुमानित व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त भवनों के निर्माण कार्य के ठेके किन-किन ठेकेदारों को दिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) निर्माणाधीन भवनों को बनाने का निर्णय न्यास की किस बैठक में लिया गया ?

उत्तर

(1) न्यास द्वारा एक भवन परियोजना निदेशक एवं सचिव, एक भवन अधिशाषी अभियन्ता एवं 8 भवन न्यास के अन्य अधिकारियों जैसे सहायक अभियन्ता, लेखाधिकारी के लिए बनाये जाने की योजना है। इनमें से एक भवन परियोजना निदेशक एवं सचिव व चार भवन अन्य अधिकारियों हेतु निर्माणाधीन हैं।

(2) निर्माणाधीन भवनों का अनुमानित व्यय निम्न प्रकार है।

(अ) परियोजना निदेशक एवं सचिव का भवन 4,82,000/-

(ब) चार अन्य भवन

अन्य अधिकारियों हेतु 3,98,752/-

(3) उक्त कार्यों के निर्माण के ठेके निम्न ठेकेदारों को दिये गये है :—

(अ) परियोजना निदेशक एवं सचिव का भवन मै० रामकिशोर नेतराम।

(ब) अन्य चार भवन श्री लक्ष्मीनारायण सैनी।

(4) न्यास द्वारा स्वीकृत बजट बैठक दिनांक 24-3-82 में उक्त भवनों का प्रावधान रखा गया तथा उक्त कार्य को स्वीकृत करने हेतु सक्षम समिति तकनीकी समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 2-8-82 एवं 9-2-83 में प्रदान की जा चुकी है।

विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित योजना

779. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में क्या क्या निर्णय लिये गये ? कृपया ऐसे निर्णयों की एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब तक कितनी और कौन-कौनसी योजनाएं बनाई हैं ? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों संबंधी कार्यवाही विवरण सदन की पटल पर रख दी गई है।

(सूची क-ख)

(नगरीय विकास मंत्री)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के विकास हेतु प्रस्तावित योजनाओं का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(सूची-ग)

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

उप स्वास्थ्य केन्द्र जोजावर (मारवाड़ जंक्शन) का हस्तांतरण

780. **श्री भैरूंसिंह गूजर** (खारची) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के उप स्वास्थ्य केन्द्र जोजावर को अन्यत्र हस्तान्तरित करने की मांग की गई है ?

(2) यदि हां, तो उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को ग्राम खारड़ी, जहां भवन उपलब्ध है, में अब तक हस्तान्तरित नहीं करने के क्या कारण हैं ? और अब उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को कब तक हस्तान्तरित कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) उप स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थानान्तरित करने के अधिकार जिलाधीश को हैं। जिलाधीश, पाली ने सूचित किया है कि ग्राम खारड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र को हस्तांतरित करने का कोई निर्णय जिला स्तरीय बैठक में नहीं लिया गया है तथा उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र को ग्राम जाडण में हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है, जहां शीघ्र ही हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी व श्री भगवानदास शास्त्री–गांव सालकिया तलां, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर में पिछले सप्ताह किसी अज्ञात बीमारी से 55 व्यक्तियों की मृत्यु के विषय में।

(2) सर्वश्री हीरालाल आर्य, बालचन्द्र आर्यवीर व अनंगकुमार जैन–राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की अनुबन्धित बसों के संबंध में परिवहन निगम के नियम अव्यावहारिक होने के विषय में ।

(3) श्री समर्थलाल-राजगढ़ तहसील के 150 गांवों को वन विभाग के क्षेत्राधिकार में देने से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को होने वाली असुविधाओं के विषय में।

(4) श्री राजबहादुर – भरतपुर जिले में पंचायतों तथा पंचायत समितियों के पशुधन सहायकों के पद समाप्त करके उन्हें भरतपुर से बाहर अन्य जिलों में भेजने के विषय में ।

(5) हाजी चाव खां– धोबीपाड़ा महावीर पार्क, अलवर में एक मस्जिद पर हुये अवैध कब्जे के विषय में।

(6) श्री गुलाब चन्द कटारिया–उदयपुर नगर और आसपास के गांवों में चलने वाली सिटी बस रोड टैक्स के विवाद के कारण बन्द होने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री घनश्याम तिवाड़ी – सीकर जिले के पलसाना ग्राम के पास के एक ढाणी में गत गुरुवार की रात्रि को सशस्त्र डकैती की घटना के विषय में ।

(8) श्रीमती उजला अरोड़ा–जयपुर में राजकीय तौर पर कोयले के वितरण की चौकड़ी अनुसार व्यवस्था न होने के विषय में ।

(9) श्री फतेसिंह, कैलाश मेघवाल, बहादुरसिंह, रामकिशोर मीणा, मेघराज तावड़-अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के आरक्षण हेतु बनाये गये नियमों में जोन आफ कन्सीडरेशन की गलत व्यवस्था करने से इस वर्ग के कर्मचारियों में होने वाले असन्तोष के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अथवा व्यक्तिगत या अस्पष्ट हैं । अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :—

(10) श्री चुन्नीलाल – टोंक जिले के देवली कस्बे में कुछ उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा सांठ गांठ करके हरिजनों के सहयोग से हड्डी उद्योग आदि को छीनने के विषय में। यह अस्पष्ट है तथा किसी घटना विशेष से इसका संबंध नहीं है ।

(11) श्री दाऊदयाल जोशी– गत 21 दिसम्बर को पुष्कर के धार्मिक मेले में एक पुलिस कान्स्टेबल व उसके साथियों द्वारा एक विदेशी नागरिक को लूटने के विषय में।

(12) सर्वश्री कमलेन्द्रसिंह, यदुनाथ-सिंह– गत 7 मार्च को बांसवाड़ा में जन स्वास्थ्य विभाग के एक ड्राइवर की हत्या के विषय में ।

(13) श्री रघुवीर सिंह कौशल–गत 1 मार्च को ग्राम नगर में कुसुमलता नामक युवती की दहेज की मांग के कारण हत्या।

(14) श्री नन्दलाल मीणा – गत 1 मार्च को मांगू पिता गफूर मीणा की पुलिसथाना क्षेत्र धमोतर, तहसील प्रतापगढ़ में हत्या ।

इन प्रस्तावों को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

(15) श्री हंसराज शर्मा–सिंचाई विभाग मे विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिये गये एक जे.इएन. श्री प्यारेलाल की अनियमित नियुक्ति। यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है।

पूर्व में कुछ स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त की गई थी, इनके संबंध में मेरा निर्णय इस प्रकार है:—

(1-2) श्री हीरालाल आर्य –अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिये चलने वाले छात्रावासों को पंचायत समितियों को सुपुर्द करने से उत्पन्न हुई स्थिति के विषय में।

इस स्थगन प्रस्ताव के विषय में, इस विषय के संबंध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना श्री सुन्दरलाल आदि सदस्य ने दी वह भी इसके साथ लिया जायेगा और इस पर सरकार की ओर से 19 मार्च को इस पर वक्तव्य दिलाया जायेगा।

(3) श्री नाथूसिंह–जयपुर फ्लाइंग क्लब को फ्लाइंग विंग को बन्द किया जा रहा है।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व श्री कैलाश मेघवाल– गत 8 मार्च को पीपाड़ शहर की नगरपालिका के अध्यक्ष को पुलिस द्वारा हथकड़ी पहनाकर बाजार में घुमाने के विषय में।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से दिनांक 21 मार्च को सदन में वक्तव्य दिये जायेंगे।

(5) श्री छीतरमल आर्य–जिरोद ग्राम के किसानों की खातेदारी के अधिकार जिलाधीश, कोटा द्वारा छीने जाने के विषय में। सरकार ने सूचित किया हैं कि इस मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी तौर पर निर्णय लिया जाना है और प्रशासनिक स्तर पर विचारणीय नहीं है।

(6) श्री रामकिशोर मीणा, श्री रंगजी मीणा–ग्राम महस्वा, तहसील टोडाभीम के 300 काश्तकारों को जमीन से बेदखल करने के विषय में।

(७) श्री गुलाब चन्द कटारिया–राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा नियमों में परिवर्तन करने के कारण अनेक छात्रों के प्रवेश से वंचित होने के विषय में।

इन सूचनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और बाद में निर्णय लिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

माननीय श्री चुन्नीलाल। टौंक जिले के देवली कस्बे में उच्च व्यक्तियों द्वारा सांठ-गांठ कर हड्डी उद्योग को नुकसान पहुंचाने के बारे में।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, टौंक जिले के देवली ग्राम के अन्दर एक जगन्नाथ मोलिया नाम के व्यक्ति ने कम्प्रेसर के लिये वित्त निगम से 5 लाख रुपये की मांग की थी। वित्त निगम ने 5 लाख की मांग में से 1 लाख 60 हजार का ऋण स्वीकृत किया। अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 60 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत होने के बाद में उस व्यक्ति का कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसने अपनी निजी रकम लगाकर उस फैक्टरी का कार्य पूरा किया लेकिन उस व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार से जो अनुदान की राशि मिलने वाली थी, वह अनुदान की राशि उस व्यक्ति को नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, उस फैक्टरी को आज गवर्नमेन्ट सीज करना चाह रही है। उसने यहां के समस्त अधिकारियों को रिक्वेस्ट की और वर्किंग केपिटल की मांग की लेकिन सन् 77 से आज तक लगातार प्रयास करने के बावजूद इसको वर्किंग केपिटल का एक पैसा नहीं मिला। आखिर में वह फैक्टरी बन्द करके मेहनत मजदूरी करने निकला। आज एक तरफ तो जिलाधीश टौंक के द्वारा उसकी जांच कराई जा रही है दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसे वर्किंग केपिटल नहीं मिलने के कारण फैक्टरी बन्द रही फिर भी उस को आज गवर्नमेन्ट सीज करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति ने हिम्मत करके एक उद्योग लगाया और उसे चलाने की कोशिश की लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा उसको विद्युत का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। वहां से ट्रांसफार्मर हटा दिया गया है।

बिजली के पोल हटा दिये गये हैं, बिजली के तार हटा दिये गये हैं। वह कनेक्शन के लिये त्राहि त्राहि करता फिर रहा है। 20, 25 एम.एल.ए. ने कनेक्शन के बारे में लिखकर

(श्री चुन्नीलाल)

दिया, राज्यपाल महोदय ने सिफारिश की, मुख्य अभियन्ता ने सिफारिश की लेकिन टोंक का जो सहायक अभियन्ता है वह उस व्यक्ति को बिल्कुल नजदीक नहीं आने दे रहा है। वित्त निगम के अधिकारियों के द्वारा जो ऋण फैक्टरी के लिये उपलब्ध हुआ था उसमें से वह कुछ पर्सेन्टेज चाहता है। वह पर्सेन्टेज उसको नहीं मिलने से उस गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बिल्कुल हत्या हो रही है। वह बिल्कुल बरबाद हो गया है, नष्ट हो गया है। कर्जा उसके ऊपर चढ़ा है। निगम के सारे कर्मचारी उसको लूट रहे हैं। उसको बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिये। साथ ही कर्जे के कारण जो गवर्नमेन्ट के द्वारा और वित्त निगम के द्वारा उसकी फैक्टरी को नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है उसको तत्काल रोकना चाहिये। मैं आपसे यही अर्ज करता हूं। सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम में शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति का स्तर ऊंचा करना चाहती है, उसके माध्यम से उसका सिर ऊंचा करना चाहती है लेकिन उसका सिर ऊंचा होना तो दूर रहा। वह पार्टी बिल्कुल बरवाद हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा कि उसकी दो मांगें हैं, एक तो कारखाने को नीलाम न किया जाये और दूसरी विद्युत कनेक्शन दिया जाये क्योंकि उसमें बिजली विभाग का एक पैसा भी बाकी नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं यह दो जो उसकी डिमाण्ड्स हैं इनको पूरा किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी। पुष्कर मेले में ···

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मैंने जयपुर में गला सड़ा गेहूं देने की बात कल की थी। मैं उसका नमूना बताना चाहती हूं। सरकार तो जवाब देगी ही, आप भी अध्ययन कर लें। रूल 299 के तहत यह गला घुना गेहूं, जो यहां बीमारी फैला रहा है, मैं सदन के पटल पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: इसकी अनुमति नहीं है, माननीय सदस्या। सदन के पटल पर रखने के नियम हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसकी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मेलों का अत्यन्त महत्व रहा है विशेष रूप से कोटा नगर के दशहरा मेले, पुष्कर के पशु मेले का। जहां एक ओर ऐसे मेलों को हम बढ़ोतरी की ओर अग्रसर कर रहे हैं, वहीं हमने विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये, मेलों के महत्व को बढ़ाने के लिये, पर्यटक नगर बनाने की अपनी योजनायें तय की हैं। उन पर्यटक नगरों में विभिन्न देशों के व्यक्ति आकर जहां आमोद प्रमोद करते हैं वहां भारत के कोष में विदेशी मुद्रा को वह भारी तादाद में पूर्ति करते हैं। दुर्भाग्य है कि जहां हर साल हमें इन मेलों की प्रगति रिपोर्ट मिलती है, वही इस वर्ष जो कार्तिक मेले में घटना घटित हुई उसके कारण मेरे प्रदेश का, मेरे देश का नाम विदेशों में बदनामी के साथ लिया जायेगा। यह दुर्भाग्य की बात है। मेले में कोई साधारण व्यक्ति लूटता तो समझ में आने वाली बात थी लेकिन जहां रक्षक ही भक्षक बन जायें वहां इस देश का क्या होगा, यह एक अहम प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30-12-82 को पर्यटक नगर में बसने वाले एक विदेशी नागरिक को लूटा गया। लूटा गया किनके द्वारा? पुलिस के कर्मचारियों द्वारा। पुलिस के कर्मचारी वहां व्यवस्था के लिए थे, उनमें से हिम्मत सिंह नाम के पुलिस कर्मचारी ने ···

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। नाम न लें।

श्री दाऊदयाल जोशी : वैच नं० 1092...

श्री अध्यक्ष : आप पुलिस कर्मचारी का नाम नहीं ले सकते हैं।

श्री दाऊलाल जोशी : पुलिस कर्मचारी ने अपने चार साथियों को साथ लेकर उस विदेशी नागरिक को लूटा। लूटने के बाद सामान बरामद हो गया, यह बात समझ में आती है किन्तु विदेशी नागरिक अन्तिम समय तक यह प्रयास करता रहा कि मेरा लूटा गया सामान जब मेरे प्रयास के बाद प्राप्त हो गया है तो वह मुझे वापस लौटा दिया जाय। मैं कोई मुकदमा नहीं करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार जो सजा देना चाहे वह दे दें, मैं स्वदेश जाने को तैयार हूं। मैं बाई दी वे दिल्ली आया हुआ था। जब दिल्ली में पुष्कर के मेले की प्रशंसा सुनी तो मैं मेला देखने आया, आनन्द लूटने आया लेकिन मेरे साथ यहां यह व्यवहार हुआ कि मेरी सारी सम्पत्ति लूट ली गई। मेरी सम्पत्ति वापस दे दें। दुर्भाग्य की बात है, राजस्थान सरकार के कारिन्दों ने उसकी सम्पति वापस नहीं लौटाई। वह सारी सम्पत्ति राज्य कोष में मुकदमा चलने तक जमा रहेगी। बार-बार वह विदेशी नागरिक अपने खर्चे से या नाम-मात्र खर्चा जो राजस्थान सरकार उसको देगी उससे विदेश से चलकर आयेगा। यह राज्य को बदनाम करने वाली बात है। राज्य, का जहां अपमान हुआ है ...

श्री अध्यक्ष : अदालत में मामला विचाराधीन है? इसका मतलब यह हुआ, प्रकरण अदालत में विचाराधीन है उसकी यहां चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यही निवेदन कर रहा हूं, गिरफ्तारी हुई, यहां तक तो मुझे आपत्ति नहीं है। प्रश्न है उस गरीब को उसकी सम्पत्ति तो सरकार वापस लौटा सकती है।

श्री अध्यक्ष : न्यायालय में मामला विचाराधीन है, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : इतना ही कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सर्वश्री कमलेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह, बांसवाड़ा में जन स्वास्थ्य विभाग के ड्राइवर की हत्या के विषय में।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : गत 1 मार्च को ग्राम नगर में कुसुमलता नामक युवती की दहेज की मांग के कारण हत्या।

शादी कितने वर्ष पहले हुई थी?

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): इसकी शादी हुई 25-11-81 को।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, दहेज-वहेज का मामला, इतना लेना देना है, तो शादी के वक्त ही तय हो जाता है।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, ऐसा है सेन्टर के भी आदेश हैं कि दो-तीन वर्ष में ऐसी कोई घटना हो जाय तो हस्तक्षेप करके ...

श्री अध्यक्ष : पहले से तय कर लेते हैं कि भाई इतना दहेज दोगे तो शादी होगी नहीं तो नहीं होगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यह जो तय करने वाली बात है वह मैं इसके घर वालों के पत्रों से सिद्ध कर रहा हूं। "जो 60 हजार रुपया मिल गया इससे कोई आपने हमारे भैया को मोल थोड़े ही ले ले लिया है, स्कूटर और दीजिये।" अध्यक्ष महोदय, कुसुम लता अग्रवाल की शादी 25-11-81 को जगदीश प्रसाद अग्रवाल, जो नगर का रहने वाला है, हो गई। शादी होने के बाद में यह जो लड़का है इसका नाजायज सम्बन्ध × × × से भरतपुर में है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जिस महिला का नाम लिया है वह कार्यवाही से हटाया जाय।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं पत्र, जो उसको पत्र लिखे हैं, की कापी, उसके घर वालों ने जो पत्र लिखे हैं उनकी कापी, जगदीश प्रसाद अग्रवाल के डायरी के पेज, जिसमें उस लड़की का नाम लिखा हुआ है, घर का वर्णन लिखा हुआ है, उसका विवरण लिखा हुआ है, की कापी फोटोस्टेट आपके सामने व्यक्तिगत रूप से लाकर बता दूंगा। उसका नाजायज सम्बन्ध होने के कारण उस लड़की को तंग करते रहे, उसके घर पर पत्र लिखते रहे। लड़के का पत्र है, लड़के की बहिन का पत्र है, लड़की कुसुमलता की मां के नाम पत्र है, जिसमें ऐसा लिखा गया है और कहा गया है कि तुमने हमारे भाई को मोल नहीं ले लिया, तुमको शर्म से मर जाना चाहिये। यदि तुमने लड़की पैदा की है तो तुमको दहेज भी देना चाहिये। इसके बाद इनके सम्बन्ध इतने बिगड़ गये कि लड़की को लेने नहीं गये। उसकी मां जैसे तैसे वहां पहुंचा कर गई। फिर, अध्यक्ष महोदय, इस लड़की को 1-3-83 को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने। मकान मालिक गवाह है साढ़े दस बजे रोटी बनाई है। वह रोटी खाकर जैसे ही गया वैसे ही आग लगाकर गया। पंचायत समिति में नौकरी करता है पंचायत समिति में पहुंचा और पंचायत समिति से सीधा अस्पताल चला गया ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह जो तथ्य आप बोल रहे हैं इससे मुझे मेरे चेम्बर में अवगत करा दें, इसको चर्चा में न लें। मैं व्यवस्था पर पुनः विचार कर सकता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अच्छा, मैं वहां आकर बता दूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा, गत 1 मार्च को मांगू पिता गफूर मीणा की पुलिस थाना क्षेत्र धमोतर, तहसील प्रतापगढ़ में हत्या।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा: सिंचाई विभाग से विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिये गये एक जे.इ.एन. श्री प्यारेलाल की अनियमित नियुक्ति।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डवलपमेंट में आन डेपूटेशन पर आने वाले कर्मचारी ...

श्री अध्यक्ष : यह व्यक्तिगत विषय है।

श्री हंसराज शर्मा : व्यक्तिगत विषय नहीं है। मैंने नाम लिख दिया वह अलग बात है लेकिन वास्तव में देखा जाय तो यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है।

× × × नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हंसराज शर्मा)

जब सिंचाई विभाग में ओवरसियर लगाये जाते हैं तो सिंचाई विभाग के नियम है, प्राव-धान होते हैं उन नियमों के अन्तर्गत उनको फैसिलिटी मिलती है और सेवा करने का मौका मिलता है। इस प्रकार के नियम बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति के लिये मैं निवेदन कर रहा हूं वह दो दफा पी.एस.सी. में बैठा है। जब पी.एस.सी. में फेल हो गया और वह ए.ई-एन नहीं बन सका तो कुछ अधिकारियों से सांठगांठ की। इस सदन में जो मंत्री है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं उनके पी० ए० का वह दामाद है इसलिये उसे सिंचाई विभाग से डवलपमेंट डिपार्टमेंट में ले लिया। डवलपमेंट डिपार्टमेंट में वह ओवरसीयर की पोस्ट पर आया। डवलपमेंट विभाग ने उसे ओवरसीयर की पोस्ट से ए.ई-एन. बना दिया। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, जो हजारों ओवरसीयर और थे और जो उससे सीनियर हैं वह तो सिंचाई विभाग में ही नियमों की पालना के कारण ओवरसीयर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं वह उससे सीनियर हैं फिर भी उसको जम्प करके जब वह ए.ई.एन बनेगा तो आगे जाकर एस.ई. बन जायेगा। इसलिये राजस्थान के हजारों जो जे.ई.एन. है उनका विरोध है कि इस प्रकार डवलपमेंट मिनिस्टर के पी० ए० का दामाद गलत तरीके जब जे.ई-एन. से ए.ई-एन. बन सकता है तो आने वाले समय में हमारा क्या होगा। ? इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से और विभाग से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जे.ई-एन. की पोस्ट पर आया डेपूटेशन पर उसको वहीं रखा जाय। जो ए.ई-एन. की पोस्ट पर लगाया गया है उसके आदेश को निरस्त किया जाय। अगर यह नहीं किया गया तो राजस्थान के जो हजारों व्यक्ति हैं उनके अधिकारों पर नियमों का उल्लंघन कुठाराघात किया है उसका बहुत बड़ा परिणाम होगा।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, एक सैकन्ड और। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने 25-26 के करीब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये होंगे। आपने भी कहा था कुछ के जवाब आ गये हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ··

श्री अध्यक्ष : मैंने कुछ का अध्ययन किया है। आप स्थगन प्रस्तावों के बारे में यहां चर्चा नहीं करेंगे। मेरे वेश्म में बात करें। स्थगन प्रस्ताव का विषय ऐसा होना चाहिये जो सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो······

(व्यवधान)

विचाराधीन है, मुझे उसके बारे में ज्ञान है।

श्री हंसराज शर्मा : जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको रिजेक्ट कर दें। जो महत्वपूर्ण हैं जिनके जवाब आ गये हैं तो जवाब तो कम से कम मिले।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मैंने भी दिया हुआ है स्थगन प्रस्ताव, बस्सी थाने के एक पुलिस केस के बारे में। आप वक्तव्य दिलवाने वाले थे। जितना टाइम ज्यादा हो रहा है उतना ही · · · ·

श्री अध्यक्ष : कौनसा ? वह एक मुकदमा जिसकी 8 दफा जांच ··।

श्री विद्या पाठक : जी हां, आठ दफा।

श्री अध्यक्ष : वह चर्चा में आ गया था। मंत्री जी ने उस दिन कह दिया था कि उन्होंने उस केस को न्यायालय में देने के आदेश दे दिये हैं इसलिये मैंने उस प्रकरण को समाप्त समझा।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको न्यायालय में देने के लिये तो मंत्री महोदय ने 15 दिन पहले ही आदेश दे दिया था। उसके काउन्टर केस को फिर से खोला जा रहा है और जबरदस्ती करके गवाहियों को प्रभावित किया जा रहा है। रिकार्ड में हेरा फेरी कर रहे हैं, उसकी जांच तो करवा लेते।

श्री अध्यक्ष : उस संबंध में मैं फिर मंत्री जी से बात करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में एक दिक्कत पैदा की जा रही है कोयले की, उसके संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा था। मैं आपको तथ्य दे दूं फिर आप जो चाहे व्यवस्था करें। यहां सोमवार को कोयला मिलता है और झोटवाड़ा में ....

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण विषय है, उसे मैं जानकारी के लिये भेज दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो तथ्य और बता दूं मैं उसके। डिपो में लम्बी लाइन लगती है। जवाहर नगर, बापूनगर, तिलक नगर के लोग जाते हैं, उनकी डिपो में लाइन लगती है। 5-10 रुपये ....

श्री अध्यक्ष : इस रूप में भी आ चुका है यह विषय पिछले सत्र में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पांच दस रुपये का नहीं आया है। मान्यवर, यह बात नहीं आयी थी। 5-10 रुपये जिसका दो तो बाहर के बाहर परमिट मिल जाता है। जो शोफ्ट कोक का जो परमिट देते हैं उसमें यह नियम है कि रिपोर्ट यहां लाकर करेगा उसकी कीमत जिलाधीश तय करेगा। वह तय नहीं की जा रही, बाहर के बाहर कोयला बिकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, उसका जब उत्तर आयेगा तब उस पर व्यवस्था देंगे। आपने अपनी बात कह दी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, कोयला; लकड़ी नहीं, गैस नहीं; मिट्टी का तेल नहीं। समस्या यह है कि लोग किससे पका कर खायेंगे? 200 माननीय सदस्य तो प्रभाव से मंगवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा: लेकिन, मान्यवर, मुझे बता दीजिए लोग खाना किससे पकायें? लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं। इनको कहकर कल ही व्यवस्था करायें कृपा करके। मुझे जयपुर में ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, उसको कृपया ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर के लोग आन्दोलन करने के लिये तैयार हो रहे हैं इस के लिये भूखे कब तक मरेंगे? कच्चा गेहूं नहीं फांका जा सकता।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात फर्मा दी। उस पर क्या व्यवस्था होगी ....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप जल्दी मंगवाइये, इसका उत्तर।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति का तीसरा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उप स्थापन। श्री जगन्नाथ पहाड़िया, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति 1982-83 से सम्बन्धित एक प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री माणक मल मेहता (सदस्य, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित मयूर बीड़ी उद्योग, टौंक विषयक राजकीय उपक्रम समिति 1973-74 के इक्कीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

जन लेखा समिति का आठवां व नवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष: श्री शोभाराम, सभापति जन लेखा समिति 1982-83 समिति के दो, प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे ।

श्री शोभाराम (सभापति, जन लेखा समिति): अध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति 1982-83 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :–

(1) विनियोग लेखे 1976-77 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभत विनियोग में अतिरेक के मामलों पर समिति का आठवां प्रतिवेदन एवं,

(2) विनियोग लेखे, 1976-77 और वित्त लेखे 1976-77 तथा वर्ष 1976-77 के लिये नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदक (सिविल) से सम्बन्धित सिचाई, कृषि शिक्षा, लोक-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्थान नहर परियोजना, सहायता, वन, पुनर्वास, खान और भू-विज्ञान तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग विषयक मामलों पर समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

व्यवस्था का प्रश्न

किसान-मजदूरों का विधान सभा भवन के समक्ष प्रदर्शन

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

प्रदेश के हजारों-हजारों किसान मजदूर और दरमियानी दर्जे का अवाम अपनी बहुत जरूरी फरियाद लेकर नीचे आया है। मैं आपके मार्फत सरकार से मांग करूंगा कि मुख्य मंत्री वहां जाकर उनको अपना संदेश दें और उनकी फरियाद को सुनें। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी सरकार वहां जायेगी और जनता की मांग को सुनेगी। जनता की मांग पर गौर करेगी और लोगों के जो दुखदर्द है, जो हालत आज प्रदेश की हो गयी है , उस पर सरकार गौर करेगी । आपको पता है कि देश में हमारी तमाम फसलें बर्वाद हो गयीं। बिजली नहीं मिल रही है। बिजली नहीं मिलने से हमारे देश के किसान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गयी है। बार-बार चेतावनी के बावजूद यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस पर भी किसान के साथ जुल्म यह है कि उसके कनेक्शन काटे जा रहे है, यह कहकर···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोक सिंह : कि उनको भारतीय जनता पार्टी ··

(व्यवधान)

उसी तरह से कारखाने तमाम बन्द पड़े हुए हैं। कारखानों से हजारों···

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषण नहीं करें ।

श्री त्रिलोक सिंह : लोगों को, मजदूरों को निकाल कर फेंक दिया गया है। ऐसी हालत में मैं सरकार से दुबारा मांग करता हूं आपके मार्फत कि सरकार नीचे जाय और उन लोगों को अपना संदेश दे।

श्री अध्यक्ष : इस पर भाषण नहीं होगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री जीतमलजैन,सदस्य, विधान सभा, अलवर नगर के जनरल अस्पताल की भूमि पर कालूराम इमरती देवी ट्रस्ट द्वारा निर्मित धर्मशाला के ट्रस्टियों द्वारा की जा रही अनियमितता के विषय में।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपील की, उसका हां-ना में जवाब सुनना चाहता हूं। यह क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह: सरकार कुछ नहीं करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में जो···

श्री त्रिलोक सिंह : माननीय परसराम जी बैठे हैं, जो मुख्य मंत्री की जगह हैं, वह कुछ कहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, राजस्थान के जन जीवन में यह सदन महत्व-पूर्ण स्थान रखता है। जब सदन चलता है तो कई तरह के जुलूस आदि-आदि यहां पर आते हैं। आप जानते हैं कि यहां पर पूर्व निर्धारित विषय है, उसी पर विचार होता है। सरकार के वक्तव्य किसानों की बहुत-सी समस्याओं के बारे में दिलाये गये। अगर आप भी लिखित में देंगे तो चाहे पानी का प्रश्न हो, चाहे बिजली का प्रश्न हो, चाहे अकाल का प्रश्न हो, किसानों और जो अन्य वर्ग हैं, उनकी कठिनाइयों के बारे में विचार करने का यहां पर एक तरीका है। आप वयोवृद्ध हैं। किसान मजदूर की बात आपने कही। मैंने दो चार मिनट का आपको अवसर दे दिया। आप स्वयं इस बात से परि-चित हैं कि इसके लिए अलग से कोई समय निर्धारित नहीं होता। आपने जो बात कही, सदन ने सुन ली, राज्य सरकार ने सुन ली। उसके बाद में मामला समाप्त हो जाता है। आप स्वयं इस बात से परिचित हैं। जो सदन का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, उसके अनुसार हम कार्यवाही चालू रखें। आपसे सहयोग की आशा लेकर के चलते हैं।

श्री जीतमल जैन।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने कोई सरकार का टाइम नहीं लिया। हम तो कहते हैं सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, मुख्य मंत्री नीचे जाकर ···

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस बारे में ···

श्री त्रिलोक सिंह : अपना संदेश दें। अगर सामन्ती सरकार यह समझती है कि यह सामन्ती शान है···

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, मैं अर्ज कर दूं आपको···

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री त्रिलोक सिंह: तो इस सामन्तीपन के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा···

श्री अध्यक्ष: जब कभी यहां पर इस तरह डेलीगेशन्स वगैरह आते हैं तो मिलने के लिए व्यवस्था यह होती है कि उस डेलीगेशन के गिने चुने कुछ सदस्य हैं, वह मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य या संबंधित सदस्य से मिल लेते हैं। उसके बारे में बातचीत करके कोई न कोई मंत्री जैसे कि हमेशा मिलते रहे हैं, मिल लेंगे। कृपया धैर्य रखें। भाषण···

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मांग की थी, उसका कोई जवाब नहीं मिला। सरकार गूंगी बहरी की तरह बैठी है, उसने हां-ना का जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि हां ना का जवाब मिले।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, आप कोई मिलने का सिलसिला बिठाइये ना।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : जी हां।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात कीजिए बैठ कर। वार्तालाप करके कुछ सिलसिला बिठाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, जवाब देंगे, साहब।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मामूली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मामूली हम भी नहीं समझते हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : जिस हल्की भावना से यह कहा है कि यहां रोज तमाशा होता है। यह तमाशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो अब आप कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा हूं। आप कह रहे हैं कि रोज तमाशा होता है।

श्री त्रिलोक सिंह : यह हमारी जिंदगी का सवाल है और...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री त्रिलोक सिंह : यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि किसान मिलने आवे, मजदूर मिलने आवे और सरकार सामन्ती ढंग से आज मिलना नहीं चाहे। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार किसानों के यहां जाती है, वह सरकार आज किसानों से मिलने नहीं जाती...

श्री अध्यक्ष : आप बात करना नहीं चाहते इसका मतलब यह हुआ। माननीय सदस्य, आप आवेश में आ रहे हैं। आर्डर। कृपया आप शान्ति से बात करें उनसे।

श्री त्रिलोक सिंह : तो मैं इस तानाशाही और इस सामन्ती रवैये के खिलाफ सदन का बायकाट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, अब हम नहीं मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब भाषण नहीं होगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चारों पार्टियों ने राजस्थान में 27 तारीख को जबरदस्त प्रदर्शन किया है...

श्री अध्यक्ष : पहले आप वहां औपचारिकता पूरी करके पधार जाओ, फिर उनसे मिलने का करवा देंगे।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि इस सरकार का प्रतिनिधि उनसे जाकर मिले। सरकार को हमने पहले ही लिख कर दे दिया था लेकिन सरकार ने उस पर गौर नहीं किया है। हम चाहते हैं कि आज जबकि प्रदेश का मामला है, मजदूर हजारों की संख्या में ...

श्री अध्यक्ष : पहले आप स्वयं वहां पधार जाओ, उसके बाद में यहां बताओ। आप तो जाकर मिल आओ।

श्री मेघराज तावड़ : इसका मतलब यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, आप चाहते हैं कि पहले उनको गरम करें और फिर हम गरम होकर यहां आवें।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। पहले आप वहां पधार कर तो आओ। बात समझ कर आओ। उसके बाद में बात करवायेंगे।

श्री मेघराज तावड़ : सरकार यह तो जवाब दे कि उनके प्रतिनिधियों से वहां जाकर, मुख्य मंत्री महोदय नहीं हैं तो मुख्य मंत्री की जगह माननीय मदेरणा साहब या मुख्य सचेतक महोदय नीचे जाकर बात तो करें। हजारों की तादाद में श्रमिक यहां पर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा है कि भूतपूर्व मंत्री और मुख्य मंत्री तक जाते रहे हैं। मंत्रियों ने कभी ऐसा किया नहीं है। इसमें सुरक्षा के, कई तरह के प्रश्न जुड़ जाते हैं। पहले आप जा आइये, बात उनकी सुन लीजिए फिर व्यवस्था कर देता हूं। अन्दर बैठाकर बात करवा देंगे। आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से करेंगे, ऐसी क्या बात करते हैं। यह जनता की चुनी हुई सभा है। कृपया श्री जीतमल जी।

(व्यवधान)

आप जा आओ पहले।

श्री मेघराज तावड़ : मैं तो जा आऊंगा···

(व्यवधान)

मैं तो निश्चित तौर से जाऊंगा। उनके प्रतिनिधि आपकी तरह से नहीं है कि गूंगे बन कर बैठे रहें। हम तो यहां भी बोलेंगे उनके लिए और वहां भी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हम बहिर्गमन मान लेंगे। अपने सम्बन्ध मधुर हैं इसलिए अब आप उस तरीके से वाक आउट नहीं कर सकते। आप चाहेंगे तो हम वाक आउट मान लेंगे, इसमें क्या बात है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : पहले आप पधार आओ।

श्री मेघराज तावड़: मैं तो जा ही रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी नीचे चलें।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जी।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य जिस जुलूस का उल्लेख कर रहे हैं वह सी.पी.एम. के तत्वावधान में है या सी.पी.आई. के?

श्री मेघराज तावड़ : पांचों पार्टियों की लोक संघर्ष समिति का जुलूस है। लोक संघर्ष समिति ने आपको बहुत पहले से पत्र दे दिया था।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है कि आप यहां पर बैठे हैं, उनकी डिमाण्ड का कोई चार्टर है?

श्री मेघराज तावड़ : आज नहीं बहुत पहले दे चुके हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप ले आइये, उनके शिष्टमण्डल से मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य मिलेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप अपनी पार्टी के साथ पधारो।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो जाऊंगा ही और वापस आकर आपको गरम करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। ऐसा है कि आज सदन की जो पूर्व निश्चित कार्यवाही यानी आय-व्ययक की मांगों पर विचार है उससे पहले तीन अल्प अवधि के अल्प विषय रखें हुए हैं। इन तीनों के लिए मैं सवा घण्टे का समय निश्चित करता हूं। कृपया उसी समय सीमा के अन्दर अपनी बात कहने का कष्ट करें।

श्री जीतमल जैन।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अलवर नगर के जनरल अस्पताल की भूमि पर कालूराम इमरती देवी ट्रस्ट द्वारा निर्मित धर्मशाला के ट्रस्टियों द्वारा की जा रही अनियमित कार्यवाही

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले के अन्दर आबादी बढ़ने के बाद और अस्पतालों में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के कारण और जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और जो लोग गांवों से आते हैं उनके परिचारक या अटेन्डेंट के ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव होने के कारण एक धर्मशाला की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तो तत्कालीन सरकार से 1979 के अन्दर इस बात का आग्रह किया गया कि इस प्रकार की एक जमीन किसी दानदाता को दें ताकि वहां धर्मशाला का निर्माण हो सके जहां अस्पताल में भर्ती होने वालों के परिवार ठहर सकें। यह बात राज्य सरकार भी मानती है। पिछले सदन के अन्दर जब मैंने इस मामले को उठाया, मेरे एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा कि सामान्य चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय के अन्दर भर्ती मरीजों के परिचारकों के ठहरने की सुविधा देने के उद्देश्य से यह जमीन दी गई थी। धर्मशाला का निर्माण प्रारम्भ हुआ और उसकी स्वीकृति नगर न्यास के द्वारा 8-5-79 को मिली। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 10-5-79 को उस नक्शे पर अपनी अनुमति दे दी। लेकिन जब धर्मशाला का निर्माण हो रहा था तो मेरी जानकारी में आया कि जो अधिकृत नक्शा नगर सुधार न्यास द्वारा प्रमाणित किया हुआ था उसके अनुसार धर्मशाला का निर्माण नहीं हो रहा है इसलिए 6 फरवरी, 80 को मैंने वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि नियमों की अवहेलना करके अधिकृत मानचित्र के अनुसार धर्मशाला का निर्माण नहीं हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि क्लेक्टर द्वारा भी एक पत्र लिखा गया। सी. एम. एच. ओ. ने क्लेक्टर को एक पत्र लिखा उस पर जिलाधीश महोदय ने अपना एक पत्र श्रीमती इमरती देवी कालूराम अग्रवाल चेरिटेबल ट्रस्ट जिनके द्वारा इस धर्मशाला का निर्माण हो रहा था, उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा :

"**विषय : सामान्य चिकित्सालय हेतु (निर्माणाधीन धर्मशाला)**

उपरोक्त विषय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा जो धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है वो नगर विकास न्यास द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार न किया जाकर उससे सर्वथा भिन्न कराया जा रहा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अधिशासी अभियन्ता, भवन एवं पथ विभाग जिनके निर्देशन में उक्त कार्य होना है, को इस कार्य के बारे में किंचित भी आभास नहीं है।"

(श्री जीतमल जैन)

उन्होंने आगे लिखा कि दिनांक 24 अक्टूबर, 79 द्वारा भी लिखा जा चुका है कि श्रीमती इमरती देवी कालूराम अग्रवाल, चैरिटेबल ट्रस्ट जो बनाया गया है कि प्रतिलिपि इस कार्यालय को तुरन्त भेजें।

मेरा निवेदन यह है कि इस सारी धर्मशाला के निर्माण के समय कुछ शर्तें तय हुई थीं उसके अन्दर एक शर्त यह थी, शर्त नं० (2):-

"उक्त धर्मशाला पर समस्त निर्माण का खर्चा दानदाता द्वारा किया जावेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके प्लान का अनुमोदन किया जावेगा। भवन एवं पथ निर्माण द्वारा निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण किया जावेगा।"

इस तरह से प्रारम्भ से ही इस इमरती देवी कालूराम चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने शर्तों का उल्लंघन करना प्रारम्भ किया। यह बात जो क्लेक्टर द्वारा यह पत्र लिखा गया है उससे भी स्पष्ट हो जाती है। इसके बाद 20-6-80 को वह धर्मशाला जब लगभग बन गई तब भी मैंने इसमें जो अनियमितता बर्ती गई, उसके सम्बन्ध में एक बार पुनः सी. एम. एच.ओ. को लिखा और 26 नवम्बर को मैंने एक पत्र डायरेक्टर को लिखा जिसमें मैंने लिखा कि धर्मशाला का निर्माण का जो कार्य हुआ है, वह बिल्कुल अनियमित तरीके से हुआ है। इसके साथ-साथ उसमें कुछ दुकानों का निर्माण हुआ वह दस दस हजार रुपये पगड़ी के लेकर किरायेदारों को दी गई हैं। इसके अन्दर एक प्रबन्धक समिति का गठन शर्तों के अनुसार किया जाना था। उसके अध्यक्ष जिलाधीश····

(12-47 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

थे माननीय मुख्य चिकित्सक और जनाना अस्पताल की अधीक्षिका उसकी सदस्य थी। लेकिन इस कमेटी से बगैर पूछे इस शर्त का उल्लंघन करके ट्रस्टियों ने दस-दस हजार रुपये लेकर इस धर्मशाला की दुकानों का आवंटन लोगों को किराये पर कर दिया। इस बारे में जब मैंने 26-11-81 को एक पत्र लिखा तो उसके जवाब में मुझे 15-1-81 का डायरेक्टर मेडिकल विभाग से एक पत्र मिला कि इसकी जानकारी के लिए क्लेक्टर को पूरी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। इस सम्बन्ध में एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक ही नहीं सारी शर्तों का उल्लंघन इस ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। अलवर में इस धर्मशाला का निर्माण केवल इस उद्देश्य से किया गया था, धर्मशाला इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि मरीजों के परिचारक इसमें ठहरेंगे लेकिन इसका मैनेजमेंट क्योंकि उन्हीं के हाथ में है, जिलाधीश और जिला मुख्य चिकित्साधिकारी की उसमें दखलन्दाजी नहीं थी, इसलिये इसमें बरातों को ठहराने की अनुमति दी जाने लगी। ये मेरे पास शादी के कार्ड हैं जो आप चाहें तो मैं, सभापति महोदय, आपको दिखा सकता हूं। उसके बाद अभी अभी 5 मार्च को गोष्ठी के आयोजन के लिये भी इस धर्मशाला का उपयोग होने लगा है। इतना ही नहीं ये किराया तो शादी-बरात वालों से ज्यादा लेते हैं लेकिन रसीद कम की देते हैं। इस प्रकार की अनियमितता इसके ट्रस्टियों के द्वारा बरती जा रही है। अब क्योंकि धर्मशाला का निर्माण ऐसे व्यक्तियों के लिए किया गया था जो बड़े होटल में नहीं ठहर

(श्री जीतमल जैन)

सकते या जिनको शहर में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है तो धर्मशाला में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि सस्ते किराये पर सस्ती सुविधा रहने की, आवास को उपलब्ध हो सके लेकिन वैसा करने के बजाय वहां के ट्रस्टियों ने ऐसे कमरे बनवाए हैं कि लोगों से चार रुपया फी कमरा प्रतिदिन किराया वसूल किया जाता है। जो लोग हाल के अन्दर ठहरते हैं उनसे एक रुपया प्रतिदिन किराया वसूल किया जाता है। इस किराये को तय करने के अन्दर भी प्रबन्ध समिति की कोई राय नहीं ली गई। जब से धर्मशाला का निर्माण हुआ है, सभापति महोदय, तब से आज तक प्रबन्ध समिति की केवल एक बैठक हुई है। मेरी शिकायत के आधार पर प्रबन्ध समिति की जो बैठक हुई वह 1-5-81 को हुई उसमें जो पूर्व में अनियमिततायें पाई गईं उनको नियमित किया गया है।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है :—

"ट्रस्टियों ने नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अनुमोदित नक्शे में कुछ फेर बदल कर निर्माण कार्य करवाया था एवं कमेटी को सूचित किये बिना दुकान नं० 1,2,6,8,9 को किराये पर दे दिया था।"

आगे बताया है—

श्रीयुत जिलाधीश महोदय, अलवर की अध्यक्षता में दिनांक 1-5-81 को श्रीमती इमरती देवी कालूराम के प्रबन्धक समिति की मीटिंग हुई थी जिनमें उक्त बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् उन्हें नियमित कर दिया गया।"

इस 1-5-81 के बाद आज तक इस प्रबन्ध समिति की बैठक नहीं हुई। ट्रस्ट के सारे लोग रुपया कमाने में लगे हुए हैं, इससे उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अलवर पधारे थे तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप जब अलवर पधार रहे हैं तो वहां के सी.एम. एच.ओ. से, जिलाधीश से धर्मशाला की स्थिति के बारे में आप जानकारी करें।

इनकी नीयत यह है कि किसी प्रकार से इसका मैनेजमेंट उनके हाथ में रहे। कालांतर में 10,15,20 साल बाद जब सारे लोग बदल जायं तो निश्चित रूप से यह प्रापर्टी उनकी बन जाय। सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि इस बात की जानकारी करे। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, आप चाहें तो इसे ले लें, देख लें।

इसके साथ-साथ एक शर्त का और उल्लंघन किया है। हमारे जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं वह देवस्थान के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होने चाहियें। लेकिन यह ट्रस्ट आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। जब आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो, मंत्री महोदय चाहें तो सरकार रजिस्टर्ड कराने के आदेश दे। अब मैं, सभापति महोदया, स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि धर्मशाला का प्रबन्ध चाहें तो अपने हाथ में ले लें। एक अपनी शर्त है, नंबर 10 शर्त बिल्कुल साफ है,

"धर्मशाला के निर्माण के पश्चात् यह सम्पत्ति राज्य सरकार की समझी जावेगी। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रबन्ध कमेटी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा राज्य सरकार स्वयं धर्मशाला का प्रबन्ध सम्भाल लेगी।"

अब तक प्रबन्ध कमेटी ने सारी शर्तों की अवहेलना की है। इसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। अगर, सभापति महोदय, सरकार इसे अपने हाथ में ले ले तो उससे बढ़िया

(64.)

(श्री जीतमल जैन)

कोई बात नहीं हो सकती। ट्रस्टियों के हाथों में अगर चाहते हैं तो भले ही दीजिये, मेरे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले केवल इस धर्मशाला का उपयोग परिचारकों के ठहरने के लिये किया जाय। किसी प्रकार शादी, ब्याह या अन्य गोष्ठियों के लिये इस धर्मशाला का उपयोग नहीं किया जाय। दूसरा, इसमें जो परिचारक ठहरें, उन में से किन को कमरे मिलने चाहिये, कौन वहां ठहर सकेंगे, अलाटमेंट की व्यवस्था ट्रस्टियों पर न छोड़ कर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसके नॉमिनी द्वारा की जानी चाहिये। जिसको वह चिट लिख कर दें केवल वही व्यक्ति उसके अन्दर ठहर सकें। उससे क्या किराया वसूल किया जाये, इस सबका निर्णय प्रबन्ध कमेटी स्वयं बैठ कर करें। इसके साथ-साथ मैं चाहूंगा प्रबन्ध कमेटी का नगर परिषद का अध्यक्ष या प्रशासक सदस्य बनाया जाये। साथ ही स्थानीय विधायक को भी उसका सदस्य बनाया जाय ताकि सार्वजनिक सम्पत्ति बनी है उस पर ठीक प्रकार से नियंत्रण रह सके और ट्रस्टियों की जो नीयत है कि कालातर में सारी प्रापर्टी के मालिक बन जायं, इसमें वह सफल नहीं हो सकें। तीसरा, मेरा निवेदन है कि इस ट्रस्ट को देवस्थान के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराया जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदया, पहले तो जो जवाब सरकारी मेरे पास है वह मैं पढ़कर सुना देता हूं। बाद में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन तीन खास मुद्दों पर सरकार से जानकारी चाही है उसका मैं विस्तार से निवेदन कर दूंगा।

सभापति महोदया, यह सत्य है कि अलवर नगर के सामान्य चिकित्सालय अलवर में भर्ती होने वाले मरीजों के परिचारकों को आवास सुविधा प्रधान करने हेतु कालूराम इमरती देवी ट्रस्ट को एक धर्मशाला का निर्माण करने के लिये जनरल अस्पताल की भूमि का एक हिस्सा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था तथा वर्तमान में उक्त भूमि की अनुमानित लागत पांच लाख रुपये के करीब है।

धर्मशाला निर्माण के दौरान जिलाधीश, अलवर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिनमें दो राजकीय सदस्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अधीक्षक, महिला चिकित्सालय हैं व दो सदस्य एक प्रबन्धक व खंजाची दानदाता द्वारा मनोनीत हैं। धर्मशाला के निर्माण के दौरान यू. आई. टी. द्वारा प्लान स्वीकार कर लिया गया तथा नगर सुधार न्यास से उसकी अनुमति प्राप्त कर ली गई।

शर्तनामे के अनुसार दुकानों से प्राप्त होने वाली समस्त आय का उपयोग धर्मशाला के प्रबन्ध एवं विकास के लिये कमेटी के अनुमोदन के अनुसार किया जाना था परन्तु दिनांक 1-5-81 के बाद अब तक प्रबंध कमेटी की कोई मीटिंग न होने के कारण अर्जित राशि व खर्चा का अब तक का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं हो सका है। मीटिंग शीघ्र बुलाने हेतु प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष जिलाधीश, अलवर को अनुरोध किया है। धर्मशाला के विकास हेतु आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कमरे खाली पड़े रहने की स्थिति में कभी-कभी जब मरीजों

(श्री खेतसिंह राठौड़)

के परिचारकों की संख्या नगण्य होती है, ट्रस्टियों द्वारा बरात ठहराने की अनुमति दे दी जाती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर जब भी किसी परिचारकों को ठहरने की सिफारिश करते हैं तो उसे धर्मशाला के कमरे अथवा हाल में स्थान निश्चितरूप से मिल जाता है परन्तु यह भी सत्य है कि धर्मशाला में ठहरने वाले परिचारकों की संख्या सामान्यतया कम ही रहती है। जिसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अधिकतर मरीजों के परिचारक गरीब होने के कारण धर्मशाला में ठहरने हेतु 4/- रुपये प्रतिदिन कमरे का व रुपया प्रतिदिन हाल में ठहरने का किराया देने में असमर्थ होते हैं किन्तु एक कमरे में चार व्यक्ति ठहर सकते हैं, इस तरह एक व्यक्ति पर एक रुपया बैठता है। ठहरने वालों को पानी बिजली की सुविधा उपलब्ध होती है। इस प्रकार एक रुपया प्रति व्यक्ति इस बड़ी धर्मशाला के रख-रखाव के के लिये लेना उचित ही है।

यह तो सरकारी जवाब है, वह मैंने आपसे निवेदन किया। आप तीन बातें खास तौर से चाहते हैं, मैं आपसे इन बातों पर काफी सहमत हूं। एक बात आपने कही, यह रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना चाहिये। निश्चित तौर पर यह रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना चाहिये यों यह गलती क्यों रह गई? यह रह गई, इसके लिये मैं जिलाधीश, अलवर को आज ही एक पत्र लिख रहा हूं कि मेहरबानी करके इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवायें। लेकिन ट्रस्ट उन्हीं शर्तों पर रजिस्टर्ड होगा जो शर्तें 1978 के शर्तनामे में हैं, आपने अभी उसमें से एक शर्त पढ़कर सुनायी थी, 2-4-76 का शर्तनामा है उसके अनुसार ही यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड होगा। आपने हिन्दी में पढ़कर सुनायी है मेरे पास वह शर्तनामा अंग्रेजी में है। उसके क्लाज-2 में जैसा कि आपने कहा है "that all expenditure on construction of Dharmshala shall be incurred by the donor according to the plan approved by the department and the PWD. and Medical Department. That will be supervised by the PWD. लेकिन वह हुआ नहीं। उस शर्त का उल्लंघन हुआ। मैंने पता लगाया है कि उस नक्शे में कुछ चेंजेज की गई है। उनका कहना है कि हमने चेंजेज बेहतरी के लिये की है ताकि मरीजों के साथ लोग आवें उनको ठहरने की ज्यादा सुविधा मिले। यह उनका एक आर्ग्यूमेंट है चाहे कुछ भी हो शर्तनामा जो था उसकी पालना करनी चाहिये थी, जो नहीं की गई है। इसी तरह इस शर्तनामे का क्लॉज 10 पढ़कर सुनाया था—

'that the building after construction will vest in Government and if any violation of conditions takes place, the management will also be taken over by the Government according to the law.'

तो उस हिसाब से आपका फरमाना सही है। आज हम चाहें तो इस बिल्डिंग को टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन एक मौका हम ट्रस्टियों को और देना चाहते हैं। हम जिलाधीश, चूंकि वह उसके अध्यक्ष हैं, से निवेदन करेंगे, वह मेहरबानी करके एक तो इसको रजिस्टर्ड करा दें। दूसरे, मीटिंग बुलाकर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इससे जो आमदनी हुई है, उसका अकाउन्ट उनके पास में है उसको भी चैक करवा लें। उससे क्या आमदनी हुई है, किसके पास रही है, उसमें कोई गबन तो नहीं हुआ है, इसकी जांच कर लें। तीसरा, जैसा आपने कहा, कमरे का वह एक रुपया लेते हैं यह ठीक है या नहीं है इसको देख लें। साथ में स्थानीय विधायक जो आयें उस इसको कमेटी का मेम्बर मुकर्रर किया जाना चाहिये।

श्री जीतमल जैन : नगर परिषद का अध्यक्ष भी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्थानीय विधायक और नगर परिषद के अध्यक्ष, दोनों के लिये मैं जिलाधीश को लिख देता हूं, चुने हुए व्यक्ति हो उनको भी आप इसमें शरीक कीजिये ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो। जिस वक्त इस धर्मशाला को बनाया गया था, मान्यता यह थी, चूंकि पास-पड़ौस में मरीजों के साथ में आने वालों की ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिये ट्रस्ट को यह बात कही गई, ट्रस्ट इस बात को मान गया, इसलिये सरकार ने यह जमीन, जो अस्पताल की थी, उनको दी थी। लेकिन उसके बाद निश्चित तौर से कुछ उसमें परिवर्तन आया है। हम चाहेंगे ठीक तरह से सुव्यवस्थित ढंग से चले। मरीजों के साथ में आने वाले व्यक्तियों को पूर्ण इसका लाभ मिले, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो। जो आपकी आशंका है यदि इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया तो किसी वक्त में वह व्यक्ति स्वयं इसके मालिक बन कर बैठ जायं। दुकानों से आमदनी, किराये की आमदनी लेते हैं उसका लाभ उठाकर अपनी सम्पत्ति बनाकर बैठ जायं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पत्र लिखेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री जीतमल जैन : सभापति महोदया, मैंने एक निवेदन और किया है कि सी.एम.एच.ओ. या उसके नॉमीनी को यह अधिकार मिले ताकि वह देख सकें कि किस आदमी को कितने रोज वहां ठहराने की आवश्यकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका फर्माना सही है लेकिन अभी तक यह प्रोप्रर्टी ट्रस्ट की है जिसके अध्यक्ष जिलाधीश हैं। आपने फर्माया, यह मैं जिलाधीश को लिख दूंगा। वह मीटिंग में इस बात को भी रख देंगे कि ट्रस्ट का क्या इन्ट्रेस्ट है, किसको कमरा अलाट किया जाय. किसको नहीं किया जाय। आज जो मरीज भर्ती हुआ है जिसके साथ में आदमी आये हैं, सी.एम.एच.ओ. या डाक्टर कंसर्न यह लिख कर देते हैं और डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति इसको हैंडल कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह सारी कार्यवाही होगी जिलाधीश और कमेटी के दरमियान। इस प्रकार के आदेश तो दे नहीं सकते हैं लेकिन ये जो सारे सुझाव हैं यह मैं जिलाधीश के पास भेजूंगा और चाहूंगा कि जिलाधीश इनकी पालना करें।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदया, इसके साथ ही जो बीमार हैं...

श्री सभापति : माननीय श्री समर्थलाल जी।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जैसा कि आपने बयान

(श्री समर्थलाल)

में दर्शाया, आपके बयान से मालूम होता है कि जितनी शर्तें हैं उन शर्तों का ट्रस्टी ने उल्लंघन किया है। दो वर्ष से हिसाब किताब नहीं दे रहा है। तो क्या इन बातों से जाहिर नहीं होता कि नीयत में खराबी है? अगर यह जाहिर होता है तो राज्य सरकार, जैसा कि शर्त में है, कभी भी प्रॉपर्टी को ले सकती है, तो लेने में क्या संकोच है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने आपसे निवेदन किया कि उल्लंघन किया है। बारात ठहराने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हॉस्पिटल के सामने बारात ठहरा देते हैं, इस बात को उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है। हम तो चाहेंगे कि प्रॉपर्टी हॉस्पिटल को मिल जाय तो बहुत अच्छा होगा, हॉस्पिटल को लाभ भी होगा और जिन मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में होगा उनके साथ जो आयेंगे वे आराम से ठहर जायेंगे। चूंकि यह ट्रस्ट है और इसमें कानूनी पेचीदगियां आ सकती हैं, इन सारी बातों को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए मैं जिलाधीश को लिख रहा हूं। स्थानीय एम.एल.ए. साहब इस में सहयोग दें। मैं चाहूंगा कि ट्रस्ट की मीटिंग जल्दी से जल्दी बुला कर रजिस्ट्रीकरण करवा दें और जो कमियां रह गई उनकी पूर्ति कर दें। मान लीजिये, उस वक्त ट्रस्टी इन्कार होंगे, तो यह कहने का मौका मिलता है कि शर्तों की तामील नहीं की गई है तो उन पर हम कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति : श्री भगवान दास शास्त्री, आप कुछ पूछना चाहते थे?

श्री भगवानदास शास्त्री : जवाब आ गया, सभापति महोदय।

शासकीय वक्तव्य

जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में 3000 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना से पशुधन की चराई की समस्या

श्री सभापति : मंत्री द्वारा वक्तव्य। श्री देवन्द्र सिंह, कृषि राज्य मंत्री।

श्री देवेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, कृषि) सभापति महोदया, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना का उद्देश्य जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के लगभग तीन हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वन संपदा संरक्षण, मरुस्थलीय पर्यावरण तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुल चिन्हित क्षेत्रों में से वर्ष 1980-85 की अवधि में निश्चित क्षेत्रों में स्थानीय घास व झाड़ियों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है तथा इन्हीं क्षेत्रों की तारबन्दी (हदबन्दी) की जायेगी। ये क्षेत्र हैं खेड़ा की नाड़ी, कोरिया तेजसी, डाब ढानेली, तेजासर कोथा, दरांवा, सिदाल की बस्ती, नूरियाला, सुगारनी, कुण्डाल एवं कानोता। तारबन्दी का कुल क्षेत्र 13200 हैक्टेयर या 132 वर्ग कि.मी. प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे कुछ क्षेत्रों में चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण प्रस्तावित हैं। इनके अन्तर्गत केवल 1500 हैक्टेयर या 15 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में तारबन्दी प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों के लिये बाड़मेर एवं जैसलमेर के जिलाधीशों ने वन्य सुरक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत धारा 19 से 25 तथा धारा 35 में दिये गये नियमों के अनुसार इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों से आपत्तियां आमंत्रित की हैं। लगभग 300 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं एवं जिन पर विचार कर निर्णय दिया जायेगा।

संपूर्ण 3000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में तारबन्दी नहीं की जानी है। इसमें से लगभग 140 वर्ग कि.मी. क्षेत्र की तारबन्दी की जानी

(श्री देवेन्द्रसिंह)

है जो कि पूर्ण क्षेत्र के मुकाबले में नगण्य है। इसके अतिरिक्त ये 140 वर्ग कि.मी. क्षेत्र भी अलग अलग क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इस प्रकार लगभग 140 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से अभी तक कुल 40 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में ही तारबन्दी हुई है जो निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	जिला	नाम स्थान	क्षेत्रफल (है.में)	गांवों का वास्तविक क्षेत्रफल
1.	जैसलमेर	सुदासरी क्लोजर	675	उपलब्ध नहीं है।
2.	,,	म्याजंलार	525	18,658 है. लगभग
3.	,,	सम	1100	14,904 ,,
4.	,,	फूलिया	400	16,406 ,,
5.	बाड़मेर	बन्दडा	600	13,707 ,,
6.	,,	सुन्दरा	700	1,34,293 ,,
		योग...	4,000	

कुल क्षेत्र की अत्यन्त नगण्य मात्रा में भूमि तारबन्दी के अन्तर्गत है।

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत जिस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उद्घोषित करने की योजना है, वह क्षेत्र मुख्यतः मगरा भूमि एवं टीलों की प्रवृति का है जो कि गैर-मुमकिन है तथा राजकीय सिवाय चक है तथा घास के उत्पादन की दृष्टि से भी न्यूनतम वर्ग में आती है तथा यह क्षेत्र सामान्यतः आबादी रहित है। जिस क्षेत्र को मरु राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की योजना है वह क्षेत्र अभयारण्य के कुल क्षेत्रफल का 10 प्र.श. है तथा राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्तावित क्षेत्र की परिसीमा एवं तारबन्दी से बाहर के क्षेत्रों का अभयारण्य के रूप में ही रखा जायेगा। अतः आबादी वाले क्षेत्र गोचर भूमि एवं काश्त की भूमि को राष्ट्रीय मरु उद्यान से बाहर ही रखा जायेगा।

अभयारण्य क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 7 (1) के अन्तर्गत अपने परम्परागत निवास, प्रवेश अधिकार, संपत्ति अधिकार के रूप में एवं धारा 33 के अन्तर्गत अपनी मवेशी की चराई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की परिसीमा एवं तारबन्दी में आने वाले क्षेत्र से उस क्षेत्र के ग्रामीणों को अभी खेती अथवा पशु चराई आदि की किसी प्रकार की समस्या का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि जैसलमेर और बाड़मेर की जो अर्थव्यवस्था है वह केवल पशुधन पर निर्भर और

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

आश्रित है। जैसलमेर जिले की पशुधन संख्या 16 लाख और वाड़मेर जिले की करीब 12 लाख है। जैसलमेर जिले में पड़ोसी जिलों के पशु भी चरने आते हैं। आज की तारीख में एक लाख से ज्यादा पशु पड़ोसी जिलो के चर रहे हैं। सभापति महोदया, जैसलमेर, वाड़मेर की कैटल वेज्ड इकानोमी केवल इसलिये सक्सेसफुल है कि इन दोनों जिलों में जितना पास्चर लैंड अवेलेबल है उतना शायद राजस्थान के किसी भी जिले में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारी गोचर भूमि धीरे-धीरे कम होती जा रही है। उसके कारण हमारी सारी इकानोमी रुग्न हो रही है। इन जिलों में जगह-जगह कई भागों द्वारा तारबन्दी की गई है। यही नहीं, सभापित महोदया, जैसलमेर जिले में उत्तर भारत का आर्मी का सबसे बड़ी फील्ड रेज स्थापित है और राजस्थान कैनाल का आगमन हो रहा है उससे भी जैसलमेर जिले की गोचर भूमि कम होने की संभावना है।

एक माननीय सदस्य : आप रुकवा सकते हो, अपने नेता महोदय को कहें इसके लिये…

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : हम प्रयत्न करेंगे। राजस्थान कैनाल का आगमन हो रहा है इस तरह से जैसलमेर की गोचर भूमि और कैटल बेज्ड इकानोमी में कमी होती जा रही है इससे सारी इकानोमी इफेक्ट हो रही है। सभापति महोदया, आज हमारे पास पशुधन को चराने के लिये केवल दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा इस जिले में बचा है। उसमें भी तीन हजार वर्ग कि.मी. राष्ट्रीय मरु उद्यान की व्यवस्था के लिये दी जा रही है। सभापति महोदया, आप स्वयं बतावें, वह लोग कहां अपना पशुधन चराने जायेंगे? आप उद्यान स्थापित करें लेकिन जो गांव इस राष्ट्रीय मरु उद्यान की परिधि में आते हैं वह 40 से ऊपर गांव हैं, हजारों आदमियों की आवादी बसती है। यही नहीं, इस इलाके, जो वाड़मेर और जैसलमेर का इलाका राष्ट्रीय मरु उद्यान के अन्तर्गत आता है, तीन लाख से ज्यादा आज की तारीख में मवेशी स्थापित हैं।

इसलिये जो मवेशी वहां पर हैं उनकी चराई की प्राब्लम आयेगी, इसका शायद आप जवाब नहीं दे सकें या मेरे समझने में कमी रह गई। माननीय मंत्री महोदय, आपने तीन हजार वर्ग मील में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की है वह किन वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिये की है, यह मैं आपकी आज्ञा हो, सभापति महोदय, तो पढ़कर सुनाऊं…

श्री सभापति : संक्षेप में रेलेवेन्ट पोर्शन।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : तीन हजार वर्ग मील के क्षेत्र में पशुओं को संरक्षण देने के लिये यह योजना बनायी गयी है। इसमें किस प्रकार के पशुओं को और कितने पशुओं को संरक्षण दिया जा रहा है, यह माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात होना बहुत जरूरी है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया है, वह यह है; उक्त उद्यान की स्थापना के समय कितने गोडावन पक्षी इस क्षेत्र में थे व वर्तमान में गोडावन पक्षियों की क्या गणना है? बेसिकली यह जो बाग बनाया गया है यह गोडावण पक्षियों को संरक्षण देने के लिये बनाया गया है। जवाब यह है; "वर्ष 1981 की ग्रीष्म ऋतु में की गई सेम्पल गणना के अनुसार उद्यान के 186.5 वर्ग किलोमीटर हिस्से में 21 गोडावण पक्षी पाये गये। इसके

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

विपरीत 1982 में 135.6 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में की गई गणना में 80 गोडावण पाये गये। 80 गोडावण पक्षियों के लिये तीन हजार वर्ग कि० मी० का क्षेत्र सुरक्षित करना क्या उचित है? सभापति महोदय, इसी तरह··

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं पूछ रहा हूं आप नहीं मानते है कि जरूरी है।··

श्री सभापति : आप बाद में स्पष्टीकरण पूछ लें।

श्री दाऊदयाल जोशी : व्यवस्था का प्रश्न। माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर। माननीय सदस्यगण सदन में कृपया निद्रा निकालने का कष्ट न करें।

एक माननीय सदस्य : रात्रि में खेलने का नतीजा है।···

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो फरमाया मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं लेकिन 80 गोडावण के लिये तीन हजार वर्ग कि०मी० को सुरक्षित किया जाये, क्या यह उचित है ? मैंने यह पूछा है, आप इस पर विचार कर लें। आप स्वयं परिचित हैं। मैं भी परिचित हूं परन्तु माननीय मंत्री महोदय वहां की स्थिति से परिचित नहीं है।···

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं वहां का प्रभारी मंत्री हूं।···

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : हां, मैं जानता हूं कि आप कैसे प्रभारी मंत्री हैं और कितने वहां प्रभावी हैं। आपका सरकार पर कितना प्रभाव है, यह भी मैं जानता हूं। सभापति महोदय, सन्तुष्ट और असन्तुष्ट का झगड़ा है। बीच में हमको घसीट लेते हैं। बात मरु उद्यान की हो रही है और यह बीच में खड़े हो गये···

श्री खेतसिंह राठौड़ : हर सब्जेक्ट में यह पालिटिक्स ले आते हैं। मैं यह जानता हूं कि आपके और इनके बनती नहीं है। इस प्रकार से कहते ही रहते हैं। प्रभाव तो है ही। मंत्रिमण्डल में है इनका प्रभाव नहीं होगा तो कौन सा आपका प्रभाव होगा।···

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : आपने जो जवाब दिया है, मंत्री महोदय···

(व्यवधान)

मेरा दूसरा प्रश्न था, "उक्त उद्यान की स्थापना के समय कितने चिकारा हिरण इस क्षेत्र में थे व वर्तमान में चिकारा हिरणों की क्या गणना है ?" जवाब है, "1981 की ग्रीष्म ऋतु में की गई सेम्पल गणना के अनुसार उद्यान के 185.6 वर्ग कि० मी० हिस्से में 1205 चिकारा हिरण पाये गये। जबकि वर्ष 1982 में 135.6 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में की गई गणना के अनुसार इनकी संख्या 1240 है।"

सभापति महोदया, तीसरा प्रश्न है : "उक्त उद्यान में चिकारा हिरण व गोडावण पक्षी के अतिरिक्त कौन-कौन से पक्षी व कौन-कौन से जानवर निवास करते हैं व किस-किस मात्रा में यह जानवर व पक्षी निवास करते हैं ? कृपया विगतवार सूची सदन के पटल पर

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

रखने की कृपा करें।" सभापति महोदय, जो सूची मिली है वह इन्ट्रेस्टिंग है। इस तीन हजार वर्ग कि० मी० के मरु उद्यान में जो पक्षी एवं जानवर निवास करते हैं, वह इस प्रकार हैं:—

1.	डेजर्ट केट	13
2.	डेजर्ट फाक्स	80
3.	खरगोश	65
4.	मोनिटर लिजार्ड	41
5.	नेवला	46
6.	झाऊ चूहा	68
7.	सनग्रोव	455
8.	पार्ट्रिज	434
9.	फल्कन	134
10.	ईगल	116
11.	मोर	631

सभापति महोदय, इस पार्क में यह वन्य जीव निवास करते हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात और कहना चाहूंगा, आपने अपने जवाब में यह फर्माया है कि इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने की योजना है। आगे यह कहा गया है, जो तारबन्दी की गई है, वह ऐसे स्थान हैं जहां पर घास नहीं है और ऐसी बंजर भूमि है केवल वहीं पर तारबन्दी की गई है। सभापति महोदया, सुदासरी, म्याजंलार, सम, फूलिया, वन्दड़ा, सुन्दरा में इन्होंने 40 कि० मी० क्षेत्र में तारबन्दी की है, क्या मैं आप से पूछ सकता हूं कि वहां कोई घास नहीं उगती है? क्या वहां पशुधन नहीं रहता है? ऐसा नहीं है, सभापति महोदया। ये सब गांव बड़ी आबादी के गांव हैं, जैसलमेर क्षेत्र में। सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह फरमाया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 33 के अन्तर्गत मवेशी चराने में वहां के निवासियों को कोई कठिनाई नहीं आयेगी। माननीय मंत्री महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1972 की धारा 35 को आप देखें। आप फरमावें तो मैं पढ़कर सुनाऊं, धारा 35

"Declaration of National Park

(1) Whenever it appears to the State Government that an area, whether within a sanctuary or not, is, by reason of its ecological, faura fleral, geomorphological or geological association or importance, needed to be constituted as a National Park for the purpose of protecting, propagating or developing wild life therein or its environment, it may, by notification, declare its intention to constitute such area as a National Park.

(2) The notification referred to in sub-section (1) shall define the limits of the area which is intended to be declared as a National Park.

(3) Where any area is intended to be declared as a National Park, the provisions of sections 19 to 26 (both inclusive) shall, as far as may be, apply to the investigation and determination of claims, and extinguishment of rights in relation to any land in such area as they apply to the said matters in relation to any land in a sanctuary."

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

सभापति महोदय, यह जो धारा 33 माननीय मंत्री महोदय ने फरमाई है वह इस एक्ट के अन्तर्गत है। जो धारा 33 है उसके लिये सैक्शन 35 का क्लाज 8 पढ़ें :

"The provisions of sections 27 and 28, sections 30 to 32 (both inclusive), and clauses(a) (b), and (c) of sections 30 to 32(both inclusive) and clauses (a).(b),(c) of section 44 ···"

अब, माननीय मंत्री महोदय, आप सैक्शन 33पर आइये। सैक्शन 33 में जो छूट दी गई है वह केवल क्लाजेज ए,बी,सी, को दी गई है जब कि क्लाज डी इसमें से ओमिट किया गया है। क्लाज डी कहता है :

"May regulate, control or prohibit, in keeping with the interests of wild life, the grazing or movement of cattle."

इसलिये धारा 33 जो आपने फरमाई है उसका कृपया आप स्पष्टीकरण करने का कष्ट करें। सभापति महोदया, पशु चराई के अलावा जो इन गांवों में समस्या उत्पन्न हो रही है, वह ईंधन की है। माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि गांवों में न तो कोई गैस अवेलेबल है और न आप घासलेट वितरित करते हैं और न कोई ईंधन के लिये दूसरी सामग्री उपलब्ध है। जो उपलब्ध होती है वह केवल लकड़ी और छाणा। केवल यह दो चीज उपलब्ध होती है, जिससे गांव वाले अपने ईंधन की पूर्ति करते हैं। इस नेशनल पार्क से वे न लकड़ी काट सकते हैं और न उठा सकते हैं। छाणा उठाने की परमिशन भी नहीं दी जाएगी फिर वे किस तरह से रसोई बनाएंगे, खाना बनाएंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। माननीय मंत्री महोदय, आप किस तरह से इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं ? सभापति महोदया, यही नहीं 'प्रशासन गांव की ओर' जो अभियान चला उसके बड़े बड़े आंकड़े पेश किये गये। हमने बहुतों के भाषण सुने। हमको यह कहा गया कि इसके जैसा सक्सेसफुल कोई अभियान राजस्थान में नहीं हुआ है। चलिये मान लेते हैं कि यह बड़ा सक्सेसफुल अभियान था लेकिन यह "प्रशासन गांव की ओर" इस नेशनल डेजर्ट पार्क में जो गांव आते हैं, जब उनकी आबादी भूमि बढ़ाने की बात आई तो वहां के अधिकारियों ने यह कहा कि इन गांवों की आबादी भूमि नहीं बढ़ायी जा सकती क्योंकि यह नोटिफाइड एरिया है।

सभापति महोदया, आबादी बढ़ रही है, पापूलेशन इन्क्रीज हो रही है और इतने गांव इस परिधि में आते हैं. तीन हजार इस्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर गांव की आबादी भूमि नहीं बढ़ाई गई, नहीं बढ़ने दी गई तो वह गांव वाले कहां जायेंगे। सभापति महोदया, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 20 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : खाली समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्न पूछ लें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : नहीं, सभापति महोदया, मेरा स्थगन प्रस्ताव बड़ा क्लियर है इसमें मैंने यह सब मेन्शन किया है। माननीय मंत्री महोदय ने इनके जवाब नहीं दिये हैं। It is very clear in this.

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : जी।

माननीय मंत्री महोदय, Bar of accrual of right section 20 of Wild Life Act of 1972 says :

"After the issue of a notification under section 18, no right shall be acquired in on or over the land comprised within the limits of the area specified in such notification, except by succession, testamentary or inter-state right....' That meansकि जिस दिन आपने यह नोटिफिकेशन इश्यू किया उस दिन के बाद जितनी गांव की आबादी भूमि थी केवल वह ही रह जायेगी और फ्यूचर में गांव की आबादी भूमि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आप काफी जागरूक मंत्री हैं आपकी काफी नालेज है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस समस्या से तो शायद परिचित होंगे। अगर नहीं हैं तो माननीय वन मंत्री जी आपके सामने बैठे हैं उनसे पूछ लें। आज राजस्थान में नील गायों ने आतंक मचा रखा है, जगह जगह खेतों को खा रही हैं, खाती हैं, 10 पर्सेन्ट, बिगाड़ती हैं, 90 पर्सेन्ट। माननीय वन मंत्री जी आपके सामने विराजते हैं इनसे पूछ लीजिये, ये जानते हैं, यह समस्या उत्पन्न हो रही है।

श्री देवेन्द्रसिंह : मैं जानता हूं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : जी हां। कुछ नील गायं आ जाती हैं कभी कभी। माननीय मंत्री महोदय, इसी तरह से आस्ट्रेलिया में कंगारू को प्रोटेक्ट किया है। प्रोटेक्शन देने के बाद यह स्थिति बनी है आज कि आज आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट प्रति वर्ष तीन लाख कंगारू मरवाती है। यह बड़ी भारी आस्ट्रेलिया में समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी तरह से खरगोशों की समस्या है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो इस एरिया में खातेदारी के खेत आते हैं और उन खातेदारी के खेतों को इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत हिरण इत्यादि जानवर नुकसान पहुंचायेंगे, क्या आप उनका मुआवजा देंगे ? एक नम्बर, दो आज की तारीख में भी जैसलमेर जिले में बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में खेती होती है और उन छोटे छोटे टुकड़ों में हिरणों का जो कन्सनट्रेशन होता है एक रात में 500,500, 700,700 हिरण एक एक खेत में बड़ते हैं, और सुबह वह खेत साफ मिलता है। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय, इन सब वातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा और साथ में यह भी चाहूंगा कि यह एक्ट है इसमें एक सैंक्चुरी का प्रोविजन है और एक नेशनल डेजर्ट पार्क का प्रोविजन है जैसा कि आपने उत्तर में स्वयं फरमाया की नेशनल डेजर्ट पार्क का जो एरिया हम घोषित करेंगे वो केवल 10 परसेंन्ट होगा। क्या मैं ठीक समझा हूं ? तो मैं आपके माध्यम से....

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : तीन हजार हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : जी नहीं। वह तो आप तारबन्दी की बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय कि 140 वर्ग किलोमीटर में आप तारबन्दी करेंगे यह तो हम समझे लेकिन there is a difference between a sanctuary and a National Desert Park. तो What I wanted

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

that while you give my reply, you should make it very clear. कि कौन से एरियाज को नेशनल डेजर्ट पार्क घोषित किया जायेगा और बाकी सैंक्चुरी कहां कहां रहेगी ?

श्री सभापति : मंत्री जी ।

श्री देवेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सभापति महोदया,मैंने जैसे पूर्व में निवेदन किया माननीय सदस्य बार बार यह कह रहे हैं कि हम तीन हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तारबन्दी कर रहे हैं। मैंने···

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी:सभापति महोदया, मैंने एडमिट किया है कि 140 वर्ग किलोमीटर में तारबन्दी 1985-86-87 तक की जायेगी। मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री देवेन्द्रसिंह : 140 वर्ग किलोमीटर में हम कुल तारबन्दी कर रहे हैं और वह तारबन्दी भी पर्टिक्यूलर एरिया, 140 वर्ग किलोमीटर एक ही एरिया नहीं हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों का मैंने जिक्र किया है जैसे सुदासरी क्लोजर है, इसमें कुल गांव का क्षेत्रफल sorry साऊं क्लोजर है उसमें कुल गांव का क्षेत्रफल है 14,904 हैक्टेयर है. उसमें से केवल 1100 हैक्टेयर्स जमीन को हम क्लोजर कर रहे हैं। इसी तरह फुलिया गांव है उसकी 16 हजार 406 हैक्टेयर जमीन है उसमें से केवल 400 हैक्टेयर का हम क्लोजर कर रहे है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि हम सारे गांवों का फुलिया एरिया को हम कहीं किसी स्थिति में क्लोजर नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी 140 हैक्टेयर जो हम क्लोजर कर रहे हैं वह 33 गांवों में इसी तरह से टुकड़ों में क्लोजर कर रहे हैं 33 गांवों की लिस्ट भी मेरे पास है यदि आप चाहें तो सुना सकता हूं । यह कह देना कि इस क्लोजर से सारे मवेशी की चराई बन्द हो जायेगी अथवा वहां पर लकड़ी उठाने का काम बन्द हो जायेगा या लोगों को जलाने के लिए छाणे नहीं मिलेंगे, मैं समझता हूं कि यह इसलिये वाजिब नहीं है कि हम बहुत छोटा एरिया इसका क्लोजर कर रहे हैं। एक बात दूसरी, जिस 3 हजार वर्ग किलोमीटर का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें 140 वर्ग किलोमीटर के बाद जो हम नेशनल डेजर्ट पार्क डवलप कर रहे हैं उसमें मवेशी चराने के लिए नहीं रोकेंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : वापस अगर फरमायें···

श्री देवेन्द्र सिंह : मवेशी की चराई नहीं रोकेंगे। जो तीन हजार वर्ग किलोमीटर नेशनल डेजर्ट पार्क डवलप करने की घोषणा कर रहे हैं उसमें से 140 वर्ग किलोमीटर की जो तारबन्दी कर रहे हैं उसमें हम मवेशी रोकेंगे उसमें रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बाकी जो ओपन एरिया है उसमें हम मवेशी को नहीं रोकेंगे। मैं समझता हूं कि इससे जो मूल प्रश्न आपका है मवेशी की चराई का, अथवा इसका, वह एक समस्या यह हल हो गई दूसरी बात आपने प्रशासन गांवों की ओर···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस 144 वर्ग किलोमीटर की आप तारबन्दी कर रहे हैं क्या मुख्य रूप से वही एरिया है जिसमें सेवन घास पैदा होती है। जिसमें आप एनक्लोजर नहीं कर रहे हैं इस एरिया में केवल टीले ही टीले हैं चराई का कोई साधन नहीं है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : आप देर से पधारे जैसा मैंने पहले अर्ज किया, मैंने स्टेटमेन्ट में ही निवेदन किया कि वह जमीन है जिसमें टीले हैं घास नहीं उगती है, वह ऐसी जमीन है जिसको हम एनक्लोजर कर रहे हैं और उसमें घास डवलप करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

एक मिनट में निवेदन कर दूं। आप फिर पूछ लेना ।

आपने एक आशंका "प्रशासन गांवों की ओर" के सम्बन्ध में व्यक्त; की मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपके यहां पर अधिकारियों ने यह कहा है कि जब तक यह एरिया फाइनल नहीं हो जाय तब तक हम इसको आबादी में परिवर्तित नहीं करेंगे। यह बात वहां के अधिकारियों ने कही है। यह कही इसलिए है कि हमने अभी नोटिफाई किया है इस एरिया को और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। जब यह आपत्तियां आमंत्रित होकर के एक डिसीजन होगा कि कौनसी जमीन इस नेशनल डेजर्ट पार्क के अन्दर आयेगी उसके बाद आपके गांव की आबादी के लिए कोई रेस्ट्रिक्टशन नहीं होगा, इसमें से जो आबादी की जमीन मांगी जायेगी वह आपको दी जायेगी।

जहां तक वाइल्ड लाइफ का सवाल है मैं समझता हूं वाइल्ड लाइफ में आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूं, इसलिये मैं इसमें विस्तार से निवेदन नहीं करूंगा, मैं तो एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो संख्या आपने वाइल्ड लाइफ की दिखाई। वाइल्ड लाइफ एक पर्टीकूलर मकान में अथवा झौंपड़ी में नहीं रहती, उसके लिए सेल्टर चाहिए और जितना वाइल्ड लाइफ को सेल्टर की ज्यादा जरूरत होगी उतना ही वाइल्ड लाइफ ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा उसकी संख्या बढ़ेगी। खास तौर से जैसे गोडावन, तिलोर जैसी वाइल्ड लाइफ है यह बहुत बड़ी शाही बर्ड है इसके लिए काफी सेल्टर चाहिए इसलिए मैं समझता हूं कि वाइल्ड लाइफ के लिये जो एरिया है वैसे भी बहुत कम है। मैं तो अभी भी मानता हूं यह एरिया बहुत कम है जिस तरह से वाइल्ड लाइफ वहां डवलप करना चाहते हैं लेकिन प्रारम्भिक तौर पर जैसा मैंने आपसे निवेदन किया यह पर्टीकूलर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत 140 वर्ग किलोमीटर को हम फैन्स कर रहे हैं और उस पर करीब 247 लाख रुपये हम खर्च करेंगे उसमें से अभी तक केवल 77 लाख रुपये ही खर्च कर पाये हैं। 85 तक यह सारा कार्यक्रम चलेगा इसके बाद मैं समझता हूं कि आपको कोई शंका नहीं रहेगी।

श्री सभापति : स्पेसिफिक क्वेश्चन ?

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि हम एरिया नोटिफाई कर रहे हैं। मेरा कन्टेंशन था कि गांव की आबादी भूमि नहीं बढ़ सकती। आपने फरमाया की हमारे ऑफिसर ने इस तरह की बात वहां कही है और हम एरिया नोटिफाइ कर रहे हैं। मैं आपको, माननीय मंत्री महोदय, नोटिफिकेशन जयपुर अगस्त 1, 1980 पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसमें एरिया नोटिफाई किया जा चुका है, माननीय मंत्री महोदय, और, सैक्शन-20 यह कहता है, करके आपत्तियां मांगी हैं, मैंने यह कहा है

(व्यवधान)

No No माननीय मंत्री महोदय । मैंने यह कहा हैं, आपत्तियां मांगी हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, जो आप सवाल कर रहे हैं आप जो नोटिफिकेशन बता रहे हैं वो नोटिफिकेशन प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है, उसके बाद आप आपत्तियां देंगे, जैसे आप कह रहे हैं, आपकी जितनी भी शंकायें हैं, आप जो जो इलाका चाहते हैं कि यहां नहीं होना चाहिए, उसके बाद क्लेक्टर उन सबको एग्जामिन करेगा, फिर हमारा डिपार्टमेन्ट फाइनल नोटिफिकेशन जारी करेगा उसमें आपकी जितनी भी बातें हैं उन सबका ध्यान रखा जायेगा । इस बात को भी ध्यान रखा जायेगा कि जो एरिया बहुत नजदीक है आपके गांव से उनको छोड़ा जाय, उनकी आबादी के लिए जमीन दी जाय । मैं खुद आपके इस पूरे इलाके में तीन हजार वर्ग किलोमीटर में जाकर आया हूं, लोगों से मिल कर आया हूं उनको समझा कर आया हूं, इससे आपके इलाके की, जैसलमेर जिले की बहबूदी होगी वाहवाही होगी।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदय, मेरा एक प्रश्न और था, जो इस क्षेत्र में, इस एरिया में खातेदारी के काश्तकार हैं, खातेदार काश्तकार जो काश्त करते हैं उन की फसलों को इन जानवरों के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जायेगा उसका क्या आप मुआवजा देंगे ? एक माननीय मंत्री, आपको जो भरतपुर की सैंक्चुरी थी वह तो थी सिर्फ 35 किलोमीटर में वहां तो आपने 6 आदमी मार दिये लेकिन यहां पर तो 40 गांव हैं, मंत्री महोदय,

(व्यवधान)

नहीं, नहीं, आप सुन लीजिये। मैं आज आपको स्पष्ट से कह देन चाहता हूं कि अगर नेशनल डेजर्ट पार्क में नोटिफिकेशन जैसा मंत्री महोदय ने बताया है कि फाइनल नहीं निकला है और वह फाइनल नोटिफिकेशन निकलने के पहले अगर आपने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आज मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं माननीय सभापति महोदया, जैसलमेर में गोली चलेगी और हजारों आदमी मरेंगे । भरतपुर में तो आपने 6 मारे हैं जैसलमेर में आप हजारों आदमियों को गोली का शिकार करने जा रहे हैं। यह आपकी योजना है इस बार की ।

श्री देवेन्द्रसिंह : माननीय सदस्य, आप उत्तेजित नहीं हों और कृपा करके अभी गोली चलाने जैसी व्यवस्था वहां नहीं करें । जहां तक कामनजेशन का सवाल है, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं इस जमीन में अधिकांशतः पड़त भूमि, टीबे वगैरह हैं । यदि फेन्सिंग के अन्दर कोई काश्त की भूमि आयेगी उसको हम मुआवजा देकर लेंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : नहीं, सैंक्चुरी में तो आती है normally we distinguish सैंकचुरी और नेशनल डेजर्ट पार्क दो अलग अलग चीज हैं, मैं भी मानता हूं नेशनल डेजर्ट पार्क जो आप 140 स्क्वायर किलोमीटर में तारबन्दी करेंगे वही, केवल नेशनल डेजर्ट पार्क घोषित किया जायेगा that will be a sanctuary जो सैंक्चुरी में खेत आते हैं मै उनकी बात कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, तीन हजार स्क्वायर किलोमीटर में अनेक खेत हैं उन खेतों का क्या होगा ?

श्री देवेन्द्रसिंह : सैंक्चुरी वाले को भी मुआवजा दे देंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : धन्यवाद ।

आधे घण्टे की चर्चा औषध निर्माण हेतु स्वीकृत राशि (21 फरवरी, 1983)

श्री सभापति : आधे घण्टे की चर्चा । श्री दाऊदयाल जोशी । औषध निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपभोग करने विषयक।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, मैंने प्रश्न किया था आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित...

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): पहले मैं बोल दूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : पहले आप बोलें? नहीं बोलूंगा पहले ।

श्री दिनेश डांगी : अच्छा रहेगा। आपको बोलने के लिये मैटर मिल जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसके बाद ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समय का ध्यान रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आधे घण्टे की चर्चा है।

श्री सभापति : आधे घण्टे में ही सब फिनिश हो जाना है, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, राजस्थान में जितने विभाग हैं यह तो सौभाग्य है राजस्थान का कि यहां आयुर्वेद विभाग के मंत्री को मंत्री स्तर का दर्जा दिया है जो कि पूरे भारत वर्ष में नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि मंत्री स्तर का दर्जा होते हुए भी इस विभाग की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदया, पिछले तीन साल से यह व्यवस्था चली आ रही है उसके स्पष्ट कारण है कि राज्य के जितने भी विभाग हैं उनमें आयुर्वेद ही ऐसा विभाग है कि जिसमें रकम हर साल लैप्स होती है। सभापति महोदया, समान स्तर की चिकित्सा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जहां तक मैं समझता हूं, साल के अन्तिम दिनों में मेडिसन की खरीद होने के बाद में एक भी पाई लैप्स नहीं होती है लेकिन पिछले तीन साल से लगातार आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेद औषधियां क्रय करने की अक्षमता के कारण रकम लैप्स करता चला जा रहा है। दुर्भाग्य से सन् 80-81 में 32 लाख रुपये लैप्स हुआ था। उसके बाद में 81-82 में 30 लाख रुपये लैप्स हुए। इस साल मैंने एक प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न का मंत्री महोदय ने मुझे उत्तर दिया। कच्ची औषधियों के क्रय हेतु वर्ष 82-83 में 52 लाख 23 हजार का बजट प्रावधान स्वीकृत है। दिनांक 31-12-82 तक इसके विरुद्ध 9 लाख 2 हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं। आलोच्य वर्ष में शेष राशि का उपयोग पूर्णरूपेण नहीं किया जा सकेगा। विभाग मार्च, 1983 तक धनराशि को ज्यादा से ज्यादा औषधियों के क्रय हेतु खर्च करने को प्रोत्साहित है। सभापति महोदया, 52 लाख रुपये का बजट है उसमें से सिर्फ 9 लाख दो हजार रुपये की अब तक मेडिसन खरीदी गयी है। पिछले साल औषधियां क्रय नहीं होने के कारण 30 लाख 50 हजार रुपया लैप्स हो गया। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सन् 80-81 में 30 लाख रुपया लैप्स हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण, सभापति महोदया, माननीय राज्य मंत्री महोदय ने दिया है, पहला तो यह दिया है कि कर्मचारियों की प्रान्तव्यापी आम हड़ताल। यह बात तो समझ में आती है कि क्योंकि साल का अन्तिम समय था उस समय हड़ताल चल रही थी पर इस साल तो वह स्थिति नहीं है, इस साल तो राज्य कर्मचारियों की हड़ताल बेरी आयोग के वेतनमान नहीं देने के बाद भी नहीं चल रही है; कोई किसी

(श्री दाऊदयाल जोशी)

प्रकार की हड़ताल नहीं है , फिर क्या कारण है कि 30-12-82 तक सिर्फ 9 लाख 2 हजार रुपये ही औषधियों के क्रय हेतु खर्च किये गये। अभी मुझे मालूम हुआ है कि अभी लोगों की आपाधापी के कारण रुपया खर्च किया जा रहा है। 15-3-83 तक, जहां तक मुझे पता लगा है मेरे विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, 20 लाख रुपये की दवाइयों का क्रय किया जा चुका है यानी कुल 31 लाख रुपये की मेडिसन डिस्पेन्सरीज के लिये खरीद ली गयी हैं। सभापति महोदया, आखिर कार पिछले साल आपने जो कारण दिया वह कुछ भी नहीं था फिरभी मान लिया कि साहब, आम हड़ताल थी कर्मचारियों की पर इस वर्ष क्या कारण है कि आयुर्वेदिक औषधियां नहीं खरीदी गई हैं। दूसरा कारण जो उन्होंने मुझे बताया है, सभापति महोदया, वह, मंत्री महोदय, आपको डुबो देगा और आपके नाम को डुबो देगा। मैं कहना चाहूंगा, आपके विभाग में किसी प्रकार का आपस में तालमेल नहीं है, आपके यहां पर कोई क्रमबद्धता नहीं है मेडिसन खरीदने के लिये जो पर्चेज कमेटी बनी हुई है उनमें आपस में विवाद है। जो विवाद है वह चाहे किसी बात को ले कर हो चाहे कमीशन का विवाद हो चाहे किसी फार्मेसी से दवा खरीदने का हो पर आपके विभाग में अव्यवस्था है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अव्यवस्था है, आपने जो यह हड़ताल के अलावा पांच और कारण बताये हैं। दूसरा कारण बताया है, स्वीकृत बजट प्रावधानों की तुलना में कच्ची औषधियों को क्रय करने की मांग-पत्र में कम धनराशि प्राप्त करना। यह जवाब है, सभापति महोदया, यह क्या जवाब है ? एक तरफ तो बजट आपका लैप्स हो रहा है दूसरी तरफ आपके विभाग में औषधियों के मांग-पत्र कम आ रहे हैं। एक तरफ तो आयुर्वेद की मेडिसन के लिये, मैं आगे चलकर बताऊंगा, सभापति, महोदय, आयुर्वेदिक औषधालय चीख चीख कर रो रहे हैं। वहां पर दवाइयों की मांग होती है। उन्होंने जहां 60 हजार की दवाइयों की मांग की थी वहां आपने आठ सौ रुपये की औषधियां दीं। एक तरफ आपके दवाखाने औषधियों से रिक्त पड़े हैं दूसरी तरफ आपका डिपार्टमेन्ट आपको लिखकर दे नहीं देता कि हमको यह औषधियां खरीदनी हैं। एक तो असमानता के रूप में आप औषधियां खरीदते हो, मैं मंत्री महोदय, आपकी जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल पहले आपके डिपार्टमेन्ट ने नाग केसर की खरीद की थी। नाग केसर नाम की एक दवा आती है जो लवण भास्कर चूर्ण में डाली जाती है, वह 6 लाख रुपये की खरीद की गई थी। 6 लाख की नाग केसर खरीद कर पीस कर पड़ी हुई है, आपके दवाखानों में लवण भास्कर का चूर्ण नहीं है। आप चाहें तो, सभापति महोदया, आप नीचे जाकर औषधालय में पूछें। लवण भास्कर चूर्ण जो आयुर्वेदिक का अ आ ई है, आप नहीं बता सकते। वह चूर्ण बाजार से जगदम्बिका आयुर्वेदिक औषधालय से खरीद कर अपनी फार्मेसी में देते हैं। आखिरकार आपके दवाखानों में लवण भास्कर जैसा चूर्ण नहीं है जब 6 लाख रुपये की नाग केसर खरीदी हुई पड़ी है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि तो यह काहे के लिये खरीदी थी नाग केसर। यह जो क्रम बना हुआ नहीं है जो लिंक नहीं बनी हुई है आपके विभाग में, इसको आप जोड़िये। आप यह कारण कहकर गलती किसको बता रहे

(श्री दाऊदयाल जोशी)

है। आपके विभाग की गलती है, आपके विभाग में तालमेल नहीं है, आपके यहां पर जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होता । इसलिये इस बजट का स्वीकार होते हुए भी पैसा लैप्स होता चला जा रहा है। इसके अलावा आपने तीसरा कारण बताया है, कतिपय व्यापारियों द्वारा अनुबन्धक के समय निजी शर्तें लगाने एवं उन पर नियन्त्रण होने से विलम्ब होना अथवा उनकी शर्तों का स्वीकार्य नहीं होना।

मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहूंगा कि आप जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दें तब यह बतावें कि जो अनुबन्ध आप करते हैं, टेन्डर कोटेशन निकालते हैं उसकी शर्तें लगाते हैं।

शर्तें लगाने के बाद, नीचे लिख देते हैं कि इन शर्तों की पूर्ति न करने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार यह कार्यवाही की जायेगी। क्या पिछले तीन सालों में जिन व्यक्तियों से आपने औषधियां क्रय कीं, उन व्यक्तियों में से किसी पार्टी, एक भी पार्टी के खिलाफ इन शर्तों के तहत आपने कोई कार्यवाही की जितने समय आपको औषधियां नहीं दीं और जिसके कारण आपके औषधालयों में औषधियों की रिक्तता बनी रही ? चौथा कारण बताया है, व्यापारियों द्वारा आदेशित माल सप्लाई न करना। आपने क्या किसी भी व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट में लिया कि आपने टाइम पर माल सप्लाई नहीं किया, हमारे औषधालय खाली पड़े रहे ? निविदा स्वीकार होने पर व्यापारियों द्वारा अनुबन्ध न करना। छठा निविदा नियम क्लिष्ठ और क्रय प्रणाली का जटिल होना। क्रय प्रणाली जटिल है, यह मैं भी महसूस करता हूं। आपने तीन व्यक्तियों की कमेटी बना रखी है पर्चेजिंग कमेटी के नाम से एक ए.ओ. हैं, दूसरे एडीशनल डायरेक्टर साहब हैं, एक ई.ओ. हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसमें कोई भी टेक्नीकल व्यक्ति नहीं, अभी जो आपकी पार्टी अहमदाबाद दवाइयां खरीदने के लिए गयी थी, शायद उसने अभी खरीदी नहीं क्योंकि उसका सौदा तय नहीं हुआ। मैंने 21 लाख रुपये की बात इसलिए बतायी है कि वह तय नहीं हुआ। मैं निवेदन कर रहा था कि उस पार्टी के साथ आपने एडीशनल डायरेक्टर गोपाल दास जी सरकार की कार से अहमदाबाद दवाइयों की खरीददारी करने गये थे, क्या वह टेक्नीकल आदमी थे ? जब पर्चेज कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेन्ट जब 52 लाख रुपए की दवाइयां खरीदता है तो राजस्थान में चार रसायनशालायें हैं, उदयपुर में रसायनशाला है, भरतपुर में रसायन शाला है, अजमेर में रसायनशाला सबसे बड़ी है, आप कृपा करके उस रसायनशाला के टेक्नीकल व्यक्तियों को और इन्चार्ज व्यक्तियों को साथ में क्यों नहीं ले जाते ? इनको यह अधिकार क्यों नहीं डिवोट करते ? इनको भी टेक्निकल कमेटी का मैम्बर क्यों नहीं बनाते ? जब तक आप इनको मैम्बर नहीं बनायेंगे, आपके दवाखानों में उसी प्रकार प्रति वर्ष बजट लैप्स होता चला जायेगा। मेरा निवेदन करना यह है कि आपने जो छः कारण दिये हैं, यह कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं हैं केवल आपकी अकर्मण्यता, अकुशलता और अव्यावहारिकता के कारण आयुर्वेद विभाग का बजट लाखों रुपयों की तादाद में लेप्स होता है। किसी भी विभाग का बजट लैप्स नहीं होता। एलोपैथी विभाग का नहीं होता, केवल आयुर्वेद विभाग का बजट लैप्स होता है। मेरा यह भी निवेदन है कि आप नये नये आये हैं, फिर भगवान के नाम पर आपने देखना भी चालू किया है आयुर्वेद डिपार्टमेण्ट

(श्री दाऊदयाल जोशी)

का, अगली बार जब अगला सत्र चले, मैं फिर इसी प्रश्न को पूछूंगा, मेरा निवेदन है कि उस समय आपका जवाब यह नहीं हो कि हमारी रकम इतने लाख रुपए लैप्स हुई। इस साल कोई कारण हो सकता है, आप नये-हैं...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपसे ज्यादा तजुर्बा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं, लेकिन आयुर्वेद के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं इसीलिए जनवा रहा हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा :(प्रतापगढ़)दवाइयां लेने में तजुर्बा है, यह दवाइयां बनाते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना है कि आयुर्वेद रसायनशालाओं में बाजार से दवाइयां क्यों खरीदी जा रही हैं? हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि राजस्थान की आयुर्वेद रसायनशालायें नागरिकों को सस्ती और सुलभ, शुद्ध और परिष्कृत दवाइयां सप्लाई करेंगी। जनता राज में यह तय होने जा रहा था, हम आयुर्वेद औषधि निगम बनाने वाले थे। आयुर्वेद दवाओं का आज बहुत बड़ा अकाल हो गया है, शुद्ध आयुर्वेद की दवाइयां मिल नहीं पाती, उसके बावजूद भी आपका डिपार्टमेन्ट प्राइवेट कम्पनियों से, बाजार से दवाइयां खरीदता है। क्यों? 600 लोग आयुर्वेद रसायनशालाओं में काम करते हैं, 12 प्रशासनिक अधिकारी आयुर्वेद रसायनशालाओं में लगे हुए हैं, आज राजस्थान की कुल रसायनशालाओं में 50 लाख रुपया ....

(1.43 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

जहां 52 लाख रुपये की दवाइयां हैं, वहां 50 लाख रुपये का व्यय इन रसायनशालाओं पर कर रहे हैं। आप पेटेण्ट मेडिसन खरीदें। प्राइवेट कम्पनियों से दवाइयां खरीद कर आयुर्वेद के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? भगवान के नाम पर अगले वर्ष आने वाले साल में आप किसी प्रकार से प्राइवेट फर्म से दवा नहीं खरीदें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शुद्ध दवाइयां मिले आयुर्वेद रसायनशालाओं के अन्दर, इसके लिये आयुर्वेद-विभाग ने 5 औषधि उद्यान लगाये। मुझे कहते हुए शर्म आती है, लज्जा महसूस होती है, क्योंकि मैं आयुर्वेद का स्नातक रहा हूं, आयुर्वेद का ज्ञाता हूं, आयुर्वेद से अपना भरण-पोषण किया है, आयुर्वेद के माध्यम से राजस्थान विधान सभा तक आया हूं। मेरा निवेदन करना यह है कि जो वनौषधि उद्यान है, कृपा करके इनकी प्रगति तो बताइये, उसकी क्या स्थिति है। नागौर के अन्दर पीलगंज गांव में आपका एक वनौषधि उद्यान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, असगंध नाम की दवा विश्व प्रसिद्ध दवा है। नागौरी असगंध के नाम पर सारा विश्व नागौर को जानता है। उसका नाम ही नागौरी असगंध है। पिछले चार सालों का प्रगति प्रतिवेदन आ रहा है, इनमें यह नहीं है कि कितनी नागौरी असगंध आपने पैदा की। आपका गुग्गल का एक फार्म है। कितनी गुग्गल पैदा की? आज विश्व के व्यक्ति घोषणा कर चुके हैं कि आयुर्वेद का गुग्गल हार्ट डिजीज के लिए सर्वश्रेष्ठ औषध है। आपका एक वनौषधि उद्यान है गुग्गल का, आप उस वनौषधि उद्यान में गुग्गल पैदा नहीं करते हैं। अगर पैदा करते हो तो कृपा करके

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जवाब देते समय बतायें कि गुग्गल पैदा होती है अजमेर के पास, वहां से कितनी गुग्गल मिली ? मैंने हिसाब मांगा था, उसमें बताया, आप छोड़िये इन सब बातों को, महंगी दवाइयां आप पैदा नहीं कर सकते, आपके डिपार्टमेन्ट ने पिछले साल 3365 रुपये के आंकड़े के फूल खरीदे, छोड़ो सब बातों को, इन वनौषधि उद्यानों में आप कृपा करके आंकड़े के पेड़ ही लगा दो। आंकड़ें के पेड़ के आधार पर ताजा पुष्प लेकर अर्कबटी बनाओगे तो उदरशूल सम्बन्धी बीमारियों के लिए शुद्ध चीज होगी। आप बाजार से खरीद रहे हो···

श्री अध्यक्ष : आप कोई पुस्तक वगैरह लिखो न, इस पर..

श्री भैरूंसिंह गूर्जर : यहां से फुरसत नहीं मिलती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : ···क्योंकि सीमित समय में सदन को, जनता को अपने अनुभव से, ज्ञान से लाभान्वित नहीं कर सकेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं तो डिपार्टमेन्ट की ढिलाई है, उसके विषय में ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। पुस्तक के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री महोदय कृपा करके···

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राजनीति का नशा लग गया है····

श्री दाऊदयाल जोशी : ···6 उद्यान हैं, राजस्थान का अपना आयुर्वेद इन्स्टीट्यूट है, उस इन्स्टीट्यूट से 12 वनस्पति विशेषज्ञ आयुर्वेद के निकल गये। इन 3 सालों में 12 में से एक भी व्यक्ति को क्या उन उद्यान में नियुक्ति दी ? आपने एक वनस्पति विशेषज्ञ श्याम सुन्दर वशिष्ठ नाम के व्यक्ति को इन्चार्ज बनाकर लगाया था, देखरेख करने के लिए लगाया किन्तु साल भर पहले उसको हटा दिया। आज केवल उन वनस्पति उद्यानों में दो माली, दो श्रमिक, एक चौकीदार है। आखिरकार यह सारा खर्च भी आप क्यों कर रहे हैं ? किसी प्रकार की चीजें आप वहां पर पैदा कर नहीं रहे हैं। किसी प्रकार की इस ओर तवज्जोह नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय, आयुर्वेद की दवाइयां, जो सस्ती और सुलभ दवाइयां हैं, आपके औषधालयों में नहीं मिलती, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक तरफ तो आपका डिपार्टमेन्ट प्रति वर्ष लाखों रुपये की तादाद में रकम लैप्स कर रहा है, दूसरी तरफ मेरे पास में बैठे हुए प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जो मीणापुर क्षेत्र से आते हैं, के क्षेत्र की आबादी में 52 प्रतिशत से अधिक मीणा हैं, आयुर्वेद प्रतापगढ़ तहसील के अन्दर 19 औषधालय चलते हैं. 19 में 1 लाख 12 हजार 300 रुपये की दवाइयां पिछले साल 1982-83 के लिए स्वीकार की गई थीं, दी कितनी ? 54837.40 रुपये की दवाइयां···

श्री नन्दलाल मीणा : शेम, शेम, मंत्री महोदय।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय, मीणापुर क्षेत्र है, छोड़िये हम को तो, हम तो शहरी हो सकते हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी गांव की है, वह विरोधी कांस्टीट्यूएंसी हो सकती है, उस क्षेत्र में आप दवाखानों को दवाइयां नहीं भेजते एक दवाखाना है, सालमगढ़, 7300 रुपये की

(८२)

(श्री दाऊदयाल जोशी)...

दवाइयों की आवश्यकता थी; दी हैं 1441 रुपये 40 पैसे की। दूसरा दवाखाना है रठांजना, दवाइयां देनी थी छः हजार रुपये की, आपने दवा दी हैं 834 रुपये की। तीसरा है, सेलारपुर का, 5800 रुपये की दवाइयां देनी थीं, 800 रुपये की मात्र दवाइयां दीं। चौथा, वरड़िया 4200 रुपये की दवाइयां देनी थी, केवल 900 रुपये की दवाइयां दीं। पिछली बार बजट सत्र के समय यह कहा गया था कि आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एलोपैथी दवाइयां काम में लेते हैं। आखिर करें क्या किसी प्रकार की दवाइयां सप्लाई नहीं करते जब दवाइयां नहीं देते ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि औषधियों का बजट तो लैप्स होता ही है लेकिन चिकित्सकों का बजट भी लैप्स हो रहा है। पिछले साल राजस्थान के लिए 590 ए-क्लास के चिकित्सकों की आवश्यकता थी लेकिन इसमें से 213 पद...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य, समय हो रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि आखिरकार 213 पद पर भर्ती हुई और 377 पद रिक्त पड़े रहे। 213 व्यक्ति इसमें भर्ती रहे। आखिरकार यह समस्या क्यों आयी ? मेरा निवेदन है, आपने एक अच्छा कदम अभी इसी सत्र में उठाया था उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : ध्यान नहीं है। इस दृष्टि से चार्ज-शीट देने की कार्यवाही की, किन्तु आज तक आपने उस पर आगे कार्यवाही नहीं की। कृपा करके कार्यवाही करें। आयुर्वेद विभाग लाखों रुपये की रकम लैप्स करता है। मेरा इस प्रश्न के माध्यम से आधा घण्टे की चर्चा उठाने का एकमात्र कारण यह था, कृपा करके अगले सत्र में, किसी प्रकार की, कोई भी रकम आयुर्वेद में लैप्स नहीं होने दें।

एक भी औषधालय नहीं खोला था और इसलिए नहीं खोला था कि बढ़िया चिकित्सा के साथ बढ़िया चिकित्सा पद्धति की बात कही थी लेकिन...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : परन्तु एक जगह पर नहीं हुई। कृपा करके इस साल दो सौ औषधालय खोले हैं आपने इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन इन चिकित्सालयों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की भी समुचित व्यवस्था करें और आपने जो कदम इसी सत्र में उठाये थे उनके अनुसार सख्त कार्यवाही करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : आपने यहां विधान सभा में घोषणा की थी कि श्री गोकुलेन्द्रजी शर्मा को अविलम्ब निलम्बित कर देंगे, क्या निलम्बन के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ? नहीं तो कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दिनेश डांगी : अलग प्रश्न है।

श्री नन्दलाल मीणा : अलग से प्रश्न नहीं है। आपकी घोषणा है।

श्री भैरूंसिह गूर्जर : डी०ओ०पी० वालों ने रोक रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने आधे घण्टे की चर्चा जो यहां उठाई है आपके माध्यम से मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न इन्होंने दिनांक 26-2-1983 को तारांकित प्रश्न पूछा था और उसके उत्तर में उनको जो जवाब दिया गया था उसी के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा आज की गई। जो कुछ प्रश्न पूछा था उसका सरकार का जो जवाब है वह मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं ।

वर्ष 1981-82 में औषध निर्माण हेतु कच्ची द्रव्यों के क्रय हेतु 46.71 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था । इस वर्ष में 30.50 लाख रुपये के बजट का उपयोग नहीं किया जा सका । इसके कारण निम्न अनुसार हैं :—

1. राज्य कर्मचारियों की प्रान्तव्यापी हड़ताल, इस हड़ताल के कारण कुछ द्रव्यों के क्रय आदेश नहीं दिये जा. सके.

2. औषधियों की सप्लाई हेतु अधीनस्थ कार्यालयों से जो मांग-पत्र 81-82 में प्राप्त हुए उनके घटक द्रव्यों का मूल्य केवल 38.14 लाख रुपये था अर्थात् 8.57 लाख रुपये की मांग बजट की तुलना में कम रही.

3. कतिपय व्यापारियों ने टेण्डर भर-कर 1.33 लाख रुपये के अनुबन्ध नहीं किये इस कारण यह राशि उपयोग में न आ सकी। इस कारण विभाग ने मैसर्स राज० प्लास्टिक जयपुर का पंजीयन रद्द करने के लिये निदेशक उद्योग विभाग को लिखा। अन्य दो फर्मों के विरुद्ध अनुबन्ध शर्तों के अनुसार कार्यवाही की गई ।

4. इसी प्रकार कुछ व्यापारियों ने आर्डर किया गया माल या तो पूरी मात्रा में अथवा आंशिक रूप से सप्लाई नहीं किया, इस प्रकार 13 व्यापारियों ने 18.44 लाख के क्रय आदेश के विरुद्ध केवल 7.65 लाख रुपये का माल सप्लाई किया । इस कारण 10.79 लाख रुपये की नान सप्लाई रहने के कारण राशि का उपयोग नहीं हो सका । हालांकि नॉन सप्लाइज के विरुद्ध निविदा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

5. कतिपय वस्तुओं की दरें गत वर्षों एवं 1981-82 की प्रचलित दरों के मुकाबले अत्यधिक ऊंची होने से दरें स्वीकृत करना संभव नहीं था ।

6. कतिपय व्यापारियों द्वारा सप्लाई किया हुआ माल विभागीय नमूने अथवा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप न होने के कारण अस्वीकृत करना पड़ा जिसका रिप्लेसमेन्ट नहीं किया गया। ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

7. यह भी उल्लेखनीय है कि अल्पकालीन निविदा के माध्यम से भी नॉन सप्लाइज के रिस्क एण्ड कास्ट पर क्रय करने का प्रयास भी किया गया किन्तु व्यापारियों द्वारा विभागीय टेण्डर शर्तों के विरुद्ध अपनी स्वयं की शर्तें लगाने के कारण टेण्डर निरस्त करने पड़े ।

वर्ष 1982-83 में कच्चे द्रव्य क्रय करने हेतु 52.23 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। अधीनस्थ कार्यालयों से जो मांग प्राप्त हुई

(१५४)

(श्री दिनेश डांगी)

उनके घटक द्रव्यों का मूल्य केवल 48.25 लाख रुपये ही था, अर्थात् बजट की तुलना में करीब 4.00 लाख रुपये की मांग ही कम प्राप्त हुई। माननीय विधायक के तारांकित प्रश्न संख्या 9 दिनांक 21-2-1983 को दिये गये उत्तर के पश्चात् कच्चे द्रव्यों के क्रय की स्थिति अब निम्न प्रकार है:—

1. फरवरी, 1983 तक किया गया व्यय 15.01 लाख

2. आदेशित माल प्राप्त हुआ और भुगतान मार्च, 83 में किया जाना 0.49 लाख है

3. आदेशित माल जिसकी इसी माह में प्राप्त होने की संभावना है. 10.94 लाख.

योग 26.44 लाख

विभाग ने इस वर्ष इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10.00 लाख रुपये की निर्मित औषधि...गुजरात आयुर्वेद विकास मण्डल....

श्री बाऊदयाल जोशी : शेमफुल, बड़े शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी : आयुर्वेद विकास मंडल (गुजरात सरकार द्वारा संचालित) से क्रय करने का प्रयास भी किया था किन्तु वित्त विभाग ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। 14.00 लाख रुपये की औषधियों के क्रय की व्यवस्था अल्पकालीन निविदा द्वारा भी की गई किन्तु तिगुनी चौगुनी ऊंची दरें प्राप्त होने के कारण टेण्डर दरें स्वीकृत नहीं की जा सकीं।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1982-83 में भी पूर्ण प्रयासों के बावजूद कच्चे द्रव्यों की खरीद बजट की सीमा तक नहीं हो पायेगी और लगभग 25.79 लाख रुपये लैप्स होंगे, किन्तु फिर भी इस वर्ष 65.38 लाख रुपये की औषधियां माह जनवरी, 1983 तक औषधालयों को वितरित की जा चुकी हैं और रसायनशालाओं में पड़े अधूरे योगों के निर्माण हो जाने एवं विभिन्न डिपोज में पड़ी हुई औषधियों की औषधालयों को पहुंचाने के फलस्वरूप लगभग 20.00 लाख रुपये की औषधियां इस माह के अन्त तक और पहुंचा दी जायेंगी।

वर्ष 1981-82 में भी 40.74 लाख रुपये की औषधियां औषधालयों को वितरित की गई थीं। अतः यह कहना कि औषधियों के अभाव में औषधालय बीमारों की चिकित्सा करने में असमर्थ है, सही नहीं है नियमानुसार बजट सीमा में जितने कच्चे द्रव्य क्रय किये जा सकते थे, प्रयास कर क्रय किये गये व औषधियों का निर्माण कर वितरण किया गया।

कच्चे द्रव्यों का बजट लैप्स न हो, इस दिशा में इस वर्ष निम्न ठोस कदम भी उठाये गये हैं, जिनके सुपरिणाम आगामी वर्ष में सामने आने की आशा है :—

1. एक ही सामग्री विभिन्न रसायनशालाओं में लेने के बजाय सामान्यतया अजमेर में ही स्वीकार की जा रही है ताकि व्यापारियों को सप्लाई एवं भुगतान में असुविधा न हो तथा विभाग को भी सप्लाई पर नियंत्रण में सुविधा रहे।

(श्री दिनेश डांगी)

2. रिजेक्ट किये गये माल को हटाने में देरी पर पैनल्टी को व्यावहारिक बना दिया गया है ताकि व्यापारी हतोत्साहित न हों। पहले पैनल्टी 100 रुपये प्रतिदिन थी (बिना कीमत के विचार के भी) उसे अब वस्तु के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह (अधिकतम 5000 हजार रुपये तक) कर दिया गया है।

3. अर्नेस्ट मनी जो केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट में ही स्वीकार होनी थी अब फिक्स्ड डिपोजिट रिसीट के रूप में स्वीकार की जाने लगी है।

4. आयुर्वेदिक औषधियों की निविदा जो पूर्व में एक ही भाग में निकाली जाती थी अब व्यवहारिक संभाग किये गये हैं ताकि अधिक से अधिक व्यापारी भाग ले सकें। इसी प्रकार पैकिंग सामग्री के भी संभाग किये गये हैं।

5. पूर्व में निविदा में अंकित मात्रा से अधिक क्रय करने का प्रावधान नहीं था जिससे कदाचित आवश्यकता होने पर भी क्रय नहीं किया जा सकता था। अब इस मात्रा से 25 प्रतिशत तक अधिक क्रय का प्रावधान किया गया है।

6. सप्लाई की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन एवं पैनल्टी के साथ 60 दिन के बजाय 90 दिन कर दी गई है इससे दरें भी कम प्राप्त होंगी तथा अनुबन्ध के दोनों पक्षों के हित में होगा।

7. पूर्व में गठित तकनीकी समिति में व्यवस्थापक, लेखाधिकारी आचार्य प्रभारी के अतिरिक्त समस्त उपनिदेशक यानी नौ सदस्य थे जिनकी बैठक सम्पन्न होना कठिन होता था। अब पुनर्गठित समिति में केवल 6 सदस्य रखते हुए कोरम निर्धारित 8 कर दिया गया है ताकि बैठक बुलाने में सुविधा रहे। इसके साथ साथ विषय के विशेषज्ञ भी सम्मिलित किये गये हैं। तकनीकी समिति के सदस्य :—

1. निदेशक, आयुर्वेद 2. वरिष्ठतम उपनिदेशक 3. प्रोफेसर द्रव्य गुण विभाग, आयुर्वेद कालेज, उदयपुर 4. श्री बनवारी लाल असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर 5. लेखाधिकारी 6. व्यवस्थापक, आयुर्वेद रसायन शालाएँ, अजमेर हैं।

8. अजमेर रसायनशाला की स्थानीय क्रय समिति जो क्रय किये गये माल को अनुमोदित करती है का भी पुनर्गठन कर प्रभावी बनाया गया है, इसमें अधिकारियों के साथ साथ एक एक सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य को भी सदस्य रखा गया है ताकि उनके अनुभव का लाभ उठाया जा सके। समिति के सदस्य निम्न हैं :—

1. व्यवस्थापक, रसायनशाला, अजमेर

2. जिला आयुर्वेद अधिकारी, अजमेर

3. वैद्य प्रभुदत्त शर्मा, सेवा निवृत्त प्राचार्य, आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

4. कोषाधिकारी, अजमेर

5. प्रभारी अधिकारी, आयुर्वेद रसायन शाला, अजमेर।

अध्यक्ष महोदय, दवाइयों की खरीद हेतु उपाय किये गये हैं :—

1. राज्य स्तरीय आयुर्वेद परामर्शदात्री मण्डल का भी गठन दिनांक 9-2-1983 को किया गया है. जिसमें 5 विधायकों को भी ····

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य ने आधे घन्टे की चर्चा उठाई हैं उनका भी नाम है कि नहीं उस समिति में ।

श्री दिनेश डांगी : भी सम्मिलित किया जा रहा है। आशा है वे इसमें सुधार लाने हेतु विभाग को अपने ठोस सुझाव देंगे ।

2. पूर्व में कच्चे द्रव्यों के रिजर्व स्टाक के लिए कोई मात्रा निर्धारित नहीं थी, अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष की वास्तविक मांग से 25 प्रतिशत कच्चे द्रव्य भण्डार में तीन माह की मांग तक रिजर्व स्टाक के रूप में रहे ताकि नई सामग्री क्रय होने तक रिजर्व की मात्रा में से निर्माण कार्य अनवरत चालू रहे ।

3. राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ से इस वर्ष सौंठ क्रय की गई है तथा काली मिर्च क्रय की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य अभाव द्रव्यों के नमूने एवं दरें भी उपभोक्ता संघ से मांगी गई हैं। यदि दरें निविदा में प्राप्त दरों से तुलनात्मक हुई तो कच्चे द्रव्य संघ से क्रय कर अभाव द्रव्यों की कमी की पूर्ति की जावेगी ।

आशा है अगले वर्ष बजट प्रावधान की सीमा तक पूर्ण उपयोग हो सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया नियमों का पालन करें । चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

अनुदान की मांगें
मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या 21-सड़के एवं पुल

मांगों पर विचार । मांगें प्रस्तुत की जायेंगी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 57,84 000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ।

एक और है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21— सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 56,36,16,000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 19- पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19—मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(1) जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में स्थित राजकीय भवनों की निर्माण विभाग द्वारा समय पर मरम्मत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

(2) विभाग द्वारा निर्माण कार्य में देरी करने व उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा चर्चा के लिए ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

(3) विभाग की लापरवाही से झालावाड़ जिले में निर्माण कार्य समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

(4) विभाग की निष्क्रियता के कारण उदयपुर जिले के निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़),

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) :

(5) तहसील प्रतापगढ़ में चल रहे लोक निर्माण कार्य में ढिलाई बरतने बाबत चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),
श्री माणकमल मेहता (पाली),
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा),
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर),
श्री भैरूंसिंह गूर्जर (खारची),
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा),
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा),
श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल),
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),
श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) :

(6) विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

(7) अजमेर नगर के सरकारी भवनों की मरम्मत करने में निर्माण विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):

(8) भीलवाड़ा जिले में नये भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान नहीं करने पर उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

(9) माण्डल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने हेतु, चर्चा के लिये।

श्री पोरूराम (टीबी):

(10) सूरतगढ़-रावतसर रोड पर पुल बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा):

(11) उदयपुर जिला में लोक निर्माण कार्यों में गति उत्पन्न करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई):

(12) भरतपुर जिले में सरकारी भवनों की विभाग द्वारा समय पर मरम्मत आदि नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा):

श्री चतुर्भुज (टोडा राय सिंह):

(13) बाड़मेर, टोंक व जालोर जिले की सरकारी इमारतों की मरम्मत एवं विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

(14) बांवर माल की सड़क बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा तीन वर्ष से काम नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(15) लोक निर्माण विभाग उदयपुर में हुई अनियमितताओं की जांच के पश्चात् दोषी को सजा नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

(16) लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

(17) लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) :

(18) पंचायत समिति सलूम्बर में एन. आर.पी. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत बने हुये अधूरे भवन पर चर्चा के लिये।

(19) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में रेफरल हॉस्पिटल भवन का कार्य पूर्ण नहीं होने की चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

(20) बाड़मेर जिले के भाचभा ग्राम के पास तामलियार भाखरी के ग्रेनाइट पत्थर की खान व सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

(21) खनिज विभाग ने खानों तक जाने के लिये सड़कों के निर्माण हेतु पैसा जमा कराने पर भी विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है इस पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़):

(22) खनिज बाहुल्य जमवारामगढ़ क्षेत्र में विभाग द्वारा नकटी घाटी से नायला तक सड़क को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) :

(23) सलूम्बर में मुन्सिफ कोर्ट का भवन बनाने व मुन्सिफ निवास भवन का अभाव हेतु चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

(24) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच करने की चर्चा के लिये

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

(25) लोक निर्माण कार्य धन के अभाव में समय पर पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

(26) ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसको मिटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

(27) ग्राम विजोरा जिला कोटा में उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के अधूरे निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़):

(28) ग्राम भोरड़ों का बास तहसील दांतारामगढ़ में उप केन्द्र परिवार कल्याण के भवन बनाने में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

(29) श्रीमाधोपुर में पी. डब्ल्यू. डी. का ए.ई.एन. का कार्यालय खुलवाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

(30) लगातार पांच वर्ष से अकाल सीमावर्ती एवं रेगिस्तानी जिला बाड़मेर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के लिये धनराशि की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(31) सीमावर्ती एवं रेगिस्तानी जिला बाड़मेर में विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

(32) लोक निर्माण कार्यों के संधारण की समुचित व्यवस्था आवश्यक है इस पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

(33) सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त अव्यवस्था एवं अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) :

(34) लोक निर्माण विभाग द्वारा आश्रम स्कूल्स वैलैया, पाड़ा तथा डूका के भवनों को पूरा नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

(35) बस्सी पुलिस स्टेशन की इमारत पर नये कमरों का अतिरिक्त निर्माण कार्य एवं पुलिस चौकी जटवाड़ा, तूंगा एवं कोट खावदा के भवनों के निर्माण कार्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा विलम्ब किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कमला भाई मीणा (लसाडिया) :

(36) लसाडिया निर्वाचन क्षेत्र में सोम कमला आम्ब कार्य प्रगति पर नहीं चल रहा है उसकी चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन) :

(37) राज्य सरकार लोक निर्माण के कार्यों को समय पर पूरा करने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये।

श्री चाव खां (कामां)

(38) राज्यसरकार लोक निर्माण के कार्यों को पूरा कराने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा):

(39) अजमेर जिले की पं० सं० मसूदा व जवाजा में स्थित व सरकारी भवनों का संधारण व अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

(40) विभाग द्वारा लोक निर्माण कार्य में बरती जाने वाली शिथिलता एवं लापरवाही तथा उपभोग किये जाने वाले घटिया किस्म के मैटीरियल पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

(41) भीलवाड़ा तहसील के बरडोद - हमीरगढ़ सड़क का सुधार करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(42) सन् 1981 की बाढ़ से खण्डित भवनों के निर्माण में कार्य की गति की शिथिलता पर उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला आरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),
श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा),
श्री यदुनाथसिंह (नदबई):

(43) वर्ष 1982-83 में जमवारामगढ़ में लोक निर्माण के कार्यों में किये गये घोटालों की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गूर्जर (खारची) :

(44) भ्रष्टाचार के प्रमाणित होने के बाद भी अधिशासी अभियंता को अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

(45 तकनीकी सहायक (सा० नि०वि०) के पद पर अनुचित तरीके से चयन कर पदोन्नति देने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) :

(46) निवाई कस्बे में पी० डब्ल्यू०डी० के द्वारा निर्मित डाक बंगले के निर्माण में हुये भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

(९०)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(47) हरिश्चन्द्र लोक प्रशासन का कार्यालय भवन बनाये जाने में होने वाली देरी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

(48) लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1982 83- में पूरी राशि का उपयोग नहीं करने से बजट में राशि घटी है, इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(49) टोंक जिले में विभिन्न विभागों के भवनों के निर्माण कार्य की लोक निर्माण विभाग द्वारा समुचित देखभाल नहीं करने एवं घटिया स्तर का सामान लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(50) विभाग द्वारा निर्माण कार्य समय पर नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21–मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :–

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

(1) टोंक में बनास नदी पर नये पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(2) मेन्दवास के पास बनास नदी पर एक पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(3) भरनीधुवां रोड के अभाव में उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

(4) टोंक अरनियामाल रोड के अभाव में उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

(5) टोंक गहलोत नातड़ी रोड के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(6) पीपलू रानोली सड़क के कार्य को पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(7) टोंक–सोनवा रोड पर निर्माण के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(8) टोंक–बम्बोर सड़क का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये।

(9) सड़क व पुलों पर घटिया सामग्री लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(10) टोंक जिले की पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत सड़कों का निर्माण पूरा नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(11) स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सड़कों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(12) डारडातुर्की से बराड़ी की सड़क से नहीं जोड़ने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(13) टोंक व निवाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(14) छाण से सांसना रोड प्लान में होने पर भी कार्य प्रारंभ नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(15) पीपलू-रानोली सड़क का शीघ्र निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(16) सूतड़ा–ब्रनेठा रोड पर पुलियां निर्माण के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद)

(17) राष्ट्रीय राज मार्ग नं० 12 को योजनानुसार पूर्ण कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

(18) नेशनल हाइवे नं० 12 पर प्रस्तावित बाई-पास को नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(19) दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों को सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के के लिये।

(20) राज्य सरकार की घोषणानुसार 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(21) टौंक से लाम्बा व टौंक से डारडा हिन्द को सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(22) टौंक से नानेर रोड प्लान में होने के बावजूद किसी प्रकार का कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(23) टौंक से देवली, हथूना, पराना, नटूडा, मंडावर को सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(24) कुन्डा, नटाटा, केकस नीबी, रायसर नामक रोड के कार्य में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर),
श्री मालाराम (खेतड़ी):

(25) सीकर नगर को खंडला से सीधा जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(26) ग्राम श्यामगढ़ (जिला सीकर) से गादिया तक बनी सड़क पर डामर डालने हेतु चर्चा के लिये।

(27) सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बेरी को सीकर झुझूनूं रोड से जोड़ने में विलम्ब किये जाने पर चर्चा के लिये।

(28) जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय मार्ग पर सीकर से निर्धारित बाई-पास की स्वीकृति के बाद भी पूर्ण न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(29) सीकर विधान सभा क्षेत्र ग्राम तारपुरा को सड़क से स्वीकृति के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ न होने पर चर्चा के लिये।

(30) सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सिंघासन को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ न करने की चर्चा के लिये।

(31) सीकर बीकानेर राष्ट्रीय मार्ग पर रींगस जंक्शन के पास रेल लाइन पर पुल न होने से वाहनों आदि को हो रही असुविधा की चर्चा के लिये।

(32) सीकर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रघुनाथगढ़ में पुल नहीं बनाये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

(33) सीकर विधान सभा क्षेत्र के चेनपुरा को सड़क से जोड़े जाने की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर):

(34) अलवर नगर की मुख्य मार्गों की दुर्दशा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर),

श्री भैरूंसिंह गूर्जर (खारची) :

(35) राष्ट्रीय व राज्य मार्गों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन):

(36) सड़कों के निर्माण में पूरा मैटीरियल नहीं लगाया जाता है तथा भारी भ्रष्टाचार किया जाता है, इस पर चर्चा के लिये।

(37) जिला झालावाड़ में नई सड़क बनाने का प्रावधान करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

(38) झाड़ोल व गोगुन्दा के मध्य सड़क व पुल के निर्माण के बारे में चर्चा के लिये।

(39) झाड़ोल से ओगणा के मध्य आने वाली नदी पर तुरन्त पुल बनाये जाने की चर्चा के लिये।

(40) पुल व सड़कों के निर्माण कार्य में जितना सीमेन्ट व डामर लगना चाहिये नहीं लगता है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

(41) भीलवाड़ा जिले की जर्जरित डामर की सड़कों पर नया डामरीकरण करने के विषय में चर्चा के लिये।

(42) निर्माण कार्यों में मैटीरियल ठीक प्रकार से काम में नहीं लाने के विषय में चर्चा के लिये।

(43) भीलवाड़ा तहसील के आमलीपुरा बदान के पास बड़े नालों पर पुल बनाने के विषय में चर्चा के लिये।

(44) गुलाबपुरा व विजयनगर की खारी नदी पर पुलिया बनाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

(45) बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत मुख्यावास शहदादकापार कण्टलकापार को सड़कों से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गूजर (खारची),

श्री असलम खां (बाली),

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर):

(46) प्रत्येक ग्राम पंचायत को डामर सड़कों से जोड़ने की मांग पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गूर्जर (खारची) :

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

(47) मारवाड़ जंक्शन से राणावास तक डामर सड़क बनाने की मांग पर चर्चा के लिये।

(48) नाडोल से खिवाड़ी होकर सोमेसर तक पक्की सड़क के निर्माण की मांग पर चर्चा के लिये।

(49) मारवाड़ जंक्शन से जोजावर तक सड़क के मध्य आने वाली नदियों पर पुलों के निर्माण की मांग पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़),

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) :

(50) चित्तौड़ से रतलाम व बांसवाड़ा जाने वाली सड़कों को चौड़ी व मरम्मत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

(51) चकवाड़ा से बगरू सड़क वाया सांवाल, मण्डोर, पचाला तक बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(52) माधोराजपुरा से खेड़ा हनुमानजी सड़क को आगे पीपलू जिला टोंक सड़क से जोड़े जाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री रामकंवार बैरवा)

(53) फागी क्षेत्र में नीमेड़ा से पारली सड़क वाया मैन्दवास, डालनिया, मण्डावरी की जीर्ण अवस्था को डामर रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(54) फागी तहसील में सड़कों के निर्माण में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

(55) लाखना से बासड़ी, वावड़ी, पहाड़िया तक सात किलोमीटर सड़क बनाई जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर),

श्री असलम खां (बाली) :

(56) वर-सुमेरपुर सड़क को चौड़ा करने तथा विरांगी एवं आमला वाला नाला पुलों को चौड़ा करने के साथ सुमेरपुर नगर बाई-पास बनाने की चर्चा के लिय।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत),

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),

श्री मंगलसिंह गुर्जर (खारची),

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर),

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा),

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) :

(57) बर, बिलाड़ा-जोधपुर सड़क को चौड़ी (डबल) करने तथा निमाज, जैतारण बाई-पास बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

(58) पंचायत समिति, बस्सी में बस्सी से सांभरिया, जटवाड़ा से बड़वा कृषि फार्म वाया टहटड़ा, पंडासोली वाया जटवाड़ा से भूड़ला वाया पाटन सड़कों पर डामर कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

(59) जयपुर से गंगानगर वाया बस्सी तूंगा लालसोट अपूर्ण सड़क को पूरा कराये जाने पर चर्चा के लिये।

(60) ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

(61) अलवर जिले में एक भी नई सड़क न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(62) नारायणी माता से गोलेकावास के बीच में टूटी हुई पुल को बनाने पर चर्चा के लिए।

(63) माचाड़ी से सालोली (राजगढ़) में पुल का निर्माण करने की चर्चा के लिये।

(64) राजस्थान में सड़कों के निर्माण में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

(65) राजगढ़ क्षेत्र में अधूरी सड़कों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

(66) टीडी से जावर पंचायत वाया खारोड़ में नदी पर पुल बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) :

(67) सांचौर जिले की स्वीकृत सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा टूटो हुई सड़कों एवं पुलों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) :

(68) रामगंज में पुल का निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये।

(69) अजमेर नगर फाइसागर रोड को 40 फुट चौड़ा करने पर चर्चा के लिये।

(70) अजमेर नगर चमार घाटी पुष्कर रोड़ पर डामर करने पर चर्चा के लिये ।

श्री असलम खां (बाली) :

(71) जिला बाली की मुडारा रानी सड़कों के कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

(72) ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की दुरावस्था पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

(73) सड़कें एवं पुलों के निर्माण के अभाव से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) :

(74) भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील में गोडासा-प्रीतास के मध्य पुलिया बनवाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री पीरूराम (टीबी) :

(75) गंगानगर जिला, तहसील टीबी, नोहर, हनुमानगढ़, में सड़कें बनवाने पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा):

(76) सराड़ा तहसील में सड़कों एवं पुलियों का कार्य करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):

(77) जहाजपुर, शंकरगढ़ जहाजपुर घाटारानी पंडेर मावर सड़कें तथा मेज नदी पर पुल निर्माण की योजना पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

(78) नीमकाथाना से शाहपुरा वाया गणेश्वर चीपलाटा सड़क का कार्य चालू कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

(79) नदबई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण आंचल में सड़कें निर्माण करवाने में सरकार असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

(80) कोटा जिले की सड़कों की दुर्दशा के विषय में चर्चा के लिये।

(81) कोटा से सुल्तानपुर जाने वाली सड़क तातेड़ से सुल्तानपुर की सड़क की दुर्दशा अत्यंत शोचनीय है की चर्चा के लिये।

(82) कोटा से कैथून होकर सांगोद जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत दयनीय है, विशेष रूप से कुराड़ ग्राम से घानाहेड़ा तक इस पर चर्चा के लिये।

(83) राष्ट्रीय महत्व के मंदिर चार चौमा को अड़ूसा से सीमल्यों तक एवं अड़ूसा से राजपुरा तक सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(95)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(84) दीगोद तहसील के मण्डावरा से मदनपुरा तक एवं लाखसनीजा तक सड़कें बनाने बावत चर्चा के लिये।

(85) कोटा नगर में निर्मित कुन्हाडी ब्रिज एवं बोरखेडा ब्रिज के निर्माण में भयंकर अनियमितताये चल रही हैं एवं निर्माण कार्य में विलम्ब से राष्ट्रीय क्षति हो रही है, इस पर चर्चा के लिये।

(86) सांगोद तहसील के ग्राम कनवास से आवां होकर देवली की सड़क पर दुर्दशा पर एवं सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के बावत चर्चा के लिये।

(87) सांगोद तहसील के ग्राम देवली से बालूहेड़ा तक पांच नालों का कार्य पाइप डाल देने के बावजूद शुरू न करने बावत चर्चा के लिये।

(88) सांगोद तहसील के आसनपुरा ग्राम से घुलेट तक पक्की सड़कें बनाने बावत चर्चा के लिये।

(89) सांगोद तहसील की कालीसिंध नदी पर आजादपुरा पर पुल बनाने बावत चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं):

(90) तहसील बेगूं में नई सड़कें बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा);

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह):

(91) जालोर, टोंक व बाड़मेर जिले की अधूरी सड़कें व बालोतरा के सभी नालों पर पुल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर):

(92) सलूम्बर तहसील में गोमती नदी का पुल व वस्सी-कंतोड़ा रोड पर पुल के अभाव बावत चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

(93) उदयपुर नगर की सड़कों को ठीक नहीं करने के विषय में चर्चा के लिये।

(94) उदयपुर जिले की खेमली-देलवाड़ा रोड को डामर रोड बनाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं):

(95) निम्बीजोधा से नागौर तक सड़क बनाने बावत चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी):

(96) ग्राम महला से झाग वाया छारंदड़ा पं०स० दूदू जिला जयपुर की अपूर्ण सड़क की चर्चा के लिये।

(97) सम्पर्क सड़क रैनवाल से पहाड़िया को ग्राम पंचायत मोहब्बतपुरा तहसील फागी जि० जयपुर तक जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़):

(98) आंधी से वस्सी, आंधी से डाबरवाड़ा, मनोहरपुरा से सैंथलसागर वाया गठवाड़ी-रायसर आंधी, आगरा रोड से चावण्डिया ग्रौर दौसा से नकटी घाटी वाया बड़वा सड़कों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर),

श्री चुन्नीलाल (खण्डार),

श्री कुन्जीलाल (वामनवास) :

(99) तहसील खण्डार से ग्राम बायेरे रोड को पूरा करने के क्रम में चर्चा के लिये।

(100) तहसील खण्डार में बनास नदी पर पुल न होने पर चर्चा के लिये।

(101) तहसील खण्डार से अपूर्ण रोड रामेश्वर तक पक्का करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(102) तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम लछमीपुरा, बहसोड़ा, धीरोयी घाट तक पक्की सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(103) ग्राम चौथकाबरवाड़ा के पास नया गांव पर गयब नदी पर पुल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(104) जिला सवाई माधोपुर में पंचायत खिरनी से बौंली तक अपूर्ण रोड को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

(105) जिला सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायत श्यामपुरा से सवाई माधोपुर तक की सड़क जो खराब पड़ी है, उसको पूर्ण कराने हेतु चर्चा के लिये।

(106) बामनवास में ग्राम वीनोरी बालाजी से भोरा सागर तक रोड व पुलिया का निर्माण करने हेतु चर्चा के लिये।

(107) तहसील सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायत चकेरा के पास गम्भीर नदी पर पुल हेतु चर्चा के लिये।

(108) ग्राम पंचायत करमोदा से ग्राम गोठड़ा के बीच लारटपा नाला पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(109) जिला सवाई माधोपुर से मलारना स्टेशन से ग्राम पंचायत डाण्डा साकड़ा ग्राम पंचायत तक रोड बनाने पर चर्चा के लिये।

(110) तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम पंचायत सनारी जोला क्षेत्र में रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(111) जिला सवाई माधोपुर में मित्र-पुरा, गछावाड़ा, खिरनी आदि स्थानों पर जो सड़कें अपूर्ण पड़ी हैं, उनको पूर्ण कराने के लिये चर्चा के लिये।

(112) जिला सवाई माधोपुर में ग्राम श्यामपुरा सवाई माधोपुर को ग्राम बसप डूंगरी भूरी पहाड़ी तक रोड बढ़ाई जाने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

(113) तहसील मलारना डूंगर के स्टेशन से ग्राम पंचायत बीच्छी तक रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(114) दौसा सवाई माधोपुर रोड पर बनास पर पुल एवं टूटी सड़कों के कार्य में देरी पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर),

श्री कुन्जीलाल (बामनवास) :

(115) सवाई माधोपुर जिले में पक्की सड़कों की हालत खराब है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार),

श्री कुन्जीलाल (बामनवास):

(116) तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम ईसरदा को ग्राम सिवाड़ तक पक्की सड़क से जोड़ने के संबंध में पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

(117) रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा सड़कों पर पुलिया नहीं बनाने बावत।

(118) जैतपुरा नदी पर पुल बनाने बावत चर्चा के लिये।

(119) जालौर जिले में सड़कें व पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम):

(120) क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

(121) केशवराय पाटन क्षेत्र में कापरेन से रोटदा तक सड़क बनाने पर चर्चा के लिये।

(122) केशवराय पाटन क्षेत्र में लवान रेलवे स्टेशन से प्रतापगढ़ ठगारिया गांव तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

(123) केशवराय पाटन क्षेत्र में अरनेठा से जैथल होकर झालीझा का वराना तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

(124) लवान रेल्वे स्टेशन से माखीदा ग्राम तक सड़क निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(125) केशवराय पाटन क्षेत्र में पापड़ी से बड़ा खेड़ा बसवाड़ा तक सड़क निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

(126) केशवराय पाटन क्षेत्र में जैथल गांव के पास कूरल नदी पर पुल निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

(127) केशवराय पाटन क्षेत्र में चम्बल नदी पर माखीदा के पास पुल निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी):

(128) ग्राम महला से झाग वाया छारदड़ा ज़िला जयपुर की अपूर्ण सड़क को पूरा करने हेतु चर्चा के लिये।

(129) चौरू से समनाढा तक की सम्पर्क सड़क पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(130) बांडी नदी-फागी क्षेत्र पर पुल का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

(131) रामगंज मण्डी तहसील की निर्माणाधीन सड़कों को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर):

(132) ज़िला बाड़मेर में डामर की सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर):

(133) मुण्डोता घाटी की सड़क पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये।

(134) चौमूं से सिरसली अपरोच रोड बनाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर):

(135) झाड़ली से हाथीदेह (सीकर) सड़क निर्माण के विषय में चर्चा के लिये।

(136) अजीतगढ़ से हाथीदेह (सीकर) सड़क निर्माण के विषय में चर्चा के लिये।

(137) रेलवे क्रासिंग रींगस पर पुलिया निर्माण के विषय में चर्चा के लिये।

(138) रींगस से सिमारला सड़क निर्माण के विषय में चर्चा के लिये।

(139) श्रीमाधोपुर-पृथ्वीपुरा (सीकर) सड़क निर्माण के विषय में चर्चा के लिये।

(140) श्रीमाधोपुर कांवट वाया हांसपुर, कोटड़ी सिमारला मढमापैंगी, लोहरवाड़ा सड़क के निर्माण के विषय में चर्चा के लिये।

(141) श्रीमाधोपुर नीमकाथाना वाया कल्याणपुर, जोरावरनगर, भादवाड़ी सड़क के निर्माण के विषय में चर्चा के लिये।

(142) बाई पास रोड़ श्रीमाधोपुर (सीकर) के निर्माण के बाबत चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर):

(143) ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें एवं पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

(144) खजडोली से मरू मूण्डरू तक सड़क निर्माण पर चर्चा के लिये।

(145) नेशनल हाइवे नं० 11 से सींगोद खुर्द, (जयपुर) तक अधूरी सड़क को पूरी करने पर चर्चा के लिये।

(146) हस्तेड़ा से रींगस वाया किशनपुरा नांगल गोविन्द अकाल राहत कार्यों के तहत बनी सड़क को पूरी करने पर चर्चा के लिये।

(147) मंडा से हस्तेड़ा को अधूरी सड़क को पूरी करने पर चर्चा के लिये।

(148) चौमूं क्षेत्र में ग्राम चीथवाड़ी से बांसा तक सड़क निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

(149) चौमूं नन्दवाजी रोड व उदयपुरिया खजडोली रोड पर पुल बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग),

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

(150) भवानी मण्डी से झालावाड़ तक सड़क की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये।

(151) भवानी मण्डी से पिड़ावा सड़क की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये।

(152) झालावाड़ जिले में मुनेल से पाटन सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

(153) झालावाड़ जिले में गंगधार से सुवांसरा सड़क पर पुल के निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

(154) झालावाड़ जिले की डग-दुधालिया सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

(155) झालावाड़ जिले की आहुनदी के पुल का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग),

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

(156) झालावाड़ जिले की अधिकांश सड़कों की मरम्मत न होने से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

(157) स्टेट हाई-वे नं० 19 पर चम्बल नदी पर डोवरली गांव के पास पुलिया बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(158) मांगरोल से बालूदा सड़क का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(159) स्टेट हाई-वे नं० 19 पर इन्द्रगढ़ से इटावा के बीच शीघ्र सड़क का निर्माण कराया जाय इस पर चर्चा के लिये।

(160) कोटा से ग्वालियर मार्ग पर बड़ोद में कालीसिंध पर तथा खातौली में पार्वती नदी पर पुलिया बनाई जाय के संबंध में चर्चा के लिये।

(161) गैता से ठीपरी सड़क बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(162) ठीपरी (कालीसिंध) से अयाना वाया अयानी सड़क बनाई जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(163) अयाना से पीपल्दा कलां वाया लुहावद सड़क का निर्माण किया जाय के संबंध में चर्चा के लिये।

(164) करवाड़ से खातौली सड़क बनाई जाय के संबंध में चर्चा के लिये।

(165) पीपल्दा कलां से फूसोद सड़क बनाई जाय के संबंध में चर्चा के लिये।

(166) रामपुरा धाबाई से बागली सड़क बनाई जाय के संबंध में चर्चा के लिये।

(167) इटावा में वाड़ोली वाया झाड़ोल लुहावद सड़क बनाई जाय के संबंध में चर्चा के लिये।

(168) नीमोला, रनोदिया, नोनेरा, जोरावसुरा, डूंगरली, ख्यावदा, पीपल्दाखुर्द, चुर्जनपुरा गांवों को लिंक रोड से जोड़ा जाय, इस पर चर्चा के लिये।

(169) रजोया से ठींपड़ी सड़क का निर्माण किया जाय इस पर चर्चा के लिये।

(170) अयाना से बथोटीकलां के लिए सड़क बनाई जाय के संबंध में चर्चा के लिये।

(171) सीसवाली से मांगरोल सड़क का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(172) कोटा से इटावा मार्ग पर इटावा सूकनी से बने पुलिया के दोनों किनारों को सड़क से जोड़ा जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री छीतरमल आर्य (अटरू):

(173) ग्राम बरलां से अटरू तक सड़क बनाई जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

(174) बारां से नाहरगढ़ के लिए पक्की सड़क बनाई जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(175) लक्ष्मीपुरा से अटरू तक सड़क बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(176) अटरू (लिंक रोड) रोड से आमली तक सड़क बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री छीतरमल आर्य (अटरू) :

(177) कोटा से गुठला सड़क पर पार्वती पर पुलिया बनाई जाय के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर):

(178) जिला जैसलमेर के पोकरण से साकड़ा, लूणा, संग्रामसिंहजी की ढाणी, भेसड़ा, राजगढ़, बोनांवा से ओला को बी.टी. रोड से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

(179) जिला जैसलमेर ग्राम लूणार, करड़ा, पोछीणा को बी०टी० सड़क से जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(180) जिला जैसलमेर के सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को बी०टी० रोड से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

(181) ग्राम खाटू, जीनमाता को सड़कों से जोड़ा जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) :

(182) रींगस (सीकर) वाई पास सड़क निर्माण के बाबत चर्चा के लिये।

(183) पृथ्वीपुरा से कोटड़ी (सीकर) सड़क निर्माण के बाबत चर्चा के लिये।

(184) अजीतगढ़ से जुगराजपुरा जिला सीकर तक सड़क निर्माण के बाबत चर्चा के लिये।

(185) अप्रोच रोड़ ग्राम सुराणी (सीकर) के निर्माण के बाबत चर्चा के लिये।

(186) आसपुरा से दिवराला जिला सीकर तक सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

(187) नोपाल से गढ़तकनैत वाया आसपुरा (सीकर) तक सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

(188) मउ से पृथ्वीपुरा (सीकर) तक सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

(189) मउ से महरोली (सीकर) तक सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

(190) अजीतगढ़-श्रीमाधोपुर सड़क को पूर्ण कराये जाने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

(191) बांडी नदी ग्राम डाबिच के पास चाकसू-फागी रोड पर पुलिया बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(192) माधोराजपुरा से चांदमा कलां वाया खेड़ा कल्प हनुमानजी तक अधूरी सड़क को पूरा किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

(193) भीलवाड़ा तहसील में अकाल के तहत बनी सभी सड़कों को पक्की करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

(194) रामगंज मण्डी से जुल्मी तक तथा चेचट से खेड़ारूद्धा सड़क पर पुलिया नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

(195) भरतपुर जिले में सड़कों का नितान्त अभाव है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़):

(196) अलवर में वीजवाड़ से नटनी का वास तक सड़क वनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

(197) क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों का शीघ्र निर्माण एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

(198) जिला जैसलमेर में लूणार, करड़ा, पोछीणा को सड़क से जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(199) जिला जैसलमेर को ग्राम ताड़ाना को सत्याया तक सड़क से जोड़ने एवं ताड़ाना-मोहनगढ़ को सड़क से जोड़ने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

(200) पीपल्दा क्षेत्र में निकाली गई विभिन्न ड्रेनों पर पुलियाएं बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(201) इटावा ब्रांच केनाल पर रामपुरा गांव के पास से निकलने वाली ड्रेन पर पुलिया बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

(202) भीलवाड़ा तहसील की अधिकांश सड़कों पर काजवे न वनाये जाने के विषय में चर्चा के लिये।

(203) भीलवाड़ा तहसील के (1) कोदा, (2) हलेड-दांथला सड़क पर डामरीकरण किये जाने के विषय में चर्चा के लिये।

(204) सोलंकियों के खेड़े के पास बनास नदी के काजवे को दुरस्त कर कार्य आरंभ करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री भरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

(205) उदयपुर ग्रामीण में ऊंडा नाला पुल की चौड़ाई बढ़ाने के लिये वर्तमान पुल के स्थान पर नया पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नर्नसिंह चौधरी (भादरा):

(206) भादरा क्षेत्र की अधूरी सड़कों को पूरी करने एवं राजस्थान हरियाणा की सीमा सड़कों के भी निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) :

(207) पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र की मनोहरथाना हरनावदा सड़क और लसोडियाशाह सड़क के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

(208) पंचायत समिति मनोहरथाना (झालावाड़) क्षेत्र की सड़कों का निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री असलम खां (बाली) :

(209) आदिवासी क्षेत्र में भीमाना सड़क (जिला पाली) के पुलियों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

(210) फालना-रानी सड़क पर फालना गांव के पास नदी पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया):

(211) निर्वाचन क्षेत्र लसाड़िया में भेण्डर से परिसोला वाया कुण ठिकीया, भैरव गांठा, धामणीया, दातलीया, गडरा; निरूण जाखम, गोपालपुरा सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर):

(212) छोटे छोटे लिंक रोड एवं छोटे नालों पर पुल आदि व्यापक पैमाने पर बनाने के लिये कोई योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई जा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

(213) पुलों को बनाते समय एवं लगाये जाने वाले मैटीरियल की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवश्यक बताकर घटिया माल पाया जाने पर जांचकर्ता का उत्तर-दायित्व निर्धारित किये जाने पर चर्चा के लिये।

(214) लिंक रोडों को मेन रोड से जोड़े जाने के लिये आवश्यक जगहों पर पुलों के निर्माण में सरकार असक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

(215) पिछड़े एवं आदिवासी इलाकों में आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार असक्षम रही है इस पर चर्चा के लिये।

(216) राज्य सरकार सड़कों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल (हिण्डौली):

(217) 5000 की जनसंख्या तक के गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना):

(218) डीडवाना तहसील में नई डामर की सड़क खुनखुना से कोलीयां और भौलासर से तोसीना से खाटू-छोटी तक और दूसरी सड़कें जो मरम्मत में पड़ी हुई है, उन पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला):

(219) खण्डेला से गुरारा सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(220) चौमूं पुरोहितान से आबा-बास तक चार किलोमीटर तक लिंक रोड़ का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

(221) खण्डेला मोड़ से चला वाया चौकड़ी अधूरी पड़ी सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

(222) होद से दुलेहपुरा एक किलो-मीटर सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

(223) श्रीमाधोपुर से पलसाना वाया जाजोर गोविन्दपुरा सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया):

(224) निर्वाचन क्षेत्र लसाड़िया में खोलड़ी, शेषपुर, धोलाघर-खेड़ा, धोलाघर पाल, खण्डेला, पिपला माता, धावड़ा, रहम-तिया भभराना, जोधपुर, देवला, छोटो तक सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

(225) निर्वाचन क्षेत्र लसाड़िया में बिजमा माता से टेकण भेण्डर वाया गांगरोतु का गुडा जोधपुर, आमलवा, मानपुर, पाडा बिडावल, खजूरी देवलीया, अगड धोलीया, आणीया, सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया (रतनगढ़):

(226) रतनगढ़ बस स्टैण्ड से पूर्व उत्तर होकर चुरू सड़क तक अप्रोच रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

(227) बाड़मेर जिले में शिवकर नोखड़ा वाया सरली को वर्ष 83-84 में सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(228) गुढ़ामालानी तहसील को जिला मुख्यालय व पंचायत समिति मुख्यावास धोरीमन्ना को सीधी अपर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(229) बाड़मेर जिले में गुढ़ा से जालौर तक सड़क पर लूनी नदी के बीच रपट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

श्री भगवानदास डोसी (चौहटन):

(230) बाड़मेर जिले में सन् 1971 की जनसंख्या के अनुसार 3000 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों को वर्ष 83-84 तक डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(231) बाड़मेर जिले में लूनी नदी पर सिणधरी के पास पुल का शीघ्र निर्माण कराने के लिये वित्त के प्रावधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन)

(232) राज्य सरकार सड़कें एवं पुल बनाने में असफल रही, जिस पर चर्चा के लिये

श्री चाव खां (कामां):

(233) राज्य सरकार सड़कें और पुल बनवाने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा):

(234) मसूदा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

(235) सड़कों एवं पुलों के अभाव में जनता को आवागमन में होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

(236) भीलवाड़ा जिले की माण्डलगढ़ सड़क को चौड़ा करने के विषय में चर्चा के लिये।

(237) भीलवाड़ा नगर की सांगानेर गांव की जर्जरित सड़कों को ठीक करने के विषय में चर्चा के लिये।

(238) भीलवाड़ा हरनेई, माहदेव सड़क पर सुधार कार्य व डामरीकरण के विषय में चर्चा के लिए।

(239) भीलवाड़ा नगर में बाइपास सड़क के निर्माण (लिंक रोड) के विषय में चर्चा के लिये।

(240) भीलवाड़ा-सांगानेर- टिकोला व केकड़ी सड़क कार्य तीव्र गति से पूरा करने पर चर्चा के लिये।

श्री मागीलाल मेहता (पाली) :

(241) पाली विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की कमी को पूरा करने एवं वर्तमान सड़कों की मरम्मत न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

(242) लक्ष्मण डूंगरी से नरवरवास खोला तक स्वीकृत सड़क न बनाये जाने से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

(243) भीलवाड़ा जिले की सुवाना, कोदूकोटा, कोटड़ी सड़क के विस्तार व सुधार कार्य के विषय में चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(244) जयपुर जिले की मुख्य सड़कों से गांवों को सड़कें बनाकर न जोड़े जाने से होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

(245) जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की चांवड के मंढ से नायला तक 11 मील लम्बी सड़क पर ढूढ से नायला तक डामर नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(246) विभाग द्वारा भानपुर कलां वासना की स्वीकृत सड़कें काम शुरू न किये जाने से ग्रामीणों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(247) जयपुर जिले की सड़कों के कार्य में उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(248) जयपुर से जमवारामगढ़ के बीच ढूंढ नदी पर बनाये जाने वाले पुल में की गई देरी की जांच नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।

(249) सूरजपोल क्षेत्र में जलमहल से लक्ष्मीनारायण-पुरी होती हुई आगरा रोड़ से राष्ट्रीय मार्ग-11 पर सड़क की चौड़ाई न बढ़ाने एवं निर्माण न करने पर भी पेमेन्ट कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(250) सांगानेरी गेट से जलमहल तक राष्ट्रीय मार्ग पर विभाग द्वारा की गई मरम्मत में गलत मैटीरियल लगाये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(251) जमवारामगढ़ मुख्य रोड के निर्माण में काम न करने पर भी पूरा पेमेंट किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा),

श्री यदुनाथ सिंह (नदबाई):

(252) जमवारामगढ़ कस्बे (जयपुर) की रोड व नालियों पर पुलियों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

(253) विभाग द्वारा कुण्ठा, नटाटा कूकस, साइवाड़, निम्बी रायसर रोड़ की सड़क के दोनों ओर पटरियों के अभाव से सड़क कट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(254) राष्ट्रीय उच्च मार्ग की सड़कों की दुर्दशा पर राज्य सरकार द्वारा बरती जाने वाली उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(255) अंतर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की वर्ष 82-83 में बनाई जाने के लिये प्रस्तावित सड़कों के निर्माण कार्य की गति के अभाव पर चर्चा के लिये।

(256) जयपुर जिले व शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण में की जाने वाली देरी से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(257) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत आने वाली सड़कों के निर्माण में देरी पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

श्री यदुनाथसिंह (नदबई):

(258) जमवारामगढ़ रोड के मार्ग में बनाई गई मुंगली नदी की रपट की अव्यावहारिकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

(259) उदयपुर-रतनपुर रोड पर वर्ष 70 से 72 में बिना स्वीकृति के बनाई गई दीवारें तथा अन्य कार्यो में लाखों रुपये का घोटाला किया गया, इस पर चर्चा के लिये।

(260) उदयपुर-रतनपुर रोड पर वर्ष 70 से 72 तक डामर के ड्रम एवं गिट्टी का उपयोग न किया जाकर वर्षा में नष्ट हो जाना बताकर लाखों रुपयों का नुकसान किया, इस पर चर्चा के लिये।

(261) उदयपुर-रतनपुर रोड पर वर्ष 1970 से 72 के मध्य 20 लाख के काम के 20 हजार टुकड़े बनाकर 102 कार्यों की स्वीकृति देने पर चर्चा के लिये।

(262) उदयपुर-रतनपुर रोड पर वर्ष 70-71 व 71-72 में रॉक कटिंग के पेमेंट में हुई भारी अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) :

(263) जोधपुरिया देवनारायण जी के मंदिर से वनस्थली वाया सुनारा तक रोड निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

(264) फतेनगर से गोगुंदा वाया घोड़ा घाटी सड़क का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा करने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

(265) तहसील, जमवारामगढ़ जयपुर की साइपुरा से साइवाड़ सड़क के बीच में बन्धे की सहायक दीवार बांध कर पिचिंग करके उस पर सड़क के बजाय रपट बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा (निवाई) :

(266) राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर में कनिष्ठ सहायक के पद पर जुलाई, 1982 में हुए साक्षात्कार के संदर्भ में की गई नियुक्तियों में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर दी जाने वाली अंशदान व सहायक की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक):

(267) टौंक को तहसील हेडक्वाटर मालपुरा एवं टोडारायसिंह की दूरी कम करने की दृष्टि से बनास नदी पर पुल एवं रपटा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(268) टौंक से देवली, भांची होते हुए शिवाड़ को सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(269) बनास नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(270) टौंक जिले में आने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण कार्य से भारी यातायात में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(271) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टौंक के ठेकेदारों को गलत संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(272) टौंक सार्वजनिक निर्माण विभाग में खरीद में भारी घोटाले के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(273) सवाई माधोपुर से टौंक सड़क चौड़ी करने के तुरंत पश्चात् जगह-जगह खड्डे पड़ जाने से उत्पन्न स्थिति एवं जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(274) टौंक-सवाई माधोपुर सड़क चौड़ी करने का कार्य में डामर कम लगाये जाने की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(275) टौंक जिला मुख्यालय से सवाई माधोपुर सड़क पर पैच लगाने के कार्य मे ढिलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(276) उनियारा—नैनवा रोड के नाले पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कार्य नहीं होने के कारण जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(277) सीडी वर्क उनियारा इन्द्रगढ़ रोड पर व टेण्डर की शर्तों के अनुसार कार्य नहीं होने के कारण चर्चा के लिये ।

(278) पचेवर नगर रोड में घटिया स्तर का माल लगाये जाने एवं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं करने की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(279) बी/टी हम्मीरपुर से झिराना रोड के मैटीरियल के जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(280) मिसिंग लिंक रोड आन बौंली। निवाई रोड के मैटीरियल के जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(281) ए/आर धूनी से घाड़ रोड के मैटीरियल की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(282) कंसट्रक्शन ऑफ ककोड़ नगर रोड घटिया स्तर का मैटीरियल लगने एवं टेण्डर के अनुसार पूरा मैटीरियल नहीं लगाने की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये !

(283) बी/टी मालपुरा से लाम्बा हरिसिंह रोड को स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं बनाने की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(284) टौंक जिले में सड़कों एवं पुलों का विशिष्ट सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(285) राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित पक्का बन्धा (टौंक) की बाढ़ से क्षतिग्रस्त मुख्य सड़क का आज तक कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिसि पर चर्चा के लिये ।

(286) निवाई से कृषि उपज मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र, झिलाय बौंली की तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिया निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(287) प्रदेश में पुलों के निर्माण में शिथिलता के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(288) राजस्थान पुल निर्माण निगम अपनी क्षमता और उद्देश्यों में विफल रहा, अतः उसे दिये जाने वाले अनुदान व सहायता पर चर्चा के लिये।

(289) सड़कों की मरम्मत व रख-रखाव में होने वाले व्यय का दुरुपयोग एवं असफलता पर चर्चा के लिये।

(290) अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की सड़कें एवं पुलों के निर्माण में असफलता पर चर्चा के लिये।

(291) सड़कों एवं पुलों के निर्माण में दोषपूर्ण योजना बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(292) राष्ट्रीय राज मार्ग नं० 12 पर टौंक का बाइपास का काम शुरू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):

(293) अलवर जिले में विशेषतः जिले की बानसूर से नारायणपुर, बानसूर से हरसोरा व बानसूर-कोटपूतली सड़कों की मरम्मत में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

(294) अलवर जिले में साबी नदी पर पुल के निर्माण में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मंहगलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

(295) उदयपुर के पास राष्ट्रीय मार्ग नं० 8 पर ऊंडा नाले के पुल को चौड़ा एवं ऊंचा उठाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

(296) पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर से नाहरी के नाके तक सड़क निर्माण में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, "स्वस्ति पंथा" इस भावना के साथ मैं मांग संख्या-21 के ऊपर अपने विचार प्रकट करूंगा। अभी सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री महोदय ने मांग संख्या-21 के अन्तर्गत 56 करोड़ 36 लाख 16 हजार रुपये स्वीकृत करने की सदन से मांग की है। राजस्थान में सड़कों का काफी जाल है, काफी निर्माण हुआ है लेकिन मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सन् 80 से आज तक एक फुट नयी तारकोल सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इतनी बड़ी राशि सदन से स्वीकृत कराने के लिये मांग की गई है।

(2.03 म.प.)

[श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन]

तो, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राशि तो हम यह आपको मन्जूर कर देंगे लेकिन मेरा सादर विनम्र निवेदन है कि राशि का जो वितरण है उसमें समन्वय होना चाहिये। ऐसा नहीं हो कि यह सारी राशि जयपुर में ही खर्च कर दी जाय और दूसरे जो क्षेत्र हैं जहां बहुत आवश्यकता है उनको वंचित कर दिया जाय।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

सभापति महोदया, रतनगढ़ बस स्टैण्ड से चूरू पूर्व दिशा की ओर है लेकिन चूरू जाने वाले यात्रियों को बस पश्चिम दिशा की ओर ले जाती है। उसमें बैठने वाले यात्री यह महसूस करते हैं कि वह विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। पश्चिम की ओर ले जाकर फिर उत्तर की ओर ले जाती है और आगे जाकर रेलवे क्रासिंग होने के कारण बस रुक जाती है। आधे घण्टे का वहां अनावश्यक ही समय लगता है। आठ किलोमीटर का अनावश्यक चक्कर लगाने के कारण यात्रियों को आर्थिक रूप से नुकसान होता है तथा समय की भी उसमें बरबादी होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रतनगढ़ बस स्टैण्ड से पूर्व की ओर होते हुए जो चूरू-रतनगढ़ सड़क है उसमें अप्रोच रोड बनाई जाये। इसके लिए मैंने मन्त्री महोदय को निवेदन भी किया था। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने तत्काल उस पर एक्शन लेने के लिये आदेश भी दिये लेकिन साथ-साथ में खेद भी है साढ़े दस महीने का समय होने को आया वहां से अनुमानित व्यय की जो सूचना, जानकारी चाही थी वह अभी तक नहीं आई। इस अभाव में लोगों को अनावश्यक समय और अर्थ दोनों का नुकसान हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जिस तरह से वह स्वयं सतर्क और सजग हैं अपने विभाग को भी उसी तरह से सजग और सतर्क रखेंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि रतनगढ़ से दिल्ली जाने वाली जो रेलवे लाइन है, जो पश्चिम से पूर्व कि ओर जाती है उसके दक्षिण और उत्तर में रतनगढ़ की आबादी है। उस आबादी के लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ है। लूंछ जाने वाले मार्ग पर रेलवे पुल का होना बहुत जरूरी है। मैंने रेलवे से पत्र व्यवहार किया। वहां से यह उत्तर प्राप्त हुआ कि लगभग 96 हजार रुपये पुल के निर्माण में खर्च होंगे। जिसमें से पचास प्रतिशत धन-राशि रेलवे बोर्ड देने को तैयार है अगर 50% शेष राशि राजस्थान राज्य को देनी मन्जूर हो तो एक बहुत आवश्यक और उपयोगी पुल का निर्माण हो सकता है यह जनहित का काम है, मैं समझता हूं इस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। जगह-जगह किसान अपने खेत से सामान ले करके शहर आने की चेष्टा करते हैं तो रेलवे विभाग के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं वह खाई खोद देते हैं जिससे लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध होता है। ऐसी स्थिति में जनहित की दृष्टि से पुलिया का होना बहुत जरूरी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह चौधरी।

श्री नारायण सिंह चौधरी (दांतारामगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मैं मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र में कुछ सड़कों की जो दिक्कत है और कुछ समस्यायें हैं उनकी ओर आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो स्थान ऐसे हैं एक खाटू श्यामजी और दूसरा जीण माता जहां इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि सारे देश के बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में साल में दो बार तब आते हैं जब उन दोनों स्थानों, जो धार्मिक स्थान हैं, पर मेला लगता है। उन मेलों में बाहर से बहुत

(श्री नारायणसिंह चौधरी)

संख्या में लोग आते हैं फिर भी आज तक यह दोनों स्थान सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे स्थानों को सड़कों से न जोड़े जाने के कारण से इन स्थानों पर सारे प्रदेश के जो लोग आते हैं और उनको दिक्कत होती हैं उससे प्रदेश की और प्रदेश की सरकार की प्रतिष्ठा तो कम होती ही है इसके अलावा लोगों को जो परेशानी होती है वह भी बहुत ज्यादा है। उनकी परेशानी को निश्चित रूप से दूर कराया जाना चाहिये। यह ऐसे स्थान हैं जिनकी जनसंख्या भी काफी है, जो धार्मिक स्थान हैं उनकी कोई सड़क से बहुत दूरी हो, यह बात भी नहीं है। इस ओर मंत्री महोदय खास तौर से ध्यान देकर, मेरा विश्वास है, कि अगले बजट में इन महत्वपूर्ण स्थानों का जो सड़क निर्माण कार्य है उसको पूरा करवायेंगे।

इसके अलावा अकाल के अन्दर सड़कों के काम करवाए जाते हैं। इस प्रदेश के अन्दर अधिकतर 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अकाल पड़ता रहता है। अकाल के कारण से लोगों को रोजगार देने के लिए खास तौर से रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर दूसरे काम हाथ में न ले सड़कों के काम लिए जाते हैं। उसमें लाखों करोड़ों रुपये खर्च होते हैं किन्तु लाखों करोड़ों का खर्च होने के बाद भी उन सड़कों का उपयोग नहीं होता। उन पर मिट्टी डाल दी जाती है। गर्मियों के मौसम में जब हवा चलती है तो वह मिट्टी उड़ जाती है और पैसा जो अकाल के अंदर लगता है वह बेकार चला जाता है।

सभापति महोदया, यदि सरकार द्वारा कोई योजनाबद्ध तरीके से, जैसे कि पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने के संबंध में, 1500 की आबादी तक के गांवों को सड़क से जोड़ने में के संबंध जो योजना है उसके अनुसार ही यदि अकाल राहत कार्य चालू किए जायं, उनमें भी प्राथमिकता उन्हीं गांवों को दी जाये जो निकट भविष्य में योजना के अन्तर्गत आने वाले हैं, और उन गांवों की सड़कों को डामर से बनाया जाए तो मैं सोचता हूं सरकार का और प्रदेश का जो बहुत धन इन कामों के अंदर, इन सड़कों के अंदर लगता है, उसका निश्चित रूप से उपयोग हो सकेगा।

राजस्थान में सड़क निर्माण के लिये जो इस अगले बजट में पैसे रखे गए हैं, मैं सोचता हूं वह बहुत कम हैं। इस प्रदेश के विकास के लिए सड़क निर्माण करना और एक गांव को दूसरे गांव से और खास तौर से मंडी और बड़े गांवों को सड़कों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। जब तक इनको सड़कों से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उस सारे क्षेत्र का, उस गांव का विकास नहीं हो सकता। मेरा इतना ही निवेदन है कि जो महत्वपूर्ण गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाय। मैं तो यहां तक कहता हूं, मंत्री महोदय, आप 1500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात करते हैं, मेरे क्षेत्र में आज भी ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 5 हजार से अधिक है, 3 हजार की आबादी के गांव हैं उनको ही सड़कों से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर 1500 की आबादी वाले गांवों को आप छठी पंचवर्षीय योजना में लेकर 10 साल के अंदर जोड़ने की जो बात करते हैं, मैं समझता हूं, वह खाली कागजों में ही रह जाएगी। जिस प्रकार से आपने बजट में प्रोविजन रखा है, जो पैसा रखा है उस हिसाब से 1500 की आबादी वाले गांवों को 10 साल तो क्या 50 साल में भी नहीं जोड़ सकेंगे। हमारी आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से 1500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने

(श्री नारायणसिंह चौधरी)

के लिए जो आपने घोषणायें की हैं, पंचायत मुख्यालय से जोड़ने की आपने योजना बनाई है उसके अनुसार सरकार को चाहे पी० डब्ल्यू० डी० के बजट से, चाहे मंडियों से, चाहे दूसरे सोर्सेज से सड़कों से जोड़ना चाहिये। राजस्थान के विकास के लिए सड़कों का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान का अधिक विकास हो सके और लोगों को सुविधायें मिल सकें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री समर्थलाल।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : सभापति महोदया, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो आज मांग चल रही है इस पर माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं इन सभी कटौती प्रस्तावों को मैंने पढ़ने की कोशिश की है। सभापति महोदया, उन कटौती प्रस्तावों के अंदर दो तीन बातों का आभास होता है, पहला यह है कि अधूरी सड़कें बहुत पड़ी हुई हैं, दूसरा यह है कि राजस्थान में पिछले दो तीन वर्षों से नई सड़कों का निर्माण बिल्कुल कम हुआ है बल्कि कुछ जिलों में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, और तीसरा यह है कि राजस्थान के अंदर पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत भयंकर भ्रष्टाचार है। इन तीन बातों का इन कटौती प्रस्तावों से आभास मिलता है।

सभापति महोदया, सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० के अंदर जो भी कार्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एस०ई०, और नीचे के कर्मचारी और ठेकेदार जो उन कार्यों को करते है, के बीच में भ्रष्टाचार होता है। उनमें भ्रष्टाचार का बटवारा सर्वविदित है। इतना पर्सेंटेज एस० ई० साहब का, इतना पर्सेन्टेज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का, इतना पर्सेन्टेज ए०ई-एन० और जे० ई-एन०साहब का और उसके बाद जो ठेकेदार काम करता है उसका इतना होगा। इसके अलावा आजकल यह भी सुनने में आ रहा है कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों का और माननीय मंत्री जी का भी उसमें पर्सेंटेज है।

सभापति महोदया, राजस्थान के अंदर सन् 1951, जब से यह विभाग चल रहा है तब से इस विभाग के अन्तर्गत आज तक कितनी सड़कें बनी हैं, उसका ब्यौरा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिया है....

श्री नरेंद्रसिंह भाटी (कारागार, राज्य मंत्री): माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय पर आरोप लगाया है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, इसको निरस्त किया जाए।

श्री सभापति : मंत्री महोदय जवाब देते समय कह दें। आर्डर प्लीज।

श्री नरेंद्रसिंह भाटी : मैं मंत्री महोदय का करैक्टर जानता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया बैठे बैठे बात न करें।

श्री समर्थलाल : मैंने जो आरोप लगाये है, कटौती प्रस्ताव जो पढ़ने को मिले, जो सदन के सभी माननीय सदस्यों ने दिए हैं, उनके आधार पर जो मैं अर्थ लगा सकता हूं वह मैं निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदया, सार्वजनिक निर्माण विभाग सन् 1951 से कार्यरत है। 1951 के अंदर इस विभाग को विरासत में राजस्थान

(श्री समर्थलाल)

के ग्रंदर 17339 कि.मी. सड़क मिली थी। उसके वाद में 1982 के ग्रंदर कुल इन सड़कों की जो लम्बाई है वह 44641 किलोमीटर हुई है। मैं समझता हूं, इन 32 वर्षों के अन्दर इस विभाग के ग्रंदर अरबों रुपये की राशि खर्च करने के वाद भी जो कुछ उपलब्धि किलोमीटर के ग्रंदर हुई इससे यह आभास होता है कि इस विभाग के निमित्त जो धन रखा गया वह सड़कों के ग्रंदर कम काम आया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो अधिकारी ग्रौर कर्मचारी हैं उनकी जेवों के ग्रंदर, उनके घरों में अधिक पैसा गया। ये जो कुछ आंकड़े हैं वे इस वात को दर्शाते हैं कि अरवों रुपये की राशि इन 32 वर्षों के ग्रंदर खर्च होने के वाद हमने कुल 27352 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया है। इससे यह आधार वनता है कि जितना पैसा इसमें हर वर्ष राज्य सरकार ने रखा राज्य सरकार का पैसा सड़कों पर सही रूप से काम नहीं आ रहा है। उसके अन्दर मैं यह कहूं कि जितना पैसा 1950 से लेकर अव तक इन सड़कों में लगा है उसका 50 प्रतिशत पैसा जो है वह भ्रष्टाचार में गया है। यह भ्रष्टाचार विभाग के अन्तर्गत रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि विभाग के अधिकारी अकेले इतने सक्षम नहीं हो सकते कि भ्रष्टाचार का पैसा, जो इतनी वड़ी धनराशि है, को अकेले खा जायं, बिना सरकार की इजाजत के, बिना मंत्री जी की देखरेख के। इसलिए मैं, सभापति महोदया, कहना चाहता हूं कि राजस्थान की गरीव जनता का पैसा आता है उस पैसे का इस विभाग में सही प्रकार से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ।

दूसरा यह मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि राजस्थान में इस समय 27 जिले हैं, इन जिलों के अन्दर भेदभावपूर्ण तरीकों से सड़कों का काम करवाया गया है। कुछ जिलों के ग्रन्दर ग्रधिक सड़कों का काम हुग्रा ग्रौर कुछ जिलों, जहां सड़कों की आवश्यकता थी, के अन्दर कम से कम काम हुआ। मैं समझता हूं कि निर्माणके कार्यों के अन्दर राजनैतिक तरीके से भेदभाव वरतने वाली यह सरकार कांग्रेस की सरकार है। मैं समझता हूं, जिलों के ग्रंदर जितने चुनाव क्षेत्र हैं उनके अन्दर भेदभाव वरता गया है। एक जिले ग्रौर दूसरे जिले के अन्दर भेदभाव वरता गया है। जहां से विरोधी सदस्य चुन कर आते हैं उन क्षेत्रों के साथ भेदभाव वरता गया है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि यह सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। मैं अलवर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं, पिछले दो वर्ष से वहां नई सड़क का काम नहीं हो पाया। मैं दूसरी वात कहना चाहता हूं कि ग्रलवर जिले में राजगढ़ तहसील के अन्दर पिछले दो साल में एक भी नई सड़क का काम या नया काम शुरू नहीं हुआ। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अलवर जिले के अन्दर जो अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं वह जिस स्थिति में छोड़ी थीं उसी स्थिति में आज भी पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, सारा जो भी पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये रखा जाता है वह जाता कहां है? वह पैसा कुछ जिलों के अन्दर जाकर खर्च होता है लेकिन वह पूरा खर्च नहीं होता है। मैंने जैसा कि निवेदन किया है जितना पैसा इस विभाग के ग्रन्तर्गत रखा गया है उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। वह पैसा सरकारी अधिकारियों की जेवों में गया है। मैं यह मांग करूंगा मंत्री महोदय से, यदि इस वात का निराकरण करना चाहते हैं तो राजस्थान के ग्रन्दर जितने भी आफिसर हैं एक्स.ई.एन. या चीफ इंजीनियर के लेवल तक

(श्री समर्थलाल)

के जितने ग्राफिसर हैं उनके पास कितनी सम्पत्ति है, उनके पास जयपुर ग्रौर बड़े-बड़े शहरों में कितनी कोठियां हैं? सभापति महोदया, कुछ एक्स.ई-एन. वगैरह की जो कोठियां हैं वह कोठियां 10-15 लाख की उन्होंने बना रखी हैं। आखिर वह पैसा उनके पास आया कहां से ? इस महंगाई के अन्दर जो कुछ भी वेतन मिलता है, जो कुछ खर्चा है वह हम सब जानते हैं। उसके बाद उनके पास इतना धन कहां से आया ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की लीनियेंसी यदि इन सरकारी अधिकारियों के प्रति सरकार बरतती रही ग्रौर इस सरकार के खजाने के अन्दर जो राजस्थान की गरीब जनता का पैसा है, अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो मैं कहता हूं कि इसके लिये सरकार दोषी होगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें, मैंने अभी निवेदन किया, अधूरी पड़ी हुई हैं दो-दो, तीन-तीन साल से। सड़क पांच किलोमीटर बनी उसमें मान लीजिए, पांच लाख रुपये खर्च हो गये, किन्तु जब तक वह पांच-सात किलोमीटर नहीं बनेगी, अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसका उपयोग नहीं हो सकता। मैं राजगढ़ तहसील का एक उदाहरण देना चाहता हूं। उसमें एक सड़क बनी जो 10 किलोमीटर तक पहाड़ के अन्दर गई है। वह पहाड़ी एरिया है उसमें 15 लाख रुपये खर्च हो गये। 10 किलोमीटर सड़क चली गई ग्रौर जाकर ऐसे स्थान पर रुक गई कि वहां से एक फर्लांग जब तक वह ग्रौर नहीं बनेगी तब तक 10-20 गांवों को नहीं जोड़ सकेगी। उसके अन्दर 10-20 गांव आते हैं। उस एक किलोमीटर सड़क को न बनाने की जिम्मेदारी किस की है? ढाई साल से 10 किलोमीटर सड़क बनी हुई है, मैं कहना चाहता हूं कि आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी क्या करते हैं, इस एक आधा किलोमीटर सड़क नहीं बनने से उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इस तरह की अगर बातें हो रही हैं। मंत्री महोदय, जो धांधली इस विभाग में हो रही है, मैं समझता हूं, इस ग्रोर आपको ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा, सभापति महोदया, अलवर नेशनल स्कीम के अन्दर आया हुआ है किन्तु आज तक वहां बाई-पास नहीं है। वहां आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। अलवर के बाई-पास की योजना आपके पास विचाराधीन है या नहीं, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अलवर का बाई-पास होना चाहिए। उसके बनने के साथ-साथ अलवर रेलवे स्टेशन के पास जो ग्रोवर ब्रिज है वह भी बनना चाहिए। वहां पर जो रेलें आती हैं उनके कारण सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ वाहन खड़े हो जाते हैं, घण्टों तक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए वहां पर मुख्य ब्रिज का बनना जरूरी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो अधूरी सड़कें बनी हुई हैं वह कब तक पूरी होंगी ? अलवर जिले के अन्दर, ग्रौर मैं मानता हूं, दूसरे जिलों के अन्दर भी नई सड़कें इन दो वर्षों के अन्दर सैंक्शन नहीं हुईं, इसका क्या कारण है ?

इसके अलावा जो सड़कों के बीच पुलिया है जो वर्षा काल की पड़ी हुई है उससे लोगों को परेशानी होती है, आवागमन ठप्प हो जाता है। उसको ठीक किया जाये। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि अधूरे कार्यों को पूरा करवायें।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि यह बजट जो पी. डब्ल्यू. डी. का

(श्री समर्थलाल)

बनता है, आप जानते हैं, जो बजट हमारा बनता है, उस बजट में से करीब 50 प्रतिशत पैसा शहरों के लिये खर्च किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत गांवों के अन्दर खर्च होता है। शहरों में 10 और गांवों के अन्दर 90 प्रतिशत जनसंख्या है। गांवों के प्रति जो भेद-भाव की भावना है यह मिटानी चाहिए। गांवों के अन्दर जैसा तालिका में दर्शाया गया है, 1000 की आबादी वाले गांव और उसके बाद 1500 की आबादी वाले गांव सड़कों से जोड़े जायेंगे। मैं समझता हूं कि आप इस प्रकार की घोषणायें बन्द करें और काम करना शुरू करें। सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो भ्रष्टाचार है, मैं चाहता हूं, इसको दूर करें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने, सभापति महोदया, मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : अब भैरूंसिंह गुर्जर, फिर राजबहादुरजी बोलेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, हिसाब से नम्बर लिखा हुआ है, आपका भी नम्बर आयेगा।

श्री अमराराम चौधरी : इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। सीरियल नम्बर है उस हिसाब से नम्बर आये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने जो बजट रखा है आज की मांगों के लिए उसके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं और कुछ निवेदन भी करूंगा। सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले बजट की भांति इस बजट में इसका कहीं भी प्रावधान नहीं रखा है कि कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय इस बार सड़कों से जोड़े जायेंगे जब कि पिछले बजट में और उससे पहले भी हमारी सरकार बराबर इस बात की दुहाई देती रही है और जोर शोर से प्रचार भी कराती रही है। हमने भी जाकर अपने क्षेत्र में प्रचार कर दिया किन्तु इस बार हमने बजट में यह पाया कि एक भी ग्राम पंचायत मुख्यालय को किसी प्रकार सड़क से नहीं जोड़ा जायेगा। जो अपने आप सड़क के बीच में आ गये वह अलग बात है। परसों मंत्री महोदय जी ने एक प्रश्न के जवाब में यह बात जरूर कही थी कि इस वर्ष 1500 से अधिक आबादी वाले राजस्थान में 58 गांव सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप 58 गांव की बनिस्बत ग्राम पंचायत मुख्यालय को पहले लें क्योंकि मुख्यालय से आम जनता का ज्यादा काम पड़ता है। बहुत कम ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे पड़े हैं जो सड़कों से, कच्ची सड़कों से जोड़े जाने बाकी हैं। आपके पास इस बजट के अलावा राहत कार्य का बजट और है जिसके तहत आप उनको सड़कों से जोड़ सकते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इस प्रकार गांवों की उपेक्षा की जा रही है। मंत्री महोदय, आप जब चुनाव प्रचार में गये थे तो आपको अधिकांश वोट शायद गांव से मिले थे, शहरों और कस्बों से नहीं मिले थे। आपने गांव की जनता से वायदा भी किया था कि मैं सड़कें बनवा दूंगा और अन्य विकास के काम करा दूंगा। आपकी तरह हमने भी वायदे किये थे, हमने भी कहा था। इसलिए मेरा निवेदन है कि 80 प्रतिशत गांव में लोग रहते हैं, शहरों में जनता नगण्य रहती है,

(श्री भैरूंसिह गुर्जर)

उसके वोट से आप और हम जीतते हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, आप इस वर्ष 500 किलोमीटर सड़क बनाने जा रहे हैं, वह सारी की सारी सड़क गांवों में बनाई जाय और विशेषकर उसमें से अधिक हिस्सा पश्चिमी राजस्थान को दें। अकाल तो वैसे सारे राजस्थान में पड़ता है, लेकिन उसके कारण जो भयंकर महामारी फैलती है उसका असर ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में ही होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदया, आप आज घोषणा करें कि 500 किलोमीटर में से कितनी सड़कें पश्चिमी राजस्थान में दे रहे हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि 500 की 500 किलोमीटर पश्चिमी राजस्थान को दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। रेलेवेंट बोलिये।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : सारी सड़कें पश्चिमी राजस्थान को दे दें तो हम कहेंगे कि ऐसे मंत्री जी दोबारा कभी नहीं आयेंगे। यदि खारची को सारी सड़कें दे दें तो भगवान इनको हमेशा पी.डब्ल्यू.डी. में रखे, चाहे इनका बस वहां चले या नहीं यह मंत्री बने रहें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सोच कर बोलें। गम्भीरता से आप बोलें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : सभापति महोदया, मैं तो गम्भीरता ला रहा हूं, लेकिन यह जो इधर के माननीय सदस्य बैठे हैं यह गम्भीरता को खतम कर देते हैं। फिर कुछ उम्र का तकाजा भी होता है।

आज जो राष्ट्रीय मार्गों की दुर्दशा हो रही है उसकी ओर हमारी सरकार का ध्यान कुछ अन्य गतिविधियों में ध्यान लगा रहने के कारण नहीं जा पाया। मैं राष्ट्रीय मार्ग से आता हूं, राष्ट्रीय मार्ग से मेरा काम पड़ता है, मैं पाली या जोधपुर जाता रहता हूं, आप भी सभापति महोदया, कई दफा वहां गई हैं, आपने भी कहा है कि तुम्हारे यहां की सड़कें बहुत खराब हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि तीन-चार साल से खराब सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है, सड़क को चौड़ा करने की स्कीम बन रही है किन्तु सब काम अधूरा पड़ा है। कहीं पर रोड रोलर खराब होकर झाड़ियों में अटका हुआ पड़ा है, कहीं पर कांक्रीट वगैरह पड़ी हुई है, गड्डे खुद चुके हैं उनको भरा नहीं गया है। यह सब काम पूरा नहीं हो पाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों का काम जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाये ताकि आये दिन जो वहां दुर्घटनायें होती हैं, जो जानमाल की हानि होती है वह नहीं हो। सड़कों के साथ-साथ इस मार्ग पर कोई पुल भी तैयार करना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया सीट पर बैठे-बैठे बातें न करें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर सभापति महोदया, जो सड़कों की चौड़ाई का काम है वह भी पूरा किया जाय। मैं पाली जिले की ओर से आता हूं, वह जिला हमेशा सड़कों के अभाव में अभावग्रस्त रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है जब मैं निर्वाचित हुआ था तो प्रथम एक वर्ष में सड़क का काम हुआ था और राजस्थान में सर्वाधिक रोलर भी वहां चले थे···

एक माननीय सदस्य : हमारी सरकार ने चलाये थे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आपकी सरकार के समय नहीं चुना गया था।

लेकिन उसके बाद पाली जिला पता नहीं मंत्रीजी की नजर में अखर गया या और किसी मंत्री जी की नजर में अखर गया कि उसको नेगलेक्ट किया गया। पिछले दो सालों में जो काम हो रहे हैं वह बिलकुल नगण्य हैं उस एक वर्ष के मुकाबले में। जो काम दिखाई दे रहे हैं वह उसी एक वर्ष के दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि इस अकाल-ग्रस्त रहने वाले जिले के लोग पलायन कर रहे हैं और गुजरात या दूसरे राज्यों में रोजी-रोटी के लिए जा रहे हैं। इसलिए वहां काम शुरू करके उनको रोजी रोटी दें। एक सड़क जो जाडन से लेकर जोजावत तक है, सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि जाडन से मारवाड़ जंक्शन तक उस सड़क का काम अवशेष रह गया है, यह कहा जा सकता है कि वहां कभी सड़कें थीं। काम शुरू किया गया है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि काम पूरा कब होगा, होगा भी या नहीं। सभापति महोदया, मैं निवेदन करूं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के हरएक अधिकारी की बुराई नहीं करता हूं, कई अधिकारी बड़े ईमानदार होते हैं। लेकिन एक-दो अधिकारी हमारे मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की उदारता का नाजायज फायदा उठाते हैं, अपने आपको उनका रिश्तेदार बताते हैं। हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि जब हमारे मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली 14 जुलाई 1981 को उस समय ××× ××× नाम के अधिकारी की एक फाइल ए. सी. डी. में पेंडिंग थी। सर्किल अधिकारी, जो बने थे, ने एक एडवर्स रिमार्क लिख दिया था। हमारी सरकार के, कौनसे तत्व या कौनसे अधिकारी, जो पहला स्थानान्तरण किया था वह पुलिस विभाग के डी.आई.जी. पी.सी. मिश्रा का किया था। वह इसलिए किया था ए.सी.डी. के अन्दर कि उस फाइल का एडवर्स रिमार्क मिटा दिया जाय। इसके अलावा क्या कारण था कि रिमार्क मिटा दिया जाय, यह तो सर्वविदित है। किसी अधिकारी को खुले आम इस तरह बचाया जाय, यह राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मिश्रा जी से जब उस फाइल पर हस्ताक्षर ले लिये गये उसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया और पदोन्नति दी गई। इस प्रकार के काम अगर किसी अधिकारी को बचाने के लिए किये जायेंगे तो आप मुझे बतायें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का क्या हाल होगा, जो महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं उनका क्या हाल होगा। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसी×××

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। यहां तक आवाज आ रही है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आज भी दावे के साथ कहूंगा, मंत्री जी, आप चाहें इस बात की जानकारी कर लें। आपको जानकारी है, नहीं, यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूं.....

श्री जयकृष्ण शर्मा : कभी भी कोई माननीय सदस्य बोलते हैं, और अधिकारी का नाम लेते हैं तो...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने नाम लिया नहीं है, उनका नाम××× नहीं, छैल बिहारी है।

××× नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अगर किसी का नाम लेते हैं तो पद का नाम लें, व्यक्ति का नाम नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विधान सभा की कार्यवाही में हमेशा नाम बोला गया है, उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नियम नहीं है ऐसा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप इसको पढ़िये तो सही। आपको नियमों का ज्ञान नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : भाषण में जरा संयम रखें...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जिसका नाम ले लिया उसके बारे में कहूंगा। मैं आपसे निवेदन करूं, मंत्री जी, मैं आपको चैलेन्ज से कहता हूं कि आपको जानकारी नहीं है इस बात की। आपके चीफ इन्जीनियर्स से भी ज्यादा चार्ज उनके पास हैं...

श्री मेघराज तावड़ : आप तो मिनी चीफ मिनिस्टर कह दें।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदया, जो एडिशनल चीफ इन्जीनियर हैं उनसे भी ज्यादा चार्ज उनके पास है। मैं दावे से कहता हूं कि आपके विभाग का फेमिन और पी०डब्ल्यू०डी० सहित बजट है उसमें से 70-80 करोड़ का तो वह अकेले ही काम देखते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? मुझे इस बात को बता दीजिए आप। ज्यादा योग्यता तो यह थी कि ए०सी०डी० में उनकी फाइल थी जो फाइल दफ्तर दाखिल कर दी गई। कौनसा ऐसा कारण था? मंत्री महोदय, अगर मैं यह भी कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप क्यों दब कर चलते हैं? आप क्यों नहीं कठोरता का रुख अपनाते? सभापति महोदया, आज खुले आम राजस्थान की जनता कह रही है कि पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर श्री चेतराम जी मीणा नहीं हैं श्री छैल बिहारी माथुर हैं। उसका क्या कारण है? एकमात्र कारण इतना है कि बजट उनके हाथ में है। क्यों हमारे मुख्य मंत्री जी को, उदार मुख्य मंत्री जी को और भले मुख्य मंत्री जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। जहां जहां मुख्य मंत्री जी वहां वहां पीछे पीछे उनकी गाड़ी। सभापति महोदय, अगर हमारे पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर उनकी गाड़ी की लॉग बुक चैक करायें तो उस लॉग बुक से स्पष्ट होगा कि जहां जहां मुख्य मंत्री जी ने दौरा किया है पीछे पीछे वह मुख्य मंत्री जी को बदनाम करने पहुंच जाते हैं...

एक माननीय सदस्य : चीफ इन्जीनियर तो जाते हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एडिशनल चीफ इन्जीनियर की कह रहा हूं मैं।

तो, सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार एक अधिकारी हमारी सरकार के योग्य मुख्य मंत्री को बदनाम करें, यह हम बरदाश्त नहीं करेंगे। खुले आम राजस्थान की जनता कहती है कि पी० डब्ल्यू०डी० पर श्री चेतराम मीणा का कब्जा नहीं है श्री छैल बिहारी जी माथुर का कब्जा है। यह तो हमें भी पता चल गया, सभापति महोदया, जब हम इनसे कई बार काम कराने गये, हमने इनसे काम कराने चाहे जनहित के पर वह काम इसलिए नहीं हो पाये कि उस अधिकारी के निर्देश थे इनको। आखिर सभापति महोदया, इस प्रकार से

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

सरकार में विभाग के मंत्री जी चल रहे हैं, यह तो कोई बात है नहीं। आज राजस्थान में अकाल है। उन अधिकारी महोदय ने कितना दौरा किया पश्चिमी राजस्थान का, मैं पूछना चाहता हूं? एक बार मैंने उनकी शकल जरूर देखी थी जबकि राष्ट्रपति महोदय वहां पहुंचे थे। तब भी वह झाड़ू लगवाने आये थे सड़क बनवाने नहीं। केवल रास्ते साफ किये गये थे, कोई नया काम वहां नहीं किया गया था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर उस अधिकारी की कोठी को चैक कराया जाये, खुड़वा कर देखा जाये तो 8 लाख रुपये के लगभग का मार्बल उसके अन्दर लगा हुआ है। और भी नहीं हमारे मुख्य मंत्री जी को बदनाम करने के लिए वह कहां पहुंचे; जहां मुख्य मंत्री जी ने मकान बनाया वहां भी उन्होंने प्लाट ले लिया।

सभापति महोदया, आखिर इन आरोपों के पीछे कुछ न कुछ तो सत्यता है, कुछ न कुछ सच्चाई है। आखिर, मंत्री जी, आपकी चुप्पी इस प्रकार से कब तक चलेगी? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप निकालिये और जो योग्य और ईमानदार अधिकारी बैठे हैं उन्हें आप प्रोत्साहन दीजिए। पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर योग्य और ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है ...

श्री सभापति: समय का ध्यान रखें।

श्री रामसिंह विश्नोई: समय का ध्यान रखें। समय अभी अनुकूल नहीं है।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: ... इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को पदोन्नति देकर उन्हें राजस्थान का पी०डब्ल्यू०डी० सौंप दें, राजस्थान का करोड़ों रुपया सौंप दें तो, राजस्थान की जनता तो राजस्थान से पलायन करेगी ही मजदूरी करने को क्योंकि उनका जो पैसा है, वह बराबर लग नहीं पाता, पैसे का सही उपयोग हो नहीं पाता। अनुचित तरीकों से इस प्रकार से चयन किया गया है, सभापति महोदया।

सभापति महोदया, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल, जिसको हम अगर हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर पर आंकें, इन्डियन मैडिकल साइन्स इन्सटीट्यूट के बाद तो वह सवाई मानसिंह अस्पताल है। मैं जब वहां गया तो वहां जो मरीज भर्ती थे, वह मरीज आये और उन्होंने यह बताया कि नाक, कान और गले विभाग की जो नयी बिल्डिंग बनी है पहली बरसात में ही, सभापति महोदया, पानी ऊपर से नीचे छत के अन्दर से होकर रिस्ता है। यह पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा बनाई हुई छत थी ...

श्री रामसिंह विश्नोई: यह टैस्ट हो रहा था।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: ... आखिर कौनसे अधिकारी ने वह छत बनवाई, इसकी जांच करवाई मंत्री जी ने कभी? मंत्री जी को यदि कोई शिकायत लिख कर देते हैं तो संबंधित अधिकारी के पास टिप्पणी लिख कर भेजते हैं कि इस पर कमेन्ट्स दीजिए। वाह मंत्री जी का ज्ञान! मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदया, उसकी अगर जांच कराई जाय तो कितनी सीमेन्ट लगी, कितना काम हुआ यह सब तथ्य सामने आ जायेंगे। सवाई मानसिंह अस्पताल में

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

रंग रोगन किया गया, घटिया टाइप की वार्निश में रंग मिलाकर उसको पोत दिया गया और इनेमल पेन्ट का ठेकेदार को भुगतान किया गया। इसका आखिर क्या कारण है, सभापति महोदया ? सभापति महोदया, मैं अधिक तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मंत्री जी से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आप अपनी सक्षमता बताने के लिए...

श्री अमर चन्द (गंगरार) : विधायकों के क्वार्टरों में भी इस प्रकार की लीपापोती की गयी है। उनकी भी जांच करवा लें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मैं तो आपके माध्यम से अगर मुख्य मंत्री जी कहीं हैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे चेतराम जी साहब के कब्जे में अगर यह विभाग नहीं आ रहा है तो कब्जे में आने वाला दूसरा विभाग इन्हें दे दें और किसी भी मजबूत आदमी को इस विभाग का चार्ज दे दें।...

श्री मेघराज तावड़ : कमजोर कैसे कहा है ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अन्त में, सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे सौभाग्य से आपने अवसर दे दिया। नहीं तो मुझे आजकल विधान सभा में बहुत कम अवसर दिया जाता है। इसलिए आपको अंत तक धन्यवाद देता रहूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री राजबहादुरजी।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदया, मैं तो बस कुछ विशेष मुद्दे रखना चाहता हूं मंत्री महोदय के सामने। पहली बात तो यह है कि अकाल राहत के नाम पर बहुत-सी सड़कें बनती है उनकी लाइफ कितनी होती है ? क्या कोई आपके यहां रिसर्च सैक्शन है जिसके जरिये से यह पता लग सके कि क्या एवरेज लाइफ सड़क की होनी चाहिए ? डेजर्ट में रोड बनाने के लिए क्या कोई नयी टैक्निक आपके यहां इस्तेमाल की जाती है ? रोड रिसर्च इन्सटीट्यूट दिल्ली में है उसने विशेष रूप से परीक्षण किया है और सुझाव दिये हैं रेगिस्तान में, सेन्डी प्लेसेस में किस तरह से सड़कें बनानी चाहिए, नये तरीके क्या हों, कैसे टिकाऊ हो सकती हैं और कैसे वहां वेजिटेशन रह सकता है ? एक बात।

दूसरी बात यह है कि जो फूड फोर वर्क्स प्रोग्राम में पिछले वर्ष में सड़कें बनाई क्या कभी उनको फिर लिया जायेगा या वह यों ही पड़ी रहेंगी। दो तीन बरसातें निकल चुकी हैं....

श्री चेतराम मीणा : किस प्रोग्राम में ?

श्री राजबहादुर : फूड फोर वर्क प्रोग्राम था उसमें लिंक रोड्स बनी थीं विलेजेज की उसके बारे में कह रहा हूं।

क्या ट्राइबल पापुलेशन केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही है या और भी कहीं है ? आपके ही इलाके में बावरियों का गांव है जिसको आजाद नगर बोलते हैं क्या उसको लिंक रोड देंगे आप ? मैं जानना चाहता हूं कि जो पिछले डेमेजेज हुए फ्लड में उन डेमेजेज को आप कब तक पूरा कर देंगे बनाकर? मैं खासतौर से आगरा-जयपुर रोड के बारे में कहता हूं कि आगरा-जयपुर रोड के ऊपर जो डेमेजेज हुए थे, मैं

(श्री राजबहादुर)

तो जब कभी भी गया तो लगता है वह कभी काम खतम होने को आयेगा ही नहीं। वह काम बराबर चलता रहता है। अभी पता नहीं उसकी क्या अवस्था है, क्या नहीं है लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ है। महुवा और दौसा के बीच में जिस टुकड़े को रेज किया जा रहा था वर्षों में जाकर शायद वह हुआ है और वह भी शायद अधूरा पड़ा है। फिर उसी के ऊपर दो जगह लेवल क्रासिंग हैं जो बहुत ही बिजी लेवल क्रासिंग है। एक तो दौसा के पास और एक सेवर के पास। क्या कभी कोई आपके यहां से लिखा पढ़ी हुई कि इस पर ओवर ब्रिज बनवाओ। लेवल क्रासिंग पर जो ट्रैफिक रुक जाता है वह 15-15 मिनट या 20-20 मिनट और कभी तो और भी ज्यादा रुक जाता है। उसको किसी तरह से चैक करिये, या फिर वहां के स्टेशन मास्टर को ताकीद करवाइये कि वह ट्रैफिक को ज्यादा नहीं रोके। फिर मैं कहूंगा कि जो कान्ट्रैक्टर के बीच में और इन्जीनियर्स के बीच में घपले होते हैं उनके कारण से जो नयी सड़कें बनती हैं और जिन सड़कों की मरम्मत करते हैं उनकी लाइफ क्या रह जाती है? क्या आपने कभी कोई नार्म्स तय कर रखे हैं कि यह सड़क बनी है, इसकी मरम्मत हुई है, यह कम से कम छः महीने चलेगी, साल भर चलेगी, दो साल चलेगी? क्या कभी उनकी जांच होती है तोड़-कर, उनके क्रस्ट को देखकर कि कितना मैटी-रियल लगा है कितना नहीं? क्या कोई डिपार्ट-मेन्ट आपका ऐसा है जो इन कम्पलेन्ट्स को देखता है? यह ऐसी बातें हैं जिनमें पब्लिक मनी इन्वाल्व्ड है। पब्लिक इन्ट्रेस्ट इन-वाल्व्ड है। मैं आपको फिर दोहरा देना चाहता हूं कि रेगिस्तान की सड़कें और खास तौर से अकाल राहत की जो सड़कें बनी हैं वह सब की सब निकम्मी और निराधार हैं। वह खाली नाममात्र को रह गयी हों तो रह गयी हों···

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : पश्चिमी राज-स्थान में सड़क की लाइफ केवल साल भर ही होती है···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : लाइफ स्पान एक साल का है तो एक साल में फिर अकाल आ जाता है और फिर बन जाती है। लेकिन मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अपने डिपार्टमेन्ट से पूछ लीजिए। सैन्ट्रल रोड रिसर्च इन्सटीट्यूट जो है उससे कभी आपका मशविरा हुआ कि यह हमारी समस्या रेगिस्तान की सड़कों की है? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया? आपका जो रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट है क्या वह यह बताता है कि नार्मल स्पान आफ लाइफ यह होगा नयी सड़कों का और नार्मल स्पान ऑफ लाइफ यह होगा पुरानी मरम्मतशुदा सड़कों का? इसको एक्जामिन करने का कोई सिस्टम है? यह जो घपले होते हैं, सड़कें जल्दी टूटती हैं, थर्ड रेट मैटीरियल लगाया जाता है, थर्ड रेट वर्कमैनशिप होती है। थर्ड रेट मैटीरि-यल और थर्ड रेट वर्कमैनशिप लगा करके जो मुनाफा होता है उसमें बटवारा होता है, यह खुले आम चर्चा है, यह कहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि उसके आधार पर पर्सेन्टेज बन्धे हुए हैं, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के दफ्तर का यह पर्सेन्टेज है, असिस्टेंट इन्जीनियर का यह पर्सेन्टेज है, चीफ इन्जीनियर का इतना पर्सेन्टेज है। यह महकमा बदनाम इसीलिए है। वह पर्सेन्टेज कब जायेगा? नहीं जायेगा क्योंकि आप ठेकेदार के जरिये काम कराते हैं। मैं तो कहता हूं बेरोजगारी चल रही है ····

(120)

श्री मेघराज तावड़ : उस वक्त आयेगा जब हमारे कम्युनिस्टों का राज आयेगा।

श्री राजबहादुर : अगर यह जाये तो कम्युनिस्ट राज का भी स्वागत करूंगा। मगर यह जायेगा, मुझे पता नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा आप खुद जांच करें••

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया बैठे बैठे न बोलें। आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, जो घपले होते हैं वह इसलिये होते हैं कि आपके कोई नार्म्स फिक्स्ड नहीं हैं कि यह सड़क नहीं बनी है, चीफ इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर रेस्पांसिबल है, इतने साल तो चलनी ही चाहिये, एज पर वाल्यूम आफ ट्रेफिक इतने साल या इतने महीने चलनी ही चाहिये। अगर नहीं चलती है तो दोनों के दोनों की रेस्पांसिबिलिटी रिकार्ड करिये, कान्ट्रेक्टर ने ऐसा काम कर दिया है तो उसको हटाइये वहां से। मेरी मान्यता दूसरी है, अगर जिम्मेदारी आप संभालते हैं तो अनएम्पलायमेंट से इसको कनेक्ट कीजिये। कान्ट्रेक्टर सिस्टम को तोड़ कर, उसके भ्रष्टाचार को खतम करके आप यंगमैन की कोआपरेटिव्स बनाइये और यंगमैन कोआपरेटिव्स से कहें, यह मैटीरियल लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो आपकी सड़क ठीक बनेगी। उनको नार्म्स दीजिये। उनको ट्रेण्ड करने, उन पर निगरानी रखने के काम को इन्जीनियर्स देख सकते हैं तो भ्रष्टाचार खतम हो सकता है। Unless you connect and corelate the problem of unemployment, the problem of reconstruction, construction and development, you cannot solve either of the two problems.

यह क्लियर बात है, आपको इस दिशा में सोचना पड़ेगा। लेकिन सोच कर आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से जवाब भी नहीं आयेगा। इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे लेकिन फिर भी•••••

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): सभापति महोदया, माननीय बाबूजी से प्रार्थना करूंगा कि जब तक जवाब आये उस समय तक बैठे रहें। आप बैठे रहें।

श्री राजबहादुर : मैं बैठूंगा नहीं, पढ़ लूंगा आपको।••••••

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, श्रम): यह भी एक विडम्बना की बात है, यहां बैठे रहा करते थे, आपके दादा जी खड़े रहा करते थे। आज आप इनके सामने बोल तो रहे हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : काश! मैं भी आप की तरह जवान होता, मैं इतना ही कह सकता हूं। बार बार आप बुजुर्ग कहते हैं। आपने बुजुर्ग कह कर··

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : माननीय सभापति महोदया, बात यह है, हर चीज यहां की आनी जानी देखी, दुनिया सराय पानी देखी, जो आके न जाये वह बुढ़ापा देखा, जो जाके न आये वह जवानी देखी।

श्री सभापति : माननीय श्री रामधन चौधरी।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 19 और 21 पर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, मेरी लाडनू तहसील की बात करूं तो ऐसा लगता है कि पी.डब्ल्यू.डी. बन्द कर दिया जाये तो कोई हर्ज नहीं है। पिछले 20 सालों में एक किलोमीटर सड़क वहां नहीं बनी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठे बैठे न बोलें।

श्री रामधन चौधरी : विधान सभा में आने के बाद में घोषणायें पढ़ीं, इनकी किताबें देखीं जिनमें कहीं जनसंख्या को आधार माना गया है, कहीं पंचायत हैडक्वार्टर को आधार माना गया है, कहीं तहसील हैडक्वार्टर को आधार माना गया है। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, मैंने पिछले 3-4 सैशन्स में हर बार यह मांग की कि लाडनू तहसील हैडक्वार्टर को जिला हैडक्वार्टर नागौर से नहीं जोड़ा जाना जनता के साथ अन्याय है। किन्तु धनाभाव की बात करते हैं विभाग वाले या मंत्री जी। हमारे पास पैसा नहीं है तो, माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाडनू ही एक ऐसी तहसील है जिसको जिला हैडक्वार्टर से जोड़े जाने के लिये पैसा सुलभ नहीं हो रहा है। यह कितने दुःख की बात है। कोई जवाब नहीं है। नागौर दिल्ली का एक रास्ता है जिससे लाडनू से वाया डीडवाना जाना पड़ता है जो 40 किलोमीटर पड़ता है और डीडवाना से नागौर 100 किलोमीटर पड़ता है। दिल्ली से सीधा नागौर सिर्फ 72 किलोमीटर पड़ता है। यह पथ परिवहन के लिये भी और दिल्ली के नागौर के रास्ते के लिये बिल्कुल एक सीधा रास्ता है। इतना ही नहीं उस पर हर साल अकाल राहत के टाइम में 10-12 लाख रुपया खर्च होता है। 72 किलोमीटर पर कितना खर्च होता है, पिछले पांच साल का अगर हिसाब लगायें तो उसी में यह सड़क पक्की बन सकती थी और राज्य सरकार का कितना ही पैसा बच सकता था लेकिन समझ में आने वाली बात है, विभाग नाराज है या जानबूझकर टालना चाहते हैं, मंत्री महोदय जिन के पास यह विभाग रहा है। मैंने निवेदन किया, जो भी अधिकारीगण यहां बिराजे हैं मैं समझता हूं इनसे पहले जो अधिकारी थे पिछले साल मैंने उनसे सम्पर्क किया लेकिन समझ में नहीं आता कि किस वजह से इस लाडनू तहसील की जनता के साथ यह न्याय नहीं करना चाहते हैं या इसको नजरअन्दाज करना चाहते हैं? यह बड़े दुःख की बात है। मैं उम्मीद तो यही रखता हूं कि अब की बार मंत्री महोदय प्लान में लेंगे और इसको पूरा करवायेंगे। माननीय मंत्री महोदय, अभी आपने असेम्बली क्वेश्चन का भी उत्तर दिया है कि इस सड़क को हम नागौर से डेह तक लेंगे, इसको पक्की बना रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर से डेह तक की सड़क का एक बार पहले भी टेन्डर हुआ था। इस प्रकार का जवाब मुझे मिला था लेकिन दो तीन महीने बाद वह टेन्डर केन्सल हो गया। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, सभापति महोदया, यह बात समझ में नहीं आती है, पुलिस में केस होता तो कहते पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। दूसरी जगह टेण्डर होता है तो उसमें रिश्वत बहुत है, इसमें तो खुल्ला कमीशन है। जहां कमीशन नहीं मिला, वहां टेण्डर केन्सल हो जाता है। अगर कमीशन की वजह नहीं है तो जो टेण्डर होता है और पैसा मन्जूर हो जाता है तो वह लैप्स क्यों होता है, टेण्डर वापस केन्सल क्यों होता है? ठेकेदार को टेण्डर दिया जाता है। ठेकेदार को पड़ता

(श्री रामधन चौधरी)

नहीं खाता है तो अधिकारियों से मिल कर वह कैन्सल करवा लेता है। मैं एक उदाहरण दूं। नीमीजोधा मे मालगांव 5-7 किलोमीटर की सड़क थी जिसकी ग्रेवल निकली हुई पड़ी। ठेकेदार ने ठेका ले लिया लेकिन ग्रेवल जहां निकली हुई थी वहीं पड़ी है। उसका आधा पेमेंट भी हो गया। क्या तमाशा सा बना रखा है इस विभाग ने, समझ में नहीं आता। मैं यह तो नहीं कह सकता कि सारे के सारे अधिकारी ऐसे हैं। सारे के सारे अधिकारी अपने दफ्तरों में रहते हैं, जे.ई.एन. साइट पर देखता नहीं और रिपोर्ट में रिकमंड कर देता है कि यह सड़क बन गई है और भुगतान हो जाता है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दूर का कोई उदाहरण दूं तो किसी को जचेगा नहीं. विधायक नगर में बहुत से माननीय सदस्य विराजते हैं, विधायक नगर से नुक्कड़ तक की सड़क की दो बार मरम्मत हुई, उसकी नालियां बनी हुई थीं, दो बार मरम्मत हो गई है जिसमें सीमेंट की जगह मिट्टी लगी हुई है। लेकिन यह तो अधिकारियों के सोचने की बात है। जब यहां पर ऐसी चीजें कर सकते हैं तो जो दूर दराज गांवों में सड़कें बन रही हैं, कितनी ही जगह, हमारे यहां कम से कम हजारों मन की गिट्टी तुड़वाई हुई पड़ी है उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। नीमीजोधा से वर्धवा गिट्टी कटाई आज से तीन साल पहले हुई लेकिन आज तक वह वापस उखड़ कर खतम हो गई। कहीं पर घास उग गई है, ढेरियां की ढेरियां हुई पड़ी हैं उनका कोई उपयोग नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, इस तरह से इस डिपार्टमेंट में पैसे का वैस्टेज क्यों करते हैं? एक तो बजट में, मैंने कहा था, पी.डब्ल्यू.डी. के नाम का पैसा नहीं रखा है। कौनसा सोर्स है जिससे पैसा लगायेंगे। दूसरी बात जब हम घोषणा करते हैं, नीतियां बनाते हैं कि पंचायत समिति हैडक्वार्टर से तहसील को जोड़ेंगे, तहसील हैडक्वार्टर को जिले से जोड़ेंगे तो आखिर कौनसा नक्शा है जिसके आधार पर हमारा विभाग काम करना चाहता है? सभापति महोदय, मंत्री महोदय यह कहेंगे कि मेरे पास यह विभाग अब आया है, अधिकारी यह कहेंगे मेरा प्रमोशन अभी हुआ है। इसलिये मैं नये सिरे से निवेदन करना चाहता हूं कि नीमीजोधा से नागौर सड़क कोई 72 या 74 किलोमीटर है। आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि आप कम से कम इस तहसील को जिला हैडक्वार्टर से जोड़ने की कोशिश करें ताकि 147 किलोमीटर का रास्ता न चल करके सिर्फ 74 किलोमीटर चल कर हम लोग जा सकें जिला हैडक्वार्टर पर। दूसरी तरफ नीमीजोधा से रताऊ सड़क है. पांच हजार की आबादी का गांव है उसको नजरअन्दाज कर रहा है। किसी एक गांव को तो आप लाडनू से जोड़ दीजिये ताकि हम यह तो नहीं कह सकें कि 30 साल में एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी है। किसी भी क्राइटेरिया से, किसी भी हिसाब से जोड़ दीजिये। सिलवाड़ पांच हजार की आबादी का गांव है. पंचायत समिति का मुख्यालय भी है वहां सहकारी समिति भी है, सब कुछ है लेकिन वह सीकर से कच्ची सड़क से भी नहीं जुड़ा हुआ है। कम से कम आंकड़ों के आधार पर, वहां के अधिकारियों से, विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगा कर तो देखिये कि कहां कितना क्या हुआ है। सभापति महोदय, सीकर से बीकानेर बहुत से माननीय सदस्य भी आते जाते होंगे, उनका काम पड़ता होगा, इतनी छोटी सड़क है, चारों तरफ इतनी सी जगह नहीं है कि बस और ट्रक आमने सामने आ जाय तो वह निकल सकें। जो एक तरह का नेशनल

(श्री रामधन चौधरी)

हाई-वे बना हुआ है उसकी यह हालत है। मेरा मतलब है. सीकर से आगे अच्छी तरह बस पास नहीं हो सकती है। तो, मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि सीकर से बीकानेर वाया सुजानगढ़ जो बीकानेर जाने का रास्ता है उसकी तरफ भी विशेष ध्यान देंगे।

एक माननीय सदस्य : वह नेशनल हाई-वे नहीं है।

श्री रामधन चौधरी : नेशनल हाई-वे नहीं है तो क्या है? आगरा-बीकानेर लिखा हुआ है उस रोड पर। नेशनल हाई-वे क्या होता है मुझे नहीं मालूम।

(व्यवधान)

जयपुर-बीकानेर मान लीजिये। सरकार की गाड़ियां चलती हैं, वहां एक्सीडेन्ट की बहुत सम्भावना रहती है। उस सड़क को और चौड़ी बना दें तो अच्छा रहेगा। आप पक्की न बनायें तो थोड़ी इधर-उधर गिट्टी डाल कर चौड़ी कर दें।

सभापति महोदया, अकाल राहत कार्यों के तहत जो सड़कें बनती हैं उन पर पैसा फिज़ूल में खर्च हो जाता है। उसमें जहां ग्रेवल डालते है, सिर्फ वह स्पाट पर रह जाती है। कुछ ग्रेवल सड़क की साइड पर डाल देते हैं इससे जो रास्ता पहले था वह भी खराब हो जाता है। ठेकेदार को क्या मतलब है उसको तो पेमेन्ट लेना है। इसलिये जो कच्चे रास्ते होते हैं वे भी खराब हो जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, नींमीजोधा से मालगांव सड़क का आप किसी भी अधिकारी को भेज कर निरीक्षण करवा लें, आपको खुद-ब-खुद पता लगेगा, कितनी ग्रेवल पड़ी है और कितनी बिछाई होगी। पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत अकाल राहत का काम करवाते हैं तो इस तरह पैसे का दुरुपयोग होता है, उससे हमको फायदा क्या हो रहा है। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं जो पैसा हमें मिले उसका सदुपयोग हो। उसको अच्छी तरह उपयोग में लावें तो कोई वजह नहीं है कि किसी के यहां तो काम हो, किसी के यहां नहीं हो। थोड़ा ही सही इस साल नहीं तो अगले साल काम हो लेकिन पैसे का सदुपयोग हो। जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोकें। जहां पांच पांच साल से गिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं वहां चाहें आप 10 किलोमीटर सड़क नहीं बनायें, पांच ही किलोमीटर बनायें लेकिन पक्की बनायें तो दूसरी बार आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। आइन्दा सालों में आपको बचत हो जायेगी।

सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिला वैसे भी पिछड़ा हुआ है इसलिए आप इन सड़कों की तरफ विशेष ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री चाव खां।

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से पहला सवाल तो यह करूंगा, गुलपाड़ा से जुरहेड़ा जो सड़क है वह सन् 1970 में मंजूर हुई थी और 70 से आज तक वैसे ही पड़ी हुई है। गुलपाड़ा से अबरुका तक तो इसको बना दिया गया है, उसमें भी करीब दो किलोमीटर कच्ची है बाकी अबरुका से लेकर जुरहेड़ा तक अभी तक उस पर कोई काम नहीं चलाया गया। 1970 में जो सड़क मंजूर की गई, जिस सड़क के लिये किसान की जमीनें खोदकर खराब की गई, सरकार का पैसा उस पर खर्च हुआ, उसका न जनता को फायदा मिल रहा है और न सरकार को फायदा

(श्री चाद खां)

मिल रहा है। इसलिये मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि नये काम न करें तो सन् 1970 से जो काम अधूरा है उसको कम से कम पूरा करवा दें।

जुरहेड़ा जो है वह हरियाणा के साथ लगा हुआ है और एक अच्छा कस्बा है। अगर हमको हमारे क्षेत्र में पहाड़ी से या कहीं से भी उस ओर जाना पड़ता है तो या तो फिरोजपुर होते हुए हम जायेंगे या फिर कामां से जाना पड़ता है। इससे जनता का आने जाने में समय भी ज्यादा खर्च होता है और वैसे भी तकलीफ होती है। मंत्री महोदय, यह 1970 का मामला है, आप जानकारी करा लेना। यह काम 1970 में मंजूर हुआ है। आधा काम हो चुका है और आधा काम अधूरा है उसको पूरा करवा दें।

तीसरा, हमारा कस्बा पहाड़ी है उसमें कृषि उपज मण्डी समिति है। कृषि उपज मंडी समिति से करीब 6 मील की दूरी पर मानौता गांव है जो हरियाणा का क्षेत्र है। अगर इस 6 मील के टुकड़े को पहाड़ी से जोड़ दिया जाय तो कृषि उपज मण्डी समिति की हर साल की एक लाख की आमदनी बढ़ सकती है। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी भी 5-6 पंचायतों का माल है वह वहां पहुंच सकता है। इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पहाड़ी में मानौता जो सड़क बनी हुई है हरियाणा की, हमारी सड़क नहीं है, केवल 5-6 मील का टुकड़ा है उसको जुड़वा दिया जाय तो कृषि उपज मण्डी समिति को भी इससे फायदा होगा एवं जनता को भी बहुत फायदा होगा।

इसके अलावा पहाड़ी से हरियाणा दो किलोमीटर का टुकड़ा है, करीब 15 साल से मैं देख रहा हूं, न उसकी मरम्मत होती है न उसको पक्का बनाया गया है। उस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है। लोग कहते हैं कि कितनी ही बार यह सड़क बन चुकी और कितनी ही बार इसका पेमेन्ट उठ चुका है जब कि उस पर काम हुआ नहीं। वह सड़क मेरे गांव के करीब है। मुझे 15 साल आते जाते हो गये उस पर आज तक एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। उस पर कोई ऐसा काम होना बताया है तो वह फर्जी और गलत है। आप उसकी जांच करा सकते हैं। अब उस पर काम जरूर हो रहा है। मैंने सुना है, उसकी कुछ मरम्मत होगी, उसको सही किया जायेगा। लेकिन चार किलो गिट्टी और दो डिब्बे डामर डाल कर उन गड्ढों को भर देवें, तो उससे क्या फायदा होगा? इससे जो सड़क है वह और खराब हो जायेगी, पी. डब्ल्यू. डी. का जो पैसा खर्च हो रहा है उससे कोई फायदा नहीं होगा।

भरतपुर से तिजारा करीब 105 किलोमीटर है और हरियाणा से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, वह सड़क ऐसी है, हम उधर जाते हैं तो रास्ते में गाड़ियां खराब हो जाती हैं, एक्सीडेन्ट हो जाते हैं। ऐसी सड़क है, आप देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा। दो सौ किलोमीटर की बहुत लम्बी सड़क है जो बाहर के लोग आते हैं वे ताज्जुब करते हैं इसलिये उसको ठीक करायें।

चौथी बात जो है वह कामां की है। मंत्री महोदय को बता दूं कि वहां बड़ी दूर-दूर से लोग आते है। उस सड़क से होकर 84 कोस परिक्रमा देने जाते हैं, उसमें औरतें और मर्द लोट लोट कर परिक्रमा देते हैं। उस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात के दिनों में लोग पानी में चलते हैं। सड़कें वहां पर नहीं है और एक-एक, दो-दो किलोमीटर की दूरी पर तीर्थ-स्थान है, वहां लोगों को जाना पड़ता है। इस-

(श्री चाव खां)

लिये उस टुकड़े को बनवा दिया जाय। इसमें हमारे देश की भी इज्जत है, हमारे कस्बे की भी इज्जत है और आपकी भी इज्जत है। वहां के लोग यह कहते हैं, मैंने खुद यह बात सुनी है कि यहां का जो भी नुमाईन्दा होता है वह मुसलमान होता है इसलिए हमारे जितने तीर्थ स्थान हैं उनकी ओर वह इसलिए तवज्जोह नहीं देते हैं कि उन्हें हमारे तीर्थ स्थानों से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब से आया हूं बार बार मैंने यह कहा है कि मेरे क्षेत्र कामां, जो बृज भूमि है जहां पर कन्हैया जी पैदा हुए हैं, में लाखों की तादाद में लोग, जैसे हज के लिए हम लोग मक्का मदीना जाते हैं और यहां पर अजमेर में जाते हैं इसी तरह हमारे हिन्दु भाई, बहिन-बेटियां यहां पर आती हैं। इसलिए वह जितने छोटे-छोटे देवस्थान हैं, उन तक जाने के लिए आप पैसा खर्च करके यह टुकड़ा बनवा दो। और कोई काम करना चाहो तो कर दो। दो एक अधूरे काम हैं उनको पूरा करवा दो। यह जो 2-3 किलोमीटर की सड़क है उसको पूरा करवा दो। बस, इतनी ही मेरी दरख्वास्त है।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल आर्य।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा): सभापति महोदया, मेरा भी इसमें नाम था; रतना राम। सभापति महोदया, मेरा इस लिस्ट में नाम है।

श्री सभापति : जी हां, आपका नाम है। माननीय सदस्य, आपका लिस्ट में नाम है।

श्री मांगीलाल आर्य (जालोर): सभापति महोदया, आज यहां लोक निर्माण विभाग की मांग पर चर्चा चल रही है। मैं भी इस विभाग से सम्बन्धित कुछ कामों, जो मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अजी, डिपार्टमेन्ट थोड़े दिनों में आपको मिल रहा है।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): खाना पीना बन्द हो जायेगा इनका।

श्री मांगीलाल आर्य : धन्यवाद।

सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय का ध्यान रोड के साथ जो साइडें हैं उनकी तरफ दिलाना चाहूंगा। रोड के साथ वाली साइडों में गड्ढे और खड्डे पड़े हुए हैं। आये दिन जो दुर्घटनायें होती हैं उनका मुख्य कारण यह साइडें हैं। मैं देख रहा हूं कई दिनों, महीनों, सालों से-इन साइडों की कोई मरम्मत नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पटरियों में जो बड़े-बड़े खड्डे पड़ जाते हैं उन खड्डों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए उन की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाय। यह पटरियां जो हैं उनकी मरम्मत टाइम पर बरसात के बाद अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। सभापति महोदय, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी उस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। अकाल के समय अकाल राहत कार्यों में जो सड़कें बनती हैं उन सड़कों का अकाल राहत कार्य समाप्ति के बाद कोई धणी धोरी नहीं रहता है और उन सड़कों पर लगा हुआ सरकार का लाखों रुपया व्यर्थ जाता है। बरसात के अन्दर उन रास्तों पर इतने खड्डे हो जाते हैं कि रास्ते उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। उन रास्तों पर आवागमन की असुविधा हो जाती है, वाहन चल ही नहीं पाते। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस

(श्री मांगीलाल आर्य)

बारे में अगर सरकार से, मन्त्रिमण्डल से विचार किया जाना आवश्यक हो तो आप विशेष तौर से ध्यान दें। अकाल राहत कार्य में जो सड़कें अधूरी रह जाती हैं उन सड़कों को पूरा करवाने के लिए विभाग अपने हाथ मे लें।

सभापति महोदया, इसके साथ ही मैं मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ काम, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित काम हैं, की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र जालोर मे सायला वाया उमेदाबाद का रास्ता है उसके बीच से केशवना से उमेदाबाद घूम कर के जायें तो करीब 35 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। केशवना से उमेदाबाद केवल 7 किलोमीटर का रास्ता है। अकाल के अन्दर ग्रेवल सड़क बना दी गई है। अगर इसे मैटल रोड बना दिया जाय तो यह जनहित में और बहुत ही सुविधाजनक होगा। हालांकि यह सड़क का यह छोटा-सा टुकड़ा है मगर जनहित में काफी उपयोगी है। इसलिए केशवना से उमेदाबाद रोड को प्राथमिकता दी जाय, यह 7-8 किलोमीटर का ही टुकड़ा है। सभापति महोदया, इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, बीवलसर से नून वाया देलदरी करीब 10-12 किलोमीटर का टुकड़ा है, यह भी फेमिन में कुछ तो बना है परन्तु उसके बाद से अधूरा रह गया। अगर इसको लिया जाय तो बहुत उपयोगी होगा। यह जनहित का और सुविधाजनक कार्य है। इसी प्रकार सुमेरगढ़ से शिवना केवल 8 किलोमीटर का टुकड़ा है। सियाना से सिरोही जाने की जो रोड है यह उसका शोर्ट कट रास्ता है, नजदीक का रास्ता है। यह 8 किलोमीटर रोड बन जाय, तो जनहित में उपयोगी होगा। वैसे ग्रेवल रोड बनी हुई है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल आर्य : और मैटल रोड, मेरे खयाल से, स्वीकृत भी है। गत साल भी यह स्वीकृत थी किन्तु अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह बहुत उपयोगी कार्य है, इसको शुरू करवाया जाय। रेवतड़ा से सायला वाया उमेदाबाद जाने के बजाय रेवतड़ा से सायला वाया विराणा जाने का जो रास्ता है वह केवल 7-8 किलोमीटर का रास्ता है। इतना शार्ट कट रास्ता है कि चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जनता को कम से कम 25-30 किलोमीटर की दूरी से नजदीक रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके रेवतड़ा से सायला, ग्रेवल रोड तो फेमिन में बनी हुई है, मैटल रोड बनायी जाय। मैटल भी अवेलेवल है, ऐसा मेरी जानकारी में है। सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही विशेष तौर से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जालोर से सायला तथा जालोर से बिशनगढ़ जाने वाला जो रास्ता है उसके बीच जवाई नदी पड़ती है। जवाई नदी जिला मुख्यालय के उत्तरी हिस्से पर है, जिसमें बड़े बड़े कस्बे हैं, बिशनगढ़ है, बावलाड़ा, मांडवला है, सायला है। यह सारे कस्बे जवाई नदी पर रपट नहीं होने के कारण बरसात के टाइम में जिला मुख्यालय की सारी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। पिछले साल से उस पर रपट का काम शुरू तो हुआ है मगर अधूरा पड़ा है और जिस गति से चल रहा है उसको देखते हुए पता नहीं इस साल भी पूरा होगा या नहीं होगा। मंत्री महोदय विशेष ध्यान दें, यह बहुत ही उपयोगी कार्य है, इस पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं, अगर यह कार्य अधूरा रह गया और बरसात आ गयी तो सारा पैसा व्यर्थ जायेगा। अब तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब

(श्री मांगीलाल ग्रार्य)

की बार बहुत अच्छी बरसात हो। अगर इस प्रकार अच्छी वर्षा हुई तो लाखों रुपये, जो इस पर लगे हैं, बेकार चले जायेंगे। इसके साथ जो नदी पर काम हुआ है, मैं उसकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। नदी पर से सड़क कुछ ऊपर ली है। चूंकि नदी है इसलिये वहां केवल बालू रेत है। अगर उसकी पिचिंग नहीं हुई तो यह जो आपने लाखों रुपये खर्च करके रोड बनायी है वह एक ही झटके में चली जायेगी ग्रौर इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। इसलिए बजरी की जो सड़क बनी हुई है उसका पिचिंग बहुत ही जरूर है।

सभापति महोदया, इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा, रेवतड़ा ग्रौर सायला, दोनों बड़े कस्बे हैं। जैसा मैंने बताया, विराण ग्रौर सायला के बीच में एक नदी है। यह जो नदी आती है, उस पर यदि पुल नहीं बना सको तो रपट बना दो। उसपर रपट नहीं बनी तो यह जो रोड बनायी है अनुपयोगी रहेगी। जालोर से सायला वाया रेवतड़ा बहुत शॉर्ट कट रोड है ग्रौर रेवतड़ा तक पक्की डामर रोड भी बन गयी है। अगर सायला व विराणा के बीच नदी पर रपट बन जाय तो यह बहुत ही उपयोगी होगी ग्रौर इस रोड का महत्व भी बढ़ेगा। नदी पर रपट नहीं बनी तो इस रोड का कोई महत्व नहीं है। बरसात के दिनों में आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध रहेगा। इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, जालोर-भीनमाल रोड पर आकोली एक बहुत बड़ा कस्बा है। आकोली ग्रौर रोड के बीच में केवल एक नदी है। नदी के कारण बरसात के दिनों में आकोली गांव का आवागमन बिल्कुल बन्द हो जाता है, लोग गांव से बाहर नहीं निकल पाते। वह नदी गांव ग्रौर रोड के बीच में आयी हुई है इसलिए बारिश के दिनों में आकोली गांव की जनता सारी सुविधाग्रों से वंचित रह जाती है। यहां तक कि स्कूल जाने वाले जो छात्र हैं वह भी स्कूल नहीं जा पाते। इस नदी पर रपट बनाना बहुत जरूरी है। मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं कि यह जो अत्यन्त आवश्यक काम हैं इनको प्राथमिकता दें। इसी प्रकार सिवाणा से सिरोही यह एक बहुत उपयोगी सड़क है। सिवाणा ग्रौर रायपुरिया के बीच में एक छोटा-सा बाला है उस बाले की वजह से सारा आवागमन बरसात में अवरुद्ध रहता है। उस पर अगर रपट बन जाती है तो सिवाणा से सिरोही जो रोड जा रही है वह बहुत ही शॉर्ट कट रास्ता हो जायेगा। पक्की रोड है केवल एक यही बाला है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, मैं तो बहुत ही कम बोलता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी जो डिमाण्ड्स हैं, जो सड़कें आप बनवाना चाहते हैं वह मंत्री महोदय को बता दें।

(व्यवधान)

श्री मांगीलाल ग्रार्य : अगर उस बाले पर रपट बन जाय तो बहुत उपयोगी होगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामकिशोर मीणा।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : इधर से बारी नहीं आवेगी क्या ?

श्री सभापति : आप अपने दल के आपसे जो पीछे बैठते हैं श्री चाव खां, उन से बात कर लीजिए।

(128)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदया, पी.डब्ल्यू. डिपार्टमेन्ट के बारे में आज यह आम धारणा है कि···

श्री जगन सिंह (बगाना) : मेरा भी, ले लें, साहब,।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा: पुलिस को छोड़ने के बाद में यदि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कोई महकमा है तो वह सार्वजनिक निर्माण विभाग है। अभी तक यह भ्रष्टाचार का केन्द्र अधिकारियों तक सीमित था और मंत्रियों तक सिर्फ इतना सीमित था कि अगले चुनाव तक कुछ बजट अपने इलेक्शन के लिए उसमें से ले लें। लेकिन आज, सभापति महोदया, इसकी कोई सीमा नहीं रही। सन् 1952 से लेकर आज तक के···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, सीट के कोने से बात नहीं करें। उनके पास बैठ कर अगर बात करनी है तो आप धीरे धीरे बात करें।

श्री रामकिशोर मीणा : सन् 1977 से लेकर 1980 तक का पीरियड, ऐसा पीरियड था जिसमें न केवल फिजिकल टार्गेट्स को पूरा किया गया वरन् जो निर्धारित बजट था, सारे फिजिकल टार्गेट्स प्राप्त करने के बाद उसमें से सरप्लस बजट रहा और हम उस पैसे को अन्यत्र सड़कें बनाने के लिए कार्य में ले सकें। उसका कारण यह था कि उस समय के दौरान भ्रष्टाचार बहुत निम्न पैमाने पर था। कोई था भी तो बहुत कम कैसेज भ्रष्टाचार के हुए। आज इस विभाग के अन्दर बगैर भ्रष्टाचार के कोई बड़ा अफसर सही जगह पर मिलना बड़ा कठिन है।

श्री महाराम चौधरी : भ्रष्टाचार गया कहां, अफसर तो वही हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : जैसा सवार होता है उसके हिसाब से घोड़ा अपने आप दोड़ने लगता है···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें। चेयर को एड्रेस करें।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदया, मेरा कट मोशन भ्रष्टाचार के बावत में है। इसके बावत में कुछ उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं। भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी पर मोलोनी का पुल बनने जा रहा है उसका फरवरी 1982 के अन्दर टेण्डर हुआ। 81 लाख के टेण्डर होने के कारण चार पार्टियों ने टेण्डर दिये। सबसे लोएस्ट टेण्डर वाली पार्टी भरतपुर की थी। जब टेण्डर खोला गया उस समय उस टेण्डर के अन्दर कोई शर्त नहीं थी और जितने भी कागजात टेण्डर के थे उस में कोई शर्त नहीं डाली गयी थी। चूंकि उसमें मंत्री महोदय तथा अधिकारियों की साठ-गांठ सफल नहीं हो सकी इस कारण, सभापति महोदया, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस टेण्डर में बाद में शर्त डलवाई गई और उस फाइल को मंत्री महोदय ने अपने पास मंगवा लिया। एक पार्टी इसमें जोधपुर की है उससे जब तक दस लाख रुपयों में सौदा नहीं हो गया तब तक उस पार्टी, जो सबसे लोएस्ट टेण्डर वाली थी, को टेण्डर नहीं दिया गया। इसमें मेरा चार्ज है कि स्वयं मंत्री महोदय ने दस लाख रुपये लिये हैं और उसके कारण जो सबसे लोएस्ट टेण्डर वाली पार्टी थी उस पार्टी का टेण्डर बदला गया। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है।

सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार का एक

(श्री रामकिशोर मीणा)

दूसरा बहुत वड़ा उदाहरण है, जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, कोटा में गये वर्ष सौ ड्रम तारकोल के पकड़े गए। जब यह बात अखबारों के द्वारा प्रकाश में आई तो इसके बारे में जांच हुई। पुलिस में केस रजिस्टर हुआ। केस रजिस्टर होने के बाद में वहां के अधिकारियों ने कहा कि इसमें सिर्फ स्टोरकीपर की गलती है। इस आधार पर पुलिस के आफिसरों से मिल कर सिर्फ स्टोरकीपर की गलती बता कर उसको टालने की कोशिश की गई क्योंकि उसके अन्दर दूसरे अफसर एक्स ई-एन. और एस.ई. तक फंस रहे थे, पुलिस के अधिकारियों से मिलकर तय किया गया कि इसकी एफ.आर. दे दी जावे। सभापति महोदया, कोर्ट में एफ.आर. पेश हुई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा अभी एक महीने पहले ही फैसला हुआ है, अपने निर्णय में कोर्ट ने जिन अधिकारियों ने यह सारी लापरवाही की है, उनके विरुद्ध में एक स्ट्रक्चर पास किया है तथा जो वहां पर ठेकेदार था उसके खिलाफ वारन्ट जारी किये हैं। अब इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि किस तरह से इस विभाग के अन्दर चोरी होती है। बड़े-बड़े अधिकारियों और मंत्री स्तर तक के लोगों ने इसमें बहुत बड़े घपले किये हैं। सभापति महोदया, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, पहले यह प्रथा थी कि ठेकेदार, जिनको अपना काम कराना होता था, स्वयं मंत्री के पास या एम.एल.ए. के पास जाते थे। आज उसका उल्टा हो रहा है। स्वयं मंत्री ठेकेदारों के घर पर जाते हैं और उनके वहां पर जा करके सारी रेट वगैरह तय करते हैं। आपका क्या पर्सेन्टेज होगा क्या नहीं होगा, इस आधार पर सारा कार्य चलता है। सभापति महोदया, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में कपूरचन्द सिंघल नाम का एक ठेकेदार है। उसकी एक फर्म है। जब भी कोई टेण्डर होता है तो मंत्री महोदय उनके यहां जाते हैं और जाकर के उनसे रेट तय करते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 80% ठेके सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले के उस फर्म के पास हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय चेतराम जी, मंत्री महोदय के दामाद उस फर्म में बेनामी ट्रांजेक्शन के रूप में ठेकेदारी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

इसमें बहुत वड़ा स्कैंडल है। सारा का सारा बेनामी ट्रांजेक्शन हो रहा है। अपने रिश्तेदारों के नाम पर उन्होंने अपने अड्डे खोल रखे हैं। अलग अलग जगहों पर अपने एजेंट बना रखे हैं। आज अधिकारियों को इतनी ज्यादा सहूलियत विभाग की तरफ से, मंत्री महोदय की तरफ से दी हुई है कि उन अधिकारियों को कहीं जाना नहीं पड़ता। अलग अलग डिविजन्स में अलग-अलग दलाल बिठा रखे हैं। दलाल जाकर के पता करते हैं कि किस अधिकारी का कहां पर ट्रांसफर करना है। अधिकारियों को कहीं जाना नहीं पड़ता, दलालों के पास जाते हैं और अपनी रेट दे करके उसके आधार पर अपना-अपना हिस्सा तय करा लाते हैं। इससे बढ़िया, अच्छा मौका अधिकारियों को नहीं मिल सकता। आज यह विभाग जो बहुत बड़े घाटे में जा रहा है, अपनी योजना के अनुसार पचास प्रतिशत फिजिकल टार्गेट पूरे करने में असफल रहा है इसमें बहुत बड़ा योगदान इस भ्रष्टाचार का है। इस भ्रष्टाचार की वजह से सारा का सारा गोल माल हो रहा है। सभापति महोदया, पाली जिले के सात माननीय सदस्यों ने पिछले विधान सभा के सत्र में एक मामला वहां के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के बाबत में उठाया था। यहां पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था।

(१३०)

(श्री रामकिशोर मीणा)

उन पर चार्जेज लगाये थे उन चार्जेज का आज तक क्या हुआ ? उसके ऊपर कोई जांच कमेटी बिठाई है । लेकिन जांच कमेटी कब बिठाई गई और उसके जांच अधिकारी कौन हैं ? इसमें भी एक बहुत बड़ा षडयंत्र हुआ । वह जांच कमेटी तब तक नहीं बिठाई गई जब तक उनके सारे के सारे कार्यों में अपने तरीके से हेरा फेरी नहीं कर ली गई, तब तक उसके अन्दर कोई जांच अधिकारी नहीं बिठाया गया। उसकी जांच रिपोर्ट आज तक प्राप्त नहीं हुई है। उस मामले में चूंकि बहुत बड़े अधिकारियों, एडीशनल चीफ इंजीनियर तक का हाथ बताया जाता है, राज्य सरकार का सीधा दखल था इसलिए उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

आपको सुन कर ताज्जुब होगा, सभापति महोदया, गत वर्ष प्रदेश के अन्दर भयंकर बाढ़ और अकाल छाया था, उस दौरान सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले का इंचार्ज मंत्री महोदय को बनाया गया था, वहां पर इन्होंने मुख्य मंत्री सहायता कोष के नाम से लाखों रुपया इकट्ठा किया, जो रिकार्ड पर है वह साठ हजार है, उसकी एक पैसे की रसीद नहीं दी। साठ हजार रुपया अपने चहेते विकास अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से बैंक में जमा करा दिया। जब करीब चार-पांच महीने पहले स्वयं मुख्य मंत्री जी गये, गये विधान सभा सत्र में इस मामले को उठाया गया कि मुख्य मंत्री सहायता कोष में दी गई राशि का क्या हुआ, तब जाकर उसको बैंक से निकाला । साल भर तक विकास अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से वह पैसा पड़ा रहा। जब यह सारा मामला चीफ मिनिस्टर साहब के ध्यान में आया तब जाकर चार महीने पहले उस पैसे को लौटाया।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : लौटाया तो सही ।

श्री रामकिशोर मीणा : उस पैसे को लौटाया जो मुख्य मंत्री सहायता कोष के नाम से लिया था । आप इससे अन्दाज लगा सकते हैं किस तरह के इनके भ्रष्टाचार के कारनामें हैं । सभापति महोदया, भ्रष्टाचार की एक सीमा होती है उस सारी सीमा को इन्होंने लांघ दिया । माननीय सभापति महोदया. इनका हिण्डौन में एक मकान है उस मकान को यातायात विभाग को दफ्तर के लिये किराये पर दिया । उसको किराये पर देने के लिये विभाग द्वारा कोई सैंक्शन नहीं की गई थी । 1000 रुपया प्रति माह के किराये पर अपना मकान देने के लिये वहां पर डी.टी.ओ. का सब आफिस खोला गया जब कि आज वह मकान यदि किराये पर कोई दूसरा आदमी लेता है तो उसका 100 या 200 रुपये से ज्यादा किराया नहीं देता । लेकिन एक हजार रुपया महीना उसका किराया तय किया और उसके आधार पर किराया ले रहे हैं । सभापति महोदया, इनके अपने पद के दुरुपयोग के मामले आपको बताना चाहूंगा । बालाजी से टोड़ाभीम जो घाटी बन रही है उस पर करीब 35 लाख रुपया खर्च हो चुका है लेकिन वह सड़क ज्यों की त्यों है । मेरा यह मानना है, आगामी दस वर्ष में चाहे एक करोड़ रुपया उस पर और खर्च कर दिया जाये तो भी वह पूरी नहीं हो सकेगी । माननीय सभापति महोदया, वह पूरी तब हो जब कि उसमें मंत्री महोदय अपना हिस्सा खतम करें । अपना हिस्सा खतम होता नहीं अपने चहेते ठेकेदारों के अलावा किसी दूसरे को टेण्डर लेने देते नहीं और इनकी मार्फत वहां पर काम ज्यों का त्यों पड़ा रहता है । बरसात के पहले जो स्थिति रहती है बरसात बाद वही स्थिति बनी रहती है । सरकार का रुपया, जो बजट प्रावधान किया जाता है, हर साल वैसा ही बन जाता है । स्थिति

(श्री रामकिशोर मीणा)

वैसी की वैसी है। 35 लाख रुपया खर्च होने के बावजूद आज उस रोड से होकर साइकिल तक निकलना मुश्किल है, पैदल सड़क लांघ कर जाना बड़ा मुश्किल है।

इसी प्रकार दूसरी सड़क जो नालौती मार्ग पर है मंत्री बनने के बाद उस की हालत यह कर दी कि उसके बड़े तगड़े टेण्डर 20-20 लाख रुपये के कर दिये। वह अपनी चहेती फर्म के ठेकेदारों को दिये। आज हालत यह है कि वहां का टोटल यातायात बंद है, लोग बागों को यह पता नहीं लगता कि कब क्या हो जाय। हमारा जो यातायात पिछले 20 साल से चालू था वह और बंद कर दिया। वहां यात्री जितने भी जाते हैं उनके लिये उस सड़क पर दो बसें लगी हुई हैं। पैदल का दो किलोमीटर का रास्ता है फिर भी लोग पहाड़ी पर चढ़ कर दर्शन के लिये जाते हैं। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद आज वहां पर सारा का सारा मामला लटका हुआ है।

सभापति महोदय, इस विभाग में क्या हो रहा है उसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि इस वर्ष राज्य में कुल कितनी नई सड़कें मंजूर हुई हैं। उसके जवाब में यह बताया गया, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, प्रदेश में कुल 11 सड़कें इस बजट में प्रस्तावित की गई हैं। पूरे राजस्थान में 11, और अकेले इनके निर्वाचम क्षेत्र में तीन सड़कें मंजूर की गई हैं। यह अपने पद का सरासर दुरुपयोग है। पूरे बजट के अन्दर कुल 11 सड़कें नयी प्रस्तावित हैं उनमें से तीन सड़कें उनके टोडा भीम निर्वाचन क्षेत्र में बतायी गई हैं। वह केवल नाममात्र की सड़कें रहेंगी, वहां पर कोई काम होने का नहीं है, सरकार का जो पैसा है वह अवश्य उसी पर खर्च हो जायेगा।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है यदि कोई ठेकेदार गड़बड़ करता है तो उसके लिए एक क्वालिटी कंट्रोल आफिसर हर एक विभाग में होता है। माननीय माधवसिंह जी दीवान ने एक प्रश्न किया था, निर्माण कार्यों में विभाग द्वारा सही माल काम में लाया जाये और खराब माल काम में लाये जाने वाले ठेकेदारों को दंडित किया जा सके, इस हेतु विभाग में पिछले एक साल में कितने मामले दर्ज हुए और उनमें क्या क्या कार्यवाही हुई? सभापति महोदया, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, यह इतना बड़ा पोथा है इसमें दिया है विभाग में एक-एक सब डिवीजन में कितना-कितना खर्चा हुआ। जयपुर सब-डिवीजन में 31726.95 रुपये प्रति माह अधिकारियों और विभाग पर खर्च हुए हैं, कोटा डिवीजन में 11409 रुपये, जोधपुर डिवीजन में 199-28 रुपये खर्च हुए हैं। इस तरह से लाखों रुपया प्रति माह अधिकारियों के वेतन पर खर्च होता है लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में एक भी जगह यह नहीं बताया कि कहीं पर किसी ठेकेदार या अधिकारी को दंडित किया गया है। सिर्फ इसमें की गई कार्यवाही के बारे में लिखा है; संबंधित अधिकारी को सूचित किया गया। सूचित करना कोई दंड नहीं होता। सभापति महोदया, आपने तो यह एक काम कर दिया कि इसके बारे में प्रमाण-पत्र दे दो कि आपने यह गलत कार्य किया था, इसके बारे में सूचित किया जाता है। सूचित करने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ कोई पनिशमेंट नहीं है। सभापति महोदया, कई मामले ऐसे थे जो भयंकर श्रेणी के थे, मंत्री महोदय ने सीधा हस्तक्षेप करके, बहुत बड़ी धनराशि लेकर के सारे के सारे मामलों को दबा दिया। उसमें कुछ नहीं हो सका। इस तरह के कई मामले हैं जिनमें इन्होंने बजट प्रावधान कर दिया लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं

(श्री रामकिशोर मीणा)

हो सकी । सभापति महोदया, यह कहते हैं हमारे जो प्रोग्राम हैं··

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हर एक के लिये गवर्नमेंट सावधान करती है कि इस साल के बजट में यह प्रावधान रहेगा। ये कभी 1500 की आबादी के आधार पर, कभी कुछ और जनसंख्या के आधार पर, कभी एक दूरी के हिसाब से या शहर के हिसाब से या कभी कोई और आधार बना कर योजना तैयार करते हैं।

सभापति महोदया, यह सिर्फ विभाग के कागजों में है कि 1500 से ऊपर आबादी के गांवों को दस साल में सड़कों से जोड़ देंगे। जो टार्गेट तय किये गये उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा इनको सफलता नहीं मिली है। इन्होंने एक कार्यक्रम दिया कि पंचायत मुख्यालयों को हम सड़कों से जोड़ेंगे। वह सिर्फ कागजों में है। आज हालत यह है, उस कार्यक्रम को कार्य रूप में कहीं परिणित नहीं किया गया है। जो हमें प्रगति प्रतिवेदन दिया जाता है उसमें बजट प्रावधान हमेशा बढ़ा कर दिया जाता है, लक्ष्य हमेशा बढ़ा कर दिये जाते हैं लेकिन यह प्रतिगामी बजट दिया गया है। सभापति महोदया, इसमें बजट न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये कहा गया है, वर्ष 1982-83 में 580 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया जिसमें से 295 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य था। वर्ष 1983-84 में 650 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष से 70 लाख रुपया ज्यादा है। सभापति महोदया, आप को सुन कर ताज्जुब होगा, इस वर्ष 260 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा। हम प्रावधान तो कर रहे हैं ज्यादा और सड़कों की लम्बाई कम हो रही है। इसका कारण क्या है? हमारा विभाग में जो दबदबा है, उस दबदबे से भ्रष्टाचार का एक अड्डा जमा लिया है। सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह से यदि यह विभाग चलता रहा, मंत्री का इसी तरह का स्तर बना रहा, उन्होंने अपने उसमें कमी नहीं की तो हालत यह होगी कि विभाग में जो बढ़िया और ईमानदार अफसर हैं, जो आज जिन्दा बैठे हैं, वह भगवान से यह दुआ कर रहे हैं कब हमारे यह मंत्री हटें और कब हम निर्भीकता से अपना काम कर सकें, हमारा कब इनसे पिंड छूटे, वे दुआ करते रहेंगे। ऐसे-एसे मंत्री बना दिये जिनको कोई होश नही है, जो बसों के ड्राइवर को अपाइन्ट कर लेते हैं, जिनके खिलाफ ऐसे-ऐसे केस लगा रखे हैं कि 16-16 लाख रुपया खर्च करके मैसवां गांव के लोगों को बरबाद करके रख दिया। आज जिन लोगों की मार्फत, जिन लोगों की बदौलत ये 1972-77 में एम.एल. ए. बने थे, जिन लोगों को इन्होंने जमीन अलाट करायी, उनकी सारी की सारी जमीनों पर सड़कों का झूठा प्रावधान बता कर, जब कि इस बजट में प्रावधान नहीं है, गांव के गांव खाली कराने के पावर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराके ठेकेदारों को दे दिये। ठेकेदार गांव के गांव खाली करा रहे हैं। गोपालपुरा गांव का एक ताजा उदाहरण है जिसके लोग दर दर भटक रहे हैं। सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मंत्री से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाया जाय। पहाड़ियाजी तो बच गये थे लेकिन माथुर साहब को डुबाने में यदि सबसे ज्यादा योगदान कोई दे सके तो सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा, इतना ही कह कर मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री रतनराम चौधरी (रानीवाड़ा): सभापति महोदया, आज पी.डब्ल्यू.डी.की मांगों पर विचार विमर्श हो रहा है। मैं मेरे क्षेत्र की

(श्री रतनाराम चौधरी)

और आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम गुजरात के पड़ौस में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारा क्षेत्र गुजरात से लगता है। हमारे क्षेत्र के लोग गुजरात में जाते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि गुजरात और राजस्थान की सड़कें बनाने का अलग तौर-तरीका है। गुजरात की सड़कों पर रात को भी चले जायं तो बिना देखे ही मालूम हो जाता है कि गुजरात आ गया और गुजरात से राजस्थान वापस आते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि राजस्थान शुरू हो गया है। गुजरात में सड़कें प्लेन, बहुत बढ़िया और मजबूती के साथ बनाई जाती हैं पर न मालूम राजस्थान में बजट कम देते हैं या पूरा बजट खर्च नहीं किया जाता, तीन साल पहले जो सड़क बनाई उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। दूसरे, गुजरात में सड़कें बनती हैं उस वक्त मैटीरियल की कुटाई और डामर एक साथ करते हैं जिससे काफी धन की बचत होती है। हमारे राजस्थान में जब कुटाई हाथ में लेते हैं तब कुटाई तो कर देते हैं पर उस समय डामर नहीं करते हैं जिसकी वजह से मैटीरियल साल दो साल में बिखर जाता है और उस रोड पर वाहन या पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।...

(3.42 म.प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

इसलिए सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब कोई सड़क बनाने की स्वीकृति प्रदान करें, तो उस वक्त मैटीरियल की कुटाई करके डामर करवा देना चाहिये जिससे बजट की बचत होगी, नहीं तो जो खर्च किया जाता है वह बेकार चला जाता है। मैटीरियल 1-2 साल में बिखर जाता है और डामर करवाते समय पुनः मैटीरियल बिछाना पड़ता है। मैं अपने, क्षेत्र की ही बात नहीं कह रहा हूं पूरे राजस्थान के लिये निवेदन कर रहा हूं। जैसे जोधपुर से जालोर रोड हाल ही में बनी है। भाद्राजून और रोहिट के बीच में 8-10 साल से रोड वैसी की वैसी है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आप ग्रेवल रोड बनाते हो वह तो ठीक है परन्तु मैटीरियल बिछाने का इरादा रखते हों तो उसी वक्त डामर कर देनी चाहिये। हां, ग्रेवल के समय मुरड़ा बिछा देते हो तो भी काफी अच्छी सड़क हम मानते हैं। ग्रेवल पर कुटाई शुरू करते हैं उसी समय डामर करवा दीजिये वरना ग्रेवल रोड ही बनाइये। जैसे रामसीण से जसवंतपुरा सड़क है, जसवतपुरा पंचायत समिति-हैडक्वार्टर, पुलिस थाना है अभी जो भीनमाल तहसील बनी है वह पहले जसवंतपुरा में थी। रामसीण से जसवन्तपुरा जाने के लिये एकमात्र सड़क है उस पर करीब दो वर्ष पहले मैटीरियल बिछाया गया, कुटाई हो गई परन्तु दो साल बाद आज तक डामर नहीं किया गया जिससे मैटीरियल बिखर रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप इस वर्ष उस रोड पर डामर करवा दीजिये जिससे पंचायत समिति हैडक्वार्टर, आर.ए.सी. जसवंतपुरा हैडक्वार्टर है, पुलिस थाना है और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तक आने जाने में जो बड़ी भारी कठिनाई जनता को महसूस हो रही है वह दूर हो जाय। इसी तरह से मालवाड़ा-जसवन्तपुरा सड़क की भी यही हालत है।

तीसरा, गत वर्ष हमारे यहां भी फेमिन था उसमें जो ग्रेवल सड़क बनाई गई वह अधूरी है। कृपया अधूरे काम को पहले हाथ में लीजिये ताकि पैसों का उपयोग हो जाय। लोगों को

(श्री रतनाराम चौधरी)

आने जाने की सुविधा उपलब्ध करवा दीजिये। इससे अधूरे जो भी कार्य हैं वह पूरे हो जायेंगे। गत वर्ष फेमिन में या पहले भी कोई सड़क बनानी शुरू कर दी, ज्योंही फेमिन के बाद बरसात आती है या बजट लैप्स हो जाता है तो उस सड़क का काम बन्द हो जाता है। इसलिये उन कामों को हाथ में लीजिये जो अधूरे काम हैं। सभापति महोदय, रानीवाड़ा में डेयरी का बहुत बड़ा अवशीतन प्लाण्ट है उसकी कैपेसिटी दो लाख लीटर दूध इकट्ठा करने की है परन्तु सड़कों के अभाव के कारण गांवों में वाहन नहीं जा सकते इसलिये डेयरी घाटे में चल रही है। दो लाख लीटर दूध की कैपेसिटी उस प्लांट की है पर उसमें 30-40 हजार लीटर ही इकट्ठा कर पाते हैं क्योंकि गांवों में वाहन नहीं जा सकते। इसलिये दूध की डेयरी और हमारे क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए जो सड़कों के अधूरे काम हैं उनको हाथ में लिया जाय। सभापति महोदय, जैसे रानीवाड़ा दीपुर तक 3 कि.मी. में डामर हो गया और दीपुर से मैत्रीवाड़ा 3 कि.मी. सड़क शेष बची है, वह 3 कि.मी. सड़क और बना दी जाय तो आगे सड़क मिल जायेगी। इसी तरह से मेरे खुद का गांव दीपुर से करीब 3 कि.मी. दूर है, उसे सड़क से मिला दिया जाय। हमारे यहां की पब्लिक भी महसूस करती है, आने जाने की बस की सुविधा नहीं है, वह सुविधा प्राप्त हो जायेगी, इसलिये दीपुर से मैत्रीवाड़ा सड़क को बनाने का काम हाथ में लिया जाय। जब नवाब लोहारू पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे उस समय की बात निवेदन करना चाहता हूं, जैतपुरा नदी पर पुल निर्माण का तत्कालीन पी. डब्ल्यू.डी. मंत्री नवाब लोहारू ने शिलान्यास किया था। नदी पर पुल बनाने के लिये घोषणा भी करके गये थे। वह शिलालेख आज भी मौजूद है। उस बात को करीब 15 साल से ज्यादा समय हो गया परन्तु अभी तक जैतपुरा नदी पर पुल निर्माण नहीं हुआ है।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): कौन सी नदी है?

श्री रतनाराम चौधरी: जैतपुरा नदी की पुलिया है। यह हमारे क्षेत्र को ही लाभ देने वाली पुलिया नहीं है, यह पुलिया इतनी महत्वपूर्ण है जो बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही को जोड़ती है। माउन्ट आबू तक जाने वाले यात्रियों को इस नदी में से होकर जाने का एकमात्र रास्ता है जो, गुजरात से आने जाने वाले तीर्थ यात्री माउन्ट आबू से बाड़मेर, जैसलमेर जाते हैं वे इसी रास्ते से गुजरते हैं। इतना महत्वपूर्ण काम है जो करीब 3-4 जिलों को लाभ देने वाला है इसलिये कृपा करके, मंत्री महोदय, यह पुलिया, जिसका मैंने कल परसों भी जिक्र किया था, बनवा दीजिये। जैसा मुझे दीख रहा है, इस बजट में प्रावधान करने का आपका विचार हो तो कृपा करके अवश्य करिये। जो बाड़मेर जिले के विधायक हैं वे भी इस बात से सहमत हैं। आप पहली बार में ही हां कर लीजिये, सभापति महोदय की भी यह मांग है। इस पुल के बन जाने से आवागमन के साधन गुजरात के लिये सुलभ हो जाएंगे। राजस्थान के किसान अपनी फसल जैसा जीरा, रायड़ा वगैरह ले जाते हैं, गुजरात में आने जाने का हमको भी लाभ मिल जाएगा।

एक माननीय सदस्य: श्री रामजी से जबर्दस्ती दस्तखत करवाये जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: आप भंवर लाल जी का ध्यान रखो। हम दोनों तो एक ही हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : भंवरलाल जी और गोटेवाला जी, यह दोनों तो जयपुर के निवासी हैं। इनको तो यहां पर साफ सड़कें दिख रही हैं··

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्री रतनाराम चौधरी : हम 1977 से 1980 तक साथ थे। मुझको मालूम है कि गांवों की यह कितनी चिन्ता रखते हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री भंवरलाल शर्मा को गांवों की कितनी चिन्ता है, यह मुझे मालूम है। 1977 से 1980 तक हम साथ रहे हैं। यह उस वक्त सत्ता में थे····

एक माननीय सदस्य : गांवों को उजाड़ दिया।

श्री रतनाराम चौधरी :··· इसलिये इस पुलिया को आप बनावें। जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही के विधायकों की भावना को मद्देनजर रखते हुए इस पुलिया का निर्माण इस साल करवाने की घोषणा मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तब करेंगे, यही मुझे उम्मीद है, यही मुझे आशा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : घोषणा नहीं करेंगे तो क्या करोगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : हमें मालूम है, हमारी मंत्री जी, कमला जी नोट कर रही हैं, मंत्री जी को बाध्य कर देंगे जवाब दिलाने के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): यहां किसको सुनावें, सभापति महोदय, मंत्री जी तो गायब हैं।

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय, रानीवाड़ा में अच्छी मण्डी है, वहां दूध की डेयरी है। पंचायत समिति हैडक्वार्टर है और वहां पुलिस थाना भी है परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वहां पी.डब्ल्यू.डी. के डाक बंगले की कोई व्यवस्था नहीं है। डाक बंगले की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां जो आने वाले हमारे महमान हैं और सरकारी अधिकारी हैं उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये रानीवाड़ा में डाक बंगला बनाने के बारे में पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब, श्री चेतराम जी से मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये भी कुछ बजट में प्रावधान रखने की कृपा करें। जो सड़कें मैंने बताई हैं, गुजरात-राजस्थान की सड़कों की और थोड़ा बहुत ध्यान दिलाया है, उन सड़कों के लिये ठेकेदारों पर पूरी निगरानी रखनी चाहिये। पूरा बजट खर्च करने की अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिये। पूरा बजट खर्च होना चाहिये ताकि हमारी सड़कें अच्छी बनें। गुजरात की साइड में रहते हैं इसलिये हम महसूस करते हैं बाकी महसूस नहीं होता वहां अच्छी सड़कें, अच्छी फसल देखते हैं और राजस्थान की घटिया क्वालिटी की सड़कें देखते हैं इसलिये हम महसूस करते हैं और आम जनता भी महसूस करती है। कृपया इन ठेकेदारों पर ध्यान रखें और पूरा बजट खर्च करें।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री रतनाराम चौधरी : इतना ही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि मैंने जिन पुलिया, सड़कों के नाम बताये हैं उनको बनाने के लिये प्राथमिकता के तौर पर इस बजट में प्रावधान रखते हुए आप स्वीकृति प्रदान करावें।

जय हिन्द।

(136)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री थान सिंह।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। Please sit down.

माननीय सदस्य को पहले सुनिये।

श्री थानसिंह (सलूम्बर): सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 19, पी. डब्ल्यू.डी. के बारे में चर्चा हो रही है। मैं भी मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में जिक्र करूंगा। सभापति महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजस्थान में पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा, देश की आजादी के बाद काफी सड़कों का जाल बिछाया गया है। कम से कम 44651 किलोमीटर सड़कें राजस्थान में बनी हैं और 29952 किलोमीटर डामर की सड़क बनी है। सभापति महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा फायदा राजधानी को मिला है, उसके बाद अन्य जिलों को फायदा मिला है, फिर तहसील हैडक्वार्टर्स को मिला है लेकिन आज तक गांवों में सड़कों के काम अधूरे हैं। सड़के गांव के अन्दर नहीं के बराबर हैं। राज्य सरकार ने एक योजना बनायी है जिसके अनुसार डेढ़ हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा, पंचायत समिति हैडक्वार्टर को सड़कों से जोड़ा जायेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जनजाति ज्यादातर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में है। इन जनजाति क्षेत्रों में घनी आबादी नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में सड़कों का अभाव रहा है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, जहां तक तहसील हैडक्वार्टर का सवाल है, मेरे क्षेत्र में सलूम्बर से सराड़ा रोड है, यह सड़क आज तक अधूरी है। सभापति महोदय, इससे भी बड़ी बात है, सलूम्बर तहसील की एक सड़क का मैं उदाहरण दूंगा, जो सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना की है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की यह सड़क आज तक अधूरी है। इस सड़क को कोई देखने का प्रयास नहीं कर रहा है। हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ता है, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वहां सड़कें बनी हैं। ये सड़कें फेमिन वर्क्स के हिसाब से बनी हैं। इस प्रकार डूंगरपुर-बांसवाड़ा के जनजाति क्षेत्रों में प्लान के अन्तर्गत कोई डामर रोड नहीं बनायी है और जो डामर की बनी हैं वे भी अकाल के अन्दर ही बनी हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात कहूंगा कि ज्यादातर सड़कें हमारे यहां पर सुखाड़ियाजी के टाइम पर बनी थीं, वे सारी सड़कें डामर की हो गईं लेकिन उनके बाद, दूसरे मुख्य मंत्री आने के बाद आज की तारीख तक पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री बनने तक किसी प्रकार का कार्य नहीं किया। फेमिन में भी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। जो भी सलूम्बर की डामर रोड प्लान में हैं, दो-तीन साल से मैं देख रहा हूं उन पर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। उन पर फेमिन रिलीफ वर्क्स में मिट्टी डलवाने के अलावा किसी प्रकार का काम नहीं होता। प्लान के अन्दर होते हुए आज की तारीख तक किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। दूसरे, जितनी भी रोड्स फेमिन के अन्तर्गत बनती हैं वह सारी चौमासे में बह जाती हैं। उन पर गिट्टी भी नहीं डलवाते हैं। कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. तो वहां काम ही नहीं करना चाहता। फेमिन वर्क्स से भी उसको सिर दर्द होता है। प्लान का रोड हो, डामर या गिट्टी का रोड हो उसमें किसी X या Y या किसी ठेकेदार से कुछ पर्सेन्ट खाने को मिल जाये

(श्री थानसिंह)

उसमें तो इन्ट्रेस्ट लेकर काम करते हैं अन्यथा किसी प्रकार का काम नहीं करते। जन प्रतिनिधि जाकर बार-बार कहते हैं कि मजदूर लगाओ। सलूम्बर तहसील की मैं एक बात कहूंगा। दो-तीन रोड्स के अलावा फेमिन में किसी रोड पर काम नहीं चल रहा है। बस्सी से सन्धेडा रोड का काम चल रहा है जिस पर 250 लेबर भी काम नहीं कर रहा है। डालसिंह रोड पर 60 से ज्यादा लेबर काम नहीं कर रहे हैं। वेडावल-सलूम्बर, 60 अलवर रोड पर काम कर रही है। बामणिया से बरोड़ा रोड पर 150 से ज्यादा लेबर काम नहीं कर रही है जब कि पी.डब्ल्यू.डी. में यह तय हुआ था कि इस तहसील में 1600 मजदूर लगाये जायेंगे। पी.डब्ल्यू.डी. में आज भी 500 से ज्यादा लेबर काम नहीं कर रहे हैं। न मालूम व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? डामर रोड हो तो वहां जरूर कोशिश करते हैं। मैं एक बात आपसे पुल बनाने के बारे में निवेदन करूंगा। सरकार ने पुल बनाने के लिये 1979 में एक कॉर्पोरेशन बनाया लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की ओर जायें तो हमको सिर्फ माही नजर आती है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का जनजाति क्षेत्रों का पैसा माही और जाखम पर चला जाता है। पी.डब्ल्यू.डी. में हाई लेवल ब्रिज पर चला जाता है। इनको तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा सड़क पर माही नदी पर हाई लेवल ब्रिज तथा नई बांसवाड़ा रतलाम सड़क पर माही नदी पर हाई लेवल ब्रिज, जनजाति क्षेत्र के अन्दर ये दो ही नजर आते हैं। सभापति महोदय, सारे जनजाति क्षेत्र में सड़कों का अभाव है। डेढ़-डेढ़ दो-दो हजार की आबादी के गांव, बड़ी-बड़ी पालों के अन्दर न तो कोई सड़कों की व्यवस्था है, न किसी प्रकार आने जाने की व्यवस्था है। आदिवासी बोलना नहीं जानता लेकिन, सभापति महोदय, यह मैं कहूंगा कि आदिवासी XXX पर सड़क लेगा। यह मैं स्पष्ट और साफ बात कहूंगा, वे इसे बर्दास्त करने वाले नहीं हैं। आदिवासी एरिया के अन्दर इस प्रकार की हरकत हो रही है। सभापति महोदय, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि जब यहां माथुर सरकार आई तब से इस जनजाति क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। जब से यह जनजाति के मंत्री जी आये तब से जनजाति क्षेत्र में नहीं के बारबर सड़कें बनी हैं। सारी की सारी जितनी सड़क हैं उनके लिये कोई सुनवाई नहीं होती है। आज हालत यह है कि एक ओवरसियर के हटाने की बात कहते हैं तो इनसे 12 महीने तक ओवरसियर नहीं हटता। न मालूम अधिकारियों की जेब में ये चलते हैं या अधिकारी इन को ऊपर लेकर चलते हैं। मंत्री जी, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आप राजस्थान सरकार के इस महकमे के मिनिस्टर हो, न कि अधिकारियों की जेब के मिनिस्टर हो। मैं तो आज आपसे साफ कहूंगा कि अगर जनजाति क्षेत्र का भला करना चाहते हैं, जनजाति क्षेत्र को अपने साथ रखना चाहते हैं तो उस क्षेत्र का अधिक से अधिक काम देखिये। उस इलाके की उपेक्षा मत कीजिये, मैं तो यही बात आपसे कहूंगा। सभापति महोदय, मैं आज आपसे पुलों के बारे में निवेदन करूंगा, 1967-68 में सुखाड़ियाजी जिस समय मुख्य मंत्री थे उस समय में खरका से गींगला रोड पर पुल का काम चालू हुआ था। सलूम्बर के लोगों के आने जाने के लिए, कोर्ट में पेशी पर जाने के लिये कम से कम चार महीने तक उस रोड

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(138)

(श्री थानसिंह)

पर आवागमन अवरुद्ध रहता है। मैंने इस संबंध में चार बार निवेदन किया है, दो-दो चीफ मिनिस्टर जहां से आते हैं, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री आते हैं, उनसे निवेदन किया है। गीगला गांव बहुत बड़ा गांव है, जो सलूम्बर में आबादी की दृष्टि से दूसरे नम्बर का गांव है। 1967-68 में फेमिन के अन्दर 5 लाख रुपया उस पुल पर खर्च हुआ था, सुखाड़िया जी उस समय मुख्य मंत्री थे वे 24 घन्टे उस पुल पर खड़े रहे। उस पुल का निर्माण करवाने की उन्होंने भरसक कोशिश की लेकिन दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज 15 साल बीतने के बाद वह पुल वैसा का वैसा पड़ा है। बरका नदी के पुल, जो कि तहसील हैडक्वार्टर को जोड़ता है, के बारे में हमने तीन चार बार प्रश्न किया। कभी लाख का खर्च बता देते हैं, कभी 10 लाख का खर्च बता देते हैं। आजकल तो जैसे यह राजस्थान का बजट बढ़ता है वैसे इंजीनियर्स का दिमाग भी चढ़ जाता है। ज्यादातर पैसा अन्य ब्रिज पर बता कर हर साल उस पुल को टाला जाता है। इस प्रकार मैं निवेदन करूंगा हमारे यहां पुलों का, सड़कों का अभाव है। मैं तो, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां छोटी-छोटी अप्रोच रोड, मैन रोड पर ज्यादा काम होता है। हमें जनजाति क्षेत्र के हिसाब से तो पैसा नहीं मिलता है लेकिन जिला हैडक्वार्टर की सड़क से जोड़ने के लिए पैसा जरूर मिलता है। उदयपुर, बांसवाड़ा और रतलाम जाने के लिए तो सड़क पर काम शुरू हो जायेगा, सलूम्बर से सीधे बांसवाड़ा जाने के लिए काम शुरू हो जायेगा। आदिवासी इलाके के अन्दर छोटी-छोटी अप्रोच रोड फेमिन के अन्दर बनाई जायं। अगर 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की सड़क बनाई जाय तो उस सड़क पर ज्योंही मिट्टी डालें, कम से कम मिट्टी की सड़क तो वह बना दी जाय क्योंकि डामर की सड़क तो जनजाति क्षेत्र के भाग्य में लिखी ही नहीं है। मैं तो एक बात कहूंगा. जो भी फेमिन के अन्दर सड़कें हैं उनको प्लान में लिया जाय। हनुमान जी प्रभाकर जिस समय मिनिस्टर थे उस समय दो-तीन रोड हमने मंजूर करवायी थीं। करवाली से खेडा विराड़ रोड जो मन्जूर कराई थी, उस पर बिफोर लास्ट ईयर मिट्टी डाली गई, उसके बाद आज तक उस रोड के अलावा कोई मन्जूरी नहीं मिली। वह रोड कागजों में चल रही है। मिट्टी भी सारी उस रोड की बह गई है। इस प्रकार लाख दो लाख रुपया जिस कार्य पर खर्च किया गया 1980-81-82 में, वह भी अधूरा रह गया। आज उस रोड पर कोई काम नहीं चल रहा है। फेमिन के अन्दर जो भी सड़कें मंजूर होती हैं, अगर कोई एम०एल०ए० इन्ट्रेस्ट लें, एक दो सड़कों के लिये अगर कहें तो मंजूर हो जाती हैं बाकी जो दूसरी 8-7 सड़कें हैं, वे सड़कें यूं ही रह जाती हैं। इस प्रकार लोगों का विश्वास उठता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर, दुग्ध योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 42 सड़कों की 1982-83 में स्वीकृति दी थी, लेकिन उस प्रकार का काम जनजाति क्षेत्र में इस वर्ष नहीं हो रहा है। जिस समय कमला जी कृषि मिनिस्टर थीं तब हमने उनसे कहा था कि कृषि उपज मण्डी समिति की हमें एक दो सड़कें दे दी जायं लेकिन न तो कृषि उपज मण्डी समिति की सड़कों के लिये हमको पैसा मिलता है, न दुग्ध योजना के अन्तर्गत पैसा मिलता है। फेमिन का पैसा जरूर मिलता है उसमें लोग इन्ट्रेस्ट नहीं लेते तो, मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, इस प्रकार राजस्थान का जो यह सार्वजनिक निर्माण विभाग है वह धीमी गति से कार्य कर रहा है, काम करने में इन्ट्रेस्ट नहीं

(श्री थानसिंह)

ले रहा है। लाखों-करोड़ों रुपये इस विभाग पर खर्च होते है। एक इरिगेशन महकमा ऐसा है जिसकी प्रशंसा मैं करूंगा, वह इन्ट्रेस्ट लेकर काम करता है। मेरा आप से निवेदन है कि जनजाति क्षेत्र के लिये अधिक से अधिक पैसा दिया जाय, अधिक से अधिक रोड बनाई जाय। फेमिन के अन्दर आप काम करें तो डामर रोड बनाई जाय, यही मेरा निवेदन है।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद जैन।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारी पार्टी से किसी को प्रारम्भ ही नहीं करने दिया जा रहा है।

श्री सभापति : सभी को अवसर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इधर से बोल रहे हैं, उधर से बोल रहे हैं, हम बीच में बैठे रहेंगे क्या ?

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार की एक पुस्तक मिली। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 1982-83 और रूपरेखा वर्ष 1983-84 की ओर मैं थोड़ा सा आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का किस प्रकार का विकास हुआ और किस प्रकार की इस डिपार्टमेन्ट की हालत है। अभी मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है कि इस डिपार्टमेन्ट और मंत्री महोदय का क्या हाल है। किस प्रकार के मंत्री हैं और किस प्रकार के अधिकारी इस विभाग में हैं। जैसा अभी रामकिशोर जी ने बताया था, इस विभाग में एक क्वालिटी कन्ट्रोल सैल है। उसने 30 हजार नमूने लिये। 30 हजार में 27 हजार नमूने फैल पाये गये हैं, वे इनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सही नहीं हैं। वैसे उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस सैल में एक लाख रुपये महीना कर्मचारियों पर खर्च किया गया है। बारह लाख रुपये साल जिस काम के लिये खर्च किये गये उस पर कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें तो किसलिये यह डिपार्टमेन्ट खोला गया है। इसमें भी, माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं पहले निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें। ध्यान से सुनें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने किस प्रकार प्रावधान रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राजकीय मार्ग मद में 1982-83 में जो 180 लाख रुपये का प्रावधान रखा था उसको इन्होंने संशोधित करके 1982-83 में 80 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया। इसी प्रकार न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम में सड़कों के लिये जो 700 लाख रुपये का 1982-83 में इन्होंने प्रावधान रखा था उसको संशोधित करके 1982-83 में 580 लाख रुपये कर दिया। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्होंने यह भी लिखा इस किताब में कि 1-4-81 से प्रारम्भ छठी पंचवर्षीय योजना से आगामी 10 वर्षों में 1500 से अधिक आबादी के सभी गांव सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस किताब में लिखा है, कुल 3300 गांव हैं, जो 1500 या उससे ऊपर की आबदी के हैं, उनमें से 1980-81 में 1947 तो हो गये हैं और 1353 गांव बचे हुए हैं। 1353 गांवों को 10 साल में पूरा करना चाहते हैं। किस प्रकार पूरा करना चाहते हैं, यह निवेदन करना चाहता हूं। 1981-82 में 88 ग्राम किये हैं और 82-83 में 58 ग्रामों को करने का लक्ष्य रखा है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 1982-83 में जो 58 ग्रामों का लक्ष्य रखा गया था, उस समय 700 लाख रुपये खर्च करने का प्रोविजन था। 1982-83 के संशोधित अनुमान क्या है ? वह है 580 लाख का। अब मैं पूछना चाहता हूं कितने ग्राम पूरे हो पायेंगे ? यह तो हिसाब की बात है. हिसाब लगाकर ही बतायेंगे मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि ये 58 ग्राम पूरे भी हो जाते हैं तो 2 साल में होंगे 146 ग्राम अर्थात एक साल में औसत 73 ग्रामों का आयेगा जिनमें सड़कों का निर्माण हो जायेगा। अगर इसी रफ्तार से, जिसका भी कोई विश्वास नहीं है, ये चलते रहे तो आधे गांव भी पूरे नहीं हो सकेंगे। जैसा लिखा है कि 10 सालमें 1500 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा, क्या इसी प्रकार जोड़ेंगे ? क्या योजना है। मैं समझता हूं, इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट है, बड़े-बड़े एग्जीक्यूटिव आफिसर हैं, बड़े-बड़े आफिसर बैठे हुए हैं, किस प्रकार से इस योजना को पूरा करेंगे, मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार प्रदेश का विकास कर सकेंगे।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि इस डिपार्टमेन्ट में भवन निर्माण का काम भी हो रहा है। किस प्रकार भवनों का निर्माण हो रहा है, यह है पृष्ठ 9 पर। यह विभाग सभी राजकीय भवनों का निर्माण करता है। 1982-83 आयोजना मद में 715.76 लाख रु. का प्रस्ताव रखा था और 1983-84 में 486.93 लाख का प्रस्ताव रखा है। किधर जा रहे हैं ? 228.83 लाख रु० की कमी की है। इसी प्रकार आयोजना भिन्न मद में 208.94 लाख रुपये का प्रावधान 1982-83 में था जब कि 1983-84 में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। केन्द्रीय परिवर्तित योजना में 174.77 लाख रु० का संशोधित प्रस्ताव था और 1983-84 में 78.01 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा है, यानी 96.76 लाख की कमी की है। इसी प्रकार 121.57 लाख रुपये शिक्षा विभाग के भवनों के लिये कम प्रावधान रखा गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के भवन निर्माण के लिये 106.01 लाख रुपये का पिछले साल के मुकाबले कम प्रावधान रखा है। इसी प्रकार से गृह निर्माण योजना में 1982-83····

श्री सभापति : बजट पर बोल रहे हैं या पी.डब्ल्यू.डी. की मांग पर बोल रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : पी.डब्ल्यू.डी. की मांग पर बोल रहा हूं। पेज नं० 14 पर गृह निर्माण योजना के बारे में लिखा है। सारे प्रावधान, पिछले साल, जो टार्गेट पूरे किये हैं वह और आगे क्या प्रावधान किया है वह बता रहा हूं। मैं समझता हूं कि आपने तो यह पुस्तिका पढ़ी नहीं है, मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूं, जो इस किताब में है। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार की तरफ से दी गयी है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात): किताब पढ़ने के लिये नहीं है, कटौती प्रस्तावों पर बोलो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: कटौती प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं। आप कृपया कटौती प्रस्ताव पढ़ें।

श्री जयकृष्ण शर्मा: पढ़िये ना। यह किताब पढ़ने के लिये नहीं है हाउस में। यहां कटौती प्रस्तावों पर बोलो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: कटौती प्रस्तावों पर ही बोल रहा हूं। अगर आप में थोड़ी भी अक्ल है, आप तो मंत्री हैं, बहुत पुराने माननीय सदस्य हैं न...

श्री जयकृष्ण शर्मा: अक्ल का ठेका तो आपने ले रखा है। यह जो नया अजीर्ण पैदा हुआ है ना, यह आपका निकलने वाला है।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप तो माइन्स का ठेका लेओ, अक्ल का ठेका तो मैंने ले रखा है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: सवाल इस बात का है कि किताब आप पढ़ लोगे तो ये क्या करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन: ये माइन्स को पढ़ेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन): उनका तो कोई माइन्स का ठेका नहीं है। अक्ल के ठेके की बात आप जानो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: ये तो टायरों को पढ़ेंगे और गोटेवाला गोटा बना ही रहे हैं। ×××

मैं यह निवेदन कर रहा था कि 1982-83 में जो संशोधित प्रस्ताव गृह निर्माण योजना पर है वह 80.89 लाख का है, परन्तु 9 महीनों में केवल 41.79 लाख खर्च कर पाये हैं। आयोजना भिन्न मद में 135.44 लाख रुपये का संशोधित प्रावधान गृह निर्माण योजना के लिये था उसमें से 9 महीनों में 33.32 लाख रुपये खर्च किये हैं। आप 3 महीनों में 39.10 लाख रुपये आयोजना मद में और 102.12 लाख रुपया आयोजना भिन्न मद का गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत खर्च करना चाहते हैं। यह कैसे करना चाहते हैं? सभापति महोदय, आप समझते होंगे कि किस प्रकार यह खर्चा करने जा रहे हैं। यह सारा कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि निर्माण कार्यों के लिये बजट में कम प्रावधान रखा गया है। किस प्रकार की योजना है, जहां आय के जो स्रोत हैं वहां किस प्रकार से ज्यादा प्रावधान रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी किताब के पृष्ठ 15 पर लिखा है, भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य पर 300 लाख का प्रावधान 1982-83 में था उसको बढ़ा कर वर्ष 1983-84 में 500 लाख कर दिया। 200 लाख बढ़ा दिया। गैर आवासीय भवनों के लिये 110 लाख रुपयों का प्रावधान था उसको बढ़ाकर 177 लाख कर दिया। इस प्रकार 267 लाख रुपया भवनों के मेंटीनेंस पर बढ़ाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेंटीनेंस खर्च पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है जो मैटीरियल होता है उसकी जांच की गई। उसकी जांच तो हो गयी और जांच में 80 प्रतिशत नमूने फेल हुए हैं। यह तो फिर भी मालूम हो जाता है, लेकिन मेंटीनेंस में क्या मालूम होता है? मेंटीनेंस में कुछ मालूम

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

नहीं होता है। रंगाई पुताई करके निते जाते हैं। इस प्रकार मेंटीनेंस का बजट रख कर उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। इसमें पैसा बढ़ाया है। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, टौंक में सड़कें बनाने के लिये पंचवर्षीय योजना में प्रावधान रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि 1980-81 में 31,51, 651 रुपये सड़क निर्माण पर खर्च किये और मेंटीनेंस पर 45,51,205 रुपया खर्च किया। 1981-82 में सड़क निर्माण पर 40,66, 286 रुपये खर्च किये गये व मेंटीनेंस पर 64,93,570 रुपये खर्च किये हैं। 1982-82 में, जनवरी तक, जहां 9,28,713 रुपये केवल निर्माण कार्यों पर खर्च किये वहां मेंटीनेंस पर 73,19,161 रुपये खर्च किये गये। माननीय, सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह प्रश्न का उत्तर मिला है। सड़कों के निर्माण के बारे में एक प्रश्न के जवाब में बताया है। बताया, 1982-83 में सड़कों के प्रश्न के बारे में 13-9-82 को उत्तर दिया गया था, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कौनसी सूचना सही है। मिसिंग रोड, वौंली निवाई पर 1982-83 में 2 लाख का खर्चा बताया है और इसमें बताया है कि 100 प्रतिशत टार्गेट अचीव कर लिया गया। माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो अतारांकित प्रश्न था, 2-3-82 को उसका जवाब दिया गया उसमें बताया गया कि 1,69,993 रुपये खर्च होंगे। दूनी से थाड रोड पर 8 प्रतिशत के हिसाब से टार्गेट बताया था कि 24 हजार रुपया खर्च होगा जब कि प्रपत्र-1 में दूनी-थाड रोड पर कोई खर्चा नहीं बताया है। उसमें 24 हजार बताया है। इसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं बताया गया है, तो, यह बताया जाय कि कौनसी सूचना सही है? कौनसे फंड से खर्च किया गया है, यह मैं पूछना चाहता हूं। इसी प्रकार मालपुरा-लाम्बा-हरिसिंह रोड के 100 प्रतिशत टार्गेट पूरे हुए हैं और 35 हजार रुपये खर्च किये हैं। प्रपत्र-ख में जो जवाब है उसमें कोई खर्च नहीं बताया गया है। मैंने पूछा है, 1981-82,1982-83 में कितना-कितना, किस-किस काम पर व्यय हुआ है। उसका जवाब दिया है, ए. आर. 100 करोड़, 30 प्रतिशत के हिसाब से 60 हजार खर्च किये हैं और इसमें कोई खर्च करना नहीं बताया है। मैं आपसे, सभापति महोदय, निवेदन कर रहा था कि जो उन्होंने 5 वर्ष के लिये योजना बनायी है उसमें टौंक के लिये भी योजना बनायी है। उन सब में टार्गेट पूरे नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, न मैटीरियल पर किसी प्रकार का नियंत्रण है। कौनसे काम किस साल में पूरे हो जायेंगे, यह उन्होंने तय कर लिया। यदि तय नहीं किया तो कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इनका नियंत्रण किस बात पर है। इनका नियंत्रण इस बात पर है कि कितना पैसा कहाँ से आये। किस अधिकारी का ट्रान्सफर किया जायं। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी इंजीनियर और असिस्टेन्ट इंजीनियर का ट्रान्सफर कर दिया जाता है उसके बावजूद 4-6 महीने तक आदेशों की पालना नहीं होती। अधिकारी वहां पर चार्ज ले लेते हैं और दूसरे जो अधिकारी वहां बैठे रहते हैं और सौदा तय होता रहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, पिछली बार वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियन्ता का ट्रान्सफर हुआ, 4-6 महीने तक वहां वह बैठा रहा। वह पैसा नहीं दे सकता था

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

उसको वहां से हटा दिया और जो मिस्टर गुप्ता हैं, उनको वहां लगा दिया गया है। वह पैसा नहीं दे सकता था, पिताजी का, माताजी का देहान्त हो गया है लेकिन फिर भी वह वहां पर बैठा है। मंत्री महोदय और उनके बीच में सौदा होता है। जब तक पूरा पैसा मंत्रीजी की जेब में नहीं आ गया तब तक वह ट्रान्सफर निरस्त नहीं हुआ। पूरा पैसा मंत्री जी की जेब में आया और वह ट्रान्सफर निरस्त हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कारण थे ......

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : साबित करने पड़ेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): यों ही चार्ज लगा रहे हो। मंत्रीजी पर इस तरह के चार्ज लगाते हो। मंत्रीजी हमारे साफ हैं बहुत।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जैसे आप साफ हैं। जैसा अभी भैरूंसिंह जी कह रहे थे, × × ×

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वे बहुत मर्द आदमी हैं। भैरूंसिंहजी चर्चा कर रहे थे छैल बिहारी की, अभी आपने नहीं सुना? मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय सदस्य को ताड़ना दें...

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं कहना चाहता हूं, मैं भले ही कुछ भी कहूं, कुछ भी बोलूं, मुझे यह चढ़ाने वाले कौन होते हैं। मैं किसी के बारे में कहता हूं तो अपनी समझ से कहता हूं और सही बात कहता हूं। जैसा अभी ××× के बारे में कहा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार पनप रहा है। मैंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि किस प्रकार मेन्टीनेन्स पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। मेरा दावा है, जिस प्रकार मेन्टीनेन्स पर खर्चा किया गया, फ्लड में जिन सड़कों को लिया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 12 पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसकी मेन्टीनेन्स की आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी धनराशि मेन्टीनेन्स पर खर्च करके ऊपर ही ऊपर सारा पैसा चला गया। मेरा दावा है कि 25 प्रतिशत काम नहीं हुआ। सारा पैसा ऊपर के ऊपर चला गया। ऊपर के ऊपर कहां चला गया? जैसा मैंने निवेदन किया था कि वे वहां से क्यों नहीं हटना चाहते, क्यों एक दो लाख रुपए मंत्री जी को देकर वहां पर रहना चाहते हैं? उसके कारण हैं, उसके रीजन्स हैं। 6 महीने वहां बैठना कोई भी आदमी मंजूर कर सकता है लेकिन वहां से हटना कोई मन्जूर नहीं कर सकता। क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि क्यों नहीं हटे और क्यों आपके आदेश की पालना नहीं हुई? पहले आपने आदेश कर दिया और फिर आप × × × क्या आप में दम है, ऐसा कौनसा कारण था जो आपने वहां से ट्रान्सफर करके बाद में ट्रान्सफर निरस्त कर दिया? ऐसे कौन से कारण थे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : × × × गलत बात है। इस प्रकार मर्जी आये जो बात बोलेंगे, सभापति महोदय...

×××नाम व अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री दीपेन्द्र सिंह : ××× शब्द तो कम से कम कार्यवाही से निकाल दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हमारे मंत्री जी के लिये कहते हैं कि×××

(व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवधान मत डालिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह : सभापति महोदय,××× शब्द एक्सपंज करवाइये, कार्यवाही से निकालिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हमारे ऐसे मंत्री नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक आदमी बोलिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह करना था कि××× शब्द असंसदीय है। हमारे मंत्री भी इतने अयोग्य या इतने गंदे नहीं है कि×××

श्री सभापति : असंसदीय नहीं है, बिराजिये आप।

श्री दीपेन्द्रसिंह : यह असंसदीय नहीं है तो कौनसा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, आप ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं,××× इजाजत दे रहे हैं, ऐसी बातें यहां सदन में हो रही हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको किसने मना किया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि किस प्रकार से उस पर नियन्त्रण नहीं है...

एक माननीय सदस्य : ऐसा कहना आपकी पार्टी को शोभा नहीं देता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किस प्रकार उनको संरक्षण मिल रहा है, किस प्रकार मंत्री जी प्रोटेक्ट करते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, टेण्डर हुए......

श्री सभापति : प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 41 किलोमीटर से 43 किलोमीटर जो कि 44 भी कर लिया गया...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे यह बताने की कृपा करें कि××× शब्द संसदीय है क्या ?

श्री सभापति : शोभनीय तो नहीं है लेकिन असंसदीय है, ऐसी बात भी नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अशोभनीय है, यह तो आप भी मानते हो।

श्री सभापति : अशोभनीय, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अशोभनीय शब्दों का प्रयोग सदन के अन्दर करते हैं, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठ जायें।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मेघराज तावड़ : यह तो एक मुहावरा है।

श्री सभापति : मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य विराजें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हिन्दी की किसी किताब में XXX मुहावरा नहीं है।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने भी हिन्दी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठ जायें, आप विराजें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हमारे मंत्री जी के लिये कहते हैं, XXX हमारे मंत्रीजी पर ऐसे आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, यह तो एक मुहावरा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी गयी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने जो व्यवस्था दी है उसके बारे में निवेदन है कि XXX यह तो एक कहावत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी गयी है, अब आप विराजें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, बहुत गलत बात हो जायेगी। इतने समझदार आदमी होकर कहते हैं, XXX अच्छी बात है। पैरवी करते हैं, वकालत करते हैं·····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ॥

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ···हम वकालत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मंत्री पर आरोप लगायेंगे···

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : नहीं बर्दाश्त करो तो बाहर चले जाओ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ईमानदार मंत्री हैं, मर्जी आये जो आरोप लगा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हमारे मंत्रीजी गलत नहीं हैं, उन्हें गलत मत कहिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और आपने जब चार्ज लगाये, छैल बिहारी के ऊपर·········

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने अधिकारी पर चार्ज लगाये थे, मंत्री पर कोई चार्ज नहीं लगाया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : घनश्याम जी, आप जोर से बोल कर हमें दबा नहीं सकते।

श्री यदुनाथ सिंह : भैरोंसिंह जी ने XXX के आरोप नहीं लगाये थे।

(व्यवधान)

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : अंकित न हो ।

श्री भंवरसिंह गुर्जर : +++

श्री दीपेन्द्रसिंह : +++

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी गयी है। आप लोग व्यवस्था सम्भालिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह : माननीय सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था नहीं हुई ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सुनिये !

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, किस प्रकार से डिपार्टमेन्ट चल रहा है, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण देता हूं, क्यों नहीं आप उसकी जांच करवाना चाहते ? मैं निवेदन कर रहा हूं, जैसा मैं कह रहा था, टौंक से मालपुरा सड़क के टेण्डर लिये गये ।

श्री सभापति : संक्षेप में कहियेगा, माननीय सदस्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। मैंने 5 कटौती प्रस्ताव दिये हैं, माननीय सभापति महोदय, उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा।

श्री सभापति : समय फिर भी सीमित है। आपके बहुत सारे कटौती प्रस्ताव हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि 41 से 43 से 44 भी पूरा कर लिया, उसमें टेण्डर कॉल किये 10-11-81 को टेण्डर कॉल किये स्टेण्डर्ड से 4.66 प्रतिशत बिलो टेण्डर दिये गये। उसको कटिंग करके 4.66 बिलो जो टेण्डर दिये गये, इस प्रकार 4 लाख रुपए का घोटाला केवल उस एक टेण्डर में किया गया। माननीय सभापति महोदय, क्या उसकी जांच करवायेंगे ? मैं निवेदन करूंगा, किस प्रकार से वहां पर यह सारा कार्य चल रहा है, अखबारों में इसकी बड़ी चर्चा हुई, अनेक लोगों ने शिकायत भी की। ठेकेदार ने वहां पर कर्मचारियों को धमकी दी, डामर डालने की शिकायत हुई। डिपार्टमेन्ट के किसी व्यक्ति ने कोई एक्शन लिया ? वह इसलिए नहीं लिया कि ठेकेदार, मिनिस्टर और वहां के अधिकारी मिले हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा को टौंक से सवाई माधोपुर सड़क को 3 फीट चौड़ा किया गया। उसकी जो 13 इंच की थिकनेस होनी चाहिए, उसकी जो गहराई होनी चाहिए, वह नहीं है। उस पर जो ब्लास्टिंग लगना चाहिए, जितनी डामर लगनी चाहिए, मेरा यह दावा है, उतनी नहीं है। आप जांच करा लें। आपके क्वालिटी कन्ट्रोल के अधिकारियों ने जो जांच की है, वह तो की है लेकिन मैं स्पेसिफिक कहना चाहता हूं, सवाई माधोपुर-टोंक रोड पर इस प्रकार से भयंकर रूप से घोटाला हुआ है। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैटीरियल नहीं लगा, पूरा मैटीरियल नहीं लगा। उस सड़क की गहराई पूरी नहीं है, पूरा डामर नहीं लगा, ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पूरी ब्लस्टिंग नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाने को तैयार हैं ? सभापति महोदय, मैं

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निवेदन करना चाहता हूं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्टोर के लिए बहुत पर्चेजिंग की गई। जिस सामान की आवश्यकता नहीं थी, बहुत सारा सामान खरीदा गया जो आज साल-डेढ़ साल से बिना उपयोग में आये पड़ा हुआ है। अधिकारियों के बंगले बन रहे हैं, बहुत सारा सामान उनमें पहुंच गया। क्या मंत्री महोदय इसको जांच करवायेंगे? नहीं करवा सकते।

श्री दीपेन्द्रसिंह : क्यों नहीं करा सकते? करवायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मंत्री महोदय के पास तो अपना सारा स्टाक करीब-करीब आ चुका है। मैं निवेदन करूं कि...

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 12 पर जो निर्माण का काम हो रहा है उसमें बाई-पास का पैसा इनको मिलता है। पैसा ले लिया जाता है। उस पर गिट्टी उनको बिछानी चाहिए। वह नहीं बिछाते हैं। सभापति महोदय, ऐसे जम्प लगते हैं कि कइयों के टायर फट जाते हैं, एक्सल टूट जाते हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से पहले निवेदन किया था कि सारी सड़कें ऐसी बन रही हैं, कहीं पर भी ठीक व्यवस्था नहीं की गई है। सारा पैसा डकार गये और बिल्कुल डकैती की तरह इस विभाग में काम हो रहा है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इसको रोका जाय। सारे जिले में जिस प्रकार की सिचुएशन है, माननीय सभापति महोदय, बनास नदी वहां पर बहती है और बनास नदी बहने के कारण 6-7 महीने सारे रास्ते ब्लाक हो जाते हैं। टोडा और मालपुरा की दूरी 35-40 किलोमीटर हो जाती है। टोंक से दहलोद या मेघावास की तरफ जाने के लिये एक रपट या पुलिया बनास नदी पर बना दी जाय तो, मैं समझता हूं, 7-8-10 किलोमीटर की दूरी पर टोडारायसिंह हो जायेगा जो अभी 60-70 किलोमीटर पड़ता है। तहसील के गांवों में जाना पड़ता है, वहां के लोगों को टोंक में आना पड़ता है हैडक्वार्टर होने की वजह से। मैं समझता हूं, वहां पुलिया या रपट का निर्माण हो जाय तो लोगों को सुविधा हो जायेगी, विभाग को आमद हो जायेगी। बहुत बड़ा ट्रेफिक वहां ब्लाक होता है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कटौती प्रस्ताव, माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : 2 मिनिट में आप समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : आज क्या बात है कि असंतुष्ट बहुत खुश नजर आ रहे हैं हाउस में?

श्री सभापति : यह कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : सभापति महोदय, यह मर्जी में जो आये वह खड़े होकर बोल देते हैं।

श्री सभापति : Please sit down.

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, इनको ताड़ना दी जानी चाहिये...

(व्यवधान)

श्री मेहरसिंह गुर्जर : हम सन्तुष्ट हैं। माननीय सभापति महोदय, कोई असंतुष्ट नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो प्रोग्राम है सब पंचायतों को सड़क से जोड़ने का…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैंने कई कटौती प्रस्ताव सड़कों के सम्बन्ध में दिये हैं। जो बड़ी-बड़ी पंचायतें है, 5-5 हजार की जहां की आबादी है वहां यदि सड़क बनती है तो 6-7 पंचायतें जुड़ती हैं। इस प्रकार की कई सड़कें हैं। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनका विधिवत जवाब तो मुझे मिलेगा लेकिन जो काम होने चाहियें वह जरूर हों। एक उदाहरण निवेदन करना चाहूंगा। ज्यादा दोहराने से या निवेदन करने से सड़क नहीं बनने वाली है, यह मैं जानता हूं, इसलिये जिन-जिन सड़कों को आपके कार्यक्रम के अनुसार बनाना है उनको आप अपने प्रोग्राम के अनुसार बनाने की मेहरबानी करें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले मे 1980-81, 1981-82 1982-83 में प्लान के अनुसार, चाहे पंचायत को जोड़ना हो, चाहे 15 सौ की आबादी के गांव को जोड़ना हो, एक भी सड़क बनी है तो माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे। क्या राजनैतिक कारणों से सड़कें बनेंगी? क्या राजनैतिक कारणों से डिपार्टमेन्ट चलेगा? जिस प्रकार अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में 3-4 सड़कें और बनवा रहे हैं, क्या किसी को यह अधिकार है कि वह मंत्री बन जाय तो राजकोष से अपने क्षेत्र में काम करवाये? क्या यह अधिकार है, अपने दामाद को नाजायज फायदा पहुंचाये? किसी भी मंत्री, किसी भी सरकार को राजकोष से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोडाभीम में सहायक अभियन्ता, पी. डब्ल्यू.डी. द्वारा जो भवन निर्माण कार्य हो रहा है उसके ठेकेदार इनके दामाद हैं जो कि मिट्टी का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी जो सड़कें बनती हैं, जो भवन बनते हैं, चाहे वह फ्लड में बनी है उनका काम पूरा नहीं हो रहा है। हमारा जो पक्का बांध है, बाढ़ के 2 साल बाद भी उसका काम पूरा नहीं हो रहा है। उन सब कामों की जांच करवायेंगे? साथ ही यह भी बताये कि सड़कें बनाने के महीने के बाद में सड़क पर जो बड़े-बड़े खड्डे बन जाते हैं उनको ठीक कराने की आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री दीपचन्द जी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, सत्ता पार्टी से कितने व्यक्ति बोल गये हैं, हम लोगों को अवसर नहीं दिया जा रहा है बात क्या है?

श्री जगन सिंह (बयाना) : सभापति महोदय, मैं…

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री दीपचन्द।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजगढ़ क्षेत्र के बारे में पी. डब्ल्यू.डी. की डिमाण्ड के बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता

(श्री दीपचन्द)

हूं। राजगढ़ शहर में तीन सड़कें हैं। एक-एक मील की है, एक डेढ़ मील की है और एक दो मील की है। तीनों ही सड़कों की बहुत बुरी हालत है, टूटी-फूटी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। अलवर एक बड़ा शहर है और शहर के अन्दर से सड़कें आती जाती हैं लेकिन सड़कों की बुरी हालत है। इसके अलावा राजगढ़ से वहल एक सड़क जाती है, जो 15 किलोमीटर है। पांच साल के भीतर वह सड़क पक्की बनी थी और पांच साल के अन्दर ही उस सड़क की दो बार मरम्मत हो गई। उसके बावजूद आज वह सड़क जगह-जगह पर टूटी-फूटी है उस पर जगह-जगह खड्डे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा; मेरी समझ में नहीं आता कि पांच साल के भीतर जो सड़क पक्की बने उसकी डेढ़-दो साल बाद मरम्मत होवे, तो क्या उसकी कोई जांच करने वाला नहीं है कि किस ठेकेदार ने यह सड़क बनाई, इस सड़क की इतनी बुरी हालत इतनी जल्दी क्यों हो गई? डिपार्टमेन्ट का कोई भी कर्मचारी उसकी जांच करे तो सही जांच करे। ठेकेदार जिस ने खराब सड़क बनाई है उसको ब्लैक लिस्टेड करें। ठेकेदार के इंजीनियर जो बिल पास करे है उसकी जांच करनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, गांव में सड़क सिर्फ 15 किलोमीटर है और वह 15 किलोमीटर सड़क पांच साल के भीतर बनी है। उसकी दो बार मरम्मत हो गई और दो बार मरम्मत के बाद आज जगह-जगह पर खड्डे हैं। राजगढ़ से बहल सड़क जाती है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि बहल हरियाणा में है और हरियाणा के लोग-बाग राजगढ़ आते हैं, वह सभी मजाक बनाते हैं कि आपकी यह 15 किलोमीटर सड़क आपके राज में नहीं बनती और बनती है तो रोज-रोज टूटती है। आपकी हकूमत और आपके पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी, कर्मचारी करते क्या हैं।

माननीय सभापति महोदय, म्हारे राजगढ़ क्षेत्र में दो तीन अदालतें हैं। एक तो एस० डी० एम० की अदालत है, एक तहसीलदार की अदालत है, एक मुसिन्फ कोर्ट है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तीनों अदालत के मकान खतरनाक घोषित कर रखे हैं। वास्तव में उनकी हालत भी खराब है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी बजट पास करा कर हमारे शहर की जो तीनों अदालत के भवन हैं उनका सार्वजनिक निर्माण विभाग से निर्माण करवाना चाहिये। नहीं तो जो जगह-जगह मकान की दीवारें, छत टूटी हुई हैं उनके गिरने से अफसर तो मरेंगे ही, साथ-साथ आने-जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी हालत भी खराब हो जायेगी। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से यह और निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी दूसरीं सड़कें हैं उनकी भी हालत खराब है। पिछले दिनों सार्वजनिक तौर पर पुलिस वालों की भारी खिलाफत हुई थी, मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस वाले ××× पैसे लेते हैं और यह पी. डब्ल्यू.डी. के कर्मचारी और ऑफिसर जिस तरह व्यापारी प्रेम प्यार से कपड़ा वेचकर पैसा लेता है उसी तरह यह झूठे बिल बनाकर और ठेकेदारों से मिल कर पैसा कमाते हैं। राजस्थान के अन्दर, मुझे कहना पड़ता है, मैं हरियाणा के नजदीक का हूं। हरियाणा की सड़क बड़ी शानदार है। वह दस-दस, बीस-बीस साल पहले सड़क बनी हुई हैं लेकिन कहीं से भी कोई सड़क टूटी नहीं है। राजस्थान की जितनी भी सड़कें

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दीपचन्द)

पांच साल ,सात साल पहले की हैं उन सबकी हालत खराब है । हालत खराब क्यों है ? ठेकेदारों से बीस पर्सेन्ट , तीस पर्सेन्ट या दस पर्सेन्ट यह ऑफिसर पैसे लेते हैं इसलिये ठेकेदार बेचारा रोता है और खराब सड़क बनाता है। ठेकेदारों की हालत वैसी है, माननीय सभापति महोदय, जियां बाई न बटेऊ लेण आ जाय वा रोणती जाय और बटेऊ के सागे चाली जाये। ठेकेदारों की यह हालत है सड़क बनावदा जाय और रोवन्दा जाय और पर्सेन्टेज अलग अफसरां ने देता जावे । इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह बहुत बड़ा काम है, विकास का काम है । सड़क का मामला है, राजस्थान के अन्दर बहुत कम सड़कें हैं । आपकी जिम्मेदारी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार की वजह से यह विभाग बदनाम है। पुलिस वाले जब किसी को फांसी चढ़ा देते है, किसी पर मुकदमा बना देते हैं, जेल भेज देते हैं, तो उसका प्रोपेगेण्डा समाज में अखबारों के जरिये जगह-जगह घर घर पहुंच जाता है, पर यह सार्वजनिक निर्माण विभाग तो व्यापारी की तरह से है, प्रेम से और प्यार से झूठा बिल बना-बना कर उठा लेते हैं । पी.डब्ल्यू.डी. की आज हम डिमान्ड पास कर रहे हैं, डिमान्ड तो पास करें हम माननीय सदस्य और पीसड़ा खायें यह माननीय कर्मचारी भाई । यो पाप म्हारे कन्नै क्यों कराओ हो । मैं तो यही समझूं छूं अन्दर बैठ्या-बैठ्या आप सामने अन में कहदयो हां,और डिमान्ड पास हो जावे है। तो फालतू की बदनामी क्यों कराओ हो, म्हारे से थे पाप क्यों कराओ हो । यो पीसो बेकार जावे है। आफिसरां की जेब में जावें है । आफिसरां की टाई खरीदवा में जावें है। आफिसरां का मकान बनें । बीकां टाबर मजा करे मस्ती करे और गरीब बिचारा एक-एक इंच सड़क बेई मरता फिरे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, हरियाणा के अन्दर हमारी रिश्तेदारी है । हरियाणा के लोगबाग जब हमारे यहां आते जाते हैं तो कहते हैं कि कै तो सड़क बनाओ नहीं तो टाबर ही कोनी दयां थाने। ....

(व्यवधान)

मेरे राजगढ़ क्षेत्र में कई गांव जैसे सिद्धमुख, नारंगपुरा, सेईगांव, बरसर, चिड़ाव, उड़ान आदि हैं, जो बड़े-बड़े गांव हैं और आपकी सड़कों के बिल्कुल आस-पास लगते हैं। इसलिए कम से कम अप्रोच रोड बनाकर ऐसे बड़े-बड़े गांवों को सड़क से जोड़ दें, नहीं तो राजगढ़ तहसील के लोगों की हालत यह हो जायेगी कि हरियाणा के अन्दर रिश्तेदारी होती है वह भी बन्द हो जायगी । सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो बसे हैं वह सारी बसें फेल इसलिए हुई कि राजस्थान के अन्दर सड़कों की हालत खराब है । राजस्थान की सारी सड़कें खराब हैं, 90 पर्सेन्ट सड़कें खराब हैं इसकी वजह से बसों की हालत खराब होती है। राजस्थान में बसें खराब होती हैं, रास्ते में खड़ी हो जाती हैं । हरियाणा के अन्दर हर जगह सड़कें शानदार हैं, मजबूत हैं इस कारण हरियाणा की सारी बसें ठीक हैं, उनकी हालत अच्छी है। हमारी बसें जब रूट पर आती है तो बड़ी मजबूत होती हैं , अच्छी हालत में होती हैं लेकिन तीन साल के बाद में बसों की हालत खराब हो जाती है और बदनाम होता है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। उसके कर्मचारी, ड्राइवर और कण्डक्टर तो वास्तव में बदनाम हैं ही, गड़बड़ी उनमें भी है लेकिन बीमारी यह है कि राजस्थान की सड़कों की हालत बहुत

(151)

(श्री दीपचन्द)

खराब है। राष्ट्रीयकरण की नीति सड़कों की वजह से फेल हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि राजस्थान के अन्दर जितनी भी सड़कें हैं उनका रखे-रखाव करना चाहिए। हमारे से जो बजट पास कराने की बात कह रहे हैं, मैं एक निवेदन करूंगा कि बजट तो पास हो जायेगा, आपका हमारा बहुमत है, सरकार का बहुमत है, हां पक्ष का बहुमत है लेकिन इस पवित्र भवन में बजट पास करने के बाद अपवित्र आदमियों ने खावनं ना हुई श्रो, या इन्तजाम करो।

जयहिन्द।

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री शिवदान सिंह।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, बार-बार निवेदन करने पर भी हमारी पार्टी को समय नहीं दिया जा रहा है क्या बात है?

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कभी-कभी बोलते हैं। आप समय नहीं दे रहे हैं,×××हमने कट-मोशन दिया था। माननीय सभापति महोदय, आप सरकार के नाते हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं। हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री सभापति : आपके अधिकारों की रक्षा की जायेगी।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है उसी प्रकार से यह एक पी. डब्ल्यू. डी. हमारी राज्य सरकार के सारे अच्छे कामों पर पानी फेर रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में सराहनीय काम होते हैं।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि डिस्टर्ब नहीं करें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि यह एक ही महकमा ऐसा है जो सरकार की सारी उपलब्धियों पर पानी फेर देता है। सरकार के दूसरे महकमों के जितने भी सराहनीय काम हो रहे हैं, सरकार पूरी लगन से जनता का विकास कर रही है लेकिन यह पी. डब्ल्यू.डी. उसी प्रकार का काम कर रहा है जिस प्रकार एक मछली तालाब के सारे पानी को गन्दा कर देती है। सरकार के पास जो पब्लिक की खून-पसीने की कमाई का पैसा आता है उस सारे के सारे को भ्रष्टाचार करके खा जाते हैं। भयंकर भ्रष्टाचार इस पी.डब्ल्यू.डी. में है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पी.डब्ल्यू. डी. में एक लॉबी बन गई है, सारे इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर्स का एक ग्रुप बना हुआ है। वह यह सोचता रहता है कि किस प्रकार से पब्लिक का पैसा खायें, किस प्रकार उनकी जेबों में जाय। जयपुर में उनके बंगले हैं। ऐसा कोई भी एक्स.ई.एन. नहीं है जिसका आज "ए" क्लास म्युनिसिपैलिटीज में बंगला

×××शब्द माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से अपलोपित किये गये।--

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

नहीं हो। सबके बंगले हैं। एक-एक बंगले का अगर हिसाब किया जाय तो लाखों रुपयों की उनके पास प्रॉपर्टी है। पी.डब्ल्यू.डी में दो ग्रुप बने हुए हैं जिससे सारी एफिशिएन्सी खतम हो गई। पी.डब्ल्यू.डी. के कर्मचारियों में कोई एफिशियेन्सी नहीं है। जिस प्रकार हमारे विधान सभा में पक्ष और विपक्ष है, इस तरफ की पार्टी बहुमत में आ गई तो इधर के मुख्य मंत्री बन जाते हैं, और कभी उस तरफ की आ गई तो उनके मुख्य मंत्री बन जाते हैं, जिस प्रकार ये मुख्य मंत्री बनते हैं तो सारा का सारा रद्दो बदल हो जाता है। उसी प्रकार पी.डब्ल्यू.डी. में जब एक ग्रुप का चीफ इंजीनियर आता है तो वह अपने चहेतों को अच्छी पोस्ट्स पर बिठा देता है और जब दूसरे ग्रुप का आता है तो वह अपने चहेतों को अच्छी पोस्ट्स पर बिठा देता है। आज सारे भ्रष्ट अधिकारी अच्छी पोस्ट्स पर लगे हुए हैं। मैंने पिछली दफा विधान सभा में क्वेश्चन किया था, कौन-कौन से एक्स. ई. एन., ए. ई. एन. और एस. ई. के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है? जिनके खिलाफ ढाई साल से इन्क्वायरी चल रही है वे सारे अधिकारी बढ़िया पोस्ट पर बैठे हैं। उनको पहले दूसरी जगह बैठा दिया गया था। वर्तमान में जो चीफ इंजीनियर है, जिनके हाथ में पी.डब्ल्यू.डी. को चलाने की पावर हैं, उन्होंने करप्ट आदमियों को ला-लाकर अच्छी जगह बैठा दिया है। जो ईमानदार आदमी हैं, आज पी. डब्ल्यू. डी. में उन ईमानदार ऑफिसर्स का जीना मुश्किल हो गया है। चूंकि वह ईमानदार है उनके भ्रष्टाचार में साथ नहीं दे रहे हैं इसलिए उनको कम्प्यूटर्स में बिठा दिया गया है। किसी को खराब जगह पोस्टिंग दे दी, किसी के खिलाफ इन्क्वायरी की जा रही है। अगर कोई भ्रष्ट है तो उनको सजा दीजिये, पनिशमेन्ट दीजिये। लेकिन जिनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं होता है इवन देन उन आदमियों को लाकर ऐसी जगह बिठा दिया गया है, जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन सब को अच्छी जगह पर लगा दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इतनी शराफत मत रखिये, इतने भले मानस मत बनिये। आप इतने भले हैं कि पी.डब्ल्यू.डी. के सारे काम को आपने इन अधिकारियों, इंजीनियर्स के भरोसे छोड़ दिया है, आपका इन पर कोई कण्ट्रोल नहीं है। आप इन पर कण्ट्रोल कीजिये, कुछ सख्ती कीजिये और केवल इनके भरोसे पी. डब्ल्यू. डी. को मत छोड़िये। आज पी.डब्ल्यू.डी.मंत्री, माननीय चेतरामजी मीणा की शराफत की वजह से ऐसा लग रहा है कि पी.डब्ल्यू.डी. का कोई मंत्री नहीं है, ये जो इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर, एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं वे ही मंत्री हैं, वे ही सब कुछ है, वे ही पी.डब्ल्यू.डी. के सर्वेसर्वा बने हुए हैं। तो, माननीय मंत्री महोदय से मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि जो पी. डब्ल्यू.डी. में भ्रष्ट इंजीनियर्स लगे हुए हैं उनकी कुछ खिचाई कीजिये। वे जो कागज लेकर आयें उन पर आप केवल साइन मत कीजिये, मात्र ट्रान्सफर्स का काम अपने पास मत रखिये, इस महकमे को सुधारने की भी कृपा कीजिये। आपके हाथ में केवल ट्रान्सफर की पावर हैं बाकी सारा काम वे कर रहे हैं आपकी शराफत और भलमनसत की वजह से। मेरा निवेदन यह है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन पर कण्ट्रोल करें और पी.डब्ल्यू.डी. में जो करप्शन हो रहा है उसको रोकें। सभापति महोदय, मेन्टीनेन्स पर करीब 25 करोड़ रुपये रखे हैं। आज हालत यह है कि उसमें से 15 करोड़ रुपये वर्क चार्ज और गैंगमेन की तनख्वाह में चले जाते हैं। सैंकड़ों हजारों लोग गैंगमेन और वर्क चार्ज हैं उनको 15 करोड़ दे रहे हैं और वहां कोई भी

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

काम नहीं हो रहा है। उनके काम का कोई लेखा जोखा नहीं है। वे लगे हुए हैं या तो ए.ई-एन. साहब के ऑफिस में उनका खाना बनाने के लिये या फिर एक्स.ई-एन., ए.ई-एन.,एस.ई., चीफ-इंजीनियर के पास उनकी हाजरी भरने के लिये, खाना बनाने के लिये लगे हुए हैं। उनको हटाने की किसी में क्षमता नहीं है। जब मीटिंग हुई थी तब यह भी हमने कहा था कि या तो उनको काम दीजिये, और अगर काम नहीं दे सकते हैं तो उन्हें नौकरी से हटाओ। तो वे यह कहते हैं कि उनको हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? इसलिये कि वे सारे गैंगमेन और वर्क चार्ज श्रमिक किसी एक्स.ई-एन., ए.ई-एन., एस.ई. या चीफ इंजीनियर के घर पर काम करते हैं और उन लोगों को मालूम है उनकी सारी पोल, अगर उनको हटायें तो सब अधिकारियों की पोल खुल जाय। मेरा निवेदन है कि इन लोगों की सेवाओं का या तो जनता के लिये उपयोग होना चाहिये, इनके द्वारा जनता की सेवा की जानी चाहिये या इनको हटाया जाना चाहिये।

इसी प्रकार मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जाकर देखें, इस मौसम में पेड़ों को जगह-जगह छान लिया, बकरियों और मवेशियों को चराने के लिये। वह सारा पैसा पशुपालकों से आपके नीचे के अधिकारी वसूल करते हैं। आपको इन पेड़ों को नीलाम करना चाहिये। एक पर्टिक्यूलर सीजन के अन्दर उनको नीलाम कर दिया जाय और ठेका देकर पैसा वसूल कर लिया जाय। और अगर आप नीलाम नहीं करते हैं तो बिल्कुल पाबन्द किया जाना चाहिये कि एक भी पेड़ छाना नहीं जाय। आज सैंकड़ों दरख्त हैं जिनको लोग छान गये। लाखों रुपयों की इन्कम पेड़ों से हो सकती है लेकिन वह इन्कम आपके एक्स.ई-एन.,ए.ई-एन. और जे.ई-एन. के हाथ में जा रही है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे बतायें, इस प्रकार पेड़ सड़कों के किनारे पर छाने हुए हैं या नहीं अगर छान लिये तो किन लोगों ने छाने? सभापति महोदय, हमारे गांव में जो खेत हैं उनमें जो दरख्त लगे हुए हैं हम लोग उनको छान कर बेचते हैं तो प्रति पेड़ से कम से कम पांच रुपये की इन्कम होती है। आज हमारा फारेस्ट विभाग बताता है कि हमने लाखों करोड़ों की तादाद में पेड़ लगा दिये हैं। सड़कों के किनारे लाखों दरख्त हैं, अगर आप उन पेड़ों को ठेके पर दें तो आपको पचासों लाख की इन्कम हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे उन इन्जीनियर्स की इन्कम समाप्त हो जायेगी, उन लोगों की पेट की भराई नहीं होगी। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप उन पेड़ों को ठेके पर देकर छनाई शुरू करें या इस प्रकार के आदेश दें कि कोई भी दरख्त नहीं छाना जाना चाहिये। इस प्रकार के आदेशों का सख्ती से पालन करायें।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार भ्रष्ट अधिकारियों को यहां पनपाया जा रहा है। अशोक कुमार जैन, जो चीफ इंजीनियर के पी.ए. हैं, के 6 इन्क्रीमेन्ट रोक दिये गये इन-एफिशियेन्सी या शिकायत की वजह से। 1980 में उनका डी.पी.सी. द्वारा रिजेक्शन कर दिया गया लेकिन 1981 में उन्होंने न जाने क्या तिकड़म लगाई, जिस प्रकार यह पक्ष आकर पावर में बैठ जाता है और वह पक्ष आकर विपक्ष में बैठ जाता है उसी प्रकार एक पक्ष पावर में आया और उनको सलेक्ट कर दिया। इसके

(श्री शिवदानसिंह राठौड)

अलावा मैं निवेदन करूंगा, एक्स. ई-एन., जालोर ने लूनी नदी पर काम किया। लूनी नदी से सारे घर बह गये. लाखों करोड़ों रुपये की वहां हानि हुई। इसी प्रकार जालोर में गर्ल्स स्कूल उन्होंने बनाया था जिसकी छत गिर गई और लड़कियां उसके नीचे दब गई। उस एक्स.ई-एन. की इन्क्वायरी करके दो इन्क्रीमेंट रोक दिये गए थे। जिसके 6 इन्क्रीमेंट्स रोके गए थे, 1980 में जिसका रिजेक्शन हुआ था डी.पी.सी. से चूंकि वह किसी के चहेते हैं इसलिए उस एक्स. ई-एन. को 1981 में 6 इन्क्रीमेंट रुके हुए होते हुए भी, पहले से रिजेक्टेड होते हुए भी एस० ई० में प्रमोशन दे दिया। तो इस प्रकार एक तरफ जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिनके खिलाफ पूरी बातें साबित हुई हैं, पनिशमेंट मिला हुआ है, उनको प्रमोशन्स दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईमानदार लोगों को लाकर कम्प्यूटर में बैठाया जा रहा है। चूंकि यह हां पक्ष या विपक्ष वाला सवाल हो गया कि हमारे आदमी हैं, हम पावर में आ गए, हमारे आदमी का फायदा करेंगे चाहे भ्रष्ट ही हो। पी०डब्ल्यू०डी० में बिल्कुल इसी प्रकार चल रहा है।

एशियाड जब यहां हुए थे तब रामगढ़ की जो सड़क बनाई थी उसके लिए ए०ई-एन० ओ०पी० जौहरी लगे हुए थे। उनकी देखरेख में सारा काम हुआ था। उस सड़क का काम डिपार्टमेंटली कराया गया और ठेकेदार से भी कराया गया। इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। डिपार्टमेंटली किए हुए काम के पैसे का ठेकेदार को भुगतान किया गया। दोनों काम साथ-साथ कराए गए, उनकी साइड बराबर तय नहीं की गई। जो डिपार्टमेंट द्वारा काम हुआ था उसका पैसा उस ठेकेदार को ए.ई-एन ने मिलकर दे दिया। इसी प्रकार रामगढ़ सड़क पर जो 6 किलोमीटर की पुलिया बनाई गई, रिकार्ड पर पुलिया बनी हुई बता दी गई, कार्य पूरा हुआ मान लिया गया, उसका पेमेंट कर दिया गया, उसके बाद उस पुलिया की सीमेंट जौहरी साहब ने ठेकेदार को दी ? आप देखिये, पेमेंट होने के बाद सीमेंट मिलती है। रिकार्ड पर काम पूरा हुआ मान लिया जाता है और स्टोर से सीमेंट बाद में दी जाती है। सभापति महोदय, जब स्टोर से सीमेंट ही नहीं मिली तो पुलिया बन किस प्रकार गई ? आप देखिये, किस प्रकार पी०डब्ल्यू०डी० में भयंकर घोटाले किए जा रहे हैं।

इसी प्रकार इस सड़क पर डामर बिछाने का काम हुआ। 10-12 एम०एम० की गिट्टी डालनी थी लेकिन 12 एम.एम. की जगह उन ठेकेदारों ने 10 एम०एम० की गिट्टी डाली। उसका पेमेंट भी इसी प्रकार कर दिया गया। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण पी० डब्ल्यू० डी० में हैं। हमारी सरकार पैसा बरबाद करने के लिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में पैसा डालने के लिए, इनके आलीशान बंगले बनाने के लिए, टी०वी० रखने के लिए विभाग चला रही हो तो मेरा निवेदन है, मेहरबानी करके, इस विभाग को आप उठा दीजिए, बन्द कर दीजिये। क्यों बरबाद कर रहे हैं जनता के इस पैसे को। यह विभाग सरकार के सारे कामों को उसी प्रकार खराब कर रहा है, जिस प्रकार एक मछली तालाब के सारे पानी को गन्दा कर देती है। मैं मीणा साहब से निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप थोड़ा भलमनसत को कम करें, सख्ती का इन भ्रष्ट इंजीनियर्स के साथ व्यवहार करें और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करें।

मैं कुछ मेरे क्षेत्र के कार्यों के बाबत निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में वर से बिलाड़ा

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

एक सड़क है, जिस पर निम्बाज और जाजन का बाई-पास है । आज 10 वर्षों से यह मामला अटका पड़ा है । इस सड़क की स्वीकृति हो गयी लेकिन इसको बनाया नहीं है। यह बहुत असेन्शियल है कि उस बाई-पास को बनाया जाए। निम्बाज और बर के बीच में जो सड़क है, उस पर मिड के पास सड़क के दोनों और बोरड़ियां लगी हुई हैं। पिछले विधान सभा सत्र में मैंने प्रश्न किया था, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही उन बोरड़ियों का अधिग्रहण करके सड़क को चौड़ी कर देंगे । वह सड़क चौड़ी नहीं है, इसलिये हर दूसरे तीसरे दिन वहां एक्सीडेंट्स होते हैं। इस सदन में आश्वासन दिया गया था लेकिन उस आश्वासन का कोई पता नहीं है । मंत्री महोदय का आश्वासन मेरे तक सीमित रह गया । ये इंजीनियर्स मंत्री महोदय का कोई कहना मानने के लिए तैयार नहीं हैं । आप जिस बात का सदन में आश्वासन दें, कम से कम वह तो क्रियान्वित किया जाए । आप व्यक्तिगत तौर पर कोई बात कहें, वह काम नहीं हो तो कोई बात नहीं लेकिन हाउस के फ्लोर पर आपने जो प्रश्न का जवाब दिया कि उन बोरड़ियों का शीघ्र अधिग्रहण कर सड़क चौड़ी कर देंगे, मेहरबानी करके मिड के पास उन बोरड़ियों का अधिग्रहण कराकर सड़क चौड़ी कराने का कष्ट करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री अमरा राम ।

(व्यवधान)

3:1 रेश्यो में नम्बर आ रहे हैं, सबका नम्बर आएगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): मेरी पार्टी का अलग से नम्बर है।

श्री सभापति : उसके अनुपात में जरूर समय मिलेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेघराज जी, आज आपने बहुत भाषण दे दिये हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अभी आपके खिलाफ देना बाकी है ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त हो, तब तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय सदन की स्वीकृति से आज की कार्यवाही समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कार्य सूची ।

श्री सभापति : कार्य सूची।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप बोल लें।

श्री सभापति : मैं इसी प्रकार अवसर दे रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक मैम्बर एक पार्टी का रोजाना बोले, यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : मैं तो सारी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरी पार्टी इन्टरनेशनल है उसको और ज्यादा समय मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सभी को मौका दिया जाएगा, आप लोग चिंता न करें, माननीय सदस्य।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा कि किस प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया जाए ताकि यह जो हमारे राष्ट्र का पैसा है उसका सही उपयोग हो सके। बाड़मेर जिले में संवत् 2025 और 26 में अकाल पड़ा उस समय ग्रेवल सड़कों का निर्माण हुआ। पहाड़ों से कान्क्रीट तोड़ी गई और जहां-जहां तोड़ी गई वहां-वहां आपने ग्रेवल की खुदाई की लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ। जब तक दो तीन साल पहले अकाल बाड़मेर में दुबारा नहीं पड़ा तब तक उसका उपयोग नहीं हुआ और 10 साल में वह कान्क्रीट, ग्रेवल सब गायब हो गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़कों के बारे में प्रतिवेदन में दिया है, उसमें कितनी लम्बी रोड बाड़मेर में बनेगी, इस बारे में कुछ भी नहीं है। बाड़मेर के बारे में जैसा मैंने प्रश्न पूछा था, तो जवाब दिया कि फेमिन में पहले जो सड़कें बनी हैं उनकी रिपेयर, मरम्मत तो अकाल में ही होगी, यानी अकाल पड़े तब हमारी सड़कें जो पुरानी बनी हुई हैं उनका सुधार हो सकेगा।

(4.55 म.प.)
(श्री माधव सिंह दीवान सभापति पीठासीन)

मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां पर जो सड़कें आप बनायें, चाहे फेमिन में बनायें, चाहे 5 किलोमीटर में अर्थ वर्क करें लेकिन उसके बाद में उस पर यदि ग्रेवल डाली जाए तो वह सड़क कामयाब हो सकती है। यदि आपने 30 किलोमीटर सड़क का अर्थ वर्क किया और तब तक फेमिन रिलीफ वर्क बन्द होने की डेट आ गई, बरसात हो गई, तो फेमिन रिलीफ वर्क बन्द हो जाते हैं। साल भर के अन्दर···

श्री सभापति: कृपया आसन को संबोधित करें।

श्री अमराराम चौधरी: जो अर्थ वर्क किया वह बिल्कुल बिखर जाता है यानी जो पैसा हमने खर्च किया उस पैसे की कोई उपयोगिता नहीं रहती है। आप चाहे 5 किलोमीटर सड़क बनायें, चाहे 10 किलोमीटर सड़क बनायें लेकिन उस सड़क को पूरा नहीं करायेंगे, उसी साल पूरा नहीं करायेंगे तो वह काम दिखेगा नहीं। यह बात जरूर है कि आपने काम खुलवाया क्योंकि दूसरे काम नहीं हो सकते। दूसरा काम नहीं होने के कारण लोगों को मजदूरी उपलब्ध हो गई, उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन देश का पैसा है उसका सही उपयोग हो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप सड़क के जो भी कच्चे काम करायें, उस पर ग्रेवल अवश्य करायें ताकि लोगों के लिए वह सड़क उपयोगी हो जाए। आपने अर्थ वर्क कराया, इससे हमारे पास में जो रास्ता था वह भी बिल्कुल खराब हो गया। उस पर कोई गाड़ी चल नहीं सकती, जीप चल नहीं सकती जब तक उस पर ग्रेवल नहीं डाली जाय। आप अपने अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश दें कि बाड़मेर में कुल ऐसी कितनी सड़कें हैं जिन पर लाखों करोड़ों रुपये अर्थ वर्क में लगे हैं। जो ग्रेवल तालाबों में पड़ा है, बरसात आएगी और वह ग्रेवल खराब हो जाएगा। हम फिर क्वेरीज से, उन तालाबों से खुदा हुआ ग्रेवल नहीं निकाल सकेंगे।

मैं हाल ही में मेरे क्षेत्र रिचौली में गया था। वहां पर ग्रेवल खुदा हुआ पड़ा है लेकिन पानी के अन्दर है। इस साल डाले तो कैसे डालें? तालाब में पानी है उसके बीच में ढेरी लगाई हुई है। आप जब भी ग्रेवल खुदायें उसको जहां पानी का भराव न हो वहां यदि नहीं डलायेंगे तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। आपने

(श्री अमराराम चौधरी)

गत वर्ष पहाड़ों पर कान्क्रीट तुड़वाने का काम कराया, ठीक है, मजदूरी मिली लेकिन आप उस कान्क्रीट को कब काम में लेंगे ? आप मैटल रोड बनायेंगे लेकिन उसको टार नहीं बनायेंगे, डामर की नहीं करायेंगे तो वह दो तीन साल के बाद बेकार हो जाएगी। जो थोप से आगोलाई की सड़क है, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था उससे पहले ग्रेवल की सड़क बनी थी उसके बाद आज तक उसको प्लान में नहीं लिया गया।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह जो सड़क है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर दो बसें आती हैं और दो बसें जाती हैं। आगोलाई और हमारे मुख्य सचेतक जी के गांव शेरगढ़ और जैसलमेर से रामदेवरा को जोड़ने वाली गुजरात से सीधी रोड है ? इस सड़क से गुजरात से रामदेवरा जाने के लिये 50-60 किलोमीटर से भी कम दूरी है। ऐसी सड़क अभी तक नहीं बनी है। 35-40 सालों से यह सड़क बनी हुई है पर यह भी अभी तक पूरी नहीं करवाई गई है। पिछले साल फेमिन में आपने इस पर काम शुरू किया था, पर वह काम अभी तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। इसका क्या कारण है ? मेरा निवेदन है कि यह काम जल्दी से जल्दी कराया जाना चाहिये। इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो काम आप फेमिन में शुरू कराते हैं बाद में वह पूरे नहीं होते हैं, इससे नुकसान होता है। जगह-जगह पर कन्करी और दूसरा सामान पड़ा रहता है। कोई दो किलोमीटर मैटल रोड फेमिन में बनती है। जब तक पूरी मैटल रोड नहीं बनेगी तब तक, मैं समझता हूं कि जो बसें हैं उनका आना जाना बन्द रहेगा। वहां पर स्थिति ऐसी है कि लोगों का चलना-फिरना नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि यह जो लाखों रुपया आपने लगाया है; सड़क पूरी नहीं बनने से लोगों का चलना-फिरना बन्द सा हो गया है, आसान नहीं रह गया है। ऐसी सड़कों को मैटल रोड बनाने के लिए आपको प्राथमिकता देनी चाहिये। जो अधूरे काम हैं, उनको आप जल्दी से जल्दी पूरा करवायें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक बात पुलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं तो सिर्फ एक पुल के बारे में पिछले तीन साल से लगातार निवेदन कर रहा हूं। पिछले ढाई तीन साल से बालोतरा के समीप लूनी नदी पर पुल बनाये जाने के लिये…

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अभी दो साल और करोगे।

श्री अमराराम चौधरी : सभापति महोदय, सन् 1979 में लूनी नदी में फ्लड आया उस वक्त सारे रास्ते बन्द हो गये थे। उस फ्लड से हजारों-लाखों रुपयों का लोगों का नुकसान हुआ था। उस नदी के एक किनारे पर बलदेवराम मिर्धा कालोनी है, उसके पास हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है जिसमें 306 मकान हैं। इसके अलावा सैंकडों मकान वहां पर बने हुए हैं। उस तरफ नाकोड़ा का तीर्थ स्थान है और उसके पास जसोल गांव है। यह बहुत बड़ा गांव है। वहां घनी आबादी के गांव हैं और आसपास में घनी आबादी है। इसके साथ बालोतरा एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट औद्योगिक नगरी है। वहां पर एस० डी०ओ० का हैड-क्वार्टर है, न्यायालय है। हर साल चार-चार, पांच-पांच फीट पानी लूनी नदी के कारण भर जाता है जिससे महीनों तक रास्ता बन्द हो जाता है। इसलिये आप लूनी नदी पर पुल बनायें

(श्री अमराराम चौधरी)

जो पी.डब्ल्यू.डी.के सैक्रेटरी साहब हैं वह स्वयं वहां पर दौरे पर आये थे, जब वे ब्रिज कार्पोरेशन के डाइरेक्टर थे तब स्वयं उन्होंने इस बात को रियलाइज किया था और कहा था कि बालोतरा के पास लूनी नदी पर पुल बनाया जाना चाहिये। स्वयं उनके द्वारा लैटर लिखने के बाद, रिकमन्डेशन करने के बाद भी आज तक वहां पर पुल के लिये सर्वे नहीं किया गया। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, स्वयं आपने माना है कि बालोतरा से करीब दो करोड़ रुपये की इन्कम गवर्नमेंट को होती है। करीब दो तीन करोड़ रुपये की इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और दूसरी तरह से होती है। हमारी जो नगरपालिका और जो सरकारी अस्पताल है उससे आपको इन्कम होती है। ऐसे नगर में आपको लूनी नदी पर पुल बनाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिये। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जो, पहाड़ियाजी जब वहां पर पधारे थे उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि लूनी नदी पर पुल बनाया जायेगा। उन्होंने विभाग को एक लैटर भी लिखा था कि इस काम को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, मैंने पिछले सत्र में तारांकित प्रश्न पूछा था, उस तारांकित प्रश्न के समय वह लैटर सदन की मेज पर रखा था। मेरा निवेदन है, जो आपने प्रगति विवरण दिया है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। न ही उसमें ऐसी कोई और बात है। उसमें तो एक जिक्र है कि बिलाड़ा के आगे मीठी नदी पर पुल बनाया है। उसमें आपने जिक्र किया है कि बाड़मेर से जोधपुर सड़क बनाई जायेगी। बाड़मेर का नाम आपने दिया है लेकिन वह सड़क बिलाड़ा के पास है। अगर आप बाड़मेर की तरफ बढ़ते तो बात अलग थी पर आपने तो बाड़मेर का नाम उसमें वैसे ही जोड़ दिया।

श्री सभापति : बाड़मेर से जयपुर जो सड़क आती है उसमें तो आता है।

श्री अमराराम चौधरी : हां साहब, उसमें तो आता है, उसके लिये तो धन्यवाद। वह तो बन गयी पर जो पुल बनना चाहिये था वह नहीं बना। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंडली में जो चिकित्सालय है, पिछले साल 30 हजार रुपये उसकी मरम्मत के लिये सैंक्शन हुए थे। वह भवन ऐसा है, सभापति महोदय, उसमें मरीजों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। न तो मरीज वहां सो सकते हैं और न ही वह भवन कुछ काम का है। उसको ठीक कराने के लिये आपको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिये। अगर आप उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं देंगे तो मरीजों को बहुत ही दिक्कत होगी। उस अस्पताल के अन्दर कोई सो नहीं सकता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री अमराराम चौधरी : सभापति महोदय, बालोतरा शहर में सरकारी मकान, जो डाक बंगला है, में सिर्फ तीन कमरे हैं। बालोतरा इतना बड़ा औद्योगिक नगर है, उसकी आबादी 30 से 40 हजार के बीच में है वहां पर तीन कमरे आफिसर्स के लिये हैं। अगर उन तीन आफिसर्स के अलावा कोई मिनिस्टर वगैरह आ जावे तो वहां पर ठहरने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकारी भवन की व्यवस्था की जाय। मैं चाहूंगा कि वहां पर जो डाक बंगला है उसमें आप कमरों का विस्तार करावें।

अब थोड़ा मैं सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बालोतरा से समदड़ी तक जो सड़क है वह बिल्कुल ही नष्ट हो गयी है। बालोतरा से जानियाना के बीच सड़क पूरी

(श्री अमराराम चौधरी)

तरह नष्ट हो गयी है। हमारे उधर चार तारीख को मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, वहां पर बहुत बड़ा डंडिया का खेल हो रहा है मंत्री जी वगैरह आयेंगे लेकिन वहां तक आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, कार वगैरह जा नहीं सकती है। मेरा निवेदन है, सड़क पर डामर जगह-जगह से हट गया है उससे रास्ता बिल्कुल खराब हो गया है। सभापति महोदय, वहां पर ..

श्री सभापति : आप तो तिलवाड़ा के मेले में आवें तब दिखाना।

श्री अमराराम चौधरी : तिलवाड़ा के मेले के पहले तो अभी चार तारीख को बड़ा मेला लग रहा है उसमें हमारे पर्यटन मंत्री जी और केन्द्र के उप मंत्री जी, पर्यटन आयेंगे। मेरा निवेदन है, इस कार्य को आप जल्दी से जल्दी पूरा करावें।

श्री सभापति : आप तो ऐसे मंत्री को बुलाओ ना जिससे आपकी सड़क बन जावे।

श्री अमराराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इस सड़क पर जो डामर हट गया है 5-10 दिन में उसकी बिछवा दें। खास तौर से लूनी नदी के समीप पुल डाक बंगले का जो भवन है उसमें तीन कमरे बढ़ाने और सड़कों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरी यह यह मांग है इनको स्वीकार किया जावे।
धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द्र शर्मा।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) : सभापति महोदय, आज सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिमान्ड के बारे में चर्चा चल रही है।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, आप विपक्ष को समय नहीं देते हैं।

श्री सभापति : विपक्ष के सदस्य यहां पर बोल कर रवाना हो जाते हैं। किसी को कोई इन्ट्रेस्ट तो है नहीं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, आपको मुख्य सचेतक जी ने कह दिया लेकिन आसन तो मुख्य सचेतक जी से भी उपर है। आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। हम तो आपके आदेशों की पूरी तरह पालना करते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, आपने विपक्ष पर यह आरोप लगाया है कि आपका कोई भी सदस्य डिबेट में इन्ट्रेस्ट नहीं लेता है और विपक्ष के लोग बोल कर रवाना हो जाते हैं। आपका यह आरोप सत्य नहीं है। आप सामने के ब्लॉक में देखलें, वहां पर केवल चार लोग बैठे हैं जो बोलने वाले हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह बात सही नहीं है। यहां पर बोले हुए भी बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, आप तो बधाई के पात्र है, आप इनको ताड़ना दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इस पर व्यवस्था दें। आपका यह रिमार्क ठीक नहीं था।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आप इस पर व्यवस्था दीजिये, सभापति महोदय। अभी जो यहां पर कहा गया है उस पर व्यवस्था दीजिये। इस प्रकार की बातें करते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह जो डिबेट चलती है इसमें हरएक माननीय सदस्य बोल कर रवाना हो जाता है जब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम बैठना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : यह आपकी व्यवस्था सही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनके 150 सदस्य हैं उनमें से कितने बैठे हुए हैं और विपक्ष के कितने बैठे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने, माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के लिए कहा है ···

श्री सभापति : वह मतलब नहीं था।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : आपका मतलब सही था। यह असत्य आरोप हमारे मंत्री जी पर लगा कर चले जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप अपनी व्यवस्था पर जवाब दे दीजिये।

श्री रूपलाल परमार (खेरवाड़ा) : हमारा नम्बर कब आयेगा ?

श्री सभापति : आपका भी नम्बर आयेगा। जब तक डिबेट चलेगी, सब एक साथ नहीं बोल सकते ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइंट ऑफ आर्डर। हमारी व्यवस्था नहीं आई। इस पर आप व्यवस्था दीजिए।

श्री सभापति : मैं इसे दिखवा लूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने यह बात कही है।

श्री सभापति : मैंने यह कहा था, जो माननीय सदस्य बोलना चाहते थे उनसे मैंने कहा था कि आप बोलकर चले जाते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह आपने विपक्ष के लिए कहा है। यह घटना हो चुकी है आप दुबारा घटना करवाना चाहते हैं।

श्री सभापति : मेरा मकसद विपक्ष के लिए नहीं था।

एक माननीय सदस्य : इनको बोलने का मौका नहीं मिलता इसलिए बार-बार कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दिखवाने का सवाल नहीं है, आपकी यह ठेकेदारी नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : इनको सुनने में गलती हो गई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : मुझे मालूम है। मैंने सभापति महोदय को निवेदन किया था, मुझे बोलने दिया जाये। उन्होंने कहा कि आप बोल कर चले जाओगे, यह बात थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । श्री गोकुल चन्द जी शर्मा ।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में चर्चा चल रही है।

(व्यवधान)

अब तो, माननीय सदस्य, बात समाप्त हो गई, है। आप शान्त रहिये।

सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भी सुझाव दिये हैं उनके साथ मैं अपने आप को जोड़ता हुआ कुछ सुझाव देना चाहता हूं । नेशनल हाइ वे नम्बर ऐट बहुत साल पहले ब्यावर से टाटगढ़ होते हुए बना था । पाली जिले से आबू रोड तक की सड़क को नेशनल हाइवे में नहीं लिया हुआ है । मेरा कहना यह है कि सरकारी रिकार्ड के अन्दर यह होगा कि ब्यावर से टाटगढ़ रोड पर कितना ट्रेफिक है और वाया पाली आबू रोड पर कितना ट्रेफिक है। आप इसको देखेंगे और एक्जामिन करवायेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको देखें। मैं यह नहीं कहता कि जो टाटगढ़ रोड बनी हुई है उसको नेशनल हाई वे नम्बर ऐट में समाप्त कर दो। मैं यह बात नहीं करना चाहता। मेरी प्रार्थना यह है कि क्या नेशनल हाई वे नम्बर ऐट 'ए' के नाम से स्वीकृत नहीं करा देंगे ? आप यह कह देंगे कि यह काम हमारा नहीं है, केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, हम इसको नहीं कर सकते। यह बात सही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी सिफारिश भी आप ही करते हैं और आप चाहेंगे, राज्य सरकार चाहेगी, इसके तथ्य केन्द्र सरकार के सामने रखे जायेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति हो जायेगी। यह कितना असेन्शियल है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले के अन्दर, ब्यावर से दो-तीन किलोमीटर पहले, जहां तक पाली जिला लगता है वहां से शिवगंज, जहां तक सिरोही डिस्ट्रिक्ट लगता है, तक आप इसको करें। मेरा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पिछले 20 साल से दिक्कत आ रही है। मंत्री महोदय, उद्घाटन करने के लिए रायपुर गये थे, सड़क देखी होगी।

श्री भेरूंसिह गुर्जर : तीसरी बार।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा : आज 25-30 साल से इस रोड पर भिन्न-भिन्न मदों से कितना खर्च किया जा रहा है आप इसकी जांच करवायें। साथ ही यह भी मालूम करायें कि फेमिन में फ्लड में इसकी मेंटीनेन्स पर कितना खर्चा हुआ है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज तक इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, जो अगर सही तरीके से खर्च किया जाता तो यह पूरी रोड दोनों तरफ से नेशनल हाई वे बन सकती थी। लेकिन अफसोस और दुःख की बात यह है कि इसकी ओर कोई देखने वाला नहीं है कि हमारा कितना पैसा वहां पर बरबाद हो रहा है। वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर गिट्टी लगा देते हैं और उसको बहा दिया जाता है यह कहकर कि फ्लड में बह गई। फेमिन पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। क्या आप उस रोड को डबल रोड नहीं बनवा सकते ? आप इसकी पूरी जांच करेंगे, इसका मुझे आश्वासन दें। जिस समय आप जवाब दें तब यह बतायें कि इस पर कितना पैसा खर्च हुआ है, कहां पर हुआ है और कब तक यह रोड पूरी कर दी जाये। भ्रष्टाचार के नाम पर मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस विवाद को समाप्त कर दीजिये। इसको समाप्त करने की बात नहीं है। इस विवाद को समाप्त

(श्री गोकुलचन्द्र शर्मा)

कर देंगे तो देश की और हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी आय को समाप्त कर देंगे । रोड बन जाने से केवल चलने-फिरने का साधन ही नहीं होता, आज हमको जो रोड टैक्स मिलता है वह रोड बनाने से ही मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष मे देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि ग्राम पंचायत मुख्यावास और तहसील मुख्यावास तक रोड बनायें तो उससे केवल हमको ही फायदा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों को तो फायदा होगा ही होगा, हमारे काश्तकारों को सुविधा होगी, उनको आराम मिलेगा। उसके साथ साथ राजस्थान के ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़ेंगे, रोड टैक्स मिलेगा। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलेगी, आज गाड़ियां चलती हैं उसके साथ साथ वहां पर ट्रक चलने शुरू हो जायेंगे। राज्य सरकार को धन की भी प्राप्ति होगी। मेरा निवेदन है कि आज इस विवाद को समाप्त करने की जो बात हम कर रहे थे, इसको समाप्त नहीं कर सकते। मैं यह जरूर कहूंगा कि आज 56 करोड़ रुपयों का बजट रख कर कोई बड़ी बात नहीं कर दी है आपने। राजस्थान इतना लम्बा चौड़ा प्रदेश है, उसकी सड़कों के लिए 56 करोड़ रुपया रखा है जिसमें से 25-27 करोड़ मेंटीनेन्स और भिन्न भिन्न कार्यों पर चला जायेगा। कहीं पर आपने भवनों की मेन्टीनेन्स के लिए प्रोविजन रखा है। इतना पैसा निर्माण में नहीं लग रहा है। उस पैसे को किस तरह से काम में लिया जा रहा है? जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, यह हकीकत है कि उस पैसे का 50 प्रतिशत से ज्यादा सफेदी के अन्दर, टीप टॉप करने के अन्दर या सीमेंट के फर्श की मरम्मत पर नहीं लग रहा है। वह पैसा लग रहा है उन पर, जितने आदमियों को आपने लगाया, जो एक पैसे का काम नहीं कर सकते। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कई अधिकारियों के घर पर गैंगमेन काम करते हैं। उनको हटा भी देंगे तो वह पोल खोल देंगे। वह इतने निकम्मे हो गये हैं कि सड़क पर एक मिट्टी की परात तक नहीं डाल सकते। आपने 25 हजार आदमियों की ब्रिगेड बना रखी है, मेन्टीनेन्स के लिए, मिट्टी डालने के लिए। जालौर से आने वाले माननीय सदस्य श्री मांगीलाल आर्य ने बताया कि पटरियां खराब हैं, गड्ढे पड़ गये हैं, वह वैसे के वैसे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। क्या हमारे अधिकारियों को दिखता नहीं है? आज हमारी व्यवस्था ऐसी हो गई है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कार में चलते हैं उनको यह पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। वह डामर रोड पर चलते हैं, लाल पट्टी कार पर लगी रहती हैं उनको तो साइड चाहिए वह मिल जाती है। मोटर साइकिल चलायें तो पता चले कि सड़क पर कैसे चला जाता है। वह तो एम्बेसडर कारों में घूमते हैं, उनको कुछ पता नहीं लगता है। हमारी सड़कों की दशा देखो। मैं नहीं कहता यह रोड बना दो वह रोड बना दो। मैं केवल एक बात रोड़ की कहना चाहता हूं, मेरे यहां पर तख्तगढ़ से सुमेरपुर तक जो सड़क है वह मरम्मत के लिए स्वीकृत है। आप अपने अधिकारियों से पूछिये, दो साल से उस पर काम चल रहा है, दो किलोमीटर सड़क भी, दो साल हो गये, आपने नहीं बनाई। अफसोस है कि 13 किलोमीटर की रोड सैंक्शंड है, उसकी मरम्मत का काम शुरू हो गया है, उसके टेण्डर काल किये गये हैं उसके बावजूद दो किलोमीटर तक आप नहीं पहुंचे हैं। क्या लज्जा की बात है? इस रोड पर जो भी वहां से निकलता है वह देख कर कहता कि यह पी.डब्ल्यू.डी. का काम चल रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

प्लीज, मैंने तो शुरू ही किया है।...

श्री सभापति : यह तो वार्निग है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा: : अभी शुरू ही किया है। मंत्री महोदय, आप मेहरबानी, करके इस सैक्रेटेरियट को छोड़ दें क्योंकि यहां काम तो कोई करने देता नहीं है आपको। आपको दस्तखत ही तो करने हैं और क्या करना है। यह तो टैक्निकल मामला है पी०डब्ल्यू ०डी० का, इसके अन्दर तो कितना ही घुसो, कितनी ही बात करो लेकिन इसकी तह के अन्दर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप पहुंच नहीं सकते। हमारे यहां ब्रिज कार्पोरेशन है। ब्रिज कार्पोरेशन क्या है ? एक आडम्बर बना कर आपके अधिकारियों ने हमारी राज्य सरकार के ऊपर रख दिया है। बताया है कि उसमें 1½ लाख का शुद्ध लाभ, 80 हजार का शुद्ध लाभ है। शर्म की बात है, डूब जाने की बात है हमारी स्टेट के लिये। आज हमारा करोड़ों रुपयों का काम करने वाले हैं और आज जो छोटे मोटे काम करने वाले है वह ठेकेदार एम्बेसेडर कारों में घूमते हैं। आज यहां पर इतना बड़ा कार्पोरेशन लेकर आप चल रहे हैं उसमें करोड़ों रुपयों का काम चल रहा है, अधिकारियों को कितनी सुविधायें दे रखी है उसके बावजूद वहां पर कितनी चोरियां हो रही हैं ? फाउन्डेशन के अन्दर क्या करते हैं, डीवार्टरिंग के अन्दर क्या करते हैं ? इनमें लाखों करोड़ों रुपयों का गबन है। वहां पर उनको कहते हैं कि ब्रिज कार्पोरेशन में किसी तरह का काम नहीं होता, क्या सरकार काम कराती है ? आज जितना एस्टीमेट का पैसा लगता है हमारे वहां पर, जो टेन्डर्स हम देते हैं ब्रिज कार्पोरेशन को काम करने के लिए उससे कहीं ज्यादा पैसा तो आप फाउन्डेशन के ऊपर खर्च कर देते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा, एक एक काम के बारे में बताऊंगा कि कितना पैसा फाउन्डेशन में खर्च होता है। कन्सट्रक्शन के अन्दर जितना खर्च होता है उतना फाउन्डेशन और डी-वाटरिंग के अन्दर पूरा कर देते हैं। श्रीमान्, इतना ही नहीं, वहां जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है उसके बारे में एक लम्बा चिट्ठा बना कर आपको दूंगा तो आप मुझे यही आश्वासन देंगे कि इसकी इन्क्वायरी करेंगे, इसकी जांच करेंगे और उन भ्रष्ट अधिकारियों को सामने लायेंगे। मैं इसका पूरा चिट्ठा खोल कर आप को बताऊंगा यह ब्रिज कार्पोरेशन क्या है।

इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप नयी सड़कें नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अभी 56 करोड़ का आपने बजट दिया है उससे क्या कर देंगे और क्या बना देंगे इतनी बड़ी स्टेट के अन्दर ? यह तो अलग बात हुई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे मोटे काम काज की तरफ तो ध्यान दो जो कि आवश्यक हैं, जरूरी हैं। यहां पर जितने भी बड़े नगर हैं वहां बाई पास तो बना दो। बड़ी कृपा होगी आपकी। रोज वहां पर एक्सीडेन्ट्स होते हैं। आपने सुना होगा, सुमेरपुर के अन्दर अभी दो एक्सीडेन्ट्स हुए। एक लड़के की स्कूल के सामने डेथ हो गयी और ट्रक को पूरे माल सहित जला दिया जिसमें लाखों रुपयों का माल था। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने यह किस्सा सुना होगा। दूसरी बात, आपकी सड़कों को कोई ठीक कराने वाला नहीं है कि सड़कों की हालत क्या है। सड़कों का कोई मालिक नहीं है। मालिक तो आप बनने के लिए तैयार नहीं हैं। फेमिन के अन्दर हमने हजारों मील लम्बी सड़कें बना डाली। किसी एक माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा था तो, आपने कहा कि यह तो फेमिन के अन्दर बनी हुई है इसलिए हमको पता नहीं। सिंचाई विभाग के फेमिन के अन्दर काम किये जाते हैं उसके मेन्टीनेन्स की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग लेता है। वन विभाग काम

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

करता है फेमिन के अन्दर, उसकी जिम्मेदारी वन विभाग लेता है, भू-संरक्षण विभाग लेता है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग को क्या हो गया कि फेमिन के काम की जिम्मेदारी वह मानता ही नहीं है ? आपने सड़कें बनाई हैं, राज्य सरकार का पैसा लगा है तो आप जिम्मेदारी लेने के लिये एग्री क्यों नहीं करते । एक मास्टर प्लान बनाइये और मास्टर प्लान बना कर यह तय कीजिए कि इन सड़कों को इस साल के अन्दर तैयार करेंगे । आप अपने प्रतिवेदन के अन्दर झूठे आंकड़े दे देते हैं । आप मास्टर प्लान बनाकर बताइये कि 527 किलोमीटर रोड किस किस जगह बनायेंगे, किस किस रोड को हाथ में ले रहे हैं और कौन कौन से पुराने काम चल रहे हैं उनको हम लेंगे।

(5.25 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई,अध्यक्ष, पदासीन)

यही नहीं , आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां सड़कों पर जो स्पीड ब्रेकर्स बनाये गये हैं, जहां मर्जी आई थोड़ा सा डामर डाल कर मिट्टी डाल दी । जगह जगह गांवों के अन्दर सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बना दिये कोई देखने वाला नहीं है । इसके लिये एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए । इसकी टैक्निक मालूम होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से स्पीड ब्रेकर्स बनायें ताकि वहां से थोड़ी धीरे होकर गाड़ी निकल जायें । जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर्स बन रहे हैं, आपका कोई अधिकारी उनको देखने वाला नहीं है । आपने सुना होगा आज से चार पांच रोज पहले, जोधपुर के अन्दर रेलवे क्रासिंग के पास स्पीड ब्रेकर बना रखा है उस पर से साइकिल पर से कोई सज्जन जा रहे थे पीछे उनकी श्रीमती बैठी हुई थीं वह वहां गिर गयीं । ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी डेथ हो गयी ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार विभाग में कोई देखने वाला नहीं है । मुझे आप बताइये कि आपका यह विभाग क्या कर रहा है ? मेरा निवेदन यह है कि इसके अन्दर जो खामियां हैं उनको तो आप सुधारें । मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ इसमें सुधार लायेंगे जिससे हम अपने प्रदेश की छवि को यहां पर निखार सकें ।

अब मैं एक निवेदन करके मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं । हमारे यहां रिपेयर के काम चल रहे हैं । जयपुर और अजमेर की तरफ कोटपूतली की तरफ कुछ काम चल रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किस तरह का क्या बनाना चाह रहे हैं, उसकी क्या प्रोग्रेस है, कितने दिन के अन्दर काम पूरा कर देंगे ? आज 12 महीने डेढ़ साल से तो मैं देखता आ रहा हूं , इतनी बड़ी ब्रिगेड लगाकर काम चालू कर रखा है । इसको और इसी तरह करना है तो एक दो मशीनें और खरीद लें ताकि काम नक्की हो जाये। इसके लिए आप कहेंगे कि स्पेसिफिकेशन में यही आता है, हमारे रोड्स की कन्डीशन ऐसी ही है। तो क्या हमारे रोड्स की कन्डीशन हमारे बीस, तीस किलोमीटर रोड ठीक करने से ठीक हो जायेगी ? श्रीमान् शाहजहांपुर से लेकर आबू रोड तक नेशनल हाई वे पास हो रहा है, ब्यावर तक समझ लें । आप यह तो कम से कम अनुमान लगाकर देखिये कि जिस प्रगति से काम चल रहा है उसके अनुसार हम कितने दिनों में पूरा कर देंगे । मेरा निवेदन है, समय निर्धारित हो जाना चाहिए । इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जो वेस्टेज कर रहे हैं, आप एकदम ही 20 किलोमीटर रोड चेन्ज करना चाहते हैं उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक कि पूरे स्टेट की रोड ठीक नहीं हो जायेगी । जिस रोड की भी रिपेयर कर रहे हैं उस पर पता नहीं कहां से लेकर कितने किलो-

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

मीटर तक लाखों, करोड़ों रुपया खर्च कर वर्क पर लाल मिट्टी डाल रहे हैं। यह क्या हो रहा है ? कम से कम आप उसकी तरफ देखिये। टैक्नीकल पर्सन्स, जो आपके अच्छे नजदीकी हों, को बुलाकर उनसे राय लीजिए जिससे कि यह इस प्रकार का वेस्टेज नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं मेरे पाली जिले के अन्दर रोड्स को चौड़ा करने की बात कर रहा था उस रोड पर स्टेट टाइम की कई पुरानी पुलियायें बनी हुई हैं। उस पर से होता यह है कि एक गाड़ी भी पास नहीं होती, रात को एक्सीडेन्ट होते हैं। एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़ जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, रोड चौड़ी करने का काम तो पता नहीं कब होगा लेकिन आप उन पुलियाओं को जल्दी से जल्दी चौड़ा करवा दो तो बड़ी कृपा होगी। इससे जनता को काफी आराम मिलेगा।

अंत में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कें हमारी स्टेट के लिए केवल चलने फिरने का ही साधन नहीं हैं, संचार सुविधा का भी बहुत बड़ा साधन हैं। साथ ही साथ हमारी स्टेट को इनसे धन भी प्राप्त होता है, रोड टैक्स मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों को मैं और समय दूंगा लेकिन उससे पहले जनहित को देखते हुए चर्चा को ठीक लाइन पर लाया जा सके इसके लिये एक नम्र निवेदन मेरा यह है कि वर्तमान युग में सड़कों के निर्माण पर किसी देश की तरक्की निर्भर करती है। अंग्रेजी में एक कहावत है :—

"We have roads or we have no roads, but we pay for roads. But we pay more if we have no roads."

यानी समाज सड़कों के निर्माण पर खर्च करे, नहीं करे समाज को तो उस निमित्त खर्चा करना ही पड़ता है लेकिन सड़क नहीं होने पर ज्यादा अधिक खर्च करना पड़ता है। मुख्य सवाल हमारे सामने यह है कि हमारे जैसे विस्तृत प्रदेश को सड़कों से जोड़ना, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, आवश्यक है। यह बात सही है राष्ट्रीय मार्ग हो, राज्य मार्ग हो, अन्तर जिला मार्ग हो, जिले की महत्वपूर्ण सड़कें हों उनको आधुनिकतम तरीकों से और आधुनिकतम मैटिरियल से निर्मित किया जाना चाहिए। जिसकी लागत 1 किलो-मीटर पर करीब डेढ़ लाख रुपये आती है। मंत्री महोदय, आप यह विचार कीजियेगा कि राजस्थान के अन्दर सब गांवों को कभी भविष्य में हमारे साधनों को देखते हुए हम डामर सड़कों से जोड़ सकेंगे क्या ? सौ साल में भी नहीं जोड़ सकते। इसमें होता क्या है कि सब का सब ज्यादातर पैसा है मशीनों पर, केपिटल इन्टेन्सिव है या फोरेन एक्सचेन्ज है इसका पैसा लगता है या फोरेन एक्सचेन्ज है इसका पैसा लगता है सब जगह एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ना है और जोड़ने की अपन बात करते हैं, तो एक गांव को एक तरफ से जोड़ दिया, मान लीजिए, लेकिन एक तरफ से जोड़ने से कौन से गांवों की समस्या हल हो गयी ? चारों तरफ से जब तक गांव नहीं जुड़ता है तब तक वह गांव खुलता नहीं है। बड़ी बड़ी सड़कों पर बड़े बड़े वाहन चलते हैं, बहुत तेज गति से चलते हैं लेकिन एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए साइकिल, ऊंट गाड़ी, ट्रेक्टर और इसी तरह के वाहन चलते हैं जिसके लिए जरूरी नहीं है कि एक किलोमीटर के ऊपर डेढ़ लाख रुपया व्यय किया जाये। राजस्थान इस मामले में भाग्यशाली है कि यहां सड़क निर्माण के कई तरह के मैटीरियल उपलब्ध हैं।..

(श्री अध्यक्ष)

कहीं यह है कि इन्जीनियरों की किताबों में जो स्पेसिफाइड सड़कें हैं उनकी मेन्टीनेंस पर तो वे जोर देते हैं बाकी मुर्रम की या और कोई यहां पर मैटीरियल है उसकी सड़क के मैन्टीनेंस पर जोर नहीं दिया जाता । इसलिये उसको इस बात पर टाल दिया जाता है कि साहब, यह सड़कें तो काम की नहीं हैं। कामका तो 60 करोड़ रुपये में जैम्बोजेट आता है लेकिन रख रखाव नहीं करें तो वह जैम्बोजेट भी दस उड़ान के बाद में उड़ेगा नहीं। रख रखाव रखा जाये तो स्थानीय जो मैटीरियल है. छोटी छोटी सड़कों के लिये उसके अन्दर कौनसी कमी है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि आज राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में कई नदियां हैं । कई दफा आता है, खासतौर से जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर की नदियां दो किलीमीटर, तीन किलो-मीटर, चार किलोमीटर तक चौड़ी हैं। अगर उन पर कल्वर्ट या इस तरह का बनाने का सवाल है तो उस पर एक करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन एक सस्ता सा तरीका हो सकता है कि झाड़ियों से भी बांधकर कई लोग जलाते हैं विभाग अगर 20 हजार रुपये में एक नदी को बंधा दें तो ट्रेक्टर, छोटी-मोटी ट्रकें, बैल गाडियां जो उसके ब्याज के ब्याज के ब्याज में जो कल्वर्ट बनायेंगे, जो उसके लिये जरूरी भी नहीं हैं उसके अन्दर आप आवागमन को चालू रख सकते हैं, जनता को सुविधा दे सकते हैं। तो सोचने का विषय यह है कि हमारी परिस्थि-तियों को देखते हुए आवागमन के लिये सबसे सुगम, सस्ता और बढ़िया साधन कौनसा है इस बातपर हमको खासतौर से विचार करके सुझाव देना चाहिये। यह बात ठीक है, अभाव अभियोग, किसी माननीय सदस्य के वहां पर सड़कों की कमी है, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि उसके बारे में कहें लेकिन साथ ही साथ जो स्थानीय मैटीरियल है कम खर्चे में 15 और 20 हजार रुपये के अन्दर एक किलो-मीटर या एक मील सड़क निर्मित हो सकती है, बहुत अच्छा काम दे सकती है तो उनको निर्मित क्यों नहीं किया जाये, उनका रख रखाव क्यों नहीं रखा जाये और उसके द्वारा राजस्थान को क्यों नहीं खोला जाये ? कृपया इस पर भी आप विचार करें, जो माननीय सदस्य आगे बोलें।

श्री महाराम ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सड़कों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, प्रांतों से जो आदमी आते हैं उनको राजस्थान की सड़कों से एन्टर होते ही यह महसूस हो जाता है कि राजस्थान आ गया। अगर कोई आदमी हरियाणा से आये, गुजरात से आये...

श्री अध्यक्ष : दिल्ली से आने वालों को ऐसा महसूस नहीं होता है जयपुर तक।

श्री महाराम चौधरी : मेरा दिल्ली से आने का मौका नहीं पड़ा। दूसरी जगह से मैंने महसूस किया है। इन बड़ी बड़ी सड़कों पर जो आप काम करते हैं, इनकी मेन्टीनेंस पर जो पैसा खर्च किया जाता है उस पैसे का बहुत मिसयूज होता है। जो सड़कें मेन्टीनेंस करने लायक नहीं हैं उनकी मेन्टीनेंस के नाम पर थोड़ा-सा काम करके थोड़ी बहुत ठीक करके उस पर खर्चा किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की सड़कों के संबंध में, मेरा निवेदन है सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दस साल के अन्दर जो कार्य किये गये हैं उसकी प्रगति को देखें, दस साल के अन्दर जो टार्गेट्स रखे हैं उनको अगर देखें तो 50 प्रतिशत काम भी अब तक हुआ नहीं है। इसी तरह से 1000 से 1500 तक की आबादी वाले गांवों को जोड़ने का जहां तक प्रश्न है, इसके जो लक्ष्य रखे गये हैं उनकी पूर्ति के लिये

(श्री महाराम चौधरी)

इसी तरह से चलते रहेंगे तो यह पूर्ति कभी नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर दुग्ध योजना के अन्तर्गत जो पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सड़कों का कार्य किया जा रहा है वह कार्य सुचारू रुप से नहीं चल रहा है। मेरे क्षेत्र के अन्दर जो भाकरोद से भेड़ सड़क जाने वाली है उस पर चार साल से लगातार काम चल रहा है लेकिन तीन किलो-मीटर से ज्यादा काम हुआ नहीं है। ऐसी सड़कों को अगर ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाये, ऐसी सड़कें अगर समय पर तैयार कर दी जायें तो ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन का साधन हो सकता है और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो आवश्यकता की चीजें हैं, बीज है, खाद है, मकान बनाने के लिये पट्टियां हैं वह वहां पहुंच सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधा हो जाने से देश का उत्पादन बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से अकाल राहत कार्यों में सड़कों का कार्य पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा किया गया है। जिन सड़कों का काम हाथ में लिया गया, किसी जगह दो किलो-मीटर तक काम चलाकर छोड़ दिया, किसी जगह 5 किलोमीटर तक काम चलाकर छोड़ दिया, किसी जगह पर तालाब के अन्दर मुरड़ खोदकर छोड़ दिया, कहीं साइड पर मैटीरियल पड़ा हुआ है। इस तरह की जितनी अधूरी सड़कें हैं उन सड़कों को अगर प्राथमिकता दी जाये, उन सड़कों का पी.डब्ल्यू.डी. अपनी सड़कें मान कर काम करे तो इससे ग्रामीण क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सालों साल अकाल पड़ता है। जिस क्षेत्र में सालों साल अकाल पड़ता है वहां मजदूर को मजदूरी दिलाने की नीयत से सरकार पैसा खर्च करती है, काम खोलने की स्वीकृतियां देती है लेकिन उस काम को पी.डब्ल्यू.डी. समय पर कभी भी शुरू नहीं करता है। पिछले साल प्रयत्न करने पर बड़ी मुश्किल से हमारी नागौर तहसील के अन्दर 27 सड़कों की मन्जूरी मिली। महीना भर प्रयत्न करने के बाद में भी सिर्फ तीन चार सड़कों का काम शुरू हुआ। मेरा निवेदन है, काम शुरू करने में देर न की जाये समय पर विभाग सड़कों का काम, शुरू कर दे। जो अधूरी सड़कें हैं उनको पहले लें तो महीने डेढ़ महीने के अन्दर वे सड़कें कम्पलीट हो जायेंगी। यहां तक ही सीमित नहीं रहे, जब भी अकाल पड़ता है हमेशा वह की वह सड़कें मन्जूर हो जाती हैं। सम्वत् 2021 से बहुत सी ऐसी सड़कें बनी हुई हैं, उन सड़कों का जगह जगह पर मैटीरियल पड़ा है। पी. डब्ल्यू. डी. की जो लागत है, जो इन्वेस्टमेंट है उस सब का वेल्यूएशन किया जाये। जो मुरड़ है या जो गिट्टी साइड में पड़ी हुई है उसका कोई अता-पता नहीं है। आपका जो प्रगति प्रतिवेदन है उसमें भी आपने पी.डब्ल्यू.डी. के जो काम हैं उनके लिए एक लाइन लिखी है, इसके अतिरिक्त विविध खानों पर ग्रेवल व मैटीरियल तोड़कर काफी मात्रा में निर्माण सामग्री इकट्ठी की गई है। यानी इस निर्माण सामग्री की आपके विभाग में कोई वेल्यू नहीं है। अगर वेल्यू होती तो जो काफी मैटीरियल पड़ा है उसका वेल्यूएशन कर के इसमें लिखते कि इतने करोड़ रुपये का मैटीरियल जगह जगह पर पड़ा है। जहां पर भी यह मैटीरियल पड़ा है, देश का नुकसान हो रहा है, वह सड़कों के काम में आ नहीं रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिये यह कर दी कि जो तालाब हैं जिनमें काश्तकारों के लिये चार महीने, छः महीने, महीने भर, थोड़े दिन के लिये पानी रहता है, खेती का जब काम करते हैं उस समय उन तालाबों के अन्दर पानी रहता है,

(168)

(श्री महाराम चौधरी)

उन तालाबों के अन्दर सैंकड़ों चट्टे लगाये हुए पड़े हैं। हमारे ग्रामवासी अधिकारियों को कह कह कर हैरान हो गये। पंचायतों ने सैंकड़ों नोटिस दे दिये, यह आपका मैटीरियल, यह आपका सोना है उठा कर कहीं ले जाइये ताकि यह हमारे तालाब वापस न बुर जायें। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने अभी फरमाया, जो ज्यादा खर्चा आने वाली सड़कें हैं, अन्तर्राज्यीय सड़कें हैं या सीमा को जाने वाली सड़कें हैं ऐसी सड़कों की उपयोगिता है देश के हित के लिये, राजस्थान के हित के लिये उनको बड़ी प्राथमिकता से लेते हैं उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सड़कों की उपयोगिता है, आप ग्रामीण क्षेत्र से व्यवहारिक ज्ञान लेकर कि इस जगह पर या इस नाले पर इस तरह का मुरड या इस तरह के पत्थर जमाने के बाद मुरड अगर डाल दें तो यह सड़कें आपकी कभी नहीं जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण के लिए सीमेन्ट की, चूने की बहुत ज्यादा उपयोगिता समझते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मुरड हैं जिनको तरकीब से काम में लेने पर सीमेन्ट का काम चल सकता है ग्रामीण क्षेत्र में इस मुरड़ से बहुत से काम हमेशा से होते आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विभाग के कार्य-कलापों के बारे में भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सितम्बर के महीने में आपके ब्रिज कार्पोरेशन द्वारा बिलाड़ा के आस पास लूणी नदी पर जो काम किया गया, बिलाड़ा की बाण गंगा नदी पर पुल का 15 लाख 35 हजार का एस्टीमेट बनाया। सम्पूर्ण काम होने का एस्टीमेट बनाया था और 20-9-82 तक उस पर 13,03,782|-रुपया आपने खर्च कर दिया। रेत मिट्टी और वार्टरिंग पर खर्च कर दिया है। मेरा निवेदन है, थोड़ा बहुत भगवान के नाम पर रहम करो। इसको भी नहीं छोड़ा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि विभाग में ईमानदारी है। जिस निर्माण कार्य के लिये आप 15 लाख का एस्टीमेट बनायें, 13 लाख से ऊपर डी-वाटरिंग पर खर्च कर दें और डी-वाटरिंग का यह खर्च 20-7-82 तक का है इसके बाद और कितना हुआ है, मैं नहीं कह सकता हूं।

मैंने लूणी नदी के बारे में सवाल पूछा था, जिसका जवाब दिया है, लूणी नदी का पुल, जोधपुर-पाली सड़क निर्माण पर 37 लाख 99,599 रुपये रखे हैं उसमें से अब तक 7 लाख 79 हजार का टोटल व्यय हुआ है। आपने उपरोक्त दोनों निर्माण कार्यों में डी-वाटरिंग में 6,81,997/-रुपया व्यय किया है। माहवार खर्च का जब मैंने हिसाब पूछा तो माहवार में भी जुलाई और अगस्त···

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): यह काम फेमिन में हुआ है यह और बता दूं। वह पैसा तो अलग है जो आप बता रहे हैं। फेमिन में पैसा और लगा है।

श्री महाराम चौधरी : यह पैसे अलग हैं। ये पैसे तो ब्रिज कार्पोरेशन ने लगाये वह बताये हैं। श्री रामसिंह जी कह रहे हैं कि फेमिन में और लगाये हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जो काम करने का तरीका है, अगर इसी तरह निर्माण कार्य चलेंगे तो इन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं और कैसे इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि इतने हजार में इस तरह का काम हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार, जिसको ऑप टाप ड्रेसिंग कहते हैं, के नाम पर जोधपुर और नागौर की सड़क पर आपका काम चलता ही रहता है। अन्त ही नहीं होता है। टॉप ड्रेसिंग में होता यह है कि थोड़ी थोड़ी कंकरी वगैरह डाल देते हैं-काली काली सीमेन्ट

(श्री महाराम चौधरी)

डाल देते हैं, इसके बनिस्पत आप सड़क पर कुछ नहीं करें तो ठीक रहेगा। इस टाप ड्रेसिंग के काम का तीन-चार महीने में ही सत्यानाश हो जाता है। मैं समझता हूं, इसमें पैसे का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत की सड़कों, पुराने निर्माण तथा दुग्ध रोड के बारे में कहते कहते आगे चला गया। जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है वह तो यह है कि चार साल से दोनों भाकरोद से मेंड सड़क का निर्माण-कार्य लगातार चल रहा है, उस सड़क पर 41 लाख के करीब खर्च करने का अनुमान था वह पैसा भी पूरा खर्च हो गया। परन्तु केवल तीन या चार किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। आज हालत यह है कि साइड पर मैटीरियल पड़ा है, पाउडर पड़ा है और सिर्फ बसवानी तक सड़क जाकर रुक गई है। आपके जे.ई.एन. और ए.ई-एन. ने सड़क का कार्य बन्द कर दिया है और ठेकेदार से कह दिया कि पैसे खतम हो गये इसलिये सड़क का कार्य बन्द कर दिया जाय। जो डी. पी.ए.पी. का पैसा आया वह खर्च कहां हो गया? मैं निवेदन करूंगा इस सड़क को कन्टीन्यू रखें नहीं तो जो इतना पैसा लगाया है उसका कोई यूज नहीं होगा और साइड में जो मैटीरियल पड़ा है वह भी खराब हो जायेगा।

इसी तरह अलाय से सतेरण हमारे यहां एक दुग्ध मार्ग है उस सड़क का भी काम शुरू हुआ था। आज तीन साल हो गये निर्माण कार्य जो चला था उसमें भी मैटीरियल साइड में पड़ा है और वह सड़क चली कितनी है अलाय से करीब डेढ़-दो किलो-मीटर। ज्यों ही डेढ़ दो किलोमीटर के बाद ठेकेदार ने नम्बर का काम शुरू किया, शुरू करते ही कह दिया कि हमारे पास पैसे खतम हो गये। आपने पहले एस्टीमेट बनाया, तो यह गलत एस्टीमेट क्यों बनाया? जो गलत एस्टीमेट इस तरह बनाते हैं तो जो आपके इंजीनियर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : जो पूरी जानकारी रखते हैं उनके गलत एस्टीमेट के कारण काम शुरू नहीं होता है तो आप उनको जिम्मेदार क्यों नहीं बनाते है?

मैं अन्त में, अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय से कि भाकरोद से मेंड, अलाय से सतेरण की सड़कों का लाखों रुपया और दुग्ध मार्गों की सड़कों के लिये जो आपके पास डी. पी.ए.पी. का पैसा आया है उसको खर्च कर दिया है, इसलिए उन सड़कों को पूरा करने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : श्री कनकराज।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कोई पहाड़ नहीं है। पहाड़ नहीं होने के कारण वहां पर सड़कों का निर्माण काफी वर्षों से रुका हुआ है। काश्तकारों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने और दुग्ध गांव से शहर में ले जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे काश्तकारों को नुकसान होता है। मेरा निवेदन है, सांचौर क्षेत्र में भाखरी नहीं है। सांचौर तहसील के अन्दर और बैडिया के अन्दर मालूम किया है कि काफी तादाद में ग्रेवल निकलता है और काफी तादाद में ग्रेवल निकाला हुआ भी है। करीब 20-25 हजार क्यूबिक फीट ग्रेवल निकाला हुआ पड़ा है लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं करने के कारण जो मिट्टी का काम गत वर्ष में अकाल के समय हुआ है वह भी अधूरा है। वह काम अधूरा रहने से न तो विकास ही

(श्री कनकराज मेहता)

आगे बढ़ा है और न सड़कों से जो फायदा होना था वह हुआ है। मेरा निवेदन है, सांचौर से भीनमाल सड़क और सांचौर से सीलू सड़क पर काफी मैंटीरियल साइड में पड़ा है उसका उपयोग न होने के कारण वह मैंटीरियल गायब हो रहा है। कम हो रहा है। जो मैंटीरियल वहां पर पड़ा है जिसमें किसी विशेष खर्च की जरूरत नहीं है अगर वह भी काम में लिया जाय तो सड़क तैयार हो सकती है। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि सांचौर में चिकनी मिट्टी काफी मात्रा में है और झाड़िया भी बहुत हैं। अंग्रेजी बबूल इतनी ज्यादा तादाद में होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरा यह भी निवेदन है कि अगर आप सड़कों के निर्माण और विकास की गति आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर ईंटों के भट्टे निकाले जायं। जैसे हरियाणा में ईंटों की सड़कों का निर्माण कार्य आपने देखा होगा, काफी मजबूत सड़क कार्य किया जा रहा है राजस्थान में ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां मैंटीरियल का अभाव हो या मैंटीरियल अवेलेबल नहीं होता हो वहां आल्टरनेट अरेन्जमेंट किया जाना चाहिये जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। मेरा निवेदन है, इस क्षेत्र में ईंटों के भट्टे चालू करवायें तो मेरे ख्याल से गरीबों को रोजी मिल जायगी पकाने के लिये झाड़ियां भी है और पानी भी है इसलिए सड़कों का निर्माण ईंटों से कराया जाय। मेरा यह सुझाव है कि यह कार्य कराये जायं।

अन्त में मेरा निवेदन है सांचौर में बहुत सी पुरानी कच्ची सड़कें हैं, जैसे सांचौर से भवातड़ा सड़क है। मेरे ख्याल से जब से वे सड़कें शुरू हुई या जब से वहां पर बसें निकली हैं तब से बनी यह सड़कें आज तक कच्ची की कच्ची हैं। अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपये सड़कों के निर्माण और मेन्टीनेन्स पर और मिट्टी के कारण पटरी बनाने में लग गये हैं लेकिन सांचौर में आज तक भी एक मील पक्की सड़क नहीं बनी है, यह बड़ा खेद का विषय है। मेरे क्षेत्र में जो सड़क हैं जो तीन बड़े बड़े राज्यों से मिलती हैं, लाखों की तादाद में इस पर से काश्तकारों को अपना प्रोड्यूस लाना और ले जाना पड़ता है, मेरा यह निवेदन है कि फिलहाल कम से कम हारेचा तक पक्की सड़क कर दी जाय ताकि काश्तकारों को लाभ हो सके। अगर आप यह सड़क पक्की नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को लाभ नहीं मिलेगा। जो दूध योजना के अन्तर्गत जो डेयरी रानीवाड़ा में चल रही है उसके फेल होने के कारण यही हैं, हमारे क्षेत्र में दूध लाने का कोई साधन नहीं होने के कारण और सड़कों का अभाव होने के कारण हम काफी परेशान हैं। जब बरसात होती है तो जानवरों का हजारों मन दूध वहां होता है जिसका कोई बाजार नहीं है वह दूध डेयरी तक नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को और काश्तकारों को फायदा देने के लिए, दुग्ध योजना से यहां की डेयरी को कामयाब बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सड़कों का निर्माण किया जाय। मेरे क्षेत्र के अन्दर पशुधन जिले का सबसे अधिक है पशुधन भी इसलिए इसी क्षेत्र के अन्दर है। जब तक सड़कों का निर्माण नहीं किया जायेगा तब तक न तो काश्तकारों के अन्दर खुशहाली आयेगी, न दुग्ध योजना के अन्तर्गत जो डेयरी रानीवाड़ा में चल रही है वह कभी ऊंची उठ सकेगी।

मेरा यह निवेदन है कि जोधपुर डिवीजन के अन्दर सबसे ज्यादा जीरा सांचौर के अन्दर पैदा होता है मगर उस प्रोड्यूस को खेतों से मण्डी तक लाने के लिए इतनी धूल के अन्दर बैलगाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्षेत्र, जो ज्यादा उपजाऊ हैं, को आप

(श्री कनकराज मेहता)

सड़कों से नहीं जोड़ेंगे तो आपका विकास आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे जो स्थान हैं, जो व्यापारिक केन्द्र हैं या ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र हैं उनको जल्दी से जल्दी सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था की जाय।

साथ में, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ दानदाता सफाखाने बनवाते हैं, कुछ स्कूल बनवाते हैं और अन्य निर्माण कार्य कराते हैं लेकिन आपके डिपार्टमेन्ट से उनको सर्टिफिकेट देने में काफी परेशान किया जाता है, यह बहुत खेद का विषय है। मान लो, कोई दानदाता 5 हजार के बदले 10 हजार लगा देता है तो आपको क्या परेशानी है? आप 5 हजार का सर्टिफिकेट दे दें तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आप यह प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे तो यह दानदाता हमारे अलग अलग क्षेत्रों के अन्दर जो सफाखाने का निर्माण करवाते हैं, स्कूलों का निर्माण करवाते हैं वह इससे काफी डिस्करेज होंगे। आपके निर्माण विभाग वालों से दानदाता काफी पीड़ित और परेशान होते हैं। उनसे नाजायज फायदा उठाने की नियत से उनको सताया जाता है। उन दानदाताओं को यह प्रमाण पत्र नहीं मिलने से सरकार को वे जो चार्ज हैण्ड ओवर करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं उसको बनाने में काफी खर्चा लग जाता है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आप अपने डिपार्टमेन्ट में कम से कम इस सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने की व्यवस्था करें। इस समय आप यह घोषणा करेंगे कि जो भी निर्माण कार्य दानदाताओं द्वारा किये गये हैं उनको सर्टिफिकेट देने की शुद्ध प्रक्रिया में तेजी लाई जायेगी। इससे इस देश का काफी विकास हो सकता है और दानदाताओं को दान देने के लिए आगे आने में कोई परेशानी नहीं होगी।

अमूमन यह भी देखा जाता है कि डाक बंगला के अन्दर पी०डब्ल्यू०डी० के अधिकारियों के रिश्तेदार या चौकीदारों के रिश्तेदार आराम करते हैं। जब जाते हैं और पूछते हैं तो कहते हैं यह तो आकुपाइड है। हम पूछते हैं कि कौन हैं, रजिस्टर लाने को कहते हैं तो मालम पड़ता है कि उनके ठहराये हुए आदमी हैं। तो कम से कम इस व्यवस्था के अन्दर भी सुधार लाइये। जो डाक बंगले बने हैं, आपके अधिकारियों या अधिकारियों के रिश्तेदारों को ठहराने के लिए उनका निर्माण नहीं किया गया है। इस व्यवस्था के अन्दर सुधार लाया जाय।

एक मेरा निवेदन यह भी है कि पी०डब्ल्यू०डी० के अन्दर अनेक ठेकेदार काम करते हैं, उनमें जो गलत काम करते हैं उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता है। अगर किया भी जाता है तो उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती है। यही कारण है कि पी०डब्ल्यू०डी० के अन्दर ठेकेदार गलत ढंग से पैदा हो रहे हैं और पनप रहे हैं जो देश और समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे ठेकेदारों को कम से कम ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए और उसकी वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए। जो ब्लैक लिस्टेड आदमी हों उसको अन्य डिपार्टमेन्ट में भी कोई कार्य नहीं देने की व्यवस्था की जाय ताकि देश के अन्दर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनके अन्दर मजबूती आये और देश को नुकसान नहीं हो।

अन्त में मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि मेरा क्षेत्र सड़कों के लिहाज से काफी पिछड़ा हुआ है, जो कुछ सड़कें पी०डब्ल्यू०डी० ने बनायी हैं, वह टूटी फूटी हुई हैं, यातायात बिलकुल अवरुद्ध हो गया है। मैंने एक प्रश्न पूछा था सांचौर में जो सांकड़ और टीटोव लुरावा जो सड़क जाती है इस बारे में। वह सड़क बिल्कुल

(172)

(श्री कनकराज मेहता)

ठीक नहीं है उस पर आदमी तो क्या जानवर भी चल नहीं सकता है। राजस्व अभियान में डिप्टी कलैक्टर, तहसीलदार, प्रधान, व अन्य प्रमुख, ऑफिसर जाकर आये हैं, कम से कम 4-5 किलोमीटर तक वह सड़क बिलकुल बेकार है और टूटी हुई है, हालत यह है कि वहां मनुष्य तो क्या पशु भी नहीं चल सकता। तो जिस तरीके से गलत जवाब दे रहे हैं यहां गुमराह किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए कि इस तरह गलत जवाब कैसे आया जब कि ...

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़): केवल पी०डब्ल्यु०डी० के अधिकारी चल सकते है उस पर।

श्री कनकराज मेहता : उस पर तो वह भी मेरे ख्याल से नहीं चल सकते हैं। साथ में यह भी निवेदन है कि आपके अनेक अधिकारी बैठे रहते हैं, ए०ई एन०, जे०ई एन० के पास कोई कार्य नहीं होता है तो फेमिन में बैठे बैठे क्या कार्य करते हैं। कम से कम इस बात का सर्वे तो किया जाय कि किस-किस क्षेत्र में सड़क बनाने का काम अधूरा पड़ा है। कौन सी सड़क पर कैसी टूट-फूट हो गई है, और नये निर्माण कार्यों में कौन कौन से गांवों को जोड़ना है ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री कनकराज मेहता : इसलिए सर्वे कराया जाय। मेरे ख्याल से उनको काम में लगाये रखना भी देश के अन्दर जरूरी है। अन्त में, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब समय काफ़ी हो गया।

श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची) : अब जवाब दिलाओ।

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया): अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए आपने कहा था कभी अन्य समय बोलना, तो यही मौका मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 19 पर चर्चा चल रही है। आज अगर कहीं सड़कों का अभाव है तो वह जनजाति क्षेत्र में है। जैसा आपने सुझाव दिया कि गांवों को किस प्रकार शहरों से कनेक्ट किया जा सकता है, कैसे उन लोगों को फायदा दिया जा सकता है। आज गांव में जो लोग पी.ए.सी. से या तहसील से 30-40 किलोमीटर दूर रहते हैं उनकी हालत यह है कि उनके डिलीवरी केसेज होते हैं या उसमें उनके अकस्मात बीमारी हो जाती है तो वह सड़क के अभाव में तहसील मुख्यावास पर अपना इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि उनके पास इतने मनुष्य नहीं हैं। कोई अकस्मात घटना हो जाती है तो डाक्टरी इलाज कराने के लिए मरीज को चारपाई पर डाल कर हास्पिटल तक ले जाते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय हमारी डिस्ट्रिक्ट के हैं, मैं आशा करता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो सड़कों का अभाव है, वह आपसे छिपा हुआ नहीं होगा ...

श्री भैरूंसिह गुर्जर : पूरा हो जायेगा।

श्री सुजान सिंह यादव : आपके पास समाज कल्याण विभाग हो तो ज्यादा फायदा करेंगे।

श्री कमला भाई : वह मांडे में जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विकास

(श्री कमला भाई मीणा)

हुआ है, आजादी मिले 35 साल हो गये, विकास बड़े शहरों में या जिले में या तहसील में हुआ है। जो गांवों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो यातायात के कोई साधन नहीं हैं। आज उन लोगों के लिए तो वैसा ही जमाना है जैसा राजा महाराजा का जमाना था। वही जमाना है उन लोगों के लिए जो बहुत दूर-दराज रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो गांव हैं उनको जिला मुख्यावास से नहीं जोड़ा जावे बल्कि तहसीलों की सड़कों से जोड़ा जावे। दूसरे, पंचायतों के अन्दर जो दूर दूर गांव हैं उन गांवों को पंचायतों के मुख्यावास से जोड़ा जावे ताकि उन लोगों को सुविधा मिल सके।

मैं कोई लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, जो मेरे क्षेत्र की समस्या है उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आलपुर से देवला जाखम नदी वाया शेषपुर धोलाघर खेड़ा, धोलाघर पाल खण्डेला पीपला शाता धावडा रहमतीया कुम्बारिया···

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : धीरे धीरे बोलो, ये लिखेंगे कैसे।

(व्यवधान)

श्री कमला भाई : नया टापरा निम्बोदा और जोधपुर तो इस लाइन पर हैं···

(व्यवधान)

जो जनता की तकलीफें हैं वह तो रखें···

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : मंत्री महोदय को याद तो रखना चाहिए।

श्री कमला भाई मीणा : इस सड़क की लम्बाई 30 किलोमीटर है और इस पर पांच पंचायत पड़ती हैं। एक पंचायत में करीबन पांच सौ परिवार रहते हैं और पांच पंचायतों के परिवार होते हैं ढाई हजार। तो ढाई हजार परिवार रहते हैं आज उन लोगों के यातायात का कोई साधन नहीं है। कोई उनके बीमार हो जाता है तो उसको चारपाई पर लिटा कर ले जाते हैं। कोई उनके पास वजन होता है तो वह उसको सिर पर उठा कर ले जाते हैं। उन लोगों को इमीजियेट कोई काम हो जाता है तो कोई सुविधा नहीं मिलती है। इसी प्रकार देसण से पाडसोला लाइन पर सात पंचायत पड़ती हैं। कुणढीकिया कालीभीत, भरैव और लर गाटी धामणीया, दातलीया तलाई, गडरा विगरूण अवलीगंगा और गोपाल पुरा, ये चालीस किलोमीटर की दूरी पर हैं। 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं; उस लाइन पर सात पंचायतें पड़ती हैं। वहां के लोगों को अपनी तहसील में पैदल जाना हो तो चालीस किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : सड़क बनाने से दूरी कम हो जायेगी क्या ?

(व्यवधान)

श्री कमला भाई : अरे, आप नहीं जाणो कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में लोगों की स्थिति क्या है। आपको मालूम नहीं है। आप बड़े आदमी हो, आप शहरों में और कारों में घूमते हो। आपको क्या मालूम है कि गरीब लोग की क्या स्थिति है। यह आपको मालूम नहीं है। आपको सरकार इतना फायदा दे रही है तब भी आप विरोध करते हो। हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : चेतरामजी जानते हैं।

श्री कमला भाई मीणा : चेतरामजी नहीं जानते हैं। चेतरामजी सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री हैं इसलिए हमको कहना पड़ता है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मानो या नहीं मानो, अपने को तो कहना है।

(व्यवधान)

श्री कमला भाई मीणा : इसी प्रकार से बीजा माता से पैंडोर रोड वाली लाइन पर जोधपुर पंचायत, मालपुर पंचायत, बड़ा पंचायत, बिडावल पंचायत और देवलिया पंचायत, घोलिया पंचायत और ढेक्ड पंचायत इतनी पंचायतें पड़ते हुए वहां के लोगों के आवागमन के लिये कोई साधन नहीं हैं। इसके बारे में, मैं कई बार माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन कर चुका हूं लेकिन साहब यह क्या करेंगे। मैं भी मेरी आत्मा में आशा रखता था, ये हमारी कास्ट के आदमी हैं एक दो रोड तो देंगे ही।

(व्यवधान)

भाई आज कुछ यह जातिवाद भी चलता है, हमने भी देखा है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इतनी बात छैला बाबू को कहते तो वह भी मान जाते।

श्री कमला भाई मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सड़कों का अभाव है उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कोई ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रभाकरजी सन् 1981 में पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे तब आपका पदार्पण लसाड़िया में हुआ था। लसाडिया मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वहां उन्होंने घोषणा की कि लसाड़िया से धरियावद रोड को बनाया जावे और इस रोड को तहसील मुख्यावास तक प्लान में लिया जाकर जोड़ा जावे। आज चार-पांच साल हो गए नायब तहसील से तहसील मुख्यावास तक आने जाने का रास्ता रुका हुआ है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आशा रखता हूं कि इस रोड को प्लान में लेकर कार्य चलायेंगे ताकि वहां की जनता को आने जाने की सुविधा मिल सके।

इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं कि सन् 1981 में कुछ सड़कें अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत हुई। हमारे सलूम्बर से बिडावल सड़क स्वीकृत हुई। लेकिन पैसे खर्च किए सलूम्बर में बस स्टेशन के पास डामर रोड बनाने में। तो नाम किसका था? सलूम्बर से बिडावल सड़क का पैसा सलूम्बर बस स्टेशन पर खर्च किया। यह तो इस विभाग के अधिकारियों के कारनामे हैं। इसी प्रकार से धरियावद में हुआ। धरियावद में बाडसी से बटवाडा तक रोड ले जाने की स्वीकृति हुई अकाल राहत कार्य में। उसमें यह हुआ कि हमारे एक माननीय संसद सदस्य थे उनके प्लाट उस सड़क पर पड़ते थे। एक रोड निकला हुआ था बाजू में। डामर का रोड बना हुआ था। उन प्लाटों की कीमत ज्यादा बढ़ जावे ऐसा करने के लिए फेमिन में करीब 15 हजार रुपयों का घपला कर दिया। इस प्रकार मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि स्वीकृति कहीं की होती है और काम कहीं पर किया जाता है। इसी प्रकार गए साल, माननीय अध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू.डी. विभाग के अधिकारियों ने जो अकाल राहत कार्यों में लोहागल से निम्बरवाड़ा रोड की स्वीकृति दी। उस कार्य को चालू करना था। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से

(श्री कमला भाई मीणा)

निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के जे.ई.एन. और ए.ई.एन. अपनी मनमानी से उन रोडों पर राहत कार्य की स्वीकृति होते हुए कार्य-चालू नहीं किए। लोहागल से निम्बरवाडा वाया देवला पाडसोला रोड की स्वीकृति हुई लेकिन वह रोड उन्होंने नहीं बनाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पच्चीस बार मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया कि, साहब, यह भटनागर साहब और जे.ई.एन. साहब और ये सब मनमाफिक काम करते हैं इसलिए आप कृपा करके उनको हटाओ मगर आज तक उनको नहीं हटाया।

(व्यवधान)

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय ने अब तक नहीं सुना लेकिन अब तो पूरा गौर कर रहे हैं आपकी बात पर।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री कमला भाई मीणा : मैं जो बात कह रहा हूं उस पर गौर करें या नहीं करें, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं। मैं सच बात कहूंगा, जो हुई है वह बात कहूंगा। आंखों देखी बात कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से घपले हुए हैं। राजस्थान का मामला तो डांवाडोल है। हमारे देश की नेता, इन्दिरा गांधी कहती हैं कि गरीबों को ऊपर लाओ। इस तरह से हर विभाग के अधिकारी करने लग जायें और हर विभाग के मंत्री कोई तवज्जोह नहीं देंगे तो कल्याण हो गया, देश का कल्याण हो चुका।

इसके साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज किसी भी डिपार्टमेन्ट में ठेकेदारों के बिना काम नहीं चलता है। ठेकेदारी दी जाती है तो मिस्त्री का बनता है दो पर्सेन्ट, जे.ई.एन. का बनता है पांच पर्सेंट, ए.ई.एन. का बनता है दस पर्सेन्ट, एक्स.ई.एन का बनता है बीस पर्सेन्ट और एस.ई का बनता है तीस पर्सेंट और इस प्रकार से यह पर्सेंटेज बंधा हुआ है इसलिए काम नहीं होता है।

अध्यक्ष : आपकी रेट बहुत हाई दिखती है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मंत्री महोदय बड़े हैं इसलिए रेट बढ़ गई है।

श्री कमला भाई मीणा : फेमिन में जो काम चालू करवाये जाते हैं उनमें हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं क्योंकि वहां तो नपा तुला मिलता है। यह रुचि उसमें लेंगे जो ठेके पर काम चलेंगे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जितने भी टेण्डर किये जायें या तो सरकार को इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा इस राजस्थान को, पिछड़े प्रान्त को ऊपर लाना है तो, जो टेण्डर हों उनमें जन-प्रतिनिधि बीच में रखना होगा। अध्यक्ष महोदय, जन-प्रतिनिधि को डर रहेगा, क्योंकि उसके बाद वह रहेगा तो जनता में, जनता उसको कोसेगी। आज हम विधायक बनकर बैठे हैं ...

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मंत्री महोदय भी तो जन प्रतिनिधि हैं।

श्री अध्यक्ष : अब समय काफी हो गया, समाप्त कर दें।

श्री कमला भाई मीणा : अध्यक्ष महोदय, हम पांच साल के लिये इस हाउस में आकर विराजते हैं। हो सकता है कल हम जन-प्रतिनिधि नहीं रहें। आप अपने शासन काल में जो कार्य

(श्री कमला भाई मीणा)

करोगे चूंकि बाद में आपको जनता में बैठना पड़ेगा। आपको इस बात का डर रहेगा कि मैं जनता में बठूंगा, बुरे काम करूंगा तो जनता टोकेगी। यह आपको डर रहेगा और आप कोई बुरा काम नहीं करेंगे। कर्मचारी भी हमारे भाई हैं। आज यह जयपुर जिले से उदयपुर जिले में आते हैं उनको क्या मतलब है, वह अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिये आते हैं, अपने घर और पेट की खातिर आते हैं इसलिये वे देखते हैं कि मूर्ख बहुत मिल रहे हैं अपना अपना उल्लू सीधा करो।

श्री अध्यक्ष : अब खतम कीजिये।

श्री कमला भाई मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत बात की हो तो···

श्री अध्यक्ष : नहीं, ठीक की है। अब समाप्त कर दीजिये।

श्री कमला भाई मीणा : इसके साथ ही पुनः एक बार मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा मैंने 3-4 सड़कों की डिमाण्ड की है, मैं आशा करता हूं, जब हाउस में मंत्री महोदय जवाब देंगे तब घोषणा करेंगे कि ये सड़कें बनाई जायेंगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय-हिन्द।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : आज 21 वीं दफा जय हिन्द को हटाने का निवेदन किया है, मैं समझता हूं, अब तो मंत्री महोदय कोई निर्णय लेंगे।

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज पी. डब्ल्यू.डी. के बारे में चर्चा हो रही है। मैं डूंगरपुर जिले में जो सड़कें, पुलिया और भवन हैं उनके बारे में सुझाव के रूप में आपके माध्यम से विभाग के संबंधित मंत्रीजी को कहना चाहता हूं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में 7 पक्के रोड हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि 30 कि.मी. की स्पीड से भी गाड़ी चले तो मेरा ख्याल है या तो एक्सीडेंट हो जाय या गाड़ी के टायर बर्स्ट हो जायं। उन पर इतने पैंच, इतने खड्डे हैं जिससे हालत बहुत ज्यादा खराब है। कोई यह समझेगा कि इनकी कोई मरम्मत करने वाला नहीं है। रोड बनाई जाती हैं, पैंच भरे जाते हैं, इस साल भरे जायं तो दूसरी साल वापस पैंच भरने पड़ते हैं। इस तरह से मैन्टीनेंस ठीक नहीं होता है। इस हिसाब से राज्य सरकार का कोटा जो मैन्टीनेंस पर खर्च कर रहे हैं उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं इस साल एक कैम्प में रीछा गया था। रीछा के पास जंगल है उसके पास रोड खराब हो गई थी। मैंने विभाग को कहा तो विभाग ने बताया कि डामर नहीं है, जब कि डामर रोड पर पड़ा हुआ था। और जमीन पर बह रहा था। कहने का मतलब यह है कि विभाग का उस पर कोई ध्यान नहीं है। वेस्टेज जा रहा है कि डामर नहीं है। इसलिये पेच नहीं भरे जा रहे हैं। जो पक्की रोड हैं उनका मैन्टीनेंस टीक नहीं हो रहा है जो होना चाहिये।

इसके अलावा मेरे यहां पांच कच्ची रोड हैं जिन पर प्राइवेट और सरकारी गाड़ियां चलती हैं। वे रोड्स ज्यादातर अधूरी हैं। दो या तीन कि.मी. पक्की हैं उसके बाद कच्ची बनी हैं। हर साल रिलीफ वर्क्स में ये रोड मन्जूर होती हैं और इन सड़कों के लिये गिट्टी तुड़वाई जाती है। उस गिट्टी की बाजार में बिक्री हो जाती है। उसका उपयोग रोलर के अभाव में नहीं होता है। गत साल यहां तक कह दिया गया था

(श्री नाथूराम) :

कि आपने जो गिट्टी तुड़वाई है उसकी हमारे यहां आवश्यकता नहीं है। शायद इस साल उस गिट्टी का दुरुपयोग हुआ होगा और उतनी गिट्टी मौके पर नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल ज्यादा से ज्यादा रोलर मन्जूर किये जायं। डामर नहीं हो तो कम से कम वहां पर गिट्टी तो बिछा कर मैटल रोड तैयार किये जायं। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, उन सड़कों पर ऐसे नाले हैं जिन पर मात्र एक या दो पाइप लगा देने से या एक-दो बोरी सीमेंट लगा देने से पुलिया का निर्माण हो सकता है। बहुत छोटे-छोटे नाले हैं जिनमें चौमासे में एक आधे महीने पानी आता है तो रोड बन्द हो जाता है। उन पर मामूली खर्चे में पुलिया बनाई जा सकती है। इसलिये ऐसी जो भी नालियां हैं उनमें सीमेंट पाइप लगाकर उनको ढक दिया जाय ताकि चौमासे में रोड बन्द न हों और गाड़ियां आती जाती रहें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि अगर वहां पर जो गिट्टियां तुड़वाई जायं तो उसका उपयोग करने के लिये रोलर मन्जूर किये जायं।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी पुलिया दो-तीन जगह से ज्यादा नहीं हैं। उन पुलियाओं को भी प्लान में लेकर, 5-6 रोड हैं, पूरा किया जाय जिससे पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में विकास हो सके। इस ओर ध्यान दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर को सौम नदी अलग करती है, देशुमनाथ के पास मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था। गुड़ा और देशुमनाथ के पास एक पुल बनाया जाय। वहां जितना भी एरिया है उस एरिया के लोगों को चौमासे में अछूता रहना पड़ता है। उनके आस-पास में जो संबंध हैं, लेन-देन हैं वह टूट जाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस पुल को इस साल या आते साल प्लान में लेकर बनाया जाय। हर साल 1-2 व्यक्ति इस जगह बह जाते हैं। पिछले दिनों एक हल और बैल की जोड़ी बह गई थी। एक औरत बह गई उसको लाने के लिये दो आदमी गये तो तीनों ही बह गये। इसलिये इस पुल को बनाने के लिए भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पुल को मन्जूर किया जाय।

इसके साथ ही बिल्डिंग्स के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पर डाक बंगला है जो एकतंत्री हुकूमत के समय से बना हुआ है। उसमें 6 कमरे बने हुए हैं। 6 आदमियों के ठहरने की व्यवस्था है। दो तीन, चार अफसर तो उसे हमेशा रोके रहते हैं। कोई वी.आई.पी. आदमी वहां पहुंचे तो उसे दर बदर इधर उधर भटकना पड़ता है। इसलिये डाक बंगले का विस्तार किया जाय। उसके विस्तार के लिये पास में काफी जमीन है। उसकी फाउण्डेशन बहुत ही मजबूत है। उसके ऊपर दूसरी मंजिल चढ़ाने की व्यवस्था की जाये।

डूंगरपुर जिला पूरा आदिवासी एरिया है। वहां के सैकण्डरी स्कूल्स, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल्स के भवनों की हालत बहुत खराब है। इसी प्रकार पास में डिण्डी, गोखला, डोलवर, रघुनाथ पुरा में, कई इस तरह के स्कूल्स हैं जिनको आदिवासी नहीं बनवा सकता है। हमारी सरकार की यह मंशा है जो भी स्कूल मंजूर हो या कोई भी सरकारी डिस्पेंसरी मंजूर हो उसके लिये पहले भवन तैयार हो श्रीमन् वहां के लोगों को खाने के लिये अनाज नहीं है, कपड़े पहनने के लिये नहीं हैं, किस तरह

(श्री नाथूराम)

से वहां भवन का निर्माण करा सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों की यह विशेषता है हम लोग बैठकर यदि तय कर लेते हैं तो हमें एक एक गाड़ी पत्थर या दो तीन दिन श्रमदान करना पड़ता है। तो वह सारी हमारी तैयारी होती है। यदि 50,70 या 80 प्रतिशत पैसा मंजूर किया जाये तो भवनों का निर्माण बड़ी आसानी से हो सकता है। मैंने फलौद उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत कराया है, 52 हजार रुपया चंदा करके बिल्डिंग तैयार करायी है उसका काम पूरा नहीं हुआ है। वह वैसे ही पड़ा हुआ है। इसी तरह से गोखला में दो बहुत बड़े बड़े हाल तैयार किये हैं, उनकी छपाई के लिये हम लोग रुक गये। जहां जहां इस तरह के सरकारी भवन हैं उनको चाहे ट्राइबल सब प्लान के पैसे से चाहे सरकार के किसी अन्य फंड से बनाया जाये।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं, डूंगरपुर जिले में सड़कों और पुलियाओं का, सार्वजनिक भवन निर्माण का जो काम है उसे बहुत ही गंभीरतापूर्वक ज्यादा से ज्यादा रकम मंजूर करा कर पूर्ण कराया जाये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरा बोलना समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आपने नाम नहीं दिया। तत्पश्चात् रतनलाल ताम्बी बोलेंगे वह आखिरी वक्ता होंगे।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर आपके माध्यम से जो दिल्ली से बाम्बे का नेशनल हाइवे नम्बर -8 है, जिसमें ऊण्डा नाला है, उसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बारे में मैंने प्रश्न भी उठाया था। उस नाले पर जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वह रास्ता पूरा बन्द हो जाता है। रास्ता बंद होने से जो नुकसान हुआ उसका हिसाब लगाने से यह मालूम पड़ता है कि जितना नुकसान हुआ उसी से पुल बना दिया होता तो शायद वह पुल बन जाता। मैं बताऊं आपको, डूंगरपुर से उदयपुर आने वाली गाड़ी रुक जाती है। उदयपुर में जनरल हॉस्पिटल है। कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाये या कोई मरीज उदयपुर में हो जिसको खून देना हो, खून देने के लिये कोई आदमी डूंगरपुर या उस क्षेत्र में आता है तो वह आकर रुक जायेगा। उसको उदयपुर प्रासाद होकर जयसंमद रोड पर होकर आना पड़ता है। ऐसी हालत में एक तो यह नुकसान हो रहा है, उदयपुर में कोई बीमार है उस क्षेत्र का, जिसको खून देने के लिये तत्काल जाना हो तो वह नहीं जा पायेगा। इससे उसका नुकसान हो जाता है। दूसरा, वह पुल इस प्रकार का है सामने चढ़ायी है। उस पर ऐसा मोड़ है कि सामने गाड़ी नजर नहीं आती है। ज्यों ही उधर से ढाल में गाड़ी जाती है, उधर सामने से जो गाड़ी लेकर आते हैं स्पीड में लेकर चढ़ा देते हैं। दोनों की जो लाइट होती है, आमने सामने मिल जाने से कोई न कोई गाड़ी गिर जाती है। कई पैसेंजर मर गये, ड्राइवर मर गये, गाड़ियों और माल का इतना नुकसान हुआ जिसकी कोई गिनती नहीं है। मैं उस रास्ते से आता जाता हूं, रोजाना यह स्थिति बनी रहती है।

श्री अध्यक्ष: आप भी ध्यान रखना पूरा जाओ आओ।

श्री भैरूंलाल मीणा : मैंने प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में बताया, इसका बजट में कोई

(श्री भैरूलाल मीणा)

प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो बड़े पुल जो पुराने जमाने के बने हुए हैं, उन पर दस टन बीस टन की गाड़ियां निकल जाती हैं लेकिन वह नहीं टूटते। छोटे छोटे पुल जो उस जमाने के बने हुए हैं, उन पुलों को तोड़कर नये पुल बनाये जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : वह पुरानी टैक्नालॉजी से बनाये हैं, अब नयी टैक्नालॉजी से बनाये जाते हैं वह टूट जाते हैं।

श्री भैरूलाल मीणा : उसी के लिये तो कह रहा हूं। नयी टैक्नालॉजी से पुल बनाये जाते हैं वह टूट जाते हैं। जो छोटे पुल पर खर्चा करते हैं उन पर फिलहाल खर्चा नहीं करके उन पुल को ठीक किया जाय जो आवश्यक हो। छोटे पुलों पर करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, बड़े पुलों के लिये प्रावधान नहीं है। बड़े पुल की वजह से सारा रास्ता रुक जाता है। यही नहीं, एक नुकसान और होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो बस या कोई यात्रा बसें जाती हैं उनका समय निर्धारित होता है। रतनपुर बार्डर से उनको 12 बजे बाद निकल जाना है। वह उसी हिसाब से जाती हैं लेकिन वहां जाकर ऊण्डे नाले पर रुक जाती हैं। उसको घूम कर जाना पड़ेगा तो ज्यादा नहीं तो एक दिन उनका अधिक हो गया। एक दिन का उनके ऊपर टैक्स लग गया। इस प्रकार कई गाड़ियों का टैक्स इस कारण लग जाता है। मैं चाहूंगा, उस जिले में छोटे पुल नहीं बनाकर ऊण्डे नाले के पुल पर पैसा लगा दिया जाय। मैं यहां तक कहूं मजबूरी में, जैसे यू.पी. में जिस पुल से गाड़ी पास करते हैं दस रुपये लेकर उस पुल को पार करने देते हैं उसी प्रकार दस नहीं तो पांच रुपये ही वसूल करें। इस पुल पर हजारों गाड़ियां दिन में निकलती हैं, कितना रुपया इकट्ठा हो जायगा। यह चंदा हो जायगा और इसी चंदे से यह पुल बन जायगा। मैं चाहूंगा, इस ओर ध्यान दिया जाये। पुल बना देने से लम्बे रास्ते की सुविधा हो जायेगी जो टैक्स बिना कारण देना पड़ता है वह नहीं देना पड़ेगा। महेन्द्रवाड़ी का मैं बार बार जिक्र करता था। वहां पहले विकट मोड़ था। उस मोड़ को निकाल कर कुछ सीधा रास्ता कर दिया मगर सीधा रास्ता करने के पहले जितने एक्सीडेंट होते थे उससे ज्यादा बढ़ गये। मैंने उसके लिये भी प्रश्न पूछा उसका जवाब मिला कि यहां तो कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं। आपको ताज्जुब होगा, वहां पर 300 आदमी मर गये, जो घायल हुए उनकी तो गिनती ही नहीं है। जो ट्रक पल्टी खा जाते हैं या बस टूट जाती है, वह जो नुकसान होता है उसकी भी कोई गिनती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं बोल कर मेरा यही निवेदन है कि मैंने जो कटमोशन दिये थे उन दोनों पर ध्यान दिया जाये। ऊण्डा नाले पर जितना जल्दी हो सके पुल बना दिया जाये, जिससे दिल्ली बाम्बे का रास्ता सही चल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी, अंतिम वक्ता होंगे उसके बाद...

(व्यवधान)

कल देंगे समय आपको। असलम साहब को भी कल देंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा कर रहे हैं। वस्तुत: किसी देश और प्रदेश के विकास के लिये संचार साधनों की अपनी महत्ता होती है। सड़कों के मामले में देश के नक्शे पर राजस्थान 15वें स्थान पर आता है यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है।

(180)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हमारा राजस्थान कृषि और पशुपालन उद्योग पर आधारित अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करता है। इन सब के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से एक ओर मरु प्रदेश और दूसरी ओर पहाड़ियां हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके चुनाव क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें सड़कें नहीं हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : सौ-सवा सौ गांव ऐसे हैं, कुल गांव 225 हैं जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं इसी पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस स्थिति में राजस्थान में वर्तमान में जो बजट प्रावधान है वह अत्यन्त कम है। महत्वपूर्ण सड़कों का चयन और उनके निर्माण में प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पिछले वर्षों में प्लान रोल के प्रावधान किये गये थे। कुछ वर्षों में जो प्रावधान रखकर काम हुए लेकिन उसके बाद बजट की जो पुस्तिकायें हमारे समक्ष आई इन पुस्तिकाओं से प्लान रोल्स गायब है। उनमें रुपया लगा, एस्टीमेट्स बने दो लाख, तीन लाख, पांच लाख रुपया भी लगा उसके बाद वह सड़क वहीं की वहीं रह गई। उदाहरण के तौर पर मेरे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गांव है शक्करगढ़, जो बूंदी तहसील को जोड़ता है। शक्करगढ़ से जहाजपुर की सड़क सन् 1957 से बन रही है आज तक वह पूरी नहीं हुई है। उस पर राज्य का काफी पैसा खर्च किया गया है प्लान रोल होते हुए वह सड़क वहीं की वहीं है।

श्री अध्यक्ष : डामर रोड कितनी है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : डामर रोड 10 किलोमीटर बनी हुई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी महत्वपूर्ण सड़क, जिससे भीलवाड़ा जिला बूंदी जिले से जुड़ता है, जिससे बिजौलिया, ऊपरमाल; के खनिज क्षेत्र, जहां पत्थर की खदानें हैं, का जयपुर से सीधा संबंध हो जाता है वह सड़क अधूरी है मैं आपकी मार्फत सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी सड़कों को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। आप तीन-चार साल पहले का बजट देख लें यह प्लान रोड थी। इस सड़क पर शक्करगढ़ गांव से एक फर्लांग आगे मेज नदी है उसके दूसरी ओर बूंदी जिला है। इस मेज नदी पर अभी तक पुलिया नहीं बनी है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी महत्वपूर्ण सड़क और पुलिया की ओर ध्यान दिया जाए। वैसे मेरे क्षेत्र, जिस हिस्से की मैं यहां बात कर रहा हूं, के आसपास के गांवों में 70 प्रतिशत आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते हैं "पिछड़े को पहले" की हम बात करते हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण सड़क और पुलिया को क्यों नहीं पहले बनाया जाए ? सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री पशुपालन मंत्री से चर्चा में व्यस्त हैं, मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी यह नोट करने जैसा मामला है। आप इसकी जांच करवा लें। मेज नदी पर पुल, बूंदी जिले को जोड़ने, भीलवाड़ा जिले को जोड़ने और जो खदानें हैं उनके विकास की दृष्टि से यह सड़क महत्वपूर्ण है। शक्करगढ़ जहाजपुर की सड़क को आप विशेष महत्व देंगे, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर और भीलवाड़ा जिले को जोड़ने वाली पंडेरसावर सड़क आठ मील की है। आठ मील

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सड़क में से अजमेर जिले ने अपना हिस्सा बना लिया है भीलवाड़ा जिले का भी कुछ हिस्सा बन गया है लेकिन आगे का दो-ढाई मील का हिस्सा अधरा है।

(6.33 सायं)

(श्री देवीदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

यह रोड प्लान में स्वीकृत थी। इस बार जो नई प्लान रोड की सूची आई है उसमें से यह गायब हो गई। पता नहीं प्लान रोड क्यों नहीं बनती हैं। आपके नक्शे में आपके प्लान में एक बार आ जाती है स्वीकृत हो जाती है फिर वह प्लान रोड पूरी न हो यह एक आश्चर्य की बात है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सड़कों के निर्माण में आपका संतुलन नहीं है। भीलवाड़ा जिले में कुछ क्षेत्रों में कई सड़कें बन रही हैं माइनिंग रोड के नाम से, अकाल की रोड के नाम से, प्लान की रोड के नाम से और कुछ विशिष्ट योजनाओं के नाम से। भीलवाड़ा जिले में जो सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र है वह जहाजपुर है। मेवाड़ में भी जहाजपुर पिछड़ा क्षेत्र था। मेवाड़ का आखिरी हिस्सा वह है, उस समय भी वह विकसित नहीं हुआ। और आज भी सड़क संचार के साधनों से वह विकसित नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस दृष्टि से आप जहाजपुर को विशेष प्राथमिकता दें। मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले अकालों में सड़कों के हमारे इलाके में कई काम चलते रहे हैं। बहुत सारा मैटीरियल आज भी सड़कों पर पड़ा हुआ है। पत्थर पड़े हुए हैं। आपके विभाग के कर्मचारियों ने, उन मजदूरों ने उन पत्थरों, गिट्टी, जो सरकार की है, को तोड़ा है। वहां वह गिट्टी पड़ी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को जो चीज सप्लाई हो जाती है, मेहरबानी करके उसका सदुपयोग कीजिये और इन सड़कों पर जहां काम हो सकता है, काम कीजिये। जब अकाल का काम चलता है तो रोलर की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने अभी कहा है, मेरा इलाका भीलवाड़ा जिले के आखिरी कोने में है। हमारे वहां अधीक्षण अभियन्ता महोदय, अधिशाषी अभियन्ता महोदय साल में एक दो दफा ही आते हैं। उस पिछड़े क्षेत्र में रोलर की अधिक आवश्यकता रहती है। अकाल के समय में दो-एक रोलर टूटे-फूटे भेज देते हैं और वे चलते नहीं हैं, खराब हो जाते हैं। मैं आपकी मार्फत राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर पहाड़ी इलाका है, काफी मैटीरियल पड़ा है, लाखों रुपयों का मैटीरियल पड़ा है इसलिये इस बार रोलर देते वक्त इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखेंगे। वहां पिछले वर्ष में कम काम हुआ है, काफी मैटीरियल पड़ा हुआ है अंत: मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

शक्करगढ़ से जहाजपुर रोड का जैसा मैंने जिक्र किया, मेज नदी के पुल का जिक्र किया, इसके साथ साथ मेरा यह निवेदन है कि मेरे इलाके में ऐतिहासिक पहाड़ी स्थान है। अरावली पर्वतमालाओं के बीच घाटारानी प्रसिद्ध स्थान है। पूरे इलाके के दो-तीन लाख लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। वहां की सड़क फैमिन में कई वर्ष से बनती आ रही है। इस साल जहाजपुर से घाटारानी रोड, जो केवल दस किलो मीटर है, दो किलोमीटर के आसपास डामर रोड बन चुकी है। 8 किलो मीटर रोड के साइड में मैटीरियल पड़ा है। उस रोड को आप कम्पलीट

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कर दें। माण्डलगढ़-जहाजपुर रोड के बारे में मैंने निवेदन किया, यह जिले की सड़कों में महत्वपूर्ण सड़क है। माण्डलगढ़ कान्स्टीट्यूएंसी से मुख्य मंत्री आते हैं वहां पर कृपा करके डामर रोड बना दें। इससे आगे मेरा इलाका शुरू होता है उसमें करीब 10-12 मील डामर रोड बनाना बाकी है। आशा है, इस साल इस रोड को प्राथमिकता देंगे और इसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे।

दूसरा, मैं यह निवेदन करूंगा, एशिया की जो सबसे बड़ी सोफ्ट स्टोन की खान है वह गोलेछा के पास है। इस खान से करोड़ों रुपये की आपको विदेशी मुद्रा मिलती है, रायल्टी और डेड रेन्ट मिलता है परन्तु वहां तक सड़क पक्की नहीं है। घेवरिया से कोटरी और खजूरी चैनपुरा वाया भानपुरा आमल्दा रोड हैं उनको भी आप प्राथमिकता दें तो इस खनिज क्षेत्र का विकास होगा। लाखों रुपयों की इन्कम बढ़ेगी और कई लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

सभापति महोदय, वर्ष 1982-83 में आपने विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए 1099.33 का प्रावधान किया था। मैं समझता हूं इसके बाद महंगाई बढ़ी है। वर्ष 1983-84 में केवल आपने 564.94 का प्रावधान किया है यानी 534.39 का प्रावधान इस वर्ष आपने गत वर्ष के मुकाबले में कम रखा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि कई अधूरे भवन हैं उनकी ओर आपका ध्यान नहीं गया है। इसलिये इस काम को भी प्राथमिकता दें।

जैसा मैंने निवेदन किया, क्वालिटी कन्ट्रोल की दृष्टि से आपने गत वर्ष इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है। इस दृष्टि से आपने कुछ इसमें सुधार किया है परन्तु इसमें और सुधार की आवश्यकता है।

अभी हमारे कुछ भाई बात कर रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में......

श्री सभापति : संक्षेप में कहिये।...

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं संक्षेप में समाप्त कर रहा हूं। मैं बहुत कम बोला हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर भ्रष्टाचार की चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार आज शिष्टाचार के रूप में है सब विभागों में भ्रष्टाचार है। केवल एक विभाग को दोष दें उससे काम नहीं चलेगा। एक भाई उधर से बहुत जोर-शोर से बोल रहे थे। ढाई साल का आपको अवसर मिला था, जनता पार्टी का राज आया था। उस ढाई साल में आपने भ्रष्टाचार को कितना मिटाया और कितना बढ़ाया? उस समय के भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। बहुत बड़े बड़े लोग उसमें सम्मिलित हैं। आपने उस समय क्या किया और कितना कीर्तिमान स्थापित किया इस बारे में बार बार चर्चा करें इसके बजाय मैं विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस विभाग से भ्रष्टाचार को मिटायें और विभाग का अच्छा स्तर लायें।

(व्यवधान)

राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है बहुत कम बजट उपलब्ध है, कम बजट में अधिक से अधिक अच्छा काम करके राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके विभाग की है। इस विभाग की जितनी चर्चाएं आपके सामने आई हैं उसको देखते हुए जितना भी आप इसमें सुधार कर सकते हैं, करें। मैं भी यह मांग करता हुआ चाहूंगा कि

(श्री रतनलाल ताम्बी)

न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं, जो गांव आपको जोड़ने हैं सड़कों के हिसाब से काम को आगे बढ़ाना है उसमें मेहरबान करके प्राथमिकता देकर पंचायत केन्द्रों को जोड़ दें। जैसी आपने घोषणा की है उस हिसाब से अभी भी काफी पंचायत केन्द्रों को जोड़ना है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में मरनीकलां, गुढ़ा, रावतखेड़ा, बेई, वरोदा ऐसे पंचायत केन्द्र हैं जो पहाड़ों में स्थित हैं और सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। आप मेहरबानी करके उनको प्राथमिकता दें। जैसी आपने घोषणा की है, डेढ़ हजार की आबादी के गांवों को जोड़ने की बात आपने इस पुस्तिका में कही है, जो आपने योजना उल्लेखित की हैं उसके अनुसार काम की गति है वह बहुत धीमी है। जो बजट का प्रावधान बहुत ही अपर्याप्त है उनको तेज गति से बढ़ायेंगे। जैसा मैंने निवेदन किया, भीलवाड़ा जिला अरावली पर्वत माला की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, उसमें खनिज सम्पदा बहुत है। उसमें प्राथमिकता के आधार पर सन्तुलन रखते हुए, समानता रखते हुए, जितनी सड़कों का निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में मैंने कुछ सुझाव दिये हैं। मैं समझता हूं कि औद्योगिक विकास होता है, खनिज क्षेत्र का विकास होता है तो राजस्थान के खजाने में, अर्थ व्यवस्था में आपको और भी सुदृढ़ता मिलेगी। इसी आशा के साथ मैं निवेदन करता हूं कि जो सुझाव दिये हैं उनको आप गम्भीरता से लेंगे। जैसा मैंने निवेदन किया, पिछड़े को पहले लेंगे। हमारा क्षेत्र बहुत उपेक्षित है, उदयपुर डिवीजन का सबसे आखिरी क्षेत्र मेरा क्षेत्र है। इधर कोटा हाड़ौती से जुड़ता है, जयपुर से जुड़ता है उधर अजमेर से जुड़ता है। यह सारा सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि अजमेर, टौंक, बूंदी जिले से मेरा क्षेत्र लगा हुआ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों के मुकाबले मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है उस दृष्टि से ध्यान देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी। काफी समय हो गया है। माननीय सदस्य, काफी चर्चा हो गई है। आप जवाब दें। एक मिनट आपको भी देंगे। विराजिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को एक बात बताना चाहूंगा। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के अन्दर रोड बनाये गये, विद्युत बोर्ड द्वारा रोड बनाये गये जिनमें भारत सरकार ने पैसा दिया और राजस्थान सरकार ने पैसा लगाया। करोड़ों रुपये के हमने इस प्रकार के रोड बनाये लेकिन, सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है, कि जब तक दुबारा अकाल नहीं पड़ जावेगा, तब तक उन रोड्स को बनाने वाला कोई नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो रोड अनकम्पलीट हैं उनका करोड़ों रुपये का मेटीरियल पड़ा है, वह बेकार जा रहा है। उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? एक प्रश्न में मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से बात पूछी है। सभापति महोदय, इसके अलावा जो पुल बन रहे हैं वहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है। लाखों करोड़ों रुपयों का उसमें घोटाला हो रहा है। घोटालों के मामले में तो माननीय सदस्यों ने पहले ही कह दिया इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहां बनास नदी पर जो पुलिया बन रही थी वह आपको सन् 1979 में तैयार करनी

(श्री हंसराज शर्मा)

थी आज दिन तक वह अधूरी है। पैसा इसमें लग गया। बढ़ी हुई रेट के आधार पर आपने जो टेण्डर सैंक्शन किये हैं उसमें ठेकेदार को ज्यादा प्राफिट हो रहा है ठेकेदार वहां से मशीनें ले गये और आप बिलकुल अचेत अवस्था में सो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि जरा प्रयत्न करें और इस प्रकार का जो इलाका है उसका ध्यान रखें। जो सवाई माधोपुर में बाद में रोड खराब हो गई थी उसका आपने 4 पैसा नहीं दिया। आप सवाई माधोपुर क्षेत्र में आये हैं। यह बात जरूर है, भरतपुर का आपको ज्यादा ध्यान है सवाई माधोपुर का ध्यान नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ज्यादा समय ले रहे हैं कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : आप कृपया हमारा भी ध्यान रखें। करोड़ों रुपयों का उस रोड पर नुकसान हुआ है वह रोड तो बना दें। आने वाले समय में आप रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन वह रोड तो रहेगी। आप चेत करके जो काम करायेंगे उसका जनता को ध्यान रहेगा। आप मेहरबानी करो, जनता पर आभार प्रदर्शित करो। आंखें मींच कर मत सोओ। वैसे भ्रष्टाचार के आधार पर...

एक माननीय सदस्य : थोड़ा धीरे बोलें। अरे, हंसराज जी आप सवाई माधोपुर से नहीं बोल रहे थे।

श्री सभापति: आर्डर आर्डर। मंत्री महोदय।

एक माननीय सदस्य : ...की जमीन ली है, जिसे दूसरों के माध्यम से खा जाओगे।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त करेंगे- माननीय सदस्य।

श्री रूपलाल परमार (खैरवाड़ा) : उनको तो अधिक समय मिल रहा है, मुझे एक मिनट मिलेगा। एक मिनट में क्या बोलूंगा।

श्री सभापति : काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री रूपलाल परमार : सभापति महोदय, मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का ध्यान हमारे जिला उदयपुर की खैरवाड़ा तहसील की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं मेरे क्षेत्र के रोड के बारे में निवेदन करूंगा। आम आदिवासी लोगों की बहुत बड़ी समस्या है वह आपकी सेवा में रखूंगा भले ही दो मिनट लगें। यह सही बात आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : जल्दी कीजिये, साहब।

श्री रूपलाल परमार : माननीय मंत्री महोदय, मेरी आवाज की तरफ ध्यान देंगे। खैरवाड़ा तहसील गुजरात के बोर्डर पर बसी हुई है। पहाड़ों में बसे हुए 234 गांव हैं। उन 234 गांवों को पंचायत समिति से जोड़ने-के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। हमारी इन्दिरा गांधी ने हजारों रुपया खर्च किया है और अभी तक वे 234 गांव रोड से और पंचायत समिति से नहीं जोड़े गये हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा ध्यान देकर 234 गांवों को पंचायतों, पंचायत समितियों और जिले से जोड़ने की कृपा करें मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी नदी सोम नदी है। उस पर से एक रोड खैरवाड़ा से मांदड़ी तक जा रहा है। वहां पर पक्की सड़क नहीं है कच्ची रोड़ है। मांदड़ी होकर उदयपुर रोड आ रही है। जो नदी है उस पर पुल की बहुत बड़ी ह-1381

(श्री रूपलाल परमार)

श्यकता है। चौमासे में रोड बन्द हो जाता है। लोग खैरवाड़ा आते जाते हैं। चौमासे में एक दो लोग पानी में बह कर समुद्र में चले जाते हैं। मैं सही बात निवेदन कर रहा हूं। आप मेहरबानी करके जवाज पंचायत के पास सोम नदी पर पुल बनाने की योजना बनावें। दूसरा, वह रोड कल्याण पुर तक जुड़ा हुआ है। कल्याणपुर के पास एक रेलवे फाटक है वहां पर एक नदी है। कल्याणपुर में हायर सैकण्डरी स्कूल है। सारे बच्चे चौमासे में कपड़े भिगो कर स्कूल जाते हैं। वहां पर पुल बनाने चाहिए इसका। सर्वे हो गया है सब कुछ हो गया है।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री रूपलाल परमार : माननीय सभापति महोदय, आपको पब्लिक का दर्द है लेकिन यह पास में बैठने वाले अधिकारी समझते हैं कि यह बह कर समुद्र में चले जायें तो कोई कहने वाला नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा यह कभी नहीं सोचते हैं। मैं आपसे बहुत सूझ-बूझ से बात कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में जो रोड खचड से सलूम्बर जा रहा है वह न तो कच्चा रहा है और डामर भी टुकड़ों टुकड़ों में रह गया है। वे रुपये बेकार जा रहे हैं। गड्डों में जो डामर नहीं हुआ है वह डामर हो जाना चाहिये। डामर हमेशा नहीं रहता है। डामर के पूरे ड्रम खाली हो जाते हैं डामर कभी खाट्टू में जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है कोई निगरानी नहीं है। किसको चिन्ता है यह राष्ट्रीय सम्पति है, देश की सम्पति है। उनको तो किसी को चिन्ता है ही नहीं। मेहरबानी करके, जो काम मेरे क्षेत्र में अधूरे हैं, दोनों पुल और खैरवाड़ा से खयेडा मांदड़ी तक यह रोड फलासिया होकर उदयपुर आ रहा है उस रोड को पक्की करवाने की आप कृपा करेंगे। दो पुलों के लिए मैंने आपसे निवेदन किया है। अगर इस रोड का काम आप नहीं करवायेंगे तो ये दोनों गांव सड़क से नहीं जुड़ेंगे। इन्हें पंचायत से, पंचायत समितियों से नहीं जोड़ेंगे तो हम आदिवासियों का भला होना बहुत मुश्किल है। मैंने छोटी सी बात कही है कोई बड़ी बात नहीं कही है साहब। जो सारे रुपये आपने खर्च किये हैं उनका दुरुपयोग नहीं होगा, उपयोग हो जायगा और अपना काम भी हो जायेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मंत्री महोदय को पुन: एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके मेरे खैरवाड़ा की तहसील की रोड और पूलों की ओर ध्यान दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : इनको समय दे दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : विरोधी दल के सचेतक जी कह रहे हैं।

श्री सभापति : श्री असलम खां।

श्री असलम खां : माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको जिला परिषद की मीटिंग में बताया गया कि पाली जिले में 1 करोड़ का मैटीरियल बेकार पड़ा हुआ है कृपया इसकी जांच करायें। उस एक करोड़ रुपये के मैटीरियल में से मेरे क्षेत्र में जो दो प्लान रोड्स हैं, विद्यापुर से गौरिया और नाणा से धीमाणा, मेरे को खुद को जहां तक ज्ञात है कि हर एक नाले पर सीमेंट के बड़े पाइप करीब ३ साल से पड़े हैं, वे पाइप पानी

(श्री असलम खां)

में बह कर चले गये। कई जगह कंक्रीट टूटी हुई पड़ी है, यह समझ में नहीं आता कि यह सरकार का पैसा जनता का पैसा इस तरह क्यों बरबाद किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मेरे यहां जो दो प्लान रोड्स चल रही हैं हमारे यहां के एक्स.ई.एन. हम बराबर कहते हैं तो यही बताते हैं कि इस रोड पर पुलिया नहीं बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जब यह पुलिया नहीं बनेगी तो पाइप तीन साल पहले क्यों डाले गये? 1 करोड़ रुपये का मैटीरियल अगर पाली जिले में बेकार पड़ा हुआ है, वहां पर हर साल अकाल पड़ता है और हर साल कंक्रीट तुड़वायी जाती है उस कंक्रीट को टेकेदार ले जाकर अलग अलग जगह पर काम में लेता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री असलम खां : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं हमारे जवाई बांध में साही नहर का पानी लाया गया है वह पानी मेरे क्षेत्र में होकर ही आता है...

श्री भंवरलाल शर्मा: कोई चार्ज लगाइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां हां; डिमान्ड विमान्ड तो हो गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : कहां कितना घोटाला है।

श्री असलम खां : और यह जो प्लान रोड्स चल रही है, वह पानी इतनी तादाद में आता है कि आदमी वहां से पास नहीं हो सकता है...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई आपके कहने से थोड़े ही चार्ज लगायेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : तो फिर किसके कहने से लगायेंगे।

श्री असलम खां : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे माननीय श्री आयुर्वेदिक मंत्री जी और मेरे क्षेत्र के बीच में मंडारा रानी की एक रोड कई सालों से वह रोड बन रही है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे गत वर्ष यह बताया गया था कि उस रोड के लिए 500 ड्रम डामर के सैंक्शन हुए हैं मगर वे पहुंचे नहीं पता नहीं, कहां गायब हो गये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : जांच करावो।

श्री सभापति : संक्षेप में माननीय सदस्य, काफी समय ले रहे हैं। आपने कितना समय मांगा था उससे ज्यादा आपको दे दिया गया है...

श्री असलम खां : आप जांच करें...

श्री सुजानसिंह यादव : अभी तो बहुत बोलेंगे।

श्री असलम खां: मैं आपका ध्यान, सभापति महोदय, मेरे बाली क्षेत्र के एक रेस्ट हाउस की तरफ दिलाना चाहता हूं जो बाली से करीब तीन किलोमीटर दूर है। बार बार लिखने के बावजूद अब यह बताया गया, पहले तो यह बताया गया कि वह स्टोर के काम में आता है मगर अब यह बताया गया है कि उसकी हम रिपेयर करवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह रेस्ट हाउस बाली से तीन किलोमीटर दूर जंगल में आया हुआ है। वहां पर कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, न बिजली है और न पानी है। अब हजारों रुपये खर्च करके वहां जंगल में कौन ठहरेगा। उसकी ओर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: जंगल में मंगल होगा।

एक माननीय सदस्य : यह जंगल में मंगल कौन करेगा ?

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21, इन दोनों मांगों के बारे में इस सदन के 81 माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे थे।

श्री यदुनाथसिंह : बड़ा लम्बा जवाब होगा ।

श्री चेतराम मीणा : और आज इस सदन के 25 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं...

श्री यदुनाथसिंह : 27 ने रखे हैं ।

श्री चेतराम मीणा : 25. अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 पर 50 कटौती प्रस्ताव और मांग संख्या 21 पर 302 कुल 352 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए और जैसा मैंने निवेदन किया 81 माननीय सदस्यों ने दिये । मैं सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, इस सदन में विचार व्यक्त किये हैं और अमूल्य सुझाव दिये हैं, का बहुत बहुत आभारी हूं।

श्री हंसराज शर्मा : भ्रष्टाचार किया उसके लिये क्या करोगे ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य नई सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार करना, नयी बिल्डिंग बनवाना, उनका रख रखाव भवन बनवाना ...

श्री यदुनाथसिंह : कायदा तो यह था कि जो स्पीकर साहब ने क्वेश्चन किया था उससे आपको अपना जवाब शुरू करना चाहिए था। वह सर्वोपरि है। चेयर से जो क्वेश्चन किया गया था उससे आप शुरू करते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री चेतराम मीणा : मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सुन लीजिये ।

श्री सुजान सिंह यादव : अभी तो गाड़ी में स्टीम बढ़ रही है ।

श्री चेतराम मीणा : जो गार्डन्स हैं उनका रखाव भी होता है। सभापति महोदय, यह हम सब जानते हैं कि हम सभी विधायकों की जितनी मांग है, हर विधायक यह चाहता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, सड़कों के निर्माण से निश्चित रुप से हर क्षेत्र का विकास होता है। वह आवागमन के साधन के लिये ही नहीं उस क्षेत्र के हर विकास के लिये सड़क एक बहुत बड़ी माध्यम है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पूर्व इस सदन में निवेदन किया था कि जब छठी पंच वर्षीय योजना बनी तो, योजना आयोग ने एक उद्देश्य निर्धारित किया कि 1500 और 1500 से अधिक आबादी के गांव सभी सड़कों से मिलने चाहिए। इसका जो मापदण्ड था, नार्म्स थे वह दो योजनाओं, छठी और सातवीं के लिये निर्धारित किये थे। उन मापदण्डों के अनुसार हमने यह तय किया कि इसमें कितना पैसा लगेगा। अध्यक्ष महोदय, ...

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय नहीं हैं, सभापति महोदय है।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, उसी कल्पना के साथ योजना बनायी गयी। हमने जो योजना बनायी 246 करोड़ 74 लाख की यह योजना थी।

श्री यदुनाथ सिंह : कितने की ।

श्री चेतराम मीणा : 246 करोड़ 74 लाख की। अध्यक्ष महोदय…

श्री शिवचरणसिंह राठौड़ : जी नहीं। सभापति महोदय।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, केन्द्र सरकार के उस पत्र के संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा केन्द्र सरकार ने 8 जनवरी, 1981 को,…

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सब तो इसमें लिखा है इससे क्या फायदा होगा ।

श्री हंसराज शर्मा : आसन को संबोधित करें। सभापति महोदय, आपको अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। नये मंत्री जी हैं।

श्री चेतराम मीणा : कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।

श्री यदुनाथ सिंह : आप सब जगह जहां जहां पर अध्यक्ष महोदय लिखा हुआ है उसमें सभापति महोदय कर लें फिर बोल लेना ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। पहले सुन लें बाद में कुछ कहिये ।

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं आसन को एड्रेस कर रहा हूं।

उस संदर्भ में केन्द्र सरकार के 8 जनवरी, 1981 के पत्र की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह निर्देश दिये थे कि :

"Villages with a population of 1500 and above and 50% of villages having population between 1000 and 1500 are to be connected all by weather roads...

श्री यदुनाथ सिंह : यह अंग्रेजी है।

श्री चेतराम मीणा : "during the two plan periods 6-th plan 1980-85 and 7th plan 1986-90."

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : घनश्याम जी आपको समझ में नहीं आयेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हमारी समझ में नहीं आ रहा है

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : "In the case of hilly and tribal areas, the conditions instead of conforming to this programme, the condition have been..."

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह तो इंटर नेशनल लेंग्वेज है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह भरतपुर में नहीं चलती है…

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां उन्होंने ये निर्देश दिये कि 1500 और 1500 से अधिक की आबादी को गांवों को मिलाना है वहां आदिवासी क्षेत्रों में यह भी निर्देश दिये कि 1500 की आबादी को घटाकर 1000 तक कर दिया जाय और वहां गांवों का एक समूह लिया जाय, क्लस्टर किया जाये तो उस संदर्भ में…

श्री यदुनाथ सिंह : यह किस योजना में, प्लान में दे रहे हैं एस्टीमेटेड प्लान या एप्रूव्ड प्लान में ··

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप शान्ति से सुनेंगे तो सुनाई देगा और समझ में आयेगी बात।

श्री सुजान सिंह यादव : जवाब मान लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

श्री सभापति : इंगलिश का उन्होंने तर्जुमा करके बता दिया।

श्री सुजान सिंह यादव : पैसा तो है नहीं क्या सुनें।

श्री सभापति : पैसे की स्वीकृति आप अब देंगे।

श्री मंहगसिंह गुर्जर : इनके भाषण को सुना हुआ मान लिया जाय और पास कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 246.74 करोड़ की जो हमने यह योजना बनायी थी। वह इस प्रकार की थी कि पंचम् पंचवर्षीय योजना में 32.74 करोड़ शिफ्ट ओवर कामों के लिये 55 करोड़ मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के लिए 154 करोड़ और दूसरी रोड्स के लिए 5 करोड़, इस तरह से हमने इस योजना का निर्माण किया था···

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, नहीं साहब आंकड़े हमारे डिफर हो रहे हैं। फिर दुबारा ज्यादा इन्ट्रप्शन होगा। इसके पहले एक बात क्लीयर हो जाये कि ड्राफ्ट प्लान की बात कर रहे हैं या एप्रूव्ड प्लान की बात कर रहे हैं?

श्री सभापति : पहले सुनियेगा, फिर आप कोई बात कह सकते हैं। Kindly hear him.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, यह ड्राफ्ट प्लान है या अप्रूव्ड प्लान है? यह तो बता दें। कौन से प्लान की बात कर रहे हैं?

श्री सभापति : आप पहले सुन लीजिए। उसके बाद कोई बात आप कह सकेंगे। Kindly hear him. Kindly listen.

श्री यदुनाथ सिंह : हमारे फिगर डिफर कर रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। पहले आप सुनिये।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की मांग हमने प्लानिंग कमीशन के समक्ष रखी थी। प्लानिंग कमीशन ने 246.74 करोड़ रुपये के अगेन्स्ट हमें सिर्फ 100 करोड़ देने का आश्वासन दिया। उस 100 करोड़ को 5 साल में उन्हें देना था। मैं निवेदन करूंगा, पहली साल, यानी 80-81 में सिर्फ 14.32 करोड़ दिया, दूसरी साल, 14.67 करोड़ दिया और तीसरी साल 1982-83 में 10.50 करोड़ रुपये, यानी अंत तक 39.49 करोड़ रुपये हमें दिये। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए हम बजट पारित करने के लिए जा रहे हैं, के लिए प्रावधान किया है, 12.50 करोड़··

श्री सुजान सिंह यादव : इसका मतलब बहस बेकार है। पैसा नहीं गवर्नमेंट के पास। मांग किस बात की कर रहे हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहस बेकार है। बहस किसकी कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपये में यह तो आपकी हालत है, खर्च कहां से करोगे?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पैसा नहीं है। बहस का मतलब नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप पहले सुन लीजिए। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन का समय खराब कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपये में ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने जो प्रश्न किया था, मंत्री महोदय से उसका जवाब दिलवा दिया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहस किस बात की हो रही है?

श्री सभापति : आर्डर। माननीय सदस्य। पहले सुनियेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : व्यवधान कहां कर रहे हैं? सभापति महोदय, हम मांगों पर बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान उपस्थित नहीं करेंगे? मंत्री जी को पहले सुनेंगे। पहले आप सुन लीजिए। नहीं सुनने का प्रश्न ही नहीं है। Kindly hear him.

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि जब सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में राजस्थान में नयी सड़कों के लिए डिमाण्ड करते हैं, नयी भवनों के लिए डिमाण्ड करते हैं, रिपेयर्स के लिए करते हैं और जहां यह कहते हैं...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चेतराम मीणा : ... कि सड़कों की हालत बहुत ही खराब है ।...

श्री सुजान सिंह यादव : कोई सुनता ही नहीं।

श्री चेतराम मीणा : मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा, उसके साथ ही जब माननीय सदस्यों ने निवेदन किया था इस हाउस में, हमारे क्षेत्रों के लिए कार्य किया जाना चाहिए, मैं अपनी आर्थिक स्थिति आपकी सेवा में रखना चाहूंगा कि हम किन वित्तीय स्थितियों में रह रहे हैं, उसके बाद भी हम क्या करना चाहते हैं। माननीय सदस्य अभी यह नहीं जान पायेंगे कि हमारी क्या वित्तीय स्थिति है, फिर हम यह कह दें कि हमें यह चाहिए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि शायद माननीय सदस्य यदि एक सेन्टेन्स में यह कह दूं कि इतनी जो डिमाण्ड है वह नहीं कर पायेंगे, शायद उससे एग्री नहीं होंगे। इसलिये मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं...

श्री यदुनाथ सिंह : सबको मालूम है राजस्थान कंगाल है। यह तो सारी दुनिया को मालूम है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री चेतराम मीणा : इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को, हमारे...

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : सभापति महोदय, कमला भाई भील ने 21 दफा निवेदन किया है। उसमें तो कोई खर्च नहीं लग रहा है। मैं समझता हूं कि कमला भाई भील ने जो 21 दफा मंत्री महोदय को निवेदन किया है। उसमें तो मैं समझता हूं, कोई खर्चा नहीं होता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब तक कि मंत्री महोदय पूरी बात नहीं कर लेते, तब तक आप पहले क्यों कयास करते हैं कि अमुक कार्य नहीं होगा। Kindly listen.

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पूरा करेंगे कैसे? पैसा ही नहीं है इनके पास।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 12 करोड़ रुपया तो मेन्टीनेन्स में ही लग जायेगा। इनके भाषण से संतुष्ट हो कर पास करो आप।

श्री सभापति : पहले पूरा सुन लीजिए। व्यवधान उपस्थित नहीं करेंगे। Kindly listen him.

श्री चेतराम मीणा : सभापति महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी वित्तीय स्थिति यह है, इसके बावजूद हमने पहले तीन सालों में 80–81 में 132 कार्य, 81–82 में 21 और 82–83 में 6, 159 हमने नये कार्य शुरु किये। जिसकी लागत 2987.80 लाख रुपये की थी। हमारी स्थिति, फाइनेन्सियल पोजीशन यह होते हुए हमने जितने नये काम हाथ में लिये और जो पुराने काम चल रहे थे, उन पर तो काम हो ही रहा था लेकिन हमने नये कार्य हाथ में लिये···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 121 फिर 26 फिर 6, तो इस साल में जीरो हो जायेगा। यह क्या बोल रहे हैं। 80–81 में 121, 81–82 में 26, 82-83 में 6। क्या करोगे आप?

श्री अमरा राम चौधरी : आप बाद में कह देना, हमको तो सुनने दो। आप नहीं सुनोगे तो क्या होगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर।

श्री अमरा राम चौधरी : आप बाद में कह देना, हमको सुनना है। आप दुबारा बोल लेना।

श्री सुजान सिंह यादव : डिबेट का मतलब हासिल नहीं होता।

श्री अमरा राम चौधरी : फिर इतनी देर आपने भाषण क्यों दिया। आपने बहस क्यों की? आपने जो बताया उसका जवाब तो देंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। बिराजेंगे।

श्री सुजान सिंह यादव : सभापति महोदय; इस तरह कोई डिबेट चल नहीं सकती।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, इस तरह के भाषण से साबित हो रहा है कि डिपार्टमैण्ट पर इनका कितना कन्ट्रोल है। अब तक इन्होंने कन्ट्रोल रखा होता तो आज यह नौबत नहीं आती।

श्री सभापति : Please sit down.

श्री यदुनाथ सिंह : उत्तर में है क्या।

एक माननीय सदस्य : हमने जो मांग रखी है उसका जवाब आना चाहिए। हम वह सुनना चाहते हैं।

श्री सभापति : पहले आप मंत्री महोदय को सुन लीजिए.

(7.07 सायं)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं तो उनका भाषण सन्तुष्टों...

श्री अध्यक्ष : आप दिला दो न, पैसा नहीं है तो। आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : उत्तर दिला दीजिये। पैसा नहीं है। जो प्रश्न आपने किया था...

श्री अध्यक्ष : पैसा तो अभी कहां। जब आप पास करेंगे डिमाण्ड, तभी आयेगा। आर्डर प्लीज। बैठ जायं। कृपया उनको उत्तर देने दीजिए। उसके बाद में यदि कोई स्पष्टीकरण माननीय सदस्य चाहेंगे, जैसी अपने यहां परम्परा रही है, उसके अनुसार आपको अवसर देंगे।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं बतला रहा था। हमारी वित्तीय स्थिति क्या है। जैसी की मांग राजस्थान में होती है। इस सदन के माननीय सदस्य करते हैं, पार्लियामेंट के माननीय मैम्बर करते हैं और दूसरे जन प्रतिनिधि, चाहे वह प्रधान हो, सरपंच हो, दूसरे हों, वह करते हैं, उस वक्त यदि हम स्थिति देखें तो, अध्यक्ष महोदय, जैसे कि 1500 से अधिक की आबादी के जो गांव है, 1207 हैं, यदि हम इनको आज जोड़ना चाहें तो अनुमानतः 100 करोड़ की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष : हमने बताया उन सबको जोड़ें तो कितने रुपये लगेंगे। हमने जो तरीका बताया उस से जोड़ने में और ज्यादा हो जायेगा।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कें हैं, उन पर जो मिसिंग लिंक्स या उन पर छोटे या बड़े पुल पुलिया बनवाने हैं, उसके लिए हमें, मिसिंग लिंक्स के लिए 74 करोड़ की और पुलिया और पुलों के लिए 17 करोड़ की आवश्यकता होगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, पंचायत मुख्यालयों को जोड़ना है वह पंचायत मुख्यालय हालांकि उसमें भी शामिल हो जाते हैं जो कि 500 की आबादी के गांव हैं, लेकिन यदि हम पंचायत मुख्यालयों को लें तो यह संख्या जहां 150 करोड़ थी वह बढ़कर 218 करोड़ हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानों से, सरपंचों ने कुछ ऐसे गांवों के भी नाम दिये, जो कि बहुत ही छोटे हैं, जो कि 1500 की श्रेणी में नहीं आते हैं, इस तरह से नहीं आते हैं, उनको भी यदि हम लें तो 116 करोड़ रुपये की हमारी डिमाण्ड होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मांग करते हैं, सभी जगह से होती है, सही बात है कि राजस्थान के विकास के लिये सड़कों का निर्माण बहुत जरूरी है, तो मैं निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि सड़क तो आप एम.एल.ए. या इस से ऊपर वालों के जिम्मे रखो, हर एक सड़क का काम करोगे तो पूछ ही नहीं रहेगी।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, जैसा मैंने निवेदन किया था, हमारी डिमाण्ड क्या है तो पंचवर्षीय योजना का जो स्पिल ओवर सिक्स्थ प्लान में आया उससे जो धनराशि है वह 3604.75 लाख रुपये आती है। जो नये वर्क हैं, अभी हमने इस छठी पंचवर्षीय योजना में लिये, उन 159 कार्यों के लिये 6591.83 लाख रुपये का अमाउन्ट आता है। अब हमने 80 से 83 तक 3949.93 लाख रुपये खर्च किये। अध्यक्ष महोदय, 80 से 84 तक जैसा

(श्री चेतराम मीणा)

मैंने कहा, इस अगले साल में बढ़कर 5038.55 लाख हो जायेगी। Requirement for sanction work, मार्च, 84 के बाद 1655.07 लाख की होगी। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वित्तीय साधनों को देखते हुये इस तरह की मांग माननीय सदस्य करते हैं, वह हमारी मजबूरी है, पर यह बात जरूर है कि जितना यह विभाग कर सकता है पूरा प्रयत्न करता है कि राजस्थान में अधिक से अधिक सड़कों का काम हो.......

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बांट के दे दें, साहब, कोई झगड़ा ही नहीं होगा।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 500-600 रुपये सब को बांट दो.

श्री अध्यक्ष : नहीं थोड़ी बहुत हरेक को, थोड़ी थोड़ी मिलनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति भवनों के बारे में है। अब अध्यक्ष, महोदय, माननीय सदस्यों ने इस सदन में जो कुछ कहा है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें कहीं, अच्छे सुझाव भी दिये लेकिन एप्रोच रोड के बारे में और समपार, रेल्वे फाटक जो बनाना है, के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वहां के जिलाधीश रेलवे को लिखेंगे तो वहां कोई सम्पायन फाटक बन सकता है, क्रासिंग बन सकता है लेकिन जिस एप्रोच रोड के बारे में कहा है उसके बारे में मैं देखूंगा।

दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : मंत्री महोदय, आप सिर्फ 3 फीट बना दीजिये,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : अध्यक्ष महोदय, ताकि हम जनता में जाकर यह तो कहें कि 5 वर्ष में 3 फीट सड़क बनी है। बिल्कुल नहीं बनायें यह समझ में आने वाली बात नहीं है। कुछ तो बनायें आप।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि, 3 साल में एक फुट भी नहीं बनी है, यह शिकायत है।

श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया : तीन साल में एक फुट नहीं बनी!

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने अपने भाषण में जिस एप्रोच रोड के बारे में कहा है मैं निश्चित रूप से उसके लिये पूरी पूरी कोशिश करूंगा।

दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कई सुझाव दिये और अकाल राहत के अन्दर जो रोड बने वह बी.टी. रोड होनी चाहिये वरना इसका कोई सदुपयोग नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, यह एक नीति निर्धारण का प्रश्न है। अकाल राहत में जो कुछ भी हम काम करते हैं एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कुछ लोगों को रोजगार मिले, ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास कोई साधन नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, जीवन यापन का साधन

(श्री चेतराम मीणा)

नहीं है, उस उद्देश्य को लेकर चलाते हैं और उसकी वजह से, सही बात यह है, कोई नीति निर्धारण जब तक हम नहीं कर पायेंगे 60:40 का रेश्यो है उसमें कुछ रिलेक्सेशन नहीं कर पायेंगे तब तक यह बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि इस नीति निर्धारण के लिये कुछ करना चाहिये।

आपने पांच हजार की आबादी के गांव के बारे में कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 5 हजार की आबादी का गांव हो सकता है 71 की वजह से, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उस तक पहुंचते पहुंचते, कितनी लम्बाई है, क्या है, अपने रिसोर्सेज अलाऊ करते हैं, नहीं करते हैं इसको मैं दिखवाने के बाद ही निवेदन कर सकूंगा।

राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ यह आरोप लगाया, मैंने तो कटौती प्रस्तावों में देखा है कि भारी आरोप लगाये गये हैं भ्रष्टाचार के। सिर्फ उन्होंने कटमोशन को देखकर के ऐसी बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अलवर के एक पुल के बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो प्रायोरिटी फिक्स है उसमें अलवर सिटी का पुल लिया हुआ है, लेकिन उसमें जो हमारी धनराशि है उसके लिये कुछ दिक्कत हो रही है। हमने वहां कि नगर परिषद से निवेदन किया है कि वह भी कुछ इसमें मदद करे, उसके बाद निश्चित रूप से…

श्री रघुनाथ सिंह : क्या करना चाहते हैं उसका जवाब आ जाय ठीक रहेगा। नहीं तो बहुत लम्बा उत्तर हो जायेगा। 3-4 घन्टे लग जायेंगे, साहब, सबका जवाब देंगे तो।

श्री अध्यक्ष : धैर्य रखें, माननीय सदस्य। काफी लम्बे समय तक बहस चली है इसलिये उत्तर में भी थोड़ा टाइम लगेगा।

श्री चेतराम मीणा : उसको कराया जायेगा, अध्यक्ष महोदय, खारची से आने वाले माननीय ने कुछ सुझाव दिये हैं और कुछ शिकायतें भी की है। इस बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनकी सत्यता के बारे में अगर पहले मालूम कर लेते तो अच्छा होता…

श्री मंगलसिंह गुर्जर : क्या गलत कहा है, आप बता दीजिये। मैंने सत्यता जाहिर करके ही आरोप लगाये हैं, अध्यक्ष महोदय। यदि मंत्री महोदय उनको सत्य नहीं मानते हैं तो आप जांच करा लीजिये। मैंने जो कहा है सत्य ही कहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि किसी पुलिस अधिकारी का ट्रान्सफर करके वहां बैठाकर उनकी एडवर्स एन्ट्रीज को खतम करवाया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी अधिकारी की एडवर्स एन्ट्रीज को कोई पुलिस अधिकारी न तो लिख सकता है, न एडवर्स एन्ट्रीज को खतम कर सकता है। इसका देखते इसलिये मैंने निवेदन किया था कि इस बारे में जो रियलिटी थी, सत्य बात थी उसके बारे में ही यहां निवेदन कर देते, अनर्गल नहीं।

श्री मंगलसिंह गुर्जर : आप फाइल मंगवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने एस०एम०एस० हास्पिटल के कन्स्ट्रकशन और छत के बारे में जो कुछ कहा है इसको मैं देखूंगा।

अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो वयोवृद्ध हैं, यहां पर बोल रहे थे और मैंने उनसे यह भी निवेदन किया था कि आप जवाब देने तक यहां उपस्थित रहें...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : वह आपके गुरूजी हैं। बाबूजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह आपके गुरूजी हैं।

श्री चेतराम मीणा : उन्होंने अकाल राहत कार्यों के बारे में यह कहा है कि इनकी कितनी लाइफ होती है, क्या होता है, इसके बारे में निर्धारण होना चाहिये। इसके लिये आपने यह भी कह दिया कि सेन्टर रोड इन्स्टीट्यूट से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य होते हैं जो एक मानवता के आधार पर हमें कराने पड़ते हैं। बाबूजी ने जो कुछ कहा इसके बारे में तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष : बाबूजी केन्द्र में ज्यादा रहे हैं इसलिये उनका दृष्टिकोण उधर गया होगा।

श्री चेतराम मीणा : इसके बारे में एक निवेदन करूंगा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि उदयपुर में ही टी.ए.डी. एरिया नहीं है। जहां और जगह है ट्राइबल वहां भी बनना चाहिये। भरतपुर के एक नगला के बारे में यह कहा कि एस.टी. आदिवासी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य उन सदस्यों में से हैं, इस सदन को भी गर्व होना चाहिये, जो संविधान निर्माताओं में से एक हैं लेकिन टी.ए.डी. एरियों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, संविधान में इसको एक प्रोविजन दिया हुआ है। उस नगला के लिये जिसकी आबादी कुछ भी हो सकती है लेकिन जिस नगला की बात कर रहे हैं उसमें एक भी व्यक्ति ट्राइबल नहीं रहता है, शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति रहते हैं...

श्री यदुनाथ सिंह : जांच करा लीजिये। उस गांव में कन्जर जाति और ऐसी जाति के रहते हैं, भील रहते हैं।

श्री चेतराम मीणा : नहीं रहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप जांच करिये फिर से। यह मेरी जानकारी है कि रहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो लोग उपस्थित उन्हीं लोगों को जवाब दिलवाये जायें। शार्ट हो जायेगा। जो नहीं सुनना चाहते थे वह गये।

श्री अध्यक्ष : सब का ही पूरा जवाब दे रहे हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल के जो प्रिविलेज हैं, कंजर जाति जहां तक मैं जानता हूं, शिड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में आती है आदिवासियों की श्रेणी में नहीं आती इसलिये मुझे कहने का मौका मिला है।

अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दौसा एवं सेवर के ओवर ब्रिज के बारे में कहा। उसके बारे में निवेदन करूंगा कि वह प्रायोरिटी पर है। जैसे ही होगा उसका भी काम कराया जायेगा।

(१९६)

(श्री चेतराम मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आदेश दिया जा रहा है कि मैं जल्दी करुं तो मैं कुछ माननीय सदस्यों के बारे में यह कहूंगा कि...

श्री शिवदान सिंह राठौड : जो बैठे हैं उनके कटमोशन का जवाब तो देने का कष्ट करें। कृपा करके।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने 2-3 बहुत ही ऐसे आरोप लगाये उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मोलोनी पुल के बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे मैं निवेदन करूंगा कि जिस दिन फाइल मेरे पास आई थी उसी दिन मैंने उस पर हस्ताक्षर करके एप्रूव करके लौटा दी । एक पार्टी मेरे पास आई कि साहब इसमें गलत तरीके से हुआ है । मैंने पत्रावली पर दस्तख्त कर दिये थे पर उसी समय चीफ इंजीनियर साहब को यह कहा कि आप उसमें आदेश इश्यू मत करो वर्क आर्डर को मैं देखता हूं इस तरह का आया है। मैंने उस आधार पर उसे स्टे कराया, पत्रावली मंगवाई और चूंकि हमारे पी.डब्ल्यू.डी. के सैक्रेटरी भी आजकल टेक्निकल पर्सन हैं इसलिये उस पत्रावली की जांच सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. से कराई। उसके पश्चात् उन्होंने जो राय दी उस तरह से हुआ। इसलिये माननीय सदस्य जो यह कह रहे थे कि इस तरह का विलम्ब हुआ, जान-बूझकर के किया यह बिल्कुल निराधार है। मैं निवेदन करूंगा कि किसी बात की जांच किये बगैर इस तरह के आरोप लगाना कोई सही बात नहीं होती है।

श्री रामकिशोर मीणा : यह निराधार जांच और विलम्ब के बारे में है, पैसे खाने के बारे में थोड़े ही है।

श्री हंसराज शर्मा : मैंने एक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर..

श्री हंसराज शर्मा : एक सैकण्ड । अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि मेरे पास पत्रावली आई। यह कल आपने जवाब और उसमें कहा कि इस प्रकार की मेरे पास कोई पत्रावली नहीं आई।

श्री चेतराम मीणा : इस तरह से नहीं कहा।

श्री हंसराज शर्मा : यह रहा।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक ठेकेदार श्री कपूरचन्द सिंघल का मंत्री फेवर करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को, निवेदन करना चाहूंगा कि श्री कपूरचन्द सिंघल सन् 1948 से मेरे दोस्त हैं, नये दोस्त नहीं हैं। उनसे निश्चित रूप से मेरे दोस्ती है। वह ए क्लास कान्ट्रेक्टर हैं बहुत बड़े है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो उन्हें ठेके मिलते हैं यदि बिना टेन्डर इन्वाइट किये हुये, बगैर बात के ठेके दे दिये हों तो अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब देने को उत्तरदायी होता है। लेकिन टेन्डर करके कम्पीटीशन के लिहाज से जो टेन्डर दिये जाते हैं। यह जो आरोप लगाया गया है, यह निराधार है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, दस हजार के एक्स्ट्रा आइटम का ठेका..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री चेतराम मीणा : सिकराय से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह भी आरोप लगाया, उसमें टोंक से आने वाले माननीय सदस्य भी शामिल हुए कि टोडाभीम में असिस्टेन्ट इन्जीनियर का ऑफिस बन रहा है, वह मिट्टी से बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, टोडाभीम में न तो आज तक कोई असिस्टेन्ट इन्जीनियर का ऑफिस बन रहा है और न मेरे दामाद · ·

श्री अध्यक्ष : इंजीनियर अपने हों तो ऐसे कच्चे थोड़े ही बनेंगे कि वह इनके ऊपर ही गिर जाय।

एक माननीय सदस्य : नयी जांच करके क्यों खर्चा करते हो ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिस दामाद की कह रहे थे वह दामाद कोई ठेकेदार नहीं है, कहीं भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है न उन्होंने पी.डब्ल्यू.डी. का कोई काम किया, न करते हैं, इसलिए जो आरोप लगा रहे थे यह बिल्कुल निराधार है ।

श्री रामकिशोर मीणा : बगैर रजिस्ट्रेशन के ठेकेदार और उनके बीच में इन्टरनल कान्ट्रेक्ट है उसकी मैं आपको प्रति लाकर दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया धैर्य रखें माननीय सदस्य ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने यह भी कहा कि मुख्य मंत्री सहायता कोष के लिए 60 हजार इकट्ठे किये और जब मुख्य मंत्री पहुंच गये तभी दिये। अध्यक्ष महोदय, 81 में जब भयंकर बाढ़ आई तो सवाई माधोपुर डीसीसी ने यह तय किया था कि सभी तहसीलों से बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए चन्दा इकट्ठा किया जाय और उसी के लिए एक कमेटी बनी नादोती में, टोडाभीम में, सवाई माधोपुर में, तीन जगह चन्दा इकट्ठा हुआ। नादोती में जो आज प्रधान है उस समय प्रधान सरपंच कुछ नहीं थे उनको अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वह किसी पोस्ट पर नहीं थे इसलिए बी.डी.ओ. के नाम से पैसा जमा कराया। टोडाभीम में इसी तरह जो आज प्रधान है उस समय कुछ नहीं थे उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और बी.डी.ओ के नाम से पैसा जमा कराया गया । सवाई माधोपुर में इसी तरह से सीमेन्ट फैक्ट्री में जो इन्टक के अध्यक्ष हैं शर्मा उनके नाम से पैसा जमा कराया गया। अध्यक्ष महोदय, पैसा देने वालों की एक मांग थी कि हम यह पैसा इस तरह नहीं देंगे कि आप जाकर जयपुर में जमा करा दो, माननीय मुख्य मंत्री यहां आयें तब उनको देना चाहते हैं । उसी सन्दर्भ में जब मुख्य मंत्री वहां पधारे तो वह पैसा दिया गया।

श्री रामकिशोर मीणा : क्या यह सही नहीं है कि वह व्यक्तिगत नाम से जमा कराया था पैसा ?

(व्यवधान)

क्या यह सही नहीं है कि वह आपके रिश्तेदार हैं, प्रधान हैं जिनके नाम से जमा कराया गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत नाम से कोई पैसा जमा नहीं हुआ ···

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : अगर व्यक्तिगत नाम से पैसा जमा कराया है तो···

(198)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, अपने जिले की बात को अच्छी तरह से रखना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष के नेता बीमार आदमी हैं। इनको कहिये थोड़ा धीरे बोलें नहीं तो इनके कान वान में तकलीफ हो जायगी सर !

एक माननीय सदस्य : आप चिन्ता मत करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे तो कान में दर्द हो रहा है, आपके और कहीं दर्द हो रहा है

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह तो पता नहीं क्या आप समझते हैं और क्या मैं समझता हूं अपन दोनों को पता है ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य ने

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री चेतराम मीणा : जोधपुर ए.स.ई. के नाम पर आरोप लगाया उसके खिलाफ कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि इसकी किसी भी पुलिस के उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे इसलिए उसी आश्वासन के सन्दर्भ में उसी समय पत्रावली डी.आई.जी. मिस्टर थानवी को दे दी गई। वह इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री हंसराज शर्मा : उसकी क्या स्थिति है?

श्री चेतराम मीणा : आज क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हिण्डौन में मेरा मकान है जिसके मैं एक हजार रुपये ले रहा हूं उसी मकान की खातिर मैंने असिस्टेन्ट ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर का ट्रान्सफर करवा दिया, उसका ऑफिस वहां करवा दिया, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : यह कोई खास बात नहीं है।

श्री चेतराम मीणा : यह ऐसी निराधार बात है जिसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक यह भी बात कही कि टोडा भीम में घाटी बन रही है और उसके लिये 35 हजार रुपये का ठेका वहां के ठेकेदार मिस्टर सिंघल के लिए कराया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस घाटी पर अब तक 9,83,923 रुपये सिर्फ खर्च हुआ है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 11 लाख 80 हजार रुपये की है। घाटी पर यह खर्चा जो हुआ है पिछले दस बारह साल से हो रहा है वह सही 9 लाख के लगभग हुआ है। इस पर यह कहते थे कि सौ साल में पूरी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से यह घाटी का कार्य और उस पर जो कार्य चल रहा है दो एक पुलियाओं का निश्चित रूप से जून के महीने में पूरा हो जायेगा मैं माननीय सदस्य से यही निवेदन करूंगा कि सिकराय से आने वाले माननीय सदस्य जब कभी अपनी ससुराल जायें तो इसी रोड पर होकर जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने यह भी आरोप लगाया कि महस्वा गांव को बरबाद कर दिया। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का आदेश

(श्री चेतराम मीणा)

है कि यह जमीन गरीबों को बांटनी चाहिये उसी सन्दर्भ में इसका आवंटन किया गया। जो 1700 बीघा काविल काश्त जमीन थी उसको विधिवत कमेटी ने आवंटन किया। इसके बारे में यह कहना गलत है। इस पूरी जमीन को सिर्फ 6 व्यक्ति कब्जा किये हुए बैठे थे। उन 6 व्यक्तियों से लेकर के हमने इसको 366 व्यक्तियों को आवंटन किया। यदि इसके सन्दर्भ में माननीय सदस्य यह कहते है कि गांव को बरबाद कर दिया तो, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा।

आपने यह भी आरोप लगाया कि गोपालपुरा गांव को वरबाद कर दिया। अध्यक्ष महोदय, गोपालपुरा गांव भी मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में है। यहां पर एक बहुत पुराना बांध कम से कम कोई सैकड़ों साल पुराना झुनकी बांध के नाम से फेमस है यह पिछली बाढ़ में टूट गया था

श्री अध्यक्ष : आपकी और इनकी कान्स्टीट्यूएन्सी कोई पड़ौस में आई हुई है क्या ?

श्री चेतराम मीणा : हां आई है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी बिल्कुल पास में है।

अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूएन्सी पास में आई है। इनकी सुसराल मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में है।

श्री अध्यक्ष : बोर्डर पर कुछ इस तरह के झगड़े होते रहते हैं, यह स्वाभाविक बात है।

श्री चेतराम मीणा : उस बांध जो फ्लड में टूट गया था, को बनवाना चाहते थे। कुछ ऐसे व्यक्ति जो पेटे काश्त में काश्त करते थे वह इसको नहीं बनवाने देना चाहते थे, सिर्फ इतना सा झगड़ा है।

श्री यदुनाथ सिंह : केवल सवाई माधोपुर की कटौती प्रस्तावों पर ही बोल रहे हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, और भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये। रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा, कि भूतपूर्व पी.डब्लू.डी. मिनिस्टर नवाब लुहारू साहब ने इस पुल का शिलान्यास किया और वह अब तक नहीं बना। मैं निश्चित रूप से इसको देखूंगा।

सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अकाल राहत कार्य में काम नहीं होता। जितने आदिवासी हैं उतने नहीं लग सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्य में श्रमिकों कि संख्या निर्धारित की जाती है। काम होते हैं उन कामों की भी है। उन कामों के आधार पर उन कामों पर यहां से जिलाधीश जितनी संख्या निर्धारित कर देता है उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री यदुनाथ सिंह : वह निश्चित कर दिया सरकार ने लोग ये क्या।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने एक आरोप और भी लगाया कि इस सरकार में माथुर साहब की सरकार में टी.ए.डी. की उपेक्षा की गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने सिर्फ दो तीन उदाहरण दिये कि पहले इतना बड़ा पुल बन गया, यह बांध बनते थे अब नहीं बनते। अध्यक्ष महोदय, टीएडी में पहले जहां बड़े बड़े काम होते थे हालांकि ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट, एरिया का डवलपमेन्ट करेंगे तो वहां के निवासियों का डवलपमेन्ट होगा इस भावना

(280)

(श्री चेतराम मीणा)

से यह काम होता है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अब इस स्कीम के अन्दर जहां बड़े बड़े बांध और सड़कें बनाई गईं, डाक बंगले बन गये उसको अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक फेमिली ओरियन्टेड स्कीम की तरफ बढ़ाया, जहां वहां बड़े-बड़े कामों में आती थी, सब लोगों के काम आती थी इस योजना को फेमिली ओरियन्टेड करके सिर्फ आदिवासियों की तरफ से जोड़ा। माननीय सदस्य का यह कहना है कि उपेक्षा की गई है। अध्यक्ष महोदय, उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कई आरोप लगाये। माननीय सदस्य ने पेज दो का हवाला दिया कि इसमें रिवाइज कर बजट कम कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया। योजना आयोग से जितने पैसे मिलते हैं उसी हिसाब से हम करते हैं। उन्होंने पेज दो से यह पढ़ कर बताया, पेज 12 से भी पढ़ कर बताया, 15 पर, तो जिस तरह हमें बजट का प्रोविजन मिलता है उसी हिसाब से हम अलोकेशन करते हैं।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि योजना बना दी जाती है, लक्ष्यों को पूरा नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, हम जितनी योजनायें बनाते हैं जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं निश्चित रूप से उनको पूरा करते हैं। आपने कहा, मेरे दामाद के बारे में उसका जवाब मैंने अध्यक्ष महोदय, दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : ये छोटे छोटे मामले हैं। इसमें कई मंत्रियों के ऐसे छुटपुट आरोप आते रहते हैं, कोई खास तथ्य का हो तो कहें नहीं तो,

श्री चेतराम मीणा : जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कई सुझाव दिए। उन्होंने एक सुझाव दिया, सड़कों के किनारे जो पेड़ खड़े रहते हैं उनको लोग काटते हैं। यदि इनको नीलाम किया जाए...

श्री अध्यक्ष : यह तो समस्या है। कइयों की छाल उतार देते हैं, 100-100 साल पुराने हैं।

श्री चेतराम मीणा : आपने सुझाव दिया कि यदि नीलाम किए जायं तो सरकार को आमदनी होगी। पहले भी सुझाव दिया था, इसको एग्जामिन करा दिया जब हम उनको पाबंदी करते हैं, काटने नहीं देते उस स्थिति में उन पेड़ों को बुरी तरह से वह छांट देते हैं। यदि हम उनको लाइसेंस देकर नीलाम कर देंगे तो इस डर से कहीं उनको एक तरह से लाइसेंस मिल जायेगा पेड़ काट कर आप बता सकते हो, उनकी हालत खराब नहीं हो जाए...

श्री अध्यक्ष : लेकिन एक समस्या है यहां जयपुर के आसपास 20-30 मील तक बहुत ही सुन्दर नीम के बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनकी न मालूम किस वजह से छाल उतार देते हैं जिससे पुराने पेड़ हो वह मर जाते हैं। आपने देखा होगा, कई पेड़ मर गए। इसका कुछ कारण है वह आप ढूंढो, कौन छाल उतारते हैं, क्यों उतारते हैं? आप इस रोड पर कम जाते हैं, आप उधर वाली पर जाते हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इसी कराण से कि अपन यदि किसी तरह से नीलाम करेंगे वह करेंगे तो निश्चित रूप से पेड़ों को ज्यादा हानि होगी, जितनी इन्कम नहीं होगी उससे ज्यादा पेड़ों को हानि हो जाएगी, इसलिए इस मुद्दे पर विचार किया गया और उचित यह समझा गया कि पेड़ों की सुरक्षा की जाए, इस तरह लाइसेंस नहीं दिया जाए।

(श्री चेतराम मीणा)

आपने एक एक्स. ई. एन. श्री जैन के बारे में कहा, इस बारे में मैं जांच करा लूंगा और माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से सूचित करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री, ए०के० जैन के बारे में अध्यक्ष महोदय, और भी माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बारे में बताया। अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया कि नेशनल हाई वे नं. 8 जो ब्यावर से जाती है; इसके साथ ही एक दूसरी है वह रोड 8-ए नेशनल हाईवे के नाम से घोषित की जाए ।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत सही है, यह पुरानी सड़क है ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जरूर पुरानी है लेकिन इस बारे में हमने सैन्टर गवर्नमेंट को लिखा क्योंकि नेशनल हाईवे की घोषणा केंद्रीय सरकार से होती है, वही पैसा देते हैं इसके लिए केंद्रीय सरकार अभी राजी नहीं हुई है, मना कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप इसमें थोड़ा जोर लगाओ बात यह है इसमें बड़े बड़े कस्बे आते हैं। और यह मैदानों में से निकलती हैं, डेढ़ सौ साल पुरानी सड़क है।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान स्टेट ब्रिज कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन के बारे में भी कहा कि शुद्ध लाभ नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप उनकी रिपोर्ट्स को ही नहीं, मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यदि आप अकाउन्ट्स के बारे में एक्सपर्ट हैं तो इसमें मेरी भी मदद करें । मैं भी यह चाहता हूं कि वास्तव में इतना होता है या नहीं, आप मेरी मदद करें। वास्तव में देखें कि कार्पोरेशन में शुद्ध लाभ होता है या नहीं । जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत करते हैं वह बात सही है । मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें मेरी मदद करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : नहीं । एक उदाहरण जो दिया था जिसमें 15 लाख में पुल निर्मित होना था पूरा और डीवाटरिंग में 13 लाख से अधिक खर्च हो गया तो ऐसे कुछ इन्सटान्सेज हो सकते हैं ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो निवेदन और कर देता हूं। सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि दानदाता भवन बनवाते हैं और उनके भवन वगैरह के वैल्यूएशन के लिए पी०डब्ल्यू०डी० उनको सर्टीफिकेट्स वगैरह नहीं देता ।

श्री अध्यक्ष : नहीं; वह टेकओवर नहीं करते। ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनके अन्दर बहुत से दानदाता हैं जो स्कूल के भवन, कालेज के भवन, शफाखाने के भवन इस तरह से बनाते हैं और कई वर्षों तक पी०डब्ल्यू०डी० टेकओवर नहीं करता है। नतीजा यह होता है कि उसमें टूट फूट हो जाती है, फिर कहते हैं इसको वापस कराओ। यह भारी समस्या है।

श्री चेतराम मीणा : यह सही है, पहले उनको सर्टीफिकेट देकर एप्रूव किया जाए, उसके बाद फाइनेंस से हमें इसको क्लीयर कराना पड़ता है तब टेकओवर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत पुरानी समस्या है ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह समस्या है, इसका कुछ निराकरण करना चाहिए, यहां तक तो बात

(202)

(श्री चेतराम मीणा)

सही है लेकिन जिस तरह के प्राइवेट भवन बनाए जाते हैं, स्कूल भवन हो, अस्पताल हो, या कोई ग्रौर हो वह भवन जिस तरह से एक मानदंड निर्धारित किए हुए हैं उसके हिसाब से नहीं बनते हैं तब परेशानी होती है।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं वे स्वेच्छा से बनाते हैं फिर कच्चा क्यों बनायेंगे ? छोटा बनायेंगे लेकिन अच्छा बनायेंगे ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, उसकी उपयोगिता की तरफ देखा जाता है फिर भी मैं···

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, नाप तोल कह देते हैं कि 12'×10' का है हमारा 12'×12' का होना चाहिए। इमारत मजबूत होनी चाहिए ग्रौर ठीक मेटीरियल से बनी हुई हो तो आपको ले लेनी चाहिए ।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में देखूंगा किस तरह कुछ किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप देख लीजिए।

श्री चेतराम मीणा : जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने उण्डा नाला के बारे में प्रश्न उठाया। अध्यक्ष महोदय, हर विधान सभा सत्र में माननीय सदस्य इस प्रकार को उठाते हैं। आज स्थिति यह है कि केंद्रीय सरकार परिवहन मंत्रालय के चीफ इंजीनियर ने आकर वहां पर स्थान का निर्धारण कर दिया कि हमें इस जगह पर दूसरा पुल बनाना है। उसके बाद में राजस्थान सरकार से उन्होंने एस्टीमेट्स मांगे, वह एस्टीमेट्स हमने फरवरी में ही भेज दिए। निश्चित रूप से इसकी स्वीकृति मिल जाएगी ग्रौर स्वीकृति मिलने ही इसका काम शुरू करा दिया जाएगा।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रौर माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं मैं इतना ही निवेदन करूंगा···

श्री ग्रध्यक्ष : वह तो ध्यान में रख लेना, बाकी ठीक है ।

श्री चेतराम मीणा : इसके साथ ही निवेदन करूंगा कि यह मांग पास की जाए···

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : एक एक प्रश्न की इजाजत दूंगा, ऐसी बात नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अपने राज में हमारे यहां एक तरफ तो कई जगहें आदिवासी इलाका है, पहाड़ी है, कई जगह रेगिस्तानी इलाका है। आपने जो मौलिक प्रश्न किया था, फण्डामेंटल प्रश्न, वही था। मैं चाहता था कि पैसा नहीं है कैपीटल की इनटेंसिटी बढ़ रही है तो, अध्यक्ष महोदय ने जो प्रश्न किया था कि हमको आया ऐसी टेक्नोलोजी का ईजाद करने पर विचार करना चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : उस वक्त मंत्री नहीं थे शायद ।

श्री यदुनाथ सिंह : थे तो सही, मेंटली नहीं होंगे तो बात दूसरी है !

श्री ग्रध्यक्ष : अन्दर नहीं थे।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने उनसे ही प्रश्न किया था यह।

श्री ग्रध्यक्ष : विचार करेंगे, वेहूं बहुत गहन विचारधारा पर आधारित है।

श्री यदुनाथ सिंह : बिना सड़क के विकास नहीं हो सकता ।

(श्री यदुनाथ सिंह)

एक प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय, जिसका जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है। आसन ने क्वेश्चन किया था तो उसका जवाब डिपार्टमेंट को देना चाहिए था। एक प्रश्न और अध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहां जितनी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं हजारों साल उनकी मैन्टीनेन्स पर पैसा खर्च नहीं होता है और उनकी टूट फूट भी नहीं है। पुल भी देख लो, बिल्डिंग भी देख लो। यह प्रूव भी हो चुका है कि सीमेंट हमारे हिन्दुस्तान की जलवायु के लिए क्योंकि यहां एक्सट्रीम सर्दी व गर्मी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : सीमेंट पूरा लगे तो ठीक ही है।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर भी नहीं हो सकता। सीमेंट की लाइफ कम है बजाय चूने के सीमेंट एक्सपोर्ट भी करते हैं, शार्टेज रहती है और महंगा भी रहता है। तो पिछली बार भी कहा था कि इसकी जांच करवायेंगे। चूने के लिये रॉ मैटीरियल राजस्थान में पूरा मौजूद है तो चूने की टेक्नोलॉजी सस्ती भी होगी और टिकाऊ होगी तो क्यों नहीं राज्य सरकार ऐसी नीति पर विचार करें कि चूने की टेक्नोलॉजी को डवलप किया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह बहुत ही बढ़िया सुझाव है। चूने को आपने छोड़ दिया है, चूना सस्ता है, सीमेंट बहुत महंगा है, सीमेंट में बहुत बिजली और दूसरे रसायन खर्च होते हैं, कारखाने के निर्माण में बहुत भारी रकम खर्च होती है। वह सस्ता सा है लेबर इन्टेंसिव, सब जगह पाया जाने वाला है, इसका उपयोग क्यों त्याग दिया ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह बात सही है कि पहले बिल्डिंग चूने की बनती थी और मजबूती के लिहाज से जयपुर का उदाहरण लें तो 250 साल से ज्यादा यह पुराना शहर हो गया। यह बात सही है। अध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् यह नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई और उसके हिसाब से काम चलते रहे। आज मैं भी इस मत को मानता हूं कि जो आज हमें सीमेंट मिल रहा है उसकी हालत को देखते हुए तो जिन कामों पर हम चूने का काम कर सकते हैं उधर निश्चित रूप से हमें जाना चाहिए।

आपने आदेश दिया था आसन से पहले, उसके बारे में निवेदन करूंगा कि हमारा क्वालिटी कन्ट्रोल डिवीजन सब काम करता है कि कैसे हमें कामों की क्वालिटी को सुधारना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हमारी भौगोलिक परिस्थितयों के अनुसार सब को आने जाने का रास्ता उपलब्ध करा सके। क्योंकि इनके पास सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वह कुछ मामलों में सही है, भवन निर्माण में सही है, बड़े पुल निर्माण में सही है, जिसमें खर्चा कम हो और काम हो जावे यह तो ठीक है लेकिन अपने यहां सड़क बनाने को बहुत सा दूसरा मैटीरियल है इस पर अनुसन्धान करें, बैलगाड़ी मान लीजिये आप चलायेंगे और रोड़ पर ज्यादा लम्बी चलेगी तो उसके खुर ही घिस जायेंगे। अगर उसके नाल लगाओगे तो हल चलाने में, रेत में चलने में दिक्कत आयेगी। तो यह सब व्यावहारिक पक्ष है इसको देखना चाहिये। मेरे कहने का कुल आशय यह था।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि, क्वालिटी कन्ट्रोल डिविजन का क्रियेशन इन्हीं बातों को मद्दे नजर रखते हुए किया और इन्हीं को देखकर हम इन सब

(श्री चेतराम मीणा)

का इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं, रिसर्च वर्क चल रहा है। यह देखकर कि राजस्थान कि क्लाइ-मेट और यहां मिलने वाले रॉ मैटीरियल के हिसाब से कैसे सस्ती और मजबूत सड़क बन सकती है इसके हिसाब से कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जैसे आर०सी०सी० की छत बनाली अगर एअरकन्डीशनर या एयर कूलर नहीं है तो आदमी उसके अन्दर भुन जायगा इससे तो अच्छा यह हो कि ऊपर पट्टी हो या उसके ऊपर मुड हो, नहीं हो तो कम से कम चूना हो तो वह गरम कम रहता है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुड और इगले इस तरह के हैं उनको भी एग्जा-मिन करके देखा जाय तो चुनाई के अन्दर और छत के अन्दर बहुत उपयोगी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि एक तो जो टोटल बजट है, प्रशासन और रख रखाव के अलावा कितना पर्सेन्ट बजट है जो नयी रोड बनाने के अन्दर आप काम में लेते हैं? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो फेमिन के अन्दर सड़कें बनाने के लिये मुड और मिट्टी तुड़वाते हैं उसको जब ठेकेदार दूसरा ठेका लेते हैं उस समय फ्री काम में ले लेते हैं। इसलिये इसका अकाउन्ट होना चाहिये पी.डब्ल्यू.डी. के पास में। जब ठेका दें तब कहना चाहिये, जो पर्टीक्यूलर जगह पर हमारा सामान पड़ा है, वहां से लाकर आप डाल देंगे वरना वह अकाउन्ट तो बता देते हैं उस ढंग से और फेमिन का छोड़ा हुआ सामान काम में ले लेते हैं। इस सम्बन्ध में आप क्लियर करें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है फेमिन में जो मैटीरियल तोड़ा जाता है वह साइट पर पड़ा रहता है। इसका एक मात्र कारण यह बताया जाता है ...

श्री अध्यक्ष : कुछ इलाकों में तो ग्रामीण उसको काम में ले लेते हैं। टांके और मकान में।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी स्थिति आती है जब पर्टीक्यूलर डेट के बाद अचानक वह काम बन्द कर दिया जाता है उसके बाद इस तरह की स्थिति होती है कि हम कोई भी नया पैसा उसको लाने या कहीं ले जाने या इकट्ठा करने में नहीं कर सकते। इस वजह से यह दिक्कत होती है कि हमारा माल हर जगह जो चाहे जहां साइट पर पड़ा रह - जाता है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा कि नये कार्यों के लिये सन् 83-84 में कितना होगा। 161 लाख रुपये का प्राविजन किया गया है।

श्री रामसिंह विश्नोई : पर्सेन्टेज कितना है?

श्री अध्यक्ष : पर्सेन्टेज तो आप निकाल लेना। कुल बजट 16 करोड़ रुपये का बताया आपने।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह क्लियर बतायें।

एक माननीय सदस्य Please repeat आप रिपोर्ट कर दें।...

श्री रघुनाथ सिंह : कुल कितना है, यह बता दें। बजट से ज्यादा फिगर बता दिया। बजट से ज्यादा फिगर दे दिया। मैं पूछ लेता हूं लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि उसमें कुल कितना है प्रोविजन? आप वापस बता दें लूणी वाले मामले में। नये कामों पर।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो 1250 का हमने किया है प्लान में उसमें से 161 लाख 1250 लाख रुपये।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा और राजस्थान में जो सड़कें बनती हैं तो उनके पुलिया तो पहले बनती हैं, हमारी सड़कों की पुलिया बाद में बनती है। उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध तो होता नहीं। 20-20 साल से पुलिया पड़ी हुई हैं, सड़क बनी नहीं है। तो आवागमन के जो साधन हैं बरसात के टैम अवरुद्ध हो जाते हैं तो राज्य सरकार इस मामले में सोच नहीं सकती कि पहले पुलिया बनाई जाये। एक प्रश्न।

दूसरा प्रश्न यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड़, जो दो पारी में चलता है जिले का सबसे बड़ा माध्यमिक विद्यालय है, उस उच्च माध्यमिक विद्यालय की रजिस्ट्री भी करवादी पूरा जो विद्यालय बना हुआ है वह जनता के सहयोग से बना हुआ है। आज तक उसके रख-रखाव के लिये हमारे पास पैसे हैं नहीं, क्या राज्य सरकार ऐसा कभी सोच सकती है कि उस विद्यालय को अपनी सूची में शामिल करें।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बहरोड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रश्न है उसमें तो यह देखना पड़ेगा कि क्या शिक्षा विभाग ने इसको टेक ओवर कर लिया है। यदि ले लिया है...

श्री अध्यक्ष : शिक्षा विभाग जब स्कूल चला रहा है तो टेक ओवर कर लिया, बाकी क्या रहा।

श्री चेतराम मीणा : नहीं, बिल्डिंग का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बिल्डिंग का यहीं तो प्रश्न सरकार के पास

श्री सुजानसिंह : हमने तो रजिस्ट्री भी करवा दी है शिक्षा विभाग में। आपका विभाग ले नहीं रहा है इसका क्या कारण है?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन करूंगा कि जैसा पहले भी एक प्रश्न आया था उसी तरह का प्रश्न यह भी है उसके लिये कि उसके बाद में यदि उसको लिया है तो उसके बाद में शिक्षा विभाग के हैड में से कितना हमें मिलता है। उस हिसाब से खर्च होगा, साहब।

श्री सुजानसिंह यादव : दूसरा प्रश्न पुलियों के लिये मैंने अर्ज किया।

श्री अध्यक्ष : अब ज्यादा प्रश्न की तो इजाजत नहीं दूंगा। श्री रामकिशोर।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जितने भी मंत्री मण्डल 80 के बाद में बने हैं उसमें एक पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय ऐसे हैं जिनकी भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपको अवसर मिल गया था उसके बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण...

श्री रामकिशोर मीणा : स्पेसिफिक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष : नये प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। बैठ जायें।

श्री रामकिशोर मीणा : स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने कोई बात कही थी उसका मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया। उसके

(206)

(श्री अध्यक्ष)

बारे में आगे चर्चा नहीं होगी। आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, कोटा में डामर के 100 ड्रम पकड़े थे, उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, अभी महीने भर पहले ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। नया विषय न लायें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह उठाया है मैंने मेरे प्रश्न में।

श्री अध्यक्ष : जो उत्तर उनको देना था वह उन्होंने दे दिया। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो।

श्री रामकिशोर मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अब मैं ज्यादा इजाजत नहीं दूंगा। अन्तिम पूरक प्रश्न। श्री शिवदान सिंह।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मैंने एक सवाल किया था कि मेन्टीनेन्स के लिये 25 करोड़ खर्च होता है उसमें से 15 करोड़ के आस पास वर्क चार्ज और गैंगमैनों की तनख्वाह में जाता है। वह कोई काम नहीं करते हैं। ए०ई एन० और एक्स०ई एन० के ऑफिस में ड्यूटी पर रहते।

श्री अध्यक्ष : काम तो करते ही हैं। काम नहीं करते तो तनख्वाह कौन देता। ...मोटरें चलती।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वह साइट पर कोई काम नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कम करते हैं। यह कह सकते हैं।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बात कही थी, अध्यक्ष महोदय, जो माल तोड़ा जाता है कंकरीट तोड़ी जाती है, पत्थर तोड़ा जाता है, खानों के अन्दर पड़ा रहता है कहीं साइट पर कांकर डाल देते हैं, उसके बाद में उसका कोई अकाउन्ट नहीं रहता है। मैं जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय यह बतायें डिपार्टमेंट के अन्दर कोई एम०एस० अकाउन्ट रखा जाता है। मैटीरियल साइट का कोई अकाउन्ट होता है। यह फण्डामेंटल है। अध्यक्ष महोदय, यह उसमें लिखा हुआ है और रखना पड़ता है मैटीरियल साइट अकाउन्ट के माफिक उसमें एन्ट्री की हुई होती है। इसका जवाब मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने प्रश्न पूछा।

(व्यवधान)

इसके अलावा किसी भी प्रश्न को पूछने की इजाजत नहीं दूंगा। ऑर्डर, आर्डर, ऑर्डर।

श्री चेतराम मीणा : ऐसा है अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैटीरियल जो साईट पर अकाल राहत कार्य के समय पड़ा रहता है जिसका पेमेंन्ट अकाल राहत विभाग द्वारा किया जाता है इस लिये पी.डब्ल्यू.डी. उसका कोई अकाउन्ट नहीं रखता है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी कोई हिसाब तो रहता होगा या नहीं रखा जाता।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : उसका हिसाब किताब रखा जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 57,84,64,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 56,36,16,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सभा की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.50 बजे शनिवार दिनांक 19 मार्च, 1983 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट – 1

तारांकित प्रश्न संख्या 595 के भाग एक की सूची

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद सं.	रिक्त पद	कब से रिक्त हैं
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	2	वर्ष 1980 से
2.	चिकित्सक (सी. ए. एस.)	34	6	यथा
3.	मेल नर्स श्रेणी प्रथम	3	2	1979 से एक पद जनवरी 1973 से एक पद
4.	मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	35	26	वर्ष 1974 से
5.	एल. एच. वी.	8	4	यथा
6.	प्रसविका	41	11	यथा
7.	एक्सरे तकनीशियन	2	1	1982
8.	लेबोरेटरी तकनीशियन	5	1	यथा
9.	लेखाकार	2	1	1974
10.	वरिष्ठ लिपिक	8	6	1979
11.	कनिष्ठ लिपिक	6	1	1980 से
12.	वाहन चालक	14	2	1979
13.	फर्रास	56	3	1981
14.	स्वीपर	22	1	1981
15.	क्लीनर	4	1	1981
16.	सैक्टर सुपरवाइजर	12	5	1982
17.	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1	1	1980
18.	बहु उद्देशीय कार्यकर्ता	42	7	1982
19.	फील्ड वर्कर	7	3	1979
20.	मोटर मेकेनिक	1	1	1980
21.	टी. बी. हेल्थ विजीटर	2	1	1982

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 596 का विवरण

देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों का लाइसेन्स देने में अपनाई गई प्रक्रिया

देशी मदिरा

दिनांक 1-4-80 से देशी मदिरा हैल्थ परमिट धारियों को विक्रय करने हेतु लाइसेन्स फीस पद्धति पर दुकानें दी गई। दिनांक 11-8-81 से मद्यनिषेध समाप्ति के बाद देशी मदिरा की दुकानें दिनांक 1-9-81 से राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 24 के अन्तर्गत एकाकी विशेषाधिकार पद्धति पर राजस्थान आवकारी नियम 1656 के नियम 67-1 के तहत टेण्डर व नीलाम द्वारा आवंटित की गई। आदिवासी क्षेत्र की दुकानें एकाकी विशेषाधिकार पद्धति पर टेण्डर या नीलाम द्वारा नहीं दी जाकर दी गंगानगर शुगर मिल्स को लाइसेन्स प्रणाली पर दी गई है। तथा वर्तमान में यही पद्धति चालू है।

विदेशी मदिरा

राजस्थान राज्य में दिनांक 1-4-80 से मद्यनिषेध घोषित किया गया था। उस समय राज्य में अनुज्ञापत्र दिये जाने हेतु राजस्थान लिकर प्रोहिबिशन रुल्स 1969 के नियम व राजस्थान ग्रान्ट ग्रॉफ फोरेन लिकर (होलसेल-एण्ड रिटेल ग्रॉफ लाइसेन्स) रूल्स 1972 के नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार हैल्थ-परमिट के आधार पर विदेशी मदिरा विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। जो वर्ष 80-81 में चलते रहे। 81-82 के लिये निर्धारित नवीनीकरण शुल्क वसूल कर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये गये। दिनांक 11-8-81 को मद्य-निषेध समाप्त किया जाकर दिनांक 1-4-81 के विदेशी मदिरा के अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्रों को 31-3-82 तक चालू रखा गया। साथ ही मद्य निषेध के पूर्व के अनुज्ञाधारियों को रिटेल ग्रॉफ अनुज्ञापत्र राजस्थान ग्रान्ट ग्रॉफ फोरेन लिकर (होलसेल एण्ड रिटेल ग्रॉफ लाइसेन्स) रूल्स 1972 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 31-3-82 तक की अवधि के लिये दिनांक 16-9-81 से दिये गये। वर्ष 82-83 के लिए नवीन नीति का निर्धारण किया गया। जिसकी क्रियान्विती में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 31-3-82 के कार्यरत विदेशी मदिरा के अनुज्ञाधारियों से अनुपातिक नवीनीकरण शुल्क जमा करा दिनांक 15-5-82 तक उन्हें चालू रखा गया।

वर्ष 82-83 में लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर एकाकी विशेषाधिकार पद्धति पर नीलाम द्वारा विदेशी मदिरा की दुकानें दी गई।

83-84 में 82-83 की प्रणाली ही लागू रही सिर्फ नीलामी दो वर्ष के लिये की गयी।

(सूची क)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 597 की सूची

विद्युत के सामान बाबत सूची वर्ष 1980 से 1983

क्र.सं. सामान का नाम	बैलेन्स 1-4-80 को	खरीद 80-81	योग	80-81 में दिया गया	बैलेन्स	खरीद 81-82	योग	81-82 में दिया गया	बैलेन्स	82-83 में खरीद	योग	82-83 में दिया गया	बैलेन्स
1—बल्बस· 60 वाट	108	800	908	847	61	938	2238	1485	753	1713	2466	1957	509
2—ट्यूब्स 2 फुट	432	—	432	318	114	818	932	890	42	739	781	743	38
3—ट्यूब्स 4 फुट	251	125	376	376	—	1183	1183	1144	39	1025	1064	1026	38
4—चौके 40 वाट	5	28	33	31	2	483	485	364	121	429	550	399	151

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

(ग्रुप-2)

क्रमांकः-एफ 1 (59) नविअ/ 11,81 जयपुर, दिनांक, 16-2-82

अधिसूचना

नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम 35, सन् 1959) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्रीगंगानगर परिषद् की सीमाओं के भीतर आने वाली तथा इसके संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट समस्त भूमियों एतद्द्वारा नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर को सौंपती है।

उक्त किसी भूमि का निपटारा राजस्थान सुधार न्यास (भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधान के अनुसार होगा।

नगर सुधार न्यास श्रीगंगानगर की सीमाओं का परिसीमन

क- नगर सुधार न्यास श्रीगंगानगर की अंदरूनी सीमाएं निम्न वर्णित होगी:-

1- उत्तरी सीमा :- उत्तर में अंदरूनी सीमा उत्तरी पार्श्व के ओर पूर्व में आजाद सिनेमा 26 के किला संख्या 5 को पूर्वी सीमा तक रेल्वे लाइन के साथ-साथ होगी।

2- पश्चिमी सीमा:- पश्चिम में अंदरूनी सीमा, दक्षिण की तरफ चक जेड के वर्ग संख्या 26 और 41 की पूर्वी पंक्ति के साथ-साथ होगी। फिर दक्षिण में वर्ग सं० 52.65 एवं 78 को पूर्वी पंक्ति के साथ -साथ फिर वर्ग संख्या 89 की उत्तरी पंक्ति के साथ-साथ पश्चिम की तरफ 450 फुट और दक्षिण में चक 6 जेड-ए के वर्ग संख्या 109 में 350 फुट के विस्तार तक।

3- दक्षिण सीमा:- नगर सुधार न्यास की दक्षिणी सीमा वर्ग संख्या 36 की उत्तरी पंक्ति के साथ-साथ चक नं० 1-ई के वर्ग संख्या 36 के उत्तर पूर्व संख्या पूर्व में 100 फुट होगी फिर वर्ग संख्या 37 के उत्तर पूर्व कोने से पश्चिम की ओर चक 1-ए के वर्ग संख्या 37 से 42 की उत्तरी पंक्ति के साथ-साथ फिर चक 62 के वर्ग संख्या 107 के उत्तरी पंक्ति के साथ-साथ होते हुए फिर चक संख्या 6-जेड के वर्ग संख्या 108 के उत्तरी पंक्ति के साथ-साथ दक्षिण की ओर 350 फुट और फिर पश्चिम की ओर वर्ग संख्या 108 के सरहद्द और पार होते हुए चक 6 जेड के वर्ग संख्या 109 के अन्दर 450 फुट।

4- पूर्वी सीमा:- नगर सुधार न्यास की पूर्वी सीमा वर्ग संख्या 36 की पूर्वी पंक्ति पर चक नं. 1-ए के वर्ग संख्या 37 के उत्तर पूर्वी कोने से पूर्वी की ओर 100 फुट के बिन्दु से 440 फुट उत्तर

में होगी और फिर राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या नगर परिषद् श्रीगंगानगर की ओर नगर सुधार न्यास श्री गंगानगर क्षेत्रों को (बीघा) में दर्शित करने वाला विवरण :-

क्र०सं० चक का नाम	न०वि०न्या०के अधीन आने वाले क्षेत्र	नगर परिषद् के पास क्षेत्र	नगर विकास न्यास में नजूल भूमि
1- 4-जेड	24/4	-	-
2- 5-जेड	781/11	-	-
3- 3-जेड	125	-	-
4- 1-ई-छोटी	139/8	-	-
5- 2 ,, ,,	504/10	-	-
6- 3 ,, ,,	475	-	0/ 13
7- 6 ,, ,,	250	-	-
8- 1-ए-छोटी	849/4	688/4	62/0
9- 6-जेड	713/17	811/15	62/0
10- 4-इ-छोटी	284/8	-	-
योगः-	4147/ 12	1499/ 19	62/ 13

राज्यपाल की आज्ञा से

ह० -
(जितेन्द्र जैन)
उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु आथरिटी कार्ड जारी करने का कष्ट करें।

2- अधीक्षक केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को भेज कर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इस विभाग को प्रति शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

3- अध्यक्ष सचिव, नगर विकास न्यास , श्रीगंगानगर।

4- जिलाधीश, श्रीगंगानगर।

5- प्रशासक नगर परिषद् , श्रीगंगानगर।

6- मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविधिक परामर्श दाता, राजस्थान जयपुर ।

7- रक्षा पत्रावली।

ह०
(कुंज बिहारी लाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव

सूची "ग"

क्र०सं०	पोल्स की संख्या	दर प्रति पोल (मय बिक्रीकर)	आदेश दिनांक	औसत वजन
1.	44	1756·50	2/12/81	160 किलोग्राम
2.	62	2158·20	28/6/82	(डबल ब्रेकेट)
3.	30	1762·20	28/6/82	140 किलोग्राम
4.	62	2158·20	24/9/82	(सिंगल ब्रेकेट)
5.	30	1762·20	24/9/82	
6.	60	1762·20	29/11/82	
7.	80	1947·00	20/11/82	
8.	62	2318·80	20/11/82	
	430			

(२१४)

परिशिष्ट - 4

तारांकित प्रश्न सं० 599 के भाग दो का विवरण:-

अजमेर शहर के लिये पुनर्गठित जल प्रदाय योजना वर्ष 1978-में 4.92 करोड़ रु० लागत की स्वीकृति की गई है योजना के अन्तर्गत इन्फिलट्रेशन गैलरी बनाकर विभिन्न साइज की पाइप लाइनें डालकर 32 लाख गैलन अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है :-

योजना का तख्मीना निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	विषय	अनुमानित लागत रुपये (लाखों में)
1.	600 एम०एम० व्यास की 300 मीटर लम्बी इन्फिलट्रेशन गैलरी मय कलेक्टीग कुएं के	12.00
2.	300 एम०एम० 500एम०एम०, व्यास की पाइप लाइन ने गड़िया हैड वर्क्स से 7.4 कि०मी० लम्बाई में व 525 एम०एम० सी०आई० टाइटन पाइप लाइन क्लास. एल० ए० 64.5 कि०मी० लम्बाई में (जल कल गृह नं० 2 से 6 के बीच) जोड़ने व बिछाने सहित।	308.60
3-	**पम्पिंग मशीनरी:-**	
	4 नं० 250 एच पी० के 160.000 गैलन प्रति घण्टा 200 फीट हैड 1 नं० 175 एच०पी० के 160.000 गैलन प्रति घण्टा 150 फीट हैड 2 नं० 150 एच० पी० के 150.000 गैलन प्रति घण्टा 115 फीट हैड 2 नं० 100 एच०पी० के 100.000 गैलन प्रति घण्टा 100फीट हैड 2 नं० 200 एच०पी० के 80.000 गैलन प्रति घण्टा 440 फीट हैड मय कन्ट्रोल पेयनलस स्वीच गियर, सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफॉर्मर व केबल आदि	12.00
4.	**पानी की वितरण लाइनें व टंकियों का निर्माण:-**	
	(अ) 1. 450 एम०एम०-500 मीटर लम्बाई 2. 400 एम०एम०-500 मीटर लम्बाई 3. 350 एम०एम०-2500 मीटर लम्बाई 4. 300 एम०एम०-1000 मीटर लम्बाई	

5. 250 एम०एम०-1000 मीटर लम्बाई
6. 200 एम०एम०-1000 मीटर लम्बाई
व अन्य छोटी लाइनें

(ब) पहाड़ी पर तीन उच्च जलाशयों का निर्माण
4 लाख गैलन क्षमता-2 नं०
2 लाख गैलन क्षमता -1 नं०
(स) भूतल पर जलाशयों का निर्माण
2 लाख गैलन क्षमता का स्वच्छ जलाशय (दयानन्द मार्केट) 55.40
1 लाख गैलन क्षमता का स्वच्छ जलाशय (लीला सेवडी)

5.	**सिविल वर्क्स**	
	स्टाफ क्वार्टर्स, आफिस भवन, रेस्ट हाउस, सर्ज टैंक, सीमेन्ट गोदाम, वर्क शॉप आदि	7.00
		395.00
6.	4.5 प्रतिशत कन्टीजेन्सी चार्जेज	17.775
7.	20 प्रतिशत प्रोरेटा चार्जेज	79.00
		491.775

लागत- 492 लाख रुपये

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य में महिला खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की योजना

601. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में महिला खिलाड़ियों के लिये किस किस खेल के प्रशिक्षण की व्यवस्था है और कहां कहां ?

(2) राजस्थान की राज्य स्तर की कितनी महिला खिलाड़ियों को खेल वृति दी जाती है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त महिला खिलाड़ियों में से कितनी खिलाड़ियों को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में प्राथमिकता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राजस्थान का राष्ट्रीय महिला खेलों में क्या स्थान है ? कृपया खेलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या महिला खिलाड़ियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कृपया उस योजना के ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति सदन की मेजपर रखें।

(6) राजस्थान में महिलाओं से सम्बन्धित खेलों का 1980-81, 1981-82 व 1982-83 का कितना बजट है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में महिला खिलाड़ियों के लिए खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं स्थान से संबंधित सूची संलग्न है ।

(2) राजस्थान की राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों को वर्ष 1981-82 में 6 एवं 1982-83 में 5 महिलाओं को खुराक भत्ता दिया गया है खेल वृति के नाम से कोई राशि नहीं दी गई है ।

(3) चूंकि पांच महिला खिलाड़ी रेलवे व डाकतार विभाग में पहले से ही कार्यरत हैं व एक अध्ययन-रत है अतः राज्य सेवा में नियुक्ति में प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) महिला खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर पर खेल-वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं ।

(6) राजस्थान में महिलाओं से सम्बन्धित खेलों के लिये अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं हैं ।

सूची

खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं स्थान

खेलों के नाम	स्थान
1. एथलेटिक्स	अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, एवं श्रीगंगानगर
2. बैडमिन्टन	जयपुर, कोटा, उदयपुर।
3. बास्केटबाल	कोटा, जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, सीकर, झुन्झुनू, गंगानगर।
4. क्रिकेट	अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़
5. साईक्लिंग	जयपुर, जोधपुर, बीकानेर
6. जिम्नास्टिक	जयपुर, अजमेर, बीकानेर
7. हॉकी	जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, प्रतापगढ़
8. कबड्डी	जयपुर, प्रतापगढ़
9. खो-खो	जयपुर
10. लान-टेनिस	जयपुर
11. तैराकी	जयपुर
12. टेबिल-टेनिस	जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर
13. वॉलीवाल	जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर
14. पर्वतारोहण	जयपुर
15. योग	जयपुर

राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ियों की सूची

राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने सफलतायें अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। वर्ष 1982 की प्रमुख सफलताओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

एथलेटिक्स

कुमारी हमीदा बानू ने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। एशियाड 82 में उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया।

शर्मिला वोहरा ने अखिल-भारतीय क्रासकन्ट्री दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया।

मिस राठौड़ ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया।

तैराकी

प्रदेश की अंजनी ने राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।

स्क्वेश

भुवनेश्वरी कुमारी ने अखिल भारतीय प्रतियोगिता का खिताब जीता जबकि हुनी रमन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में फाइनल तक पहुंची।

(218)

वॉलीबॉल

राजस्थान की रमा पाण्डे ने विश्वकप सहित कई प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों में राजस्थान की लड़कियों का तीसरा स्थान रहा।

हॉकी

हॉकी के क्षेत्र में राजस्थान की वर्षा सोनी एवं गंगोत्री भण्डारी ने कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया।

एशियाड 82 की स्वर्णपदक विजेता टीम में दोनों खिलाड़ी शामिल थीं।

चित्तौड़गढ़ जिले की ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां

602. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से राज्य में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में कितने ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था और कितनी लाभान्वित हुई? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने व्यक्तियों ने ग्रामीण औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये वर्ष 1980-81, 1981-82 एवं 1982-83 में प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये और कितने विलम्ब के बाद सुविधा सुलभ करवाई गई? कृपया आवेदकों की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खादी ग्रामोद्योग आयोग बजट के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वर्ष 81-82 व 82-83 में 10,000-10,000 ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्यांकों के विपरीत वर्ष 81-82 में 8211 तथा वर्ष 82-83 में 7083 कामगारों को फरवरी, 83 तक लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में ग्रामीण औद्योगिक ईकाइयां स्थापित करने हेतु वर्ष 80-81 में कुल 723 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसके विपरीत 389 औद्योगिक इकाईयों को लाभान्वित किया गया था। शेष 334 प्रार्थना-पत्र में से 41 प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये गये थे इस प्रकार वर्ष 80-81 के अन्त में 293 प्रार्थना-पत्र शेष रहे वर्ष 81-82 में कुल 527 पत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार वर्ष 81-82 में कुल 820 प्रार्थना पत्र थे इसके विपरीत 420 औद्योगिक इकाइयों को लाभान्वित किया गया था। वर्ष 81-82 के अन्त में 400 प्रार्थना पत्र शेष रहे एवं 82-83 में फरवरी, 83 तक कुल 376 मांग पत्र और प्राप्त हुए कुल 776 मांग पत्रों के विपरीत फरवरी, 83 तक पंचायत समिति स्तर से 319 एवं जिला उद्योग केन्द्र स्तर से 103 इस प्रकार कुल 422 प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जा चुके हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(219)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु वर्ष 81–82 व 82–83 में स्वीकृत की गई इकाइयों का विवरण-पत्र

क्र.सं. नाम जिला	वर्ष 81–82 में निर्धारित लक्ष्य	वर्ष 81–82 में स्वीकृत इकाई	लक्ष्य 82–83	वर्ष 82-83 में फरवरी 83 तक स्वीकृत इकाइयां
1– अजमेर	351	268	324	230
2– जयपुर	611	478	653	373
3– अलवर	649	612	658	501
4– उदयपुर	641	585	691	610
5– सीकर	331	290	390	176
6– बीकानेर	244	416	256	119
7– गंगानगर	479	190	415	313
8– चूरू	302	367	304	196
9– भरतपुर	568	620	581	464
10– स०माधोपुर	528	257	536	423
11– कोटा	438	237	526	373
12– झालावाड़	290	149	268	192
13– टोंक	415	387	323	241
14– बून्दी	394	135	205	168
15– भीलवाड़ा	468	439	468	408
16– चित्तौड़गढ़	444	420	444	422
17– बाड़मेर	305	302	341	234
18– जैसलमेर	135	139	135	50
19– जोधपुर	382	342	389	223
20– बांसवाड़ा	429	282	429	149
21– डूंगरपुर	262	188	262	219
22– पाली	243	192	267	197
23– जालोर	140	118	190	152
24– सिरोही	189	135	180	158
25– झुन्झुनू	274	206	282	254
26– नागौर	488	457	483	238
योग	10,000	8,211	10,000	7,083

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

बोर्ड द्वारा वर्ष 1980-81, 81-82 एवं 82-83 में प्राप्त प्रार्थना-पत्र तथा उसके विपरीत वितरित इकाइयों का विवरण-पत्र

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	वर्ष 80-81			निरस्त	वर्ष 80-81 के अंत में शेष	वर्ष 81-82 में प्राप्त मांग-पत्र	कुल मांग पत्र	वर्ष 81-82 में स्वीकृत मांग-पत्र	81-82 के अंत में शेष मांग	82-83 में प्राप्त मांग-पत्र	योग	82-83 में फरवरी, 83 तक वितरित इकाइयां		82-83 में फरवरी 83 तक कुल वितरित इकाइयां
		प्राप्त	स्वीकृत	शेष									पं.समि.	जिला उ.केन्द्र	
1.	चित्तौड़गढ़	85	43	42	3	39	23	62	29	33	28	61	27	—	27
2.	निम्बाहेड़ा	76	31	45	3	42	40	82	42	40	28	68	23	—	23
3.	भदेसर	37	21	16	1	15	18	33	12	21	24	45	24	—	24
4.	डूंगला	58	35	23	—	23	22	44	20	24	24	48	16	—	16
5.	बड़ी सादड़ी	15	3	12	—	12	33	45	22	23	24	47	17	—	17
6.	छोटी सादड़ी	55	15	40	3	37	38	75	25	50	25	75	25	—	25
7.	प्रतापगढ़	35	19	16	5	11	46	57	35	22	47	69	37	—	37
8.	अरनोद	127	97	30	6	24	83	107	58	49	45	94	40	—	40
9.	राश्मी	77	48	29	11	18	74	92	53	39	28	67	28	—	28
10.	भेसरोड़गढ़	13	4	9	—	9	56	65	46	19	25	44	25	—	25
11.	बेगूं	48	25	23	5	18	52	71	48	23	26	49	19	—	19
12.	कपासन	46	28	18	—	18	30	48	15	33	27	60	15	—	15
13.	भूपालसागर	51	20	31	4	27	12	39	15	24	25	49	23	—	23
14.														103	103
	योग	723	389	334	41	293	527	820	420	400	376	776	319	103	422

221

भूतपूर्व अध्यक्ष नगरपालिका छापर में बकाया राशि की वसूली

604. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुरा) :क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष नगरपालिका छापर जो वर्तमान में भी अध्यक्ष है उनके विरुद्ध 1973-74 में ऑडिट ने बतौर सरचार्ज की कोई राशि ऐतराज में वसूल करने का निर्णय किया था ?

(2) क्या यह सही है कि ऑडिट एतराज की राशि वसूल नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां इस सम्बन्ध में नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा हैं । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं ।

विवरण :–

(1) ऑडिट रिपोर्ट 1973-74 के आक्षेप संख्या 25 (क) के अनुसार श्री रामजीलाल पेडीवाल भूतपूर्व अध्यक्ष (वर्तमान में-भी अध्यक्ष) नगरपालिका, छापर को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना दिनांक 5.9.75 को जारी किया गया ।

(2) उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त न होने पर दिनांक 25.9.75 को पुन: नोटिस दिया ।

(3) श्री रामजीलाल पेडीवाल का उत्तर दिनांक 26.9.75 विभाग में दिनांक 9.10.75 को पंजीकृत हुआ ।

(4) उक्त सूचना पत्र के उत्तर के बाद सुनवाई प्रारम्भ हुई । प्रकरण सुनवाई मे है ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

605. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इस वर्ष भीलवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किन किन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की ?

(2) क्या इन नियुक्तियों में साक्षात्कार हेतु महिलाओं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नाम भेजने हेतु नियोजन कार्यालय को लिखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा ने वर्ष 82-83 में कुल 86 व्यक्तियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां । महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नाम भेजने हेतु नियोजन कार्यालय लिखा गया था ।

(3) जी हां । जिलाधीश भीलवाड़ा, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर एवं राज्य सरकार द्वारा इस मामले में जांच के दौरान यह पाया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है ।

222

सूची

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति और महिलायें नाम के आगे अंकित है।

नियुक्ति आदेश व दिनांक	नाम च० श्रे० कर्मचारी जिनकी नियुक्ति हुई	अनुसूचित जाति	जनजाति	अथवा महिला
1	2	3	4	5
14159-64 18-8-82	1- श्रीमती मनभरी देवी	अनु. जाति	--	महिला
14242-47	1- श्री रामप्रसाद हरिजन	,,		
19-8-82	2- श्री प्रकाश हरिजन	,,		
	3- श्री शयरलाल हरिजन	,,		
	4- श्री सोहन लाल हरिजन	,,		
	5- श्री देवीलाल हरिजन	,,		
	6- श्री रामपाल हरिजन	,,		
15431-47	1- श्रीमती सुशीला देवी हरिजन	,,	–	महिला
3-9-82..	2- श्रीमती संतोष देवी हरिजन	,,	–	,,
	3- श्रीमती शिक्ला देवी हरिजन	,,	–	,,
	4= श्रीमती सीतादेवी हरिजन	,,	–	,,
	5- श्री कैलाश चन्द्र हरिजन	,,	–	
	6- श्री भंवर लाल हरिजन	,,	–	
	7- श्री बाबूलाल हरिजन	,,	–	
	8- श्री बाबू लाल पुत्र मूलचन्द	,,	–	
	9- श्री विष्ण हरिजन	,,	–	
	10- श्री देवीलाल हरिजन	,,	–	
	11- श्री हीरालाल हरिजन	,,	–	
15422-30	1- श्री नाना लाल मीणा	–	–	
3-9-82	2- श्री गोवर्धन लाल बैरवा अनु.जाति	,,	–	–
	3- श्री जगदीश चन्द्र जीनगर	,,	–	–
	4- श्री छोटूलाल मीणा	जनजाति	–	
	5- श्री रामेश्वर लाल रेगर	,,	-	
	6- श्री भैरूलाल धोबी	,,	–	
	7- श्री जयराम मीणा	–	जनजाति	
	8- श्री हरचन्द्र मीणा	–	–	
	9- श्री खेमा भील	–	–	
	10- श्री नाथू लाल भील	=	–	

1	2	3		4	5
	11-	श्री संग्राम भील	जनजाति	-	-
	12-	श्रीमती कोयली देवी जीनगर	अनु.जाति	-	महिला
	13-	श्रीमती शांता देवी जीनगर	अनु.जाति	-	,,
	14-	श्रीमती वसंती देवी	,	-	,,
	15-	श्रीमती कांता देवी पायक	,,	-	,,
	16-	श्रीमती रम्भू भील	जनजाति	-	,,
17764-70	1-	श्री कैलाश नारायण रेगर	अनु.जाति	-	-
6-10-82	2-				
22060-80	1-	श्रीमती गंगा बाई नाथ	अनु.जाति	-	महिला
6-12-82	2-	श्रीमती शांता देवी चौहान	-	-	उपस्थिति नहीं दी
22048-60	3-	श्रीमती विमलेश कुमारी सेन	-	-	महिला
6-12-82	4-	श्रीमती गीता देवी सेन -	-	,	,,
	5-	श्रीमती कमला देवी सेन	-	,	,,
	6-	श्री उदय लाल हरिजन	अनु.जाति	-	-
	7-	श्री रतन लाल हरिजन	,,	-	-
22045-52	1-	श्री देवीलाल धाबाई	-	-	छोड़कर चला गया।
8-12-82	2-	श्री रतन लाल छीपा	-	-	-
	3-	श्री शंकर लाल शर्मा	-	-	-
	4-	श्री लादू लाल पांड्या	-	-	-
	5-	श्री मोहम्मद हुसेन	-	-	-
	6-	श्री रामगोपाल पारीक	-	-	-
	7-	श्री भैरुलाल गुर्जर	-	-	-
	8-	श्री गुलाम रसुल	-	-	-
	9-	श्री लक्ष्मीनारायण ओझा	-	-	-
	10-	श्री भुंवर सिंह रावत	-	जनजाति	-
	11-	श्री रामकरण जाट	-	-	-
	12-	श्री शम्भूदयाल उपाध्याय	-	-	-
	13-	श्री श्याम लाल सेन	-	-	-
	14-	श्री शैलेन्द्र सिंह राजपूत	-	-	-
	15-	श्री मोहन लाल पालीवाल	-	-	-
	16-	श्री राजेन्द्र सिंह	-	-	-
	17-	श्री महावीर प्रसाद नाहर	-	-	-

1	2	3	4	5
	18- श्री जवाहर लाल पारासर	-	-	-
	19- श्री राधाकिशन पांड्या	-	-	-
	20- श्रीमती माया नाई	-	-	महिला
	21- श्रीमती कलावती नाई	-	-	-
	22- श्री शेर मोहम्मद	-	-	-
	23- श्रीमती पार्वती देवी शर्मा	-	-	महिला
	24- श्रीमती चन्द्रवाला शर्मा	-	-	,,
	25- श्रीमती लाड देवी शिशोदिया		-	,,
	26- श्रीमती रामा देवी जीनगर,	अनु. जाति	,,	,,
	27- श्रीमती पुष्पा देवी जोशी	-	,,	,,
	28- श्रीमती ललिता देवी जोन	-	,,	,,
	29- श्रीमती फातमा बेगम	-	-	,,
	30- श्रीमती गीता देवी ढोली	अनु.जाति	,,	,,
	31- श्री रामसुख धोबी	,,	-	-
	32- श्री धन्ना लाल धोबी	,,	-	-
	33- श्रीमती कमला धोबी	,,	-	महिला
	34- श्रीमती गीता देवी धोबी	,,	-	,,
	35- श्री रामेश्वरलाल हरीजन	,,	-	-
	36- श्रीमती मीरा हरीजन	,,	-	महिला
51-56	1- श्री बंशीलाल शर्मा	-	-	-
1-1-83 1473-78	1- श्री गोपाल सिन्धी	-	-	-
19-1-83 1704-8	1- श्रीमती शान्ता देवी चौहान	-	-	महिला
22-1-83 2030-34	1- श्रीमती छोटी बाई जीनगर	अनु.जाति	-	महिला
25-1-83 2071-88	1- श्री अब्दुल जब्बार	-	-	-
27-1-83	2- श्री शंभू सिंह	-	-	-
	3- श्री श्याम सुन्दर पारासर	-	-	-
	4- श्री किशन सिंह शिदोढिया	-	-	-

सिनेमा उद्योग के प्रोत्साहन हेतु मनोरंजन कर में छूट

606. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सिनेमा उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने मनोरंजन कर में छूट दी है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने इस छूट के तहत अनेकों सिनेमाघरों का टैक्स माफ किया है ? यदि हां, तो किन-किन को ? कृपया ऐसे सिनेमाघरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां सिनेमा उद्योग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने (1) उन नगर पालिका कस्बों से जिनकी जन-संख्या एक लाख से कम है तथा (2) उन नगरपालिका कस्बों में जहां पहले से सिनेमा नहीं, उन स्थानों पर नये बनने वाले सिनेमाओं को मनोरंजन कर एवं अतिरिक्त मनोरंजन कर से निम्नानुसार छूट दी है :—

1- प्रथम वर्ष	100 प्रतिशत
2- द्वितीय वर्ष	50 ,,
3- तृतीय वर्ष	25 ,,
4- चतुर्थ वर्ष	कुछ नहीं।

उपरोक्त छूट 31 मार्च, 1987 से पूर्व निर्मित सिनेमाओं को उपलब्ध होगी।

(2) अभी तक सरकार ने किसी विशेष सिनेमाघरों को छूट नहीं दी है। अब जो भी नये सिनेमा एक लाख की कम आबादी वाले कस्बों में अथवा उन कस्बों में जहां पहले से सिनेमाघर नहीं था बनेंगे उनको यह छूट देय होगी।

नगरपालिकाओं/परिषदों के कर्मचारियों को राज्य सेवा का दर्जा देना

607. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में नगरपालिकाओं/परिषदों के कर्मचारियों को राज्य सेवाओं का दर्जा देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना पर अमल कब से प्रारम्भ होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के बाद प्रश्न पैदा नहीं होता।

जयपुर मैटल्स लि. जयपुर में प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्ति

608. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड में प्रबन्ध संचालक के पद पर रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी श्री विजयसिंह की नियुक्ति की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त उद्योग में इनके कार्यकाल में अव्यवस्था के कारण संस्थान को काफी हानि पहुंची ?

(श्री मेघराज तावड़)

(3) क्या यही सही है कि पूर्व में इस उद्योग में प्रबन्ध संचालक के पद पर श्री असीम चटर्जी की नियुक्ति की गई थी और उनके कार्य-काल में उद्योग में सुधार हुआ था ?

(4) क्या यह भी सही है कि वहां कार्यरत श्रमिक संगठन ने अभी श्रीमान् मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें संस्थान के हित में इस उद्योग की व्यवस्था वित्तीय संस्थानों को सौंपे जाने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री विजय सिंह, आई०ए० एस० की 2-8-80 को जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा मांग किये जाने पर उनकी सेवायें दो वर्ष के लिये प्रबन्ध संचालक के पद हेतु कम्पनी को उपलब्ध कराई गई। श्री विजय सिंह के 31 मार्च 1981 को सेवा निवृत होने पर कम्पनी के संचालक मण्डल एवं दिनाक 30-9-1981 को शेयर होल्डरों की साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार उनका कार्यकाल 31-3-1983 तक बढ़ाया गया।

(2) जी नहीं। इनके कार्यकाल में हानि अवश्य हुई है परन्तु अव्यवस्था के कारण नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। समय समय पर संस्थान के श्रमिक एवं कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी व्यवस्था वित्तीय संस्थानों को सौंपने संबंधी सुझाव प्राप्त हुये। वित्तीय संस्थानों द्वारा इस उद्योग की व्यवस्था लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई है। तथापि वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रबन्धित एक बड़े उद्योग से इस संस्थान की व्यवस्था संभालने के संदर्भ में बातचीत जारी है परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सराड़ा तहसील के तालाब व एनिकट का निर्माण कार्य

609. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सराड़ा तहसील में जितने तालाब व एनीकट बनवाये गये उसमें से कितने कार्य अभी भी अधूरे हैं ?

(2) नणरा, ओडा, खेरकी, खरवा नाल, अलका, बलुआ, ढेनकावाड़ा, निवोधापाल आदिवासी क्षेत्र में कुल कितने एनीकट कब-कब शुरु किये एवं कितने पूरे हो चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा बनवाये गये सभी एनीकटों का काम पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिचाई विभाग द्वारा सराड़ा तहसील में सिंचाई मद में निर्माण कराये गये कोई भी तालाब अथवा एनीकट अधूरे नहीं है। सहायता कार्यों के अन्तर्गत 5 तालाब एवं 3 एनिकटों पर कार्य सिंचाई विभाग द्वारा करवाया गया। जिसमें से तीन तालाब तथा 3 एनिकट अधूरे हैं। (पंचायत समिति सराड़ा द्वारा 134 तालाबों व 14 एनीकटों का निर्माण किया गया। इसमें से 64 तालाब व 12 एनीकट अधूरे है।)

(2) सिचाई विभाग द्वारा देवल खेरकी गांव में एक एनीकट का कार्य अकाल सहायता मद से अप्रेल, 1980 में प्रारम्भ किया गया। यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

(3) यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

सराडा तहसील के तालाबों की सूची :

क. सं.	नाम बांध/तालाब	सराडा तहसील का सिंचित क्षेत्र (एकड़ में)
1.	जयसमन्द	10675
2.	चावंड	621
3.	केवड	1488
4.	लालर	132
5.	बिलुजी	195
6.	टोकर	220
7.	घोड़ासर	105
8.	देलवास	298
9.	सुरखण्ड खेड़ा	50
10.	शिव सागर	50
11.	बडासारी	132
12.	सेमारी	924
13.	हुरचन्द	1776
14.	जदवास	552
15.	पिलाधर	133
16.	ढाया	600 शेष सिंचाई जयसमन्द के कमाण्ड में होती है।
		17951

पौध संरक्षण इकाई

610. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा कृषि में होने वाली महामारी तथा कीट आदि के फैलने की रोकथाम व उपचार हेतु तत्पर पौध संरक्षण इकाई को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस इकाई को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

(2) भविष्य में इस इकाई द्वारा सम्पन्न किये जा रहे कार्यक्रमों का संचालन कौन करेगा?

(3) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इस इकाई पर एवं इसके द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर कितना-कितना व्यय हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) पौध संरक्षण योजना के अन्तर्गत कार्यरत इकाइयों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों में वेतन, भत्तों में जो खर्चा हुआ है उसका विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट "क" में रख दिया गया है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे कीट रोग महामारी एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत पौध संरक्षण उपचार अपनाने पर कृषकों को कीटनाशक दवाइयां एवं परिचालन व्यय पर अनुदान का व्यय जो हुआ वह सदन के पटल पर परिशिष्ट "ख" में रख दिया गया है।

विवरण

परिशिष्ट 'क'

(क) वर्ष 1979-80 68,08,500) रु०
(ख) वर्ष 1980-81 72,72,900) रु०
(ग) वर्ष 1981-82 86,02,700) रु०

परिशिष्ट 'ख'

(क) वर्ष 1979-80 8,43,085) रु०
(ख) वर्ष 1980-81 53,49,669) रु०
(ग) वर्ष 1981-82 33,54,864) रु०

पशु चिकित्सालय, कोटा की एक्सरे मशीन

611. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पशु चिकित्सालय कोटा में आधुनिक यंत्र पशुओं के रोगों के निदान हेतु लगे हुए हैं ? यदि हां, तो उन यंत्रों में से कितने कार्यरत हैं व कितने कब से खराब हैं ?

(2) क्या यह सही है कि क्षय किरण यंत्र (एक्सरे मशीन) करीबन 2 वर्ष से खराब है ? यदि हां, तो वह ठीक क्यों नहीं हो पा रही है ? उसे शीघ्र ठीक करवाकर उपयोगी बनाने हेतु क्या गत बजट सत्र में आश्वासन दिया गया था।

(3) इस आश्वासन के बावजूद भी ठीक न करवाने के क्या कारण हैं ? अब भविष्य में वह मशीन कब तक ठीक करवा दी जायेगी।

उत्तर

(1) जी, हां। एक्सरे मशीन को छोड़कर समस्त उपलब्ध यंत्र कार्यरत है।

(2) क्षय किरण यंत्र (एक्सरे मशीन) खराब नहीं है बल्कि वह अभी स्थापित नहीं हो सकी है। गत बजट सत्र में विशिष्ठ अधिकारी से जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे, यह आश्वासन दिया गया था।

(3) उपर्युक्त भवन एवं विद्युत व्यवस्था के अभाव में अब तक यह मशीन स्थापित नहीं की जा सकी थी। तथा भवन तथा विद्युत दोनों आवश्यकतायें पूर्ण हो चुकी हैं। अब कम्पनी के सर्विस इन्जिनियर द्वारा इसे स्थापित किये जाने सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।

पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा ग्राम सेवकों का चयन

612. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति डीडवाना में माह दिसम्बर 1982 में ग्यारह ग्राम सेवकों को अस्थायी तौर पर नियुक्ति के लिए चयनित किया गया ?

(2) क्या उक्त चयन तथा नियुक्ति नियमानुसार थी ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पंचायत समिति ने नियम 23 में अस्थाई नियुक्ति दी थी क्योंकि चयनित प्रत्याशी उपलब्ध नहीं थे। जो नियुक्तियां की गईं वे नियमानुसार थीं। परन्तु राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषि विभाग में कार्य कर रहे 950 ग्राम सेवकों के रिवर्स डेपुटेशन से वापिस आने पर अन्य जिलों में ग्राम सेवक

उत्तर

एवं पदेन सचिव अधिशेष घोषित हो गये। इनके समायोजन के लिए उक्त अस्थाई नियुक्त ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों की सेवा समाप्ति के आदेश किये परन्तु पंचायत समिति ने अभी तक सेवायें समाप्त नहीं की है। इस संबंध में जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

आयुर्वेदिक अधिकारी, सवाई माधोपुर

613. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी के लिये खादी वर्ष 1980-81 में किस खादी भण्डार से खरीदी जा रही थी?

(2) क्या वर्ष 1982-83 में वर्दी के लिए खादी सवाई माधोपुर के खादी भण्डार से न खरीद कर कोटा व टौंक के खादी भण्डारों से खरीदी गई? यदि हां, तो क्यों? क्या इसका समाचार पत्रों में कोई टेण्डर भी निकाला गया है है?

उत्तर

(1) जिला आयुर्वेदिक अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी के लिए सन् 1980-81 में "हिण्डौन क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति सवाई माधोपुर "एवं" टौंक जिला खादी ग्रामोद्योग समिति सवाई माधोपुर से क्रय की गयी थी।

(2) वर्ष 1982-83 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं महिला नर्सों की वर्दी तहसील बौली खादी ग्रामोदय सहकारी समिति लिमिटेड सवाई माधोपुर से खरीदी गयी एवं पुरुष कम्पाउण्डरों की वर्दी राजस्थान खादी संघ, खादी ग्रामोद्योग भण्डार कोटा से क्रय की गयी।

वर्ष 1981-82 में वर्दी के कपड़े के संबंध में विवाद पैदा हो गया था।

खादी क्रय के लिये नियमों में समाचार पत्रों के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है।

एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के टिकिटों की बिक्री

614. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई): क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मुख्य मंत्री ने एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को बिना टिकिटों के दिखाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उस घोषणा का क्या हुआ?

(2) क्या उद्घाटन समारोह में दोहरे टिकिटों की बिक्री की गई? इस समारोह में किस-किस दर के कुल कितने रुपयों के कितने टिकिट बिके?

(3) इस उद्घाटन हेतु कुल किस-किस श्रेणी के कितने पास किस-किस को कब-कब जारी किए गये व उनके वितरण का क्या मापदण्ड रखा गया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। टिकटों की बिक्री का विवरण संलग्न है।

(3) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(230)

राज्य सरकार द्वारा बिक्री किये गये टिकटों का विवरण

	दर	टिकिट	राशि
(1) सामान्य दर के टिकिट	दर 5/-	12,200	61,000-00
(2) छात्र व बच्चे एवं पुलिस व सैनिक	दर 3/-	5,751	17,253-00

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बिक्री किये गये टिकटों का विवरण

(1) सामान्य दर के टिकिट	वर्ष 5-	5594 टिकिट	27,970-00
(2) छात्र व बच्चे एवं पुलिस व सैनिक	3-	1618	4,854-00

ऐशियायी खेलों के नौकायन प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह पर वितरण किये गये पासों का विवरण

दिनांक 18 नवम्बर से 20 नवम्बर, 1982 की अवधि में निम्नलिखित श्रेणियों के लगभग 1700 पास जारी किये गये। इन श्रेणियों से वितरण का मापदण्ड भी स्पष्ट हो जाता है :-

(1) राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, मंत्रीगण, विपक्ष दल के नेता, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, मुख्य न्यायाधीश आदि।	लगभग 60
(2) न्यायाधीश, लेफ्टीनेंट जनरल व मेजर जनरल एवं मैम्बर्स ऑफ दी कोआर्डिनेशन व रिव्यू कमेटी आदि	लगभग 70
(3) एम०पी०, एम०एल०ए०, प्रेस आदि	लगभग 330
(4) सैनिक	लगभग 150
(5) टैक्निकल डेलिगेट्स व पार्टीसिपेन्टस व उनके परिवार के सदस्य आदि।	लगभग 2[illegible]0
(6) अधिकारीगण	लगभग 600
(7) सामान्य	लगभग 240
कुल	1700

सिरिस्का में नेशनल पार्क की योजना

615. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गेमसेंच्युरी एरिया सिरिस्का में नेशनल पार्क की योजना विचाराधीन है ?

(2) सिरिस्का में नेशनल पार्क की योजना के क्या आधार हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां, परन्तु केवल इस अभ्यारण्य के भीतरी (कोर) क्षेत्र के लिये।

(2) इस अभ्यारण्य में बहुतायत से पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, प्रचारण एवं उनके विकास व पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके पारिस्थितिक प्राणी जातीय वनस्पति भू-संरचना तथा प्राणी विज्ञान सम्बन्धी सहायोजना और महत्व को ध्यान रखते हुए यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

झालावाड़ जिले के चिकित्सा उप केन्द्र

616. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (डग) : **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झालावाड़ जिले के किन-किन ग्रामों में सब सेन्टर हैं ? उनमें कौन-कौन नर्सेजर कार्यरत हैं ? कृपया नामजद मय स्थान के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी सेन्टर्स पर पूर्ण रूपेण प्राथमिक चिकित्सा हेतु दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो ग्रामीण जनता को सरकार किस प्रकार सुविधा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। कार्यरत सभी सेन्टरों पर प्राथमिक चिकित्सा हेतु दवाइयां उपलब्ध हैं।

सूची

क्र०सं० उपकेन्द्र का नाम 1	कार्यरत प्रसाविका का नाम 2
1. वड़ोदिया	1. कु० वासुमति के. एन.
2. होन्डा	2. श्रीमती संतोष
3. आंवली कलां	3. श्रीमती सुमनगला पी.
4. झालावाड़ रोड	4. कु० पदमनी
5. गागरोन	5. श्रीमती पदमा शर्मा
6. बावड़ी खेड़ा	6. श्रीमती सीता चौहान
7. दुर्गपुरा	7. श्रीमती पोडी अम्मा
8. भीलवाड़ी	8. कु० सीरीन बाई
9. कनवाड़ा	9. श्रीमती लीलम्मा सेमूयमल

1	2
10. मोगरा	10. श्रीमती राधा. बी.
11. गुराडियामान	11. श्रीमती अनम्मा मैथ्यू
12. कडोदिया	12. श्रीमती अमिनी पी.सी
13. सालरी	13. श्रीमती प्रसन्ना कुमारी
14. हरनावदा गजा	14. श्रीमती अली कुट्टी
15. उन्हेल	15. कु० मेरी कुट्टी एम० टी०
16. ओसाव	16. कु० सारम्मा एम० टी०
17. खारपा कंला	17. श्रीमती तनकामणी पी०
18. घोरोनिया	18. श्रीमती चन्द्रकान्ता
19. सलोतिया	19. कु० रतनम्मा ए०एन०
20. दीवलखेडा	20. श्रीमती वलसमा जेकब
21. बेडागढ़	21. रिक्त
22. उमरिया	22. रिक्त
23. बडाय	23. श्रीमती सनथम्मा जी
24. घाटोली	24. श्रीमती आनन्दवली
25. गुरारखेडा	25. श्रीमती गिरीराज देवी
26. उचावदा	26. कु० ओमना एस०
27. गरवाड़ा	27. श्रीमती भंवरी बाई दाई
28. हरीपुरा	28. श्रीमती प्रसन्ना कुमारी
29. देवली	29. श्रीमती सुमतिअम्मा जी०
30. लुह्राड़िया	30. कु. सलीना पी० एम०
31. कुन्डला	31. श्रीमती विजय अम्मा पी०
32. गुराडियां कलां	32. कु० वलसम्मा
33. जामुनिया	33. श्रीमती राजम्मा पी०
34. क्यासरा	34. श्रीमती कुजुमोल सी०वी०
35. दुधालिया	35. श्रीमती मेरीजोन पी०
36. बेउडला	36. रिक्त
37. करावन	37. सुशीला एस०
38. उन्हेल	38. एलीअम्मा ओए
39. जावर (आवंलहेडा)	39. रिक्त
40. रुबासिया	40. रिक्त
41. लसुडिया साहू	41. ओमना
42. खाताखेडी	42. रिक्त
43. मेठन	43. श्रीमती भूलीबाई

क्र० सं० उपकेन्द्र का नाम	कार्यरत प्रसाविका का नाम
44. चन्दीपुर	44. मेरी कुट्टो एमपी०
45. बनेठा	45. श्रीमती कल्याणी पी० के०
46. ल्हास	46. श्रीमती सारम्मा जी. ई.
47. बांसखेडी	47. कु० सलोमना जी०डी०
48. आमेठा	48. कु० मेरी अम्मा के०सी०
49. अकावद खुर्द	49. रिक्त
50. सोजपुर	50. श्रीमती चाची अम्मा
51. तारज	51. श्रीमती ज्ञानवती
52. खान्डी	52. कु० श्यामला के० पी०
53. भगवान पुरा	53. श्रीमती सारा ई०वी०
54. धानोदा कलां	54. श्रीमती सुन्दर बाई दाई
55. मरायता	55. कु. चन्द्रीका ए०
56. गाडरवाडा नुरजी	56. श्रीमती श्यामा देवी

स्टेट लॉटरीज के टिकिट्स का मुद्रण

617. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खाचरौ): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, स्टेट लाटरीज राजस्थान के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को लगाया जाता है ? यदि हां, तो अब तक इस पद पर कौन कौन रहे हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में राजस्थान स्टेट लॉटरीज के निदेशक के पद पर कौन कार्यरत है एवं कब से व क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान स्टेट लॉटरीज के टिकिट पहले शिवाकाशी में छपते थे ? यदि हां, तो किस दर से ?

(4) वर्तमान में राजस्थान स्टेट लॉटरीज के टिकिट कहां व कब से छपाये जा रहे हैं व किस दर से ?

(5) सिवाकाशी से अन्य जगह टिकिट छपवाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर.

(1) जी हां। अब तक इस पद पर कार्यरत रहे अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) वर्तमान में निदेशक राज्य लॉटरीज का पद रिक्त है एवं इस पद का कार्य श्री एस. एल. अजमेरा निदेशक राज्य बीमा अपने कार्य के अतिरिक्त देख रहे हैं।

(3) जी हां। वर्ष 1981-82 के लिए, शिवकासी के प्रेस की टिकिटों की छपाई दर निम्न थी। 1. लाटरी टिकिट माप 6×17 से. मी. काउन्टर फाइल सहित 38-प्रति हजार

2. लाटरी टिकिट माप 7 × 18 से. मी. काउन्टर फाइल सहित 42—प्रति हजार।

(4) वर्तमान मे माह नवम्बर 1982 से साप्ताहिक लॉटरी टिकिट जिनका माप 6x17 से.मी. है, सेन्ट्रल प्रेस लखनऊ से रुपये 31.84 प्रति हजार की दर से छपवाए जा रहे हैं।

(5) वर्ष 1982-83 के लिए मांगी गई निविदाओं में शिवाकासी प्रेस की निविदा दरें उच्च थीं तथा सेन्ट्रल प्रेस लखनऊ की दरें निम्न थीं।

निदेशक अल्प बचत एवं लॉटरीज विभाग के निदेशक के पद पर कार्य किये गये अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी		अवधि
1	सर्वश्री यशोदेव शर्मा	आई.ए.एस.	14.12.67 से 23.9.68
2.	,, गणेश दत्त छंगाणी	,,	24.9.68 से 30.4.69
3.	,, अजीतसिंह मेहता	,,	1.5.69 से 14.7.70
4.	,, बृजेन्द्रसिंह	,,	15.7.70 से 21.2.76
5.	,, हनुमान प्रसाद	,,	22.2.76 से 21.6.76
6.	,, यशोदेव शर्मा	,,	22.6.76 से 2.8.76
7.	,, गुमान सिंह	,,	3.8.76 से 25.4.77
8.	,, आई.सी. श्रीवास्तव	,,	3.5.77 से 31.7.77
9.	,, आर के. अग्रवाल	,,	8.8.77 से 8.12.77
10.	,, अर्जुनराज भंडारी	,,	9.12.77 से 12.6.79
11.	,, सुधीर वर्मा	,,	13.6.79 से 23.11.80
12.	,, अनिल वैश्य	,,	24.11.80 से 14.12.80
13.	,, रतन लाल	रा. लेखा सेवा	18.12.80 से 17.1.81 एडीशनल चार्ज
14.	,, हरीराम मीणा	आई.ए.एस.	18.1.81 से 13.10.81
15.	,, पी.सी.जैन	,,	14.10.81 से 13.11.81
16.	,, डी.सी.जैन	राज. वाणिज्य कर सेवा	14.11.81 से 30.11.81 एडीशनल चार्ज
17.	,, पी.सी.जैन	आई.ए.एस.	1.12.81 से
18.	,, आनन्द सिंह	,,	1.12.81 से 28.1.82
19.	,, पी.सी.जैन	,,	29.1.82 से 14.2.82 एडीशनल चार्ज
20.	,, आनन्दसिंह	,,	15.2.82 से 19.8.82
21.	,, एस.एल. अजमेरा (एडीशनल चार्ज)	राज. लेखा सेवा	20.8.82 से निरन्तर

ग्राम नीमोदा (अटरू) में डकैती

618. **श्री छोतरमल आर्य** (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अटरू तहसील के ग्राम नीमोदा में दिनांक 16 जनवरी, 1983 को डकैती पड़ी ?

(2) यदि हां, तो क्या पुलिस ने उन डकैतों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

पंचायत समिति क्षेत्र, बस्सी के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

619. **श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम भटेरी, कानेटी व प्रेमपुरा ग्राम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होते हुए भी इन ग्रामों को समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं जोड़ा गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन समस्याग्रस्त ग्रामों की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा व जिला प्रशासन द्वारा निरन्तर प्रयास करने के उपरान्त भी विभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ? और नहीं तो, क्या प्रयास किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन ग्रामों के पेयजल के कुओं से पानी का नमूना लेकर परीक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार बाढ़ एवं अकाल से प्रभावित पेयजल समस्याग्रस्त इन ग्रामों के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कोई प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कैसे और कब तक ?

उत्तर

(1) विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम भटेरी, व कानेटी समस्या रहित हैं । लेकिन ग्राम प्रेमपुरा समस्याग्रस्त है ।

(2) दिनांक 5.3.83 को पानी की पुनः जांच करवाई गई व जांच के आधार पर ग्राम भटेरी व कानेटी को समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित किया जाना विचाराधीन है, ग्राम प्रेमपुरा के लिये क्षेत्रीय पेयजल योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(3) जी हां । रासायनिक परीक्षण के अनुसार पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक पाई गई ।

(4) जी हां । धन उपलब्धि के अनुसार योजनायें क्रियान्वित की जा सकेगी ।

कृषि उपज मण्डी, बीकानेर

620. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में वर्ष 1977 से जनवरी, 1982 तक कृषि उपज मण्डी द्वारा कहां 2 अब तक कौन-कौन से विकास कार्य किये गये हैं ? कृपया वर्ष वार कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) कृषि उपज मण्डी बीकानेर का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होना सम्भावित है तथा मण्डी का कार्य कब तक शुरू होकर पूर्ण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्षवार निर्माण कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) मण्डी (समिति)अनाज बीकानेर का निर्माण जून, 1983 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। ऊन मण्डी का निर्माण नवम्बर, 1982 से प्रारम्भ किया जा चुका है, तथा 1984-85 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर के अधीन विकास कार्यों का विवरण

क.सं.	निर्माण कार्य का नाम	वर्ष 76–77 में कार्यों पर व्यय (लाखों में)	वर्ष 77–78 में कार्यों पर व्यय (लाखों में)	वर्ष 78–79 में कार्यों पर व्यय (लाखों में)	वर्ष 79–80 में कार्यों पर व्यय (लाखों में)	वर्ष 80–81 में कार्यों पर व्यय (लाखों में)	योग खर्च (लाखों में)	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सड़क निर्माण रतनबिहारी पार्क से फड़ बाजार कारपेटिंग व नालियां	0.01	0.19	–	–	–	0.20	कार्य पूर्ण
2.	सब्जी मण्डी में पक्का फर्श निर्माण लाल बहादुर शास्त्री सब्जी मण्डी	0.36	–	–	–	–	0.36	,,
3.	नवीन सड़क रतनबिहारी मंदिर से फड़ बाजार	–	0.05	–	–	–	0.05	,,
4.	फड़ बाजार से तेलियों के मोहल्ले तक सड़क कारपेटिंग	–	0.10	–	–	–	0.10	,,
5.	सीकर भवन से हरिजन मोहल्ला तक सड़क निर्माण	–	0.17	–	–	–	0.17	,,
6.	फड़ बाजार से जसेकरन हाउस सड़क कारपेटिंग	–	0.09	–	–	–	0.09	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	सम्पर्क सड़क कोटगेट से गजनेर रोड	–	0.15	–	–	–	0.15	कार्य पूर्ण
8.	केन्टीन भवन निर्माण	–	–	0.28	–	–	0.28	स्थान पर निर्माण कार्य किये गये
9.	दुकान मय गोदाम 25×75	–	–	0.02	–	–	0.02	,,
10.	ग्रेडिंग लेबोरेटरी	–	1	0.02	–	–	0.02	,,
11.	दुकानें मय गोदाम 25×55	–	–	0.06	–	–	0.06	,,
12.	चार दीवारी पुरानी मण्डी	–	–	0.23	–	–	0.23	,,
13.	नापासर से देशनोक सड़क निर्माण	–	–	–	–	26.28	26.28	कार्य पूर्ण
14.	सम्पर्क सड़क बरसिंगसर से लालमदेसर	–	–	–	–	1.75	1.75	,,
15.	स.स. बीकानेर से करमीसर वाया सुजानदेसर रानीसर	–	–	–	–	9.18	9.18	,,
16.	बीकानेर से झुझु सड़क	–	–	–	–	34.85	34.85	,,
	योग	0.37	0.65	0.71	–	72.06	73.79	

कृषि उपज मंडी समिति बीकानेर के अधीन कार्यों का विवरण

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	वर्ष 80–81 में कार्यों पर व्यय (ला. में)	वर्ष 81–82 में कार्यों पर व्यय (ला. में)	वर्ष 82–83 में कार्यों पर व्यय (लाखों में) (जनवरी, 83 तक)	कुल खर्च योग (ला. में)	भौतिक
	मण्डी यार्ड से बाहर के कार्य					
1.	सडक के किनारे फड़बाजार में नाली निर्माण	0.29	—	—	0.29	कार्य पूर्ण
2.	कोटगेट से गजनेर सडक को ऊंचा करना	0.53	—	—	0.53	कार्य पूर्ण
3.	जस्सूसर गेट के बाहर ऊन के गोदामों के सड़क निर्माण	0.32	0.82	0.63	1.87	कार्य पूर्ण
4.	जस्सूसर गेट पर नाली निर्माण	—	0.49	—	0.49	कार्य पूर्ण
5.	फड़ बाजार में आन्तरिक सड़क निर्माण	—	—	0.95	0.95	कार्य प्रगति पर
6.	फड़ बाजार में नीलामी स्थल पर नाली निर्माण	—	0.08	—	0.08	,,
7.	फल सब्जी मण्डी कोटगेट में वर्तमान चबूतरे में टिनशेड लगाना	—	0.32	—	0.32	,,
8.	फल सब्जी मण्डी कोटगेट में दुकानों के आगे टिन शेड लगाना	—	—	0.22	0.22	,,
9.	पुराने बाजार में फल सब्जी मण्डी में सड़क निर्माण	—	0.44	—	0.44	कार्य पूर्ण
10.	910 आर डी से माणकासर वाया पनवारवाला सड़क का निर्माण	—	0.01	1.45	1.46	कार्य प्रगति पर
11.	तेजरासर से बेलासर वाया गुसाईसर सड़क	—	0.01	0.54	0.55	,,
	योग:—	1.14	2.17	3.79	7.10	

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	वर्ष 80-81 कार्यों पर व्यय	वर्ष 81-82 में कार्यों पर व्यय	वर्ष 82-83 में कार्यों पर व्यय (जनवरी, 83 तक)	योग खर्च (लाखों में)	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
	बीकानेर धान मण्डी यार्ड के अन्दर के कार्य					
1.	नीलामी चबूतरों का निर्माण 5 नग	–	2.33	2.46	4.79	कार्य पूर्ण
2.	30 गोदामों का निर्माण	–	5.55	1.65	7.20	,,
3.	20 खुदरा दुकानों का निर्माण	–	0.96	0.90	1.00	कार्य प्रगति
4.	मण्डी समिति कार्यालय भवन का निर्माण	–	0.01	2.31	2.32	दरवाजों के कार्य पूर्ण
5.	बैंक भवन का निर्माण	–	–	0.91	0.91	
6.	कृषक विश्राम गृह का निर्माण	–	0.92	0.74	1.66	,,
7.	कैन्टीन भवन का निर्माण	–	–	0.71	0.71	,,
8.	आंतरिक सड़क निर्माण	–	–	11.37	11.37	कार्य प्रगति
9.	उच्च जलाशय व पाइप लाइन का कार्य	–	–	1.78	1.78	सी.डब्लू.श्रो. टंक पूर्ण पाइप डालने का काम किया है.

239

(240)

1	2	3	4	5	6	7
10.	पशु विश्राम गृह का निर्माण	–	–	2.87	2.87	दरवाजे के
11.	प्याऊ नग 3 का निर्माण	–	0.27	–	0.27	कार्य पूर्ण
12.	सार्वजनिक शोचालय 2 नग का निर्माण	–	0.05	0.04	0.09	"
13.	दुकान मय प्लेटफार्म 60 नग का निर्माण	–	6.33	18.42	24.75	"
14.	मण्डी यार्ड में बिजली व्यवस्था	–	0.17	–	0.17	"
15.	दुकान मय गोदाम 24 नग का निर्माण	–	9.64	10.54	20.18	"
16.	दुकान मय गोदाम मय ऊपर का कमरा 40 नग का निर्माण	–	9.95	23.22	33.27	कार्य प्राय:
17.	मुख्य मण्डी प्रांगण में एफ.सी.आई. के गोदामों तक सड़क निर्माण	–	0.65	1.65	2.30	कार्य पूर्ण
18.	ग्रामीण गोदाम का निर्माण	–	–	0.56	0.56	कार्य प्रगति पर
19.	स्ट्रीट लाइट व सर्विस कनेक्शन	"	–	7.69	7.69	कनेक्शन के अलावा पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
20.	दुकान मय गोदाम 32 नग का निर्माण	—	—	5.56	5.56	छत स्तर पर कार्य चालू
21.	ग्रेडिंग लेबोरेटरी का निर्माण	—	—	—	—	कार्य प्रायः पूर्ण
22.	पोस्ट आफिस का निर्माण	—	—	0.50	0.50	कार्य प्रायः पूर्ण
23.	साइकिल स्टैण्ड का निर्माण	—	—	0.28	0.28	कार्य पूर्ण
24.	5 नग लेबर शेड का निर्माण	—	—	—	—	कार्यादेश दिये जा चुके हैं
25.	4 नग कियोस्क का निर्माण	—	—	—	—	” ”
26.	सार्वजनिक पार्क का निर्माण	—	—	—	5.00	कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है
27.	चार दीवारी का निर्माण	2.00	1.31	1.11	4.42	तीन तरफ पूर्ण एक तरफ का कार्य अपूर्ण
	योग :—	2.07	38.14	95.35	136.36	

क. सं.	निर्माण कार्य का नाम	वर्ष 80–81 में कार्यों पर व्यय	वर्ष 81–82 में कार्यों पर व्यय	वर्ष 82–83 में कार्यों पर व्यय	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ऊन मण्डी, बीकानेर						
1.	दुकान मय गोदाम 50×80 फीट का निर्माण- नग 88	—	—	—	—	कार्य प्रगति पर	उन मण्डी का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। गोदामों की नींव का कार्य प्रगति में है। स्वीकृत कार्य वर्ष 84–85 तक पूर्ण हो जायेंगे।
2.	नीलामी चबूतरा नग 2 का निर्माण	—	—	—	—	,,	
3.	प्याऊ नग 6 का निर्माण	—	—	—	—	,,	
4.	ऊन मण्डी की चार दीवारी का निर्माण	—	0.02	—	0.02	,,	
	योग	—	0.02	—	0.02		

कृषि उपज मण्डी समिति नोखा के विकास कार्यों का विवरण

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	वर्ष 80–81 में कार्य पर व्यय	वर्ष 81–82 में कार्यों पर व्यय	वर्ष 82–83 में कार्यों पर व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	मण्डी यार्ड की चार दीवारी का निर्माण	2.52	—	3.36	5.88
2.	कार्यालय भवन का निर्माण	0.40	0.04	—	0.44
3.	स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	0.31	0.21	—	0.52
4.	मण्डी यार्ड में सड़क निर्माण	0.45	1.13	0.92	2.50
5.	मण्डी यार्ड में सड़क विस्तार कार्य				
6.	दुकान मय प्लेटफार्म 20 नग का निर्माण	—	2.78	0.02	2.80
7.	चार दीवारी के पीछे मिट्टी भराई	—	0.23	0.05	0.28
8.	ग्रामीण गोदाम का निर्माण	—	0.30	1.03	1.33
9.	गोदाम 10 का निर्माण	—	—	—	—
10.	नीलामी चबूतरा निर्माण	—	—	1.79	1.79
	योग	3.68	4.69	7.17	15.54

कृषि उपज मण्डी समिति, लूनकरनसर के विकास कार्यों का विवरण

1.	मुख्य मण्डी में सड़क निर्माण	—	—	0.17	0.17

तहसील चौमूं में वन विकास के कार्य

621. **श्री तेजपाल यादव** (चौमू) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मण्डा, भिण्डा, हस्तेड़ा व सामोद, प्लान्टेशन व वनों की हालत दिन प्रतिदिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से खराब होती जा रही है और प्लान्टेशन तथा पेड़ बराबर काटे जा रहे हैं ? यदि हां, तो इन्हें बचाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार सांगोद महार, बरवाड़ा, तहसील चौमूं व डूंगरी खुर्द की पहाड़ियों पर वन विकास का कार्य करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार हस्तेड़ा, मण्डा, भिण्डा, बावड़ी गोपीनाथ, तहसील चौमू के टीलों को रोकने के लिए प्लान्टेशन का कार्य प्रारम्भ करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(4) तहसील चौमूं पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ जिला जयपुर में चारागाह पर वन विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिए ग्राम पचायतों द्वारा विभाग के पास क्या कोई प्रस्ताव भेजे गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ? और उन पर विभाग ने क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पेड़ों के अवैध कटान को रोकने के लिये एक सहायक वनपाल विशेष रुप से नियुक्ति किया हुआ है ।

(2) जी हां। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत आलोच्य क्षेत्रों में विकास कार्यों के प्रस्ताव जिलाधीश को प्रस्तुत किये गये हैं।

(3) जी हां। इन क्षेत्रों में इस वर्ष 100 है० क्षेत्र में अग्रिम कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है व इसमें आगामी वर्षा ऋतु में प्लान्टेशन कार्य कराया जावेगा।

(4) जी नहीं।

रावी ब्यास के पानी में राज्य का हिस्सा

622. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई)

श्री भंवरसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार रावी-ब्यास के अपने जिस हिस्से के पानी का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसके कुछ हिस्से को आगरा कैनाल गुड़गावां कैनाल या ओखला हैड वर्क्स से उठाकर, अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर जिलों को दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इसका कोई प्लान तैयार किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। रावी-ब्यास का पानी अलवर भरतपुर जिलों में दिलाना संभव नहीं है।

पंचायतों में न्याय उप समिति का गठन

623. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ग्राम पचायतों में न्याय उप समिति का गठन करने का नियमों में प्रावधान था ? क्या आज भी यह मौजूद है यदि हां, तो पंचायतों में न्याय उप समितियों का गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों में न्याय उप समितियों के गठन करने का नियमों में प्रावधान मौजूद है, लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु यह मामला सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही कानूनी स्थिति का अध्ययन कर नियमों में संशोधन कर दिया जावेगा।

बाड़मेर में वाणिज्य कर अधिकारी का कार्यालय स्थापित करना

624. **श्री भगवान दास डोसी** (चौहटन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर तहसील का कुछ भाग वाणिज्य कर अधिकारी, सर्किल "बी" के अन्तर्गत आता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सर्किल की आय का करीब अस्सी प्रतिशत भाग बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले से प्राप्त होता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में वित्त समिति द्वारा बाड़मेर में वाणिज्य कर अधिकारी का कार्यालय खोलने की सिफारिश की थी ?

(4) यदि हां, तो उक्त सर्किल का कार्यालय जोधपुर में रखने का क्या औचित्य है?

(5) क्या राज्य सरकार बाड़मेर में उक्त कार्यालय को स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां,
(2) जी नहीं,
(3) जी नहीं,
(4) बाड़मेर एवं जैसलमेर 2 अलग अलग जिलों के मुख्यालय हैं तथा एक दूसरे से दूरी पर स्थित हैं। दोनों ही जिलों का काम आपस में एक दूसरे से नहीं पड़ता है। जोधपुर नंबर से दोनों का काम पड़ता है । इसलिये दोनों जिलों से सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी का मुख्यालय जोधपुर में रखा गया है जहां उसके पास इन दोनों जिलों के अतिरिक्त जोधपुर नगर को छोड़कर जिले का शेष भाग भी है ।

(5) ऐसा कोई विचार नहीं है।

राजस्थान नर्सिंग कॉलेज, जयपुर में रिक्त पद

625. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान नर्सिंग कालेज, जयपुर में कितने-कितने किस-किस प्रकार के पद स्वीकृत हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? क्या प्रिंसीपल का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या वर्तमान प्रिंसीपल वांछित एवं निर्धारित योग्यता रखते हैं ? यदि नहीं, तो वांछित एवं निर्धारित योग्यता रखने वाले प्रिंसीपल की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है ?

(3) सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अभी इस पद पर श्री गोविन्द कान्त शर्मा वरिष्ठ व्याख्याता को अपने पद के अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है।

(3) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास जारी हैं।

सूची

पद	स्वीकृत	रिक्त	विशेष विवरण
प्रधानाचार्य	1	1	एक वरिष्ठ व्याख्याता को उनके कार्य के साथ साथ इस पद पर कार्य करने हेतु दिनांक 29-6-79 को आदेश दिये गये थे।
वरिष्ठ व्याख्याता	4	-	
व्याख्याता	4	2	इन पदों के विरुद्ध दो नर्सिंग ट्यूटर कार्यरत हैं। पद 1-1-78 और 1-1-79 से रिक्त हैं।
कार्यालय सहायक	1	-	
कनिष्ठ लेखाकार	1	-	
कनिष्ठ लिपिक	1	-	
लेब असिस्टेन्ट	1	-	
च० श्रे० कर्मचारी	7	1	एक पद 17-12-82 से रिक्त है।
क्लीनर	1	-	
पुस्तकालयाध्यक्ष	1	-	

नगरपालिकाओं को हरिजन बस्तियों में विकास हेतु दी गई राशि

626. **श्री मांगीलाल आर्य** (जालोर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1980 व 1981 में विभिन्न नगरपालिकाओं में हरिजन बस्तियों में सड़क व नालियों व अन्य विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो किन-किन नगरपालिकाओं में कितनी-कितनी धन राशि स्वीकृत की थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई नगरपालिकाओं ने धनराशि का उपयोग हरिजन बस्तियों में नहीं कर अन्य जगह किया है व कई नगरपालिकाओं ने उपयोग किया ही नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि मण्डावा (झूंझुनूं) नगरपालिका के सदस्य श्री किशन लाल लाहोरा ने इस सम्बन्ध में एक शिकायत निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान को दिनांक 28-12-1982 को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(1) जी हां। वर्ष 1980-81 में हरिजन बस्तियों में नाली, सड़क आदि के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है।

(3) जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार नगरपालिका मण्डावा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग हरिजन मोहल्लों में सड़क निर्माण हेतु ही किया गया है।

निम्न नगरपालिकाओं को वर्ष 80–81 में हरिजन बस्तियों में नाली निर्माण हेतु अनुदान दिया गया की सूची

क्र.	नाम नगरपालिका	राशि जो दी गई
1	2	3
1.	सांगानेर	50,000/–
2.	भुसावर	2,50,000/–
3.	फुलेरा	50 000/–
4.	भरतपुर	50,000/–
5.	सांगरिया	50,000/–
6.	आमेर	50,000/–
7.	फतेहनगर	1,00,000/–
8.	बैर	2,50,000/–
9.	केकड़ी	20,000/–
10.	भीनासर	50 000/–
11.	देशनोक	20,000/–
12.	नोखा	20.000/–
13.	शाहपुरा	20,000/–
14.	आसिन्द	40,000/–
15.	बयाना	1,00,000/–
16.	नगर	20,000/–
17.	नैनवा	10,000/–
18.	बड़ी सादड़ी	10,000/–
19.	छोटी सादड़ी	10 000/–
20.	कपासन	20,000/–
21.	रतनगढ़	50,000/–
22.	राजगढ़	20,000/–
23.	छापर	20,000/–
24.	रतननगर	25,000/–
25.	तारानगर	25 000/–
26.	सादुलशहर	25,000/–
27.	केशरीसिंहपुर	10,000/–
28.	पीलीबंगा	25,000/–
29.	सांभर	40,000/–
30.	चाकसू	20 000/–
31.	कोटपूतली	50,000/–
32.	लालसोट	25,000/–
33.	बस्सी	10,000/–
34.	शाहपुरा (जयपुर)	20,000/–
35.	मनोहरपुर	20,000/–
36.	पोकरण	25,000/–
37.	भवानी मण्डी	20,000/–
38.	सुनेल	10,000/–
39.	मण्डावा	30 000/–
40.	पिलानी	25000/–
41.	मंड्रेला	25,000/–
42.	फलोदी	30,000/–
43.	पीपाड	25,000/–
44.	अन्ता	20,000/–
45.	इन्द्रगढ़	20,000/–
46.	सांगोद	20,000/–
47.	डीडवाना	20,000/–
48.	कुचामनसिटी	30,000/–
49.	नावां	20,000/–
50.	मूंडवा	20,000/–
51.	रायपुर	20,000/–
52.	सिमाज	20,000/–
53.	जैतारण	20,000/–
54.	टोडाभीम	25,000/–
55.	लक्ष्मणगढ़	50,000/–
56.	रामगढ़	50,000/–
57.	पिण्डवाड़ा	20,000/–
58.	मालपुरा	20,000/–
59.	टोडारायसिंह	20,000/–
60.	निवाई	10,000/–
61.	राजसमन्द	20,000/–
62.	सलूम्बर	20,000/–
63.	सागवाड़ा	30,000/–
64.	धौलपुर	1,00,000/–
65.	कुम्हेर	40,000/–
66.	मकराना	40 000/–
67.	भादरा	30,000/–

२४८

चुंगी नाका, माल गोदाम, अजमेर में चुंगी चोरी

627. **श्रीमती सूरज देवी महरोत्रा (पुष्कर)**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मई, 1978 में चुंगी नाका माल गोदाम, नगर-परिषद्, अजमेर के ऑडिट के समय एक व्यापारी मैसर्स. ओमप्रकाश रूपचंद, मदार गेट द्वारा ऑडिट को प्रस्तुत चुंगी की असल रसीद की जांच के अनुसार पाया गया कि एक नाकेदार ने उक्त व्यापारी को 225/– रुपये की रसीद दी व अपनी काउन्टर फाइल में उसने सिर्फ 0.13 पैसे जमा किये ?

(2) क्या यह भी सही है कि लोकल फण्ड ऑडिट विभाग राजस्थान, जयपुर के एक्जामिनर (विभागाध्यक्ष) श्री गोपाललाल शर्मा ने उक्त ऑडिट पार्टी को व्यापारियों से असल रसीद लेने से रोक दिया और यह आदेश दिया कि "यह अंकेक्षण दल का कार्य नहीं है कि वह व्यापारियों से उनकी चुंगी की रसीदें प्राप्त करे तथा उनका कार्यालय प्रतियों से मिलान करें व फिर गबन की राशि निकालें ?"

(3) क्या इस आदेश से चुंगी चोरी के जिम्मेदार नाकेदारों व नगर परिषद् के चुंगी अधिकारियों को अनियमित संरक्षण नहीं मिला ?

(4) क्या इस मामले की जांच की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अंकेक्षण दल के कार्य क्षेत्र में यह कार्य नहीं होने के कारण ये आदेश दिये गये थे।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। यह कार्य ऑडिट का नहीं है।

नागौर जिले में भू-जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण

628. **श्री महाराम चोधरी (नागौर)**: क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने के लिये नागौर जिले में भू-जल विभाग ने कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो कब और किन-किन तहसीलों का कराया गया है ?

(2) पंचायत समिति, नागौर एवं पंचायत समिति, मूण्डवा के गांवों का सर्वे किस-किस सन् में कराया गया व जलस्तर कितना गहरा पाया ? कृपया इसका ग्रामवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार ने नागौर जिले का भूमिगत जल का सर्वेक्षण कराने के लिए सर्वे डिवीजन स्थानान्तरण किया है ? यदि हां, तो क्या इसने अपना कार्य शुरू कर दिया है और नहीं किया तो क्यों ?

(4) क्या भूमिगत जल का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अवलोकन (एक्सप्लोरेटरी) नल कूप व पिजोमीटर भी बनायें जाते हैं ? यदि हां, तो पंचायत समिति, मूण्डवा एवं पंचायत समिति, नागौर के क्षेत्र में कितने नलकूपों के निर्माणार्थ स्थानों का चयन किया है ? कृपया स्थानों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में पंचायत समितियों की वर्षवार भू-जल सर्वेक्षण की सूची परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति, नागौर एवं पंचायत समिति, मूण्डवा के गांवों के सर्वेक्षण वर्ष 1973–74 एवं दुबारा वर्ष 1978 में करवाया गया है। उक्त अवधि में पाये गये जलस्तर की गहराई का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। अगले वित्तीय वर्ष में सर्वे डिवीजन स्थानान्तरण करने का राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। सर्वे डिवीजन के स्थानान्तरण किए बिना संभव नहीं।

परिशिष्ट "एक"

नागोर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में किये गये वृहद् विस्तृत भू जल सर्वेक्षण की वर्षवार सूची:—

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	वर्ष
1	डीडवाना	1970
2.	मेड़ता	1972
3.	डेगाना	1973
4.	परवतसर	1973
5.	कुचामन	1974
6.	मूण्डवा	1974
7.	नागौर	1974
8.	जायल	1977
9.	लाडनूं	1977
10.	मकराना	1977
11.	रियां	1977

APPENDIX-II

RECORD OF WATER LEVELS IN REPRESENTATIVE WELLS OF NAGAUR PANCHAYAT, SAMITI DURING THE YEAR 1973-74

Name of village.	Pre-monsoon observation		Post-monsoon observation	
	Depth of water level in mts.	Date of Measurement	Depth of water level in Mts.	Date of Measurement.
1	2	3	4	5
Karnu	73.00	29.6.73	73.00	16.12.73
Tentwas	83.00	29.6.73	82.60	-do-
Bhojas	75.40	-do-	75.00	-do-
Kaldi	98.00	-do-	72.50	-do-
Deu	48.20	-do-	48.00	-do-
Nenau	85.00	-do-	85.00	-do-
Guda Bhagwandas	65.80	26.6.73	65.00	-do-
Bhamdal	66.00	-do-	65.95	-do-
Chaundia	78.40	-do-	78.10	15.12.73
Godan	71.40	-do-	70.95	-do-
Bher	54.00	-do-	54.00	-do-
Tankla	51.60	-do-	50.85	-do-
Pipasar	50.50	25.6.73	50.20	11.12.73
Ajasar	32.70	-do-	32.20	-do-
Kharia	29.00	1.7.73	28.00	16.12.73
Sri Balaji	24.80	1.7.73	24.00	-do-
Derwa	75.00	29.6.73	66.00	-do-
Alai	55.60	1.7.73	53.80	-do-
Thalanju	73.10	-do-	71.00	-do-
Chilo	30.05	25.6.73	29.60	11.12.73
Sewri	45.40	25.6.73	45.00	11.12.73
Satheran	22.80	1.7.73	20.60	16.12.73

1	2	3	4	5
Satheran	51.80	1.7.73	51.00	16.12.73
Barani	59.90	24.6.73	56.60	-do-
Birmsar	34.50	25.6.73	33.90	11.12.73
Ghoram	27.20	-do-	16.50	12.12.73
Laria	34.70	-do-	34.50	11.12.73
Rohini	25.85	-do-	25.60	-do-
Garera	29.70	23.6.73	29.45	-do-
Untawalia	14.80	25.6.73	14.50	12.12.74
Dhakoria	28.15	24.6.73	27.60	9.12.73
Chooltisar	48.10	25.6.73	38.50	-do-
Khuri Karmsota	58.00	29.6.73	56.50	16.12.73
Sankhwas	39.80	26.6.73	39.80	-do-
Majra Patalia	75.90	30.6.73	75.20	17.12.73
Nandwani	74.50	-do-	74.00	15.12.73
Radhnu	49.40	-do-	47.00	-do-
Banswani	40.30	26.6.73	39.00	-do-
Dhingsars	65.30	30.6.73	65.00	-do-
Lunada	46.40	30.6.73	46.00	-do-
Bhawad	57.00	-do-	56.50	-do-
Sengar	51.00	-do-	39.50	-do-
Jasdad	39.40	-do-	37.55	-do-
Kumari	46.25	-do-	36.60	-do-
Barnagaon	37.95	26.6.73	35.65	-do-
Basni	37.40	30.6.73	22.80	-do-
Sinod	44.80	26.6.73	40.70	-do-
Balwa	52.40	25.6.73	51.50	9.12.73
Gogelani	70.10	24.6.73	54.10	-do-
Indas	51.50	30.6.73	50.00	-do-
Dukosi	29.40	-do-	16.90	15.12.73
Gurhala	23.00	24.6.73	22.40	-do-
Sarnabas	36.60	25.6.73	31.10	9.12.75
Sareyu	34.40	-do-	31.10	-do-
Nagaur (On Hundwa Rd)	28.85	1.7.73	28.00	9.12.73

(282)

1	2	3	4	5
Tausar	25.00	22.6.73	24.70	14.12.73
Tausar (Baisar bas)	21.90	-do-	21.20	-do-
Ramsiya	15.00	-do-	14.40	-do-
Shyamsar	30.10	25.6.73	29.45	11.12.73
Zorda	27.80	23.6.73	27.35	-do-
Chau	28.30	-do-	27.50	-do-
Khetas	41.42	-do-	32.40	-do-
Jonhiasi	19.90	25.6.73	19.30	-do-
Dhundia	51.50	24.6.73	45.10	9.12.73
Malgaon	22.80	-do-	21.70	13.12.73
Bhadana	27.68	23.6.73	13.30	-do-
Manjwas	39.20	-do-	38.60	-do-
Jharisara	31.60	-do-	30.90	-do-
Jathera	32.80	-do-	32.50	13.12.73
Jindas	54.00	-do-	52.20	-do-
Amarpura	25.90	-do-	23.90	14.12.73
Chenar	22.20	1.7.73	21.80	-do-
Salwa	26.60	22.6.73	25.30	-do-
Phagli	20.20	-do-	19.20	-do-
Basra	32.40	22.6.73	25.60	-do-
Athiasan	27.50	22.6.73	27.00	14.12.73
Harima	50.10	23.6.73	49.80	-do-
Khetolap	25.00	-do-	24.43	-do-
Sadokan	38.40	22.6.73	37.58	-do-
Sarana	25.05	23.6.73	24.80	-do-
Suraniabas	26.40	25.6.73	26.00	-do-
Gangwana	43.70	22.6.73	43.25	-do-

RECORD OF WATER LEVELS IN REPRESENTATIVE WELLS OF MUNDWA BLOCK DURING YEAR 1973

Name of village	Pre-monsoon observation		Post-monsoon observation	
	Depth of water level in mts.	Date of measurement.	Depth of water level in mts.	Date of measurement.
1	2	3	4	5
Bhankrod	48.40	26.5.73	47.36	Dec., 73
Pherod	18.00	21.5.73	17.50	12.12.73
Kadlu	12.10	21.5.73	12.00	12.12.73
Kadludhani	15.80	21.5.73	15.60	12.12.73
Bithwal	32.30	21.5.73	31.95	12.12.73
Kharda	20.20	21.5.73	20.15	12.12.73
Pitholaw	15.10	21.5.73	15.00	12.12.73
Astai	19.35	21.5.73	18.95	12.12.73
Innana	29.50	21.5.73	29.40	12.12.73
Kher	28.10	21.5.73	27.90	11.12.73
Soliana	25.00	17.5.73	24.75	11.12.73
Thirod	28.40	17.5.73	27.90	11.12.73
Palri Pichkian	27.60	17.5.73	27.40	6.12.73
Jyhanda	12.90	17.5.73	12.60	6.12.73
Mundwa	44.60	22.5.73	44.30	9.12.73
Bhadana	47.00	18.5.73	46.35	9.12.73
Gothra	46.60	18.5.73	46.30	9.12.73
Birloka	66.80	26.5.73	66.40	9.12.73
Isnawada	64.50	27.5.73	64.04	13.12.73
Kudchi	64.90	27.5.73	64.40	12.12.73
Narwa Khurd	58.20	27.5.73	57.82	13.12.73
Kuntlidhani	60.90	27.5.73	60.27	13.12.73
Khinwsar	38.60	26.5.73	38.00	27.11.73
Nagdi Dhani	50.00	May., 73	49.57	13.12.73
Khundana	42.80	27.5.73	42.52	12.12.73
Nagdi	41.30	27.5.73	40.65	13.12.73

1	2	3	4	5
Tadas	35.10	23.5.73	35.00	6.12.73
Beras	35.20	21.5.73	35.02	13.12.73
Dharnas	37.50	27.5.73	30.85	6.12.73
Bheonda	39.90	23.5.73	39.80	13.12.73
Dahera	42.20	21.5.73	41.52	12.12.73
Dahera (Mataji ka Kua)	37.80	,,	37.80	,,
Khodwa	36.90	,,	36.80	,,
Lalas	44.50	21.5.73	44.30	12.12.73
Medas	50.60	27.5.73	50.00	13.12.73
Manikpur	50.00	,,	49.90	6.12.73
Dhundiadi	52.30	,,	51.64	,,
Sheelgaon	58.40	,,	51.90	12.12.73
Gowa	44.40	,,	43.68	13.12.73
Mundiad	63.80	,,	63.20	12.12.73
Bhadora	67.70	,,	67.40	6.12.73
Sankhwas	57.00	17.5.73	56.50	,,
Khurkhura Khurd	15.90	,,	15.25	,,
Khurkhura Kalan	18.50	,,	18.20	,,
Gawalu	30.30	27.5.73	30.20	
,,	37.20	22.5.73	36.85	11.12.73
Bharnokha	42.20	,,	41.90	,,
Chatai	45.80	23.5.73	45.30	,,
Aswari	46.70	,,	46.00	,,
Dhawa	55.80	,,	55.57	,,
Narawata	34.00	22.5.73	33.85	11.12.73
Janana	51.00	18.5.73	50.54	11.12.73
Ram Bharnokhadhani	38.20	22.5.73	38.00	11.12.73
Roon	38.50	22.5.73	37.90	9.12.73
Basni Khalil	49.60	18.5.73	49.34	9.12.73
Gaju	46.20	18.5.73	46.05	11.12.73
Khajwana	60.50	18.5.73	60.33	9.12.73
Kuchera	38.70	18.5.73	38.50	9.12.73
Dahiria Dhani	54.40	12.5.73	54.11	11.12.73

APPENDIX-II

Records of representative wells of Nagaur, Mundawa Blocks District Nagaur, showing fluctuation of water level between premonsoon 1978 & post monsoon 1978

Well No.	Name of owner & village	Total depth in mts.	Diameter in mts.	Method of lift.	Principal water bearing formation: Character of formation.	Principal water bearing formation: Geological horizons.	Depth to water level in mts. from G. L. and date of measurement: Pre monsoon 1978	Depth to water level in mts. from G. L. and date of measurement: Post monsoon 1978	Fluctuation of water level in mts.	USE	Yield in lakh litres per day.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nagaur Block											
45E 19 I-D	Public well Alasar	32.00	0.95	CM-1	Sand Stone.	Nagaur Group.	30.76 29-5-78	29.85 30-11-78	+0.91	D	0.10
45E 11C-c	Public well Alai	54.50	1.25	—	Lime stone	Bilara group	49.76 3-6-78	49.20 4-11-78	+0.56	—	- Not in use
45E 16G-b	Public well Amarpura	35.60	2.00	CM	Semi stone with shales.	Nagaur group.	16.10 28-5-78	15.79 24-11-78	+0 31	D	0.30
45E 16B-a	Sh. Bhoja Ram Athiasau	33.50	2.50	EM	Sand stone	—do—	10.27 17-5-78	10.05 13-11-78	+0 22	I	0.80
45E 11F-c	Public well Baraui	63.50	1.80	—	Shales.	—do—	54.06 29-5-78	54.85 4-11-78	—0.29	—	- Not in use
45E 12E-b	Public well Barangan	46.35	2.25	—	Lime stone	Bilara group.	31.14 16-5-78	29.75 27-11-78	+1.39	—	—do—
45E 11E-d	Public well P. S.D.	35.00	1.40	—	Shales	Nagaur group.	20.50 27-5-78	20.20 14-11-78	+0 30	—	—do—

256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
45E	12 E-c	Public Well Basani	40.60	2.30	—		Shales	Nagaur group	11.20 16-5-78	7 62 27-11-78	+3.58	D	Not in use
45E	15 C-d	Public Well Bhadana	98.10	1.35	CM		Limestone	Bilara group	17.95 27-5-78	14.50 14-11-78	+3.45	D	0.40
45E	8 I-c	Public Well Bher	67.90	1.40	"		—do—	—do—	56.05 3-6-78	55.70 27-11-78	+0.35	D	0.30
45E	2 E-c	Public Well Bhudel	65.20	1.90	"		—do—	—do—	65.20 10-5-78	64.90 27-11-78	+0.30	D	0.50
45E	10 G-a	Public Well Birmasar	36.00	0.95	"		Sand stone	Nagaur group	34.95 29-5-78	29.71 30-11-78	+5.24	D	0.40
45E	15 A-d	Public Well Ohau	32.30	1.20	"		Sand	Quaternary alluvium	26.70 29-5-78	25 29 30-11-78	+1.41	D	0.50
45E	8 H-b	Public Well Chaundia	78.15	1.45	"		Lime stone	Bilara group	70.90 10-5-78	70 45 27-11-78	+0.45	D	0.60
45E	11 D-a	Public Well Chilo	38.70	1.10	"		Sand stone	Nagaur group	26.80 3-6-78	24.65 24-11-78	+2.15	D	0.40
45E	11 A d	Sh. Sukh Mohanlal Chilo	27.50	1.15	—		—do—	—do—	27 05 3-6-78	26.90 24-11-78	+0.15	—	—
45E	16 A-d	Public Well Cranar	26.10	2.00	EM		—do—	—do—	11.56 15-5-78	11.10 14-11-78	+0.46	I	0.90
45E	11 I-d	Public Well Chotisar	63.00	1.60	—		Shales	—do—	31.20 28-5-78	25.85 24-11-78	+5.35	—	—
45E	8 B-a	Public Well Deo	50.10	1.00	CM		Lime stone	Bilara Group	47.30 3-6-78	46.50 27-11-78	+0.80	D	0 40
45E	3E A-1	Public Well Deodhani	68.80	1.50	CM		—do—	—do—	66.55 3-6-78	65.65 27-11-78	+0.90	D	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45E 10 I-c1	Public Well Dhingsara	67.75	1.85	OM	Lime Stone	Bilara group	62.00 3-6-78	61.05 27-11-78	+0.95	D	0.50
45E 16 D-d	Public Well Gagwana	59.80	1.20	D Set	—do—	—do—	40.80 27-5-78	39.60 14-11-78	+1.20	D	0.90
45E 8H-b1	Public Well Goda	72.00	2.25	OM	—do—	—do—	70.00 3-6-78	67.75 27-11-78	+2.25	D	0.10
45E 11 G-b	Public Well Godaran	26.10	1.10	,,	Sand Stone	Nagaur group	15.62 29-5-78	13.21 3-11-78	+2.41	D	0.40
45E 12 G-a	Public Well Gogelao	60.20	1.60	-	Shales	—do—	48.32 29-5-78	48.05 4-11-78	+0.27	—	—
45E 11 G-c	Public Well Gorera	30.60	1.00	,,	Sand	Quaternary	26.86 29-5-78	26.64 30-11-78	+0.22	D	0.30
45E 8 G-d	Public Well Gurha	73.20	1.80	,,	Shales	Nagaur group	63.80 3-6-78	61.30 25-11-78	+1.50	D	0.40
45E 11 I-d1	Public Well Gurla	28.00	2.00	,,	Lime Stone	Bilara group	14.71 25-5-78	12.93 24-11-78	+1.78	D	0.40
45E 15 F-b	Public Well Harima	55.50	1.60	,,	—do—	—do—	50.10 27-5-78	48.95 14-11-78	+1.15	D	0.30
45E 11 B-d	Public Well Jakhania	69.00	0.90	-	Sand Stone	Nagaur group	65.00 3-6-78	64.40 25-11-78	+0.60	—	—
45E 15 F-a	Public Well Jarisara	39.50	1.00	OM	Lime Stone with	Bilara group	23.64 28-5-78	21.05 24-11-78	+2.59	D	0.80
45E 15 F-a1	Public Well Jathera	37.00	1.10	,,	Lime Stone	—do—	26.40 28-5-78	22.08 24-11-78	+4.32	D	0.30
45E 15 F-d1	Public Well JinDas	34.70	1.20	-	—do—	—do—	32.28 27-5-78	29.53 10-11-78	+2.75	—	—

257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45E 15 3-c	Public Well Jodhiasi	22.50	1.10	D	Sand	Quaternary	19.85 23-5-78	16.88 30-11-78	+3.27	D	1.20
45E 71-c	Public Well Kaladi	96.10	2.00	Set —	Sand stone with Shales	Nagaur group	79.28 3-6-78	76.70 25-11-78	+2.50	—	—
45E 11B-a	Public well Kharla	29.00	1.40	CM	Sand stone	Nagaur group	25.40 3-6-78	18.35 25-11-78	+7.05	D	0.10
45E 15B-b	Public well Kairilsar	48.00	1.70	—	Shales	-do-	36.86 28-5-78	37.09 24-11-78	-0.23	-	-
45E 12K-c	Public well Karnu	73.55	1.90	CM	Lime stone	Bilara group	69.00 10-5-78	68.60 28-11-78	+0.40	D	0.40
45E 15B-a	Public well Khetas	58.65	0.90	,,	Sand stone with Shales	Nagaur group	›8.60 28-5-78	22.18 30-4-78	+6.42	D	0.30
45E 16D-a	Public well Khettap	29.75	1.50	D.set	Lime stone	Bilara group	19.33 27-5-78	18.29 14-11-78	+1.04	D	0.60
45E 12E-c	Public well Kumari	47.37	2.00	EM	Shales	Nagaur group	40.75 16-5-78	30.98 27-11-78	+9.77	D	0.50
45E 14I-d1	Public well Ladla	28.20	1.50	—	Sand stone	-do-	26.12 29-5-78	25.63 3-11-78	+0.49	-	-
45E ›5C-d	Public well Malgaon	23.80	1.10	Cm	Shales	-do-	16.55 28-5-78	15.40 24-11-78	+1.15	D	0.20
45E 16C-b	Public well Manjawas	39.55	1.10	--	-do-	-do-	28.54 28-5-78	26.00 24-11-78	+3.54	-	-
45E 11C-3	Sh Ramjiwan Nagau	29.85	2.70	E.set	Sand stone	-do-	10.10 16-5-78	9.6 14-11-78	+0.50	I	1.5
45E 16A-d1	Public well Phagli	24.55	1.50x 1.60	--	Shales	-do-	14.00 27-5-78	14.15 14-11-78	-0.15	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45E 10I-c	Public well Pirasar	53.85	1.10	CM	Sand stone	Nagaur group	46.57 29-5-78	45.85 30-11-78	+0.72	D	0.50
45E 11H-e	Sh. Bhagirath Ramsi	28.00	2.15	D.set	-do-	-do-	8.50 17-5-78	8.00 13-11-78	+0.50	I	1.50
45E 11G-a1	Public well Rohini	27.30	1.20	CM	-do-	-do-	24.78 29-5-78	22.77 30-11-78	+2.01	D	0.30
45E 16D-b	Public well Sadokan	41.25	1.00	D.set	Lime stone	Bilara group	31.25 27-5-78	30.55 14-11-78	+0.70	D	1.30
45E 16A-c	Public well Saiw	38.00	2.25x 2.25	—	Shales	Nagaur group	21.95 27-5-78	21.98 14-11-78	-0.03	-	-
45E 16D-c	Public well Saranwas	26.55	1.60	—	Lime stone	Bilara group	20.00 27-5-78	19.25 14-11-78	+0.75	-	-
45E 16D-c1	Sh. Molji S/o Gopji Jat Saranwas	31.40	3.00	D.set	-do-	-do-	20.00 27-6-78	19.51 14-10-78	+0.49	I	1.50
45E 11E-c	Public well Sithoran	52.15	1.70	—	Shales	Nagaur group	45.10 3-6-78	43.15 24-11-78	+1.95	—	—
45E 10E-d	Public well Sewria	53.60	1.20	—	Sand stone	—do—	36.74 29-5-78	36.51 30-11-78	+0.23	—	—
45E 16D-c 2	Public well Sirasani	30.50	1.20	CM	Lime stone	Bilara group	19.33 27-5-78	18.42 14-11-78	+0.91	D	0.50
45E 14C-d	Public well Shamsar	28.35	1.00	—	Sand & Kankar	Quaternary	27.80 29-5-78	26.20 30-11-78	+0.80	—	—
45E 12C-c	Public well Sinod	44.25	2.10	—	Shales	Nagaur group	36.50 16-5-78	35.70 27-11-78	+0.80	—	—
45E 11A-d	Public well Shribalaji	21.65	2.20	—	Sand stone	—do—	20.50 3-6-78	19.63 24-11-78	+0.87	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45E 4G–c	Public well Tantwas	83.35	1.30	CM	Lime stone	Bilara group	81.70 17–5–78	81.10 27–11–78	+0.60	D	0.60
45E 8I–d	Public well Tankla	52.30	1.65	—	—do—	—do—	46.65 15–5–78	46.35 1–12–78	+0.28	—	—
45E 11H–c1	Public well Tausar	25.75	1.90	—	Sand stone	Nagaur group	10.08 17–5–78	9.75 13–11–78	+0.33	—	—
45E 11H–c2	Sh. Bansiji Mali, Tausar	24.20	2150	E set	—do—	—do—	6.80 17–5–78	6.40 13–11–78	+0.40	I	1.50
45E 11D–d	Public well Unthwalia	19.40	1.50	—	Shales	—do—	11.40 29–5–78	11.18 24–11–78	+0.12	—	—
45E 15A–c	Public well Zorda	28.60	1.35	CM	Sand	Quaternary	26.40 29–5–78	26.30 30–11–78	+0.10	D	0.40
Mundawa Block											
45E 8C–c	Public well Achina	58.25	1.60	CM	Lime stone	Bilara group	54.75 21–5–78	54.35 27–11–78	+0.40	D	0.30
45F 5B–c	Public well Atawas	59.20	1.90	—	Sand stone	Jodhpur group	58.20 21–5–78	57.80 1–12–78	+0.40	—	Not in use
45E 8F–d	Public well Akla	40.35	1.60	—	Lime stone	Bilara group	36.15 21–5–78	35.80 27–11–78	+0.35	—	—do—
45F 9I–b	Public well Asawari	50.45	3.00	—	Sand stone	Nagaur group	37.10 21–5–78	36.20 16–11–78	+0.90	—	—do—
45E 6B–b	Public well Astal	25.50	1.90	—	—do—	—do—	13.00 23–5–78	12.38 13–11–78	+0.62	—	—do—
45F 9E–b	Public well Badora	67.20	1.80	—	Limestone	Bilara group	61.80 21–5–78	61.37 15–11–78	+0.43	—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45E 12F-c	Public well Balat	55.30	2.00	—	Shales	Nagaur group	45.30 23-5-78	33.66 20-11-78	+11.64	—	—do—
45F 1H-d	Public well Barbata	33.75	1.00	—	Sand stone	Jodhpur group	30.85 20-5-78	29.75 1-12-78	+1.10	—	—do—
45F 1H-c 1	Public well Beniwalo ki Dhani	68.35	1.15	—	—do—	—do—	65.58 20-5-78	59.85 1-12-78	+5.77	—	—do—
45E 8F-c	Public well Berathal Kalan	40.05	1.60	—	Lime stone	Bilara group	369.5 21-5-78	36.30 28-11-78	+0.65	—	—do—
45E 8F-a	Public well Berathal Khurd	39.71	1.95	—	—do—	—do—	37.62 21-5-78	36.89 28-11-78	+0.13	—	—do—
45E 5G-c	Public well Beras	46.50	1.60	—	—do—	—do—	29.62 15-5-78	29.20 2-12-78	+0.42	—	—do—
45E 5H-d	Public well Bhaonda	39.75	2.25	—	—do—	—do—	36.00 27-5-78	35.82 15-11-78	+0.18	—	—do—
45E 16F-a	Public well Bhadana	62.00	1.60	—	Sand stone	Nagaur group	40.29 22-6-78	40.10 16-11-78	+0.19	—	—do—
45E 12F-a	Public Well Bhakrod	62.70	—	—	Shales	Nagaur group	42.05 15-5-78	41.30 15-11-78	+0.75	—	Not in use
45F 9 H—	Public Well Bharnokna	51.15	2.00	—	Sand stone	—do—	36.50 22-5-78	36.40 16-11-78	+0·10	—	—do—
45F 9 H-d	Sh. Kamrudhin Bharnoka Dhani	46.00	1.40	—	—do—	—do—	32.60 22-5-78	32.16 16-11-78	+0.44	—	—do—
45F 10-b	Public Well Birloka	72.20	1.50	CM	—do—	Jodhpur group	69.20 20-5-78	67.00 1-12-78	+2.20	D	0.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45F 11 A-b	Sh. Jankidas S/o Jagnathdas, Boonarawata	21.90	—	—	Sand stone	Nagaur group	20.15 8-5-78	19.45 20-11-78	+0.70	I	0.40
45F 9 H-d2	Public Well Chitai	48.20	1.60	—	—do—	—do—	42.55 22-5-78	41.16 16-11-78	+1.30	—	Not in use
45F 9 A-a	Sh. Baduram S/o Dayalram, Dharu	44.00	4.00	D. set	Lime stone	Bilara group	36.50 15-5-78	35.34 2-12-78	+1.20	I	1.75
45F 9 Aa1	Sh. Girdhari S/o Pacharam Dharu	48.50	2.60	—	Sand stone	Nagaur group	36.20 15-5-78	30.55 2-12-78	+5.65	—	Not in use
45F 5H-a	Public Well Dharanwas	53.00	1.85	—	—do—	Jodhpur group	32.70 21-5-78	32.55 2-12-78	+0.35	—	—do—
45F 9I-c	Public Well Dhawa	53.00	1.80	—	—do—	Nagaur group	50.80 22-5-78	50.10 16-11-78	+0.70	—	—do—
45F 9 F-c	Public Well Dhehawari	68.50	2.80	—	—do—	—do—	66.90 21-5-78	66.15 16-11-78	+0.75	—	—do—
45F 9 B-c	Public Well Duniari	48.50	2.20	—	Lime stone	Bilara group	47.35 21-5-78	46.55 15-11-78	+0.80	—	—do—
45F 16 I-b1	Sh. Punaram S/o Hardiu, Firozpur	45.40	2.50	E. set	Sand & gravel	Tertiary	43.55 18-5-78	43.03 16-11-78	+0.52	I	2.00
45F 11 H-c	Sh. Sitaram S/o Vijayram Guala	33.40	2.00	D	Sand stone	Nagaur group	23.65 8-5-78	23.60 20-11-78	+0.05	I	1.00
45F11H-d 1	Public well Guala	45.00	1.20	CM	Sand stone	Nagaur group.	31 9.5 8-5-78	30.35 20-11-78	+1.60	D	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45F11D-C 1	Public well Gaju	—	—	D set	Sand & gravel	Tertiary	47.30 9-5-78	47.00 16-11-78	+0.30	D	1.00
45F11D-C2	Sh. Kasturji Gaju	47.70	2.00	„	—do—	—do—	44.90 9-5-78	44.40 16-11-78	+0.50	I	2.00
45E16F-d	Public well Gothra	51.30	2.00	—	Sand stone	Nagaur group.	43.58 18-5-78	42.90 16-11-78	+0.68	—	Not in use
45E9D-b	Public well G.wan	41.50	1.90	—	Lime stone	Bilara group.	39.95 8-5-78	39.25 20-11-78	+0.70	—	—do—
45E8I-d1	Public well Gudio	41.00	1.40	—	—do—	—do—	37.80 20-5-78	37.00 28-11-78	+0.80	—	—do—
45E16B-d	Public well Inana	41.00	1.50	EMP	Sand stone	Nagaur group.	33.39 19-5-78	31.26 13-11-78	+2.13	I&D	0.80
45F11B-d	Public well Indokali	49.50	2.00	—	—do—	—do—	37.70 19-5-78	37.24 13-11-78	+0.46	..	Not in us
45F1H-a	Public well Isanwa[illegible]	66.00	1.40	—	—do—	Jodhpur group.	58.45 20-5-78	48.23 1-12-78	+10.2	—	—do—
45F11-ca-d	Public well Isanwada	59.30	1.60	—	—do—	Nagaur group.	47.72 8-5-78	47.15 5-11-78	+0.57	—	—do—
45E12Fd	Sh. Gishukhan well Jujanda	19.20	2.25	—	—do—	—do—	8.35 8-5-78	7.58 2-12-78	+0.77	—	—do—
45E12[illegible]-d1	Public Katodia	16.70	2.60	D. set	—do—	—do—	9.00 8-5-78	8.30 2-12-78	+0.70	I	1.40
45E4F-b	Ch. Dukhdev Ram, Karlu	74.90	0.90	—	Lime stone	Bilara group.	74.00 20-5-78	71.64 1-12-78	+2.36	—	Not in us
45EE12I-b	Public well Koslu	26.60	1.15 1.15	D. set	Sand stone	Nagaur group	9.30 8-5-78	8.00 2-12-78	+1.30	I	1.30

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
45E12I-b1	Public well Karlu	17.10	2.00	—	Sand Stone	Nagaur group	4.45 8-5-78	4.15 2-12-71	+0.30	—	—
45F5 J-d	Public well Kausia	53.50	1.80	CM-1	Lime stone	Bilara group.	53 00 20-5-78	52.20 1-12-78	+0.80	D	0.30
45F5D-a	Public well Kantiadhani	65.00	1.50	CM	—do—	—do—	59.45 20-5-78	58.15 1-12-78	+1.30	D	0.40
45F13E.a	Public well Khajwana	—	2.40	D. set	Sand & gravel	Tertiary	56.05 9-5-78	54.80 16-11-78	+1.25	D	1.50
45E 12I-c	Public well Khara	29.20	2.00x 1.50	—	Sand Stone	Nagaur group	12.35 18-5-78	11.65 13-11-78	+0.70	—	—
45E 12I-e1	Sh.Kishnaram Khard.	26.50	3.00	D.set	-do-	-do-	11.13 18-5-78	10.30 13-11-78	+0.83	I	0.90
45F 9G-a	Sh. Chunilal Mali. Khurkhura	22.00	2.00	,,	-do-	-do-	8.85 8-5-78	7.40 5-11-78	+1.45	I	1.50
45F 5D-c	Sh. Orkarsingh Khinwsar	37.60	1.80	EM	Lime stone	Bilara group	33.65 15-5-78	33.10 2-12-78	+0.55	I	1.50
45F 9A-b	Public Well Khudwa	—	—	—	-do-	-do-	31.34 15-5-78	31.24 2-12-78	+0.10	—	—
45F 5B-c1	Public well Khudana	49.55	1.40	—	Sand stone	Jodhpur group	42.35 20-6-78	40.27 1-12-78	+2.08	—	—
45F 11G-c	Sh. Kewalram S/O Chunilal Kuchera.	40.00	2.50	EM	Sand & gravel	Tertiary	37.30 18-5-78	37 39 16-11-78	+0.37	I	2.00
45F 11G-e1	Public well Kuchara	36.90	1.90	—	-do-	-do-	29.63 18-5-78	29.27 16-11-78	+0.36	—	—

265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45F 1G-a	Public well Kumrokidhani	85.90	1.90	CM	Sand stone	Jodhpur group	R.77.20 20-5-78	74.28 1-12-78	+1.92	D	0.40
45F 1H-c	Public well Kurehi.	67	1.05	—	-do-	-do-	52.40 20-5-78	47.80 1-12-78	+4.60	—	Not in use
45F 9A-d	Sh. Jinaram Lalap.	39.80	3.00	D.set	Lime stone	Bilara group	34.78 15-5-78	34.23 2-12-78	+0.55	I	2.00
45E 8E-b	Public well Madpura.	46.20	1.40	CM	-do-	-do-	45.35 21-5-78	45.10 28-11-78	+0.25	D	0.30
45F 9A-d1	Public well Mepas	54.00	3.00	,,	-do-	-do-	45.65 22-5-78	45.41 2-12-78	+0.24	D	0.50
45E 16C-c	P.H.E.D. well Mundawa		1.70	EMP	Sand stone	Nagaur group	40.91 19-5-78	40.32 13-11-78	+0.59	D	2.00
45F 9C-c	Public well Mundiae	66.50	1.65	—	-do-	-do-	58.35 22-5-78	57.15 2-12-78	+1.20	—	—
45F 5[illegible]-c	Public well Nagri	50.00	1.30	—	-do-	Jodhpur group	38.40 23-5-78	38.00 15-11-78	+0.40	—	Not in use
45E 5A-d	Public well Narwakhurd	69.35	1.50	CM	-do-	-do-	59.10 20-5-78	56.70 2-12-78	+3.40	D	0.50
45E[illegible]A-C	Public well Narwikalan	72.50	1.60	CM	Sand stone	Jodhpur group	67.10 20-5-78	64.02 2-12-78	+3.00	—	0.60
45E8C-b	Public well Panchla	63.80	1.50	,,	—do—	— do—	58.60 20-5-78	57.33 1-12-78	+1.27	D	0.60
45E12C-d	Public well Palari	67.65	1.00	—	Shales	Nagaur group	48.55	48.05 20-11-78	+0.50	—	—
45E16-c1	Public well Palari Pichkiy	—	1.50	—	Sand stone	—do—	22.84 19-5-78	22.48 5-11-78	+0.36	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45F1G-b	Public well Papasani	66.20	1.45	CM	Sand Stone	Jodhpur group	68.80 20-5-78	60.46 1-12-78	+3.34	—	0.40
45E4H-d	Public well Panchedi	57.10	1.50	—	—do—	—do—	55.50 10-5-78	55.10 28-12-78	+0.40	—	—
45E12I-d	Public well Parasar	38.90	2.00	—	Shales	Nagaur group	28.30 23-5-78	27.10 20-11-78	+1.20	—	—
45E12H-d	Public well Pherod	28.00	1.70	—	—do—	—do—	4.70 23-5-78	4.10 13-11-78	+0.60	—	—
45E16B-b	Public well Pithlao	23.15	2.70	—	Sand stone	—do—	8.90 23-5-78	8.75 13-11-78	+0.15	—	—
45F11B-c	Public well Roon	39.20	9.00	—	—do—	—do—	37.20 19-5-78	36.82 13-11-78	+0.38	—	—
45E4I-b	Public well Satika	97.85	1.60	CM	—do—	Jodhpur group	R88.00 20-5-78	86.50 1-12-78	+1.50	D	0.60
45F9B-d	Public well Sheelgaon	59.00	1.30	—	—do—	Nagaur group	53.20 22-5-78	58.70 20-11-78	+0.50	—	—
45F9H-e	Public well Shankhwas	59.00	1.60	—	—do—	—do—	53.15 8-5-78	52.30 5-11-78	+0.85	—	—
45E16E-c	Sh. Mangal Singh Bolyan	34.50	3.50	CM	—do—	—do—	15.88 18-5-78	15.29 13-11-78	+0.57	I	0.50
45F5G-b	Public well Tadas	35.00	2.25	—	—do—	Jodhpur group	31.00 21-5-78	30.40 2-12-78	+0.60	—	—
45E16c-c2	Public well Thirod	46.80	1.60	—	—do—	Nagaur group	4.95 23-5-78	22.10 16-11-78	+2.85	—	—

पलाना तहसील मावली में पानी की टंकी का निर्माण

629. **श्री कमलेन्द्रसिंह** (वल्लभनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पलाना तहसील मावली, जिला उदयपुर में पानी की टंकी बनाने का ठेका दिनांक 28-4-1979 को दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह टंकी पूरी हो चुकी है ?

(2) क्या इस कार्य के लिये ए.जी. की ऑडिट रिपोर्ट में एतराज हुए हैं ?

(3) क्या ठेकेदार से रिकवरी करने का सुझाव उक्त रिपोर्ट में दिया गया है ?

(4) क्या अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड उदयपुर ने इस बाबत कोई वसूली की है ?

(5) क्या इस ठेकेदार को विभाग द्वारा अब भी कार्य दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। टंकी का आर०सी०सी० कार्य पूर्ण हो चुका है। खड़े पाइप, लाइटनिंग ऐरेस्टर, कण्डक्टर, रेलिंग आदि का कार्य शेष है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां। क्योंकि टंकी का कार्य इसी ठेकेदार द्वारा पूर्ण किया जा रहा है।

जिला प्रमुख, चित्तौड़गढ़

631. **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के जिला प्रमुख ने प्रमुख चुने जाने से जनवरी, 1983 तक कितनी राशि यात्रा मद में उठाई ? कृपया मासिक विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ को राज्य सरकार ने कब कार आवंटित की ? कार आवंटन के पश्चात् किस-किस महीने में प्रमुख ने जिले के बाहर कार से यात्रा की और जिले के अन्दर कहां-कहां कब-कब कार से यात्रा की ? कृपया मासिक यात्रा ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने जिला प्रमुख को कार यात्रा की सीमा निर्धारण में क्या कोई मापदण्ड रखा है ? यदि हां, तो क्या ? क्या जिला प्रमुख चित्तौड़गढ़ ने मापदण्डों का पालन किया है ?

(4) जिला प्रमुख ने कार यात्रा का पैट्रोल खर्च क्या किसी पंचायत समिति से अथवा निजी मद से चुकाया है ?

(5) अब तक कार में कितना पैट्रोल व्यय हुआ ? कृपया मासिक ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के जिला प्रमुख द्वारा प्रमुख चुने जाने से जनवरी, 1983 तक कुल 855/- रुपये की राशि यात्रा भत्ते के रूप में उठाई गई। मासिक विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

उत्तर

(2) राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़ को दि० 28-8-82 को एक कार आंवटित की गई। कार आंवटन के पश्चात् प्रमुख द्वारा की गई यात्राओं का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जिला प्रमुखों द्वारा कार से यात्रा की सीमा निर्धारण का अभी कोई मापदण्ड निर्धारण नहीं किया गया है।

(4) कार यात्रा का पैट्रोल खर्च 314-सामुदायिक विकास मद से किया गया है। किसी भी पंचायत समिति से अथवा निजी आय से नहीं चुकाया गया है।

(5) अब तक कार पर कुल रु० 15-633-72 पैसे पैट्रोल व्यय हुआ जिसमें पैट्रोल के साथ आयल एवं ब्रेक आयल आदि का व्यय भी शामिल हैं। मासिक ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

माह	यात्रा भत्ता के रूप में उठाई गई राशि
1. जनवरी, 82	160-00
2. फरवरी, 82	90-00
3. मार्च, 82	150-00
4. अप्रेल, 82	130-00
5. मई, 82	125-00
6. जून, 82	125-00
7. जुलाई, 82	75-00
कुल योग :-	855-00

प्रमुख जिला परिषद द्वारा कार से की गई यात्रा

क्र. सं. 1	यात्रा का दिनांक 2	कहां से 3	कहां को 4
1.	30-8-82	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेडा, बिनोता, बडीसादडी, बोहेडा, बान्सी, डूंगला, मंगलवाड़, वापस।
2.	1-9-82	चित्तौड़गढ़	गंगरार, कांटी, बोलोकासांवता, बूंढ, बाणीन, रुद भटवाड़ा व वापस।
3.	2-9-82	चित्तौड़गढ़	बस्सी, विजयपुर, अमरपुरा, पाल, शादी, व वापस।
4.	4-9-82	चित्तौड़गढ़	अरनियांपंथ, शम्भूपुरा, सावा, कन्नोज, भदेसर, आसावरा, चिकारड़ा, निम्बाहेड़ा वापस।
5.	5-9-82	चित्तौड़गढ़	उदयपुर 5-9-82 से 9-9-82 तक उदयपुर रहे गाडी की प्रथम सर्विस कराई गई।
6.	10-9-82	उदयपुर	चित्तौड़गढ़
7.	12-9-82	चित्तौड़गढ़	बस्सी, बैगूं, रायता, चैंची, बैगूं, काठून्दा, राजगढ़, वापस।

1	2	3	4
8.	13-9-82	चित्तौड़गढ़	घटियावली, गिलन्ड, भाटियों का खेड़ा, निम्बाहेड़ा वाया कनेरा वापस।
9.	14-9-82	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, बम्बोरी, जलोदा करजू वापस।
10.	17-9-82	चित्तौड़गढ़	बैंगू, भैंसरोड़गढ़, रावत भाटा वापस।
11.	21-9-82	चित्तौड़गढ़	भदेसर, आसावरा, सांवरियाजी वापस।
12.	22-9-82	चित्तौड़गढ़	कपासन, हथियाना, राशमी, भीमखण्ड, भूपालसागर, पारी, कपासन वापस।
13.	23-9-82	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़, मोखमपुरा, सलारपुरा, दलोट, पीपलवास (रात्री विश्राम)
14.	24-9-82	पीपलवास	दलोट, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी वापस।
15.	25-9-82	चित्तौड़गढ़	संगेसरा, लोठियाना, मंगलवाड़ वापस।
16.	26-9-82	चित्तौड़गढ़	उदयपुर (दुबारा की सर्विस कराई)
17.	27-9-82	उदयपुर	चित्तौड़गढ़ वापसी
18.	28-9-82	चित्तौड़गढ़	गंगरार, चौंगावडी, जोजरों का खेड़ा, तम्बड़िया सुदरी, साडास, सोनियाना, शादी, अडाना, राशिम वापस।
19.	29-9-82	चित्तौड़गढ़	शम्भुपुरा, कन्नोज, भदेसर, आकोला, गरदाना खोडीप, नन्नाणा, पोटलां, भादसोड़ा, बागुन्ड, पीपलवास वापस।
20.	30-9-82	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा, फलवा, लसड़ावन, जावदा, बागरेड़ा, केली, मंडला, चारण, छोटी सादड़ी, घोलापानी, बारावरदा, धमोतर, ग्रवलेश्वर वापस।
21.	4-10-82	चित्तौड़गढ़	गंगरार, सोनियाना, राशमी, पहुंना, कपासन, धमाना, जाशमा, वामनिया, कपासन, भूपालसागर, मंगलवाड़ एवं वापस।
22.	5-10-82	चित्तौड़गढ़	सावा, भदेसर, निक्कम, मंगलवाड़, बोहेड़ा, बडी-सादड़ी, मंगलवाड़, निक्कूम वापसी।
23.	6-10-82	चित्तौड़गढ़	कपासन, भीमगढ़, राशमी, चित्तौड़गढ़, बैंगू, भैंसरोड़गढ़, रावत भाटा, खनाई, पुनः भैंसरोड़गढ़ (रात्री विश्राम)
24.	11-10-82	चित्तौड़गढ़	कपासन, भूपालसागर, आकोला, कीरकीचोकी, मंगलवाड़, भादसोड़ा, सांवरियाजी वापस।

1	2	3	4
25.	14-10-82	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा, छोटीसादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद, मोहेड़ा, दलोट वापस।
26.	17-10-82	चित्तौड़गढ़	संगेसरा, लोहियाना, नंगावली, चिकारड़ा, निक्कम, निम्बाहेड़ा, लसडावन, कारुण्डा, निम्बाहेड़ा, मांगरोल, अरनियाजोशी वापस।
27.	18-10-82	चित्तौड़गढ़	छोटीसादड़ी, बम्बोरी, धोलापानी, केसून्दा, बारा,-वरदा, कलमीपुरा, धमोतर, प्रतापगढ़, बसाड़, अमलाबंद, कुणी, प्रतापगढ़, एवं वापस।
28.	24-10-82	चित्तौड़गढ़	बस्सी, विजयपुर, बस्सी, काठुन्दा, बैंगूं, चेंची, बैंगूं, बोराव, श्रीपुरा, वापस।
29.	1-1-82	चित्तौड़गढ़	कपासन, भूपालसागर, आकोला, तांणा, जाश्मा, वापस।
30.	3-11-82	चित्तौड़गढ़	बस्सी, पारसोली, राजगढ़, काठुन्दा, बैंगूं, चेंची, रायता, वापस।
31.	5-11-82	चित्तौड़गढ़	सिंहपुर, कपासन, राशमी, मरमी, पहुंना, राशमी, भीमगढ़, बूढ, बागिना, बनाकिया वापस।
32.	7-11-82	चित्तौड़गढ़	मंगलवाड़, डूंगला, वान्सी, बोहेडा, बड़ीसादड़ी, छोटी सादड़ी, कारुण्डा, निम्बाहेड़ा, निक्कूम, आखावरा, भदेसर वापसी।
33.	9-11-82	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद, मोहेडा, दलोट, निणोर, बांगावां, सालमगढ़, कोटड़ी, प्रतापगढ़ वापस।
34.	12-11-82	चित्तौड़गढ़	बस्सी, बैंगूं, श्रीपुरा वापस।
35.	14-11-82	चित्तौड़गढ़	भदेसर, आसावरा, पिन्ड, बड़ीसादड़ी, बम्बोरी बिनौटा, निम्बाहेड़ा, कनेरा, केली वापस।
36.	17-11-92	चित्तौड़गढ़	शम्भूपुरा, सावा, कन्नोज, होडा, हाज्या खेडी, बागुन्ड भादसोडा, नपानिया, संगेसरा, वापस।
37.	20-11-82	चित्तौड़गढ़	पान्डोली, कश्मोर, धोसुन्डा, नेतावल, कश्मोर, पान्डोली, रोलाहेडा, चन्देरिया, पुठोली, अजोलिया का खेड़ा, गंगरार, सोनियाना वापस।
38.	23-11-82	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा, छोटीसादड़ी, धोला पानी, प्रतापगढ़, कलमीपुरा वापस।
39.	24-11-82	चित्तौड़गढ़	सांवरियाजी, वाया सावा, कन्नोज, होड़ा,।

1.	2.	3.	4.
40.	25-11-82	चित्तौड़गढ़	बेंगूं, भैंसरोड़गढ़, रावतभाटा, मण्डेसरा वापस।
41.	26-11-82	चित्तौड़गढ़	राशमी कपासन भूपालसागर आकोला, कीर की चौकी मंगलवाड़ वापस।
42.	28-11-82	चित्तौड़गढ़	भदेसर, आकोलाकंला, नपावली, गरदाना, आसावर, पोटला, भादसोडर, वानसेन, वापस।
43.	30-12-82	चित्तौड़गढ़	छोटीसादड़ी, प्रतापगढ़, गोदाल, बसोड, वापस।
44.	2-12-82	चित्तौड़गढ़	बेंगूं, श्रीपुरा, बांराव, वापस।
45.	3-12-82	चित्तौड़गढ़	भदेसर, आसावरा, बड़ीसादड़ी, बिनोता, निम्बाहेड़ा, कनेरा, निम्बाहेड़ा, वापस।
46.	5-12-82	चित्तौड़गढ़	सिहपुर, कपासन, राशमी, पहुंना, राशमी, भीमगढ़, बूढ़, बाणिना, बनाकिया, इन्दौरा, वापस।
47.	6-12-82	चित्तौड़गढ़	कपासन, भूपालसागर, आकोला, कीर की चौकी, मंगलवाड़, भादसोड़ा, वापस।
48.	7-12-82	चित्तौड़गढ़	शम्भुपुरा, कन्नोज, भदेसर, आकोला, खोड़ीप, नन्नाणा, भादसोड़ा, बागुन्ड, वापस।
49.	10-12-82	चित्तौड़गढ़	संगेसरा, लोठियाना, मंगलवाड़, मंगलवाड़ ग्राम, वापसी।
50.	11-12-82	चित्तौड़गढ़	मंगलवाड़, कीर की चौकी, मंगलवाड़, चोराया, चिकारडा, सांवरियाजी, बोहेडा, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, बागरेड़ा वापस।
51.	13-12-82	चित्तौड़गढ़	सावा, कन्नोज, भदेसर, निक्कूम, पिण्ड, वापस।
52.	14-12-82	चित्तौड़गढ़	गंगरार, चोगावडी, जोजुरो का खेड़ा, सुम्बड़ियां, सुदरी, साडास सोनियाना, शादी, अडानां, राशमी, मरमी, वापस।
53.	16-12-83	चित्तौड़गढ़	बस्सी, पारसोली, राजगढ़, काठून्दा, बेंगूं, चैंनी, रायता, रायती वापस।
54.	18-12-82	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, धोला पानी, बारांवरदा, प्रतापगढ़, वापस।
55.	20-12-82	चित्तौड़गढ़	सिहपुर, कपासन, राशमी, कपासन, भूपालसागर, आकोला, भूपालसागर, काकरवा, कीर की चौकी, मंगलवाड़, चोराया, नंगावली, लोठियानां, व वापस।
56.	21-12-82	चित्तौड़गढ़	भादसोड़ा, मण्डफियां, मंगलवाड़, डूंगला, बोहेड़ा, बड़ीसादड़ी, निक्कूम वापस।

1.	2.	3.	4.
57.	22-12-82	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद, मोहेड़ा, दलोट, व वापस (रात्रिविश्राम-अरनोद)
58.	25-12-82	चित्तौड़गढ़	गंगरार, कांटी, बोलों का सावता, बूढ, बानीनां, रुद, भटवाड़ा, सावंता., नेतावल, व वापस।
59.	28-12-82	चित्तौड़गढ़	बैंगूं, भैंसरोडगढ़, रावत भाटा, एकलिंगपुरा, मातासरा, वापस।
60.	30-12-82	चित्तौड़गढ़	छोटी सादड़ी, बारांवरदा, कुल्मीपुरा, धमोतर, प्रतापगढ़, पानमोडी, बिरियां, देवगढ़, गादोला, प्रतापगढ़, बसाड, अमलावद, प्रतापगढ़ व वापस।
61.	3-1-83	चित्तौड़गढ़	मंगलवाड़, डूंगला, बोहेड़ा, बड़ी सादड़ी, निक्कम, चिकारडा, निम्बाहेड़ा, मांगरोल, अरनियाजोशी, व वापस।
62.	4-1-83	चित्तौड़गढ़	बस्सी, पारसोली, बैंगूं, रायना, रायती, चैंची, वापस।
63.	6-1-83	चित्तौड़गढ़	छोटीसादड़ी, धोलापानी, बारांवरदा व वापस।
64.	8-1-83	चित्तौड़गढ़	कपासन, भूपालसागर, आकोला, कांकरवा वापस।
65.	10-1-83	चित्तौड़गढ़	भादसोडा, मण्डपिया, संगेसरा, लोठियानां, नंगावली, मंगलवाड़, व वापस।
66.	12-1-83	चित्तौड़गढ़	बैंगूं, भैंसरोडगढ़, रावत भाटा, एकलिंगपुरा, वापस
67.	14-1-83	चित्तौड़गढ़	सिंहपुर, कपासन, राशमी, पहुना, राशमी, भीमगढ़ बूढ, वाणिना, बनाकिया, इन्दोरा, वापस।
68.	16-1-83	चित्तौड़गढ़	शम्भुपुरा, सावा, कन्नोज, भदेसर, निक्कम, बड़ी सादड़ी, बम्बोरी, निम्बाहेड़ा, सांवरियाजी, चिकारडा गरदाना, नपावली, आसावरा, पोटला, बानसेन व वापस।
69.	2[illegible]-1-83	चित्तौड़गढ़	बस्सी, विजयपुर, अमरपुरा एवं वापस।
70	22-1-[illegible]3	चित्तौड़गढ़	गंगरार, चोगावडी, जोजूरो का खेड़ा, डुम्बडियां सुदरी, साडास, सोनियाना, शादी, अडानां, राशमी भीमगढ़ व वापस।
71	22-1-83	चित्तौड़गढ़	बस्सी, राजगढ़, पारसोली एवं वापस।
72.	23-1-83	चित्तौड़गढ़	छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद, मोहेड़ा, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, बोहेड़ा, मंगलवाड़, वापस।
73.	26-1-83	चित्तौड़गढ़	कपासन, भूपालसागर, जाश्मां, धमानां वापस।
74.	27-1-83	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़, बसाड़, कूणी, प्रतापगढ़, दलोट (गद्दी विश्राम)

75.	28-1-83	दलोट	वडेसदिया, नीनोर, मोहेड़ा, अरनोद, (रात्रि विश्राम अरनोद) ।
76.	29-1-83	अरनोद	प्रतापगढ़, अवलेश्वर, अमलावद, बगवास, प्रतापगढ़, धमोतर, छोटी सादड़ी व वापस।
77.	30-1-83	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा, फलवा, जावदा, वागेडा, केली, मण्डला-चारण, रानीखेड़ा, घोसलापानी, धमोतर वापस।
78.	31-1-83	चित्तौड़गढ़	घटियावली, गिलन्ड, चितौड़, बस्सी, विजयपुर, कनेरा व वापसी।

भाग (5) का विवरण

माह	पैट्रोल, आयल व ब्रेक आयल पर व्यय
1. अगस्त, 82	293-80
2. सितम्बर, 82	2592-63
3. अक्टूबर, 82	2094-67
4. नवम्बर, 82	3339-00
5. दिसम्बर, 82	3681-98
6. जनवरी, 83	3631-64
कुल योग :-	15633-72

टौंक नगर परिषद् द्वारा लगाया गया कर

632. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टौंक नगर परिषद् द्वारा पिछले कुछ महीनों से टौंक शहर में जाने और टौंक शहर से बाहर जाने के पच्चीस पैसे प्रति यात्री कर लिया जाता है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

(2) क्या राज्य सरकार इस कर को वापस लेने का इरादा रखती है यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह टैक्स स्टेट के समय से ही विकास कार्यों हेतु लिया जाता रहा है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न सं. 720 की सूची

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, ब्यावर (राजस्थान)

परिशिष्ट "अ"

भूमि का विवरण

राज्य सरकार के माध्यम से कम्पनी के लिए अवाप्त की गई भूमि की सूची

ग्राम मूंडोती, लूलवा एवं सरकमा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

क्रम.सं.	खातेदार का नाम	खाता सं.	खसरा नम्बर पुराना	खसरा नम्बर नया	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा	क्षेत्रफल बिस्वांसी	किस्म
1	2	3	4		5			6
	ग्राम मूंडोती							
1.	गोरधन वल्द भूरा देह	23	19	36 मि.	0	5	0	बा. 1
2.	हजारी बालिग, बीरम व रामा नाबालिग, बसराही बालिग बिरादर खुद पि. पदमा व हिस्से बराबर 1/3 हि. उदा, मिट्ठू पिता पूरा, गोमा वल्द अमरा व. हि. बराबर 2/3 हि. माला व पेमा पि. धन्ना 1 हिस्सा	103	26	70 मि.	0	5	0	बा. 2
3.	,, ,,	,,	,,	71 मि.	0	6	0	बा. 2
4.	,, ,,	,,	,,	72 मि.	0	11	0	बा. 1
5.	,, ,,	,,	,,	73 मि.	0	8	10	बा. 1
6.	मेन्दू व मोती पि. जोरा रावत देह	71	81	90 मि.	0	8	0	बा. 2
7.	,, ,,	,,	119	109 मि.	0	15	0	बा. 2
8.	,, ,,	,,	118	102 मि.	0	7	0	बा. 3
9.	,, ,,	,,	125	116 मि.	1	5	0	बा. 2
10.	भोमा वल्द हजारी रावत देह	60	83	82	0	15	0	बा. 3
11.	केशा व मंगला पि. देवा रावत देह	16	92 मि.	367 मि.	0	6	0	बा. 3
12.	नीम्बा प्रताब व रूपा पि. धन्ना रावत देह	38	108	364	3	0	0	बा. 1
				योग	8	11	10	

275

ग्राम लुलवा

1	2	3	4	5			6
13.	मिट्ठू वल्द नाथा मेरात देह 652	505	344	0	13	10	बा.1
14.	पदमा वल्द रूपा मेरात देह 272	506	342	0	7	0	बा.1
15.	,, ,, ,	507	343	0	19	0	बा.1
16.	हरजी वल्द किशना रावत देह 1022	568	517	0	7	0	बा.2
17.	हरजी वल्द किशना रावत देह 1022	581	529	0	6	0	बा.1
18	तेजा वल्द वन्ना रावत देह 594	580	528	1	0	0	बा.3
19.	,, ,, 594	564	514	0	7	10	बा.3
20.	,, ,, 594	585	533	0	2	0	बा.3
21.	पेमा वल्द हीरा रेगर देह 525	554	501	0	11	10	बा.3
22.	,, ,, 525	555, 556, 557	504	1	9	0	बा.3
23.	,, ,, 525	558	503	1	12	0	बा.3
24.	,, ,, 525	560	508	1	0	10	बा.3
25.	,, ,, 525	562	510	0	8	10	बा.3
26.	,, ,, 525	563, 564, 565	514	0	11	0	बा.1
27.	,, ,, 525	566, 567	515	0	13	0	पलि
28.	,, ,, 525	569	518	0	7	0	बा.3
29.	,, ,, ,,	570	516	0	13	10	बा.3
30.	,, ,, ,,	571	520	0	7	0	बा.3
31.	,, ,, ,,	574	521	0	7	10	बा.1
32.	,, ,, ,,	575	524	0	0	10	बा.3
33.	,, ,, ,,	577	525	0	12	10	बा.2
34.	,, ,, ,,	578	526	0	6	0	बा.1
35.	,, ,, ,,	542मि	505	0	10	0	बा.3
36.	मंगला वल्द माला रावत 2/3 हि. स्माइल, नीम्बा वजमलाल पिता भूरा 1/3 हिस्सा, माला, मैना व कल्ला पि. धन्ना 3/4 हि. भन्दा वल्द						

1	2		3	4	5			6
	काना 1/4 हि. भीमा व पन्ना पि. हीरा 1 हि. लाखा, बिरधा पि. भूरा 1 हि.	596	520	477	1	6	0	चाही 1
37.	,, ,,	,,	521	468	0	2	0	ग.मु.
38.	,, ,,	,,	519	480	0	6	0	चाही
39.	केरल व देवा पि. लाल 1 हि. नाथा व माना पि. महासिंह 1 हि. मंगला वल्द मोती 1 हि. मंगला वल्द अन्ना 1 हि.	147	539	479	1	5	0	बा.3
40.	,, ,,	,,	543	489	0	19	10	बा.3
41.	,, ,,	,,	544	490	0	13	10	बा.3
42.	,, ,,	,,	545	491	0	12	10	बा.3
43.	,, ,,	,,	546	494	0	1	10	गे.मु.पाल
44.	,, ,,	,,	547	492	0	3	0	गे.मु.पाल
45.	,, ,,	,,	548	493	0	12	0	बा 3
46.	,, ,,	,,	549	495	0	11	10	बा.3
47.	,, ,,	,,	550	496	0	3	0	गे.मु.पाल
48.	,, ,,	,,	540मि	487	0	3	0	बा.3
49.	,, ,,	,,	540मि	488	0	3	0	बा.3
50.	भोला व पूना व धीरा देह	348	518	481	0	4	10	बा.2
51.	,, ,,	,,	551	497	0	3	0	गे.मु.पाल
52.	,, ,,	,,	552	498	0	16	0	बा.3
53.	,, ,,	,,	552	499	0	16	0	बा.3
54.	,, ,,	,,	553	500	0	5	10	गे.मु.पाल
55.	माना, कमल, सोहन पि. देवा रेगर देह	336	517मि	483	0	3	0	बा.2
56.	,, ,,	,,	581	446	0	7	0	बा.3
				योग	25	8	10	

1	2	3	4		5			6
	ग्राम सरकना							
57	गाजी, नुरा, सायर व नेना पि. घूला कोम महरात सा. देह	28	10मि	1मि०	8	0	0	बा.3
58.	,, ,,	,,	,,	2	0	6	0	बा-3
59.	,, ,,	,,	,,	3	0	8	10	बा.3
60.	,, ,,	,,	,,	3	0	6	0	गै.मु.चाह
61.	,, ,,	,,	,,	5	1	4	0	बा.3
62.	घूला वल्द रतना मेरात सा. देह	47	,,	20मि.	1	15	0	बा.3
63.	,, ,,	,,	17	28	0	7	0	बा.3
64.	,, ,,	,,	17मि.	29	0	5	10	बा.3
65.	,, ,,	,,	66	43	0	7	10	बा.3
66.	,, ,,	,,	66	44	1	1	0	बा.3
67.	,, ,,	,,	18	30	0	3	10	बा.3
68.	,, ,,	,,	18	31	0	10	0	बा.1
69.	प्रमी वल्द पन्ना मेरात सा. देह	3	361मि	332	0	4	0	बा.3
70.	घूला वल्द रतना 1/2 हि. धीसा लाडू पि. उजीरा 1/4 हि. बाबूराम पि. अहमद 1/8 हि. सम्भा वल्द हरी 1/8 हि. मेहरात सा. देह	48	19	36	0	3	0	पाल

ग्राम सरकना का योग 15 1 0

ग्राम मूंडोती 8 11 10
ग्राम लूलवा 25 8 10
ग्राम सरकना 15 1 0

कुल योग — 49 1 0

कुल 19 – 62 एकड़

कम्पनी द्वारा निजी समझौते से खरीदी गई भूमि की सूची

परिशिष्ट 'क'

ग्राम मन्डोली

खाता नं.	खातेदार का नाम	खसरा नं. पुराना	खसरा नं. नया	क्षेत्रफल बी०	क्षेत्रफल बी०	क्षेत्रफल बी०	किस्म
1	2	3		4			5
12	लक्ष्मण वल्द धन्ना रावत साकिन देह	171	403	0	9	10	गै.मु. पाल
20	सीमा लक्ष्मण व देवा पिता गुलाब रावत सा. देह	183	422	1	12	0	आबी–3
		193मी	434	0	1	0	चाह
		191मी	435	0	16	0	दांती
				2	9	0	
19	खीमा देवा पि० गुलाब सा. देह	187	432	0	19	0	बा. 2
		193मी	430	0	14	10	बा. 3
		193मी	431	0	8	0	,,
				2	1	10	
74	मोती वल्द नीला रावत सा. देह	190	428	0	19	0	बा. 2
		189	426	1	0	0	,,
		184	423	1	11	10	आबी 3
	पुन्दी बेवा मल्ला पि. नोला 1/2	186	424	1	13	10	,,
				5	4	0	
63	मेरा नंगा पि. धन्ना रावत सा. देह	191	425	0	13	0	
33	दुर्गा व कल्ला पि. धन्ना रावत सा. देह	191	426	0	9	0	बा. 2
		188	425	0	6	0	बा. 3
				0	15	0	

1	2	3	4	5			
61	मेरा नंगा पि. अन्ना सा. देह जाति	181	420	2	5	0	बा. 3
6	ऊदा धीरमा भोमा पि. लादू रावत सा. देह	182	421	1	16	0	बा. 3
		161	408	2	14	0	बा. 2
		160	409	0	7	0	,,
				4	17	0	
76	मोती वल्द रोडा भील सा. अन्धी देवरी	1	4मि.	0	5	0	बा. 3
		1	5मि.	1	0	0	,,
		1	6	0	13	10	10 मिन
		6	7	3	6	10	बा. 1
		7	8	0	5	0	बा. 3
		11	13	0	6	0	पाल
		12	14	0	14	0	बी. 1
				6	10	0	
80	मंगलसिंह वल्द चिमनसिंह रावत सा. रूपाहेली	19	10 मी.	1	0	0	बा. 2
8	कालू वल्द हालू रावत सा. देह	18	11	1	0	0	बा. 1
		109/118/	365	1	8	0	,,
		13	15	0	11	0	,,
		19	23 मि.	0	11	0	बा. 3
				3	10	0	
9	कालू वल्द हालू हिस्सा 1/2 नीम्बा व प्रताप व रूपा पि	1	16	4	6	10	बा. 1
		1	17	5	4	0	,,
		15	18	0	16	10	,,
	अन्ना रावत हिस्सा 1/2 सा. देह	16	20	0	16	0	,,
		16	21	2	4	10	बा. 3
		103	349	0	2	0	चाह
		106	360	2	3	10	बा. 1

(280)

1	2	3	4	5			
		106	361	3	11	0	बा. 1
		106	362	0	3	0	चाह—
		105	363	3	8	10	बा. 1
		16	19	0	13	0	,,
		104	350	0	3	0	घोरा
				22	11	10	
16	केसा व मंगला पि. देवा 2 हिस्से, मिठ्ठू वल्द पदमा 4 हिस्सा रावत सा. देह	24	19	0	9	0	पाल
102	नाथू वल्द करणा रावतान सा. झकि	102	399	2	3	10	
44	पांचू वल्द मोती रावत सा. देह	82	91 मि.	1	0	0	बा. 2
		85	93	3	18	0	बा. 2
		86	94	5	18	10	,,
				10	16	10	
94	किशना गोपी, हीरा पि सुभान मेहरात सा. देह	118	103	0	19	0	बा. 3
99	किशना व गोपी व हीरा पि. सुभान व हजारी वल्द पन्ना मेहरात सा. देह	133	114 मि.	0	5	0	चाही 2
59	भूरा वल्द अन्ना बाबू गुलाब अल्लादीन पि. लाडू मेहरात सा. देह व हिस्से बराबर हुकमा वल्द ऊदा मेहरात सा. देह	92	351	2	8	10	बा. 2
		99	359	0	16	10	,,
		94	352	1	13	10	,,
		95	355	0	12	0	,,
		96	356	0	14	0	,,
		97	357	0	17	0	,,
				7	1	10	

(281)

1	2	3	4	5			
64.	भोमा मिश्री व छाटू पी. हजारी	165	389	0	8	0	बा. 3
	उदा मिठ्ठू व डूंगा पि. भूरा,	158	392	0	19	10	दाती
	उदा व बोला पि. गोमा रावतान	162	395	1	12	0	आबी 2
	सा. देह	166	398	0	10	0	बा. 2
				3	9	10	
3.	ऊदा वल्द गोमा रावत सा. देह	159	393	1	2	0	बा. 3
7.	ऊदा व बाला पि. गोमसा देह	192	394	1	5	10	आबी 3
	रावत	199	481	1	6	0	बा. 2
				2	11	10	
5.	उदा, मीठू व डूंगा पि. भूरा	163	396	2	5	0	बा. 3
	रावत सा. देह						
68.	मीठू वल्द भवानी रावत सा. देह	176	401	0	18	0	बा 3
		170	402	1	0	10	,, 2
		172	404	1	2	10	,, 1
		175	405	0	7	0	,, 2
		174	406	0	8	10	,, 2
		196	478	0	14	10	,, 2
		197	479	1	1	0	,, 2
				5	12	0	
49.	वीरमा व रामा पि. पदमा	166	397	0	7	0	बा. 2
	सा. देह जाति रावतान	169	400	1	14	10	बा. 2
				2	1	10	
12.	किशना वल्द बन्ना रावत सा. देह	194	407	0	6	0	बा. 2
		173	477	0	14	0	बा. 2
				1	0	0	

1	2	3	4	5		
36.	नाथू वल्द करना रावत सा. देह	270	482	0	10	10 बा. 2.
		195	475	0	3	10 बा. 2
				0	14	0
69	मीठू व डूंगा पि. पूरा रावत सा. देह	198	480	0	16	10 बा. 2
102.	हजारी बालिग वीरमा व रामा नाबालिग बसर बरोई विरादर खुद पि. पदमा 1/3 हिस्सा भूरा व गोमा पि. अहमदा 1/3 हिस्सा, भवाना वल्द धन्ना हि., नाथू वल्द करना, 1 हिस्सा माला किशना पेमा पि. कन्ना । हिस्सा रावतान् सा. देह ।	167	390	2	3	10 बा. 2
38.	नींम्बा, परताप व रूपा पि. । मित साकिन देह		7/702	0	17	0 बा. 3
31.	भूंझा व मंगला पि. सवाई 1/6 हि. मूला किशना पेमा पि. धन्ना 1/30 हिस्सा, हेमा वल्द धन्ना 4/30 हि., गुलाब वल्द कल्ला 1/6 हिस्सा, उदा बालिग व बीरमा भोमा नाबालिग बसर बाराई अन्नी वाल्दा. खुद पि. जाडू 1/2 हिस्सा, पूरा व गोमा पि. अमरा 2/3 हिस्सा, हजारी बालिग व. रामा नाबालिग बसर बाराई वाल्दा खुद पि. पदमा 1/3 हिस्सा, मल्ला, किशना, पेमा पि. धन्ना सा. झाक 1 हिस्सा, भवाना वल्द ऊमा 1 हिस्सा, करता वल्द बाला 1 हिस्सा । कुल 5 हिस्से ।	176	413	3	12	0 दागी

1	2	3		4		5	
	ग्राम सूलवा						
36.	अमी वल्द पन्ना मेरात सा देह	1 मि	2	0	2	10	बा. 3
		429मि	11	0	2	10	बा. 3
		,, ,,	15	0	8	10	बा. 3
		,, ,,	17	0	5	0	बा. 3
		431	10	0	3	0	बा. 2
				1	1	10	
88.	पुजारी वल्द जमीरा मेरात सा. देह	429मि	14	0	35	0	बा. 3
		,, ,,	16	0	6	10	बा. 3
		2 मि	8	0	12	10	बा. 1
				2	13	0	
12	अर्जुन वल्द पन्ना मेरात सा० देह	429 मि	14	0	5	0	बा० 3
		1 मि	3	0	3	0	,,
				0	8	0	
37	आप्पी व अर्जुन मि० पन्ना मेरात सा० देह	2 मि	5	0	7	0	बा० 1
		,,	6	0	3	10	,,
		4	7	0	1	0	पाल बा० 3
		5	22	0	4	10	बा० 1
				0	15	10	बा० 1
434	मधुपुरी देवा हमीरा मेरात सा० देह	3	21	0	2	10	बा० 2
477	सुवा व अशरफ मि० वाबू व हिस्से बराबर	5 मि	24	0	4	10	बा० 1
		9	27	0	2	0	पाल
		7	26	0	19	10	बा० 1
				1	6	0	

1	2	3	4	5			
422	नंनू व सम्मा व लाला व सूवा पि०उजीरा मेहात सा०देह	430	9	0	4	0	बा०2
43	भूरा, भूरा व ताज पि०अहमा 1 हि० धन्ना वल्द खूमा 1 हिस्सा	5 मि	23	0	6	0	बा०1
		10	28	0	10	10	,,
			12	29	0	20	
		11 मि	34 मि	0	5	0	बा०3
				1	3	10	
393	मीम्बा वल्द पदमा रावत साकिन देह	567	512	0	8	0	आ०3
		572	519	0	7	0	,,
		576	523	0	14	10	बा०2
		557	502	0	9	10	आ०3
		542 मि	511	0	3	0	बा०3
				2	2	0	
594	मंगला वल्द अहमदा मेरात सा. देह	597	527	0	8	10	बा. 2
342	धन्ना वल्द नेता रावत सा. देह	573	522	0	7	0	
593	मंगला, अहमदा व बाला पि. लिखमा रावत भाक	561	509	1	0	0	आ. 3
90	हजारी वल्द उजीरा 1/2 हिस्सा, अर्जुन व अम्मी पि. वन्ना 1/2 हिस्सा, सा. देह	429 मि.	12	0	0	10	चाह
654	मिठू वल्द हाला मेरात	14	31 मि.	0	5	0	बा. 2
91	हजारी वल्द उजीरा, अम्मी व अर्जुन पि. पन्ना 1/3 हिस्सा, अहमद व धन्ना पि. लूमा 1/3 हिस्सा सुवा व अशरफ पि. बाबू 1/3 हिस्सा मेरात सा. देह	419 मि.	19	0	5	0	बा. 3
		419 मि.	20	0	3	0	,,
		6	25	0	1	0	पाल
				0	9	0	
	ग्राम सरकना						
24	खूमा वल्द लाखा मेरात सा, देह	71 81मि.	174	0	5	0	बा. 2

1	2	3	4	5			
110	सम्मा वल्द हरी मेरात सा. देह	17 मि.	26	0	13	0	बा. 3
		20	25मि.	0	8	10	,,
		18 मि.	32	0	5	10	बा. 1
		72 मि.	55	0	1	0	बा. 2
		20/362	24मि.	0	3	0	बा. 1
				1	11	0	
109	लाडू वल्द उजीरा मेरात सा. देह	72	52 मि	1	16	0	बा. 3
		28	35	0	4	0	बा. 1
		67	45	0	8	0	बा. 1
				2	8	0	
75	बाबू व राजू पि. महमद मेरात सा. देह		33	0	7	0	बा. 3
		66	46 मि	0	8	10	बा. 1
				0	15	10	
30	घीसा वल्द सजीरान मेरात सा. देह	18	34	0	4	10	बा. 1
		72	56 मि	0	1	0	बा. 2
				0	5	10	
115	हजारी वल्द नारा व मोती	283	291	0	17	0	बा. 2

ग्रामवार निम्न लिखित रकम खातेदारों को भुगतान की गई :—

1.	मुण्डोती	2,81,348.50
2.	लूलवा	20,581.00
3.	सीकना,	12,192.00
	कुल रकम	3,14,121.50

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न सं. 723 का जांच प्रतिवेदन

MEDICAL AND HEALTH DEPARTMENT, RAJASTHAN
POST MORTEM REPORT

District JAIPUR Dated 13-10-82

Body brought by (1) Nathu Lal ASI P.S. Bagru
(2) Rajendra Police Const. belt No. 3782

Body identified by (1) Nathu Lal ASI P.S. Bagru
(2) Kanhiya Lal S/o Sita Ram elder brother of Govind Ram.

Name, age, sex and caste—Govind Ram S/o Sita Ram approximately 21 years Caste Soni Male R/o Bagru

Whense, brought, village, thana–from village Bagru P.S. Bagru

DATE AND HOUR OF

Death	Examination of body	Despatch of matter to chemical Examiner	Appearance of symptoms of poison or disease
In between 24 to 36 hrs. prior to PM Examination.	2.00 P.M. 13-10-82	(A) Plastic jar wraped in linen containing portion of liver, spleen & R Kidney in S.S.O. common salt. (B) Plastic jar labelled "B" & wrapped in linen containing stomach with contents and portion of small intestine in S.S. and common salt. (C) One sealed viol containing blood from heart.	

(D): One Plastic Jar wrapped in linen containing complete heart and piece of left lung & trachea in rectified sprit for histo pathological examination.

Symptoms observed before death

Information furnished by police

Nil

N.B. The Medical Officer will observe the state of all the organs and when he finds no disease or injury, he should write in the appropriate place the word 'healthy'

EXTERNAL APPEARANCE

Average built and narist strain present on dependent parts and on front of chest rigor mortis present only on lower extremetis moils both feet & horas cyrosed & libs & face are livid.

1. Condition of subject – stout, omaciated, decomposed etc. — undigest food particles seen coming out through nostrilles and mouth abdomen slightly distended.
2. Wounds–position, size, nature.)
3. Bruises–position, size, nature.) — See on last page
4. Marks of ligature on neck, dissection, etc. — Nil

Condition of pupils. — Eyes partly opened and pupil dialted and fixed sub conjvesvel hamorrage is seen.

II. CRANIUM AND SPINAL-CORD

Note:–The spinal canal need not be examined unless any indication of disease or injury exists.

1. Scalp, skull and vertebrae. 2. Membrances Brain and Spinal card

—— NAD ——

288

III. THORAX

1 Walls, Ribs and Cardlages NAD
2. Plourae NAD
3. Larynx and tracheae conjested & preserved for histo pathological examination.
4. Right Lung) Conjested & oedcnotous on cut
) dark colour blood exude out-Portion of L lung preserved for histo
5 Left Lung) pathological examination
6. Pericardium NAD
7. Heart Right side contents containing blood & left side MT preserved for histo pathological exam.
8. Large vessels NAD

IV. ABDOMEN

1. Walls NAD
2. Peritoneum NAD
3. Mouth Pharynx and Oesophagus NAD
4. Stomach and its contents Stomach highly conjested & containing about 5 hundred CC of semy digested food materials
5. Small intestines and their contents) NAD containing
6. Large intestines and their contents) gases faces only
7. Liver)
8. Spleen) Conjested
9 Kidneys)
10. Bladder NAD empty
11. Organs generation : external and internal NAD

V. MUSCLES, BONES AND JOINTS

1. Injury 2. Disease or Deformity 3. Fracture 4. Dislocation

———————NAD———————

Wounds & Bruises

1. Bruises & abroson $-2'' \times 1\frac{1}{2}''-$ On abroson side of R side of chest
2. Bruises & abroson $-1\frac{1}{2}'' \times 1''-$ On abroson side of R shoulder

3. Pressia Bruise -1"×½"- On lateral side of L Eye brow
4. Seattoea abrusion -¾"×¾" On behind L on R scrotum
5. Abrusion -½cm x ½cm- All injuries are anti mortem in nature

REMARKS BY MEDICAL OFFICER

OPINION–The cause of death could not be ascertained however the following visceras have been preserved for histo pathological and chemical examination handed over to police Constable Ram Swroop Belt No.3450 P.S. Bagru.

1. One sealed plastic Jar wrapped in liren labelled & "A" containing portion of liver, spleen and R Kidney in SS of common salt.

2. One sealed plastic Jar wrapped in linen labelled M "B" containing stomach with contents and portion of small intestine in S.S of common salt.

3. One sealed vial containing blood from heart.

4. One sealed plastic Jar wrapped in linen containing complete heart and piece of left lung and trachea in rectified spirit for histo pathological examination.

Specimen of Seal

D. No. 461-62

SEAL 14.10.82 Sd/

Medical Officer
Puranmal Jhalani Govt. Disp.
Bagru Kalan (Jaipur)

Copy to :
1. The S.H.O Bagru.
2. The CM & HO Jaipur.

Sd/

Medical Officer,
Puranmal Jhalani Govt. Disp.
Bagru Kalan (Jaipur)

290

DEPARTMENT OF CHEMICAL EXAMINER, RAJASTHAN, JAIPUR

Lab. Report No. 270|P Despatch No. 936

Dated 2 .11.82 Dated 26.11 82

CHEMICAL EXAMINATION REPORT FOR CASE M L.I. NO 800DT18.11.82 FOR DETECTION OF Common Poison.

Articles received from Medical Officer I/C Surajmal Jhalari Govt Disp. Bagru (Jaipur)

Through Ct. Jeev Raj Singh No 3361 Ref. No. Nil Dated 13.10.82 F.I.R. No and date 203/ 13.10.82 u/s 302, 201 IPC PS Bagru JPR) Description of the Articles Two jar & one vial sealed as per specimen "M.O. BAGRU"

Description as under:

A-One Jar labelled in English Govind Ram-portion of liver, spleen and left Kidney.

Contents: Kidney, spleen and liver

B–One Jar, labelled in English–Govind Ram–Stomach with contents portion of small intestine.

Contents:– Stomach and a piece of intestine with brownish coloured liquid material.

C-One vial, labelled in English-Govind Ram-Blood.

Contents - A little quantity of blood.

RESULT. : The contents of all the three articles under items "A, B & C are Negative- for Arsenic, Antimoney, Mercury, Opium, Barbiturates and Dhatura.

Sd/

Dr. Dhan Roopchand Mathur
Chemical Examiner
Government of Rajasthan
JAIPUR

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 724 का विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के राजस्थान कैडर के उन अधिकारियों की सूची जो राजस्थान सरकार से सम्बद्ध अन्यत्र अर्थात निगमों आदि में तथा राजस्थान सरकार से सम्बद्ध राजस्थान से बाहर पदों पर दिनांक 1-4-1980 से 31-1-1983 तक कार्यरत रहे अथवा पद स्थापित किये गये :-

क्र0स0 1	नाम अधिकारी 2	पद 3	अवधि 4
1-	श्री बी.एन.मल्हन	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास, निगम, जयपुर।	16.7.79 से निरन्तर।
2-	श्री वी.के. भनोत	अध्यक्ष, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।	29.4.81 से 25.8.81 तक
3-	श्री शेरसिंह	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर।	17.4.80 से 6.7.81 तक
4-	श्री बृजराज बहादुर	1- आवासीय आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यालय नई दिल्ली।	6.12.79 से 1.3.83 तक
		2- नियन्त्रक, राजस्थान राजकीय सम्पत्ति मुख्यालय, नई दिल्ली।	1.3.82 से 21.2.83 तक
5-	श्री एम.एम. कोहली	आवासीय आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यालय बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।	1.3.82 से 24.9.82 तक
6-	श्री बी. हुजा	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर।	17.2.79 से 31.12.80 तक
7-	श्री ए.एल.रूंगटा	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।	अप्रेल, 78 से 30.12.80 तक
8-	श्री एच.एस.रमनी	प्रशासक, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक एवं राजस्थान स्टेट सहकारिता बैंक।	12.5.80 से 10.5.81 तक
9-	श्री वी.आई रामगोपाल	1- प्रशासक, राजस्थान कृषि भूमि विकास बैंक एव राजस्थान स्टेट सहकारिता बैंक।	15.5.79 से 12.5.80 तक
		2- अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर।	16.4.80 से 11.8.82 तक

क.सं.	नाम अधिकारी	पद	अवधि
10-	श्री आर.जे. मजीठिया	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।	14.5.79 से 20.10.81 तक
11-	श्री एस.पी. विश्नोई	अध्यक्ष, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम/डेयरी फेडरेशन।	2.8.80 से 4.8.82 तक
12-	श्री राजेन्द्र जैन	उप कुलपति, जोधपुर विश्व-विद्यालय, जोधपुर।	3.3.80 से दिसम्बर, 80 तक
13-	श्री यतीन्द्र सिंह	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर।	31.12.80 से 14.8.81 तक
14-	श्री पी.बी. माथुर	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम एवं पदेन मैनेजिंग डायरेक्टर राजस्थान डेयरी सहकारिता विकास फेडरेशन, जयपुर।	6.11.81 से निरन्तर।
15-	श्री एच.सी. पाण्डे	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।	31.12.80 से 22.10.81 तक
16-	श्री ए.एस. राठौड़	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर।	20.12.80 से निरन्तर।
17-	श्रीमती कुसुम प्रसाद	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर।	15.5.79 से 29.11.80 तक
18-	श्री असीम चटर्जी	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।	24.12.81 से जुलाई 1982 तक
19-	श्री सतीश कुमार	जयपुर विकास आयुक्त (जयपुर विकास प्राधिकरण)	31.7.82 से निरन्तर।
20-	श्री विजय सिंह	मैनेजिंग डायरेक्टर, जयपुर मैटल्स एवं इलेक्ट्रिकल्स लि. जयपुर।	2.8.80 से 31.3.81 तक
21-	श्री चन्द्र प्रकाश	1- जनरल मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।	4.7.79 से 19.12.80 तक
		2- मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर।	14.8.81 से निरन्तर।

क्र.स.	नाम अधिकारी	पद	अवधि
22-	श्री अनिल कुमार	1- मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जयपुर।	12.5.78 से 16.4.82 तक
		2- मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान वित्त निगम जयपुर।	30.7.80 से निरन्तर।
23-	श्री पी.एम. भण्डारी	1- मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. उदयपुर।	18.7.79 से 7.8.80 तक
		2- उप कुलपति, उदयपुर विश्व विद्यालय, उदयपुर।	31.8.81 से निरन्तर।
24-	श्री आई.एस.कावड़िया	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर।	25.2.80 से 29.10.80 तक
25-	श्री हनुमान प्रसाद	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. उदयपुर।	18.7.81 से निरन्तर।
26-	श्री पवन चौपड़ा	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर।	22.5.78 से 10.4.81 तक
27-	श्री एन.के. वैरवा	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम, जयपुर।	2.8.80 से 13.8.81 तक
28-	श्री एस.ए.सिसोदिया	1- मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर।	20.4.81 से 17.8.81 तक
		2- मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जयपुर।	18.8.81 से निरन्तर।
29-	श्री एन.के. वर्मा	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर।	20.8.81 से 14.10.82 तक
30-	श्री उम्मेद सिंह	मैनेजिंग डायरेक्टर, भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन, राजस्थान जयपुर।	7.11.81 से 31.12.81 तक

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	अवधि
31-	श्री बी.एल.मिन्हास	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. उदयपुर।	22.10.80 से 17.7.81 तक
32-	श्री एम.आर.भसीन	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान डेयरी विकास निगम, जयपुर ।	31.3.75 से 6.11.81 तक
33-	श्री एम. डी. कोरानी	जनरल मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।	27.8.81 से निरन्तर।
34-	श्री डी.एस.मीना	जनरल मैनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।	20.1.81 से 26.8.81 तक
35-	श्री राजेन्द्रपाल सिंह	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम ।	29.10.80 से 19.8.81 तक
36-	श्री डी.एस. शक्तावत	मैनेजिंग डायरेक्टर, जन जाति क्षेत्रीय विकास निगम, उदयपुर ।	9.1.80 से 13.8.82 तक
37-	श्री बी.एस. हल्दिया	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।	9.8.82 से निरन्तर।
38-	श्री रामेश्वर सिंह	सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर ।	5.12.79 से 30.10.80 तक
39-	श्री एस.डी. श्रीवास्तव	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर ।	19.8.81 से 17.10.81 तक
40-	श्री एम.एस. मोगरा	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर ।	7.8.82 से 20.8.82 तक
41-	श्री सी.आर. मेहता	सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जयपुर।	31.10.80 से निरन्तर।
42-	श्री ताराप्रकाश जोशी	मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर।	20..883 से निरन्तर।
43-	श्री सत्यनारायण सिंह	मैनेजिंग डायरेक्टर, जन जाति क्षेत्रीय विकास निगम, उदयपुर ।	6.9.82 से निरन्तर ।
44-	श्री पी.के.देव	सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।	23.8.82 से निरन्तर ।

295

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के राजस्थान कैडर से बाहर के उन अधिकारियों की सूची जो दिनांक 1-4-80 से 31-1-83 तक राजस्थान में कार्यरत रहे या पदस्थापित किये गये :-

1-	श्री सी.डी. अरडा	विशिष्ट शासन सचिव, राजकीय उपक्रम राजस्थान, जयपुर तथा पदेन मैनेजिंग डायरेक्टर, राजस्थान स्टेट टैनरीज जयपुर।	18.9.79 से 31.7.80 तक तथा दिनांक 1.8.80 से कार्य मुक्त किये गये।
2-	श्री भवानीसिंह मीना	1- अतिरिक्त जिलाधीश एवं अति. जिला दण्डनायक धौलपुर।	17.3.80 से 10.12.80 तक
		2- महाप्रबन्धक एवं सचिव, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।	11.12.80 से निरन्तर।
3-	श्री जे.के. शर्मा	1- अतिरिक्त आयुक्त (ऐन्टी इवेजन) वाणिज्य कर विभाग, राजस्थान जयपुर।	26.5.81 से 28.12.81 तक
		2- निदेशक, भूमि रूपान्तरण, राजस्थान जयपुर।	29.12.81 से निरन्तर

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 727 का प्रतिवेदन

परिशिष्ट "क"

दिनांक 8-12-82 से 26-1-83 तक अजमेर नगर में आयोजित कौमी एकता समारोह का प्रतिवेदन

	क्र.सं.	स्तर	दिनांक	आयोजित कार्यक्रम का विवरण
अजमेर नगर	1-	नगर सुधार न्यास, अजमेर।	8.12.82	सूचना केन्द्र में कवि गोष्ठी का आयोजन कौमी एकता निबन्ध प्रतियोगिता विद्यालय एवं महाविद्यालय के 105 छात्रों ने भाग लिया।
	2-	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं) अजमेर।	9.12.82	मोनिया इस्लामिया उ.मा.वि. अजमेर में कठपुतली प्रदर्शन। दिनांक 11.12.82 को सावित्री कालेज अजमेर में कौमी एकता के सम्बन्ध में सिम्पोजियम का आयोजन। माह जनवरी, 83 के प्रथम सप्ताह में जिले के समस्त विद्यालयों में राष्ट्रीय एकता विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित-तीन विद्यालयों को जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु चयन। दिनांक 11-12-82 को कवि सुब्रह्मण्यम भारती जन्म शताब्दी के उपलक्ष में कौमी एकता समारोह सभी विद्यालयों में मनाया गया, राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी कवि के विचारों का व्यापक प्रचार किया गया। दिनांक 26.1.83 को जिला स्तरीय सांस्कृतिक संध्या में कौमी एकता एवं देशभक्ति संबंधी सामूहिक गायन नृत्य नाटिकायें एकांकी इत्यादि प्रस्तुत किये गये।

परिशिष्ट "ख"

उपखण्ड	क्र.सं.	स्तर	दिनांक	आयोजित कार्यक्रम का विवरण
1	2	3	4	5
उपखण्ड अजमेर (रामसर)	1-	5.12.82		कौमी एकता कार्यक्रम के तहत शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन विकास समिति रामसर के द्वारा किया गया जिसमें मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री जी श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, अध्यक्ष, श्री हनुमन्त सिंह रावत' जिला प्रमुख, अजमेर एवं अनेकों गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी उपस्थित हुए। माननीय मंत्री महोदय ने छोटे मोटे भेद भावों को भुला कर सद्भावना रखने का आह्वान किया।
(पीसांगन)		7.12.82		उपखण्ड अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम पीसांगन में आयोजन किया गया। सर्व धर्म प्रार्थना कौमी एकता के संबंध में सामूहिक शपथ ग्रहण, कौमी एकता विषयक रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन।
ऊंटड़ा	1-	सहायक निदेशक, श्रव्य दृश्य शिक्षा, अजमेर	7.12.82	कौमी एवं राष्ट्रीय एकता पर छोटा परिवार फिल्म का प्रदर्शन।
बवायचा			8.12.82	उपखण्ड अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के तत्वावधान में सत्संग भवन में समारोह का आयोजन। अनुसूचित जाति जिनका कि सत्संग भवन में प्रवेश होना निषिद्ध था यह सभी ने मिलकर कौमी एकता समारोह मनाया।
पुष्कर			8.12.82	कौमी एवं राष्ट्रीय एकता एवं छोटा परिवार की फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

1	2	3	4	5
चाचिया-वास			9.12.82	जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर की उपस्थिति में कौमी एकता विषय पर रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सर्वधर्म प्रार्थनाएं व सामूहिक शपथ ग्रहण आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये।
			9.12.82	कौमी एकता समिति एवं जन चेतना समिति पुष्कर के सामूहिक तत्वावधान में गीत नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसके मुख्य अतिथि श्रीमती सूरज देवी, विधायिका, अध्यक्ष हनुमन्त सिंह रावत, जिला प्रमुख थे।
गोविन्द गढ़	सयहाक निदेशक, श्रव्य दृश्य शिक्षा, अजमेर।		9.12.82	कौमी एवं राष्ट्रीय एकता व छोटा परिवार पर फिल्म प्रदर्शन।
नसीराबाद			10.12.82	मुख्य अतिथि माननीय श्री गोविन्द सिंह गुर्जर गृह राज्य मंत्री एवं श्री हनुमन्तसिंह रावत, की अध्यक्षता में फलागंज समामजिद के पास नसीराबाद में आयोजन किया गया, राष्ट्रीय ध्वज सामूहिक शपथ, सर्वधर्म प्रार्थनाएं गीत नृत्य आदि के आयोजन किये।
				अम्बेडकर नवयुवक संघ द्वारा डा० अम्बेडकर के चित्र भेंट किये गये। इसी मंच से अम्बेडकर जयन्ती भी मनाई गई।
			10.12.82	सर्वधर्म प्रार्थनाएं, छात्रों द्वारा गीत एवं नृत्यों का प्रदर्शन।
पीसांगन			10.12.82	राष्ट्रीय एवं कौमी एकता पर फिल्म प्रदर्शन।
श्रीनगर			11.12.82	उपखण्ड अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन भिन्न भिन्न धर्मों की प्रार्थनाएं सामूहिक शपथ, गीत एवं नृत्य एवं भजन।

1 2	3	4	5
नसीराबाद,		11.12.82	सर्वधर्म प्रार्थनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम शपथ ग्रहण, स्थानीय समस्याओं की चर्चा। मुस्लिम पर्दानशीन महिलाएं पर्दा त्याग उपस्थित हुई। इस आयोजन के अवसर पर 2000 ग्राम वासी उपस्थित।
उपखण्ड		7.12.82	हम सब एक हैं फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
केकड़ी		8.12.82	प्रभात फेरी में कौमी एकता के नारे लगाये गये।
		9.12.82	भाषण प्रतियोगिता, विषय देश की अखंण्डता एवं कौमी एकता। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री तुलसीराम जी उपस्थित रहे।
		9.12.82 एवं 10.12.82	को कौमी एकता पर निबन्ध, कला चित्रकला महाविद्यालय एवं विद्यालय स्तर के छात्रों द्वारा भाग लिया।
		11.12.82	काव्य गोष्ठी का आयोजन एवं कविता पाठ।
उपखण्ड किशनगढ़		6.12.82	प्रा० शा० चूंदड़ी में भजन कार्यक्रम पं० स० किशनगढ़ के विभिन्न प्रा०वि० में ध्वजा-रोहण एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया।
		7.12.82	चूंदड़ी में धर्मों पर प्रकाश डाला गया शपथ ग्रहण। रूपनगढ़ में गांधी जी के संस्मरण पर एवं सुब्रह्मण्यम भारती के जीवन पर प्रकाश डाला गया। विभिन्न विद्यालयों में वादविवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
		8.12.82	शालाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल सभाओं का आयोजन वाद विवाद कार्यक्रम।
		9.12.82	उपखण्ड की प्रायः शालाओं में सर्वधर्मों पर विचार विमर्श कौमी एकता पर वार्ता, खेल-कूद प्रतियोगिता, कविता पाठ वाद-विवाद इत्यादि।

1	2	3	4	5
			10.12.82	कहानी लेखन कार्यक्रम गोष्ठियों का आयोजन, अभिनय, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता
			11.12.82	ध्वजा-रोहण, पुरस्कार वितरण, कविता पाठ सभाओं का आयोजन।
		पं.सं. अराई	6.12.82 से 11.12.82	प्रतिदिन प्रभात फेरी का आयोजन, सर्वधर्म सभाएं, वाद विवाद, निबन्ध चित्र कला, प्रतियोगिता का आयोजन।
उपखण्ड ब्यावर		(मसूदा)	11.12.82	सुब्रह्मण्यम भारती के 100वें जन्म दिवस पर सम्पूर्ण पं० स० मसूदा के विद्यालयों में व्यापक प्रचार एवं प्रसार का आयोजन।
			1.12.82	राष्ट्रीय ध्वजारोहण, शपथ ग्रहण, राष्ट्रीय एकता एवं सर्वधर्म प्रार्थनाएं भाईचारे आदि पर गोष्ठियां 20-सूत्री कार्यक्रम पर विचार गोष्ठी नारों इत्यादि का लगाना, ग्राम सभाएं वाद-विवाद प्रतियोगिता, गायन, कविता पाठ, बाल सभाएं, चित्रकला प्रतियोगिता।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 728 की सूची

वर्ष वार :–	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	
पंजीकृत इकाइयों की संख्या	13	37	26	31	91	99	468	670	कुल 1435

तहसीलवाइज :– वर्षवार :–	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1. चित्तौड़गढ़	6	18	12	11	14	16	79	87
2. बेंगू	1	–	–	1	3	6	33	74
3. निम्बाहेड़ा	2	6	4	8	13	9	58	79
5. कपासन	2	3	3	2	9	7	34	51
5. प्रतापगढ़	–	5	5	6	7	5	29	38
6. राशमी	–	–	–	2	8	6	22	49
7. गंगरार	1	1	–	–	9	7	38	37
8. डूंगला	–	2	–	1	7	8	19	45
9. भदेसर	–	–	–	–	12	16	75	89
10. छोटी सादड़ी	–	–	–	–	3	7	57	67
11. बड़ी सादड़ी	1	2	2	–	6	12	24	48
वर्ष वार योग	13	37	26	31	91	99	468	670

उपनिदेशक
उद्योग
चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 729 की सूची

इकाइयों की सूची जिनकी परिसम्पत्ति का निगम द्वारा विक्रय अथवा अन्तरण वर्ष 1981-82 के दौरान किया गया

क्र०सं०	इकाई का नाम	(रुपये लाखों में) विक्रय मूल्य
जयपुर शाखा		
(1)	मै० बोम्बे होजरी वर्क्स	2.04
(2)	मै० आर. सी. एजेन्सी	0.26
(3)	मै० सोलंकी आर्ट प्रिन्टर्स	1.25
(4)	टेक्सी श्री अजीत सक्सेना	1.57 (नकद भुगतान)
(5)	ट्रक छाजूलाल वर्मा	2.17
पाली शाखा		
(6)	मै० मान ड्राइंग कम्पनी	1.50
(7)	मै० कृष्णा प्रिन्टिंग प्रेस	0.24
विश्व कर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर शाखा		
(8)	मै० भारत इण्डस्ट्रीज	1.51
(9)	मै० श्री गुरुनानक आइल मिल्स प्रा०लि०	3.01
(10)	मै० एलीगेंट टाइल्स	7.52
(11)	मै० वगतो इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन	2.38
(12)	मै० धीरज ग्लास इण्डस्ट्रीज	2.47
भरतपुर शाखा		
(13)	मै० नालन्दा इण्डस्ट्रीज	6.55
(14)	मै० महाराज सिंह दाल मिल	1.40
(15)	मै० खण्डेलवाल आइल मिल्स	0.92
चूरू शाखा		
(16)	मै. पदम इण्डस्ट्रीज	0.19

1	2	3	
जोधपुर शाखा			
(17)	मै० दिग्विजय यार्न मिल्स	2.90	
(18)	मै० भाबरा स्टोन्स	21.65	
अलवर शाखा			
(19)	मै० न्यूएज एन्टरप्राइजेज	1.57	
(20)	मै० विनय ग्लास वर्क्स	5.50	केवल भूमि एवं भवन
(21)	मै० राजस्थान यूटेन्सिल	0.81	केवल मशीनें, नकद भुगतान
(22)	मै० वैशनव प्राइस फैक्ट्री	1.50	केवल मशीनें नकद भुगतान
उदयपुर शाखा			
(23)	मै० राजस्थान ग्रेफाइट (प्रा०) लि०	6.43	
(24)	मै० सोका फूड प्रोडक्ट्स	1.18	
अजमेर शाखा			
(25)	मै० श्री गणेश पोलीथीन	0.34	
(26)	मै० जय इन्डस्ट्रीज.	0.30	
सीकर शाखा			
(27)	मै० जन सेवा आरोग्य सदन	2.00	
(28)	मै० बालाजी आइल मिल्स	3.55	
टोंक शाखा			
(29)	मै० ए. के. फोटो कापीयर्स	0.10	
		84.81	

इकाइयों की सूची जिनकी परिसम्पत्ति को निगम द्वारा अन्तरण वर्ष 1982-83 जनवरी के दौरान किया गया।

क्र० सं०	इकाई का नाम	शाखा का नाम	विक्रय मूल्य
1	2	3	4
1.	मैं० रेश्मा आयरन इण्डस्ट्रीज	टोंक	1.24
2.	मैं० कपूर कैमिकल्स, दौसा	जयपुर	0.97
3.	,, राजस्थान डाइंग एण्ड प्रिन्टिंग	उदयपुर	0.49
4.	,, शर्मा इण्डस्ट्रीज	चुरू	0.60
5.	,, रामा टैक्सटाइल्स	जयपुर	0.39
6.	,, यादवेन्द्र टैक्सटाइल्स	जयपुर	0.32
7	,, मैटल्स एण्ड मैटल्स	टोंक	0.18
8.	,, महामाया सायनिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज	बी.के.आई. जयपुर	13.10

1	2	3	4
9.	मै. इन्द्रसेन सिंह मित्तल	बांसवाड़ा	1.15
10.	„ सुन्दर सन्स इण्डस्ट्रीज, प्रा०लि०	जयपुर	5.30
11.	„ श्री पदम सेन जैन	बांसवाड़ा	1.27
12.	„ राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी	बालोतरा	2.52
13.	„ पारीक उद्योग	बूंदी	0.15
14.	„ जैमल मारबल इण्डस्ट्रीज	नागौर	0.45
15.	„ जगदीश ईसबगोल इण्डस्ट्रीज	सिरोही	0.62
16.	„ श्रीराम आइल इण्डस्ट्रीज	टोंक	0.08
17.	„ गोल्डन प्लास्टिक उद्योग	चूरू	0.05 (नकद भुगतान)
18.	„ कमल कैमिकल्स	चूरू	0.42
19.	„ रोमटन इण्डस्ट्रीज	जयपुर	0.30
20.	„ मधु सरिता ग्रामोद्योग	टोंक	0.05
21.	„ ट्रक नम्बर आर आर बी 7299	जयपुर	0.50
22.	„ मोडर्न शुगर वर्क्स प्रा०लि०	झालावाड़	0.60
23.	„ जैन एण्ड कम्पनी	जयपुर	0.40
24.	„ राजस्थान कैमिकल्स प्रोडक्ट्स	अलवर	0.36
25.	„ स्वास्तिक एन्टरप्राइजेज	चूरू	0.48
26.	„ पीलीबंगा आइल मिल	श्रीगंगानगर	3.36
27.	„ विजय ड्रग हाउस	सिरोही	0.62
28.	„ विजय आइल मिल	उदयपुर	0.45
29.	„ मराती स्टोन क्रेशर	जयपुर	0.68
30.	„ जैम्फ जोसेफ टैक्सी	जयपुर	0.60
			योग 37.70
31.	मै. विनय ग्लास वर्क्स	अलवर	1.71 सिर्फ प्लांट व मशीनरी (नकद भुगतान)
32.	„ राजस्थान ग्लास कन्टेनर्स	अलवर	0.22 „ „
33.	„ पुरोहित प्लास्टिक रिप्रोसेस मैन्यू	अलवर	0.32 „ „
34.	„ महावीर कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री	टोंक	1.00 „ „
35.	„ अचरज आइल मिल्स	अजमेर	0.46 „ „

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 732 की सूची

अजमेर शहर में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का नाम :-

क्र०सं०	नाम अधिकारी	पद	कब से
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी			
1.	श्री जी०के० भनोत	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।	23.8.82
2.	श्री एच०सी० पाण्डे	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।	28.12.81
3.	श्री अरुण कुमार	सदस्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।	21.10.80
4.	श्री आर० के० अग्रवाल	सदस्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।	19.10.81
5.	श्री के० के० सक्सेना	सदस्य, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।	5.7.82
6.	श्री डी०सी० सामन्त	जिलाधीश, अजमेर।	18.2.81
7.	श्री आर० के० गुप्ता	सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।	11.9.81
8.	श्री एस०पी० पुरोहित	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर।	30.8.82
9.	श्री एस०एन० खण्डेलवाल	पंजीयक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।	20.9.82
10.	श्री अरविन्द मायाराम	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) अजमेर।	17.8.82
11.	सुश्री नीलिमा जौहरी	सिटी मजिस्ट्रेट, अजमेर।	21.8.82
12.	श्री एस०एन० थानवी	उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।	3.9.82
13.	श्री रोडिस आर ब्राण्डन	सहायक जिलाधीश (प्रशिक्षणार्थी)	29.7.82
राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी			
1.	श्री शोभाराम	उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्य कर विभाग, अजमेर।	1.1.83
2.	श्री एम०डी० खन्ना	अति० पंजीयक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।	16.12.80

306

क्र०सं०	नाम अधिकारी	पद	दिनांक
3-	श्री यतीन्द्र नाथ	राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर ।	1.1.83
4-	श्री एस०एस० भण्डारी	सचिव, नगर विकास न्यास, अजमेर ।	26.2.83
5-	श्री गोपाल दास	अति०निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर ।	4.3.82
6-	श्री एस० डी० मेहरू	प्रशासक, नगर परिषद् अजमेर ।	15.7.81
7-	श्री एस०एस० जैन	उप सचिव ,राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।	20.12.82
8-	श्री ताराचन्द	वाणिज्य कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल ,अजमेर।	13.11.80
9-	श्री नरहरी शर्मा	अति० जिलाधीश एवं ए०डी०एम०अजमेर ।	31.7.81
10-	श्री के०डी०खान	उप पंजीयक ,राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।	20.10.81
11-	श्री एस०एस०वर्मा	उप पंजीयक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।	1.4.81
12-	श्री आर०एन० अरविन्द	अति० जिलाधीश, भूमि-रूपान्तरण, अजमेर।	13.9.82
13-	श्री एच०के० दामोर	जिला रसद अधिकारी, अजमेर ।	9.1.81
14-	श्री विष्णु अवतार	उप निरीक्षक, जनरल पंजीयन एवं शुल्क, अजमेर ।	16.8.82
15-	श्री के०सी०गोयल	सहायक जिलाधीश, मुख्यालय अजमेर ।	3.6.81
16-	श्री एच०एस० भाटी	जिला यातायात अधिकारी, अजमेर ।	23.10.82
17-	कु० निवेदिता मेहरू	सहा० जिलाधीश, अजमेर ।	15.8.82
18-	श्री वाई०सी०भटनागर	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर विभाग, अजमेर।	6.1.81
19-	श्री टी०एन० राजदान	निरीक्षक,पंजीयन एवं शुल्क अजमेर ।	11.11.82
20-	कु० राजेश यादव	निरीक्षक पंजीयन एवं शुल्क सवाई माधोपुर, अजमेर।	26.5.80
21-	श्री एस०डी० शर्मा	उप जिला विकास अधिकारी अजमेर ।	31.10.81
22-	श्री के०के०सिंघल	उप खण्ड अधिकारी (भूमि-रूपान्तरण) अजमेर ।	11.1.82

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 736 की सूचना

राजकीय अ-श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर में वर्तमान में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों के नाम एवं कार्यारम्भ दिनांक का विवरण।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	कार्यारम्भ दिनांक
1.	श्री दीपचन्द हरिजन	18-7-79
2.	श्री घीसालाल बुनकर	16-7-81
3.	श्री गिरीराज पारीक	16-11-81
4.	श्री कन्हैयालाल	24-1-83
5.	मुन्नी देवी	17-2-83
6	श्रीमती शशि प्रभा	25-2-83

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 744 का विवरण

कोटा बैराज से वर्ष 1976 से 1982 तक छोड़े गये पानी की मात्रा

वर्ष	पानी की मात्रा	
1975–76	3,30,725	एकड़ फीट
1976–77	5,10,523	,,
1977–78	6,46,804	,,
1978–79	2,43,412	,,
1979–80	4,64,474	,,
1980–81	—	,,
1981–82	1,98,580	,,
1982–(फरवरी 83 तक)	1,41,214	,,

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 747 की सूची

भाग 1 की सूची

इस वर्ष बाड़मेर जिले के पेयजल उपलब्ध कराये गये गांवों की तहसीलवार सूची

क्र.सं. 1	तहसील का नाम 2	ग्रामों की संख्या 3
1.	बाड़मेर	22
2.	शिव	13
3.	पचपदरा	29
4.	शिवाना	16
5.	गुड़ामलानी	5
	कुल	85

भाग 2 की सूची

1.4.83 को संभावित अलाभान्वित गांवों की सूची :—

क्र.सं. 1.	गांव का नाम 2	तहसील 3	कोड नं. 4
1.	जेठ्वाई	जैसलमेर	222
2.	जोगा	जैसलमेर	291
3.	मानपिया	जैसलमेर	217
4.	हासुआ	जैसलमेर	255
5.	मुण्डारी	जैसलमेर	258
6.	कुलधार	जैसलमेर	261
7.	लक्खा	जैसलमेर	102
8.	देवा	जैसलमेर	103
9.	नेरन	पोकरण	83
10.	बैतीना	पोकरण	101
11.	रामपुरिया	पोकरण	114
12.	ब्रह्मसर	जैसलमेर	113
13.	काठोद	जैसलमेर	109
14.	सलखान	जैसलमेर	126

(310)

1	2	3	4
15.	दामोदरा	जैसलमेर	212
16.	बारन	जैसलमेर	265
17.	चन्दन	जैसलमेर	228
18.	आसोलाई	जैसलमेर	325
19.	सन्दा	जसलमेर	323
20.	कोटड़ी	जैसलमेर	284
21	सोम	जैसलमेर	341
22.	सरनायत	पोकरण	52
23.	डूडिया	पोकरण	50
24.	चाहन्दू	जैसलमेर	226
25.	कल्याणघट	जैसलमेर	224
26.	हापा	जैसलमेर	338
27.	चम्पा	जैसलमेर	343
28.	कुम्हार कोठा	जैसलमेर	264
29.	सियाल	जैसलमेर	263
30.	जामरा	जैसलमेर	209
31.	खाबा	जैसलमेर	211
32.	जाजिया	जैसलमेर	215
33.	तेजसी	जैसलमेर	266
34.	टोगा	जैसलमेर	390
35.	निम्बा	जैसलमेर	391
36.	हरना	जैसलमेर	370
37.	गोगाडियो	जैसलमेर	105
38.	धनवा	जैसलमेर	292
39.	कारडा	जैसलमेर	274
40.	लुनार	जैसलमेर	273
41.	जोधा	जैसलमेर	336
42.	आला	जैसलमेर	337
43.	गिराजा	जैसलमेर	339
44.	मूलिया	जैसलमेर	340
45.	छतोगर	जैसलमेर	327
46.	चौधरिया	जैसलमेर	110
47.	सत्ता	जैसलमेर	260
48.	पोलजी की ढाणी	जैसलमेर	286

1	2	3	4
49.	जनारा	जैसलमेर	326
50.	सोधाडोर	जैसलमेर	233
51.	बोगनियायी	जैसलमेर	389
52.	अरजनहार	जैसलमेर	232
53.	सन्धावा	जैसलमेर	368
54.	मिवाऊ कांडा	जैसलमेर	276
55.	केरिया	जैसलमेर	277
56.	महोजासर	जैसलमेर	243
57.	ट्रेउगा	जैसलमेर	75
58.	छोर	जैसलमेर	299
59.	मोडा	जेसलमेर	312
60.	छोडिया	जैसलमेर	308
61.	लखमना	जैसलमेर	357
62.	पुनासर	जैसलमेर	356
63.	मतवों की वस्ती	जैसलमेर	205
64.	माघवालों की ढाणी	जैसलमेर	216
65.	तिबाई	जैसलमेर	257
66.	घोलिया	जैसलमेर	210
67.	डेढ़ा	जैसलमेर	213
68.	सोदत	जैसलमेर	378
69.	बन्सरा	जैसलमेर	373
70.	मण्ढा	जैसलमेर	77
71.	बोहा	जैसलमेर	101
72.	सांखला	जैसलमेर	100
73.	वाडा	जैसलमेर	9
74.	केशुओं की बस्ती	जैसलमेर	127
75.	सियालों की वस्ती	जैसलमेर	128
76.	तुर्कोन की वस्ती	जैसलमेर	54
77.	सियम्बर	जैसलमेर	65
78.	बिठा का गांव	पोकरण	36
79.	घालेरी	पोकरण	35
80.	हेमा	जैसलमेर	99
81.	कुचारी	जैसलमेर	67
82.	बोरना	पोकरण	33

312

1	2	3	4
83.	मदासर	पोकरण	31
84.	भारमसर	पोकरण	32
85.	तवारीवलाल	पोकरण	16
86.	खारा	पोकरण	17
87.	पाना	पोकरण	14
88.	बीकासर	पोकरण	15
89.	अवाय	पोकरण	29
90.	सन्कारिया	पोकरण	27
91.	चन्च का ताला	पोकरण	21
92.	भारावाला	पोकरण	4
93.	चिनू	पोकरण	30
94.	शेखों का वाला	पोकरण	23
95.	भादरिया	पोकरण	28
96.	भुवाना	जैसलमेर	136
97.	ह्‌ामेतों की बस्ती	जैसलमेर	134
98.	संग्रोन की बस्ती	जैसलमेर	133
99.	धनाना	जैसलमेर	200
100.	राहू का पार	जैसलमेर	201
101.	समजा पार	जैसलमेर	202
102.	घन्टीयाली	पोकरण	25
103	रहूरेन्दी	जैसलमेर	86
104.	बह्‌ाला	जैसलमेर	84
105.	नाचना	पोकरण	20
106.	नोख	पोकरण	34
107.	लेलोई	जैसलमेर	44
108.	नीरवाला	जैसलमेर	62
109.	रावला उपार्कीरन	जैसलमेर	238
110.	साधुवाला	जैसलमेर	3
111.	तानोट	जैसलमेर	4
112.	किशनगढ़	जैसलमेर	5
113.	ह्‌ाड़ा	जैसलमेर	16
114.	गुमानोवालास	जैसलमेर	21
115.	मह्‌वा	जैसलमेर	39
116.	बछिया छोर	जैसलमेर	42

1	2	3	4
117.	राटडाऊ	जैसलमेर	43
118.	खारीया	जैसलमेर	45
119.	घरन	जैसलमेर	46
120.	मीठा का ताल	जैसलमेर	48
121.	बिन्डा देसिया	जैसलमेर	52
122.	बिन्डा देसला	जैसलमेर	57
123.	अडकिया	जैसलमेर	58
124.	नया ताला	जैसलमेर	59
125.	मुहार	जैसलमेर	61
126.	रत्ता	जैसलमेर	78
127.	तेजावा	जैसलमेर	117
128.	कंडियाला	जैसलमेर	106
129.	सुवार	जैसलमेर	137
130.	मेहनाऊ	जैसलमेर	104
131.	कुलाटला वाला	जैसलमेर	141
132.	बिडाखरा	जैसलमेर	142
133.	साहरा	जैसलमेर	143
134.	महाराना	जैसलमेर	144
135.	मिजाऊ	जैसलमेर	145
136.	खारिया मंखान	जैसलमेर	146
137.	मुर्दान वाला	जैसलमेर	148
138.	मेना	जैसलमेर	149
139.	जामिया	जैसलमेर	150
140.	खुरिफातेनवाला	जैसलमेर	153
141.	थारी	जैसलमेर	158
142.	बछिया	जैसलमेर	159
143.	बुरानवाली	जैसलमेर	160
144.	बातोई जीवनवाली	जैसलमेर	163
145.	रहमावली	जैसलमेर	164
146.	बासना	जैसलमेर	166
147.	माघला	जैसलमेर	167
148.	कांगूर	जैसलमेर	168
149.	इन्दरवाली	जैसलमेर	149
150.	कुन्धारा	जैसलमेर	171

1	2	3	4
151.	बाबूवाली	जैसलमेर	172
152.	गजाऊ	जैसलमेर	173
153.	पटानीवाली	जैलसमेर	174
154.	मघालवाली	जैसलमेर	176
156.	मीठीकुई	जैसलमेर	177
156.	बीडावाली	जैसलमेर	178
157.	झालरिया	जैसलमेर	180
158.	किराड़ वाली	जैसलमेर	181
159.	क्लाऊ	जैसलमेर	185
160.	भिलोई	जैसलमेर	186
161.	हारदा	जैसलमेर	188
162.	हारनू	जैसलमेर	189
163.	झण्डा खारा	जैसलमेर	190
164.	खाडवाला	जैसलमेर	105
165.	रालना	जैसलमेर	192
166.	नेचो वाला	जैसलमेर	196
167.	मुरार	जैवलमेर	198
168.	कारावालो	जैसलमेर	199
169.	महबूब	जैसलमेर	204
170.	मोकायेत	जैसलमेर	246
171.	सिदाया	जैसलमेर	249
172.	दरबारियों का गांव	जैसलमेर	250
173.	दरबारियों की धान	जैसलमेर	252
174.	भीनीया	जैसलमेर	253
175.	जोडान सासन	जैसलमेर	254
176.	लम्बापार	जैसलमेर	272
177.	पीपरला	जैसलमेर	287
178.	सगाना	जैसलमेर	295
179.	गेराजा	जैसलमेर	60
180.	निम्बिया	जैसलमेर	214
181.	सेलत	जैसलमेर	108
182.	असोडा	जैसलमेर	170
183.	दादुरों वाला	पोकरण	1
184.	मलासंर	पोकरण	6
185.	हरियार	पोकरण	24

नागौर के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

752. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर की पंचायत समिति मूण्डवा व नागौर के विभिन्न गांवों हेतु पेयजल सुलभ कराने की क्या योजना है ?

(2) उक्त क्षेत्र में कितने गांवों में पेयजल किस-किस योजना के माध्यम से सुलभ कराया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जिला नागौर की पंचायत समिति मूण्डवा व नागौर के सभी आबाद ग्रामों की पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। माह फरवरी, 1983 तक पंचायत समिति मूण्डवा व नागौर के क्रमशः 59 व 51 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। धन उपलब्धि के अनुसार शेष ग्रामों की योजनाएं क्रियान्वित की जा सकेंगी।

(2) विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न पेयजल योजनाओं के द्वारा पंचायत समिति मूण्डवा व नागौर के लाभान्वित ग्रामों का विवरण:-

क्र. सं.	योजना का प्रकार	पंचायत समिति मूण्डवा के ग्राम	पंचायत समिति नागौर के ग्राम
1.	हैण्ड पम्प योजना	31	19
2.	क्षेत्रीय जल योजना	8	22
3.	पम्प एण्ड टैंक योजना	13	9
4.	टी.एम.एस. योजना	7	1
	कुल:-	59	51

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 756 का विवरण

जन जाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आवंटित धन राशि का योजनावार विवरण।

क्र.सं. योजना का नाम	जिले का नाम	आवंटित धन राशि (लाख रुपये में)
वर्ष 80-81		
1-भैंसा सिंह	सिरोही	6.40
1-कन्धारिया	उदयपुर	2.40
2-बेतर सागर	उदयपुर	3.40
3- बिराठी	उदयपुर	7.80
	वर्ष 1980-81 का योग	20.00
वर्ष 81-82		
1- भैंसासिंह	सिरोही	6.00
2-केसर सागर	उदयपुर	9.00
	वर्ष 1981-82 का योग	15.00
वर्ष 82-83		
1- भैंसा सिंह	सिरोही	18.50
2-बोरिया	चित्तौड़गढ़	11.50
	वर्ष 1982-83 का योग	30.00
	वर्ष 80-81 से 82-83 तक का योग	65.00

परिशिष्ट 18

अनुसूची 1

अतारांकित प्रश्न संख्या 757 का विवरण

दी गंगानगर शुगर मिल्स लि. श्री गंगानगर
(राजस्थान सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थान)

"मदिरा उत्पादन 1-4-82 से 31-1-83"

माह	प्लेन 45 यू.पी.	रोस 35 यू.पी	प्लेन 60 यू पी.
अप्रैल, 82	46535.33	40054.78	—
मई, 82	90923.08	39739.87	—
जून, 82	104836.55	58839.04	—
जुलाई, 82	120663.66	81621.66	4180.00
अगस्त, 82	98228.91	50365.75	—
सितम्बर,82	70029.83	59395.45	11336.02
अक्टूबर, 82	108889.51	40807.47	3775.50
नवम्बर, 82	92501.58	40428.52	—
दिसम्बर, 82	117996 02	82945.20	4226.85
जनवरी, 82	107396.01	59856 86	4200.00
योग	958600.48	554054.95	27718.37
		1-4-82 का प्रारम्भिक शेष—	7535.50
			35253.87

दी गंगानगर शुगर मिल्स लि०, श्रीगंगानगर

गंगानगर आसवनशाला से गंगानगर जिले गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलाई जा रही देशी शराब की दुकानात पर जारी की किस्मवार देशी शराब का मानचित्र अवधि 1-4-82 से 31-1-83

क. सं.	नाम दुकान	इक्षु की शराब वल्क लीटर में: प्लेन 45 यूपी	गुलाब 35 यूपी	प्लेन 60 यूपी	केसरकस्तूरी 5 यूपी	निर्गम मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गोलबाजार गंगानगर	56592	53882	675	378	13,79,847.60	केसरकस्तूरी 5 यूपी अजमेर डिस्टलरी से आयात कर निर्गम की गई है।
2.	लकड़मण्डी, गंगानगर	172134	91342	1966	201	31,23,344.40	
3.	करणपुर	27445	20392	1200	129	5,90,142.80	
4.	अनूपगढ़	46275	30118	156	111	9,19,225.20	
5.	रामसिंहपुर	4055	3245	450	18	42,140.00	
6.	हनुमानगढ़ जंक्शन	37465	26750	1200	150	7,86,536.00	
7.	हनुमानगढ़ टाऊन	51327	29880	1725	225	9,81,172.80	
8.	उदयपुर खुशाल	3574	2911	750	—	83,588.00	
9.	पदमपुर	35043	22422	1050	186	6,99,204.00	
10.	घमूड़वाली	11366	5110	2169	—	2,04 804.40	
11.	सूरतगढ़	83331	42392	2700	144	1497,607.20	
12.	सादुलशहर	45646	24154	3225	75	844,136.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	लालगढ़	8458	6771	825	18	190,955.60	
14.	केसरीसिंहपुर	10768	9942	450	18	258 392.00	
15.	रायसिंहनगर	39746	44953	1825	150	1076131.60	
16.	विजयनगर	14415	11030	900	54	315768.00	
17.	वालांवाली	46860	25978	1950	75	875377.20	
18.	टिब्बी	4405	2550	936	—	88148.00	
19.	किशनपुरा	3885	1690	1725	—	75090.00	
20.	भादरा	74365	23130	450	75	1111418.00	
21.	नोहर	109851	47182	2400	204	1842391.20	
22.	सिंहपुरा	2061	1104	827	—	42294.00	
23.	गजसिंहपुर	8630	6485	981	129	192892.00	
24.	मटियांवाली	5105	6568	974	—	153515.20	
25.	सुजावलपुर	1043	983	750	—	29502.40	
26.	नुकेरा	4615	2490	900	—	89252.00	
27.	जैतसर	9485	6945	300	18	200992.00	
		917945	550399	33459	2358	17743867.60	

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 758 से सम्बन्धित तालिका

दिनांक 1-4-82 को केन्द्रीय ऋणों के प्रारम्भिक शेषों एवं उन पर वर्ष 1982-83 में देय ब्याज की मद वार तालिका:- (प्रश्न खण्ड एक हेतु) ।

मद	प्रारम्भिक शेष (1-4-82)	(रुपये लाखों में) वर्ष 1982-83 में देय ब्याज अनुमानित
क- आयोजना भिन्न ऋण		
1- अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	6333.00	
2- अल्प कालीन कृषि ऋण	1500.00	
3- शैक्षणिक योजनाएं (छात्रवृत्तियां)	66.00	
4- अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह निर्माण हेतु ऋण	12.26	501.38
5- पुलिस फोर्स का आधुनिकरण	60.52	
6- नगर जल प्रदाय	105.49	
योग क-	8077.27	
ख- राज्य आयोजना योजना		
(क) समूह ऋण	21496.46	
(ख) सूखा सहायता हेतु अग्रिम आयोजना सहायता	5958.87	1508.57
योग ख-	27455.33	
ग- केन्द्रीय आयोजना गत योजनाएं		
1- विस्थापितों के लिये पुनर्वास योजनाए	916.10	
2- नगर विकास	85.20	61.00
3- क्षेत्रीय विकास	262.95	
4- सहकारिता	117.58	
5- कृषि	3.00	
योग ग-	1384.83	
घ- केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं		
1- अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें	119.62	
2- भू-संरक्षण योजनाएं	76.47	
3- ग्राम्य एवं लघु उद्योग	85.40	33.68
4- सहकारिता	141.26	
5- सामान्य नगर विकास	184.04	
योग:- घ	606.79	

ड- अर्थोपाय पेशगियां (रु० 2100.00) 91.64 माह जून 82 में प्राप्त अग्रिम पर ब्याज

(रु० लाखों में)

मद	प्रारम्भिक शेष (1-4-82)	वर्ष 1982-83 में देय ब्याज (अनुमानित)
ड– 1979-80 से पूर्व के ऋण		
1- विस्थापितों का पुनर्वास	178.61	
2- राष्ट्रीय छात्रवृति ऋण योजना	204.44	4023.93
3- समेकित कर्ज	76404.73	
4- अल्प बचत संग्रहणों का हिस्सा	6387.45	
योग रु०-	83175.23	
		6220.20
योग केन्द्रीय ऋण	120699.45	

सूची (प्रश्न खण्ड दो हेतु)

भारत सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार पर अन्य संस्थाओं के ऋण की सूची :-

रुपये लाखों में

संस्था	प्रारम्भिक शेष (1-4-82)	वर्ष 1982-83 में देय ब्याज (अनुमानित)
1- भारतीय जीवन बीमा निगम	1515.61	107.77
2- भारतीय रिजर्व बैंक	1345.31	78.40
3- अन्य संस्थायें (हुडको से इस वर्ष प्राप्त ऋण पर ब्याज सहित)	1712.78	148.84 हुडको के ऋण 11.05 पर ब्याज
4- जागीर बोण्ड्स	33.89	4.00
5- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	25308.66	1500.00
6- बाज़ार ऋण	24858.83	1706.40
योग:-	54775.08	3556.46

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 762 आदेश

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE, MEDICAL & HEALTH SERVICES,
RAJASTHAN, JAIPUR

No. EG/82/956 Jaipur, dated the 23-9-1982

ORDER

Consequent on the abolition of the posts of Auxilary Health Workers, the incumbents working on these posts were absorbed and posted to work against the post of Male Nurse Gr. II in their existing pay scales. Due to publication of the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (Amendment) Rules, 1982 all such persons are hereby promoted to the post of Male Nurse Gr. II in the scale of 440-770 with other allowances as admissible under the rules, w.e.f. 3rd June, 1982 i. e from the date of enforcement of the aforesaid ammended rules, as notified vide No. F. 2 (i) DOP/A-II/82 dated 3rd June, 1982.

Their seniority in the previous cadre of AHW will remain unchanged. The seniority in the new cadre of the Male Nurse Gr. II will be determined afresh as per provisions of the amended Rules as referred above w.e.f. 3-6-1982.

Similarly, all the existing Male Nurse Gr. III (Nonmatriculate Compounder Gr. III) appointed in the pre-conventing state or in the early years of the formation of Rajasthan with certificate course are also hereby promoted as a Male Nurse Gr. II w. e. f. 3rd June, 1982 in the pay scale of 440-770, as a one time action against the existing vacancies, without any change in their posting. This is in accordance with item No. (i) Nurse Grade II of the Group "A" (Medical side post) shown in schedule-I of the aforesaid rules.

The fixation of pay of the aforesaid two categories of persons in the scale of 440–770 with effect from 3rd June, 1982 will be done by their respective Unit Officers as per Rajasthan Service Rules.

Sd/-
Director,
Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

No. EG/82/956 Jaipur, dated the 23-9-1982

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Superintendent of the Hospitals.
2. All Chief Medical & Health Officers.
3. All M.O. I/C, T.B. Clinics.
4. All M.O. I/C, Referral Hospitals.
5. Estt. Non-gazetted/Health Section of this Directorate.

Sd/-
Director,
Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 766 की सूची

ग्राम जिला परिषद	पैट्रोल पर व्यय हेतु दी गई राशि	सुविधाओं की सूची		वाहन चालक
1. भीलवाड़ा	15,000.00	मोटर कार-1		1
2. बूंदी	6,000.00	,,	1	1
3. बीकानेर	10,000.00	,,	1	1
4. जोधपुर	11,000.00	,,	1	1
5. जयपुर	17,000.00	,,	1	1

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 768 की सूची

अधिशेष घोषित ग्रुप सचिव (अब ग्राम सेवक पदेन पंचायत सचिवों) सेवा विवरण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	जिले का नाम जहां से अधिशेष घोषित हुए	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4
1.	श्री शंकर लाल	गंगानगर	6-12-77
2.	,, मनोहर लाल	,,	6-12-77
3.	,, पूर्णमल	,,	6-12-77
4.	,, लक्ष्मीनारायण	,,	6-12-77
5.	,, अर्जुनराम	,,	6-12-77
6.	,, रामचन्द्र	,,	6-12-77
7.	,, फूलचन्द शर्मा	,,	6-12-77
8.	,, हरीकिशन शर्मा	,,	6-12-77
9.	,, ईश्वरदास	,,	6-12-77
0.	,, लक्ष्मीनारायण	,,	6-12-77
11.	,, जगदीश चन्द	,,	6-12-77
12.	,, साहब राम	,,	6-12-77
13.	,, हरदत्त सिंह	,,	10- 2-78
14.	,, मालाराम	,,	10-12-77
15.	,, राधेश्याम	अलवर	15-10-77
16.	,, जगदीश प्रसाद	,,	15-10-77
17.	,, रामकिशोर	,,	15-10-77
18.	,, साधूराम	,,	15-10-77
19.	,, कल्याण सहाय	,,	15-10-77
20.	,, बाबूलाल	,,	15-10-77
21.	,, इशब खां	,,	15-10-77
22.	,, चरणसिंह	,,	15-10-77
23.	,, गोपाल चन्द	,,	15-10-77
24.	,, राजेन्द्र प्रसाद	,,	15-10-77
25.	,, मंगल सैन	,,	17-10-77
26.	श्री हीरालाल	,,	17-10-77
27.	,, ताराचन्द	,,	22-10-77
28.	,, भगवान सहाय	,,	14-11-77

1 2	3	4
29. श्री कन्हैयासिंह	अलवर	2-12-77
30. ,, शिवचरण	,,	1-10-65
31. ,, पृथ्वी सिंह	,,	2-12-77
32. ,, बृजमोहन	,,	2-12-77
33. ,, ओमप्रकाश	,,	13-12-77
34. ,, रमेश चन्द्र	,,	14-12-77
35. ,, राधेश्याम	,,	14-12 77
36. ,, रमेश चन्द्र	,,	17-4-64
37. ,, कैलाश चन्द	,,	10-10-77
38. ,, काशीराम	,,	1-10-65
39. ,, रामचरण	,,	1-10-77
40. ,, श्यामलाल	,,	2-12-77
41. ,, नरेशचन्द	,,	11-10-77
42. ,, शेरसिंह	,,	1-10-65
43. ,, सुखपाल सिंह	,,	2-12-77
44. ,, गिरवर दयाल	,,	7-3-69
45. ,, श्रीराम	,,	19-10-77
46. ,, श्रवण कुमार	,,	10-1-63
47. ,, शंकर लाल	,,	27-6-60
48. ,, रामसिंह	,,	11-6-73
49. ,, वीरसिंह	,,	4-11-70
50. ,, गोविन्दसिंह	,,	10-10-77
51. ,, इन्द्रमल	,,	26-9-77
52. ,, गुलाबचन्द	,,	15-10-77
53. ,, प्रभातीलाल	,,	15-10-77
54. ,, गिरीश	,,	15-10-77
55. ,, किशनलाल	,,	17-10-77
56. ,, बाबूलाल	,,	22-10-77
57. श्री राधेश्याम	अलवर	24-10-77
58. ,, शिवदयाल	,,	1-10-77
59. ,, मोहन लाल	,,	29-9-77
60. ,, कन्हैयालाल	,,	21-10-77
61. ,, करोड़ी मल	,,	14-11-77
62. ,, प्रभातीलाल	,,	17-11-77

1	2	3	4
63.	श्री रामेश्वर दयाल	अलवर	14-11-77 स्थानान्तरण तिथि
64.	,, सुरेश चन्द शर्मा	सवाई माधोपुर	17-12-82
65.	,, जगराम सिंह	,,	3-12-82
66.	,, मथुरा प्रसाद	,,	18-11-82
67.	,, रामजीलाल शर्मा	,,	7-11-82
68.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	,,	2-11-82
69.	,, रामदयाल शर्मा	,,	3-11-82
70.	,, जुहार सिंह	,,	6-11-82
71.	,, घनश्याम शर्मा	,,	21-10-82
72.	,, कृष्णचन्द्र शर्मा	,,	21-10-82
73.	,, किशनलाल गौतम	,,	20-10-82
74.	,, कैलाश चन्द समरिया	,,	20-10-82
75.	,, रामाधार सिंह	,,	17-10-82
76.	,, हरदयाल शर्मा	,,	9-10-82
77.	,, भगवती लाल शर्मा	,,	9-10-82
78.	,, शिवचरण लाल शर्मा	,,	2-10-82
79.	,, लालसिंह	,,	1-10-82
80.	,, कजोड़सिंह	,,	28-9-82
81.	,, नारायणलाल	,,	25-9-82
82.	,, रमेश चन्द चतुर्वेदी	,,	24-9-82
83.	,, यादराम शर्मा	,,	16-7-82
84.	,, राधेश्याम शर्मा	,,	18-9-82
85.	,, तेजसिंह	,,	25-2-82
86.	श्री उमाशंकर माली	,,	26-4-81
87.	,, गुलामतवी	,,	7-3-81
88.	,, रामेश्वर प्रसाद	,,	10-12-80
89.	,, चन्द्रराम शर्मा	,,	10-12-80
90.	,, केदार नाथ गोयल	,,	15-9-80
91.	,, हरिप्रसाद त्रिवेदी	,,	6-9-80
92.	,, गोपीवल्लभ शर्मा	,,	21-8-80
93.	,, बचन सिंह	,,	20-8-80
94.	,, रामसिंह मीना	,,	17-8-80
95.	,, किरोडी लाल शर्मा	,,	2-5-80

(328)

1	2	3	4
96.	श्री सुखराम सिंह	सवाई माधोपुर	31-3-80
97.	,, नाथूलाल शर्मा	,,	14-1-80
98.	,, पदमचन्द जैन	,,	1982
99.	,, केदार लाल शर्मा	,,	28-9-79
100.	,, कल्याणपाल सिंह	,,	31-12-82
			नियुक्ति तिथि
101.	,, वृद्धिचन्द	जयपुर	8-3-69
102.	,, ओंकार लाल चौधरी	,,	16-3-69
103.	,, रामसहाय शर्मा	,,	6-9-70
104.	,, शम्भुदयाल शर्मा	,,	8-10-70
105.	,, बोदूराम बेनीवाल	,,	8-10-70
106.	,, गिरवर सिंह	,,	26-10-70
107.	,, धर्मसिंह मीना	,,	11-1-70
108.	,, रामेश्वर प्रसाद बैरवा	,,	11-6-73
109.	,, बृजराज मीणा	,,	15-7-73
110.	,, गोपीराम यादव	,,	25-9-74
111.	,, हरिसिंह गुर्जर	,,	10-12-74
112.	,, सूरजमल गुर्जर	,,	21-7-75
113.	,, रामजीत सिंह	,,	23-2-76
114.	,, प्रहलाद किशोर	,,	7-6-77
115.	,, पीराराम वर्मा	,,	8-3-77
116.	श्री राधेश्याम शर्मा	,,	25-4-77
117.	,, गुलाबचन्द कुमावत	,,	28-4-77
118.	,, मोतीलाल शर्मा	,,	20-7-77
119.	,, मालीराम जाट	,,	25-7-77
120.	,, चिरन्जीलाल	,,	8-9-77
121.	,, रामगोपाल गुप्ता	,,	8-9-77
122.	,, नाथूलाल जैन	,,	12-9-77
123.	,, राधेश्याम जागीड	,,	12-9-77
124.	,, बिहारीलाल शर्मा	,,	24-9-77
125.	,, नृसिंह लाल गुप्ता	,,	26-9-77
126.	,, बाबूलाल जाट	,,	29-10-77
127.	,, रामकिशोर शर्मा	,,	30-9-77
128.	,, मंगलराम सैनी	,,	5-11-77

1	2	3	4
129.	श्री रामस्वरूप शर्मा	जयपुर	7-11-77
130.	,, रामप्रकाश जोशी	,,	7-12-77
131.	,, सरदार सिंह	,,	13-12-77
132.	,, सूरजमल जाट	,,	14-12-77
133.	,, राधेश्याम गुप्ता	,,	21-12-77
134.	,, रामकिशोर तिवाड़ी	,,	7-1-78
135.	,, माधोसिंह	,,	9-1-78
136.	,, मूलचन्द गुर्जर	,,	9-1-78
137.	,, प्रभुदयाल शर्मा	,,	12-1-78
138.	,, नजर अहमद	,,	12-1-78
139.	,, जगदीश प्रसाद गुप्ता	,,	18-1-78
140.	,, नन्दकिशोर शर्मा	,,	25-2-78
141.	,, बद्रीनारायण शर्मा	,,	25-2-78
142.	,, घनश्याम शर्मा	,,	25-2-78
143	,, घनश्याम गुप्ता	,,	6-3-78
144.	,, हजारी लाल जैन	,,	10-4-78
145.	,, मुरारी लाल शर्मा	,,	17-1-81
146.	,, गोपाल लाल शर्मा	,,	22-1-82
147.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	धौलपुर	4-9-74
148.	,, संतोष कुमार अग्रवाल	,,	27-3-77
149.	,, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा	,,	2-9-77
150.	,, कैलाश चन्द शर्मा	,,	14-10-77
151.	,, नवाबसिंह त्यागी	,,	1-12-77
152.	,, मीरसिंह	,,	1-2-66
153.	,, हरी गोविन्द शर्मा	,,	20-1-68
154.	,, गिर्राज प्रसाद शर्मा	,,	14-2-68
155.	,, निहाल सिंह	,,	1-11-68
156.	,, उदयसिंह	,,	24-8-74
157.	,, नवल सिंह	,,	9-12-75
158.	,, बृजेन्द्र सिंह	,,	7-5-77
159.	,, भवानी राम धाकड़	भीलवाड़ा	9-11-77
160.	,, अर्जुनसिंह जाट	,,	15-11-77
161.	,, गिरधारीलाल	अजमेर	7-11-77
162.	,, उम्मेदसिंह	,,	—

1	2	3	4
163.	श्री हैलसिह	पाली	4-1-73
164.	,, मोहम्मद यासीन	,,	24-6-74
165.	,, जगदीश चन्द शर्मा	,,	14-10-74
166.	,, पृथ्वी सिह	,,	2-11-74
167.	,, भागीरथ सिह्	,,	2-11-74
168.	,, बाबूदास	,,	14-8-75
169.	,, मनरूप चन्द	,,	9-5-75
170.	,, रामसिह्	,,	29-10-76
171.	,, सोमारपुरी	,,	1-11-77
172.	,, अनुवंत सिह्	,,	17-11-77
173	,, लक्ष्मीनारायण	,,	12-12-77
174.	,, ओम प्रकाश	,,	12-12-77
175.	,, खीमराज	,,	16-12-77
176.	,, सुमेरमल	,,	17-12-77
177.	,, भैरूलाल	,,	17-12-77
178.	श्री गिरधारी लाल	पाली	17-12-77
179.	,, गायड सिह्	,,	17-12-77
180.	,, तुलसीकान्त	,,	18-1-277
181.	,, हरिराम जोशी	,,	19-1-277
182.	,, राजाराम	,,	14-4-78
183	,, हेमराज	,,	28-11-78
184.	,, नारायणसिह्	,,	1-4-78
185.	,, शिवजीलाल मीणा	टोंक	19-10-77
186	,, हरिशंकर आर्य	,,	20-10-77
187.	,, गजानन्द शर्मा	,,	7-11-77
188.	,, रामकिशोर शर्मा	,,	7-11-77
189.	,, गोपीचन्द जैन	,,	8-11-77
190	,, लल्लू राम शर्मा	,,	8-11-77
191.	,, कन्हैयालाल यादव	,,	9-11-77
192.	,, प्रेमचन्द जैन	,,	16-11-77
193.	,, रामनाथ माली	,,	17-11-77
194.	,, धीवंरलाल आर	,,	18-11-77
195.	,, दीनदयाल माथुर	,,	19-11-77
196.	,, लखपतराम मीणा	,,	19-11-77

1	2	3	4
198	श्री माधवलाल जाट	टोंक	24-11-77
199	,, अमरसिंह	,,	28-11-77
200	,, सोहन लाल जैन	,,	1-12-77
201	,, मदन लाल सैन	,,	6-12-77
202	,, राधेश्याम लक्षकार	,,	6-12-77
203	,, घासीलाल जाट	,,	9-12-77
204	,, घनश्याम शर्मा	,,	13-12-77
205	,, घनश्याम चांगल	,,	14-12-77
206	,, देवकी नन्दन शर्मा	,,	24-12-77
207	,, चांदसिंह सोलंकी	,,	15-3-78
208	,, राधेश्याम दाधीच	,,	2-12-77
209	,, भगवान सिंह	झालावाड़	1-11-77
210	,, राधारमण	,,	28-11-77
211	श्री मोड़सिंह	चित्तौड़गढ़	6-10-77
212	श्री राधेश्याम	,,	6-10-77
213	श्री भैरूलाल	,,	7-10-77
214	श्री हरिशंकर	,,	7-10-77
215	श्री देवकृष्ण	,,	8-10-77
216	श्री रामलाल	,,	14-10-77
217	श्री नन्दलाल	,,	15-10-77
218	श्री कुन्दनसिंह	,,	20-10-77
219	श्री सागरमल	,,	22-10-77
220	श्री भंवरलाल	,,	24-10-77
221	श्री चतुर्भुज सिंह	,,	24-10-77
222	श्री भैरूलाल	,,	26-10-77
223	श्री गोपालकृष्ण	,,	0-10-77
224	श्री कालूराम	,,	0-0-77
225	श्री बद्रीप्रसाद	,,	4-11-77
226	श्री सोदान सिंह	,,	9-3-78
227	श्री सुरेशचन्द्र	,,	11-10-77
228	श्री बाबूलाल	,,	20-10-77
229	श्री भीमसिंह	,,	20-10-77
230	श्री भरतसिंह	,,	24-10-77
231	श्री खेमसिंह	,,	27-10-77
232	श्री केलाराम	,,	28-10-77

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 770 से सम्बन्धित सूची

वर्ष 1981 से लेकर दिसम्बर, 82 तक चारा प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित आदिवासियों की पंचायतवार सूची

नाम पंचायत	लाभान्वित आदिवासियों की संख्या
1. बरमंडल	8
2. खेरोट	3
3. सुहागपुरा	2
4. सिद्धपुरा	1
5. कुल्मीपुरा	2
6. मनोहरगढ़	3
7. मोहेडा	31
8. सामथली	6
9. बरखेड़ी	2
10. कचनारा	3
11. अचमेरा	13
12. मच ण्डला	1
13. चूरता	3
14. जाजली	2
योग:-	80

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 771 का विवरण

पाली जिले की मंडी समितियों में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में स्वीकृत कार्यों की सूची ।

क्र.सं	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1-	कृषि उपज मंडी समिति, पाली	
	वर्ष 1981-82 में स्वीकृत कार्य -	
	(1) शोप मय प्लेट फार्म 6 नं.	1,92,300/-
	(2) आन्तरिक सड़कें	6,30,000/-
	(3) फुटकर दुकानें 10 नं.	1,86,000/-
	(4) चार दीवारी कार्यालय भवन	26,100/-
	(5) शोप-मय -गोदाम 12 नं.	12,00,000/-
		22,34,700/-
	वर्ष 1982-83 में स्वीकृत कार्य-	निल
2-	कृषि उपज मंडी समिति, जैतारण	
	वर्ष 1981-82 में स्वीकृत कार्य-	
	(1) ग्रामीण गोदाम ग्राम कुशालपुरा	1,00,000/-
	(2) ग्रामीण गोदाम ग्राम आनन्दपुर-कालू	1,00,000/-
	(3) ग्रामीण गोदाम ग्राम रायपुर	1,00,000/-
	(4) ग्रामीण गोदाम ग्राम जैतारण	1,00,000/-
		4,00,000/-
	वर्ष 1982-83 में स्वीकृत कार्य-	
	(1) दुकान-मय -प्लेट (10 नं.)	2,76,3000/-
	(2) आन्तरिक नालियां	51,000/-
	(3) जल व्यवस्था (गोण मंडी रायपुर)	89,000/-
	(4) सेनेटरी व्यवस्था ,,	10,000/-
	(5) ऑफिस-मय -गोदाम ,,	1,32,000/-
		5,58,300/-

(334)

1	2	3
3-	कृषि उपज मंडी समिति, सोजतरोड़	
	वर्ष 1981-82 में स्वीकृत कार्य-	
	(1) चार दीवारी (गोण मंडी सोजत सीटी)	1,80,000/-
	(2) ग्रामीण गोदाम ,,	1,00,000/-
		2,80,000/-
	वर्ष 1982-83 में स्वीकृत कार्य-	
	(1) आन्तरिक सड़कें (गोण मंडी सोजत सीटी)	3,20,000-
	(2) निलामी चबूतरा ,,	1,51,200-
	(3) प्याऊ ,,	,000-
	(4) शोचालय ,,	,000-
	(5) खेल ,,	,000-
		4,95,200-
4-	कृषि उपज मंडी समिति, रानी	
	वर्ष 1981-82 में स्वीकृत कार्य-	
	(1) फुटकर दुकानें 12 नं.	1,22,850-
	(2) दुकानें मय-प्लेट फार्म व गोदाम 20 नं.	2,90,900-
	(3 दुकान मय प्लेट फार्म व गोदाम	9,85,900-
	(4) ग्रामीण गोदाम	1,00,000-
		14,99,650-
	वर्ष 1982-83 में स्वीकृत कार्य-	
	(1) जल व्यवस्था	1,01,000-
	(2) दुकानें मय प्लेट फार्म 10 नं.	3,09,900-
	(3) निलामी चबूतरा	83,200-
		4,94,100-
5-	कृषि उपज मंडी समिति, सुमेरपुर	
	वर्ष 1981-82 में स्वीकृत कार्य-	
	(1) कर्मचारियों के लिये आवास गृह निर्माण	7,44,000-
	(2) शिवगंज पुलिस स्टेशन से कोरटा	3,24,500-

1	2	3
(3)	ताडेराव से वोगडो	2,13,242-
(4)	स्टेशन रोड से वलवना	2,10,074-
(5)	केकवन्स	38,500-
(6)	कन्ट्रक्टशन ऑफ राडस विलिज विशिल पर	1,12,500-
(7)	सर्वे एण्ड लेण्ड प्रिप्रेशन	68,239-
(8)	बाउण्डरी वाल एण्ड गेट चैक पोस्ट	1,75,700-
(9)	इन्टरनल रोड	13,28,303-
(10)	ड्रेनेज	1,97,875-
(11)	स्ट्रीट लाइट	2;68,722-
(12)	केटल.रोड विथरेस्ट शेड	7,69,000/-
(13)	पब्लिक यूरिनल	15,808/-
(14)	वाटर हट	21,943/-
(15)	वेटरनरी डिस्पेन्सरी	80,031/-
(16)	फार्मर्स रेस्ट हाउस	2,34,484-/
(17)	साइकिल स्टेण्ड	10,305/-
(18)	मार्केट कमेटी ऑफिस	1,70,723/
(19)	बैंक विल्डिंग	2,03,066/-
(20)	गोडाउन 30×60 फीट 16 नग	9,44,336/-
(21)	शोप कम गोडाऊन 25×90	4,48,767/-
(22)	मेडिंग एक्यूपमेण्ट	1,50,000/-
(23)	पाली सिरोही रोड से जारवोड़ा	2,52,000/-
(24)	शिवगंज पुलिस स्टेशन से कोरटा	7,00,000/-
(25)	वाकनी से नावा	4,75,000/-
(26)	स्टेशन रोड से कोलीवाड़ा	1,62,000/-
(27)	जोलार रोड से कोमावा	86,200/-
(28)	साठेराव सेवा गढ़ी	95,000/-
(29)	सुमेरपुर से भासुन्दा	8,00,000/-
(30)	कोसेलाव से वड़गांव	5,40,000/-
(31)	कोसेलाव से पावा	4,50,000/-
(32)	कोसेलाव से वसन्दा	75,000/-
(33)	शोप कम गोडाउन 25×90 8 नग	7,38,000/-
(34)	केन्टीन	90,000/-
(35)	ब्रेकर शोप 10×20, 20 नग	2,25,000/-
(36)	रख रखाव	2,00,000/-

336

1	2	3
	वर्ष 1982-83 में स्वीकृत कार्य-	
	(1) क्वियोरफ केविन्स-4	38,500/-
	(2) ड्रेनेज	3,65,000/-
	गोडाउन्स 30×60" 16 नग	11,09 660-
	(4) शोप कम गोडाउन्स 25×90 नग 6	7,38,000/-
	(5) कैन्टीन	93,000/-
	(6) ब्रेकर शोप	2,30 000/-
	(7) इन्टरनल रोड्स	2 49.000/-
	(8) कम्पाउण्ड वाल अराउण्ड वेक	73,300/-
	(9) शोप कम बिना गोदाम 2 नग	2,53,000/-
	सम्पर्क सड़कें व कार्य -	
	(1) शिवगंज पुलिस स्टेशन से काटेटा	3,24,500/-
	(2) जवाड स्टेशन से बलवाना	2,20 074/-
	(3) कन्सर्टक्शन ऑफ विलेज विसलपुर	1,12,500/-
	(4) वाफली से नवी	4,75,000/-
	(5) कोलीवाड़ा	1,62,000/-
	(6) जालोर रोड से पोमावा	1,6,200/-
	(7) सुमेरपुर से भासंदा	8,00,000/-
	(8) टोलाव से बडगांव	5,40,000/-
	(9) कोशेलाव पावा सड़क से बसल	75,000/-
	(10) उन्दरी सुमेरपुर से जवाई बान्ध रेल वे सड़क	13.05 लाख रुपये
	(11) कार्यालय भण्डार हेतु दो गोदाम 30×60	2.16
	(12) कार्यालय भवन में प्रथम मंजिल का निर्माण	1.59
	(13) गोबर गैस प्लान	5800
	(14) ट्यूबवैल व हैण्ड पम्प का निर्माण कुओं को गहरा	0.32
	(15) बगीचों की चार दीवारी	2.05
	(16) सम्पर्क सड़क बलवाना से बोया	14.50
	(17) सम्पर्क सड़क जवाई बान्ध से ब्रेड़ा	12.28
	(18) सम्पर्क सड़क बोया से बारवा	16.61
	(19) सम्पर्क सड़क सिन्दरु	1.20
	(20) बलाणा से राजपुरा सड़क	4.75
	(21) सम्पर्क सड़क लापोद से बसन्त वाया पिचावा	11.60

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 772 का प्रतिवेदन

जांच रिपोर्ट

शिकायत विरुद्ध एग्रोनोमिस्ट श्री एस०पी० तोमर, राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म चित्तौड़गढ़ ।

जो शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, यह गुमनाम होकर केवल कर्मचारीगण एडप्टिव रिसर्च फार्म चित्तौड़गढ़ अंकित किया हुआ था इसलिये राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म चित्तौड़गढ़ पर कार्यरत 2 राजपत्रित अधिकारी एवं 17 अधिनस्थ सेवा में कर्मचारियों से शिकायत एवं शिकायत विन्दुओं के बारे में पूछताछ की गई तो तथ्य प्रकट हुआ कि 19 में किसी एक भी अधिकारी/कर्मचारी को उक्त शिकायत व शिकायत बिन्दुओं की जानकारी नहीं थी उनसे पूछे गये प्रश्नों के उत्तर तथा लिखित बयानों से स्पष्ट होता है कि शिकायत पत्र में अंकित शिकायत बिन्दु मनघडन्त व मिथ्या होकर सत्यता से दूर है।
(बयान संलग्न है)

उपरोक्त 19 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त एक अधिनस्थ कर्मचारी श्री - ओ०पी० सिंह सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शष्य) से दि० 8.7.82 को जांच के दौरान प्रश्न पूछे गये तो प्रत्युत्तर देने में असमर्थता प्रकट करते हुये इसी तारीख 3 बजे प्रत्युत्तर देने का समय मांगा। जब 3 बजे शिकायत के संबंध में पूछताछ की गई तो दि० 11.7.82 को प्रात: का समय मांगा गया जब 11.7.82 को भी फार्म पर उपस्थित नहीं रहा तो लिखित में दिनांक 13.7.82 को 3 बजे फार्म पर उपस्थित रहने को कहा गया। दि० 13.7.82 को भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर दिया इससे संबंधित पत्र संलग्न होकर ध्वज ए. बी. सी. डी. से चिन्हित है।

:. जांच करने पर शिकायत पत्र के शिकायत बिन्दुवार तथ्यों का विवरण :-
शिकायत बिन्दु सं०-1

शिकायत बिन्दु-1 के बारे में जांच पड़ताल की गई तो तथ्य प्रकट हुआ कि यह फार्म माह जून, 1979 को एग्रोनोमिस्ट द्वारा उनके चार्ज में लिया गया था इसके पूर्व यह फार्म पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ होकर निम्न श्रेणी की मिट्टी व गम्भीर बान्ध की नहर से गलत क्षेत्र होकर बेकार पड़ा हुआ था जब से यह फार्म चार्ज में लिया गया तभी से फार्म की पैदावार (ग्रेन) को क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से तथा राजकीय संस्थाओं के द्वारा ही विक्रय किया गया है। जिसके लिये निदेशक, कृषि विभाग जयपुर के कार्यालय आदेशांक 601-650 दि० 27.1.82 के द्वारा आदेश प्रसारित है। प्रतिलिपि संलग्न है। (ध्वज ई से चिह्नित है) चारे का विक्रय स्थानीय तहसीलदार से लिखित में प्राप्त दर से ही किया जाता है जहां क उपज विक्रय कमेटी के गठन का प्रश्न है कमेटी का गठन कार्यालय आदेश क्र० 2423-27 दि० 27.2.81

व आदेश 1025-32 दि० 8.4.80 द्वारा किया हुआ है परन्तु उपज को खुले बाजार में विक्रय नहीं किये जाने के कारण उक्त कमेटी की उपज विक्रय करने के लिये आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी तरह कल्याणपुरा स्थित फार्म की उपज का विक्रय भी किया जाता है जहां तक निम्बाहेड़ा में क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से उपज को विक्रय करने का प्रश्न है निम्बाहेड़ा में "अ" श्रेणी की मंडी होने के कारण उपज निम्बाहेड़ा में विक्रय करने हेतु भेजी जाती है।

(संलग्न ध्यान ध्वज एफ का अवलोकन करावें)

शिकायत बिन्दु सं०-2

शिकायत बिन्दु 2 के बारे में जांच करने पर तथ्य सामने आया कि फार्म स्थित कुआ में जितना पानी सिंचाई हेतु होता है उसी अनुसार अधिक से अधिक क्षेत्र में फसल लेने का प्रयास किया जाता है जो राजकीय हित में है। इसी शिकायत के दूसरे भाग की जांच की तो ज्ञात हुआ कि फार्म की उपज को विक्रय हेतु भेजने वाले दिन किसी भी कर्मचारी को दौरे पर नहीं भेजा जाता है। रिकार्ड के आधार पर दि 16.1.82 को उपज का विक्रय किया जाना पाया गया है इस दिनांक को हाजरी पंजिका के अनुसार केवल दो कर्मचारियों को छोड़कर जो पूर्व से ही दौरे पर थे समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति पाई गई है यह भी तथ्य सामने आया कि निदेशालय से प्राप्त प्रोफार्मा में प्रत्येक प्रयोग का पूर्ण विवरण प्लोट साइज सहित प्रत्येक सहायक अनु-संधान अधिकारी द्वारा भर कर रखा जाता है अतः प्रयोग के रिकार्ड में एग्रोनोमिस्ट द्वारा परिवर्तन किया जाना संभव नहीं लगता है।

शिकायत बिन्दु सं० 3-

शिकायत बिन्दु 3 के संबंध में जांच की गई तो तथ्य प्रकट हुआ कि इस फार्म के केवल "बी" ब्लोक से ज्वार कम्पोजिट एस०पी०वी० 245 बोई गई थी और इसकी पूर्ण उपज मात्रा 75 क्विंटल 40 किलो तथा कडन की मात्रा 3118 पूलियां हुई। ग्रेन की पूर्ण मात्रा विक्रय श्री संयुक्त निदेशक, कृषि, उदयपुर के आदेशांक 3473 दि० 5-6-82 के अनुसार क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से विक्रय कर राशि राजकीय कोष में जमा कराई गई है जिसकी पुष्टि रिकार्ड से होती है। तथा कडब स्थानीय तहसीलदार के पत्रांक 82/100 दि० 18.1.82 के द्वारा निर्धारित दर पर 400 रु० प्रति हजार पूलियां की दर से 2000 पूली विक्रय की गई हैं तथा शेष 1118 पूलियां फार्म के चार बैलों को चराने हेतु रखी गई हैं इसी तरह भूसा भी तह-सीलदार के पत्रांक 82/642 दि० 21.5.82 से निर्धारित दर 25 रु० प्रति क्वि. भूसा से किया जाकर राशि राजकीय कोष में जमा कराई गई है जहां तक 10 एकड़ में कपास की बुवाई कर पैदावार को निजी रूप से उपयोग करने की शिकायत का प्रश्न है इस बिन्दु पर विस्तार से जांच की गई तथा वस्तुस्थिति यह पाई गई कि कपास केवल 1 बिघा में ही बोई गई थी और चार कपास की किस्मों का प्रयोग था जो किस्में बोई गई थीं वे, जे-34, एफ 114, जे-27 व सी-इन्दौर है। इन चारों किस्मों का एक ही प्रयोग था जिसकी कुल पैदावार 150 किलो कपास हुई जो फार्म के स्टोर में आज भी पड़ी हुई है व रेकार्ड के आधार पर सही है। इस संबंध में कर्मचारियों के बयान भी हस्ताक्षर शुदा संलग्न हैं (ध्वज जी०एच०आई० का अवलोकन करावें)

शिकायत बिन्दु सं-4

इस शिकायत बिन्दु सं० 4 के बारे में जांच की गई तो तथ्य प्रकट हुआ कि शिकायत निराधार होकर मिथ्या पाई गई क्योंकि किराये पर चल रहा कार्यालय भवन 31.12.81 को रिक्त कर फार्म पर स्थित कार्यालय में 1.1.82 को शिफ्ट किया गया है। इसकी पुष्टि रेकार्ड के आधार पर होती है क्योंकि किराये के भवन का किराया 31.12.81 तक चुकाया गया है जिसका इन्द्राज रोकड़ पृष्ठ सं० 10 दि० 21.1.82 में किया हुआ है कार्यालय शिफ्ट करने का कार्यालय आदेशांक 1033-53 दि० 15.12.81 का है (ध्वज-जे) की एग्रोनामिस्ट का माह फरवरी, 82 से फार्म पर निवास करना पाया गया है इसी माह से ही वेतन बिल के आधार पर कोई किराया भत्ता राजकीय कोष से नहीं उठाया है जहां तक बिजली के उपयोग की राशि का प्रश्न है श्री तोमर के निवास पर सब-मीटर लगा हुआ है तथा आदेश पाया गया है कि सब-मीटर की यूनिट की राशि कार्यालय बिल से कम कर बिल जमा करवाया जावे।

शिकायत बिन्दु सं-5

शिकायत बिन्दु सं० 5 के बारे में जांच करने पर पाया गया कि शिकायत निराधार है क्योंकि फार्म विकास मद से फार्म पर कोई भी सीमेंट क्रय नहीं की गई केवल शुष्क खेती परियोजना कांकरोली का कार्यालय टूट जाने के कारण वहां पड़ी सीमेंट श्री संयुक्त निदेशक, उदयपुर के आदेश इस फर्म पर लाई गई थी जिसका उपयोग फार्म पर सिचाई के धोरे बनाने व फार्म की फेन्सिग करने के उपयोग में ली गई। कुछ सीमेंट पुराने भवन की मरम्मत करने हेतु भी ली गई है जिसकी स्वीकृति संयुक्त निदेशक, कृषि, उदयपुर के पत्रांक 11557 दि० 3.11.81 से प्राप्त की गई है।

शिकायत बिन्दु संख्या-6

शिकायत बिन्दु 6 भी निराधार व मिथ्या है क्योंकि फार्म पर दि० 25-6-79 से ही फीड व फोडर रजिस्टर प्रारम्भ किया हुआ है जिसमें पृष्ठ सं० 1 से 59 अंकित होकर प्रमाणित है।

शिकायत बिन्दु संख्या-7

शिकायत बिन्दु सात के बारे में जांच करने पर पता चला कि यह शिकायत भी असत्य है इसकी पुष्टि कर्मचारियों के बयानों तथा दैनिक कार्य रजिस्टर से होती है (ध्वज-के)

शिकायत बिन्दु संख्या-8

इस शिकायत के बारे में जांच की गई तो पाया गया कि यूनाटेड स्टेट्स एजेन्सी फॉर इन्टरनेशनल डवलपमेंट द्वारा जो प्रयोग शाला के उपकरण दिये गये थे उनका इन्द्राज इक्यूपमेन्ट रजिस्टर स्टोक के पृष्ठ सं० 36 से 40 तक में इन्द्राज है इस रजिस्टर को मेरे द्वारा देखा जाकर पुष्टि की गई है।

शिकायत बिन्दु संख्या–9

इस शिकायत का सम्बन्ध एग्रोनोमिस्ट श्री तोमर से न होकर निदेशालय से है क्योंकि ऑडिट कराने का कार्य निदेशालय का है ।

वस्तुस्थिति यह है कि शिकायत केवल एक कर्मचारी श्री ग्रो.पी. सिंह, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) द्वारा (स्थानान्तरण से पीड़ित होने से) की जाना पाया या कराई जाना स्पष्ट है अन्यथा यह फार्म वर्षों से पंचायत समिति के अधिनस्थ बेकार पड़ा था जो श्री तोमर के चार्ज लेने के पश्चात् इस जिले का खरीफ व रबी के लिये निम्न श्रेणी की मिट्टी व पानी के अभाव में भी अच्छी खेती की जाकर अधिक उत्पादन का जिले में एक मात्र प्रदर्शन फार्म है।

ह०-
(डी०एल०भाटी)
जिला कृषि अधिकारी,
चित्तौड़गढ़
(जाँच अधिकारी)

दिनांक 8-7-82

बयान व प्रश्न उत्तर कर्मचारीगण

(1) श्री लक्ष्मण नीलकंठ दफ्तरी सहायक पौध व्याधि वैद्य, राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, चितौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत इस कार्यालय कर्मचारियों के द्वारा गुमनाम कृषि मंत्री जी को भेजी गई है मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है और न ही इस शिकायत के बारे में कोई जानकारी है। न हीं मैंने कोई शिकायत भेजी है।

ह० लक्ष्मणजी नीलकंठ

(2) श्री ब्रह्मप्रकाश माथुर, सहा० कीट विज्ञानी राजकीय कृ० अनुसंधान फार्म, चित्तौड़गढ़ ने बताया है कि जो शिकायत इस कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा गुमनाम कृषि मंत्रीजी को की गई है, मेरे द्वारा नहीं की गई है न ही मैंने किसी कर्मचारी को शिकायत करने हेतु कहा है।

ह० ब्रह्मप्रकाश माथुर,
दि० 8.7.82

(3) श्री इन्द्रजीत सिंह सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, चित्तौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत कर्मचारियों के द्वारा गुमनाम कृषि मंत्री जी को की गई है मेरी जानकारी में नहीं है और न हीं मैं इस शिकायत में शामिल हूं तथा जो बिन्दु इस शिकायत पत्र में अंकित है मेरी जानकारी से एक बिन्दु भी इस फार्म पर शिकायत के रूप नजर नहीं आया है।

ह० इन्द्रजीत सिंह,
दि० 8.7.82

(4) श्री नरेन्द्रचन्द माथुर, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन) राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, चित्तौड़गढ़ ने बताया कि यह शिकायत जो कृषि मंत्री जी को कर्मचारियों द्वारा गुमनाम की गई है मेरी जानकारी में नहीं है और न ही इस शिकायत में मैं शमिल हूं मुझे इस शिकायत के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है जो शिकायत विन्दु शिकायत पत्र में अंकित है मुझे एक बिन्दु के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है।

ह० नरेन्द्र चन्द माथुर,
दि० 8.7.82

(5) श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, सहायक कृषि अनु० अधि०, फार्म चित्तौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत पत्र इस कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा गुमनाम से कृषि मंत्री जी को की गई है मेरी जानकारी में नहीं है न हीं मैंने कोई शिकायत की है तथा न ही मुझे इस शिकायत के किसी भी बिन्दु के बारे में जानकारी है। मुझे इस शिकायत के बिन्दुओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है न ही मुझे इस शिकायतकर्ता की कोई जानकारी है।

ह० दिनेश चन्द्र शर्मा

(6) श्री गिरीश कुमार माथुर, स०कृ०अनु० अधिकारी (कीट) राजकीय कृ० अनुसंधान फार्म चितौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत इस कार्या० के कर्मचारियों द्वारा गुमनाम की गई है मुझे कोई जानकारी नहीं है न ही शिकायत मैंने की है, इस शिकायत बिन्दुओं के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है।

ह० गिरीश, 8.7.82

(7) श्री ओमशंकर द्विवेदी, कृषि पर्यवेक्षक, राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, चित्तौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत कृषि मंत्री जी को की गई है मेरी जानकारी में नहीं है। न ही मैंने शिकायत की है। इस शिकायत के शिकायत बिन्दुओं के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है।

ह० ओमशंकर द्विवेदी

(8) श्री सैयद शरीफ अली, कृ०पर्यवेक्षक, राज०कृ०अ०फार्म, चित्तौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत कृषि मंत्री जी को कर्मचारियों के द्वारा गुमनाम से की गई है मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है न ही यह शिकायत मैंने की है जो बिंन्दु शिकायत पत्र में अंकित एक भी बिन्दु के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह भी है कि मैंने किसी से इस शिकायत को करने के लिये कहा है न मेरा किसी भी तरह का कोई हाथ है।

(सत्य प्रति)
ह० उप निदेशक कृषि (विस्तार) चित्तौड़गढ़ (राज०)

(9) श्री सीताराम जाट कृ० पर्यवेक्षक राजकीय कृषिअनुसंधान फार्म, चितौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत कृषि मंत्री जी को कर्मचारियों के द्वारा गुमनाम की गई है मेरी जानकारी में नहीं है न ही मैंने इस तरह की कोई शिकायत कराई है इस शिकायत पत्र में बताये गये बिन्दुओं के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह बिन्दु मिथ्या और मनघढ़ंत नजर आते हैं।

ह० सीताराम जाट, कृ०पर्य०, 8.7.82

342

(10) श्री अमर सिंह, कृ०पर्य०राजकीय कृ०अनु० फार्म, चित्तौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत कर्मचारियों द्वारा गुमनाम से कृषि मंत्री जी को की गई है मेरी जानकारी में नहीं है न ही यह शिकायत मैंने कराई है और जो बिन्दु इस शिकायत पत्र में अंकित है मुझे फर्जी व गुंडे नजर आते हैं मेरी जानकारी से एक बिन्दु भी जो शिकायत पत्र में अंकित है, सत्य नहीं है।

ह०- अमरसिंह, कृ०पर्य०, 8.7.82

(11) श्री सोहनवीर सिंह, कृ०पर्य०राजकीय कृषि अनु० फार्म चित्तौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत कृ० मंत्री महो० को कर्मचारियों द्वारा गुमनाम की गई है मेरी जानकारी में नहीं है न ही यह शिकायत मैंने की है जहां तक इस शिकायत में बताई गई शिकायतों का प्रश्न है मुझे एक भी बात सही नजर नहीं आती है बल्कि मिथ्या व फर्जी नजर आती है क्योंकि जैसे शिकायत में 10 एकड़ में कपास की खेती करना बता रखा है जबकि वास्तविकता यह है कि कपास केवल करीब एक एकड़ के प्लोट में थी वे भी चार किस्मों के प्रयोग थे। इसी तरह से अन्य शिकायत बि निराधार है।

ह०- सोहनवीर सिंह, 8.7.82

(12) श्री कृष्णपाल सिंह, कृ०पर्य० राज०कृ०अनु० फार्म चित्तौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत कृषि मंत्री जी को कर्मचारियों द्वारा गुमनाम से की गई है मेरी जानकारी में नहीं है इस शिकायत के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है बल्कि मुझे शिकायत बिन्दु बिल्कुल गलत लगते हैं क्योंकि शिकायत में 10 एकड़ की कपास की खेती बता रखी है जबकि मुश्किल से एक एकड़ में कपास किस्मों का प्रयोग गत वर्ष लिया गया था चार किस्में थीं तथा पैदावार आज भी कार्यालय में पड़ी हुई है। इसी तरह से अन्य शिकायत बिन्दु भी मेरी जानकारी में मिथ्या हैं।

ह०- कृष्णपाल सिंह,

(13) श्री नानूराम जीप चालक राज० कृ०अनु० फार्म चित्तौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत कृषि मंत्री जी को कर्मचारियों द्वारा गुमनाम से की गई है मेरी जानकारी में नहीं है इस शिकायत बिन्दुओं के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है जब से यह फार्म चित्तौड़गढ़ में शुरू हुआ तबसे मैं यहाँ पर ही कार्यरत हूं परन्तु जो शिकायत बिन्दु इस शिकायत पत्र में लिखा है मेरी जानकारी में सही नहीं होकर फर्जी व मनघढंत है। जैसे 7 दिसम्बर से फार्म रहने की बात है कपास की खेती करने की बात है अन्य जो भी शिकायत बिन्दु हैं मिथ्या है, एक बिन्दु भी मेरी जानकारी में नहीं है।

ह० नाना.

(14) श्री शोभाग सिंह ट्रेक्टर ड्राइवर राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म चित्तौड़गढ़ ने बताय कि जो शिकायत कृषि मंत्री जी को कर्मचारियों द्वारा गुमनाम दी गई मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे अभी यह पता चला है कि गुमनाम शिकायत कर्मचारियों द्वारा की गई है। इस शिकायत में बताया गया कि बिन्दु गलत नजर आते हैं। जैसे कि कपास फार्म पर केवल एक ही बार प्रयोग के रूप में मुश्किल से डेढ़ बीघा थी जिसकी पैदावार आज भी कार्यालय में पड़ी है। जब से फार्म चित्तौड़ में चालू हुआ है तब से मैं ट्रैक्टर ड्राइवर हूं और इन शिकायतों में एक शिकायत मुझे सही नजर नहीं लगती है।

ह०- शोभाग सिंह.

उप निदेशक, कृषि (विस्तार)
कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़ (राज).

(16) श्री दुर्गाशंकर शर्मा, कनिष्ठ लिपिक राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म चित्तौड़गढ़ ने बताया कि जो शिकायत इस कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा गुमनाम कृषि मंत्री जी को की गई है, न ही मैंने यह शिकायत कराई हैं, जहांतक शिकायत बिन्दुओं के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है मेरी जानकारी का प्रश्न है मैं कह सकता हूं कि ये शिकायत बिन्दु गलत मिथ्या हैं क्योंकि मैं कनिष्ठ लिपिक हूं और मुझे रिकार्ड आधार पर ध्यान है कि यह कार्यालय 7 दिसम्बर, 1981 की शिफट न होकर 1-1-82 को शिफट हुआ है किराया का भवन जो कार्यालय के लिए किराये के लिए ले रखा था किराया 31 दिसम्बर, 81 तक चुकाया है। जहां तक श्री तोमर सा० का फार्म पर रहने का प्रश्न है श्री तोमर साहब ने माह फरवरी, 82 से रहना प्रारम्भ किया है तथा इसी माह से कोई मकान किराया भत्ता भुगतान नहीं किया गया है मेरी जानकारी से अन्य शिकायत बिन्दु भी असत्य नजर आते हैं।

ह० -दुर्गाशंकर शर्मा
कनिष्ठ लिपिक

(17) श्री मांगीलाल शर्मा हाली, श्री डूंगाराम चौकीदार व श्री दल्ला

(18) हलवाहक ने बताया कि हम लोग खेत पर ही काम करते हैं.

(19) तथा जो शिकायत आपने बताई है हम लोगों की जानकारी में नहीं हैं हम लोग साहब के घर पर या अन्य घरेलू कोई कार्य नहीं करते हैं तथा इस शिकायत पत्र से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि हमको कुछ भी जानकारी नहीं है।

ह०- मांगीलाल शर्मा, डूंगा, दल्ला,...

सत्य प्रतिलिपि

ह०-
उप निदेशक, कृषि (विस्तार)
कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़ (राज).

दिनांक : 11-7-82,

1. श्री एस.पी तोमर, इन्चार्ज एग्रोनोमिस्ट राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, चित्तौड़गढ़ से शिकायत बिन्दु 1 के बारे में पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस फार्म का प्रारम्भ जून, 1979 में हुआ तब से ही फार्म की पैदावार की क्रय विक्रय सहकारी समिति चित्तौड़, निम्बाहेड़ा एवं राजकीय संस्थाओं को ही विक्रय किया गया है जिसकी पुष्टि बिल बुक क्रम संख्या 1 दिनांक 28-10-80 से बिल संख्या 34 दिनांक 11-6-82 तक कुल राशि 79,663-72 रुपये चालान संख्या 1 से 9 तक 11से17 तक, 20से22 तक और 25से29 तक द्वारा राशि बैंक में जमा की पुष्टि रेकार्ड के आधार पर की गई। जहां कमेटी गठन का प्रश्न है श्री तोमर ने बताया कि कार्यालय आदेश संख्या : 1028-31, दिनांक 8-4-80 एवं आदेश संख्या 2423-27 दिनांक : 27-2-81 के द्वारा उपज विक्रय कमेटी का गठन किया गया परन्तु उपज की खुले बाजार

(344)

में नहीं बेचा जाने के कारण कमेटी को विक्रय करने की आवश्यकता नहीं पड़ी इसकी पुष्टि भी उपरोक्त आदेशों से रेकार्ड के आधार पर होते हैं । जहां तक इस शिकायत बिन्दु में निम्बाहेड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से उपज को विक्रय करने का प्रश्न है श्री तोमर ने बताया कि निम्बाहेड़ा "अ" श्रेणी की मन्डी होने से क्रय विक्रय सहकारी समिति निम्बाहेड़ा के माध्यम से विक्रय किया जाता है । इसी तरह से कल्याणपुरा फार्म की उपज विक्रय की जाकर 54205/– रुपये राजकीय कोष में जमा कराई गई है ।

2. शिकायत बिन्दु 2 के बारे में श्री तोमर से पूछे जाने पर बताया कि फार्म पर स्थित कुएं में जितना पानी है उस अनुसार से अधिक से अधिक बुवाई करने की कोशिश की जाती है ।

ह . एस.पी.तोमर 11-7-82.

सत्य प्रतिलिपि

ह० निदेशक, कृषि (विस्तार)

कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़ (राज०)

इस शिकायत के दूसरे भाग के बारे में श्री तोमर ने बताया कि इस फार्म की उपज का विक्रय करते समय किसी भी कर्मचारी को दौरे पर नहीं भेजा जाता है रेकार्ड के आधार पर दिनांक 16-1-82 को उपज का विक्रय किया जाना पाया गया है और इस दिनांक को समस्त स्टाफ कर्मचारी कार्यालय में उपस्थिति हाजरी रजिस्टर के आधार पर पाये गये केवल दो कर्मचारी को छोड़कर जो पूर्व से तीन चार दिन से भ्रमण पर थे । यह भी बताया गया कि निदेशालय से प्राप्त प्रोफार्मा में प्रत्येक प्रयोग का पूर्ण विवरण साइज सहित प्रत्येक सहायक अनुसंधान अधिकारी द्वारा भरकर रखा जाता है । अतः परिवर्तन किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

3. में श्री तोमर ने बताया कि इस फार्म के केवल बी ब्लोक ज्वार कम्पोजिट 5पी.वी. 245 बोई गई थी और इसकी पूर्ण मात्रा ग्रेन की 75 क्वि० 40 किलो तथा कडवी की मात्रा 3118 पूलियां हुइ । ग्रेन की पूर्ण मात्रा विक्रय श्री संयुक्त निदेशक, कृषि, उदयपुर के आदेशांक 3473 दि० 5-6-82 के अनुसार क्रय विक्रय सहकारो समिति को विक्रय कर राशि कोष में जमा कराई गई है तथा कडव तहसीलदार के पत्रांक 82-100 दि० 18.1.82 के द्वारा निर्धारित दर 400/- प्रति हजार पुलियां की दर से 2000 पूली विक्रय कर दी गई एवं शेष 1118 पूली फार्म पर चार बैलों को चराने हेतु उपयोग में ली जा रही है । इसी तरह भूसा भी तहसीलदार चितौड़ के आदेश संख्या 82-642 दि० 21.5.80 में निर्धारित दर 25- प्रति क्वि० से विक्रय किया जाकर राशि राजकीय कोष में जमा कराई गई इसी तरह कपास की बुवाई 10 एकड़ में असत्य बताया गया तथा केवल जे-34 एफ 414, जे 27 व सीइन्दौर-1 इन चार किस्मों का एक प्रयोग 1.05 बीघा में किया गया जिनकी पैदावार केवल 150 किलो कपास हुई है जो फार्म स्टोर में पड़ी हुई है तथा मेरे द्वारा देखी गई है कि प्रर्वथा के रेकार्ड के आधार पर सही है ।

ह०- एस०पी तोमर,
11.7.82

सत्य प्रतिलिपि

ह०-

उप निदेशक, कृषि (विस्तार)

कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़ (राज.)

4- शिकायत विन्दु संख्या 4 के बारे में पूछे जाने पर रेकार्ड के आधार पर रेकार्ड सहित बताया कि किराया पर चल रहा कार्यालय भवन 31.12.81 को रिक्त कर 1.1.82 को कार्यालय भवन फार्म पर कार्यालय में शिफ्ट किया इसकी पुष्टि रेकार्ड के आधार पर होती है क्योंकि दिसम्बर तक का किराया किराये के मकान का दिया गया है जिसकी पुष्टि रोकड़ पृष्ठ सं० 10 दि० 21.1.82 से होती है शिफट करने का कार्यालय आदेश क्र. 1033-53 दि० 16.12.81 की प्रति प्रस्तुत की गई है। श्री तोमर ने बताया कि कार्यालय फार्म पर शिफट होने के पश्चात् 1 माह के बाद माह 3 फरवरी से फार्म पर निवास करना प्रारम्भ किया इसी तिथि से मकान भत्ता रेकार्ड के आधार पर बिल नं० 324 दि० 1.3.82 के द्वारा माह फरवरी 82 से नहीं लेना पाया गया है तथा उसी बिल से यह भी पुष्टि होती है कि माह फरवरी 82 से ही कोई किराया भत्ता नहीं उठाया गया है जिसका प्रमाणीकरण रोकड़ पृष्ठ सं० 39 दि० 4.3.82 से होती है जहां तक बिजली के उपयोग की राशि का प्रश्न है श्री तोमर ने बताया कि फार्म पर स्थित निवास पर बिजली का सब मीटर फरवरी से ही लगा हुआ है तथा कार्यालय में बिजली का बिल भुगतान फरवरी 82 अब तक सब मीटर की राशि को कम करके बिल जमा कराने के आदेश दे रखे हैं।

5. शिकायत विन्दु 5 के बारे में पूछे जाने पर श्री तोमर ने बताया कि विकास मद से इस कार्यालय में कोई सीमेंट क्रय नहीं की गई है केवल डी०एल०डी०पी कार्यालय बंद होने से वहां पर पड़ी हुई सीमेंट श्री संयुक्त निदेशक., कृषि, उदयपुर के आदेश से इस कार्यालय में प्राप्त हुई जिसका उपयोग फार्म पर नये सिंचाई के धोरे बनाने फार्म की फेन्सिग करने तथा पुराने भवन की मरम्मत कराने के उपयोग में सीमेंट ली गई है। भवन की मरम्मत की स्वीकृति संयुक्त निदेशक, कृषि, उदयपुर के पत्रांक 11557 दि० 3.11.81 से प्राप्त की गई है।

6. शिकायत विन्दु सं० 6 के बारे में पूछे जाने पर श्री तोमर ने बताया कि यह फार्म दि० 25.6.79 को पंचायत समिति से चार्ज में लिया गया उसी दिन से फीड व फोडर रजिस्टर प्रारम्भ किया हुआ है इसी रजिस्ठर को मेरे द्वारा देखा गया जिससे पृष्ठ संख्या 1 से 59 तक पृष्ठ अंकित होकर प्रमाणित है।

7. शिकायत बिन्दु 7 के बारे में पूछे जाने पर श्री तोमर ने बताया शिकायत विन्दु असत्य व निराधार है जिसकी पुष्टि उक्त कर्मचारियों के बयानों से होती है

8. शिकायत बिन्दु 8 के बारे में पूछे जाने पर श्री तोमर ने बताया कि यूनाइटेड स्टेट एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डवलपमेंट द्वारा जो प्रयोगशाला के उपकरण दिये गये थे समस्त की इन्द्राज इक्युपमेंट रजिस्टर के पृष्ठ सं० 36से40 तक में अंकित किया गया है जिसकी पुष्टि मेरे द्वारा देखने पर होती है।

9. शिकायत बिन्दु 9 के बारे में पूछे जाने पर श्री तोमर ने बताया कि ऑडिट कराने का संबंध निदेशालय से है इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है।

सत्य प्रतिलिपि
ह०
उप निदेशक, कृषि, (विस्तार)
चितौड़गढ़

ह०
जांच अधिकारी
11.8.82

ह० एग्रानोमिस्ट
चित्तौड़गढ़

मुझे अभी एक शिकायत पत्र के बारे में पूछा गया । चूंकि शिकायत पत्र में काफी बातों का जिक्र है जिसका जवाब एक दम तुरन्त देना सम्भव नहीं है। मैं इस पत्र के बारे में पूर्णरूप से सोच विचार कर करीब ढाई घन्टे बाद जवाब दे सकूंगा, जो भी मेरे से सम्भव हो सकेगा।

सत्य प्रतिलिपि ह०-

8.7.82
टाइम 12-30 दोपहर
श्री ओ०पी० सिंह, सहा०
कृषि अनुसन्धान अधिकारी
शस्य
8.7.82

ह०-
उप निदेशक, कृषि, विस्तार
कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़ (राज.)

(श्री ओ० पी० सिंह की इच्छानुसार)

जो शिकायत कृषि मंत्री को की गई थी इस संबंध में जो बयान आज दिनांक 8.7.82 को 3 बजे लेने थे इसके स्थान पर दि० 11.7.82 को प्रातः 8 बजे लेवें सूचित हों।

ह०- 8.7.82
जिला कृषि अधिकारी
(जांच अधिकारी)

ह० श्री ओ०पी सिंह,
सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी,
(शस्य)

सत्य प्रतिलिपि
ह० उप निदेशक, कृषि (विस्तार)
कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़
दिनांक 11.7.82

ह० श्री एस०पी०तोमर,
एग्रोनोमिस्ट चित्तौड़गढ़
एल० नं० 306

श्री ओ०पी० सिंह,
सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य)
राजकोय कृषि अनुसंधान फार्म, चित्तौड़गढ़

विषय :-शिकायत की जांच के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि आज दि० 11.7.82 को आप फार्म पर पहुंचकर वापिस चले गये हैं ।

अतः विषयान्तर्गत जांच के संबंध में आप दि० 13.7.82 को आपके कार्यालय में सांय 3 बजे उपस्थित रहने का कष्ट करें ।

सत्य प्रतिलिपि
ह० उप निदेशक कृषि (विस्तार)
कृषि विभाग, चित्तौड़गढ़

ह०-
(डी०एल० भाटी)
जांच अधिकारी एवं जिला
कृषि अधिकारी, चित्तौड़गढ़

लेटर रिसिव्ड आन 12.7.82 ओट 10.30 ए०एम०
ह० ओ०पी० सिंह,

दि० 13.7.82

पूर्व निश्चित दिनांक व समय के अनुसार जिसकी सूचना लिखित में श्री ओ.पी. सिंह सहा० कृषि अनुसंधान अधिकारी (शस्य) राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म चित्तौड़गढ़ को दी हुई है से कृषि मंत्री जी को भेजी गई शिकायत पर जांच पड़ताल करते समय कुछ निम्न प्रश्न पूछे गये तो प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने से इंकार कर दिया गया ।

ह० जि० कृ० अ० चित्तौड़गढ़
जांच अधिकारी

1- क्या यह शिकायत पत्र आप द्वारा लिखा गया था—लिखवाया गया
2- क्या शिकायत बिन्दुओं के बारे में पूर्व में जानकारी थी।
3- कृषि फार्म पर

सत्य प्रतिलिपि
ह० उप निदेशक कृषि
कृषि विभाग चित्तौड़गढ़

राजस्थान सरकार

निदेशालय कृषि, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक :प. 24 () 12 नि.कृ. 80-81/6/601-650 दिनांक :27.1.82

कार्यालय आदेश :-

राजकीय कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना केन्द्रों पर प्रतिवर्ष रवी एवं खरीफ में विभिन्न किस्म के बीजों का परीक्षण करने पर जो उत्पादन एवं बीज उपलब्ध हो उसे निम्न प्रकार कार्यवाही कर डिस्पोजल किया जावे :-

1- उत्पादित बीज अगर प्रमाणित कराया गया है तो उसे राष्ट्रीय बीज निगम राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित पर जो भी ज्यादा हो, पर बेच दिया जावे।

2- अगर उत्पादित बीज अप्रमाणित एवं देशी किस्म का हो तो उसकी बाजार दर (मार्केट रेट) तहसीलदार अथवा मंडी समिति में प्रमाणित कराकर उसी के अनुसार बिक्री दर निर्धारित करली जावें या राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा निर्धारित दर के अनुसार निर्धारण कर बेचा जावे। अगर बीज राज० राज्य बीज निगम के अनुरूप किस्म का शुद्ध बीज हो तो उनको निर्धारित दर से कम दर पर नहीं बेचा जावे उनके द्वारा निर्धारित बिक्री दर पर दिया जावे।

3- अगर उत्पादित पैदावार की किसी भी संस्था एवं विभाग को आवश्यकता नहीं होवे तो उसे खाने के प्रयोग हेतु( ) बाजार में क्रय विक्रय समिति/मण्डी समिति द्वारा नीलाम कर बेच दिया जावे।

ह०-
निदेशक कृषि विभाग.
राजस्थान-जयपुर

क्रमांक .प.24(12) 79 नि.कृ० (6) 601-650. दिनांक : 27.1.82

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- समस्त क्षेत्रिय संयुक्त निदेशक, कृषि,
2- वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिक, कृषि विभाग, जयपुर।
3- शस्य वैज्ञानिक कृषि विभाग कृषि फार्म चितौड़गढ़ जिला, कपासन.
4- उप निदेशक कृषि विस्तार.
5- वरिष्ठ लेखाधिकारी, कृषि विभाग, जयपुर।
६- लेखाधिकारी, कृषि विभाग, जयपुर।

ह०
निदेशक कृषि विभाग,
जयपुर।

सत्य-प्रतिलिपि

ह०-
उप निदेशक कृषि (विस्तार)
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

(348)

क्रमांक:-एफ( ) स्थापन 81-82/1033-53.　　　　　　दिनांक 16.12.81

परिपत्र:-

निम्न हस्ताक्षर कर्ता का कार्यालय शस्य विज्ञानी कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना, प्रतापनगर सी-22, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 1.1.82 को राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, चित्तौड़गढ़ पर हस्तांतरित किया जा रहा है । अतः भविष्य में इस कार्यालय से सम्बन्धित पत्र व्यवहार निम्न पते पर करें।

पता:- शस्य वैज्ञानिक,
कृषि विभाग,
ग्राह्य अनुसंधान केन्द्र, निम्बाहेड़ा रोड,
चित्तौड़गढ़ (राज०)..

ह०-
(एस.पी.तोमर),
शस्य वैज्ञानिक,
उदयपुर खण्ड, चित्तौड़गढ़ (राज०)

क्रमांक एफ. 2 ( ) स्थापन 81-82 1033-53　　　　　　दिनांक: 16.12.1981

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1 : श्रीमान् निदेशक महोदय, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 ,, अतिरिक्त निदेशक महोदय, कृषि विस्तार, राजस्थान, जयपु
3. ,, संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) राजस्थान, जयपुर।
4. ,, उप निदेशक, कृषि (विस्तार) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. ,, वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिक, कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. ,, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, कृषि विभाग, राज० जयपुर।
7 ,, उप निदेशक, कृषि (प्रशासन) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
8. ,, सहायक निदेशक, कृषि (प्रशासन) राजस्थान, जयपुर।
9. ,, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
10. ,, संयुक्त निदेशक, कृषि उदयपुर खण्ड, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर।
11. ,, शस्य वैज्ञानिक, जल उपयोग प्रकोष्ठ, दैवी भवन, परिवहन मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर।
12. ,, शस्य वैज्ञानिक, फार्म मैनेजमेन्ट योजना, जयपुर।
13. ,, उप निदेशक (शस्य) सिंचाई एण्ड एस०बी० 188 बापूनगर, जयपुर-4
14. ,, उप निदेशक कृषि (विस्तार) भीलवाड़ा, उदयपुर, कांकरोली, चित्तौड़गढ़।
15. ,, जिला कृषि अधिकारी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा।
16. ,, शस्य विज्ञानी, एडोप्टीव रिसर्च, छतरपुर फार्म बून्दी, सुमेरपुर, अजमेर, श्रीकरणपुर
17. ,, जिलाधीश, चित्तौड़गढ़।
18. ,, मुख्य पेंशन अधिकारी, जयपुर।
19. ,, कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
20. ,, श्री——————————

ह०-
(एस०पी०तोमर)
शस्य विज्ञानिक
उदयपुर खण्ड, चित्तौड़गढ़ (राज०)

सत्य प्रतिलिपि

चित्तौड़गढ़ (राज.)

कृषि मंत्री,
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,
नई दिल्ली (110001)

महोदय,

राजकीय कृषि अनुसंधान फार्म, चित्तौड़गढ़ एव उपकेन्द्र कल्याणपुरा में पिछले दो वर्षों से व्यापक रूप से घोटाला हो रहा है जो कि मुख्य रूप से यहाँ एडप्टीव रिसर्च सेन्टर के इन्चार्ज (एग्रोनोमिस्ट) एवं उनके निजी एवं समीप के सुपरवाइजर (जो स्टोर कीपर का पद संभाले हुये हैं) की देख रेख में सम्पन्न हो रहा है। हम लोगों की तरफ से इससे पूर्व में भी आपको इस समस्त घोटाले की जानकारी भेजी गई थी। परन्तु अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। राजकीय धन का दुरुपयोग जिस ढंग से यहां हो रहा है उसका अन्दाज प्रत्यक्षरूप से बैठकर लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी हेतु राजकीय कृषि फार्म चित्तौड़गढ़ व उप केन्द्र कल्याणपुरा पर हो रहे घोटाले का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. राजकीय कृषि फार्म रवी व खरीफ में हुई पैदावार को बगैर कोई कमेटी वनाये इंचार्ज एग्रोनोमिस्ट व सुपरवाइजर स्टोर/कीपर के हाथों व्यक्तिगत तौर पर वाजार में वेचा जाता है। चित्तौड़गढ़ में क्रय विक्रय सहकारी समिति होते हुये भी अनाज को निम्बाहेड़ा (जो कि 30 किलो मीटर दूर है) ले जाकर वाजारों में वेचा जाता है फार्म की उपज की संबंध में पिछले तीन वर्षों से अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई है, जिससे कि प्राप्त उपज को कमेटी की देख रेख में वेचा जा सके।

2. एडेप्टीप रिसर्च फार्म पर केवल प्रयोग लगाने का ही प्रावधान है जवकि फार्म के आध से अधिक भाग में जनरल बुवाई की जाती है। फ़ार्म पर लगाये गये प्रयोगों का साइज भी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते समय कागजी कार्यवाही में कम कर दिया जाता है। इस तरह प्रयोगों की शेष एरिये की बची उपज एवं जनरल बुवाई की उपज को खुले बाजार में वेची जाकर अपार धन कमाया जा रहा है। कटाई समाप्त होते ही समस्त सुपरवाइजरों से उनकी ओब्जरवेशन डायरी प्राप्त कर जप्त कर दी जाती है ताकि भविष्य में फार्म पर पैदा हुई उपज का कोई प्रमाण शेष न रह सके जिस दिन फार्म उपज को वेचा जाता है (निजी तौर पर) उसी दिन फार्म पर कार्यरत सभी सुपरवाइजर एवं ए०ए०आर० ओ० को बाहर टूयूर पर भेज दिया जाता है ताकि उपज अकेले में बेची जा सके।

3. पिछले दो वर्षों से यहां पर ज्वार की बुवाई फार्म के बी एवं सी ब्लोक के करीब 20 एकड़ भूमि में की जा रही है। इससे प्राप्त उपज एवं कई टन ज्वार की सूखी कडवी को सूखे की स्थिति का ध्यान में न रखते हुये भी निजीतौर परबेच दिया जाता है। गेहूं, जौ, चना से प्राप्त भूसे की थोड़ी मात्रा सरकारी कागजों में दर्ज कर शेष वड़ी मात्रा को धन कमाने हेतु बेचा जा रहा है। दोनों केन्द्रों पर कोई करीब 10 एकड़ कपास का इस्तेमाल भी घरेलू कार्यों में किया गया। इतना ही नहीं फार्म पर पिछले दो वर्षों से खरीदा गया सामान एवं पैदा हुई अनाज गेहूं, जौ,चना, उड़द, मूंग सरसों, मटर, हरी प्याज इत्यादि का सेवन भी एग्रोनोमिस्ट एवं स्टोर कीपर द्वारा जीवन निर्वाह के रूप में किया जा रहा है। इस सव का इस्तेमाल करना इसलिये और भी सरल हो गया है कि ये दोनों ही लोग मय परिवार के फार्म पर रह रहे हैं।

4. उद्‌घाटन मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 7 दिसम्बर, 81 में किया गया। ठीक इसी दिन से समीप के बने पुराने सरकारी क्वार्टर में एग्रोनोमिस्ट महो० ने मय परिवार रहना शुरू किया। साथ ही सुपरवाइजर (जब कि नये बने दो कमरे में) लेफ्ट में रह रहे हैं। दोनों ही लोग सरकारी क्वार्टर में रहते हुये भी मकान भत्ता-7 दिसम्बर, 81 से लगातार उठा रहे है। जबकि फार्म मैनेजर क्वार्टर में रह रहे एक अन्य सुपरवाइजर का मकान भत्ता उसी दिन से काट दिया गया है जब से उन्होंने उसमें रहना शुरू किया है। इन दोनों क्वार्टर में बिजली का कनेक्शन कार्यालय बिल्डिंग से लिया गया है, जिससे खर्च हुई बिजली का भुगतान सरकारी पैसे से (ऑफिस बिल से) होता है।

5. इस उपरोक्त बने पुराने सरकारी क्वार्टर (जिसमें एग्रोनोमिस्ट मय परिवार के रह रहे हैं) का नव निर्माण आये दिन होता है। उसमें होने वाला व्यय फार्म विकास के बजट से किया जाता है। जबकि ऐसी स्थिति में फार्म का विकास रुक जाने से लगाये गये प्रयोग बुरी तरह प्रभावित हैं। फ़ार्म विकास के लिये खरीदा गया सारा सीमेंट इस क्वार्टर के निर्माण में लगा दिया गया है।

6. फ़ार्म पर अभी तक पशु एवं रजिस्टर नाम की कोई चीज नहीं है! फार्म के करीब 3 एकड़ भूमि में हरा चारा रजगा, बरसिम अपनी रखी निजी गाय के लिये बोया जाता है। फार्म पशुओं के लिये प्राप्त दाने बीनढले का भी इस्तेमाल इसी गाय द्वारा किया जाता है।

7. फार्म पर कार्यरत दो अस्थाई व एक स्थाई नौकरों का इस्तेमाल एग्रोनोमिस्ट महोदय एवं सुपरवाइजर द्वारा घरेलू कार्य हेतु किया जाता है। जो कि पूरे दिन घर पर ही रहते है। इन तीनों की प्रति माह कुल बेगार (प्रति व्यक्ति 9-रु० प्रति दिन) 810-रु० होती है। इस तरह भारी सरकारी धन का दुरुपयोग किस ढंग से हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाय। नौकरों की कमी के कारण फार्म पर लगे प्रयोग बुरी तरह प्रभावित है।

8. जनवरी, ८२ से इस फार्म पर(   ) द्वारा 40 दिन के ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ऐजेंसी द्वारा उनके निजी प्रयोग शाला, उपकरण इस्तेमाल किये गये। ट्रेनिंग की समाप्ति पर सारे उपकरण एग्रोनोमिस्ट महो० द्वारा निजी तौर पर घर रख लिये गये और ना ही इनका सरकारी रिकार्ड में कोई लेखा जोखा है।

9. जब से चित्तौड़गढ़ में एडप्टीव रिसर्च की स्थापना हुई है तब से आज तक कोई भी ऑडिट (पिछले तीन वर्ष) इस कार्यालय की नहीं हुई है।

इस समस्त हो रहे घोटाले की यहां पर किसी भी समय सत्यता परखी जा सकती है। सरकारी धन का दुरुपयोग जिस ढंग से इन दो रिसर्च स्टेशन (जिनके अन्तर्गत लगभग 200 एकड़ से अधिक भूमि है) पर हो रहा है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आवश्यक कार्यवाही एवं आपकी जानकारी हेतु सूचना भेजी जा रही है।

सत्य प्रतिलिपि

ह०
उप निदेशक, कृषि (विस्तार)
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

भवदीय,
कर्मचारीगण एडेप्टीव रिसर्च
फार्म, चितौड़गढ़

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ भेजी जा रही है :-

1. मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. कृषि मंत्री, राजस्थान, सरकार जयपुर।
3. कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

भवदीय,
ह०-
(कर्मचारीगण)

परिशिष्ट-26

अतारांकित प्रश्न संख्या 773 की सूची

सूची आदिवासी काश्तकारों की तहसील प्रतापगढ़

क.सं. 1	नाम आदिवासी 2	नाम ग्राम 3	नाम वन खण्ड 4
1.	श्री मानीया पिता रूपजी	जोलर	आरक्षित वन खण्ड सर
2.	श्री वेनिया पिता पुरिया	"	" "
3.	श्री हुरजी पिता जोखला	"	" "
4.	" मोतिया पिता मेवजी	"	" "
5.	" तेजिया पिता पांचिया	"	" "
6.	" केसिया पिता मेघला	"	" "
7.	" पांचिया पिता लिम्बा	"	" "
8.	" मंगलिया पिता हुरजी	"	" "
9.	" गुलाब पिता लाला	कमला कुण्डी	" "
10.	" चौखला पिता मेघजी	"	" "
11.	" रूपजी पिता चौखला	"	" "
12.	" देवजी पिता जालिया	राणपुर	" "
13.	" शवजी पिता मालिया	खुन्टगढ़	" "
14.	" द्वितीया पिता मुन्ना	"	" "
25.	" भाणजी पिता राजीया	"	" "
16.	" मंगला पिता हल्दू	"	" "
17.	" वारिया पिता पुन्ना	"	" "
18.	" हुरजी पिता पालिया	"	" "
16.	" भीमजी पिता जालिया	"	" "
20.	" रामा पिता धनजी	"	" "
21.	" कमजी पिता पीथिया	बडीलाक	सरलालपुरा
21.	" वागा, वेलीपा पिता मेघजी	"	" "
23.	" वालजी पिता मानिया	"	" "
24.	" हुरजी पिता वागला	"	" "
25.	" चौखला पिता अर्जुन	"	" "
26.	" कालिया पिता केसिया	"	" "
27.	" वालिया पिता वक्ता	"	" "
28.	" पेमा पिता ओंकार	"	" "

1 2	3	4	5
29. ,, गलजी पिता रूपा	बड़ीलाक	आरक्षित वन खण्ड	सरलालपुरा
30. ,, मंगला पिता भैरा	,,	,,	,,
31. ,, जीवा पिता वक्ता	,,	,,	,,
32. ,, नन्दा पिता भीमजी	,,	,,	,,
33. ,, नाकूडा पिता भैरा	,,	,,	,,
34. ,, मानिया पिता भीमजी	,,	,,	,,
35. ,, गलजी, कमजी पिता रत्ना	लालपुर	,,	,,
36. ,, नारू पिता रत्ना	,,	,,	,,
37. ,, भैरा पिता कुंगला	,,	,,	,,
38. ,, फूलिया पिता भोगजी	,,	,,	,,
39. ,, गोतिया पिता वागजी	,,	,,	,,
40. ,, रूपा पिता मोती	,,	,,	,,
41. ,, हमेरा पिता मानजी	,,	,,	,,
42. ,, रामा पिता वक्ता	,,	,,	,,
43. ,, मानीया पिता हरजी	,,	,,	

परिशिष्ट-27

अतारांकित प्रश्न संख्या 776 का विवरण

जयपुर शहर की चार दीवारी के अन्दर बाढ़ ग्रस्त इलाकों सड़क मरम्मत तथा पेचवर्क पर खर्च की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	चौकड़ी	राशि
(1)	ब्रह्मपुरी	25,646.00
(2)	पुरानी बस्ती	77,839.00
(3)	घाट गेट	1,32,906.00
(4)	सरहद	1,04,248.00
(5)	रामचन्द्रजी	58,547.00
(6)	गंगापोल	34,547.00
(7)	मोदीखाना	38,380.00
(8)	विश्वेश्वर जी	38,351.00
(9)	तोपखाना देश	83,283.00
(10)	तोपखाना हजूरी	5,727.00
	कुल योग:-	5,99,772.00

परिशिष्ट 28

अतारांकित प्रश्न संख्या 779 का विवरण

Minutes of the First Meeting of the Jaipur Development Authority Held On 5th August, 1982 At 5.15 P. M.

The following were present :-

1.	Shri Shiv Charan Mathur, Chief Minister of Rajasthan.	Chairman
2.	Shri Sriram Gotewala, State Minister, Urban Development, Government of Rajasthan.	Vice-Chairman
3.	Shri M. M. K. Wali, Chief Secretary.	Member
4.	Shri Anand Mohanlal, Revenue Secretary.	Member
5.	Smt. Otima Bordia, Finance Secretary.	Member
6.	Shri R. K. Saxena, Secretary, LSG, UDH Deptts.	Member
7.	Shri Yatindra Singh, Secretary, Medical & PHED.	Member
8.	Shri K. K. Sarin, Secretary, P. W. D.	Member
9.	Shri B. Kambo, Chief Town Planner & A. A.	Member
10.	Shri V. I. Rajagopal, Chairman, R. S. E. B.	Member
11.	Shri K. K. Chaudhary, Administrator, Municipal Council, Jaipur.	Member
12.	Shri N. K. Sethi, Chairman, Notified Area Committee, Amer.	Member

13. Shri Bal Chand Chipa,
Chairman, Municipal Board,
Sanganer (Jaipur). .. Member

14. Shri Satish Kumar,
Jaipur Development Commissioner. Member

15. Shri Naresh Nath Tankha,
Secretary, Jaipur Development
Authority. Secretary

The following officers were also present in the meeting.

1. Shri C. S. Mehta, Director,
Town Planning, J. D. A.
2. Shri A. L. Chhaperwal, S. E., J. D. A.
3. Shri Shashank Mahagaonkar,
D. T. P., J. D. A.

Agenda Item 1 & 2:—

1. Delegation of powers of Jaipur Development Authority Ordinance to its Executive Committee, Jaipur Development Commissioner and other competent officers under powers given in the Jaipur Development Authority Ordinance.

2. Creation of Posts.

2. These agenda items were considered together and the following decisions were taken :—

(1) The Authority approved the delegation of powers under Section 97 (2) of Jaipur Development Authority Ordinance, 1982 as per statement annexed (Annexure-1) and passed the following Resolution :—
"Resolved that by virtue of the provisions of Section 97 (2) of Jaipur Development Authority Ordinance, 1982 power of the Authority may be delegated to various authorities/officers etc. as in the annexed statement (Annexure-1)"

(2) The Authority resolved to creat the posts given in the statement in Annexure 2.

3. **Other Items:**

The following decisions were also taken with the permission of the chair :—

(1) Process may be set in motion for preparation of Master Development Plan and other plans in the Long term, Medium-term and Short-term perspective. Consultancy may also be considered for this purpose in specific Areas.

(2) (a) Very high importance may be accorded to the Katchi Basti Development Programme. A detailed Project for the development of all the Katchi Bastis in a long-term perspective may be prepared. However, another short-term Project for the development of Katchi Bastis in the current year and next year may be prepared immediately for urgent implementation.

(b) It was also decided that the work relating to regularisation of Katchi Bastis and getting of pattas issued based on surveys already conducted should be taken upon a campaign basis and completed early.

(3) The work relating to Land conversion should be attended to expeditiously and for this purpose a joint meeting may be held between the Revenue Department and Jaipur Development Authority for chalking out a 'Plan of Action'.

(4) Steps may be taken to prepare and launch Scheme for creation visible impact particularly in the areas of removal of unauthorised occupation of footpaths and roads etc. and proper control and regulation of traffic arrangements.

Sd/-
(Shiv Charan Mathur)
Chairman,

Copy to all concerned.

Sd/-
(G. N. Haldea)
Secretary
Jaipur Development Authority

357

STATEMENT 13

Annexure 1

Statement of posts created by the Jaipur Development Authority in its meeting *dated 5.8.1982 vide Resolution No. 1.*

1 *Chief Enforcement and Vigilance Officer :*
He will be an IPS Officer not below the rank of Superintendent of Police.

2 *Deputy Commissioner Katchi Bastis :*
He will be not below the rank of Superintending Engineer (Civil).

3 *Deputy Commissioner, Housing Cooperative Societies :*
He will be not below the rank of Joint Registrar in the Co-operative Department.

4 *Deputy Director (Planning) :*
He will be not below the rank of D. T. P. in the Town Planning Department.

5 *Deputy Director (Finance) :*
He will be of the rank of Senior Accounts Officer.

6 *Law Officer :*
He will be not below the rank of Additional District & Sessions Judge or Deputy Legal Remembrancer/Draftsman in the Law Department.

7 *Prosecutor :*
He will be of the rank of Deputy Superintendent of Police/ Prosecuting Inspector and equivalent.

8 *Private Secretary to Jaipur Development Commissioner :*
He will be of the rank of a R.A.S., Officer.

The Authority approved the proposal to authorise Jaipur Development Commissioner to take appropriate officers on deputation from the State Government or any other public undertaking|Board/Corporation of the Government on pay plus deputation basis and other terms as the concerned departmentr| Undertaking/Corporation etc. may prescribe. Their designation emoluments etc. will be finally determined when the Regulations governing conditions of service under Jaipur Development Authority Ordinance are finalised.

STATEMENT

ANNEXURE-2

Statement of powers delegated by the Jaipur Development Authority Under Section 97 (2) of Jaipur Development Authority Ordinance, 1982 to various authorities in its meeting dated 5–8–1982 vide Resolution No. 2

Serial No.	Section of J.D.A. Ord.	Particulars in brief	Name of the authority to whom powers are to be delegated
1	2	3	4
1.	9	Determination of the strength of staff creation of posts of officers and servants.	Executive Committee
2.	18	Permission to undertake development within Jaipur Region.	Jaipur Development Commissioner.
3.	19	Powers of the Authority to give direction to any local authority or other authority or person for implementation of any project or scheme.	Jaipur Development Commissioner.
4.	20	Power to require local authority to assume responsibilities for the maintenance of amenities.	Jaipur Development Commissioner.
5.	21	Power to execute any plan or scheme not carried out by any local authority or other authority or person and to recover expenses incurred thereon.	Jaipur Development Commissioner.

1	2	3	4
6.	22	Power to subscribe to share capital of certain companies or co-operative societies	Executive Committee.
7.	27	Modification of the Plans.	Powers retained by Jaipur Development Authority.
8.	28	Implementation of the plan.	Jaipur Development Commissioner.
9.	31	Declaration of any area in Jaipur region as Development area, permission for development in such area.	Jaipur Development Commissioner.
10.	32	Power of revocation of modification of permission to development.	Jaipur Development Commissioner.
11.	34	Power to require removal of unauthorised development.	Jaipur Development Commissioner / the Chief Enforcement and Vigilance Officer with the general and specific permission of the Jaipur Development Commissioner.
12.	35	Power to stop unauthorised development.	Jaipur Development Commissioner / the Chief Enforcement and Vigilance Officer with the specific permission of the Jaipur Development Commissioner.

1	2	3	4
13.	36	Removal or discontinuance of unauthorised temporary development summarily.	Jaipur Development Commissioner / the Chief Enforcement and Vigilance officer with specific and general permission of the Jaipur Development Commissioner
14.	37	Power to require removal of authorised development or use of land.	Jaipur Development Commissioner/the Chief Enforcement and Vigilance Officer with the specific permission of the Jaipur Development Commissioner.
15.	38	Sanction for sub-division of plots or layout of private street.	Executive Committee
16.	39	Recovery of expenses incurred under Sections 34 35, 36, 37 and 38.	Jaipur Development Commission
17.	40 & 41	Making projects and schemes to implement plan declaration to that effect.	Powers retained by Jaipur Development Authority.
18.	44	Modification or withdrawal of project or scheme sanction u/s. 51.	-do-

1	2	3	4
19.	45	Making projects or scheme not covered by plan.	Powers retained by Jaipur Development Authority.
20.	46	Power to purchase or lease or exchange land by agreement.	Executive Committee.
21.	47	Making representation to the State Govt. for acquisition of land.	Executive Committee.
22.	50(2)	Payment for compensation by agreement in municipal areas.	Executive Committee.
23.	55(2)	Payment of compensation by agreement in Rural areas.	Executive Committee
24.	56	Demolition of any building vested in the Authority on acquisition and eviction of occupiers.	Jaipur Development Commissioner the Chief Enforcement and Vigilance Officer with the general and specific permission of the Jaipur Development Commiseion.
25.	58	Disposal of Nazool lands.	Jaipur Development Commissioner in accordance with policy laid down by Jaipur Development Authority.

1	2	3	4
26.	59(2)	Keeping in current or deposit account of the authority.	Jaipur Development Commissioner/the Director, Finance with the specific permission of the Jaipur Development Commission.
27.	60	Establishing distict bank account for loans Fund.	Jaipur Development Commissioner/the Director with the general and specific permission of the Jaipur Development Commissioner.
28. (i)	61 (i)	Making provision for Reserve Fund.	Powers retained Jaipur Development Authority.
28 (ii)	61 (ii)	Powers in respect of management of the funds referred in sub-section (i) of section 61.	Jaipur Development Commissioner.
29.	63	Powers to borrow money with the sanction of the State Government.	Jaipur Development Commissioner.
30.	64	Power of the authority to finance project or schemes and impose conditions thereof under-taken by any local authority or other.	Executive Committee.

1	2	3	4
31.	66	Keeping accounts of the authority.	Jaipur Development Commissioner / Director Finance with the general and specific permission of the Jaipur Development Commissioner.
32.	71	Recovery of Ground rent or urban assessment from the plot holders.	Jaipur Development Commissioner/Director Finance with the specific permission of the Jaipur Development Commissioner.
33.	72	Charging fee for permission or licence granted under the Jaipur Development Authority Ordinance, 1982.	Jaipur Development Commissioner/Director Finance with the general and specific permission of Jaipur Development Commissioner.
34.	76	Power to remove obstruction upon public streets and open spaces also encroachment or unauthorised obstruction in the property vested in the authority	Jaipur Development Commissioner /Chief Enforcement and Vigilance Officer.
35.	79	Power to make complaint constitution offences under the ordinance.	Jaipur Development Commissioner. Also the Chief Enforcement and Vigilance Officer/ Secretary with the general and specific permission of Jaipur Development Commissioner.

1	2	3	4
36.	(i) 81 (a)	Power to institute and defend or compound	Jaipur Development Commissioner.
	(ii) 81 (b)	Power to withdraw from any legal proceeding	Executive Committee.
37.	89	Power to authorise any servant and the authority for entry for the purpose of the Section	Jaipur Development Commissioner.
38.	92	Lumpsum contribution by the Authority in lieu of taxes levied by local authorities.	Executive Committee.
39.	93	Deduction from salary or wages to meet claims of the authority, power of agreement and making requisition to employer etc.	Jaipur Development Commissioner.
40.	95	Power of Authority to call for returns, reports information from any local authority or any person	Jaipur Development Commissioner/Director, Town Planning/Director, Finance/Director, Engineering Secretary.
41.	106	Power to screen the employees of defunct U.I.T. Jaipur for absorption in Jaipur Development Authority Services.	Jaipur Development Commissioner and three Directors (i) Engineering (ii) Planning & (iii) Finance.

Note:- Secretary, Jaipur Development Authority will exercise the powers of Chief Enforcement and Vigilance Officer and Director of Finance till these posts are filled up or if the incumbent of these posts are on leave/out of station etc.

सूची–ख

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/मीटिंग 5658 दिनांक 19 फरवरी, 1983

महोदय,

जयपुर विकास प्राधिकरण की दूसरी बैठक दिनांक 1-2-83 का कार्य विवरण संलग्न कर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

ह/-
(जी० एन० हल्दिया)

1- अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण (मुख्य मंत्री, राजस्थान)
2- उपाध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण (मंत्री, नगर विकास, राजस्थान)
3- मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
4- सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5- सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6- सचिव, नगर विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7- सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8- सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
9- महानिरीक्षक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
10- सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11- मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तु सलाहकार, राजस्थान, जयपुर।
12- अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
13- अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
14- अध्यक्ष, औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि०, जयपुर।
15- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर।
16- प्रशासक, नगर पालिका परिषद्, जयपुर ।
17- जिला प्रमुख, जयपुर जिला परिषद्, जयपुर।
18- प्रशासक, नगरपालिका, चौमूं।
19- अध्यक्ष, नगरपालिका, सांगानेर ।

(366)

20. अध्यक्ष, नगरपालिका, जयपुर।
21. अध्यक्ष, नगरपालिका, बस्सी।
22. अध्यक्ष, नोटिफाइड एरिया कमेटी, आमेर।
23. जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24. डिवीजनल रेल प्रबन्धक, जयपुर।
25. निदेशक, नगरीय विकास, निर्माण एवं आवासन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
26. उप कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
27. उप क्षेत्रीय कमाण्डर, सेना, जयपुर।
28. महा प्रबन्धक, दूरसंचार, राजस्थान, जयपुर।
29. प्रधान, पंचायत समिति, झोटवाड़ा।
30. प्रधान, पंचायत समिति, सांगानेर।
31. प्रधान, पंचायत समिति, आमेर।
32 प्रधान, पंचायत समिति, जमुवारामगढ़।
33. प्रधान, पंचायत समिति, बस्सी।
34. प्रधान, पंचायत समिति, चाकसू।
35. प्रधान, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़।
36. श्री नवल किशोर शर्मा, लोक सभा सदस्य।
37. श्री कुम्भाराम आर्य, लोक सभा सदस्य।
38. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, लोक सभा सदस्य।
39. श्री शिवराम शर्मा, राजस्थान विधान सभा सदस्य।
40. श्रीमती उजला अरोड़ा, राजस्थान विधान सभा सदस्य।
41. कुमारी पुष्पा जैन, राजस्थान विधान सभा सदस्य।
42. श्री श्रीराम गोटेवाला, राज्य मन्त्री।
43. श्री भंवरलाल शर्मा, राजस्थान विधान सभा सदस्य।
44. श्रीमती विद्या पाठक, राजस्थान विधान सभा सदस्य।
45. श्री तेजपाल यादव, राजस्थान विधान सभा सदस्य।
46. श्री जगदीश तिवाड़ी, राजस्थान विधान सभा सदस्य।
47. श्री तकीउद्दीन अहमद, राजस्थान विधान सभा सदस्य।
48. श्री भैरूंलाल भारद्वाज, राजस्थान विधान सभा सदस्य।

जयपुर विकास प्राधिकरण की दिनांक 1.2.83 को
प्रात: 10-30 बजे सचिवालय के सभा कक्ष (कान्फ्रेंस
हाल) में हुई द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णयों का विवरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की द्वितीय बैठक सचिवालय के सभा कक्ष (कान्फ्रेंस हाल) में दिनांक 1-2-83 को प्रात: 10-30 बजे श्री प्रद्युम्न सिंह, उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री, नगर विकास, राजस्थान) की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिये धन्यवाद दिया तथा सदस्यों को प्राधिकरण की प्रगति एवं भावी कार्यक्रम से अवगत कराया। तत्पश्चात् प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेण्डा आइटम निम्न क्रमानुसार विचारार्थ लिये गये एवं उन पर निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गये :–

निर्णय 2.1. —— जयपुर विकास प्राधिकरण (कार्य-संचालन) विनियम, 1983 (एजेण्डा आइटम 2.11);

एजेण्डा आइटम 2.11 के साथ प्रस्तुत जयपुर विकास प्राधिकरण (कार्य-संचालन) विनियम, 1983 का प्रारूप विचारोपरान्त पारित कर ग्रहण किया गया।

निर्णय 2.2 —— जयपुर विकास प्राधिकरण (कार्यकारी समिति, कृत्यकारी बोर्ड तथा समितियों का कार्य-संचालन) विनियम, 1983 (एजेण्डा आइटम 2.12)

एजेण्डा आइटम 2.12 के साथ प्रस्तुत जयपुर विकास प्राधिकरण (कार्यकारी समिति, कृत्यकारी बोर्ड तथा समितियों का कार्य संचालन) विनियम, 1983 का प्रारूप विचारोपरान्त पारित कर ग्रहण किया गया।

निर्णय 2.3 —— जयपुर विकास प्राधिकरण का बजट वर्ष 1983-84 एवं संशोधित बजट 1982-83 का अनुमोदन।

एजेण्डा आइटम 2.5 के साथ प्रस्तुत जयपुर विकास प्राधिकरण आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1983-84 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 1982-83 का विचारोपरान्त अनुमोदन किया गया।

निर्णय 2.4 —— दक्षिण जयपुर के सैक्टर 1-ए की भूमि अवाप्ति से मुक्ति। (एजेण्डा आइटम 2.1)

राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक भूअ/वि/1/1ए/79 दिनांक 10.10.79 के द्वारा लाल कोठी योजना के दक्षिण में लगभग 560 बीघा भूमि अवाप्त करने का अभिप्राय प्रकाशित किया गया था।

उक्त विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व एवं इसके विचाराधीन रहने के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों द्वारा उक्त क्षेत्र में मकान बना लिये गये है। अब इस क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा कोई नई योजना बनाना न तो सम्भव है एवं ना ही वांछित हैं। वैसे भी मास्टर प्लान में यह क्षेत्र आवासीय प्रयोजन हेतु निर्धारित है। अतः इस भूमि को अवाप्त करने से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति होना सम्भव नहीं है। ऐसी भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा भी विस्तृत निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। उक्त निर्देश स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र संख्या एफ 9/57/यूडी एच/11/81 दिनांक 3 अप्रेल, 1982 में अंकित है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भूमि को अवाप्त नहीं किया जाना ही उचित समझा गया एवं इसी प्रकार की सिफारिश राज्य सरकार को भेज दी गई है। यह सिफारिश भेजते समय इस क्षेत्र में स्थित दोनों रेलवे लाइन के साथ 100 फीट चौड़ी सड़क का प्रावधान रखा गया है ताकि उक्त क्षेत्र में आवागमन की समुचित व्यवस्था रहे।

उक्त निर्णय पूर्व में प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से लिया गया एवं प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में लिया गया। अतः उक्त निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

यह भी निर्णय लिया गया कि अब यह प्रयास रहे कि अवाप्ति में आने वाले मकानों के बदले में यथा सम्भव अन्य भू-खण्ड व समुचित मुआवजा दिया जाये।

निर्णय 2.5 —— विज्ञप्ति दिनांक 10.10.79 द्वारा प्रस्तावित भूमि की अवाप्ति। (एजेण्डा आइटम 2.2)

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.10.79 को प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार लगभग 9 हजार बीघा जमीन की अवाप्ति का अभिप्राय घोषित किया गया था। उक्त भूमि में से एक सैक्टर (सैक्टर 1-ए) के बारे में पृथक से निर्णय लिया जा चुका है (निर्णय 2.4)। शेष भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में निर्णायक सिद्धान्त तय किया जाना अपेक्षित है। इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये विस्तृत निर्देशों (परिपत्र क्रमांक एफ 9(57)यू०डी०एच० /11/81 दिनांक 3.4.82) के अनुसार अधिकांश भूमि की अवाप्ति से मुक्ति अपेक्षित है।

मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 दिसम्बर, 1982 को ली गई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अपने क्षेत्र में संतोषजनक विकास किया गया हो अथवा वे विकास शुल्क देने हेतु तैयार हों, उनके क्षेत्रों की अवाप्ति से मुक्ति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। यह भी निर्णय लिया गया था कि विकास शुल्क को पूर्व दरों के मुकाबले कुछ कम किया जावे। यह भी निश्चय किया गया कि बिजली व पानी की सप्लाई पर होने वाले पूंजी व्यय को सम्बन्धित विभागों पर छोड़ दिया जाये एवं प्राधिकरण मुख्यतः सड़कों, नालियों, पार्क, वृक्षारोपण आदि विकास सहित "पैरी-फैरल" विकास पर ही व्यय करे। अतः यह निर्णय लिया गया था कि उक्त सहकारी समितियों या उसके सदस्यों से विकास शुल्क 25- रु० प्रति वर्ग गज की दर से लिया जावे। नागरिकों की सुविधा के लिये यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त राशि की प्रथम किश्त 12.50 रुपये ही एवं शेष राशि दो 6 माही किश्तों से प्राप्त की जाये।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा, जयपुर के मास्टर प्लान के अनुरूप, गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा पारित भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने की राज्य सरकार को सिफारिश कर दी जावे यदि वे निम्न शर्तों की पूर्ति करें :-

(अ) समिति अथवा उसके आधे से अधिक भू-खण्ड धारियों द्वारा रूपान्तरण शुल्क जमा कराया जा चुका है।

(ब) समिति द्वारा अपने क्षेत्र का ले-आउट प्लान प्राधिकरण से स्वीकृत करा लिया गया है।

(स) समिति अथवा उसके आधे से अधिक सदस्यों द्वारा विकास शुल्क की प्रथम किस्त दी जा चुकी है, एवं

(द) जिन क्षेत्रों में एक तिहाई से अधिक भू-खण्डों पर पक्के मकान बन चुके हैं उनके लिये उपरोक्त शर्तों में यथा-आवश्यकता छूट दी जा सकती है किन्तु विकास शुल्क की उपरोक्त राशि कम नहीं की जायेगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी सभी गृह निर्माण समितियों की भूमि के सम्बन्ध में अवाप्ति से मुक्ति की सिफारिश की जावे जो कि उपरोक्त शर्त को दिनांक 30.-6.83 से पूर्व पूर्ण कर लें। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अनाधिकृत रूप से भूमि क्रय कर उसके भू-खण्ड काटने पर प्रभावी रोक लगाने की व्यवस्था की जाये। उपरोक्त वर्णित भू-अवाप्ति से मुक्ति की कार्यवाही भी ऐसे नये मामलों में नहीं की जाएगी। उक्त समस्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप की जाय

निर्णय 2.6 —— जयपुर रीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर रिहायशी भू-खण्डों का आवंटन (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उक्त विषय पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन करेंगे (जिसमें सचिव, राजस्व विभाग; सचिव, स्वायत्त शासन विभाग; जयपुर विकास आयुक्त; जिलाधीश, जयपुर तथा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण आदि सदस्य होंगे)। यह उप समिति जयपुर रीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सरकारी भूमि पर रिहायशी भू-खण्ड आवंटन हेतु नीति सम्बन्धी सुझाव देगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ सदस्य भी उप-समिति की बैठक में विशेषरूप से आमंत्रित किए जायेंगे।

साथ ही उक्त उप समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप नियमानुसार क्रियान्विति की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्राधिकरण की शक्तियां भी प्रदत्त की गईं।

निर्णय 2.7 —— गृह निर्माण सहकारी समितियों के क्षेत्र विस्तार पर रोक। (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

(370)

अधिकांश सदस्यों द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अब भी कुछ गृह निर्माण समितियां कृषि भूमि खरीद कर उन पर रिहायशी भू-खण्ड काट कर बेच रही हैं। जो सर्वथा अनुचित एवं अवैध है। अतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि निर्णय सं० 2.6 के अन्तर्गत गठित उप समिति इस पर प्रभावी रोक लगाने सम्बन्धी ठोस सुझाव दे एवं उनकी क्रियान्विति राज्य सरकार व प्राधिकरण द्वारा कराई जावे।

निर्णय 2.8 —— रूपान्तरण होने वाली कृषि भूमि पर भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया। (एजेण्डा आइटम 2.7)

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 7.8 एवं 7.9 की प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया (परिशिष्ट 2.7) उक्त निर्णय की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई।

निर्णय 2.9 मास्टर प्लान में परिवर्तन के प्रस्ताव। (एजेंण्डा आइटम 2.8)

वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर के मास्टर प्लान में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गये हैं। उक्त परिवर्तन जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत किये जा सकते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन परिवर्तनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पब्लिक नोटिस जारी कर आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करना आवश्यक है। तत्पश्चात् प्रस्तावित परिवर्तनों पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है। मास्टर प्लान में भूमि उपयोग के प्रस्तावित परिवर्तनों पर विचार कर निम्न निर्णय लिये गये:—

(1) झालाना डूंगरी में कच्ची बस्तियों के निवासियों को बसाने हेतु:- यह योजना झालाना डूंगरी क्षेत्र में जगतपुरा सड़क के पूर्व की तरफ करीब 22 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र जयपुर के स्वीकृत मास्टर प्लान में सार्वजनिक संस्थानों के लिये सुरक्षित है। भूमि प्राधिकरण की निजी भूमि है जो राज्य सरकार द्वारा पहले से ही हस्तानान्तरित की जा चुकी है। इस क्षेत्र की योजना में करीब 981 भू-खण्ड आवासीय प्रयोजन हेतु प्रस्तावित करे गये हैं जिनमें से 931 भू-खण्ड गरीब वर्ग के लोगों के हैं। इस योजना के लिये "हुडको" से ऋण भी प्राप्त कर लिया गया है। चूंकि मास्टर प्लान में यह क्षेत्र "गैर आवासीय" दर्शाया गया है, अतः गैर आवासीय से "आवासीय" उपयोग हेतु परिवर्तन नियमानुसार कर दिया जाए।

(2) मालवीय नगर में कच्ची बस्तियों के निवासियों हेतु पुनर्वास योजना:- मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण की तरफ तथा जगतपुरा रोड पर स्थित प्राधिकरण की भूमि पर एक आवासीय योजना बनाई गई है जिसमें शहर की कच्ची बस्तियों के निवासियों को स्थापित करने हेतु 680 भू-खण्ड प्रस्तावित किये गये हैं। योजना का कुल क्षेत्रफल 17 एकड़ है। यह भूमि जयपुर के मास्टर प्लान में "औद्योगिक" उपयोग हेतु सुरक्षित है तथा इसको अब "आवासीय" उपयोग में परिवर्तन नियमानुसार कर दिया जाए।

(3) नेहरू वाणिज्यिक केन्द्र:- टौंक रोड पर नेहरू उद्यान के सामने 7.4 एकड़ क्षेत्र में एक वाणिज्यिक केन्द्र की योजना बनाई गई है। यह भूमि होटल के उपयोग हेतु दर्शायी गई है और "डिस्ट्रिक्ट केन्द्र" से लगती हुई है। इस भूमि को "होटल" से वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन नियमानुसार कर दिया जाए।

(4) अरावली वाणिज्यिक केन्द्र:- जवाहर लाल नेहरू मार्ग:- मालवीया नगर योजना के अन्तर्गत करीब 16 एकड़ क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरु मार्ग से लगती हुई एक वाणिज्यिक केन्द्र की योजना प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है जिसमें दुकानें, बड़े शोरूम, होटल, सिनेमा आदि का प्रावधान है। जयपुर के मास्टर प्लान में यह क्षेत्र आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित है। यह भूमि प्राधिकरण की अवाप्त शुदा भूमि है और रिक्त पड़ी है। इस भूमि को "आवासीय" उपयोग के बजाय "वाणिज्यिक" उपयोग में लेने के लिए मास्टर प्लान में परिवर्तन नियमानुसार कर दिया जाए।

(5) वैशाली आवासीय योजना, क्वीन्स रोड:- क्वीन्स रोड के पश्चिम की तरफ करीब 285 बीघा बीड भूमि उपलब्ध है। प्राधिकरण ने इस भूमि पर एक आवासीय योजना बनाई है। यह भूमि जयपुर के स्वीकृत मास्टर प्लान में "रक्षा" विभाग हेतु सुरक्षित स्थान में आती है। जयपुर शहर में आवासीय भू-खण्डों की जरूरत को देखते हुए इस भूमि को "आवासीय" उपयोग में परिवर्तन नियमानुसार कर दिया जाय।

(6) भूमि रूपान्तरण के कारण मास्टर प्लान में परिवर्तन:- (ए) जयपुर के स्वीकृत मास्टर प्लान में सवाई माधोपुर रेलवे लाइन एवं दिल्ली रेलवे लाइन के बीच तथा गन्दे नाले के दक्षिण की तरफ करीब 107 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र दर्शाया हुआ है। इस क्षेत्र में गृह निर्माण समितियों ने भूमि खरीद कर काफी संख्या में भवन निर्माण कर लिये है। इस क्षेत्र में चार गृह निर्माण समितियों के "ले-आउट प्लान" की प्राधिकरण द्वारा तकनीकी जांच की जा चुकी है एवं भूमि रूपान्तरण विभाग को कृषि भूमि से आवासीय भूमि में परिवर्तन हेतु प्रोवीजनल सिफारिश भेजी जा चुकी है। वर्तमान उपयोग को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित "औद्योगिक" उपयोग को 'आवासीय' उपयोग में बदला जाय। उक्त क्षेत्र की सीमायें जिसे औद्योगिक उपयोग से आवासीय उपयोग में परिवर्तन करना है, निम्न प्रकार हैं:- उत्तर गन्दा नाला, पश्चिम-सवाई माधोपुर रेकवे लाइन, दक्षिण-आवासीय भूमि, मास्टर प्लान के अनुसार, पूर्व दिल्ली रेल्वे लाईन कुल क्षेत्र करीब 107 एकड़। उक्त क्षेत्र का उपयोग "औद्योगिक" से "आवासीय" में परिवर्तन नियमानुसार कर दिया जाए।

(बी) सिरसी रोड के दक्षिण में तथा क्वीन्स रोड के पश्चिम की तरफ का क्षेत्र जयपुर के मास्टर प्लान में "सरकारी रिजर्व" प्रस्तावित है यह क्षेत्र सेना के लिए सुरक्षित रखा गया था। इस क्षेत्र में बहुत-सी गृह निर्माण समितियों ने भूमि खरीद कर भू-खण्ड बेच दिये हैं. तथा काफी निर्माण कार्य भी हो चुके है। प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में एक आवासीय योजना "वैशाली" के नाम से बनाई है जो कि सरकारी भूमि पर है। रक्षा विभाग इस क्षेत्र में भूमि अवाप्ति के लिए इच्छुक नहीं प्रतीत होता है। अतः इस समस्त क्षेत्र को "सरकारी रिजर्व" से आवासीय" उपयोग हेतु परिवर्तन कर दिया जाय ।

(सी) गोपालपुरा सड़क उत्तर की तरफ एवं सवाई माधोपुर रेल लाइन के पूर्व से लगता हुआ क्षेत्र जयपुर के मास्टर प्लान में "सरकारी कार्यालय" (रेलवेज) हेतु प्रस्तावित है । चूंकि रेलवे विभाग ने इस क्षेत्र में भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही नहीं की है और इस क्षेत्र में कई गृह निर्माण समितियों ने भूमियां खरीद कर भू-खण्ड बेच दिये हैं एवं भू-खण्डों पर निर्माण भी हो चुका है, अब इस क्षेत्र में रेलवे के कार्यालय बन पाना संभव प्रतीत नहीं होता। अतः उक्त क्षेत्र को सरकारी कार्यालय (रेलवे) से "आवासीय" उपयोग हेतु परिवर्तन नियमानुसार कर दिया जाये।

(डी) जयपुर के मास्टर प्लान में गोपालपुरा रोड एवं सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन के बीच एक व्यापारिक केन्द्र प्रस्तावित है। इस व्यावसायिक केन्द्र के बनने से जयपुर के से सी०बी०डी० को राहत मिलेगी और जयपुर की नई बस्तियों में बसने वाले लोगों के लिये वाणिज्यिक जरूरत इस एफ०सी०सी० से पूरी होगी। इस क्षेत्र में भी कई गृह निर्माण समितियों ने भूमि खरीद कर भू-खण्ड बेच दिये हैं और कुछ निर्माण कार्य भी हो चुका है परन्तु एम०सी०सी० की स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र का उपयोग "आवासीय" में परिवर्तित नहीं किया जाना उचित होगा । इस क्षेत्र का विस्तृत प्लान बनाते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि जो पक्के मकान बन चुके हैं उनको यथा सम्भव सुरक्षित रखा जाये।

(इ) अजमेर रोड पर एक जिला केन्द्र प्रस्तावित है जो इस क्षेत्र के आसपास वाली आवासीय योजनाओं की वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करेगा। इस क्षेत्र में भी कुछ गृह निर्माण समितियों ने भू-खण्ड खरीद लिये हैं परन्तु इस क्षेत्र में ज्यादा गृह निर्माण नहीं हुए हैं। इस "जिला केन्द्र" की स्थिति को देखते हुए और भविष्य में वाणिज्यिक केन्द्र विकसित करने की आवश्यकता को देखते हुए इस क्षेत्र को "आवासीय" उपयोग में परिवर्तित नहीं किया जाये तो उचित होगा।

समयाभाव के कारण शेष एजेण्डा आइटम अगली बैठक के लिये स्थगित किये गये।

बैठक आसन को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

ह०

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की द्वितीय बैठक दिनांक 1 फरवरी, 1983 को सदस्यों की उपस्थिति

1.	श्री प्रद्युम्न सिंह, मंत्री, नगरीय विकास, राजस्थान	उपाध्यक्ष
2.	श्री एम०एम० के०वली, मुख्य सचिव, राजस्थान।	सदस्य
3.	श्री आनन्द मोहन लाल, सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।	सदस्य
4.	श्रीमती प्रोतिमा बोर्डिया, सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
5	श्री ए०एल० रूंगटा, सचिव, नगर विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।	सदस्य
6.	श्री यतीन्द्र सिंह, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री जे०एम० मल्होत्रा, सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान 'जयपुर।	सदस्य
8.	श्री आर०सी० दवे, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
9.	श्री भवानी मल माथुर, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।	सदस्य
10.	श्री के०के० चौधरी, प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर।	सदस्य

(374)

11.	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, जिला प्रमुख, जिला परिषद्, जयपुर ।	सदस्य
12.	श्री राम जीवन मीणा, प्रशासक, नगरपालिका, चौमूं ।	सदस्य
13.	श्री एन०के० सेठी, अध्यक्ष नोटिफाइड एरिया कमेटी, आमेर	सदस्य
14.	श्री बाल चन्द छीपा, अध्यक्ष, नगरपालिका, सांगानेर ।	सदस्य
15.	श्री जगदीश प्रसाद नन्दवाना, अध्यक्ष, नगरपालिका, बगरू ।	सदस्य
16.	श्री मोहनलाल पंचोली, अध्यक्ष, नगरपालिका, बस्सी ।	सदस्य
17	श्री सतीश कुमार, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
18.	श्री यू०बी०एस० पंवार, डिवीजनल रेल प्रबन्धक, जयपुर ।	सदस्य
19.	श्री महावीर सिंह, उप-क्षेत्रीय कमाण्डर, सेना, जयपुर ।	सदस्य
20.	श्री डी०के० सांगल, महा प्रबन्धक, दूरसंचार, जयपुर ।	सदस्य
21.	श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव, प्रधान, पंचायत समिति, झोटवाड़ा ।	सदस्य
22	श्री गंगासहाय शर्मा, प्रधान, पंचायत समिति, सांगानेर ।	सदस्य
23.	वैद्य श्री प्रहलाद शर्मा, प्रधान, पंचायत समिति, आमेर ।	सदस्य
24.	श्री रामचन्द्र मीणा, प्रधान, पंचायत समिति, जमवारामगढ़ ।	सदस्य
25.	श्री श्रवण दास, प्रधान, पंचायत समिति, बस्सी ।	सदस्य

26.	श्री बालचन्द मीणा, प्रधान, पंचायत समिति, चाकसू ।	सदस्य
27.	श्री पुष्कर सिंह, प्रधान, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ ।	सदस्य
28.	श्री कुम्भाराम आर्य, लोक सभा सदस्य ।	सदस्य
29.	श्री शिवराम शर्मा, राजस्थान विधान सभा सदस्य ।	सदस्य
30.	श्रीमती उजला अरोड़ा, राजस्थान विधान सभा सदस्य ।	सदस्य
31.	श्रीमती विद्या पाठक, राजस्थान विधान सभा सदस्य ।	सदस्य
32.	श्री तेजपाल यादव, राजस्थान विधान सभा सदस्य ।	सदस्य.
33.	श्री जगदीश तिवाड़ी, राजस्थान विधान सभा सदस्य ।	सदस्य

सूची-ग

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के विकास हेतु ली गई प्रस्तावित योजनाओं का विवरण:-

(1) विद्याधर नगर आवासीय योजना:-

यह जयपुर शहर के उत्तर की ओर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण में पूर्व सीकर रोड के पूर्व की ओर स्थित है। इस महत्वाकांक्षी योजना की प्लानिंग के लिए (Consultant Cum Retainer) नियुक्त करने के लिये प्रार्थना पत्र मांगे गये एवं 80 से अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से कुछ विदेशों से भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने हेतु समिति भी बना दी गई है।

(2) वैशाली नगर आवासीय योजना:-

इस योजना की स्थिति जयपुर शहर के पश्चिम की ओर अजमेर रोड से उत्तर में है। इसका क्षेत्र लगभग 182 एकड़ है। यह जयपुर विकास प्राधिकरण की सबसे बड़ी आवासीय योजना है। जिसमें करीब 2500 आवासीय भू-खण्ड करीब 600 मकान एवं लगभग 400 व्यावसायिक भू-खण्ड प्रस्तावित किये गये हैं। इसमें एक हायर सैकण्डरी स्कूल, तीन प्राइमरी स्कूल, एक चिकित्सालय संस्थान हेतु करीब भी भूमि रखी गई है।

(3) झालाना पुनर्स्थापना आवासीय योजना :-

झालाना डूंगरी के नीचे स्थित 40 एकड़ भूमि में समाज के कमजोर तबके के लिए एक योजना बनाई गई है जिसमें कुल 961 प्लाट्स|भू-खण्ड रखे गये हैं जिनमें से 761 प्लाट्स 44 वर्ग गज के हैं 170,50 वर्ग गज के और 30,381 वर्ग गज के हैं।

(4) लाल कोठी पुनर्स्थापन आवासीय योजना:-

टोंक रोड पर स्थित लाल कोठी योजना में उपलब्ध 20 एकड़ भूमि में यह योजना तैयार की गई है जिसमें 50 वर्ग गज के 454 भू-खण्ड होंगें।

(5) मालवीया नगर पुनर्स्थापन आवासीय योजना:-

जगतपुरा रोड के उत्तर की ओर 20 एकड़ भूमि में विभिन्न स्थानों से कुछ बस्तियों के निवासियों की पुर्नस्थापना करने हेतु बनाई गई हैं। इसमे कुल 729 भू-खण्ड रखे गये हैं जिनमें से 280, 44 वर्ग गज के एवं अन्य 200 व 311 वर्ग गज के हैं।

हरू प्लेस व्यावसायिक केन्द्र:-

ड पर स्थित नेहरू बालोद्यान के सामने की ओर सात एकड़ भूमि में यह व्यावसायिक वंत है जिसमें करीब 288 शॉपिंग एवं 5 मल्टी स्टोरी ब्लाक प्रस्तावित हैं ।

) अरावली व्यावसायिक केन्द्र :-

जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर रेलवे लाइन से लगता हुआ यह व्यावसायिक केन्द्र 16 एकड़ भूमि में बनाया जा रहा है जो इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों हेतु विभिन्न प्रकार की दुकानें, आफिस काम्प्लेक्स, एक सिनेमा, एक होटल आदि उपलब्ध करायेगा ।

(8) संजय बाजार :-

सांगानेरी गेट एवं घाट गेट के बीच स्थित यह व्यावसायिक योजना 353 दुकानों की है जिसमें 21 Kiosks भी हैं।

(9) नाहरी का नाका शॉपिंग सेन्टर :-

नाहरी का नाका सर्किल पर स्थित इस व्यावसायिक योजना में करीब 64 दुकानें एवं ठेलों हेतु स्थान रखा गया है।

(10) विद्याधर नगर पुनर्स्थापन में शॉपिंग सेन्टर:-

विद्याधर नगर के एक भाग में बनाई गई पुनर्स्थापन योजना में यह डेढ़ एकड़ के शॉपिंग सेन्टर में करीब 50 दुकानें होंगी।

(11) मुरलीपुरा पुनर्स्थापन योजना शॉपिंग सेन्टर :-

इस शॉपिंग सेन्टर में 50 से अधिक दुकानें प्रस्तावित हैं।